राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] बारहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का इकतीसवां दिवस [संख्या: 17

शुक्रवार;

30 जुलाई, 2004

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद।

रणथम्भोर राष्ट्रीय उद्यान, सवाईमाधोपुर क्षेत्र में होटल निर्माण

392. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि रणथम्भौर राष्ट्रीय पार्क, सवाईमाधोपुर की सुरक्षा हेतु सीमांकन कराकर दीवार व पोलों का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो इस पर कुल कितनी राशि किस मद से व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि रणथम्भोर राष्ट्रीय पार्क की सुरक्षा हेतु निश्चित दूरी तक होटल आदि के निर्माण पर पाबन्दी लगाई गई है ? यदि हां, तो कितनी दूरी पर तथा किस-किस प्रकार के निर्माण पर ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि निर्माण पर पाबन्दी के नियमों में छूट दी जाकर सरकार द्वारा कुछ व्यक्तियों को निर्माण की अनुमति प्रदान की गई है ? यदि हां, तो किस-किस को व क्यों ?

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री लक्ष्मीनारायण दवे) : (1) सवाईमाधोपुर राष्ट्रीय उद्यान, रणथम्भोर को सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध चराई रोकने के उद्देश्य से दीवार के निर्माण का कार्य करवाया गया। यह दीवार निर्माण सीमांकन के उद्देश्य से नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए कराया गया है। उक्त दीवार निर्माण पर अकाल राहत मद से 127.33 लाख रुपये तथा राज्य योजना मद से 41.41 लाख रूपये व्यय हुए।

(2) जी हां। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 26-12-2002 तथा संशोधित आदेश दिनांक 22-1-2003 के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान रणथम्भोर में सम्मिलित वन खण्डों की बाहरी सीमा से 500 मीटर क्षेत्र में सभी प्रकार के निर्माण एवं विस्तार कार्य पर रोक लगाई गई है।

(3) जी हां। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 26-12-2002 से निर्माण कार्यों पर एकाएक रोक लग जाने के कारण कुछ होटल परियोजनाओं, जो अपने कार्य में काफी धनराशि, समय तथा परिश्रम व्यय कर चुकी थी तथा कुछ प्रकरणों में राज्य सरकार की कतिपय स्वीकृतियां भी दी जा चुकी थीं, का कार्य रूक गया। अतः इस समस्या के समाधान हेतु इस विषय का परीक्षण कर उन्हें विशेष छूट प्रदान की गई। विभिन्न स्तर की समितियों द्वारा यह छूट उन होटल परियोजनाओं को दी गई जो नोटिफिकेशन के सयम से पूर्व निम्न शर्तों को पूर्ण करती थीं :-

1. भूमि क्रय कर ली गई थी।
2. होटल/रिसोर्ट आदि के निर्माण के उद्देश्य से भूमि रूपान्तरण का आवदेन किया हो।
3. परियोजना के कुल फिक्स्ड केपिटल का 25 प्रतिशत तक अथवा 50 लाख रुपये, जो भी कम हो, का निवेश हो चुका हो।
4. ऐसी परियोजना जिसे दिनांक 31-3-2005 तक वाणिज्यिक प्रयोग में से लिया जायेगा।

जिन्हें यह छूट दी गई है उनकी सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देंखे)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने मेरे प्रश्न के खण्ड एक में बताया कि रणथम्भोर टाइगर पार्क की सुरक्षा के लिए और अवैध चराई रोकने के उद्देश्य से दीवार का निर्माण कराया गया है और उस पर राशि व्यय हुई। आप अवैध रूप से चराई रोक रहे हैं और जो कोई घास काटने जाय या पशुओं को चराने जाये. उन पर मुकदमा बना देते हैं। क्या यह सही है कि इस बाघ परियोजना के अन्दर 11 जुलाई को एक फोरेस्टर ओम प्रकाश शर्मा और एक रेन्जर विनोद कुमार राय और बुद्धि प्रकाश गार्ड सहित पांच आदमी पेड़ काटते हुए पकड़े गये और उनमें से केवल एक का ट्रान्सफर करके और एक को ससपैण्ड करके आपने इस मामले की इतिश्री कर दी और क्या यह भी सही है कि कैम्प फायर की आड़ में जो विदेशी सैलानी घूमने आये थे उनको फरवरी के अन्दर रात को इस रणथम्भोर टाइगर प्रोजेक्ट के अन्दर उनको मौज मस्ती करने की इजाजत दी गई और वह पकड़े गये और उनके खिलाफ भी आपने कार्यवाही नहीं की। दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि आपने यह कहा कि यह रूल है 500 मीटर की परिधि में कोई निर्माण की इजाजत नहीं दी जायेगी, फिर यह एक ही दिन 28 जून को मीटिंग करके जिन लोगों को यह होटाल बनाने के लिए इजाजत दे दी गई, इनका आपने कहा कि जिनके पैसे लग गये थे फिक्स्ड केपिटल या जो पाईप लाइन में थे, इसमें जो आपने परिशिष्ट "क" के ऊपर नाम दिये हैं इनके कितने-कितने पैसे किस-किस योजना में खर्च हो गये थे उसका विवरण भी कृपया सदन पटल पर रखें और इसके अलावा भी, आपने जो सूची दी है, वह सूची अधूरी है, इसके अलावा भी क्या कुछ ऐसे होटल हैं जिनके निर्माण के लिए आपने नियमों में छूट दी है जिनमें एक वाल्मिकी थापर जो खुद वाइल्ड लाइफ टाइगर की आपकी जो स्टैण्डिंग कमेटी है उसके मेम्बर हैं, क्या उसकी बहन मालविका थापर को भी आपने नियमों में छूट देकर के होटल निर्माण की स्वीकृति दी है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह जो कार्यवाही आपने की है छूट देने की, यह आपके इण्डियन फोरेस्ट एक्ट, 1927 की धारा 5 और 26 का उल्लघंन नहीं है। क्या आप नियमों के रिलेक्स देने के लिए आपका एक्ट बना हुआ है उस एक्ट के अन्दर छूट दे सकते हैं। कृपया बतायें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन कर्मचारियों और अधिकारियों के बारे में माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी, उन अधिकारियों के विरूद्व एक को निलम्बित कर दिया गया और एक को स्थानान्तरित किया और इनकी जांच विचाराधीन है। जहां तक 26-12-1992 थापर की बात है, अध्यक्ष महोदय, 26-12-1992 के पहले यह थापर का रिसोर्ट या होटल है, यह 26-12-1992 के पहले निर्माणाधीन है, 26-12-1992 के बाद में जो आदेश प्राप्त हुए उसमें 500 मीटर फोरेस्ट एरिया के बाद में बफर लैण्ड है उसमें 500 मीटर की परिधि के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए, कोई रिसोर्ट, होटल वगैरह का कोई कार्य नहीं होना चाहिए। परन्तु माननीय अध्यक्ष महोदय, 26-12-1992 के पश्चात् राज्य सरकार ने, तत्कालीन राज्य सरकार ने कुछ प्रभावशाली लोगों, जो राजनेता भी थे, उनको फायदा पहुंचाने के लिए 26-5-2003 को इस प्रकार का रिलेक्सेशन दिया गया और उस रिलेक्सेशसन के अन्दर मैसर्स एक्सप्लोर इण्डिया होटल एण्ड रिसोर्ट, यह माननीय अध्यक्ष महोदय, बालेन्द्र सिंह पुत्र दीपेन्द्रसिंह शेखावत, मैसर्स टाइगर कान्टीनेंटल वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट, श्री एच.एस. रंधवा, मैसर्स सनी विलास रिसोर्ट, रणथम्भोर रोड, सवाईमाधोपुर, खिलाड़ी लाल बैरवा, मैसस दबे विलास सच्चाई होटल प्राइवेट लिमिटेड, श्री बालेन्द्र सिंह राजपूत और नाहरगढ़ होटल, श्री गजसिंहजी, यह इन लोगों को 26-5-2003 को राजस्थान सरकार ने जो पाईप लाईन के अन्दर काम जारी था, जिनके होटल का निर्माण कार्य चल रहा था, जिन्होंने कन्वर्जन के लिए आवेदन कर रखा था, जिन्होंने भूमि ले रखी थी.....

मोहम्मंद माहिर आजाद : यह जवाब आप दे चुके हैं मंत्रीजी, राशि कितनी......

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : इसलिए यह तत्कालीन सरकार के द्वारा, राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा, राजस्थान सरकार के तत्कालीन वन मंत्री कुछ लोगों, प्रभावशाली व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने के लिए एक सर्वाधिकार कमेटी का फोर्मेशन किया गया। एक जिला स्तरीय समिति जिसमें तीन करोड़ रुपये तक की, वह जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर को अधिकृत किया गया था और तीन करोड़ से ज्यादा पच्चीस करोड़ तक की राशि को जो

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

लागत के रिसोर्ट या होटल हैं उनके लिए चीफ सैक्रेटरी राज्य सरकार के द्वारा यह सर्वाधिकार समिति के द्वारा यह आदेश देना था और पच्चीस करोड़ से अबाब एवं राज्य के मुख्य मंत्री को आदेश देना था तो तीन करोड़ राशि से सर्वाधिकार कमेटी के द्वारा चार लोगों को यह स्वीकृति का आदेश दिया गया और दो लोगों को राज्य सरकार के द्वारा दिया गया जिनमें प्रभावशाली व्यक्ति थे। वास्तव में, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का आदेश 26-12-1992 जो 500 मीटर की परिधि के अन्दर किसी रिसोर्ट और कोई होटल का निर्माण नहीं होना चाहिए था परन्तु कुछ लोगों को, प्रभावशाली व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस प्रकार का रिलेक्सेशन करके उनको फायदा पहुंचाया गया और जो कैम्प फायर, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कैम्प फायर की बात की है.....

श्री मोहन लाल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, यह किन नियमों के अन्तर्गत रिलेक्सेशन दिया गया था ?

श्री अध्यक्ष : मूल प्रश्नकर्ता।

श्री मोहन लाल गुप्ता : मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि यह किस नियम के अन्तर्गत इस होटल के मालिक को स्वीकृति दी गई थी, कृपया वन मंत्री महोदय बतायें।

मोहम्मद माहिर आजाद : पहले मूल प्रश्नकर्ता के सवाल का जवाब तो आ जाये।

श्री मोहन लाल गुप्ता : किन नियमों के अन्तर्गत इस होटल के मालिक को रिलेक्सेशन दिया गया, माननीय मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : और कैम्प फायर की जहां तक बात है.....।

श्री मोहन लाल गुप्ता : क्या आपका री-ओपन करने का विचार है वापस इसकी जांच को ?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : उन लोगों के विरूद्ध जो माननीय सदस्य कैम्प फायर के सम्बन्ध में जो जानकारी दी है उन लोगों के विरूद्ध चालान पेश कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष : जवाब दे रहे हैं मंत्री जी। विराजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो पहला सवाल था कि आपके जो पेड कटवाते हुए खुद फारेस्ट के अधिकारी और कर्मचारी पकड़े गये, आपने पहले सवाल में आपने जवाब दिया कि उसमें से हम एक फोरेस्ट ओमप्रकाश शर्मा को निलम्बित कर दिया और एक रेन्जर विनोद कुमार राय का ट्रासन्फर कर दिया। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपके जो वाइल्ड लाइफ एनीमल प्रोटेक्शन एक्ट है उसकी धारा 27 और 17 ए में अगर वन क्षेत्र के अन्दर कोई पशुपालक पशु चराता पकड़ा जाए चाहे एस.सी./एस.टी. का हो चाहे कोई औरत लकड़ी बीनती पकड़ी जाए तो आप फोरेस्ट एक्ट के अन्दर.....

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछें प्रश्न। प्रश्न पूछें।

मोहम्मद माहिर आजाद : प्रश्न ही पूछ रहा हूं। आपने इसमें वन अधिनियम के अन्दर मुकदमा दर्ज कराया क्या इन लोगों के खिलाफ जो आपके बड़ी संख्या के अन्दर पेड कटवा रहे थे.....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया क्या ? यदि कराया तो कब और नहीं कराया तो आप कब कराने का इरादा रखते हैं दूसरा जो मैंने आपसे पूछा था कि कैम्प फायर का आपने कह दिया कि कैम्प फायर के अन्दर चालान पेश हो गया ऐसा नहीं हैं उसको रफा-दफा करने की तैयारी की जा रही है। आपको सही जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछें। प्रश्न पूछें प्रश्न।

मोहम्मद माहिर आजाद : प्रश्न ही पूछ रहा हूं कि फिर क्या कार्यवाही हुई है यह आप बतायें और मेरा तीसरा सवाल स्पष्ट यह था कि आपने यह कहा है कि जिसने इन्वेस्टमेन्ट कर दिया था या जिसने पैसा लगा दिया था तो जिन-जिन को आपने छूट दी इसका कितना-कितना पैसा काहे में इन्वेस्ट कर दिया था आपके छूट देने से पहले ? कृपया बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : माननय मंत्री जी आसन भी जानना चाहता है कि इस

(श्री अध्यक्ष)

जिला स्तरीय और आपके राज्य स्तरीय दोनों समितियों के सदस्य कौन-कौन थे उनके नाम भी बता दें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला स्तरीय समिति के अन्दर जिला कलक्टर फोरेस्ट विभाग के अधिकारी और कमेटी के अन्य सदस्य थे और प्रदेश।

श्री अध्यक्ष : कौन-कौन थे यही तो जानना चाहते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : है नहीं मंत्री जी के पास जानकारी। आसन ने पूछा वो नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कोई बात नहीं है आप और प्रश्नों का जवाब दे दीजिये। कोई बात नहीं। (व्यवधान) अब उनको देने दो जवाब। पहले जवाब दे रहे हैं न वो।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में जो आपने कहा है उनके विरूद्ध डिपार्टमेन्ट के द्वारा कार्यवाही की गयी है जिसमें एक को निलम्बित किया गया, एक का स्थानान्तरण किया गया और उसके विरूद्ध....

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, मुकदमा दर्ज हुआ क्या ?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : जांच विचाराधीन है और माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद : मुकदमा दर्ज हुआ क्या ?

श्री अध्यक्ष : शांतिपूर्वक सुनें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय सदस्य, जो एफ.आई.आर. लाज की बात कह रहे हैं डबल जीरो पार्टी डबल पनिशमेन्ट नहीं हो सकता या तो उसको पनिशमेन्ट करके सस्पेन्ड कर दिया गया इसके खिलाफ में जांच विचाराधीन है और एक तरफ आप फोरेस्ट एक्ट के तहत जो एफ.आई.आर. लाज की बात करते हैं, दो पनिशमेन्ट नहीं दिये जा सकते, माननीय अध्यक्ष महोदय।

मोहम्मद माहिर आजाद : 5 आदमी दूसरे थे फोरेस्टकर्मियों के अलावा जो मजदूर काट रहे थे, उनके खिलाफ क्यों नहीं किया ? उनके खिलाफ तो कर सकते हो वो तो कर्मचारी नहीं हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : ......और अगर माननीय सदस्य महोदय इस प्रकार की कोई अगर जानकारी उपलब्ध करायेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप उत्तेजित न हों जवाब देने दों उन्हें। उन्हें जवाब देने दीजिये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : तो निश्चित ही उन लोगों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला स्तरीय सर्वाधिकार कमेटी हुई थी उसमें श्री गोविन्द भारद्वाज, उप वन संरक्षक, उप निदेशक कोर बाघ परियोजना सवाईमाधोपुर, श्री जोधराज सिंह, क्षेत्रीय वन अधिकारी, बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर, इकबाल हुसैन खां, उप जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर, जगदीश प्रसाद, सहायक श्रम आयुक्त, सवाईमाधोपुर, बी.एल. बैरवा, सहायक प्रबन्धक, राजस्थान वित्त निगम, सवाईमाधोपुर, एल.एन. गोयल, सहायक अभियन्ता, विद्युत वितरण निगम, सवाईमाधोपुर, सुरेशचन्द गुप्ता, कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर, बी.एल. मीणा, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको सवाईमाधोपुर और जी.एस. मीणा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, सवाईमाधोपुर, गजेन्द्रसिंह, सहायक निदेशक, पर्यटन विभाग, सवाईमाधोपुर, बीरबल सिंह शेखावत, तहसीलदार, सवाईमाधोपुर, श्री आर.एस. पारीक, जिला उद्योग अधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र, सवाईमाधोपुर।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) : अध्यक्षजी, मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इसकी पुनः जांच कराने का इरादा रखते हैं इसकी पुनः जांच कराने का इरादा रखते हो क्या ? यह बताइये।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा और बाकी है अभी एक सवाल।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : राज्य स्तरीय का माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से एक प्रश्न है....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : एक मिनट तो रूको जवाब तो आने दो एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : वो जब तक ढूंढ रहे हैं वो पूछ रहे हैं, क्या दिक्कत है ?

मोहम्मद माहिर आजाद : एक सवाल मेरा ओर है।

श्री अध्यक्ष : तो उन्हें पूछ लेने दो।

मोहम्मद माहिर आजाद : एक सवाल मेरा और है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी आपने जो मुझे सूची उपलब्ध करायी है यह सूची 2002 के बाद की करायी है। 2002 के पहले उसमें फतेह पब्लिक स्कूल, फतहमा फार्म हाउस, आई होस्पिटल, शेरबाग, झमर बावड़ी, वन विकास, अमन खास क्या ये भी 2002 से पूर्व भी इसमें जो निर्माण हुए हैं वो कैसे हुए, वो वैध हैं या अवैध हैं उसके बारे में भी आप कृपया बतायें। 2002 में ये जो छूट दी है इस छूट से पहले भी फोरेस्ट एक्ट तो आपका बना हुआ था क्या इससे पहले भी वहां निर्माण की स्वीकृति जारी की गयी है और वहां और जो होटलें बनी हुई हैं क्या उनको आप वैध मानते हैं क्या ? ये सब कार्यवाही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और फोरेस्ट एक्ट के खिलाफ है ? क्या आप इसकी समीक्षा करायेंगे ? दूसरा एक जो फारेस्ट का सर्वे टीम, एक संयुक्त टीम द्वारा फोरेसट लैण्ड के सर्वे का काम चल रहा है। एक जो हाइपावर कमेटी बनायी है ढाई साल से बार-बार उसकी मीटिंग पोस्टपोंड हो रही है क्या आप इस संयुक्त सर्वे टीम से जल्दी सर्वे कराने का इरादा रखते हैं। एक टाइम बाउण्ड प्रोग्राम बना करके ? कृपया आप बतायें सर्वे कब तक करा देंगे ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछने की बजाय सवाल दे रहे हैं उन्हें।

श्री मोहन लाल गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है वो किन नियमों के अन्तर्गत छूट दी गयी थी और क्या कोई।

श्री अध्यक्ष : हां, मंत्रीजी।

श्री मोहन लाल गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है, पूरक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : उन्हें जवाब देने दो।

श्री मोहन लाल गुप्ता : क्या कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार के कोई मंत्री का अतिक्रमण इस क्षेत्र में है ?

मोहम्मद माहिर आजाद : यह क्या सवाल हो गया...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, पूछ लीजिये। हां, आप भी पूछ लीजिये। वो खड़े हैं पूछ रहे हैं न। वो पूछ रहे हैं।

श्री मदन राठौड़ : मेरा प्रश्न यह है कि आपने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि...(व्यवधान)...1682 खेजड़ी और अन्य वृक्ष काट दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : आप कहां चले गये वहां ?

श्री मदन राठौड़ : और आपने स्वीकार किया 744.....

मोहम्मद माहिर आजाद : ये तो पाली चले गये साहब, पाली।

श्री मदन राठौड़ : तो आपने ठेकेदार के विरूद्ध मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराया, ग्रामीणों के विरूद्ध क्यों कराया ? दूसरा है ठेकेदारों द्वारा शर्तों का उल्लघंन करने के बावजूद।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" (खण्डार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वो सम्बन्धित ही नहीं है यह सवाईमाधोपुर का मामला है।

श्री अध्यक्ष : सदन का प्रांगण उनके कब्जे में है। सदन का प्रांगण उनके कब्जे में है।

श्री मदन राठौड़ : यह प्रश्न आ चुका है। यह प्रश्न सदन में आया है उसका उत्तर अधूरा रहा इसलिए मैं यह प्रश्न कर सकता हूं। आप विराजिये एक मिनट। यह प्रश्न सदन में आ चुका था आप हंगामा करते रहे इसलिए उत्तर आ नहीं सका था।

श्री अध्यक्ष : अब आप भाषण बन्द करें। आप अब अपना भाषण बन्द करें, माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ : तो आपने ग्रामीणों के विरूद्ध मुकदमा क्यों दर्ज कराया, ठेकेदार के विरूद्ध क्यों नहीं कराया ? ठेकेदार द्वारा शर्तों के उल्लघंन के बावजूद आपने उसको ठेका रिन्युअल क्यों किया और दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्यों कार्यवाही कर रहे हैं ? यह कृपया सदन में बतायें।

श्री अध्यक्ष : हां वो बता देंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं यह पूछना चाहता हूं कि ऐसे सारे मामलात के ऊपर राय देने के लिए पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी रणजीत सिंह कुम्भट की कमेटी बनी थी, कमेटी का गठन कब और किन कारणों से हुआ ? क्या रणजीत सिंह कुम्भट कमेटी की रिपोर्ट आयी और उस रिपोर्ट का नोटिफिकेशन हुआ क्या और नहीं हुआ तो किस कारण से नहीं हुआ ? इसके ऊपर माननीय मंत्री महोदय प्रकाश डाल देंगे तो सारी स्थिति इससे...

श्री अध्यक्ष : ज्यादा उचित रहेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सारी स्थिति साफ हो जाएगी। यह मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। मंत्रीजी।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कुम्भट कमेटी का जिक्र किया वह कुम्भट कमेटी 18-7-992 को बनी थी और कुम्भट कमेटी ने अपनी राय इस नेशनल पार्क रणथम्भौर के 10 किलोमीटर के आगे की परिधि तक किसी प्रकार...

श्री प्रद्युम्न सिंह : नोटिफिकेशन। क्या उस कमेटी की रिकमन्डेशन को...

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं। जवाब पूरा करने दें उन्हें। पूरा जवाब तो देने दीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं-नहीं। एक मिनट। क्या उस कमेटी की रिकमन्डेशन मान कर नोटिफिकेशन के तहत जारी कर दी गयी थी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : आप जवाब तो देने दें मंत्रीजी को।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कुम्भट कमेटी के बारे में नोटिफिकेशन की बात की, यह कुम्भट कमेटी 18-7-1992 को तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी के आदेश द्वारा फार्मेशन हुई और इस कुम्भट कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट पेश की उस रिपोर्ट को कुछ हद तक मानकर बाकी राजस्थान सरकार ने मोनेटरिंग और इम्प्लीमेंटिव कमेटी 23-11-1992 में मात्र इस नेशनल पार्क के बफर लेण्ड के

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

आर. 500 मीटर आधा किलोमीटर की परिधि में किसी प्रकार की होटल और कंस्ट्रक्शन के मामले को माना है, 10 किलोमीटर की परिधि को नहीं माना है।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, मैंने तो यह पूछा था आपने इसमें जो क्लाज किया है उसका जवाब दे दें माननीय मंत्रीजी।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय आजाद साहब ने जो प्रश्न किया 26-12-1992 के पहले टोटल इस क्षेत्र में 14 होटल बने हुए थे और 8 होटल 26-12-1992 के पहले निर्माणाधीन थे और 26-12-1992 के बाद इस परिधि का क्राइटेरिया 500 मीटर का रखा था। इसलिए यह उस परिधि में नहीं आते हैं और जहां तक फोरेस्ट एरिया और नेशनल पार्क को एक दो पूर्व में जयपुर हिन हाईनेस द्वारा आर.टी.डी.सी. की होटल जो अभी वर्तमान में चालू है और एक महापार्क जो रेवेन्यू और फोरेस्ट विभाग के बीच मामला लम्बित है। इसका डिमार्केशन होने के बाद मैंने कल ही जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को इस प्रकार के निर्देश दिये और राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्व मंत्रीजी आप अपने सटेलमेन्ट विभाग के अधिकारियों को तत्काल आदेश दे ताकि फोरेस्ट और नेशनल पार्क में यह महापार्क जो बना हुआ है और इसमें मेजरमेन्ट कर के कि यह फोरेस्ट एरिया में है या रेवेन्यू लैण्ड में है, यह मामला काफी समय से विचाराधीन है।

श्री अशोक बैरवा : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। 20 मिनट हो गय हैं एक प्रश्न को।

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या विधान सभा की एक कमेटी ने एक सिफारिश की दिग्विजय सिंहजी की अध्यक्षता में, उस पर राज्य सरकार कोई अमल करेगा ? उन्होंने एक सिफारिश दी है जिसमें पूरे फोरेस्ट...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डा. एन.एस. गुर्जर, डा. एन.एस. गुर्जर। (व्यवधान) आप नहीं पूछना चाहते हैं प्रश्न (व्यवधान) डा. एन.एस. गुर्जर।

निजी मेडिकल कालेजों के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतें

393. डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में निजी मेडिकल कालेजों में अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो किन-किन के विरूद्ध कब-कब एवं क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में कुछ गिरफ्तारियां भी की गई हैं ? यदि हां, तो कब-कब, किस-किस को गिरफ्तार किया गया व क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस सम्बन्ध में सी.डी. बना कर ब्लेकमेल करने की भी शिकायतें प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो क्या क्या व कब कब ?

(4) क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही भी की गई ? यदि हां, तो कब व क्या-क्या ?

गृह मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया) : (1) यह सही है कि राज्य में निजी मेडिकल कालेजों में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 4-6-2004 को थाना अशोक नगर पर प्राप्त हुई। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा : अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर का मामला है, मुझे आपने समय दिया था।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें।

श्री अशोक बैरवा : मुझे एक बार भी अनुमति नहीं दी, मेरे क्षेत्र का इलाका है।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि मुझे आप मौका देंगे, अब आप मौका नहीं दे रही हैं।

श्री अशोक बैरवा : आप ऐसा मत कीजिए, मेरे इलाके का यह मामला है और आप मुझे अनुमति नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, स्थान ग्रहण करें। एक प्रश्न को 20 मिनट हो गये हैं।

श्री अशोक बैरवा : मेरे को तो एक बार भी अनुमति नहीं दी आपने।

श्री अध्यक्ष : अन्य माननीय सदस्य भी अपने अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं। आप स्थान ग्रहण करें मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है।

श्री अशोक बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के लोग इससे पीडित हैं। अध्यक्ष महोदय, यह तो कोई बात नहीं हुई, बड़ी मुश्किल से तो यह विषय उठा है और आप अनुमति नहीं दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था अनुमति देने के लिये।

श्री अंध्यक्ष : आप आसन की व्यवस्था नहीं मानते।

श्री अशोक बैरवा : नहीं, आपने अनुमति देने के लिये कहा था कि मैं आपको मौका दूंगी।

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा, स्थान ग्रहण करें। मैंने कहा, स्थान ग्रहण करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : (1) यह सही है कि राज्य में निजी मेडिकल कालेजों में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की प्रथम सूचना.....(व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि ठहरिये।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको कुछ नहीं कहा, मैंने आपको कुछ नहीं कहा। (व्यवधान) अब जो आना था वह आ गया। आप विराजें।

श्री मदन राठौड़ : मेरे प्रश्न का उत्तर तो आने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आप जवाब सुनिए मंत्रीजी बोल रहे हैं और आप बीच में बोल रहे हैं। मंत्रीजी आप दुबारा से प्लीज।

गृह मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया) : (1) यह सही है कि राज्य में निजी मेडिकल कालेजों में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 4-6-2004 को थाना अशोक नगर पर प्राप्त हुई। दिनांक 24-5-2004 को डा. एम.एल. स्वर्णकार चैयरमैन फैडरेशन आफ प्राइवेट मेडिकल व डैंटल कालेजेज आफ राजस्थान ने उन्हें सी.डी. के आधार पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाकर मुकदमा नं. 139/2004 धारा 384 भा.द.ए. में थाना सदन

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जयपुर शहर में दर्ज करवाया था। जिसका नियमित अन्वेषण किया जा रहा था। इसी दौरान तथा कथित सी.डी. की कापी पुलिस को प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा इसकी जांच किये जाने पर जांच के तथ्यों व सी.डी. में पाये गये तथ्यों के आधार पर फैडरेशन के चेयरमैन डा. एम.एल. स्वर्णकार, डा. बलवीर सिंह तोमर, मनीष व्यास, डा. डी.आर. अग्रवाल, डा. विकास जैफ, डा. नरेश जैन, डा. गौरव गुप्ता, कमल मेहता व परीक्षा नियन्त्रक श्री पी.एन. चतुर्वेदी, श्री एल.एस. सिहाग के खिलाफ थानाधिकारी, सदन थाना जयपुर शहर द्वारा इनके द्वारा निर्धारित फीस के अलावा डोनेशन फीस इकट्ठी करने की योजना बना कर अवैध रूप से धन इकट्ठा करने के लिये षडयन्त्र रचकर सामान्य आशय की पूर्ति के लिये आपराधिक षड्यन्त्र की रचना कर आवेदकों को सदोष हानि पहुंचाने का कृत्य करना पाया गया। जिस पर थाना अशोक नगर पर अभियोग संख्या 153/04 धारा 420, 468, 511, 120बी भा.द.स. में दिनांक 4-6-2004 को दर्ज किया गया।

(2) इस सम्बन्ध में दिनांक 5-6-2004 को डा. मोहन लाल स्वर्णकार व रामरतन सोनी एवं दिनांक 28-6-2004 को कमल मेहता को उनके विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाये जाने पर गिरफ्तार किया गया है।

(3) यह सही है कि इस सम्बन्ध में सी.डी. बना कर ब्लेक मेल करने की भी शिकायत प्राप्त हुई। दिनांक 24-5-2004 को डा. एम.एल. स्वर्णकार ने थाना सदन जयपुर शहर दक्षिण में रिपोर्ट की कि दिनांक 23-5-2004 को रात लगभग 11 बजे मेरे निवास 110 कमल अपार्टमेन्ट, सी-6 जयसिंह हाई-वे पर दो अज्ञात व्यक्ति मेरे गार्ड को एक लिफाफा पकड़ा गये जिसको खोलने पर दो कागज टाइपशुदा मिले, जिनमें लिखा हुआ है कि इस लिफाफे में एक सी.डी. है जबकि सी.डी. नहीं थी। कागजों में लिखा मिला कि पूरी सी.डी. 22 घण्टे की 30 सी.डी. में है। इसका नाम स्टिंग आपरेशन है। सी.डी. को पब्लिक के सामने 26 मई को हमारे दिल्ली आफिस में पेश की जावेगी, मीडिया इसे 27 मई को प्रकाशित करेगी। इसकी प्रतियां उच्चतम न्यायालय, सी.बी.आई. न्यायाधीश उच्च न्यायालय राजस्थान, राज्यपाल, मुख्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव, राजस्थान को भेजी जावेगी। भेजने वाले का नाम नहीं था।

(... ुल बचन्द कटारिर)

म ेाइल नं. 9899093775 लिखा हुआ है। इस पर फोन मिलाया, नहीं मिला। संस्थ के कार्यकारी निदेशक डा. सुधीर सचदेवा ने पुनः सम्पर्क किया तो जब ब में दीपक नाम बताकर दो करोड रुपये की मांग की और फोन काट दिर । इस सम्बन्ध में थाना सदर जयपुर शहर दक्षिण में अभियोग सं. 139/04 धारा 384 भा.द.स. में दर्ज किया गया जो अनुसंधानाधीन है।

(4) इस सम्बन्ध में थाना सदर जयपुर शहर दक्षिण में अभियोग सं. 139/04 धारा 384 भा.द.स. में दिनांक 24-5-2004 को दर्ज किया गया। ः नुसन्धान के दौरान श्री अशोक विजय उर्फ अशोक गुप्ता, मेहरबान सिंह, रूपिन्दर सिंह, गौरव, भामराज एवं हरिश शर्मा को गिरफ्तार किया जाकर उनके कब्जे में सी.डी. तैयार करने के उपकरण कम्प्यूटर एवं सी.डी. आदि जब्त की ्ई है। अनुसन्धान के पश्चात् सभी अभियुक्तों को न्यायालय में पेश किर ा.र । न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 21-6-2004 को (जे.सी.) केन्द्रीय कारागार, जयपुर में दाखिल कराया गया। इनमें से अभियुक्त भामराज, मेहरब न सिंह गौरव एवं रूपिन्दर सिंह की न्यायालय में जमानत हो चुकी है। ः भियुक्त अशोक विजय उर्फ अशोक गुप्ता व हरीश शर्मा दिनांक 21-6-2004 से ही (जे.सी) न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। अभियोग का अग्रिम ः नुसन्ध न जारी है।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह अपनी तरह का पहला म मल है जिसमें दोनों पक्ष प्रथम दृष्ट्या अपराधी साबित हुए हैं। अध्यक्ष ..होदय, सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों की बैंच ने 2002 में ई.एम.ए. फाउण्डेशन क ेटक के मामले में फैसला सुनाते हुए आदेश दिया था कि प्राइवेट मेडिकल कालेज यह प्रवेश शुल्क निर्धारित करने में तो स्वतन्त्र रहेंगे लेकिन कैपिटेशन फीस ःौर डोनेशन नहीं लेंगे। लेकिन उसके बाद एक और फैसला आ गया इस्ल मिक एकेडेमिक आफ एजुकेशन, कर्नाटक के मामले में। सुप्रीम कोर्ट के 5 जज ें की बैंच ने 14 अगस्त, 2003 को एक फैसला दिया जिसमें कहा गया कि वह कैपिटेशन फीस भी वसूल नहीं करेंगे, डोनेशन भी नहीं लेंगे लेकिन प्रवेश की फीस का भी उनको अधिकार नहीं होगा। प्रवेश के लिये तो उन्होंने कह दिर कि सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी तो मापदण्ड तय करे.. उन कालेजेज को कोई अधिकार नहीं होगा प्रवेश के मापदण्ड तय करने

(डा. एन.एस. गुर्जर)

का और फिर उन्होंने कहा कि इसमें लाभ कमाने की सीमा 6 से 15 प्रतिशत तक तय कर दी गयी लेकिन उसके बाद अध्यक्ष महोदय जिस तरह से प्रथम दृष्टया मामला सामने आया उन लोगों की मंशा यह थी कि फार्म बेच कर, केपिटेशन फीस लेकर, डोनेशन लेकर करीब 40 करोड़ रुपये कमाने की मंशा उनकी थी। यह मामला बहुत गम्भीर मामला है। इसमें गांव के गरीब बच्चे भी चपेट में आ जाते हैं। तो इस सम्बन्ध में आपने अब तक अपनी कार्यवाही की, मुझे खुशी है कि सरकार ठीक कार्यवाही कर रही है लेकिन फैसला करके इसमें कोई बच नहीं जाए, एक तो इस सम्बन्ध में आप क्या कर रहे हैं। दूसरा, जिन लोगों ने ब्लेकमैल करने के लिये सी.डी. तैयार की और 2 करोड़ रुपये उनसे मांगें, ऐसे लोग किसी को भी ब्लेकमैल करने के लिये लग जाएंगे तो उन लोगों के विरूद्ध, वह भी बच जाएंगे इसके विरूद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। यह मेरा दूसरा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय, तीसरा, जो दूसरे प्राइवेट मेडिकल कालेज, 6 प्राइवेट मेडिकल कालेज के मामले में आपने कागजाते भी जब्त किये, उनका सब कुछ जब्त किया है, हमें जानकारी दें कि उन मेडिकल कालेजेज के भी इस तरह के मामले कुछ सरकार ने पकड़े हैं जिनमें इस तरह के मामले सामने उजागर हुए हैं, क्या और यदि हुए हैं तो उन के विरूद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अन्तिम प्रश्न और है कि दो सी.डी. प्रकरण राजस्थान में चल रहे हैं। एक तो मेडिकल सी.डी. प्रकरण चला। इसमें तुरन्त सरकार ने कार्यवाही की। इसके लिये तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन एक दूसरा सी.डी. प्रकरण और था जिसमें जन-प्रतिनिधि भी इन्वाल्व थे, पूर्व मंत्री भी इन्वाल्व थे। उस मामले में आपने तत्पतता क्यों नहीं दिखायी। इससे जनता में गलत सन्देश जाता है कि सरकार मंत्रियों को, विधायकों को बंचाने के लिये तो एक मापदण्ड रखती है और दूसरे लोगों को फंसाने के लिये दूसरे मापदण्ड रखती है। इस सम्बन्ध में सरकार क्या जवाब देना चाहती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। (धन्यवाद)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

भावना है और सदन की भी जो भावना है, मैं सोचता हूं कि इस प्रकरण में उसी तत्परता से कार्यवाही की गयी और अभी भी इस बात का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि इसमें कोई भी दोषी व्यक्ति नहीं बच सके। जहां तक मैं सोचता हूं कि 29-10-2003 को ही In compliance of the order of dated 26-8-2003 passed by the Hon'ble Rajasthan High Court DB Civil Writ Petition No. 4862/03, Vipul Garg V/s State of Rajasthan the Governor is pleased to constitute a permanent committee to consist of the following ? regular pre medical examination to be conducted by the Association of the Colleges for admission to Medical and Dental Colleges.

इस आदेश के तहत ही 29/10 को एक आदेश देकर के एक कमेटी का फार्मेशन कर दिया। इसके साथ ही कमेटी की भी अपनी मीटिंग हुई। उन्होंने भी इसकी परीक्षा की दृष्टि से हाई-कोर्ट के जज ने परीक्षा लेने के लिये एक कमेटी का निर्माण किया और उसी के तहत इसकी परीक्षा 30/5 को होनी थी। जब यह सी.डी. प्रकरण के माध्यम से जानकारी मिली उसी के साथ ही जो परीक्षा आर्गनाइज करने वाली संस्था थी उसको तुरन्त 27/5 को ही cancellation of enterance examination dated 30-5-2004 for admission of management quote seats.

उसी समय तुरन्त इसको कैंसिल किया। जहां तक मैं सोचता हूं कि जानकारी में जैसे ही 4 तारीख को यह आया और 5 तारीख को ही हमने कोशिश की कि सारे लोग एक साथ गिरफ्तार हों। लेकिन प्रयास के बाद भी कुछ लोगों को संदेह हो गया और व अपनी सीट को छोड़कर इधर-उधर निकल गये थे। सवाल हमारे सामने यह था कि कोर्ट का, उसी दिन 4 तारीख को, स्वर्णकार ने ही एक रिट पिटीशन की थी अपनी तरफ से उस सी.डी. प्रकरण में उसमें कोर्ट का डाइरेक्शन इस तरह का था, 4 तारीख को ही हमें तुरन्त एक्शन करना विभाग के लिये लाजिमी हो गया था।

It is expected from the police agency that immediately after the knowledge of such incident through media by way of CD released by some unidentified persons against the private Medical and Dental colleges they should act according with the provision of law and investi-

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

gate into the matter in this serious matter and such private Medical and Dental Colleges are playing with the fate of students.

उनके इस डाइरेक्शन के कारण से यह 4 तारीख का उनका, उन्हीं की रिट के ऊपर कोर्ट ने जिस प्रकार का स्ट्रिक्चर पास किया पुलिस के लिये और पुलिस को तुरन्त डाइरेक्शन दिया कि आप इसमें तुरन्त कार्यवाही करें और इसी कारण से हमने इस पर तुरन्त कार्यवाही की और जो सम्बन्धित व्यक्ति हमें मिले उन्हें गिरफ्तार किया। जहां तक सवाल एक सी.डी. और दूसरी सी.डी. में है। मैं सोचता हूं उन दिनों में चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, कोई भी बात अगर करते तो यह लगता कि राजनैतिक द्वेषता से कोई काम किया गया है। हमने उसके सब पुख्ता प्रमाण जब तक नहीं मिले उसके लिये, उसको जांच में डाला और उसके प्रमाण आधे-अधुरे मिले हैं। जब पूरे प्रमाण मिलेंगे उसमें अगर कोई दोषी होगा तो कितना भी बड़ा या छोटा हो, कोई अन्तर नहीं कानून के सामने, वह सबको बराबर मानते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

फिर जो एक सी.डी. बनाने वाले लोग थे जिन्होंने इस प्रकार का ब्लैक मैल करने के लिये उस सी.डी. का उपयोग किया उनके खिलाफ भी उसी कठोरता से काम किया। उनके सारे जितने इक्विपमेन्ट थे, उनको जब्त किया है। उसमें से 4 लोगों की जमानत हुई, 2 अभी भी जेल में हैं। एक व्यक्ति उनमें से अभी तक नहीं पकड़ा गया जो सी.डी. का प्रमुख है। उसके लिये प्रयास कर रहे हैं और मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रकरण से, जो कानून से, कोर्ट ने ही पाबन्द कर दिया था कि जो फीस प्रेस्क्राइब्ड है उससे अतिरिक्त फीस वह नहीं ले सकते और न वह किसी प्रकार का इस प्रकार का कोई धन अर्जित करने का साधन बना सकते हैं उसके आधार पर हमने इस सारे प्रकरण में कार्यवाही की।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जिन आदमियों ने सी.डी. बनायी और अभी और आपने कहा कि उसमें एक मैन मुल्जिम है वह अभी भी पकड़ में नहीं आया। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि क्या राजस्थान की पुलिस ने दिल्ली, हरियाणा, यू.पी., जो दूसरे स्टेट्स हैं बगल में, जहां-जहां उनके छिपने के ठिकाने हो सकते हैं उनकी पुलिस से या वहां के प्रशासन से, आपने, या

(डा. एन.एस. गुर्जर)

वहां की सरकारों से आपने कुछ जानकारी का आदान-प्रदान करके इस सम्बन्ध में कुछ प्रयास किये हैं। यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जिस तरह से चार लोगों की जमानत हो गयी, कोई न कोई लेप्सेज रहे होंगे, जो जमानत हो गयी, 4 जमानत पर चले गये वह लोग जो पकड़ में नहीं आया है उसको सूचना देंगे, बचाने की कोशिश करेंगे। तो लेप्सेज नहीं रहें, आपका तालमेल बनाकर के दूसरे स्टेट्स से आप उनको गिरफ्तार करने का क्या प्रयास करेंगे इस सम्बन्ध में, आप बतायें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) एक सैकण्ड, आपकी बात बाद में, यह सारा लम्बा प्रश्न है।

मैं सोचता हूं कि इसमें पुलिस विभाग ने अपने जो भी प्रयास हो सकते हैं वह किये हैं। जिस कमल मेहता को गिरफ्तार किया 28/6 को उसकी बार-बार बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई और अभी परसों फिर उसकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई। इन लोगों को भी गिरफ्तार करने के बाद कई आकेजन इन्होंने जमानत के लिये किया उसमें से 4 की जमानत हुई, 2 की नहीं हुई। एक डाक्टर नेहरा है जो इसमें मुख्य अभियुक्त के रूप में है, जो.एम.डी. का स्टूडेंट है वह अभी तक पकड़ में नहीं आया। विभाग निश्चित रूप से प्रयास कर रहा है। एक अशोक विजय है, इन दो के लिये प्रयासरत है और बाकी जो सी.डी. प्रकरण में जो-जो लोग भी उसमें है उनको भी पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन चूंकि वह लगातार अपने स्थान से भागते चले जा रहे हैं प्रयास है कि निश्चित रूप से इस प्रकरण में जो भी दोषी हैं उन सब को निश्चित रूप से कानून की गिरफ्त में लेंगे और उनके विरूद्ध कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, नवरतन राजोरियाजी।

डा. एन.एस. गुर्जर : नहीं, दूसरे स्टेट से, दूसरे स्टेट्स से तालमेल बनाया क्या। आपने दूसरे स्टेट्स से बनाया है क्या (व्यवधान) क्योंकि मेडिकल कालेज के हासटल में...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हां, बराबर बना रहे हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, एक को तो सप्लीमेन्ट्री करने के लिये अलाऊ करें।

डा. एन.एस. गुर्जर : कर रहे हैं. मुझे मेरा ता पूछने दो। (व्यवधान) मेरा मूल प्रश्न है। सी.डी. बनाने वाला आदमी...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : एक मूल प्रश्नकर्ता के बाद एक पूरक प्रश्न..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 40 मिनट होने जा रहे हैं और अभी तक 2 क्वेश्चन हुए हैं। (व्यवधान) बाकी के भी आने दो। (व्यवधान) ऐसे कैसे काम चलेगा।

डा. एन.एस. गुर्जर : मेरा मेन प्रश्न है, मुझे पूछने दो। (वयवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मूल प्रश्नकर्ता ही पूछे...(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : आप पूछ लीजिए मेरे बाद, पूछ लीजिए। (व्यवधान) पहले मेरा पूछ लूं, उसके बाद आप पूछिये। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : हाउस के दूसरे मेम्बर एक भी पूरक प्रश्न नहीं पूछें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 40 मिनट हो गये हैं दो क्वेश्चसं में। (व्यवधान)

श्री नवरतन राजौरिया।

श्री नवरतन राजौरिया : 394 - प्रश्न संख्या - 394. (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक चीज रह गयी जो आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या रह गया अब, सब कुछ तो पूछ लिया। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : जो मैन, मुख्य अभियुक्त है वह मेडिकल कालेज के हास्टल में लगातार कई महीनों तक उन सी.डी. को तैयार करने की सामग्री जुटाकर के वह सब कुछ करता रहा और पुलिस का गुप्तचर विभाग या पुलिस उस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकी. बहुत बड़ा रैकेट वह करता रहा और अब वह आदमी, मैन आदमी पकड़ में नहीं आ रहा है। तो क्या दूसरे स्टेट्स हैं उनकी पुलिस से आपने कोई तालमेल बैठाकर कुछ प्रक्रिया अपनाई है ? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि आपने राजस्थान उच्च न्यायालय के इस निर्देश को उद्धत किया है उसमें सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि अकोर्डिग टू ला आप कार्यवाही करें।

श्री गोविन्दराम चौहान : मेरा भी है।

श्री संयम लोढ़ा : राजस्थान में दो सी.डी. प्रकरण हुए। एक प्रकरण में आवाज की जांच नहीं हो पाने के कारण अभी तक आपने कार्यवाही नहीं की और दूसरे प्रकरण में......(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको प्रश्न पूछना है वह सीधा पूछिये। कहां किस सी.डी. का, सी.डी. तक पहुंच जाएंगे। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : जिसमें आपने कार्यवाही की है। क्या इन सी.डी. की आपने फोरेंसिक लेबोरेटरी से जांच करवायी थी क्या ? इसका प्रमाणिकरण हुआ ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री नवरतन राजौरिया।

श्री संयम लोढ़ा : और आपके गृह मंत्रीजी, खुद ने ही इस बात का दु:ख व्यक्त किया है कि इस मामले में पुलिस ने जिस तरीके से कार्यवाही की है, अखबारों में भी आया है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? यह तो नैसर्गिक न्याय के सिद्घान्त की पुलिस ने इसमें नहीं, राजस्थान में एक ही तरह के हुए दो मामलों में एक मामले में फोरेंसिक लेबोरेटरी से जांच होती है और दूसरे में बिना जांच के आप पकड़कर बन्द कर देते हैं। क्या यह उचित है ?

श्री अध्यक्ष : विराजिये। हो गया।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल, एक पूरक प्रश्न पूछा है प्रतिपक्ष के सदस्य ने मूल प्रश्न के बाद में, एक पूरक प्रश्न की तो अनुमति देनी ही चाहिए और बिलकुल रिलेवेंट पूछा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य। रिलेवेंट तो नहीं था, खैर आपका। (वयवधान)

श्री संयम लोढ़ा : रिलेवेंट कैसे नहीं है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : लेकिन दो ही क्वेश्चन के ऊपर 45 मिनट हो जाए तो आखिर और लोग भी तो उत्तर चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : हमारे अधिकारों का तो आप ही संरक्षण करेंगे, अध्यक्ष महोदय, आप अगर हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो हमार क्या होगा ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न के ऊपर एक घण्टा लगा दिया जाए तो नहीं, यह कहां तक उचित हैं ? कहां तक उचित हैं ? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : हमारा आपके अलावा कौन है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नियमों में प्रावधान है कि 12 क्वेश्चन आने चाहिए और आप तीसरे को ही नहीं आने दे रहे हैं। (वयवधान)

एक माननीय सदस्य : कल आप अध्यक्षजी को डरा रहे थे, धमकी दे रहे थे और आज आप अध्यक्षजी का संरक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है।

श्री अध्यक्ष : मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया। आई एम सारी। मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया। (वयवधान) मंत्रीजी, बोलिये।

श्री संयम लोढ़ा : जवाब तो दिलवा दीजिए, साहब।

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : कटारियाजी जवाब दे सकते हैं। कटारियाजी जवाब देने के लिए तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : आप मंत्रीजी, बोलते क्यों नहीं। आप जवाब क्यों नहीं देते।

ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों हेतु खाद्यान्न बैंक

394. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) एवं श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री नवरतन राजोरिया)

(1) क्या यह सही है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु खाद्यान्न बैंक योजना प्रारम्भ की गई थी ? यदि हां, तो कब ?

(2) उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2002 व 2003 में राज्य में कुल कितने खाद्यान्न बैंक स्थापित किये गये और उनमें कुल कितना गेहूं आवणित किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना का जरूरतमन्दों को लाभ नहीं मिल पाया और परिणामस्वरूप राज्य में उक्त दो वर्षों में अनेक स्थानों पर अनेक व्यक्तियों की भूख से मौत हुई है ? यदि हां, तो सरकार दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (डा. किरोड़ीलाल) : (1) खाद्यान्न बैंक योजना राज्य में दिनांक 26-2-2002 से पायलट योजना के आधार पर प्रारम्भ की गई थी।

(2) उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2002-03 में कुल 221 खाद्यान्न बैंक स्थापित किये गये थे तथा उनको कुल 3551.80 क्विंटल गेहूं आवंटित किया गया।

(3) यह सही है कि विभिन्न कारणों से यह योजना सफल नहीं रही। लेकिन यह सही नहीं है कि वर्ष 2002 एवं 2003 में राज्य में इस योजना के विफल हो जाने से भूख से कोई मौत हुई। ऐसी स्थिति में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री नवरतन राजोरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि यह योजना गरीबों के लिए और बी.पी.एल. परिवारों के लिए बनाई गई थी। क्या यह सही है कि इस योजना में दिया गया गेहूं व राशि बी.पी.एल. परिवारों तक नहीं पहुंच कर कहीं और गायब हो गया ? यदि हां, तो क्या आप इसके लिए जांच करवाएंगे ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जैसा कि आपने खण्ड तीन में यह माना है कि यह सही है कि विभिन्न कारणों से यह योजना सफल नहीं हो पायी लेकिन

(श्री नवरतन राजोरिया)

इस कारण से 2002 एवं 2003 में राज्य में इस योजना के विफल हो जाने से भूख से मौत नहीं हुई। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि सन् 2002 और 2003 में मुख्य मंत्री सहायता कोष से भूख से होने वाली मौत या कुपोषण या बीमारी के कारण दस हजार रुपये या अन्य सहायता दी गयी, यदि हां, तो कितने लोगों को दी गयी ? सदन में सूची रखें और यदि नहीं दी गयी तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि बारां जिले में शाहबाद और किशनगंज क्षेत्र में वर्ष 2002 में भूख से हुई सैकड़ों मौतों के बाद राज्य सरकार ने तीन शासन सचिवों की एक समिति गठित की थी ? यदि हां, तो उस समिति ने उस क्षेत्र का दौरा करके राज्य सरकार को यह रिपोर्ट दी कि इस क्षेत्र के आदिवासियों को राज्य सरकार के खाद्यान्न बैंक व दूसरी अन्त्योदय व अन्नपूर्णा व अकाल राहत के माध्यम से आने वाली योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिला और परिणामस्वरूप वहां आदिवासियों को आधा पेट भोजन मिलने से मौतें हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : काफी प्रश्न पूछ लिये, अब आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री नवरतन राजोरिया : मौतें हुई हैं, यह माना है। यह कमेटी ने माना है। यदि हां, तो आप दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह तो पूछ लिया न आपने। श्री हेमराजजी मीणा, इनको भी आ जाने दीजिए।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : अध्यक्षजी, I am a co-question maker.

श्री अध्यक्ष : आपको भी दूंगी।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहूंगा कि खाद्यान्न बैंक 221 राजस्थान में स्थापित किये गये हैं। खाद्यान्न बैंक कौनसे जिले और तहसील में स्थापित किये गये हैं ? खाद्यान्न बैंक। मंत्रीजी, जरा इसकी जानकारी दे दें। दूसरा मेरा सवाल है कि खाद्यान्न बैंक योजना असफल होने के कारण 2002 और 2003 में किशनगंज और शाहबाद में 22 आदिवासियों की, सहरियों की मौत भूख से हुई है। (व्यवधान) और माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं कि कार्यवाही करने का सवाल

(श्री हेमराज मीणा)

ही नहीं है। जब भूख से मौत हुई है तो किनकी लापरवाही से हुई, किनकी अव्यवस्था से हुई या उनको गेहूं मिला या नहीं मिला ? तो इस सम्बन्ध में किन-किन के खिलाफ कार्यवाही अपेक्षित है ? यह मंत्रीजी ने इसमें बताया नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। आप पूछ लीजिए। राव राजेन्द्र सिंहजी, अब आप पूछिये। नहीं।

श्री हेमराज मीणा : और यदि कार्यवाही नहीं हुई तो कब तक करेंगे क्योंकि 22 लोगों की मौत हुई है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, प्रश्नकर्ता राव राजेन्द्रसिंह जी बोलिये।

श्री हेमराज मीणा : 22 लोगों की मौत भूख से हुई है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह पूछ तो लिया आपने।

श्री हेमराज मीणा : तो किन अधिकारियों की लापरवाही थी, उनको खाद्यान्न मिला ? और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ? नहीं हुई तो कब तक करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आपने पूछ लिया, भाषण नहीं अलाऊ हैं। (व्यवधान) राव राजेन्द्र सिंह।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि 29 अक्टूबर, 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने आपसे भूख से हुई मौतों के बारे में एक टिप्पणी मांगी और उस पर कमेन्ट किया। महामहिम राष्ट्रपतिजी ने अक्टूबर के अन्दर इन भूख से हुई मौतों के ऊपर सरकार से टिप्पणी मांगी और रिपोर्ट मांगी। 2002 में केन्द्र सरकार ने भी आप लोगों से भूख से हुई मौतों पर टिप्पणी मांगी और एक और बात मैं आपको बता दूं कि क्या यह भी सही है कि क्या नवम्बर में मानव अधिकार आयोग की वेबसाइट का इनोग्रेशन जब हो रहा था तो वहां के अध्यक्ष ने यह बात स्वीकार की कि हां, हमने इस बात की एक रिपोर्ट मांगी है कि यह जो मौतें हुई हैं, वह भूख से हो रही हैं या नहीं और तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी जो

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

उस समय मौजूद थे उन्होंने भी यह बात स्वीकार करी कि अगर यह हुई है तो यह जांच करानी चाहिए और एक और बात आपको याद दिलाना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि क्या यह भी सही है कि क्या तत्कालीन उस समय कांग्रेस के पार्लियामैंट्री सैक्रेटरी ने उदयपुर में महाराणा प्रताप टेक्नोलाजी और एग्रीकल्चर के इनोग्रेशन के समय (व्यवधान) इस बात को रखा है जिसकी टिप्पणी यह है कि -"22 मौतें नहीं होती अगर शासन संवेदनशील होता।" कृपया इस बात की टिप्पणी करें।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा साथ-साथ दे दें आप बहुत इम्पोर्टेण्ट है।

श्री अध्यक्ष : आपके सारे ही इम्पोर्टेण्ट है, सब इम्पोर्टेण्ट होते हैं। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : एक सप्लीमैन्ट्री। खुद माननीय मंत्री महोदय बामनवास और लालसोट के पहाड़ के ऊपर खुद गये हैं। वहां पर आन्दोलन हुआ और वहां भूख से मौत हुई उसके बाद लालसोट प्रोपर में मौत हुई उसके बाद बारां में और मौत हुई। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप इनसे यह इन्फोरमेशन सीक कर रहे हैं या दे रहे हैं आप सदन को ? सूचना दे रहे हैं या ले रहे हैं ?

डा. एन.एस. गुर्जर : नहीं, मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकार ने यह जो भूख से मौत हुई, टेक्निकल के कारण भूख से यह मौत नहीं हो सकती है। टेक्निकल कारण देते हुए भूख से मौत होना नहीं माना, नम्बर-एक। नम्बर-दो, क्या यह भी सही है कि एक केस सुप्रीम कोर्ट में लगा कि क्या राजस्थान सरकार जब यह भूख से मौत होने लगी, क्या राजस्थान सरकार रोजी-रोटी के अधिकार को मौलिक अधिकार मानती है ? वहां पर भी एफिडेविट दिया राजस्थान सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने कि हम रोटी के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं मानते, क्या यह भी सही है कि पूर्ववर्ती सरकार ने इस तरह का सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है ?

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका। श्री अमराराम। जवाब देंगे।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि खाद्यान्न बैंक योजना किन कारणों से असफल रही है ? (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : माननीय मंत्रीजी से जानना चाहते हैं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : जवाब तो आने दीजिए, साहब। बहुत ज्यादा हो जाएगा। बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बताये यह। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने अमराराम का नाम पुकार लिया है। आपको बीच में खड़े होने की आवश्यकंता नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : टैक्निकल कारण, (व्यवधान) फर्क नहीं है क्या ?

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि खाद्यान्न बैंक योजना पूर्ववर्ती सरकार ने शुरू की थी और आपने उत्तर दिया है कि कुछ कारणों से वह असफल रही है तो क्या मंत्री महोदय इन असफल होने वाले कारणों का निराकरण करके राजस्थान में यह योजना पुख्ता रूप से चलाकर इन गरीबों को जो भूख से कमजोर होकर बीमार होकर जो मरने के कारण हैं उनसे बचाने का क्या आपका इरादा है ?

श्री मोहन लाल गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या लालसोट गांव में मोहन बैरवा नाम व्यक्ति की भूख से मौत हुई है ?

श्री अध्यक्ष : यह इतने प्रश्न हो गये कि इनके जवाब तो आ जाने दीजिए।

श्री कन्हैया लाल मीणा : एक व्यक्ति ने उस समय आत्महत्या की थी और भूख से आत्महत्या करने के कारण उसको आज तक क्या सहायता दी गयी, उस व्यक्ति का नाम (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुनिये, बैठिये।

श्री कन्हैया लाल मीणा : उस समय तत्कालीन सरकार ने कहा था कि इसके बेटे को नौकरी दी जाएगी तो क्या यह नौकरी दे दी गयी या नहीं दे दी गयी और नहीं दी गयी तो क्या सरकार देने का विचार रखती है ?

श्री मोहन लाल गुप्ता : लालसोट गांव में मोहन बैरवा नाम व्यक्ति की मौत हुई है, देने का विचार रखते हैं ?

डा. किरोड़ी लाल (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक साथ इतने सारे क्वेश्चन पूछ डाले, लेकिन मैं प्रयास करूंगा सदन को सन्तुष्ट करने का। इन्होंने बताया, जो प्रश्नकर्ता नवरतन जी राजौरिया ने यह पूछा है कि खाद्यान्न बैंक योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले गेहूं में किसी प्रकार की अनियमितता हुई है ? मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं इस सम्बन्ध में कोई अनियमितता की शिकायत अभी तक हमारे पास नहीं आई। आपके नोटिस में अगर इसी प्रकार की कोई सूचना हो तो आप हमें दे देना।...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्यों विफल हुए ?

डा. किरोड़ी लाल : विफल हुए, कारण भी बता दूंगा। उनकी जांच करा लेंगे और दोषी को बख्शेंगे नहीं। दूसरा, बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है और नवरतनजी ने भी पूछा है कि क्या बारां में भूख से मौत हुई ? मैंने जवाब में यह कहा है कि इस योजना के विफल हो जाने के कारण मौत नहीं हुई और यह सही है कि बारां जिले में मुख्य मंत्री सहायता कोष से शाहबाद में 11 लोगों के मृतक परिजनों को, किशनगंज में 12 को, अटरू में एक को इस ढंग से 24 लोगों को मुख्य मंत्री सहायता कोष से दस दस हजार रुपये सरकार द्वारा दिये गये। इसमें यह नोट जारी किया था कि मृतक की स्वीकृत राशि का भुगतान मृतक के आश्रित या परिजनों को ही किया जाये। यह चीज प्रमाणित करती है कि तत्कालीन राज्य में बारां और शाहबाद में भूख से मौत हुई थी। (व्यवधान)

श्री नवरतन राजोरिया : यदि मौत स्वीकार करते हैं तो क्या कार्यवाही की गयी उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ, जो मौतों के जिम्मेदार हैं ? माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय आधार पर उनको सहायता दी गयी थी। बीमारी से उनकी मौत हुई थी।...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला : भूख से लोग मर गये और फिर...(व्यवधान)

श्री नवरतन राजोरिया : तत्कालीन सरकार ने केवल लीपापोती करी, क्या आप कुछ कार्यवाही करने जा रहे हैं ? (व्यवधान) भूख के कारण लोगों की मौत हो गयी। यह आपने स्वीकार किया है सहायता के माध्यम से। अगर मौत हुई है तो उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की और नहीं की गयी तत्कालीन सरकार द्वारा तो आप क्या कारने जा रहे हैं ? मुझे जानकारी दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने बहुत गम्भीर और बहुत गलत बात कही है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अलवर जिले में कम से कम तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने पचास व्यक्तियों को, मृतक के आश्रितों को दिये। वहां कोई अकाल नहीं था। आप ऐसे कैसे कह रहे हैं ? (व्यवधान) मुख्य मंत्री कोष से मरने वालों को पैसा...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला : अगर सरकार ने गलत बयान दिया है तो उस पर विशेषाधिकार लाओ।...(व्यवधान)

श्री नवरतन राजोरिया : तो यह है आपके पास.....(व्यवधान) तत्कालीन सरकार ने लीपापोती की है। मौतों पर आंसू भी नहीं बहाये और लीपापोती की है। अगर आपने अब भी मदद नहीं की तो......(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : मुख्य मंत्रीजी के समय में जहां भी कहीं गरीब परिवारको एक्सीडेन्ट में मौत होने पर भी पैसे दिये गये।.....(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय.....(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अलवर में भी अकाल था। (व्यवधान) अलवर में भी अकाल पड़ा था.....(व्यवधान) कौन कहता है कि

(श्री धर्मपाल चौधरी)

अकाल नहीं पड़ा। (व्यवधान) राजस्थान के 54 हजार गांवों में से 40 हजार गांवों में अकाल था। (व्यवधान) कौन कह रहा है कि अलवर में अकाल नहीं था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। डा. श्री गोपाल बाहेती। (व्यवधान)...

श्री नवरतन राजोरिया : अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं आया क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? मौतें स्वीकार की हैं। अकाल में मौतें हुई हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। मिस्टर राजोरिया, स्थान ग्रहण करें।

श्री नवरतन राजोरिया : क्या कार्यवाही की जा रही है। कांग्रेस शासन न लीपापोती कर दी।...(व्यवधान)...

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं आया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) मंत्रीजी के पास जो सूचना थी, आपको दे दी।...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री सहायता कोष से मृतक के परिजनों को अगर सहायता दी जाती है तो वह क्या इस बात का आधार है कि भूख से मौत हुई है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। डा. श्रीगोपाल बाहेती।

श्री नवरतन राजोरिया : मौत होने के कारण आपने सहायता दी है। बारां में, अटरू में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पंचायत राज मंत्रीजी। पंचायती राज मंत्रीजी कौन हैं ? पंचायत राज मंत्रीजी। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री नवरतन राजोरिया : माननीय मंत्री महोदय, थोड़ा इस पर एक स्पष्टीकरण कर दें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : इस तरह के वक्तव्य सदन में मंत्रीजी दे रहे हैं। किस आधार पर दे रहे हैं यह तो पूछिये आप। किस आधार पर दे रहे हैं यह ?

नवरतन राज रिर : इस आधार पर कि रिकार्ड बोल रहा है। (व्यवधान)

ध्य क्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। जवाब सुनिये मंत्रीजी का।

डा. ल हे : प्रश्न संख्या 1677 (व्यवधान)

ध्य क्ष : पंचायत राज मंत्रीजी का जवाब सुनिये। मंत्रीजी का जवाब सुनिये। (व्यवधान) पंचायत राज मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

राम दारा : भूख से कोई नहीं मरा है।...(व्यवधान) एक एक महीने तक खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, लोग मरते नहीं हैं। (व्यवधान) यह असत्य बोल रहे हैं। भूख से कोई मौत नहीं होती। आज दिन तक भूख से कोई मरा ही नहीं है।.....(व्यवधान)

एक न य सदस्य : भूख से आज दिन तक कोई नहीं मरा है। मेरे गांव में एक-एक सप्ताह तक पानी तक नहीं पीते फिर भी नहीं मरते।

एक न य सदस्य : यह सदन को गुमराह कर रहे हैं। असत्य बोल रहे हैं। भूख से आज दिन तक मौत नहीं हुई। पंचायत पर एक बोरी गेहूं की पड़ी थी।...(व्यवधान)...

ध्य क्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। डा. श्रीगोपाल बाहेती।

अजमेर जिले की पैराफेरी ग्राम पंचायतों को आवंटित आबादी भूमि

395. डा. ल हे (पुष्कर) : क्या ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर जिले में कितनी पैरा फेरी ग्राम पंचायतें हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन ग्राम पंचायतों में आबादी बढ़ी है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी ?

(3) क्या इन ग्राम पंचायतों में आबादी भूमि राज्य सरकार ने और

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

प्रदान की है ? यदि हां, तो कब व कितनी व यदि नहीं, तो क्यों ? अन्तिम बार आबादी भूमि किस वर्ष में कितनी बढ़ाई गई ?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री कालूलाल गुर्जर) : (1) अजमेर जिले में 47 पैरा फेरी ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से तहसील नसीराबाद की 5 ग्राम पंचायतें केन्टोनमेन्ट परिधि क्षेत्र में आती हैं। नगर परिषद अजमेर में 25, नगर परिषद ब्यावर में 9, पुष्कर नगरपालिका में एक पंचायत परिधि क्षेत्र में आती है। सूची सदन के पटल पर रख दी गइ्र है, जो परिशिष्ट-"क" है।

(2) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है, जो परिशिष्ट-"क" है।

(3) इन ग्राम पंचायतों के लिये राज्य सरकार द्वारा आबादी हेतु भूमि आवण्टित नहीं की गई है। जिला कलेक्टर, अजमेर द्वारा ही आबादी हेतु भूमि आवण्टित की गई थी, जिसकी ग्रामवाइज विवरण परिशिष्ट-"क" के कालम 11 से 14 पर दिया हुआ है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री अध्यक्ष : बैठें-बैठें नहीं बोले। (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि अजमेर जिले की पैराफेरी पंचायतों में यह जो आंकड़े इन्होंने मुझे दिये हैं उसमें दो में तो इन्होंने जमीन दी है करीब ढाई सौ बीघा, बाकी गांवों में कहीं चार, कहीं आठ, कहीं 10 और कहीं 12, कहीं 13 और पंचायत निर्माण के बाद क्या वहां जनसंख्या के आधार पर जो जमीन दी, आप सन्तुष्ट हैं ? प्रश्न दूसरा यह है कि क्या 1997 में तत्कालीन कलक्टर ने जब आपका राज था, उस समय कोई ऐसा आर्डर निकाला कि पंचायतें कोई पट्‌टे नहीं देगी या कोई जमीन आबादी में कन्वर्ट नहीं करेगी और तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि जब पंचायतों पर यह बेन लगा हुआ था तो प्रस्ताव आपके पास में कहां से आते ? माननीय मंत्री महोदय स्पष्ट करें। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने

(श्री कालू लाल गुर्जर)

जो अभी यह सवाल पूछा कि जो जमीन पंचायतों को दी गयी थी उसमें एक पंचायत को ज्यादा दी, किसी को कम दी....(व्यवधान)

डा. श्री ... लाल ... : दो को ज्यादा।

श्री कालू लाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह जमीने सेंदरिया पंचायत को सन् 2000 के अन्दर 24 बीघा 8 बिस्वा जमीन दी गयी और पालरा में 1993 में 106 बीघा और 5 बिस्वा जमीन दी गयी। यह आबादी की जो जमीनें दी जाती है, यह जमीन वहां की आबादी, वहां की जनसंख्या और वहां की आवश्यकता, जो पंचायत बताती है उसके अनुरूप कलक्टर आबादी के लिये भूमि परिवर्तन करके और आवंटन करते हैं। और इन इन गांवों में जितनी रिक्वायरमेन्ट थी उतनी आबादी के लिये जमीन दी गयी है। इसलिए माननीय सदस्य का यह कहना कि एक में ज्यादा, एक में कम, जिसमें रिक्वायरमेन्ट नहीं थी वहां कम और बहुत से ऐसे गांव में भी हैं पंचायतें, जहां रिक्वायरमेन्ट थी ही नहीं इसलिए दी नहीं गयी। तो यह आबादी के अनुसार दी जाती है इसलिए इन गांवों में ज्यादा दी गयी। जहां तक यह है कि क्या जमीन पर्याप्त है, अध्यक्ष महोदय, जितनी जमीन की आवश्यकता पड़ती है और पंचायत जो प्रस्ताव देती है उसी के अनुसार जमीनें कलक्टर आवंटन करते हैं तो जो प्रस्ताव आये उसके अनुसार पर्याप्त थी और पर्याप्त ही दी गयी है। जहां तक इन्होंने कहा कलक्टर का आदेश था और यह जमीनें कैसे दे दी गयी तो.....(व्यवधान)

डा. ... लाल ... : नहीं, यह आदेश नहीं था। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था कि 1997 में कलक्टर ने एक आर्डर निकाला जिसके तहत पंचायतों को आबादी भूमि में पट्टे देने से रोका गया। क्या सरकार उसको वापस ले रही है और दूसरी बात मंत्री महोदय आपने यह कहा था कि जब पंचायतों के पास आबादी के आर्डर आये हुए हैं तो प्रस्ताव वह कैसे करते ?

श्री कालू लाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, 1997 में जो पंचायतों को पट्टे काटने से रोकने का आदेश दिया गया था, वह आदेश प्रभावी है। अभी उसको लेने का कोई विचार नहीं है। (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती : क्यों नहीं है ? क्या जनता नहीं रहती है ? क्या ग्रामवासी गांव में नहीं रहते हैं ? उनको मकान नहीं चाहिये ? अध्यक्ष महोदय, इस वजह से गत पांच वर्षों में अजमेर जिले में बहुत से गरीब इन्दिरा आवास से और दूसरे मकानों से महरूम रह गये। मेरा आपसे निवेदन है कि फिर पुनरावृत्ति नहीं हो, सरकार इस पर ध्यान दे। और पंचायतों को पूरी-पूरी जगह दे ताकि पंचायत अपने क्षेत्र के अन्दर ग्रामवासियों को पट्टे दे सके।

तीसरी बात यह कि जो आपको आंकड़े दिये गये हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी को यह कहना चाहता हूं यह आंकड़े वह हैं जहां अतिक्रमण के, जहां नियमन हुए वह भी आंकड़े इसमें मिला दिये गये हैं। यह सरकार ने सुओमोटो कोई पंचायतों को जमीन अलाटमेन्ट नहीं की है, जो पंचायतों के साथ अन्धाय है।

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, न आवंटन हुआ है...(व्यवधान) कोई नियमन का इसमें प्रश्न नहीं है। पंचायतों ने जो जमीन मांगी वही दी गयी और आपने...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन यह भी है कि सरकारी बैंच के सदस्य बार-बार यह कहते हैं कि पांच साल में क्या किया, पांच साल में क्या किया, यह विलाप बन्द करके काम करना चालू करो। जिस फ्लोर पर आये हो तो काम की बात करो कि आप क्या कर रहे हैं ?

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, न तो मैंने पांच साल के लिये कहा। माननीय सदस्य पता नहीं कौनसी बात कर रहे हैं, यह ही जाने ? मैं तो यह जानता हूं अध्यक्ष महोदय, कि आपने एक सुझाव दिया पंचायतों में यदि आबादी के लिये जमीन की जरूरत है और आदेश हटाये जाएं। मैं माननीय सदस्य को यह सन्तुष्ट करता हूं कि यदि पंचायत इस तरह की कोई रिक्वायरमेन्ट बताएंगी तो सरकार विचार करेगी। (व्यवधान) अब तो कोई मुद्दा ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न स्थगित है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि यह प्रश्न एक जुलाई को भी स्थगित किया गया था और

(श्री हरिमोहन शर्मा)

आपने सदन में यह आश्वासन दिया था कि इस सत्र में प्रश्न लगा कर मैं जवाब दिलवाऊंगी। आप देखिये, अध्यक्ष महोदय, एक छोटासा प्रश्न है कि जनवरी, 2004 से अब तक किस-किस विभाग में कितने-कितने विभागों कर्मचारियों को नियुक्ति दी ? विवरण सदन के पटल पर रखें। यह डेढ़ महीने से जवाब नहीं दे रहे।

श्री अध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहंण करें तो मैं कारण बताऊं ?

श्री हरिमोहन शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब तो आये।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें तो कारण बता दूं। आपको कारण बता रही हूं। ऐसा था कि आपने पहले प्रश्न भेजा कार्मिक विभाग को। इससे दो जगह से सूचना आनी थी, कार्मिक विभाग से भी और श्रम और नियोजन विभाग से, दोनों विभागों से आनी थी। एक विभाग ने, श्रम विभाग ने तो कर दिया इसको स्थानान्तरित कि आप कार्मिक विभाग के पास जाइये और वहां से सूचना अभी तक आपकी प्राप्त हुई नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा : एक महीने तक कहां पड़ा रहा यह प्रश्न यह ? अपने सचिवालय में था ? एक महीने तक कहां पड़ा रहा ? एक महीने तक विभागों का ही फैसला नहीं हुआ है। जब श्रम विभाग का नहीं था तो श्रम विभाग ने क्यों स्थगित करवाया इसको ? वह वहां से...

श्री अध्यक्ष : आसन के पास जो प्रश्न का जवाब आता है मंत्रीजी की तरफ से आसंन केवल उन्हीं को पुकारता है। फिर उन्होंने स्थगित करने के लिए फिर प्रार्थना कर दी तो क्या करें।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपका कोई निवेदन नहीं।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : रोजगार कार्यालय को बन्द कर दिया जाए। इससे एक भी नियुक्ति नहीं होती, एक भी नौकरी नहीं लगती इसलिए इतने बड़े विभाग में जो इतना पैसा खर्च हो रहा है, इस विभाग को बन्द करने के लिए सरकार निर्णय ले।

श्री हरिमोहन शर्मा : लेकिन आप इसका जवाब तो दिलवाएं। आपने खुद ने सदन में घोषणा की थी कि इस प्रश्न का जवाब इसी सत्र में दिलवाऊंगी।

श्री अध्यक्ष : जवाब नहीं आया, मैं क्या बताऊं आपको। जब तक विभाग से जवाब नहीं आयेगा तब तक प्रश्न कैसे लगेगा ?

श्री हरिमोहन शर्मा : यह जवाब इसलिए नहीं आ रहा है कि इन्होंने 31 हजार लोगों को 100 दिन में नौकरी लगाने का आश्वासन दिया था।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार सदन को गम्भीरता से नहीं ले रही है।

श्री हरिमोहन शर्मा : उस 100 दिन के कार्यक्रम में 31 हजार लोगों को नौकरी देना था, यह एक आदमी को नौकरी नहीं दे पाये इसलिए सरकार जानबूझकर के इस प्रश्न को बार-बार में स्थगित करवा रही है। इनका 100 दिन का वादा था और 100 दिन की योजना के हिसाब से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है हम ने 100 दिन में सब टारगेट पूरे कर लिये, 31 हजार में से एक आदमी को नौकरी नहीं दी और इसलिए जवाब नहीं दिलवा पाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। अब आसन पांवों पर है। स्थान ग्रहण कर लें। हां, आपको कुछ बोलना है ?

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : विभाग को बन्द करने की कार्यवाही करवाओ, साहब।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पहले श्रम विभाग को चला गया और श्रम विभाग के बाद हमारे कार्मिक विभाग में अभी दो दिन पहले ही यह सवाल ट्रान्सफर होकर हमारे पास आया। पहले श्रम विभाग ने इसको स्थगित कराया फिर यह ट्रान्सफर होकर हमारे पास आया। लिस्ट में श्रम विभाग का था, कल हमारे पास आया और हम को बाकी सारे विभागों से भी सूचना कलेक्ट करनी थी और इतना कम समय है। आपको यह है कि इसका लिखित उत्तर निश्चित रूप से आपके पास कुछ दिनों में तैयारी कर के पहूंचा दूंगा।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर) : अध्यक्ष महोदय, एक महीने में जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) डा. चन्द्रशेखर बैद एवं 6 अन्य सदस्यों की ओर से गंगानगर शुगर मिल द्वारा अनावश्यक एल.डी. फिल्म खरीद लिये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री संयम लोढ़ा एवं 3 अन्य सदस्यों की ओर से बिक्री पर विभाग के सेवा नियम-16 में आरोपित अधिकारी को पदोन्नति देने के सम्बन्ध में।

(3) श्री मांगीलाल गरासिया एवं 5 अन्य सदस्यों की ओर से सहायक कलक्टर न्यायालय, गोगुन्दा का मुख्यालय उदयपुर से गोगुन्दा करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री अमराराम धोद, सदस्य की ओर से राजय में कानून और व्यवस्था की स्थिति के खराब होने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त सभी प्रस्ताव इतनी गम्भीर प्रकृति के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही रोक-रोक कर इन पर विचार किया जाय। अत: अस्वीकार किये जातें हैं। माननीय सदस्य श्री अमराराम (धोद) को प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी क्योंकि यह कानून और व्यव्सथा से सम्बन्धित स्थगन प्रस्ताव है।

नियम 295 के तहत प्राप्त सूचनाएं

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :-

(1) श्री रमेश खींची, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कठूमर के ग्राम झालटाला के सब-स्टेशन पर पर्याप्त पावर का ट्रान्सफार्मर स्थापित करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(2) डा. जालम सिंह रावलोत, सदस्य की ओर से बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले की पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

(3) श्री हरिसिंह रावत, सदस्य की ओर से राज्य में कम्प्यूटर शिक्षा पाठ्यक्रम नियमित करने के सम्बन्ध में।

एक माननीय सदस्य : आसन पैरों पर।

श्री अध्यक्ष : हू इज ही ? कौन है यह ? कौन है ?

डा. सी.पी. जोशी : माफी मांग लें।

श्री रमेश खींची : सोरी।

श्री अध्यक्ष : (4) डा. सुरेश चौधरी, सदस्य की ओर से भादरा तहसील मुख्यालय में राजकीय यूनानी औषधालय खुलवाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री जुबेर खान, सदस्य की ओर से वर्ष 1997 में शास्त्रीनगर, जयपुर स्थित कब्रिस्तान पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने एवं रोकने के लिए हुए प्रदर्शन के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही बाबत्।

(6) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र, चौमूं के कतिपय गांवों में पशु चिकित्सालय और पशु चिकित्सा उप-केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री हंगामी लाल मेवाड़ा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में अकाल राहत कार्यों में कथित भेदभाव के सम्बन्ध में।

(8) श्री मोहम्मद माहिर आजाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नगर के विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त होने के सम्बन्ध में।

(9) श्रीमती प्रतिभा सिंह, सदस्य की ओर से पंचायत समिति नवलगढ़ के विकास अधिकारी द्वारा समिति के सदस्य को कथित जातिसूचत गालियां देने के सम्बन्ध में।

(10) डा. कन्हैया लाल मीणा, सदस्य की ओर से जिला जयपुर के ग्राम गोनेर स्थित तालाब की फैंसिंग करने, सांकले लगाने एवं चेतावनी बोर्ड लगाने के सम्बन्ध में।

(: ध्य_क्ष)

(11) श नन्दल ल म नि, सदस्य की ओर से राज ढ (चूरू) में गरीब व छोटे दुकानदारों को न .र लिका द्वारा बेदखल करने के सम्बन्ध में।

(12) श कैल श त्रिवे , सदस्य की ओर से पुर एवं ुलाबपुरा की सहकारी क्षेत्र की स्पिनींग इकाइय के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

म न य सदस् को उनके द्वारा दी गयी सूचन को पढ़ने की अनुमति होग ।

न च र पर्चिय निकल हैं, श्रीमती सूर्यकान्ता व्य स, जोधपुर पुराना स्टेडिय व पवेलियन का . कर . व उसकी देखभाल के सम्बन्ध में।

श राव राजेन्द्र सिं , म रलावता तहसील दांत रामगढ़ में : र म जिक तत्व द्वारा ख डित राव शेखाजी की मूर्ति की पुनःस्थापना के सम्बन्ध में।

श वीरेन्द्र बेनी ल, वि न स क्षेत्र लूणकरणसर में ांव-गांव में शि ा व्यवस्थ के क र . हो रही : व्यवस्था तथा शिक्षा सहयोगियों को तीन ाह से नदेय ह िलने के सम्बन्ध में।

श दु र द, परिवहन विभ ा में फैल रहे भ्रष्टाच र व उपाय के सम्बन्ध में।

म न य सदस् को च र र मिनट बोलने की अनुमति होग ।

स्थ न प्रस्ताव आदि पर चर्चा

जुबेर ख न : ध्य क्ष महोदय, मैं आपके न .र लिका अध्यक्ष, बर के चैम्बर कुछ ुंडों ने घुस कर ोली चला कर....(व्यवधान)

डा. एन.एस. ुर्जर : न य अध्यक्ष महोदय, ओन द पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

जुबेर ख न : कहन च हत हूं कि राज्य सरकार ह मंत्रीजी बत एं कि इस पर वक्तव्य कब दें ? यह कम बात नहीं है। आ ा बारबार

(श्री जुबेर खान)

कहती हैं कि पोपाबाई का राज क्या है, यही पोपाबाई का राज है...

डा. एन.एस. गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री जुबेर खान : नगरपालिका के अध्यक्ष के चैम्बर में घुस कर लोग गोलियों से मार दें, बचाने वालों को मार दें, यह दिखाता है कि किस तरह की व्यव्सथा है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि शून्यकाल में कोई पाइण्ट आफ आर्डर नहीं होता है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : गृह मंत्रीजी, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जनप्रतिनिधि के ऊपर, उसके कार्यालय में गोलियों से हमला हुआ है और सरकार इस पर वक्तव्य देने का विचार कब रखती है, यह सदन को बताए। क्योंकि यह हलका मामला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री अमरारामजी, आप बोलें। (व्यवधान) आपको दो मिनट बोलने की अनुमति है।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं...

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, यह कम बात नहीं है कि अध्यक्ष के चैम्बर में घुस कर गुंडे लोग, अपराधी लोग गोलियां चलाएं...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कोई कार्यवाही नहीं हुई है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री जुबेर खान : x x x

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : x x x

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) शून्यकाल में नो पाइंट आफ आर्डर। श्री अमराराम धोद।

श्री जुबेर खान : x x x

डा. एन.एस. गुर्जर : x x x

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : x x x

श्री अध्यक्ष : आप उन्हें बोलने दें न, मैंने नाम पुकार लिया अमरारामजी का।

डा. एन.एस. गुर्जर : x x x

श्री जुबेर खान : x x x

श्री विजय बंसल : x x x

श्री अध्यक्ष : आपको कोई इन्फार्मेशन देनी है बाद में उठाइएगा।

राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने के सम्बन्ध में

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह से सरकार में अभी पिछले दिनों में कानून व्यवस्था बिलकुल समाप्त हो गई है, बयाना में दिन दहाड़े नगरपालिका के अध्यक्ष पर जिस तरह से गोलियां चलाई जाती है जन-प्रतिनिधियों पर और थाने की और नगरपालिका की सीमाएं बिलकुल मिली हुई हैं और एक भी अपराधी वहां नहीं पकड़ा जाए, मैं समझता हूं जन-प्रतिनिधियों की यह हालत, न केवल जन-प्रतिनिधियों की है चाहे वह जोधपुर में पत्रकार हों उनके साथ यह हालत है, सनवाड़ में यह हालत है और अपराधी इतने भयमुक्त हो गए हैं कि उनको खुली छूट मिल गयी और इस तरह से अपराधियों को कोई भय नहीं है।

उसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि मेरे यहां एक भंवरपुरी का 21 तारीख को अपहरण करके मर्डर किया। उसका दामाद और उसका बच्चा रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सदर थाने गए रात को तो पूरे एक दिन तक उनको बैठाए रखा और केवल बैठाए नहीं रखा गया उनको पीटा गया, जो फरियादी उनको पीटा, उसके बाप की अपहरण करके हत्या कर दी। आप आश्चर्य करेंगे कि हत्यारे उसी गांव में जब उनकी लाश मिलती है तो उसी गांव में आराम से बैठे

(श्री अमराराम)

हुए मिलते हैं और आपकी पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि इन्होंने तो नहीं की है क्योंकि वह हमारे साथ थे। मतलब इससे आश्चर्यजनक क्या होगी ?

दूसरी घटना उसी सदर थाने में रामपुरा में होती है फरियादियों से आपकी पुलिस के जांचकर्ता बीस हजार रूपए जिनका अपहरण होता है, उनसे ले आए, जो फरियादी हैं उनको थाने के अन्दर पीटें, मुलजिम के सामने पीटें, अपराधी बिलकुल निरन्कुश हो गए। खूली छूट है मतलब पुलिस थाने के पास में आकर उदयपुरवाटी में कर्मचारियों को ठोका जाए, आपका पुलिस थाना बिलकुल पास में है, कोई नहीं पकड़ा जाए। आपके चुने हुए नगरपालिका अध्यक्ष पर अपराधी आकर दिन दहाड़े गोली से एक बचाने वाले आदमी को मार जाएं, थाने से एक नहीं पकड़ा जाए अपराधी। अकेले सीकर में पिछले एक महीने में पांच अपहरण की घटनाएं हो गयीं, मर्डर हो गया, अपहरणकर्ताओं आज तक उनसे पुलिस वापस रिकवर नहीं कर पाई।

मैं समझता हूं कि राजस्थान की सरकार ने जिस तरह से अपराधियों के मुकदमें वापस लिए हैं, अपराधी स्वच्छंद हो गए हैं कि खुलकर खेल सकें। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि किसी भी रूप में इन अपराधियों पर अंकुश नहीं लगाएंगे, दिन दहाड़े एक-एक जिले में आप अन्दाजा कीजिए कि सीकर में आपके एडिशनल एस.पी. के सामने एक विद्यार्थी का अपहरण हुआ और उनके नामजद अपराधियों को पुलिस ने छोड़ दिया और खुले घूम रहे हैं। गंगानगर में श्यामलाल का अपहरण उसकी गाड़ी के साथ 17 तारीख को हुआ, पूरा गंगानगर बन्द है 17 तारीख से लेकर आज 30 तारीख तक अपहरणकर्ता नहीं पकड़े गए, क्या कर रही है हमारी पुलिस ? न आम आदमी की सुरक्षा है, न जन-प्रतिनिधियों की सुरक्षा है, न कर्मचारी की सुरक्षा है न अधिकारी की सुरक्षा है कोई भी जाएगा आपकी पुलिस की मौजूदगी में उनको मारकर ले जाए, अपहरण करके ले जाए, मर्डर कर दें। इस भंवरपुरी की तो इस तरह से की है उनकी दोनों आंखे निकाल ली, उनका नाक काट लिया गया, उसके पैर काट लिए गए और अपराधी इतने स्वच्छंद हैं कि उसी गांव में आकर के दिन दहाड़े बैठे हुए हैं। उनकी गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं फिर भी आपकी पुलिस कहती है इन्होंने अपहरण और मर्डर नहीं किया।

(श्री ःमराराम)

मैं समझता हूं पुलिस बिलकुल मिली हुई है उन अपराधियों से वर्ना कोई कारण नहीं हो सकता कि दिन दहाड़े पुलिस के पास में गोली मार कर हत्या कर दें, अपहरण करके ले जाएं, मार दें और नहीं पकड़े जाएं। उसका प्रमुख कारण है, आप कटारियाजी बुरा मत मानिएगा आपकी पूरी पुलिस पर आर.एस.एस. का आपके आदेश चलते हैं बाकी आपके अधिकारियों के आदेश नहीं चलते हैं इसीलिए इन अपराधियों से अगर निपटने का काम करें तो राजस्थान की जनता, आम आदमी (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह रोकथाम का काम सरकार करती है माननीय सदस्य।

श्री ःमराराम (र्दे) : किसी भी रूप में राजस्थान की (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसी उसमें कोई मतलब नहीं है आर.एस.एस. क (व्यवधान) आर.एस.एस. के नाम क्यों + + + ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कम्युनिष्टों ने तो (व्यवधान) दस करोड़ लोगों की हत्याएं करी हैं इस दुनियां के अन्दर (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला. : सत्त पक्ष के इतने लोग एक व्यक्ति को व्यवधान करके...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव) : यह आप जो आरोप लगा रहे हैं सदन के पटल पर (व्यवधान) माननीय प्रतिपक्ष के नेता, जो आरोप लगा रहे हैं माननीय सदस्य तो किन तथ्यों के आधार पर आरोप लगा रहे हैं (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आर.एस.एस. जैसी राष्ट्रभक्त पार्टी का नाम आप लेंगे (व्यवधान) जिसको स्वयं इन्दिरा गांधीजी ने इमरजैन्सी के दौरान बुलाया और कहा कि सहयोग दीजिए (व्यवधान) जवाहरलालजी नेहरू ने बुलाया, इन्दिरा गांधी ने बुलाया, लाल बहादुर शास्त्री ने बुलाया कि राष्ट्र भक्त हो, आओ और सहयोग करें (व्यवधान) ऐसी पार्टी को आप यहां पर लाना चाहते हो (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य गण स्थान ग्रहण करें (व्यवधान) आसन पांवों पर है, स्थान ग्रहण करें (व्यवधान) आसन पांवों पर है स्थान ग्रहण करें (व्यवधान) स्थान ग्रहण करें (व्यवधान) स्थान ग्रहण करें, सहयोग करें आसन को। धोद से आने वाले माननीय सदस्य, आपको यह आरोप लगाने से पहले कि आर.एस.एस. के कहने से ट्रान्सफर होते हैं (व्यवधान) सुनिए, पहले पूरी बात कह लेने दीजिए मुझे आप फिर कहिएगा। तो कोई स्पेसिफिक आप बात बताते ट्रान्सफर की कि अमुक्त का केवल आर.एस.एस. की वजह से हुआ है, अफसरों की बात नहीं मानी गयी है। तब तो देखिए कहना उचित था वर्ना आपका भी यह कहना कि कानून व्यवस्था के मामले में......

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य दो तीन बार चुनकर आ गए, इनको यह मालूम है कि राज्यादेश से ट्रान्सफर होते हैं।

श्री अध्यक्ष : बहुत संवेदनशील मामला होता है, आप जानते हैं और इस बात को और इसमें आप यूं पासिंग रेफरेन्स कर दें, उचित नहीं है। आप या तो कोई स्पेसिफिक इन्सटांस दीजिए कि इस मामले के अन्दर कहने के बावजूद आर.एस.एस. के कहने से यह ट्रान्सफर हुआ है या तो बात बताइए आप इस तरह की कोई है तो। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : माननीय सदस्य ने बिना तथ्यों के आधार पर आरोप लगाया हैं (व्यवधान) या तो माननीय सदस्य सदन की टेबल पर तथ्य रखें (व्यवधान) नहीं तो सदन की इस कार्यवाही से निकलना चाहिए (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण क्या कहना चाहते हैं आप ? (व्यवधान) क्या कहना चाहते हैं आप ? (व्यवधान) माननीय सदस्यगण, क्या कहना चाहते हैं आप (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : कार्यवाही से निकाला जाए (व्यवधान)

श्री जालम सिंह रावलोत : यह तो बेबुनियाद बात है (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : इन्होंने आधारहीन बात की है (व्यवधान) वह आधारहीन आरोप निकाला जाना चाहिए कार्यवाही से। आधारहीन बात जो इन्होंने कही है वह कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : यहां पर केवल वही शब्द एक्सपंज होते हैं जो या तो असंसदीय हैं या अशिष्ट हों (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : आधारहीन है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जब मैंने कह दिया इन्हें (व्यवधान) मैंने कह दिया ना कि या तो स्पेसिफिक इन्सटांस दो वरना चार्ज कैसे लगाया (व्यवधान) आसन ने कह दिया

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो कहा है मैंने ट्रान्सफर के लिए नहीं कहा, मैं कह रहा हूं पुलिस पर...

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने...

श्री अध्यक्ष : स्पष्ट करने दो ना क्या कह रहे हैं।

श्री अशोक (खण्डार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं...

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाएं, आपसे सम्बन्धित मामला नहीं है। बात उनसे सम्बन्धित है

श्री अशोक (खण्डार) : माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : मैं कहती हूं स्थान ग्रहण करें आप। माननीय अशोक बैरवा आप हद के पार कर जाते हैं कई बार। मैंने कहा आवन पांवों पर।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने ट्रान्सफर के लिए वैसे नहीं कहा है आपने सुना है लेकिन ट्रान्सफर के लिए भी मैं कहता हूं कि राजस्थान में पिछली बार है कि राजस्थान के अधिकारियों के ट्रान्सफर लिस्ट राजस्थान के आर.एस.एस. के कार्यालय में बनी है...

श्री ओम बिरला : माननीय अध्यक्ष महोदय, गलत आरोप लगा रहे हैं (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बने तो बात समझ में आती है (व्यवधान) राजस्थान के आर.एस.एस. के कार्यालय में लिस्टें बनी हैं और...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री अमराराम (धोद) : x x x

श्री ओम बिरला : x x x

श्री बंशीलाल खटीक : x x x

डा. जालम सिंह रावलोत : x x x

डा. एन.एस. गुर्जर : x x x

श्री मदन राठौड़ : x x x

श्री बद्रीलाल जाट : x x x

श्री ओम बिरला : x x x

श्री अमराराम (धोद) : x x x

डा. एन.एस. गुर्जर : x x x

श्री बंशीलाल खटीक : x x x

डा. जालम सिंह रावलोत : x x x

श्री ओम बिरला : x x x

श्री अमराराम (धोद) : x x x

डा. एन.एस. गुर्जर : x x x

श्री अध्यक्ष : जीरो आवर में पाइंट आफ आर्डर नहीं...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं...(व्यवधान) गृह मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं शान्त रहें। शान्त रहें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अपराध घटित हुये हैं इसको न मैं नकार सकता हूं, न कोई और नकार सकता है। अपराध घटित हुये हैं, जो अपराध गिनाये हैं वह अपराध हुए हैं। चाहे वह बयाना का हो, चाहे कल सहाड़ा में साम्प्रदायिक विद्वेष की भावना एक टकराव

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हुआ, कुछ वहां आगजनी भी हुई। आपने जो बताया विद्यार्थी का अपहरण हुआ उसमें दो लोग पकड़े गये, जो कुछ भी कार्यवाही कर सकते थे वह कार्यवाही की है। अपराध हुए हैं इसको मैं नकार नहीं रहा हूं। अपराध हुए हैं, मैं अपराधी के खिलाफ कठोर कार्यवाही कर सकता हूं। उसमें मैं कोई कमी नहीं रखूंगा इतना तो आपको विश्वास, आर.एस.एस. का जहां तक सवाल है आर.एस.एस. ट्रान्सफर नहीं करता पर आर.एस.एस. का यह स्वयं सेवक जरूर ट्रान्सफर करता है और करेगा...

श्री अमरा राम (धोद) : x x x

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उसमें कोई कमी रह जायेगी तो माननीय सदस्य, आप अपनी तरफ से सूचना दें। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं...

श्री अमराराम (धोद) : x x x

श्री अर्जुन लाल जीनगर : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री अमराराम (धोद) : x x x

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय सदस्य, आप अगर मुझे किसी भी प्रकार की कोई कमी रहे, जानकारी देंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं सख्ती से कार्यवाही करूंगा। इसमें आपको कहीं भय करने की या दिमाग में है...

दूसरा, यह कि मैंने मेरे विभाग में अभी तक कोई ट्रान्सफर ही नहीं किये केवल एडिशनल एस.पी. के अलावा तो कहां राजनीति आ गयी, किसके आ गयी, कहां आ गयी, आप किस आधार पर कहते हो जिसके कोइ हाथ पैर नहीं होते। मुझे अफसोस है इस बात का।

मैं आपको, सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं जहां आर.एस.एस. का स्वयं सेवक जरूर हूं पर राजस्थान की पांच करोड़ जनता की रक्षा का दायितव मुझ पर है। मैं यहां का नागरिक भी हूं और मैं आपको

यकीन दिलाता हूं कि नागरिक के नाते भी और जनतान्त्रिक जो व्यवस्था मेरे जिम्मे है, बड़ी ईमानदारी से सबकी बात को जानते हुए कार्यवाही करूंगा मैं इसका विश्वास दिलाता हूं। क्या चाहते हो आगे।

श्री श्रवण कुमार : x x x

श्री अध्यक्ष : श्री रमेश खींची, 295 पढ़े।

श्री रामनारायण मीणा : x x x

श्री अध्यक्ष : नो। श्री रमेश खींची 295 पढ़े। अंकित नहीं हो।

श्री श्रवण कुमार : x x x

श्री रामनारायण मीणा : x x x

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

कठूमर के ग्राम झालटाला के सब-स्टेशन पर ट्रांसफार्मर

श्री रमेश खींची (कठूमर) : राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख चर्चा के सम्बन्ध में।

महोदय, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम झालटाला 33/11 के.वी. जी.एस.एस. सब-स्टेशन स्थापित है। इसमें ट्रान्सफार्मर कम केपेसिटी का लगा हुआ था इस कारण वह काफी दिन से फुका हुआ है। इसकी वजह से पूरे क्षेत्र को बिजली सप्लाई नहीं हो रही है जिससे पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई गांवों की बिजली काट दी गयी। इसी प्रकार किसानों को न गांवों में समय पर ट्रान्सफार्मर दिये जा रहे हैं जिससे जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों में भारी रोष है।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि शीघ्र ही ग्राम झालटाला के 33/11 के.वी.जी.एस.एस. सब-स्टेशन पर पर्याप्त पावर का ट्रान्सफार्मर व ट्रान्सफार्मर फुके पड़े हैं उन्हें समय पर लगवाकर बिजली सप्लाई सुचारू रूप से सुनिश्चित करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। डा. जालम सिंह रावलोत।

बाड़मेर-जैसलमेर जिलों की पेयजल समस्या

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले के पेयजल के गम्भीर संकट के हल हेतु प्रस्ताव।

महोदयाजी, राजस्थान का पश्चिम इलाका हर दृष्टि से पिछड़ा हुआ है लेकिन जल समस्या इसमें "कंगाली में आटा गीला" वाली कहावत चरितार्थ करती है। इसके लिये काफी हद तक कांग्रेस सरकारें जिम्मेदार हैं जो हमेशा से राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र की उपेक्षा करती रहीं जिनका परिणाम इस बार जनता ने कांग्रेस को दिया।

पश्चिम राजस्थान में जल समस्या प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक जस की तस बनी हुई है लेकिन माननीय मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे सिंधिया ने जो वर्तमान में बजट प्रस्तुत किया है उसमें जो जल व पश्चिमी राजस्थान की जल समस्या के समाधान पर ध्यान दिया गया है वह सराहनीय है व स्वागत योग्य है।

मैं यहां सदन को विदित करवाना चाहता हूं कि पश्चिमी राजस्थान के सीमा प्रहरी जिले बाड़मेर व जैसलमेर जिले पानी की विकट समस्या से जूझ रहे हैं। बाड़मेर-जैसलमेर जिले के कई गांवों व ढाणियों के वासियों को 15 किलोमीटर तक पानी के लिये जाना पड़ता है जिसका उदाहरण राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 15 जो बाड़मेर-जैसलमेर को जोड़ता है। जिसके पूर्व दिशा स्थित गांव बरियाड़ा यहां के लोगों को पानी के लिये 15 किलोमीटर जाना पड़ता है। पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों में पानी खारा व फ्लोराइड युक्त है। इससे यहां के स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यह सर्वविदित है कि पश्चिम राजस्थान मरूस्थलीय क्षेत्र है। यहां ग्रीष्मकाल में 45 से 45 डिग्री तक तापमान रहता है। ऐसी स्थिति में प्राणियों को पानी की अति

(डा. जालम सिंह रावलोत)

आवश्यकता रहती है। पानी का पश्चिम राजस्थान में घोर संकट है जिसमें इस इलाके के किसानों व मवेशी पालकों को इस विकट समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र शिव में 300 गांव व कई ढाणियां हैं। यहां जल का विकट संकट है। कई गांवों व ढाणियों में अभी भी पानी का कोई स्रोत नहीं है। यदि किसी गांव में कोई स्रोत है तो वह जर्जर हालत में है।

विगत सरकार ने प्राचीन स्रोतों की उपेक्षा की लेकिन कहीं कुछ स्थानों पर दिखावे के रूप में कार्य हुआ लेकिन वह घटिया व स्तरहीन होने के कारण उनकी स्थिति वही ढाक के तीन पात वाली रही।

भाजपा के शासनकाल में हमारे क्षेत्र की इस समस्या पर विशेष ध्यान दिया। कई ढाणियों में इसका निराकरण हो गया लेकिन विगत सरकार ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जिससे लोगों ने बददुआएं दी जिसके कारण उनका पश्चिम राजस्थान तो क्या सम्पूर्ण राजस्थान में सूपड़ा साफ हो गया और अब वे विपक्ष वाले कोरम की पूर्ति कर रहे हैं। बाड़मेर जिला जहां भूगर्भ, जलविहीन है, हमारे नेताओं ने इन्दिरा गांधी नहर को बाड़मेर के आधे क्षेत्र में नर्मदा परियोजना को बाड़मेर के शेष आधे क्षेत्र में पहुंचाने के लिये योजना बनायी थी। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि स्वतन्त्रता के पश्चात् राज्य व केन्द्र दोनों में अधिकतर समय कांग्रेस की सरकार रही जिन्होंने इस परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिये कोई विशेष रूचि नहीं ली व प्रयत्न भी नहीं किये। विगत सरकार ने तो इन्दिरा गांधी नहर का कार्य ही ठप्प कर दिया ओर नर्मदा परियोजना को नजरअन्दाज कर दिया। यहां मैं विदित करा देता हूं हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यभार संभालते ही जो नर्मदा के तीन अरब रुपये बकाया थे वे चुकते किये इन दोनों महत्वाकांक्षी परियोजना को शीघ्र पूर्ण करने पर बल दिया जिसके लिये हम उनके अभारी हैं।

यहां मैं विगत सरकार की एक हास्यास्पद योजना आपको बताना चाहता हूं जो इस प्रकार है। बाड़मेर शहर व उसके 412 गांवों के लिये "बाड़मेर

(डा. जालम सिंह रावलोत)

लिफ्ट वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट" की वित्तीय स्वीकृति जून, 2002 में 425 करोड़ की जारी हुई थी लेकिन माह जून, 2004 तक 2.89 लाख का व्यय हुआ जो 2.89 व्यय हुये यह भी हमारी सरकार के छह महीने में हुये।

कई गांव व ढाणियों में पांच दिन तक पानी नहीं आता है। मैं सदन को विदित करवा देता हूं कि इस समस्या पर ध्यान दें जो योजनाएं चल रही हैं, पूर्ण करें व कुछ नयी योजनाएं बनाकर समस्या का समाधान करें।

(1) इ.गा. नहर को गड़रारोड तक पहुंचाने का कार्य शीघ्र पूर्ण करवाये जिससे जैसलमेर व बाड़मेर के क्षेत्र लाभान्वित होंगे।

(2) नर्मदा नहर परियोजना का कार्य शीघ्र पूर्ण करें जिससे गुढामलानी व चौहटन क्षेत्र की पीने व सिंचाई सम्बन्धित समस्या हल होगी।

(3) बाड़मेर लिफ्ट नहर का शीघ्र पूर्ण करें ताकि बाड़मेर शहर सहित 412 गांव लाभान्वित होंगे।

(4) लूणी बेसिन का विकास करें जिससे बालोतरा व पचपदरा क्षेत्र को लाभ होगा।

(5) वर्षा के पानी के संचय सम्बन्धित योजनाएं बनाना।

(6) परम्परागत सन्साधनों का रख रखाव व उनका पूर्ण निर्माण करना।

(7) अन्तरिक्ष सर्वेक्षण के माध्यम से जल संसाधनों की खोजें जहां अपेक्षाकृत अधिक जल उन्नत व अच्छा हो सकें।

(8) जलदाय विभाग के रिक्त 28 कनिष्ठ अभियन्ता के पदों तथा अन्य पदों को शीघ्र भरा जाये।

मैंने पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर व जैसलमेर जिले की जल समस्या का विवरण संक्षेप में प्रस्तुत किया।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदया तथा माननीय जलदाय मंत्रीजी जो हमारे सीमावर्ती जिलों बाड़मेर व जैसलमेर को पेयजल संकट से मुक्त कराने के लिये कृत संकल्प हैं, इनका सम्पूर्ण हल कर सदियों से त्रस्त सीमावर्ती जनता को राहत पहुंचायेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य हरी सिंहजी रावत।

लेकिन इससे पहले मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी कि विशेष उल्लेख के अन्दर ढाई सौ शब्दों के अन्दर आपको अपनी समस्या लिखनी पड़ती है, आपने पूरे दो पृष्ठ लिख दिये। इस बार तो मैंने आपको अलाऊ भी कर दिया लेकिन भविष्य में ध्यान रखें कि यह केवल ढाई सौ शब्दों तक ही सीमित हो। अपनी जो समस्या है उसको संक्षेप में आप यहां उल्लेख कर दें।

एक माननीय सदस्य : अगली बार ध्यान रखेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय।

राज्य में कम्प्यूटर शिक्षा पाठ्यक्रम नियमित करने

श्री हरिसिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि एक तरफ राजस्थान प्रदेश में ही नहीं पूरे विश्व स्तर पर इन्फोर्मेशन टैक्नोलाजी क्षेत्र को महत्व दिया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में राज्य के करीब पांच हजार माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीं से बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटर शिक्षा का पाठ्यक्रम अनिवार्य विषय के रूप में करीब दस लाख छात्र-छात्राओं को कम्प्यूटर शिक्षा देने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था। परन्तु स्पष्ट दिशा-निर्देश के अभाव एवं जांच में विलम्ब होने के कारण पाठ्यक्रम के अनुरूप विद्यार्थियों के कम्प्यूटर ज्ञान में किसी प्रकार की कोई अभिवृद्धि नहीं हो रही है।

मैं यहां विशेषतौर पर शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, अभी दिनांक- 23-7-2004 को सदन में शिक्षा की मांगों का जवाब देते समय माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने सदन में घोषणा की कि नवीं से बारहवीं कक्षा तक केवल दो साल ही कम्प्यूटर शिक्षा अनिवार्य होगी जबकि इससे पिछले वर्ष नवीं से बारहवीं कक्षा तक के समस्त विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटर शिक्षा अनिवार्य थी। इसमें दो साल के लिए अनिवार्य कर देने से करीब 5 से 6 लाख विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा से वंचित रहना पड़ेगा।

(श्री ... ुरिसिंह रावत)

"कम्प्यूटर शिक्षा" एक स्ववित्तपोषित योजना के आधार पर दी जा रही है और राज्य के करीब ˈ0 लाख विद्यार्थियों का हित इससे जुड़ा हुआ है। इस योजना में लगभग 20 हज़ार कम्प्यूटर शिक्षकों व प्रशासनिक व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। उक्त सम्बन्ध में समय-समय पर इससे सम्बन्धित समाचार, राज्य के प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित होते रहे हैं एवं अनेक माननीय सदस्यों ने भी इस विषय को गम्भीरता से उठाया है। इसके बावजूद भी स्थिति में किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ है।

अत: मैं इस गम्भीर विषय की ओर माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने कितने बच्चों पर एक कम्प्यूटर उपलब्ध करवाने का मापदण्ड निर्धारित कर रखा है और क्या सरकार इसे कम्प्यूटर शिक्षा देने के लिए पर्याप्त मानती है ? साथ ही यह भी अवगत कराएं कि वर्तमान में कम्प्यूटर शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु कितने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किन-किन एजेन्सियों से अनुबन्ध किया गया है तथा कम्प्यूटर शिक्षा में अनियमितताओं की जांच के लिए गठित समिति की जांच रिपोर्ट की प्रति मय अनुबन्धित एजेन्सियों की सूची सदन की मेज पर रखी जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान।

ˈ997 में शास्त्रीनगर, जयपुर स्थित कब्रिस्तान पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने एवं रोकने के लिए हुए प्रदर्शन के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि वर्ष 1997 में शास्त्रीनगर, जयपुर में स्थित कब्रिस्तान पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने एवं हटाने के लिए स्थानीय नागरिकों ने राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन से अनेक बार निवेदन करने के उपरान्त भी जब कोई कार्यवाही नहीं की गई तो स्थानीय लोगों ने कब्रिस्तान बचाओ कमेटी के नेतृत्व में एक शान्तिप्रिय प्रदर्शन किया। उन शांन्तिप्रिय प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई जिससे 6 लोग शहीद हो गए एवं काफी संख्या में लोग घायल हुए।

(श्री जुबेर खान)

लोगों की मांग पर तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा घटना की जांच के लिए आर.पी. सक्सेना की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित किया गया, जिसने 19 अक्टूबर, 2001 को अपनी जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी। मेरी इस सदन के माध्यम से राज्य सरकार से मांग है कि उक्त जांच रिपोर्ट को विधान सभा के पटल पर रखा जाए एवं आयोग की सिफारिशों पर क्रियान्वयन किया जाए जिससे निर्दोष लोगों की हत्या करने वालों को सजा मिल सके एवं लोगों की भावनाओं के अनुरूप उक्त कब्रिस्तान पर हो रहे अतिक्रमणों को हटाया जा सके।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर सुरेश चौधरी।

भादरा तहसील मुख्यालय पर राजकीय यूनानी औषधालय

डा. सुरेश चौधरी (भादरा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र भादरा में यूनानी औषधालय खोलने का मामला काफी समय से विचाराधीन चल रहा है। भादरा तहसील मुख्यालय पर कस्बे में कोई राजकीय यूनानी, आयुर्वेदिक व होम्योपेथिक औषधालय नहीं है तथा इसके लिए आयुर्वेद निदेशालय, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक 3056 दिनांक 5-8-1999 की पालना में जिला आयुर्वेद अधिकारी, हनुमानगढ़ ने समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर अपने पत्र क्रमांक 4299 दिनांक 18-12-1999 से अपनी अभिशंसा के साथ आयुर्वेद निदेशालय को भिजवा दी है।

अध्यक्षजी, यूनानी औषधालय के लिए जन समुदाय व अनेक सामाजिक गैर सरकारी संगठनों की मांग पर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ ने भादरा नगर पालिका क्षेत्र में वर्ष 2000 में 1.10 बीघा जमीन भी आवंटित कर दी है तथा सांसद विकास कोष से सांसद माननीय जमना देवी बारूपाल ने यूनानी औषधालय के लिए अपने पत्र क्रमांक 164 दिनांक 2-8-2001 द्वारा ढाई लाख रुपये की राशि की स्वीकृति भिजवा दी है।

माननीय अध्यक्षजी, औषधालय के भवन निर्माण के लिए कुछ अन्य

(डा. सुरेश चौधरी)

दानदाता भी तैयार हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि 35 हजार से ऊपर की आबादी के इस तहसील मुख्यालय पर यूनानी औषधालय खोलने के लिए सरकार इसकी अविलम्ब स्वीकृति प्रदान कर स्टाफ व्यवस्था प्रदान करने का कष्ट करें।

अध्यक्ष : श्री रामलाल शर्मा।

चौमूं विधान सभा क्षेत्र के कतिपय गांवों में पशु चिकित्सालय और पशु चिकित्सा उप केन्द्र

रामलाल शर्मा (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि चौमूं विधान सभा क्षेत्र के कतिपय गांवों में पशु चिकित्सक एवं पशु चिकित्सा उप केन्द्र की व्यवस्था की जाए।

महोदय, चौमूं विधान सभा क्षेत्र के अधिकांश भागों में काश्तकारों द्वारा बड़ी मात्रा में पशु पालन किया जाता है। वर्तमान समय में मेरे विधान सभा क्षेत्र से लगभग 70 हजार लीटर दूध प्रतिदिन सरस डेयरी को एवं लगभग डेढ़ लाख लीटर दूध जयपुर शहर में स्वयं काश्तकारों द्वारा सप्लाई किया जा रहा है। इस क्षेत्र में पशुओं की संख्या के अनुरूप पशु चिकित्सा की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण किसानों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि सभी ग्राम पंचायतों में 10-15 किलोमीटर की दूरी पर ही पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध्या है।

मेरा माननीय पशु पालन मंत्रीजी से निवेदन है कि ग्राम पंचायत निवाणा जिसके आसपास सिंगोद, ठिकरिया, नांगल कोजू, धोबलाई अमरपुरा ग्राम पंचायते आती हैं, इनके काशतकारों को पुश चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ग्राम निवाणा में पशु चिकित्सालय खोला जाए। इसी प्रकार ग्राम कुशलपुरा में भी पुश चिकित्सालय खोला जाए जिससे आसपास की ग्राम पंचायतों, फतेहपुरा, विजयसिंहपुरा, जाटावाली, चीथवाड़ी, मोरीजा, सामोद के काश्तकारों को पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके।

(श्री रामलाल शर्मा)

यदि ग्राम निवाणा और कुशलपुरा में पुश चिकित्सालय खोल दिए जाएं तो इससे लगभग 12 पंचायत समितियों के काश्तकारों को राहत प्राप्त होगी और पशुओं के इलाज कराने हेतु अधिक दूरी पर नहीं जाना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम सिंगोद, धोबलाई, मण्डा-भिण्डा, सांदरसर, जैतपुरा, टांकरड़ा, आसरी/मलिकपुर में भी पशु चिकित्सा हेतु उप केन्द्र खोलने चाहिए जिससे आसपास के किसानों को सुविधा मिल सके। गोविन्दगढ़ में दूध संचय केन्द्र की स्थापना करनी चाहिए जिससे स्थानीय लोगों को लाभ मिल सके और आसपास के किसानों को होने वाली कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े।

आसीन्द विधान सभा क्षेत्र में अकाल राहत कार्यों में कथित भेदभाव

श्री हंगामीलाल मेवाड़ा (आसीन्द) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में अकाल राहत कार्यों में भेदभाव होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में इस वर्ष प्रारंम्भ किये गये अकाल राहत कार्यों में मजदूरों को लगाने में भेदभाव किया जा रहा है। अनुसूचित जाति, जनजाति और बी.पी.एल. चयनित परिवारों को रोटेशन से मजदूरी पर नहीं लगाया जा रहा है। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा आसीन्द तहसील कार्यालय के बाहर 16 जून, 2004 से धरना प्रदर्शन किया जाकर विरोध दर्ज कराया गया था। धरने के बाद जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा अकाल राहत में श्रमिकों के नियोजन हेतु एक कमेटी का गठन किया था, जिसमें सरपंच, ग्राम पंचायत, उप सचिव उस क्षेत्र का पटवारी तथा पंचायत समिति सदस्यों को मनोनीत किया गया था। गठित समिति द्वारा दी गई सूची के अनुसार मजदूरों, गरीब बी.पी.एल. चयनित परिवारों, अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारों को रोटेशन के अनुसार मजदूरी पर लगाना था, किन्तु भाजपा द्वारा ऐसा नहीं कर इस तहसील में अकाल राहत कार्यों का भगवाकरण कर दिया गया।

इस बिन्दु पर मैंने एक अतारांकित विधान सभा प्रश्न की दिनांक

(श्री डूंगाराम लाल मेवाड़ा)

15-6-2004 को किया है, जिस पर इस क्षेत्र के सभी अधिकारी लीपापोती कर जवाब तैयार कर रहे हैं। फिर राज्य सरकार अकाल राहत कार्य बढाकर आसीन्द तहसील में इसका भगवाकरण करने जा रही है जो गरीब, मजदूर वर्ग के साथ उचित एवं न्याय संगत नहीं है।

मेरा इस सम्बन्ध में अकाल राहत मंत्री एवं सरकार से निवेदन है कि आसीन्द में अकाल राहत कार्यों में हो रहे भेदभाव को खतम किया जाकर निष्पक्ष रूप से मजदूरों को लगाया जाए तथा भेदभाव करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए जिससे गरीब आदमी को रोजगार प्राप्त हो सके।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

नगर विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर विधान सभा क्षेत्र जिला भरतपुर के विद्यालयों में अध्यापकों आदि के पद रिक्त होने से छात्र-छात्राओं के पलायन करने एवं हो रही असुविधा की ओर माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, नगर, राजकीय सीनियर कन्या माध्यमिक विद्यालय, नगर, राजकीय सीनियर माध्यमिक खोहरी, राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय गोपालगढ़, राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय गलपाड़ा, राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय बनोता व सीकरी, राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय धून बेरू, पालका, उड़की दल्ला, सेमली व अन्य विद्यालयों में पदस्थापन नहीं होने, स्थानान्तरण, सेवानिवृत्ति प्रतिनियुक्ति अन्यत्र हो जाने आदि के कारण से विज्ञान, गणित, अंग्रेजी सहित विभिन्न विषयों के व्याख्याताओं, वरिष्ठ अध्यापकों व अध्यापकों के काफी पद रिक्त होने तथा अध्यापक नहीं लगाये जाने के कारण विज्ञान संकाय के छात्र व विशेषकर छात्राएं पढ़ाई छोड़ने व अलवर, भरतपुर आदि स्थानों पर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। छात्रों को अध्यापकों के अभाव में हो रही असुविधा से न केवल छात्रों बल्कि अभिभावकों व आम जनता में भी भारी रोष व्याप्त है।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

अतः मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी व सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय नगर खोहरी, गुलपाड़ा, गोपालगढ़, सीकरी व मानोता तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालय उड़की दल्ला, पालका, धून बेरू, सेमली सहित नगर विधान सभा क्षेत्र जिला भरतपुर के सभी विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद तुरन्त भरकर इस पिछड़े मेवात क्षेत्र के छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कम से कम विज्ञान के अध्यापक तो लगा दें, बालिकाएं अलवर छोड़कर जा रही है, कम से कम बालिका विद्यालय में तो आप विज्ञान के अध्यापक लगाने की घोषणा आज ही करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कल ही जिला शिक्षा अधिकारी के यहां से गेस्ट फैकल्टी में सब लगाने के लिए विज्ञप्ति जारी हो गई, दो-चार दिन में सब लग जाएंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, आज पूरे राजस्थान के लोकजुम्बिश के, पैराटीचर्स, 1998 के चयनित बेरोजगार, 1998 के जिला परिषदों के टीचर्स, अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आपको मैं कहना चाहता हूं इसके लिए आप क्या कर रहे हो ? जो पहले से 4-4, 5-5 साल से लोग काम कर रहे थे और यहां विधान सभा के बाहर रोज धरना देने आते हैं इनके लिए कुछ उपाय कीजिए। जो पहले से लोग लगे हुए हैं उनको प्राथमिकता देने के बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में जवाब देते समय बता चुका कि लोक जुम्बिश के जितने भी कर्मचारी थे अपने प्रतिनियुक्ति पर थे, लोक जुम्बिश के अनुबन्ध पर थे उन सबका समायोजन कर दिया। अब जो एन.जी.ओ. के माध्यम से और एजेन्सीज के माध्यम से थे उनकी नियमानुसार विज्ञप्ति निकालनी पड़ेगी क्योंकि वो विज्ञप्ति निकालकर ही उसके द्वारा हुए थे। तो उनको विज्ञप्ति निकालकर करेंगे यह मैं उनको आश्वस्त कर चुका किसी को भी सरकार हटा नहीं रही है। तीसरी बात मैंने बेरोजगारों के लिए भी कह दिया था 1998 वाले हैं जिला स्तर की कमेटी बन गई, उसकी रिपोर्ट आ गई और

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

प्रदेश स्तर की कमेटी बन गई वो जांच कर रही है, उनके वहां के प्रतिनिधि मिल गये, कुछ विधिक मामले हैं इसलिए सरकार का रूख तो साफ-साफ स्पष्ट हो चुका।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती प्रतिभा सिंह।

पंचायत समिति नवलगढ़ के विकास अधिकारी द्वारा समिति के सदस्य को जाति सूचक गालियां

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। पंचायत समिति नवलगढ़, झुंन्झुनूं की स्थायी समिति की अनुसूचित जाति की सदस्य श्रीमती झीमा देवी को दिनांक 26-7-2004 को पंचायत समिति नवलगढ़ के विकास अधिकारी डा. दिलीप सिंह यादव व ग्राम पंचायत चेलासी के ग्राम सेवक विरेन्द्र सिंह श्रीमती झीमा देवी के घर गये और उन्हें जाति सूचक गन्दी गालियां दी तथा उन्हें डरा-धमकाकर खाली कागज पर झीमा देवी के हस्ताक्षर करवा लिए तथा झीमा देवी के पति को भी जातिसूचक गालियां दी। बाद में ग्रामवासियों की भीड़ इकट्ठी देखकर वहां से भाग गये। श्रीमती झीमा देवी के पति ने दिनांक 27-7-2004 को पुलिस थाना नवलगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराने गये तो वहां पर मौजूद सी.आई. से रिपोर्ट दर्ज करने हेतु कहा, किन्तु सी.आई. ने कहा आप ऊपर से कहलवाइए तो रिपोर्ट दर्ज करूंगा। श्रीमती झीमा देवी के पति ने कहा ऊपर से मतलब ? तो कहा आप भाजपा के किसी नेता से कहलाइये। श्रीमती झीमा देवी ने सम्पूर्ण मामले की कार्रवाई की जानकारी एस.पी. व जिलाधीश महोदय को फैक्स कर दी है।

मान्यवर, एक तरफ राज्य सरकार जन-प्रतिनिधियों के सम्मान अनुसूचित जाति के भले व महिला कल्याण की बात करती है, दूसरी तरफ आज तीन दिन बीतने पर भी इस मामले में एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि बी.डी.ओ. व सी.आई. नवलगढ़ को तुरन्त प्रभाव से बर्खास्त कर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

श्री अध्यक्ष : डा. कन्हैया लाल मीणा।

ग्राम गोनेर (जयपुर) तालाब की फेसिंग सांकले एवं चेतावनी बोर्ड लगाने

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि जिला जयपुर के ग्राम गोनेर जहां प्रसिद्ध हिन्दू तीर्थ स्थल श्री जगदीश महाराज का मन्दिर है इसी गांव में विजय हनुमान मन्दिर के पास एक तालाब अवस्थित है। इस तालाब में बारह महीने लगातार पानी भरा रहता है। अच्छी-खासी भराव क्षमता है। यहां की मिट्टी चिकनी है जिसमें दल-दल बनना स्वाभाविक है। इस तालाब में सभी आयु वर्ग के लोग डूबकर मरते रहे हैं, इनमें बच्चों की संख्या ज्यादा रहती है। पिछले 7 वर्षों के दौरान 17 मौतें इसी तालाब में डूबने से हो चुकी हैं। इसी माह 20 जुलाई, 2004 को यहां 13 वर्षीय बालक अजय रैगर डूबकर मर गया। बस्सी तहसील के रूपपुरा गांव के तीन चचेर भाई 12 वर्षीय राकेश पुत्र मूलचन्द, 10 वर्षीय राकेश पुत्र हनुमान तथा 12 वर्षीय विक्रम पुत्र नन्दाराम मीणा इसी तालाब में दिनांक 28 जुलाई, 2004 को डूबकर मर गये। इसी दिन पांच बच्चों को स्थानीय मन्दिर के एक पुजारी जी ने ग्रामीणों के साथ रस्से की सहायता से डूबने से बचाकर जीवनदान दिया। यह तालाब लगातार मौत का घाट बनता जा रहा है। गोनेर में श्री जगदीश महाराज का प्रति छमाही पर विशाल मेला लगता है, एकादशी एवं रविवार को यहां असंख्य श्रद्धालु दर्शनार्थ जिला जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, टौंक व अन्य जिलों से यहां पहुंचते हैं। तालाब की पाल पर ही मेले की अधिकांश भीड़ रहती है, दुकानें लगती हैं। यहां आये दिन गोठ-सवामीणी भी होती रहती है। यहां आने वाले सभी आयु वर्ग के लोग तालाब में नहाने का मौका नहीं छोड़ते। इनमें से अधिकांश लोग तालाब की गहराई, चिकने दलदल से वाकिफ नहीं होते और डूबकर मर जाते हैं।

अतः विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये मांग करता हूं कि इस तालाब की फेंसिंग की जाए, यहां गार्ड लगाये जाएं, नहाने वालों के लिए सांकले (लोहे की जंजीरें) लगाई जाएं, चेतावनी के जगह-जगह बोर्ड लगाये जाएं, तालाब की पिसलनी पालों पर पक्की दीवार का निर्माण किया जाए तथा उक्त मृतक छात्रों के परिजनों को अधिकतम आर्थिक सहायता मुहैया करायी ज़ाए।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल पूनिया।

श्री कन्हैया लाल मीणा : यह तीनों बालक जिस परिवार से डेथ हुई वह परिवार अत्यन्त गरीब परिवारों में है।

श्री अध्यक्ष : अब तो 295 को कम्पलीट कर दिया आपने, अब क्यों बोल रहे हैं आप ? (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा.....

श्री अध्यक्ष : आपके अलावा और भी हैं। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल मीणा : शीघ्रातिशीघ्र इस कार्य का निर्माण नहीं कराया गया तो आये दिन और भी ऐसी मौते हो सकती हैं इसमें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठें-बैठें।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : आपको 60 लाख रुपये मिलते हैं, वह किस काम के लिए मिलते हैं, आप उसमें जंजीर नहीं लगवा सकते।

श्री अध्यक्ष : हां, यह बात तो ठीक है, आपकी कांस्टीट्यूएंसी में लोग मरते हैं और आप...

श्री कन्हैया लाल मीणा : नहीं, मेरी कांस्टीट्यूएंसी नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह तालाब तो मेरी कांस्टीट्यूएंसी में है, मरे इनके आदमी हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : तो आप कर दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप कराइये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं कराता हूं इसकी व्यवस्था।

श्री कन्हैया लाल मीणा : वहां पर एक सिपाही की भी व्यवस्था कराई जाए (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दोनों मिलकर करा दें।

श्री कन्हैया लाल मीणा : वहां पर जब तक एक सिपाही की व्यवस्था नहीं कराई जाएगी, आने वाले नहीं मानेंगे और वह तो आये दिन नये आदमी आते हैं। हर दिन तो नये आदमी आते हैं इसके अन्दर छलांग लगाते हैं, नीचे कीचड़ भरा हुआ है जिसमें पैर रूक जाते हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आपने अध्यक्ष महोदय, इन्तजाम करवा दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल पूनिया।

राजगढ़ नगरपालिका (चूरू) द्वारा दुकानदारों को बेदखल करने

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के कार्य के संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत राजगढ़ (चूरू) में गरीब व छोटे दुकानदारों को नगरपालिकाओं द्वारा बेदखल कर दिया बाबत।

महोदय, राजगढ़ (चूरू) में इस अड्डे के पास एवं बिजली बोर्ड की दीवार के साथ कचहरी के आगे करीब 100 गरीब दुकानदार चाय, पानी की दुकान लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। उपरोक्त दुकानें नेशनल हाईवे संख्या 65 की सीमा के बाहर थी।

महोदयजी, दिनांक 27-7-2004 को नगरपालिका राजगढ़ ने अपने साधनों से बलपूर्वक सारे दुकानदारों को बेदखल कर दिया एवं उनका सारा सामान तोड़ फोड़ दिया जिससे उन गरीब दुकानदारों के सामने रोजी-रोटी का सवाल खड़ा हो गया है। उनके परिवारों को भूखे मरने की नोबत आ गई है।

महोदयजी, उक्त जमीन नगरपालिका की जमीन भी नहीं है फिर भी नगरपालिका ने उनको बेदखल कर दिया है तथा दुकानदारों के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया।

अतः मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि उक्त गरीब दुकानदारों को पुनः वहीं पर स्थापित किया जाए या उनको अन्य कहीं पर स्थापित किया जाए ताकि वे गरीब आदमी अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। अन्यथा उनके परिवार के सामने भूख से मरने की भी नोबत आ सकती है।

राज्य सरकार इसे गम्भीरता से लेते हुए नगरपालिका द्वारा अपनी

(श्री नन्दलाल पूनिया)

जमीन न होते हुए भी उनको बेदखल करने पर नगरपालिका के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश त्रिवेदी। आपने भी कई हजार वर्डस लिख दिये हैं, भविष्य में ध्यान रखें।

गंगापुर एवं गुलाबपुरा की सहकारी क्षेत्र की स्पिनफैड इकाइयों के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत सहकारी क्षेत्र की स्पिनफैड की गंगापुर एवं गुलाबपुरा इकाईयों के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख।

महोदय, मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि गुलाबपुरा इकाई जो पिछले 25 वर्षों से निरन्तर चल रही थी, यह अभी हाल में 12 जुलाई से बन्द हो चुकी है एवं उनके कर्मचारियों को अभी तक वेतन भी नहीं मिला है इसकी वजह से जुलाई माह में बच्चों के स्कूल में प्रवेश, किताबों आदि की खरीद में भी लाचारी अनुभव कर रहे हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र सहाड़ा में गंगापुर स्थित स्पिनफैड की धागा मिल भी काफी आर्थिक तंगी से गुजर रही है एवं माह जुलाई, 2004 का बिजली का बिल जो कि 8 लाख रुपये का होता है, का भुगतान नहीं किये जाने के कारण बिजली कट जाएगी एवं यह मिल भी बन्द हो जाएगी एवं 1200 कर्मचारियों का भविष्य अधर में लटक जाएगा एवं इस भंयकर अकाल के समय में उन्हें भी काफी पुराने होने के कारण इनकी औसत आयु 40-50 वर्ष के मध्य है एवं इस आयु में इन पर महत्वपूर्ण सामाजिक जिम्मेदारियां हैं। इन इकाईयों के बन्द होने से इन क्षेत्रों में औद्योगिक अशान्ति उत्पन्न होने की सम्भावना है जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था को नियन्त्रित करने में प्रशासन को नियमित रूप से काफी समस्या का सामना करना पड़ेगा। टफ योजना की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार के वित्त विभाग की शर्तों के अनुसार दोनों इकाईयों के स्टाफ एवं श्रमिक यूनियन से इनके योगदान हेतु एक एम.ओ.यू. भी हस्ताक्षरित करवा लिया गया है जिसके तहत इन

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

कर्मचारियों/श्रमिकों द्वारा अगले 5 वर्षों तक मूल वेतन में वृद्धि, पदोन्नति, वेतनमानों में संशोधन एवं अन्य परिलाभ यथा वर्दी इत्यादि नहीं लेने पर सहमति हो गई है। इन 5 वर्ष की अवधि में श्रमिकों द्वारा औद्योगिक शान्ति बनाये रखने एवं अन्य कोई नई आर्थिक मांग नहीं रखने की सहमति दे दी गई है। उल्लेखनीय है कि इन इकाइयों में राज्य सरकार की हिस्सा पूंजी मात्र 19.96 करोड़ रूपये विनियोजित है जबकि अब तक 181 करोड़ रूपये विभिनन करों के रूप में राजकीय कोष में भुगतान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 1.77 करोड़ रूपये लाभांश के रूप में राज्य सरकार को भुगतान किया जा चुका है।

उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इन इकाईयों को टफ परियोजना के अन्तर्गत ऋण उपलब्ध कराने से राज्य सरकार पर 5.43 करोड़ की हिस्सा पूंजी के अतिरिक्त कोई वित्तीय भार नहीं आएगा जबकि इन इकाईयों को चलाने से 4000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं हजारों व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार कायम रखने के साथ ही राज्य सरकार द्वारा इन परियोजनाओं में विनियोजित की जाने वाली 5.43 करोड़ रूपये की हिस्सा राशि को भी संस्था द्वारा 1 वर्ष की अवधि में ही विभिन्न करों के रूप में सरकार को पुनः भुगतान कर दिया जाएगा।

हालांकि राज्य सरकार की सकारात्मक सोच के कारण माननीय सहकारिता मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 22-7-2004 को विधान सभा में यह आश्वासन दिया जा चुका है कि स्पिनफैड इकाईयों को बन्द नहीं होने दिया जाएगा एवं माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 17-7-2004 को अपनी भीलवाड़ा दौरे के दौरान गुलाबपुरा इकाई विजिट में भी यह आश्वासन दिया गया है कि इन इकाइयों को चलाये जाने हेतु कार्यशील पूंजी 6 करोड़ रूपये एवं इस योजना के तहत ऋण भी शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा। अतः राज्य सरकार द्वारा विधान सभा एवं गुलाबपुरा विजिट के दौरान दिये गये आश्वासन की क्रियान्विति शीघ्रातिशीघ्र कराने का कष्ट करें।

इसके तहत इन इकाइयों को टफ की क्रियान्वयन अवधि तक चलाने हेतु प्रथम चरण में 6 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता तुरन्त ही उपलब्ध

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

कराई जाकर टफ परियोजना पर स्वीकृति भी शीघ्रातिशीघ्र जारी कराने का कष्ट करावें ताकि इन क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक विकास निर्बाध रूप से जारी रह सके। इन इकाईयों के बन्द होने की स्थिति में 42 करोड़ रूपये का आर्थिक भार श्रमिकों/कर्मचारियों को छंटनी/समायोजन/स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति व अन्य दायित्वों का भार वहन करना होगा।

अन्त में, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के गांव गंगापुर जो कि ग्वालियर रियासत जो कि माननीय मुख्य मंत्रीजी की रियासत का हिस्सा था।

श्री अध्यक्ष : ग्वालियर का हिस्सा था ?

श्री कैलाश त्रिवेदी : हां, ग्वालियर रियासत का ही था। अतः मुख्य मंत्री जी इस ओर विशेष ध्यान देकर अधिकारियों को निर्देश जारी करें कि इसे अविलम्ब स्वीकृति प्रदान की जाए।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। पर्ची पर, श्रीमती सूर्य कांता व्यास 4 मिनट के लिए बोलेंगी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, ऐसे मत करो, थोड़ा दो मिनट मेरे लिए एक कंसेशन दे दिया करो।

श्री अध्यक्ष : नहीं, सभी के लिए है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बात कहना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष : आपके लिए ही नहीं है, सब के लिए है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : और अध्यक्ष महोदय, यहां मंत्री भी नहीं है, मेरी बात भी कौन सुनेगा। आप पहले मंत्री को बुलवाइएगा।

श्री अध्यक्ष : हां, यह बात भी ठीक है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, हम लोग बैठे हैं, हम लोग बैठें है।

श्री अध्यक्ष : तो मंत्री नहीं है, फिर क्या करोगी बोल कर ?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, जिससे सम्बन्धित बात है वह तो होगा न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहूंगा कि इनका एक एक शब्द हम लिखेंगे और एक एक शब्द पर विचार करेंगे और जहां तक मंत्रीजी को जो कुछ कहने का है, हाथों हाथ ही पहुंचा देंगे बात, आप तो बोलो।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जोधपुर पुराना स्टेडियम व पवेलियन का नामकरण व उसकी देखभाल

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से जोधपुर शहर के अन्दर दो बड़े स्टेडियम हैं जहां कि खिलाड़ी खेलते हैं। एक का नाम है बरकतुल्ला खान स्टेडियम, दूसरे का खाली स्टेडियम ही नाम रखा हुआ है। मैं उनके रखरखाव के बारे में जानकारी करना चाहूंगी कि काफी कुछ घास वगैरह उगी हुई है, उनकी व्यवस्था अच्छे ढंग से की जाए। दूसरी बात मेरा यह भी आपके माध्यम से मंत्रीजी से और राज्य सरकार से......

श्री अध्यक्ष : आपके मंत्रीजी आ गये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : आ गये, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जोधपुर के पुराने स्टेडियनम के नामकरण के बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहती हूं। जोधपुर के विकास में महाराजा उम्मेद सिंहजी के योगदान से शहर की जनता अच्छी तरह से परिचित है। मारवाड़ रियासत के पूर्व शासक एवं भारतीय सेना के पूर्व जनरल महाराजा उम्मेद सिंहजी आधुनिक मारवाड़ के जनक के रूप में जाने जाते रहे हैं। उनके शासनकाल में जोधपुर शहर के आज के दो सबसे बड़े अस्पताल महात्मा गांधी अस्पताल एवं उम्मेद अस्पताल का निर्माण हुआ। ऐसे तो कई डिस्पेंसरीज बनाई, कई हास्पिटल बनाये लेकिन मुख्य रूप से ये दो हास्पिटल बनाये गये। हाईकोर्ट की मुख्य पीठ एवं शहर के सबसे बड़े पब्लिक पार्क का निर्माण भी उनके शासनकाल में ही हुआ। शहर की

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

पेयजल समस्या को समझते हुए प्राचीन जल स्रोत तालाब एवं बावडियों का निर्माण हुआ वहीं जवांई नदी पर बांध का निर्माण भी उन्होंने ही करवाया। मारवाड़ की जनता के उनके द्वारा करवाये गये कल्याण के कार्यों की महत्ता को स्वीकार करते हुए वर्ष 2003 में उनकी जन्म शताब्दी मनाई। शहरवासियों की हार्दिक इच्छा है कि उनके द्वारा कराये गये जन कल्याण के कार्यों की महत्ता को स्वीकार करते हुए सरकार जोधपुर शहर के पुराने स्टेडियम का नामकरण महाराजा उम्मेद सिंह स्टेडियम करने की स्वीकृति प्रदान करावें।

इसके साथ ही, मेरा यह भी निवेदन है कि इस स्टेडियम ने जोधपुर के फुटबाल के खिलाड़ी को पहचान दी और देश के कई राष्ट्रीय स्तर के फुटबाल खिलाड़ी दिये। इनमें भी स्वर्गीय श्री शिवदत्त बोड़ा जबरू अग्रणी खिलाड़ी रहे। जबरू अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी थे जिनकी प्रतिभा का लोहा 50 के दशक में पूरे देश में माना गया है। उनकी प्रतिभा का सम्मान राष्ट्रीय स्तर के क्लब मोहन बागान एवं ईस्ट बंगाल ने किया। ऐसे खिलाड़ी का सम्मान कर गौरव बढ़ाने हेतु मेरा प्रस्ताव है कि इस पुराने स्टेडियम के पेवेलियन का नामकरण शिवदत्त बोड़ा जबरू पेवेलियन करने की राज्य सरकार स्वीकृति प्रदान करें। मुझे इस बात के ऊपर भी गर्व है कि जोधपुर का अगर नाम, माननीय मंत्री महोदय, अगर जोधपुर स्टेडियम का नाम महाराजा उम्मेद सिंहजी के नाम से कर दिया जाए तो मैं समझती हूं कि जोधपुर के लिए इससे बड़ी और कोई बात नहीं होगी। मुझे विश्वास है कि इस सदन के अन्य सदस्य भी मेरे इस प्रस्ताव का समर्थन कर राज्य सरकार से उपरोक्त निर्णय लेने का आग्रह करेंगे।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगी कि मंत्री महोदय इसके बारे में कुछ अपनी बात कहें और स्वीकृति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष : पर्ची का जवाब मंत्रीजी नहीं दिया करते हैं। पर्ची का जवाब देते नहीं है। आपकी बात पर गौर करेंगे वो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मंत्रीजी से कुछ तो कहलाओ आप, यह

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

जोधपुर का सवाल है और हमने महाराज की जन्म शताब्दी के अन्दर तय किया है कि हम इस स्टेडियम का नाम.....(व्यवधान) अगर मंत्री महोदय...... (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम भी समर्थन करते हैं इसका।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, सारे समर्थन कर रहे हैं इसका। क्यों नहीं ये चाहेंगे, क्यों नहीं उठकर के ये बोलना चाहते, यह जोधपुर का सवाल है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम समर्थन करते हैं इस बात का। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : ......उनके परिवार ने यह बनाया है। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह : हम इस बात का समर्थन करते हैं और मंत्री महोदय पर दबाव देते हैं कि इस स्टेडियम का नाम चेन्ज किया जाए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : नहीं, आप मंत्री महोदय से इसका जवाब दिलवाइये। अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, किया जाए, हम तो इस पक्ष में है। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : अध्यक्ष महोदय, पूरा सदन इसके पक्ष में है।

श्री अध्यक्ष : पर्ची पर बोलते समय मंत्री जवाब नहीं दिया करते हैं माननीय सदस्या। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : अध्यक्ष महोदय, पूरा सदन इसके पक्ष में है मंत्री महोदय, इसका जवाब दें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : सब की सदन की सहमति है।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : उन्हीं के परिवार के द्वारा बनाया गया स्टेडियम भी है। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : जवाब दिलवाइये इसमें क्या बात हो गई।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : मंत्री महोदय, आप तो घोषणा कर दें।

श्री अध्यक्ष : श्री राव राजेन्द्र सिंह।

श्री खुशवीर सिंह : मंत्री महोदय, घोषणा कर दें आप तो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : महाराजा उम्मेद सिंहजी के नाम से कर दें। मैं बैठूंगी नहीं जब तक। यह कोई बात नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने पर्ची के माध्यम से अपनी बात कह दी, पर्ची के माध्यम से बात कह दी, अब क्या चाहिए ? (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं बैठूंगी नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यहां खड़ी रहूंगी, आप जवाब नहीं दिलायेंगे। यह कोई बात हुई क्या ? इसमें क्या बुरी बात हो गई। यह तो हम चाहते तो ऐसे ही लिखा देते मगर हमारे जोधपुर के महाराजा गजसिंह जी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा ऐसे नहीं हो, मैं मंत्री महोदय से जवाब चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष : यह विधान सभा कुछ नियमों से चलती है, जिद्द नहीं किया करते। यह नियमों से चलती है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : नियमों की क्या बात हुई ? नियम क्या होते हैं ? नियम और कानून फिट करते हैं वहीं हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जवाब चाहूंगी। पूरा सदन इसका समर्थन कर रहा है फिर क्या बात हो गई। (व्यवधान) इसमें कोई बुरी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बोलिये-बोलिये। क्या बोलेंगे आप। बोलिये। क्या कहते हैं आप। अब आप स्थान ग्रहण करें।

श्री युनूस (खेल मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूरे सदन की भावना का आदर करते हुए और तत्कालीन महाराजा उम्मेद सिंहजी का मारवाड़ में जो योगदान रहा उसको ध्यान में रखते हुए जो पुराना

(श्री यूनूस खान)

स्टेडियम कहलाता है उसका नाम पुराना स्टेडियम है। 2001 से 2004 तक आवासन मण्डल के उसको तैयार करवाया 65 लाख रूपये लगाकर के और उसका रख-रखाव किया। वर्तमान में आवासन मण्डल ने उसकी मेन्टीनेन्स करने के लिए अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी है तो हमारे पास पत्र आया था, मैंने जिला कलक्टर, जोधपुर को लिखा है कि इसका टाइटल क्या है और जमीन वगैरह किसकी है और वर्तमान में कौन रख-रखाव कर रहा है। ये सारे तथ्य आ जाएंगे तो सदन की भावना का ध्यान रखते हुए और तत्कालीन महाराजा उम्मेदसिंह जी के जोधपुर में योगदान को ध्यान में रखते हुए और हमारी सम्माननीय सदस्या जोधपुर से हैं जिनको लोग "जीजी" कहते हैं उनकी भावना की कद्र करते हुए निश्चित रूप से इनकी भावना के अनुरूप काम करने का प्रयास करेंगे और मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद में उसका नामकरण कर दिया जाएगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री राव राजेन्द्र सिंह।

रलावता ग्राम तहसील दांतारामगढ़ में असामाजिक तत्वों द्वारा खण्डित राव शेखाजी की मूर्ति की पुनर्स्थापना

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जनवरी, 2003 को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तहसील दांतारामगढ़ के ग्राम रलावता जहां कि शेखावत वंश के पितामह और राजस्थान के इतिहास के युगपुरूष महाराज शेखाजी की मूर्ति लगी हुई थी, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा खण्डित कर दी गई। आज एक साल और नौ महीने का समय गुजर चुका है, तत्कालीन सरकार के प्रयासों से जो असामाजिक तत्व थे वे गिरफ्तार भी हुए और उनको जो भी कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए थी शायद उनको सजा मिल भी गई।

श्री अध्यक्ष : सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यगण, आपको कई बार यह बात कह दी गई है कि बोलने वाले वक्ता और अध्यक्ष के बीच से आप न आयें। थोड़ा ध्यान रखा करें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : लेकिन आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उस

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

खण्डित मूर्ति को पुनः स्थापित करने के बारे में न तो उस वक्त की सरकार ने ध्यान दिया और न ही आज 7 महीने हो गये हैं, वर्तमान सरकार को स्थापित हुए, इन्होंने कोई ध्यान दिया। मैं यह बात बताना इसलिए जरूरी समझात हूं कि जिस वक्त यह असामाजिक तत्वों द्वारा खण्डित हुई, सम्पूर्ण सीकर जिले में भारी आक्रोश था, जयपुर तक आक्रोश रहा, बाजार बन्द रहे, सड़कों पर आन्दोलन हुए और तत्कालीन सरकार ने इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाया कि सरकार अपने स्तर पर नई मूर्ति वहां पुनःस्थापित करेगी। राजपूत सभा भवन, जयपुर सीकर महाराज शेखा समिति और बाकी समाज के लोगों ने भी जाकर तत्कालीन राज्यपाल और मुख्य मंत्री से भेंट करी और कई अखबारों में यह बात अंकित है कि तत्कालीन मुख्य मंत्री ने और राज्यपाल दोनों ने इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाया कि सरकार अपने स्तर पर इस कार्य को करेगी।

अध्यक्ष महोदय, यह बात भी मैं बताना जरूरी समझता हूं कि जितने भी हमारे महापुरूष हुए हैं, चाहे हमारे बड़े नेता हों, हमारे युगपुरूष हों, जब उनकी मूर्ति का लोकार्पण हो जाता है, अनावरण हो जाता है तो सरकार का यह दायित्व बनता है कि उनका रख-रखाव करें। और कोई ऐसे असामाजिक तत्व उनके छेड़छाड़ न करें। यह बात भी सही है कि मनुष्य अपनी जिन्दगी में वो सारे कर्म इसलिए करता है कि जिस वक्त वह इस संसार में नहीं हो तो उसके अच्छे कृत्यों को याद करके लोग-बाग आदर्श के रूप में उसके चरित्र को स्वीकार करें और मुझे गर्व है कि राजस्थारन के जिस बड़े भू-भाग को शेखावाटी के नाम से जाना जाता है, आज इस देश के उप राष्ट्रपति भी उस वंश से, उस परिवार से है। मैं यह बताना भी उचित समझता हूं कि जिस वक्त में मूर्ति का अनावरण हुआ, उस वक्त यह व्यक्ति, राजस्थान का उस वक्त का वर्तमान मुख्य मंत्री था और एक मुख्य मंत्री के हाथों जिस मूर्ति का अनावरण हुआ हो और आज एक राष्ट्र का उपराष्ट्रपति जिसने अपने मुख्यमंत्री काल के अन्दर उसका अनावरण किया हो, आज भी डेढ़ साल के बाद में वह मूर्ति जिस हालत में थी, उस हालत में पड़ी हुई है। यह किसी भी सरकार की संवेदनशीलता पर प्रश्नचिन्ह लगाती है। आन्दोलन जब होते हैं, जब जनता सड़कों पर आती है तब तत्काल आश्वासन दे दिये जाते हैं लेकिन अध्यक्ष

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

महोदय, यह बात मैं कहना जरूरी समझता हूं, सरकार की बात चाहे लिखी हुई या अनलिखी हो, सरकार की बात पर लोग-बाग विश्वास करते हैं। यह उस सरकार की भी बात है और वर्तमान की सरकार की भी बात है क्योंकि कई ऐसे कई व्यक्ति जो उस समय विपक्ष में थे, आज इस सरकार में मंत्री के पद पर आसीन हैं। उस समय भी यह बात ये कह रहे थे, हम उनसे भी यह उम्मीद करते हैं, उस सरकार ने चाहे किया हो या नहीं किया हो लेकिन जो आश्वासन उस सरकार ने दिया था, आज आपके पास में सरकार है, आपके पास में कलम है, आपके पास में कानून है। हम चाहते हैं कि उस मूर्ति की पुनर्स्थापना वहां पर हो जिससे कम से कम इस देश और यहां के जो युग पुरूष हुए हैं और यहां की जो जनता है, इस बात पर विश्वास कर सके कि युग पुरूष की मूर्ति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और सरकार उनकी रक्षा के लिए दृढंसकल्पित है। एक संवेदनशील विषय है और अध्यक्ष महोदय, यह बताना भी मैं जरूरी समझता हूं, सौभाग्य से मैं भी उसी शाखा का एक व्यक्ति हूं, हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है सरकार को और आपके माध्यम से यह बात वहां पहुंचाना चाहता हूं कि उस युग पुरूष के जिसके नाम से अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर आज की तारीख में देश-विदेश के पर्यटकों को लुभाया जाता है। उस व्यक्ति का चरित्र ऐसा रहा, मेरे ख्याल से राजस्थान में किसी इतिहास के अन्दर ऐसा पुरूष नहीं रहा हो। आज जिस धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, अपने जीवनकाल के अन्दर हिन्दु-मुस्लिम एकता का जो प्रतीक रहा हो, ऐसे चरित्रवान व्यक्ति की और युग पुरूष की मूर्ति के साथ में अगर कोई इस ढंग से छेड़छाड़ हो जाये और उसके बाद भी सरकार आंख मूंदकर बैठी रहे, यह जनता कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी और जहां वह मूर्ति लगी है अगर उस इतिहास को कोई कुरेदकर देखें तो यह बात भी मैं कहना जरूरी समझता हूं कि आखिरी लड़ाई में जहां उसने वीरगति प्राप्त की, किसी सीमा की लड़ाई नहीं थी, किसी धन-सम्पदा की लड़ाई नहीं थी, एक नारी के स्वाभिमान की रक्षा करते हुए उस व्यक्ति ने अपनी जिन्दगी को न्यौछावर कर दिया। जो नारी सम्मान की बात करते हैं, नारी के योगदान की बात करते हैं, नारी के कल्याण की बात करते हैं और एक युग पुरूष जो 700 साल पहले पैदा हुआ था, जिसने अपनी जिन्दगी में यह सारा कुछ किया। यह सरकार चाहे आज की

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

हो या चाहे बीते हुए कल की हो, अगर दोनों आंख मूंदकर बैठ जाये तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। हाथ जोड़कर निवेदन है कि संवेदनशील होकर आपके माध्यम से इस सरकार के कानों तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र बेनीवाल। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं इसका।

श्री अध्यक्ष : कौन दे रहे हैं जवाब ? (व्यवधान) आप दे रहे हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, जिस समय मूर्ति का अनावरण हुआ था, सम्माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब ने किया था, मैं भी उस अनावरण समारोह में वहां था। मूर्ति को कुछ असामाजिक तत्वों ने खण्डित की थी, उनको तो गिरफ्तार कर लिया था उस समय सरकार ने और जो मूर्ति खण्डित हुई थी, उस समय तत्कालीन सरकार भी तथा आज के वर्तमान मुख्य मंत्री आदरणीय श्रीमती वसुन्धरा राजे भी उस स्थान पर जाकर आई थीं और मूर्ति की पुनर्स्थापना करने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। यह सरकार निश्चित रूप से सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मूर्ति की पुनर्स्थापना करने में जो भी अपना योगदान होगा, निश्चित रूप से करेगी, इसमें आपत्ति की बात नहीं है। (व्यवधान) हां, लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।

शिक्षा सहयोगियों की तीन माह से मानदेय न मिलने के सम्बन्ध में

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षण अव्यवस्था की बात बार-बार सामने आती है। इस पर अनेकों बार पक्ष और विपक्ष ने अपना-अपना दृष्टिकोण भी रखा है। माननीय मंत्री महोदय द्वारा इस हेतु पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना करते हुए शिक्षा विभाग द्वारा गांव से गांव में, शिक्षण व्यवस्था हेतु अध्यापकों को लगाया गया और लगाया जा रहा है। इसी के साथ-साथ आदेश में और संशोधन करते हुए शिक्षण व्यवस्था को सुचारू करने के लिए शहर में अधिशेष अध्यापकों को ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया जायेगा, ऐसा भी निर्देश जारी किया गया है। यदि वहां पर स्थानीय ट्रेंड टीचर अगर हमें मिल जाता है तो उसको अतिथि शिक्षक के रूप में विद्यालय में लगाया जायेगा और

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

(समय : 13.14 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

एक कालांश के 25 रूपये, अधिकतम एक दिवस के 75 रूपये और महीने के अधिकतम दो हजार रूपये, यह राशि उसको दी जाएगी, ऐसा दिशा-निर्देश में फरमाया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गत दिनों में अध्यापकों की कमी को देखते हुए अनेकों स्तर पर आन्दोलन हुए। आन्दोलनों के परिणामस्वरूप वैकल्पिक व्यवस्था के नाम पर अध्यापक लगाये भी गये, जिसके लिए मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, जहां अध्यापक लगाये गये, उनको स्थानीय उन विद्यालयों से स्थानान्तरित किया गया जिन विद्यालयों में शिक्षण कार्य अन्य विद्यालयों की तुलना में सुचारू रूप से चल रहा था। जहां एक ओर शिक्षण व्यवस्था में सुधार के नाम पर अध्यापक लगाये गये, वहीं दूसरी ओर शैक्षणिक अव्यवस्था उनका स्थानान्तरण करने से हो गई है।

मान्यवर महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान हालात विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में शैक्षणिक दृष्टि से ठीक नहीं है। शिक्षकों की वहां पर कमी है चाहे प्राथमिक विद्यालयों की बात करें, चाहे हम उच्च प्राथमिक विद्यालयों की बात करें चाहे हम द्वितीय श्रेणी के प्रधानायध्यापकों की बात करें। प्रधानाध्यापकों में पंचायत समिति लूणकरणसर के क्षेत्र के विद्यालयों में जो द्वितीय श्रेणी के प्रधानाध्यापक हैं, उनमें 64 की जगह महज वहां पर जो अध्यापक कार्यरत हैं, वह 27 ही कार्य कर रहे हैं। इसी तरह से तृतीय श्रेणी के अध्यापक हैं, वह 436 की जगह महज 232 ही कार्य कर रहे हैं। यही हाल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का है। मैं कम शब्दों में यह निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान सोच के आधार पर आज हम बात करते हैं कि अतिथि शिक्षक लगाया जायेगा और गांव से गांव में या शहर में शिक्षकों को स्थानान्तरित किया जायेगा।

मान्यवर महोदय, ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर दूरस्थ विद्यालयों में अतिथि शिक्षक ट्रेंड टीचर का मिलना असम्भव है, दूसरी ओर यदि शहरी क्षेत्र में और

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

कस्बों में कहीं ट्रेंड टीचर हैं भी तो आज जो बेरोजगार हैं तो ऐसे ट्रेंड टीचर आगामी 12 सितम्बर को आर.पी.एस.सी. द्वारा आयोजित परीक्षा में तैयारी में जुटे हुए हैं। ऐसे में आपके द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना करते हुए भी शिक्षा विभाग विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को नहीं सुधार पायेगा, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं और यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपके निर्देशों के अन्दर अगर कुछ और शिथिलता दी जाये और वे बेरोजगार नवयुवक जोकि उन दूरस्थ विद्यालयों के आसपास के गांवों में रह रहे हैं, जोकि ट्रेंड भी नहीं हैं और सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी तक स्तर के हैं, उनको अगर संविदा के आधार पर वैकल्पिक व्यवस्था के आधार पर इस कार्य के लिए लगाया जाये तो ज्यादा बेहतर कदम होगा, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं इसी के साथ-साथ, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर की पंचायत समिति लूणकरणसर में जो पैराटीचर्स हैं, उन पैराटीचर्स में से अनेक पैराटीचर्स को माह अप्रैल से मानदेय नहीं मिला है और माह मई और जून का तो एक भी पैराटीचर को मानदेय नहीं मिला।

इसके साथ साथ महात्मा गांधी पुस्तकालय के लिए प्रेरित पद पर जो वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी, उन पैराटीचर्स, उनको भी सितम्बर से लेकर फरवरी महीने तक, छह महीने का उनको मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो मानदेय दिया जाता है, इसकी कोई निश्चित तारीख नहीं होती है। आपसे यह निवेदन है कि इसकी एक निश्चित तारीख की जाये कि महीने की इतनी तारीख को आपको मानदेय निश्चित रूप से प्राप्त हो जायेगा जिससे उनके अन्दर भी असमन्जस की स्थिति न हो। साथ ही साथ मेरा यह भी निवेदन है माननीय मंत्री महोदय से, चूंकि विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर बहुत बड़ा है, यहां के विद्यालयों की जो स्थिति है, दूरस्थ विद्यालय हैं, उनके अन्दर शिक्षण व्यवस्था कभी भी सुचारू नहीं हो पाती है क्योंकि वह कस्बे से, सड़क से इतनी दूर है कि वहां पर शिक्षकों का टिक पाना बड़ा मुश्किल होता है। यदि आप अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए आगामी समय में वहां पर राजकीय महाविद्यालय की शुरूआत अगर लूणकरणसर कस्बे में करें तो निश्चित रूप से वहीं के बालक ज्यादा शिक्षित

हो पायेंगे और आने वाले समय में यह जो शिक्षक अव्यवस्था है इसको दूर करने में एक बहुत बड़ा कदम आपका होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत -बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जय हिन्द।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा एक बात।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करूंगा...

श्री मोहन मेघवाल : एक मिनट, आप फिर कह देना।

श्री जीतमल खांट : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा करबद्ध आपसे निवेदन है...

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : मैं निवेदन करूंगा, एक मिनट मेरी बात पूरी हों जाय...

श्री मोहन मेघवाल : आपने पूरी कर ली न, आपने धन्यवाद दे दिया।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय इस बारे में अपना कोई वक्तव्य फरमावें तो मेहबानी होगी।

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है। 14.7 को मैंने नियम 131 के तहत एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था, आज तारीख सतरह दिन हो गये हैं, बड़े खेद की बात है कि बहुत बड़ा यह मामला है और उस मामले के अन्दर आज तारीख तक मेरे को जवाब नहीं मिल पाया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप वेश्म में मिल लें, बैठें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं इस सम्बन्ध में, मैं जवाब दूंगा, इस सम्बन्ध में आप अध्यक्ष महोदय से मिलकर के जानकारी प्राप्त कर लें।

श्री मोहन मेघवाल : मैं पहले मिल लिया, इसके बाद में तीन रिमाइंडर्स भी दे दिये हैं, सतरह तारीख को दिया, संसदीय कार्य में मैं जाकर के आया हूं, बाईस को दिया है और फिर यह छब्बीस को दिया है और आज तारीख तक जवाब नहीं मिला है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इसके बारे में संसदीय कार्य मंत्रीजी से मेरा यह कुछ निर्णय करायें इसे मामले में।

श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे विद्वान मंत्रीजी को दो हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि बांसवाड़ा

(श्री जीतमल खांट)

जिला विभिन्न रूप से ट्राइबल क्षेत्र है और वहां का जितना भी ग्रामीण क्षेत्र है, वहां के विद्यालयों की हालत बड़ी दयनीय है। मैं निवेदन करूंगा कि सैकण्डरी जैसे विद्यालय में दो अध्यापकों के माध्यम से कक्षाएं चलाई जाय, यू.पी.एस. का विद्यालय तीन अध्यापकों के माध्यम से चलाया जाय, यह बहुत गम्भीर विषय है। जहां पर एक तरफ निरक्षरता के क्लंक को मिटाने के लिए राज्य सरकार ने साक्षरता के आन्दोलन के माध्यम से करोड़ों रूपये फूंक दिये.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप तो इस सम्बन्ध में कहें।

श्री जीतमल खांट : और दूसरी तरफ, मेरा निवेदन है आपके माध्यम से, बहुत ही ज्वलन्त मुद्दा है, पूरे जिले के ग्रामीण चाहे प्राथमिक विद्यालय से सीनियर सैकण्डरी तक के विद्यालयों का अध्यापकों की कमी की वजह से रिजल्ट बहुत ही हमारा गिरा हुआ रहता है और वहां के हालात बड़े खराब हैं, वह आदिवासी मां-बाप बड़ी मुश्किल से बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजते हैं। कृपा करके वहां के जिला अधिकारी को वहां पर आप थोड़ा निर्देश दें और पिछली बार भी अतिथि शिक्षक के माध्यम से यह सारा कार्यक्रम चलता रहा, हमें कोई इसका रिजल्ट नहीं मिला। करबद्ध निवेदन है कि वहां पर आप कोई व्यवस्था करावें।

श्री रामनारायण मीणा : एक लाईन में एक बात कहना चाहता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, अब जनरल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मीणा साहब, आप बीच में नहीं आयें।

श्री रामनारायण मीणा : मैं अव्यवस्था की बात कर रहा हूं और मंत्रीजी भी सुनना चाहेंगे। एक छावनी विद्यालय है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस सम्बन्ध में बहुत पहले चर्चा। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण मीणा : विद्यालय छावनी, पंचायत समिति तालेड़ा में पांच कक्षाओं के लिए एक अध्यापक लगा रखा है। मेरा अर्ज करना है कि यह प्रशासनिक जो अव्यवस्थाएं हैं, कहीं पांच कक्षाओं के लिए छह है, कहीं चार है,

(श्री रामनारायण मीणा)

इस तरह से जहां-जहां है, कृपा करके आप इमीजियेटली उनको दुरूस्त करें और उचित आदेश दें। यह जो बी.ई.ओज वगैरह जिस तरह से गलती करते हैं, दबाव के कारण करें, राजनीतिक कारण से, किसी कारण से करें, उनको ठीक करेंगे तो यह जो माननीय अभी विधायक महोदय कह रहे हैं, इन की भावना सही है, इस अव्यवस्था को ठीक करने से काफी आपकी व्यवस्था में सुधार आयेगा, बाकी अध्यापक लगेंगे तब आप लगायें, जल्दी लगायेंगे, हम यह आशा करते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जब पर्ची आई थी सुबह, तभी मैंने जानकारी मंगाई है। माननीय लूणकरणसर से आने वाले सदस्य को मैं कहना चाहूंगा, प्राथमिक विद्यालय कुल 103 हैं वहां, उनमें स्वीकृत पद 273 हैं, उनमें 228 इस समय कार्यरत हैं और 45 खाली हैं। इसी प्रकार 46 विद्यालय सिंगल टीचर विद्यालय हैं उनमें सब में एक-एक अध्यापक है, कोई खाली नहीं है। तीसरे, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 436 थर्ड ग्रेड में से 204 खाली हैं और सेकण्ड ग्रेड में 64 में से 37 खाली हैं। यह मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। गैस्ट फैकल्टी के आदेश 22-7-2004 को वहां विज्ञापित कर दिये गये हैं और 15 तारीख तक अधिकांश पदों पर भरने की प्रक्रिया का मुझे आश्वस्त किया है विभाग ने कि हम भरेंगे। नहीं भरेंगे तो आपने जो सुझाव दिया है, उसकी भी पालना करेंगे। राजीव गांधी पाठ-शालाएं कुल 91 हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, पूरे के पूरे हैं। इसी प्रकार शिक्षाकर्मी विद्यालय हैं उनमें 61 हैं, उसमें भी कोई समस्यां नहीं है, पूरे के पूरे हैं। इसी प्रकार से एक आपने जो प्रश्न उठाया है कि मानदेय, पैसा नहीं मिला है, उनके 6 लाख 67 हजार रूपये आज के सात दिन पहले ही जारी हो गये हैं, ट्रेजरी में चले गये हैं और जिनका पेमेन्ट नहीं हुआ है, उनका दो-तीन दिन में पेमेन्ट हो जायेगा। इसी प्रकार से शिक्षक भर्ती के लिए आपने कहा, 28571 की प्रक्रिया जारी हो गई है और सैकण्ड ग्रेड के रिक्त पद हैं उनमें डाइरेक्ट जो पचास प्रतिशत की भर्ती है उस पर तो हाईकोर्ट का प्रतिबन्ध है और बाकी जो डी.पी.सी. से भरे जाने वाले हैं वह डी.पी.सी. पूरी हो गई है और पांच हजार पदों को भर दिया गया है। इसलिए सेकण्ड ग्रेड के पदों को पांच हजार पदों को भर दिया गया है और थर्ड ग्रेड की बारह तारीख को राजस्थान पब्लिक सर्विस

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कमीशन ने 28571 की परीक्षा का आयोजन किया है, उनके केन्द्र तय हो गये हैं, उनकी बात तय हो गई है, सब जगह, मैं मान रहा हूं, साफ ही कह रहा हूं कि पद खाली हैं और पद खाली हैं तो उसके भरने की प्रक्रिया निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा कि राजस्थान भर में 15 अगस्त तक और 15 अगस्त तक कुछ स्थान बच जाते हैं तो 30 अगस्त तक राजस्थान में सभी जगह किसी न किसी माध्यम से सारे पदों को भरकर, गेस्ट फेकल्टी के माध्यम से, अन्य फेकल्टी से जब तक नये सलेक्ट होकर नहीं आते हैं, अध्ययन की प्रक्रिया को ठीक से जारी रखूं, इसकी मैं पूरी निष्ठा के साथ पूरी कोशिश करूंगा, मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज राजस्थान में सूखे की स्थिति पर विचार करने के लिए.....

डा. बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट, उपाध्यक्ष महोदय, जरूरी सूचना देना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पहले मेरी बात सुनिये।

एक माननीय सदस्य : इनकी पर्ची है साहब।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा, हां, दुर्गाप्रसादजी, कहिये।

परिवहन विभाग में फैल रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह कहा था कि एक हद तक राज्य में से इन्सपेक्टर राज को खतम किया जायेगा। मेरा निवेदन है कि इन्सपेक्टर राज खतम नहीं हो रहा है, यह तो दिन-प्रतिदिन, दिन दूना-रात चौगुना बढ़ता जा रहा है और विशेष तौर से परिवहन विभाग में यह ज्यादा फैल गया। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले एक टोकन व्यवस्था थी, गोल्डन टोकन व्यवस्था, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार कुछ निश्चित राशि वसूल करके माल ढोने वाले ट्रकों को गोल्डन परमिट देती थी। वह राशि सात हजार से लेकर सात हजार दो सौ रूपये प्रति वर्ष ट्रक वालों से वसूल की जाती थी।

(श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल)

इसके अन्तर्गत राज्य सरकार को भी राजस्व काफी मात्रा में मिल रहा था पर वर्तमान सरकार ने उस व्यवस्था को खतम कर दिया और यह व्यवस्था रखी कि इन्सपेक्टर ट्रकों को चेक करेंगे और मौके पर पैसा वसूल करेंगे। इस व्यवस्था से क्या हुआ कि इन्सपेक्टर खुले आम ट्रक ड्राईवर्स को लूटने लगे। अब आप देखेंगे कि मेन सड़कों पर, मुख्य सड़क पर हर कोने पर रात के बारह बजे भी और सवेरे पांच बजे भी यह इन्सपेक्टर अपने ताम-झाम के साथ अपने वर्दीधारी सहयोगियों के साथ ट्रकों, विशेषतौर से माल ढोने वाले ट्रकों को चेक करते हुए मिलेंगे। राजस्व के नाम पर, सरकार के नाम पर तो वह हजार, पांच सौ रूपये ही वसूल करेंगे और अपनी जेब के नाम पर दो-दो, तीन-तीन हजार रूपये वसूल करते हैं। इन्सपेक्टर राज इतना फैल गया है कि ट्रक वाले बेचारे परेशान रहते हैं, आये दिन ट्रक वाले हमें रोक कर कहते हैं साहब, इस बात को विधान सभा में भी तो रखिये कि गोल्डन टोकन व्यवस्था क्यों खतम की गई है। जब राज्य सरकार को लाखों रूपये, करोड़ों रूपये प्रतिवर्ष इससे मिलते थे, तो वह व्यवस्था खतम करना मैं सोचता हूं कि यह अनुचित बात हुई, इससे भ्रष्टाचार पनपा है और ट्रक वाले जो रात और दिन ट्रक चलाते हैं उनको बहुत परेशानी पैदा हो गई है। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनकी पेरशानी आपको चार शब्दों में कहना चाहूंगा, एक शेर के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ट्रक वाले कितने परेशान रहते हैं और फिर इसके बाद में यह इन्सपेक्टर आ जाते हैं, वह इनको परेशान करते हैं, नियम-कायदे इतने बन गये कि तेरे पास ड्रेस नहीं है, तेरी गाड़ी के सामने आधा रंग नहीं लगा हुआ है, तेरे ट्रक पर रोगन सही नहीं है, तेरी स्टेपनी में हवा नहीं है। मतलब नियम, उप नियम इतने भारी बना दिये गये हैं जिससे इन्सपेक्टर किसी भी बात पर उसका चालान कर देता है। चालान केवल इसलिए कराया जाता है कि पैसा उसे चाहिए। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है राज्य सरकार से कि आप इन्सपेक्टर राज खतम करियेगा, आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो विचार रखा है, बहुत सुन्दर विचार है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। इसके साथ-साथ में नियम-कायदे भी कमजोर होने चाहिए.....

एक माननीय सदस्य : शायरी का क्या हुआ।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : हां, शायरी सुना दूं पहले।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य, आप शेर सुना रहे हैं, शेर छोटा सुनायेंगे, बड़ा सुनायेंगे, यह तो आप जानें.....

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : चार लाइन का।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पर बासी शेर नहीं सुनाओंगे आप, उधार का मांगा हुआ शेर नहीं सुनाओंगे, ताजा सुनाओंगे।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : हां ताजा ही सुनाऊंगा। मैंने उस शेर को.....।

श्री रामनारायण मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, ये शेर सुनाये उससे पहले मैं अर्ज करूं हम आते हैं क्षेत्र से रास्ते में सामने से पैसा लेते हुए दिखते हैं तो कम से कम पर्दा तो हो।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : सरे आम लेते हैं।

श्री रामनारायण मीणा : कृपा करके आप यंग एनर्जेटिक है इस पर तो कुछ करिये। खुले आम लेते हैं डायरियों में लिखते हैं कि तूने दिया और तूने नहीं दिया.....

आपसे आशा करते हैं आप कटारिया साहब के पीछे बैठे हो इनके आदर्श के आधार पर अपना भी कुछ करें।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : मैं ड्राइवरों का जो मन का दर्द है वो इस शेर में व्यक्त कर रहा हूं "खुदा गरत करे मोटर बनाने वाले को घर से बेघर कर दिया मोटर बनाने वालों को।" वो बेचारे दिन-रात गाड़ी चलाते हैं फिर बाद में ये इन्सपेक्टर्स आ जाते हैं जो बिना कुछ काम के बिना किसी बात के उसे चैक करते हैं मैं पूछता हूं कि आप जो माल ढोने वाले ट्रक हैं उनको ही क्यों चैक करते हैं आप जीपों को उन टैक्सियों को चैक क्यों नहीं करते, जो ऊपर-नीचे अगल-बगल सवारियों को लटकाते हुए पीछे एक-एक जीप के अन्दर 30-30, 35-35, 40-40 सवारियां होती हैं उनको ये चैक नहीं करते हैं क्योंकि उनसे महावारी इनको मिलता है। माहवारी मिलता है इनको। मैं यह सोचता हूं कि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य भी इस बात को मानते हैं कि मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूं मैं हमेशा आलोचना नहीं करने वाला हूं मैं तो सकारात्मक रूख रखता हूं और सकारात्मक रूख से यह कहूंगा राज्य सरकार

(श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल)

में बैठे हुए मंत्रियों से कहूंगा कि इस व्यवस्था को सही कराइये और एक नियम कायदों को कम करियेगा। उपाध्यक्ष महोदय, हर विभाग के अन्दर नियमों और उप नियमों का बोल-बाला है जिनकी आड़ में जनसाधारण को नाकों चने चबाये जाते हैं और इन नियमों और उप नियमों की आड में जनता का खून चूसने वाले इन सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है क्योंकि नियम कायदे कुछ इस तरह से बनाये जाते हैं कि भ्रष्टाचारियों को संरक्षण मिले और सरकारी कर्मचारी के दामन पर आंच नहीं आये। आदरणीय, मेरा निवेदन है कि जब तक नियम कायदे सरल नहीं किये जाएंगे तब तक यह भ्रष्टाचार खतम नहीं हो सकता जनता को सुविधा नहीं मिल सकती जनता को राहत नहीं मिल सकती। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, एक नारायणी धाम एक धार्मिक स्थल है अलवर और सरिस्का के पास और लाखों की संख्या में वहां श्रद्धालु जाते हैं वहां आये दिन लोग अतिक्रमण करते जा रहे हैं उस धार्मिक स्थल के प्रारूप को बिगाड़ते जा रहे हैं, मेरा सरकार के मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो धार्मिक स्थल हैं जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं वहां कोई व्यवस्था की जाए कि अतिक्रमण लोग नहीं करें और उस जगह का सदुपयोग हो। लोग अपने तरह-तरह के व्यापार चलाने के लिए ऐसी धार्मिक स्थलों पर ऐतिहासिक जगहों पर अतिक्रमण करते हैं तो यह बात ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इसको नियमानुसार नियमों के मुताबिक इस स्थिति को उठावें इस पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : मंत्री महोदय कुछ कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, मंत्रीजी।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सम्मानीय सदस्य गंगापुर से आने वाले ने जो मुद्दा उठाया है सबसे पहले मैं जो गोल्डन टोकन की चर्चा की उसके सम्बन्ध में बताना चाहता हूं। जो

(श्री यूनूस खां)

स्पेशल टोकन जो था राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया जाता था और ट्रक पर साल भर में एक निश्चित फीस लेने के बाद वो लगाने के बाद में कोई भी स्तर पर अधिकारी इसको चैक नहीं करते थे लेकिन केन्द्र सरकार के द्वारा चूंकि ओवरलोडिंग ज्यादा थी तो केन्द्र सरकार के द्वारा इसको रोका गया राजस्थान सरकार का सी.आर.एफ. का पैसा रोक लिया गया और उन्होंने कहा कि अगर यह राजस्थान सरकार ओवरलोडिंग को बढ़ावा देती है इसलिए हम जितने भी रोड के सम्बन्ध में सी.आर.एफ. और अन्य मदों में पैसा देते हैं वो नहीं देंगे जब तक इस गोल्डन टोकन को निरस्त नहीं किया जाएगा। 1-1-2004 को यह योजना खतम कर दी गयी उसके बाद में सरकार के पास नियन्त्रण के लिए ओवरलोडिंग के नियन्त्रण के लिए चैकिंग के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मैं सभी माननीय सदस्यों की भावना की कद्र करते हुए यह बताना चाहता हूं कि जो ओवरलोडेड ट्रक चलते हैं या जो भी वायलेशन करते हैं परमिट का चाहे कांट्रेक्ट कैरियर्स की गाडियों हों.....(व्यवधान).....एक मिनट मेरा जवाब सुन लें पहले। उनका सबका जो पैसा है एक देखने की बात यह है कि पुलिस और हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेन्ट के आदमी की ड्यूटी ही सड़क पर लगती है उसकी कहीं घर पर या किसी मकान पर या आफिस में नहीं लगती है जो फील्ड की नौकरी करता है उसको रोड पर खड़े होकर के ही चैक करना पड़ता है क्योंकि वाहन रोड पर ही चलते हैं और जितनी उनसे पैनल्टी ली जाती है या अन्य फीस ली जाती है या जो वायलेशन करते हैं उसकी जो पैनल्टी होती है वो रोड पर ही उसकी रसीद काटी जाती है और ज्यादातर जो शिकायतें आती हैं ये कहते हैं कि खुले में पैसे लिये जाते हैं क्योंकि वो सरकार में ज्यादा से ज्यादा जो रेवेन्यु जितना आता है वो रोड पर काटा जाता है उसके अलावा भी अगर कोई भी माननीय सदस्य या किसी की भी शिकायत आती है मेरे मंत्री बनने के बाद में जितनी भी शिकायतें आयी हैं शिकायत आने के बाद तुरन्त हमने सम्बन्धित इंन्सपेक्टर को यहां पर बुला लिया उसकी जांच शुरू करा दी। कोई भी भ्रष्टाचार की शिकायत अगर आएगी तो उसकी निश्चित रूप से जांच करायी जाएगी। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि विभाग की छवि सुधारने के लिए और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए भी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हमारी जो बाकी गाडियों की जो चैकिंग है

(श्री युनूस खां)

डी.टी.ओ. के नीचे का अधिकारी नहीं करता है और जो मैंने पूरे सदन को आश्वासन दिया था अभी आपने एक मुद्दा उठाया जीपों में ओवरलोडेड सवारियां चलती हैं ओवरक्राउडेड चलती हैं मैंने माननीय मंत्रीजी से भी आज निवेदन किया है और कल हमने सभी जिला कलक्टर्स को फैक्स भेज दिये हैं और 5 से 14 तारीख तक हमारा अभियान चलेगा और कोई भी माननीय सदस्य इस तरीके की शिकायत करेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री रामनारायण मीणा : ...(व्यवधान)......मैं साक्षी हूं सारा सदन साक्षी है मैं अर्ज करता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम तो कहते हैं वो रसीद काटने में कोई तकलीफ नहीं है। हमारे सामने रिश्वत ले कोई जनप्रतिनिधि जनता का आदमी जाए, कृपया करके आप चलिये मेरे साथ, मैं प्रोग्राम नहीं दूंगा किसी भी सड़क पर चलिये आपको डायरी में लिखते हुए मिलेंगे। पैसा लेते हुए मिलेंगे आपको......(व्यवधान)......

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : मैं बोला हूं मेरे बोलने का अधिकार है इसमें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कोई विशेष शिकायत लेकर आएंगे तो उस पर कार्यवाही की जाएगी।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से ये पूछना चाहता हूं कि आपने जो रेवेन्यू कलेक्शन की अभी बात की है मेरा निवेदन सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मेरा निवेदन सुनिये कि आप सड़क पर उनको खड़े रख कर आपने उनको अलाऊ कर रखा है कि आप पर्चियां काटिये और लीजिये मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने इनको रात को भी पर्चियां काटने के लिए अलाऊ कर रखा है क्या ?

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्रीजी से यह निवेदन है कि क्या परिवहन अधिकारियों ने इन्हें यह अधिकृत कर दिया है कि सवेरे 5 बजे के बाद भी ड्यूटी देवें और रात के 5 बजे तक भी देवें।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : नहीं रात को भी क्यों करते हैं ये ? रात को 10-10 बजे आने-जाने वालों को राहगीरों को परेशान करते हैं मोटरसाइकिलों को चैक करते हैं।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : .....(व्यवधान).....वफादार कर्मचारी नहीं है क्या सरकार में कोई और वफादार कर्मचारी नहीं है क्या इससे ही बू आती है कि ये कितना भ्रष्टाचार है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका जो भी सूचना.....। माननीय सदस्य।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : सवेरे 5 बजे भी ये मिलते हैं और रात के 12 बजे भी चैकिंग करते हुए मिलते हैं।

श्री नन्दलाल बंशीलाल : बिलकुल रात 12 बजे भी चैकिंग करते हैं। आप उनको निर्देश दें।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : .....(व्यवधान).....यह सरकार के ऐसे वफादार कैसे हो गये, इन्हें तो प्रशंसा पत्र दीजिये आप।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रात को भी करते हैं सही कह रहे हैं माननीय सदस्य।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : उनको पुरस्कृत करायें। इसके पीछे तो भ्रष्टाचार है वो सवेरे 5 बजे तक भी मिलते हैं और रात को 12 बजे भी चैकिंग करते मिलते हैं।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : और पूरे ताम-झाम के साथ मिलते हैं उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात बताता हूं एक दफा मेरी जीप आ रही थी और मेरी जीप आ रही थी.....(व्यवधान)

श्री विजय बंसल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ट्रांसपोर्ट मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या गोल्डन टोकन खतम करने के पश्चात् क्या सरकार ने पैरेलल व्यवस्था चलायी है या कमिश्नर के स्तर पर वो व्यवस्था चल रही है कि 5 हजार 7 हजार की रसीद काट कर पूरे राज्य में एक महीने तक उस व्हिकल को कोई चैक नहीं कर सकता ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : अध्यक्ष महोदय, हाल ही में पाली में जो घटना हुई है वहां माननीय विधायक ने उन विभाग वालों को पकड़ा है और वो भाग कर चले गये। अखबार के अन्दर उनके फोटो भी आये हैं।

श्री विजय बंसल : (व्यवधान).....सरकार ने चलायी है या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने अपने स्तर पर चलायी है।.....(व्यवधान).....जो व्यवस्था चलायी है उसमें निश्चित रूप से भ्रष्टाचार हो रहा है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के विरूद्ध निश्चित रूप से कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : ...(व्यवधान)...माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत जरूरी प्रश्न है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : नहीं, विधायक ने पकड़ा है..... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपने जो बात कहनी थी वो पूरी कह दी और मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया आगे चर्चा नहीं और कोई चर्चा नहीं इस सम्बन्ध में। माननीय सदस्यगण पूरा सदन भी चिन्तित है आज सूखे की स्थिति पर चर्चा होने जा रही है, पूरा राजस्थान भयंकर अकाल की चपेट में आ चुका है। मैं माननीय सदस्यों से यही निवेदन करूंगा कि आप बहुत गम्भीरता के साथ में अपने पूरे राजस्थान की स्थिति और अपने विधान सभा क्षेत्र की स्थिति को शान्तिपूर्ण ढंग से रखें ताकि हम लोग इस राजस्थान को सूखे की चपेट से बचाने की सम्भावनाओं के ऊपर विचार करके और राज्य सरकार को इस स्थिति के अन्दर कुछ काम करने के लिए आगे करते हुए कर सकें। धन्यवाद। डा. किरोड़ी लाल।

डा. एन.एस. गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइण्ट आफ इन्फोर्मेशन उपाध्यक्ष महोदय, आज मैंने 119 के तहत एक नोटिस दिया था और पाइण्ट आफ इन्फोर्मेशन मेरा यह है मुझे जानकारी नहीं है मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं इस बात की। एक समाचार पत्र में एक बहु विस्फोटक खबर आयी है "[illegible] भारत" में मेरी जानकारी नहीं हैं मैं इसलिए माननीय

(डा. एन.एस. गुर्जर)

मंत्री महोदय बैठे हैं उनसे पूछना चाहूंगा कि उन्होंने लिखा है कक्षा 4 की किताब में भारतीय त्यौहार हैं उनमें केवल दो ही त्यौहार बताये हैं ईद और क्रिसमस हैं और कहा है कि ये भाईचारे के त्यौहार हैं, अच्छे त्यौंहार हैं इनका विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन बाकी त्यौहारों के बारे में उस पुस्तक में कुछ मेन्शन है कि नहीं जिसमें होली, दिवाली, महावीर जयन्ती, गुरूनानक ज्यन्ती ये जो त्यौहार हैं उनके बारे में भी उल्लेख है कि नहीं ? यह होना चाहिए..... हो सकता है कि उस किताब में अलग अलग खण्ड हों, उनमें हो। हमें जानकारी नहीं है क्योंकि मैं गया नहीं हूं, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। मैं कोई क्लास 4 में पढ नहीं रहा हूं या गया नहीं हूं। (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : उपाध्यक्ष महोदय, यदि ऐसा है तो यह बहुत गम्भीर मामला है।

डा. एन.एस. गुर्जर : .....(व्यवधान) और राज्य पुस्तक मण्डल ने इसको छापा है, एडवांस कलेन्डर है और भगवाकरण के नाम पर यह छपा है तो मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति से माननीय मंत्री महोदय अवगत करा दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, मैं कहना भी नहीं चाहता था। सुबह मैंने खबर पढ़ी थी कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिनके बारे में बताना बहुत जरूरी होता है। यह खबर "महका भारत" में छपी है। खबर तो सत्य है लेकिन इसका पूरा विवरण नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कोर्स है वह सत्त है तीसरी, चौथी, पांचवीं में। हमारे जो त्यौहार हैं और व्रत हैं उसमें ईद और क्रिसमस का तो सही विवरण किया है लेकिन अन्य का भी किया गया है। कक्षा 1 से 3 तक होली, दिवाली और रक्षा बन्धन का विवरण किया गया है और कक्षा 4 में ईद व क्रिसमस की जानकारी दी गई है। इस प्रकार कक्षा 3 से 5 तक सभी त्यौहारों की जानकारी दी गई है। उसमें जो छपा है वह केवल चौथी कक्षा का छपा है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें किसी भी प्रकार की भावना नहीं है। सभी का ईसाइयों का, मुसलमानों का, सनातनियों का, हिन्दुओं का, 15 अगस्त का, 26 जनवरी का जो राष्ट्रीय त्यौहार हैं उन सब त्यौहारों का इसमें

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

छपा है। इसलिए इसको इस प्रकार से संशोधित कर के देखें, यही मेरा आग्रह है।

श्री कालीचरण सर्राफ : .....(व्यवधान) केवल उस क्लास के बच्चों के लिये ही त्यौहार हैं, यह क्या बात हुई। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ऐसा नहीं हैं, 1, 2, 3 में पढ़ेंगे होली, दिवाली, रक्षा बन्धन। क्लास 4, 5 में पढ़ेंगे ईद और क्रिसमस और उसके बाद पढ़ेंगे दशहरा। सारे त्यौहारों की जानकारी है 3 से लेकर 5 तक। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा जो बेसिक प्रश्न है वह सुनिए, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : उपाध्यक्ष महोदय, आसन की व्यव्स्था है कि अखबार की खबर पर कोई प्रकरण नहीं उठ सकता इसलिए इस प्रकरण को नहीं उठाने दिया जाये। यह आसन की व्यवस्था है, अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था है। अखबार के माध्यम से नहीं उठाने दे इनको।

डा. एन.एस. गुर्जर : .....(व्यवधान) अखबार की नहीं है, विराजिए आप। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी इसमें मंत्रीजी से कोई शिकायत नहीं है। मैं केवल इतना सा पूछना चाहता हूं कि उसका जो हैडिंग है वह है "हमारे त्यौहार"। मैं यह नहीं चाहता हूं कन्टीन्युअसली 1, 2, 3 क्लास दिया है। अगर पहले की क्लास में कुछ और पढ़ लिया तो.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्रीजी ने बहुत विस्तार से आपको इसका उत्तर दे दिया।

डा. एन.एस. गुर्जर : एक मिनट सुनें, विराजे एक मिनट। अगर 1, 2, 3 क्लास में इन चीजों को सन्दर्भ नहीं आया और एक ही पाठ में आ गया और उसमें क्लास 4 का जो लड़का आयेगा वह मान लो यही पढ़ेगा तो वह क्या पढ़ेगा और क्या सन्देंश लेगा। हमारी मूल संविधान की भावना के विपरीत होगा, हमारा सामाजिक सौहार्द है उसके विपरीत होगा। अच्छा होता हमारे त्यौहारों को एक ही में वर्णन दे सकते थे। इस तरह का एक पाठ्यक्रम होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोड़ीलाल, सहायता मंत्री प्रस्ताव करेंगे। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो बाते पढ़ाई जा रही है हैं उनको क्या आप पाठ्यक्रम से निकालेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ऐसा नहीं है, वर्णन है रंगों का त्यौहार, राखी, दशहरा, दिवाली का वर्णन है और होली, ईद और क्रिसमस इन सबका वर्णन है और यही हैडिंग है। यह किताबें मेरे पास हैं, देख लीजिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता : कक्षा 4 की पुस्तक में क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। डा. साहब (व्यवधान) माननीय सदस्य, शिक्षा मंत्रीजी आपसे ज्यादा सतर्क हैं इस मामले में।

राज्य में सूखे की स्थिति पर विचार

डा. किरोड़ीलाल (आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान में सूखे की स्थिति पर विचार किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेमाराम चौधरी।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत खुशी है कि आज सरकार ने अकाल पर चर्चा कराने के लिये यहां पर मंत्रीजी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अगर विपक्ष एडजोर्नमेन्ट मोशन प्रस्तुत नहीं करता तो शायद अकाल पर चर्चा नहीं होती (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय ने यहां पर व्यवस्था दी है एडजोर्नमेन्ट मोशन पर एक व्यवस्था दी है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आज अकाल पर चर्चा है और भगवान ने भी सुन ली, बारिश भी आ गई आपकी मेहरबानी से। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि बारिश हो

गई है इसलिए अब अकाल पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है क्या ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह किसने कहा ?

श्री हेमाराम चौधरी : तो फिर क्या बारिश होने से अकाल की समस्या का समाधान हो गया क्या ? महावीरजी, आज बारिश हो जाने से अकाल की समस्या का समाधान हो गया है तो मंत्रीजी जब जवाब दे उस समय कह दें कि बारिश हो गई है और अकाल की समस्या का समाधान हो गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि यह विषय ऐसा सम्वेदनशील विषय है राजस्थान के 41 हजार गांवों में रहने वाले लोग चिन्तित हैं। मैं यह चाहूंगा कि कम से कम अकाल जैसे विषय पर जो किसी सरकार के हाथ की बात नहीं है। कोई सरकार चाहे कि बरसात हो, कोई सरकार चाहे कि बरसात नहीं हो, यह सरकार के हाथ में नहीं है, कुदरत पर है। ऐसे विषय पर तो हम राजनीतिक धरातल से ऊपर उठकर बात करें, कोई सारगर्भित चर्चा करें, कोई रचनात्मक सुझाव दें तब तो कोई बात है और दूसरा मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस चर्चा में कई माननीय सदस्य भाग लेने वाले हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप समय सीमा निश्चित कर दें। हम यह चाहते हैं कि राजस्थान का करीब-करीब पूरा भू-भाग अकाल की चपेट में है, अधिक से अधिक संख्या में लोग भाग लें और पुनरावृत्ति की कोई बात नहीं है। इसलिए आप समय सीमा निश्चित कर दें, उस समय सीमा में बिना कोई पृष्ठभूमि के और बिना कोई औपचारिकता के सीधी-सीधी बात करेंगे तो सरकार का भी मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह की कोई व्यवस्था कर दें ताकि आज की बहस सारगर्भित हो और सही हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इस बारे में ध्यान रखेंगे और कम से कम समय में अपनी बात कहने का प्रयास करेंगे।

श्री हेमाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो अकाल पर चर्चा शुरू ही नहीं की उसके पहले ही संसदीय सचिव, संसदीय कार्य मंत्री दोनों खड़े हो गये। अब यह चाहते हैं कि इस पर राजनीति से ऊपर उठकर चर्चा करें। तो मैं आपकी सरकार की तारीफ करने के लिये तो यहां खड़ा हुआ नहीं हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर इसके लिये भी तैयार हो जाओ कि आपकी सरकार के सारे कर्म भी हम खोलें। क्या बात करते हो, कुछ तो सोचो।

श्री हेमाराम चौधरी : आप चाहे कितना ही गुस्सा कर लें मैं वही बोलूंगा जो मुझे बोलना है। आप जो चाहेंगे वह मैं बोलूं ऐसा बाध्य तो मैं हूं नहीं।

श्री ओम बिड़ला : अकाल ही नहीं है, बाहर बारिश हो गई, अकाल ही नहीं है। अच्छा हो अकाल पर ज्यादा चर्चा नहीं हो।

श्री हेमाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह बोलने ही नहीं दें तो क्या बोलूं (व्यवधान) यह कौनसा तरीका हुआ, आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं (व्यवधान)

श्री महीपाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है और यह व्यवधान कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कोई व्यवधान नहीं कर रहे हैं आप बोलिए। (व्यवधान) आप इसमें सहयोग करें।

श्री महीपाल सिंह यादव : प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ सवाल है, इसको गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, जो संसदीय कार्य मंत्रीजी ने कहा हम वैसी चर्चा चाहते हैं, उसके हम समर्थक हैं, यह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर चर्चा हो। पर एक निवेदन है यह हमारे मुख्य सचेतकजी को बार बार आफरा हो जाता है इनको कोई तूमड़े का बीज मंगाकर कोई घासा बनाकर इनको पिलाओ ताकि सदन में सही तरीके से चर्चा चल सके।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको आफरा नहीं आने देंगे (व्यवधान) आपके क्या आफरा है मुझे पता है।

श्री महीपाल सिंह यादव : क्या डेढ़ इंच बरसात से आपका अकाल खतम हो गया क्या, आप व्यवधान करते हो बार-बार। खडे हो जाते हो बार-बार। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में वर्षा नहीं होने की वजह से अकाल की गम्भीर स्थिति पैदा हो चुकी है। इस गम्भीर स्थिति में किस प्रकार से निजात पाई जा सके इस पर सुझाव देने के लिये यह चर्चा यहां पर रखी गई है। इसके लिये मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल के कारण आज सबसे ज्यादा जो गम्भीर स्थिति पैदा हुई है वह पीने के पानी की हुई है। अनाज भी मिल जायेगा, लोगों को मजदूरी पर भी आप लगा देंगे, चारा भी पिछले वर्ष कुछ ठीक फसल थी इसलिए कुछ चारा भी है लेकिन पीने के पानी की समस्या आज भयंकर रूप से पैदा हो चुकी है। बरसात नहीं होने की वजह से खासकर हमारे बाड़मेर, जैसलमेर, पश्चिमी राजस्थान में पीने के पानी के लिये करीब-करीब सभी परिवारों के यहां निजी टांके बने हुए हैं। लेकिन बरसात नहीं होने की वजह से उन टांकों में भी कोई पानी नहीं आया, वह टांके भी खाली पड़े हैं। बरसात के पानी का स्टाक नहीं है और भूमिगत जल भी नीचे चला गया है या खारा हो गया है, उसमें भी कमी आ गई है। और तो और बिजली की भारी कटौती के कारण पीने के पानी की योजनाएं भयंकर रूप से लड़खड़ा गई है।

अब ग्रामीण क्षेत्रों में जो रीजनल पाइप लाईन स्कीम्स हैं, जो बहुत लम्बी-लम्बी हैं जिसके ऊपर 40-40, 50-50 गांव एक-एक योजना पर जुड़े हुए हैं उनमें नजदीकी गांवों में तो पानी चला जाता है लेकिन आखिरी के गांवों में बिजली की कटौती के कारण और मात्र बिजली की कटौती के कारण वहां पानी नहीं जा रहा है। पी.एच.ई.डी. में स्टाफ वहां है नहीं, योजनाओं को कोई देखने वाला नहीं है। जलदाय मंत्री तो यहां है नहीं, मैं समझता हूं कि जलदाय मंत्री भी यहां होते तो वे भी इस बारे में कुछ कहते। क्योंकि यह तो अकाल राहत मंत्रीजी हैं, ये तो मजदूर लगाने का काम कर देंगे। खाद्य मंत्रीजी भी बैठे हैं, अनाज की व्यवस्था कर देंगे लेकिन पीने का पानी की व्यवस्था कौन करेंगे।

डा. सी.पी. जोशी : स्टेट मिनिस्टर बैंठे हैं, धाकड़ साहब बैंठे हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय मंत्रीजी बैंठे हैं, धाकड़जी।

श्री हेमाराम चौधरी : धाकड़ साहब बैठे हैं तो धाकड़ साहब तो आदमी धाकड़ हैं, इसलिये कर देंगे।

(श्री हेमाराम चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये आप जो पीने के पानी की समस्या पैदा हो चुकी है उसको किस प्रकार से आप हल कर पायेंगे इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। मैं समझता हूं कि जो पीने के पानी की योजनाएं हैं उन पर बिजली की कटौती नहीं हो। इस बात की आप व्यवस्था करें और जहां आपका स्टाफ नहीं है, आज मैं उदाहरण के तौर पर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सब डिवीजन बायतू जहां पर 3 जे.ईएन. की पोस्ट्स हैं 3 में से एक भी नहीं है। अब अकेला ए.ईएन., आप समझते हैं कि इन सारी योजनाओं को ठीक से सम्भाल पायेगा। तो इसलिये इन बातों पर आप देखें। देखने में बहुत छोटी बातें लगती हैं लेकिन व्यवस्था के लिये आपको जो कमियां हैं उसमें ध्यान रखकर उनमें सुधार लाने की जरूरत है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप पीने के पानी की पुख्ता व्यवस्था किस प्रकार से, कैसे कर सकते हैं क्योंकि आदमी पानी के बिना नहीं रह सकता है, अनाज के बिना तो एक-दो दिन तक जिन्दा रह सकता है। उसकी मौत नहीं हो सकती है। लेकिन उसको पीने का पानी नहीं मिले तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। इसलिये मैं खास कर यह निवेदन करना चाहता हूं।

चारे की भी कमी रहेगी। आप पशु शिविर खोलेंगे। चारे के ट्रान्सपोर्टेशन के लिये अनुदान भी देंगे। आप अकाल राहत के काम भी खोलेंगे। अब यह व्यवस्था आप कब से करने जा रहे हैं। उसके बारे में मंत्रीजी अपना जवाब दें, तब स्पष्ट करें क्योंकि पिछले वर्ष नहीं, उससे पिछले साल। पिछले साल तो फसल ठीक थी, अकाल था ही नहीं हमारे वहां तो, राजस्थान के कुछ जिलों में, हिस्सों में इस तरफ कई गांवों में सुना है कि अकाल था पर पिछले साल से पिछले साल जब अकाल था तो 16 अगस्त से अकाल राहत के काम खोल दिये थे। यह बात तो सच है ना। जब 16 अगस्त से अकाल के काम खोल दिये तो इस साल भी बारिश तो वहां बिलकुल ही नहीं हुई है। अभी 15 जुलाई से, 16 जुलाई से लेकर आज दिन तक बाड़मेर में जो आंकड़े, वर्षा के आंकड़े आपके पास उपलब्ध हैं उसमें जीरो है, जैसलमेर में जीरो है, जालौर में जीरो है, एक पर्सेण्ट बरसात हुई है। एक मिलीमीटर भी बरसात नहीं हुई है। जून में बाड़मेर जिले में सिर्फ 32 मिलीमीटर बरसात हुई और जैसलमेर में 11 मिलीमीटर बरसात हुई तो वहां पर पीने के पानी भी नहीं आया। बाकी फसल

(श्री हेमाराम चौधरी)

की तो आप सोचें ही क्या। इसलिये आप कब अकाल के काम शुरू कर देंगे। कितने लोगों को आप काम पर लगायेंगे, काम पर लगाने के लिये आपकी क्या व्यवस्था होगी, किस तरह से किन लोगों को आप काम पर लायेंगे। आप कोई भी अगर नीति तय नहीं करेंगे, डाइरेक्शंस नहीं देंगे तो फिर तो वहां सभी लोग काम पर लगना चाहेंगे। फिर तो वहां इस तरह से आपस में बहुत झगड़े हो सकते हैं। और कितने दिन का पखवाड़ा होगा। जैसे पहले 10 दिन का पखवाड़ा किया था और रोस्टर से मजदूरों को लगाया था। फिर उसके बाद में 15 दिन का भी पखवाड़ा किया था। आप कितने दिन का पखवाड़ा रखेंगे, रोटेशन से लगायेंगे कि नहीं लगायेंगे। और यह मजदूरों को लगाने का काम कौन करेगा। पिछले साल से पिछले साल, अकाल के समय की बात कहता हूं मैं, मजदूरों को लगाने का काम सरकारी लोगों को सौंपा गया था तो सही सब लोगों को काम मिल गया। आप जन प्रतिनिधियों के हाथ में यदि यह काम सौंप देंगे, पंचायतों को यह काम आप सौंप देंगे तो आपका जो वास्तविक गरीब है जिसको मजदूरी की जरूरत है, भूखा सो रहा है उसको काम नहीं मिलेगा और कई बार यह हुआ कि रोटेशन पर जो ठीक आदमी था उसको भी काम मिल गया लेकिन अच्छा हुआ कि उसके साथ-साथ गरीब को भी मिल गया। यदि रोटेशन नहीं होता तो वह अमीर बार-बार काम पर जाता जो ठीक स्थिति में था और गरीब तो फिर बिना काम के ही रहता। इसलिये आप कोई ऐसी व्यव्स्था करें। पिछले समय की सरकार की व्यवस्था को आप देख लें। आप को ठीक लगे तो वह करें, हो सकता है आपको वह व्यवस्था ठीक नहीं लगे क्योंकि वह हमारी व्यवस्था थी। (व्यवधान) इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके कार्यकर्ताओं को, आप के लोगों को मस्टर रोल देंगे तो आपका बहुत बुरा हाल होगा। जिस किसी ने भी उस समय पिछले टाइम में, कांग्रेस के लोगों ने भी यदि उसमें राजनीति की और सही आदमी को काम पर नहीं लगाया, मस्टर रोलों में हस्तक्षेप किया लोगों को लगाने में उसके अन्जाम बुरे हुए और वे आज इस विधान सभा में नहीं पहुंचे हैं। इसलिये आप न्याय करें, आप न्याय करेंगे तो ठीक रहेगा, बाकी करना तो आपको है, जो जैसा आप ठीक समझें वैसा ही करें। हम तो सुझाव दे सकते हैं आपको। अच्छा लगे तो आप हमारे सुझाव मानना, अच्छा नहीं लगे तो आप मत मानना। (व्यवधान) आप बोलने तो दो, आपकी बारी आये फिर आप बोल देना। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

डा. भंवर सिंह राजपुरोहित : एक मिनट, एक मिनट। आपने यह कहा कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं को नहीं दें। फिर आप वालों को भी नहीं दें, फिर तीसरे आदमी कहां से आयेंगे। आप वाली पार्टी को भी नहीं ले रहे हैं इन वाली पार्टी को नहीं ले रहे हैं तो थर्ड मैन कौन होगा ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह देखना.....(व्यवधान) माननीय हेमारामजी।

श्री हेमाराम चौधरी : रोटेशन से, मैंने कहा ना, हमारे उस समय रोटेशन से हुआ, गांव के अन्दर, हर गांव में कोई अध्यापक था, ग्राम सेवक था, कोई भी सरकारी आदमी उसको मस्टर रोल दिया गया। जन-प्रतिनिधि, किसी को नहीं दिया गया। वह लिस्ट बनाकर के लगाते थे। उसको थोड़ा डर रहता है।

श्री उपाध्यक्ष : हेमारामजी, जन प्रतिनिधियों को नाराज कर देंगे। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : वह बेईमानी करता है तो सरकार उसको चेक-अप कर सकती है, उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकती है। कुछ भी कर सकती है, 16 सी.सी.ए., 17 सी.सी.ए., बेईमानी करता है तो। जन-प्रतिनिधि का आप क्या कर लोगे। हर किसी को मस्टर रोल दे दो, वह तो जाकर अपने-अपने हिसाब से उसमें सारे नाम लिख देते हैं, बाकी तो सब ऐसे ही रह जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हेमारामजी, सरपंचों को नाराज कर दोगे आप इससे।

श्री बंशीलाल खटीक : वह तो कैसे भी करोगे, तो भी जन प्रतिनिधि के पास ही जायेगा। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : सरपंचों को नाराज करने की बात नहीं है, मैं तो इसलिये कहना चाहता हूं कि इससे आपके सब लोगों के......(व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल मीणा : पिछली बार भी सरपंचों के हाथ में थी व्यवस्था। काम करने का काम सरपंच करते थे।

श्री हेमाराम चौधरी : सरपंच करेंगे काम, यूं ? आप सरपंच से कराना, आप एम.एल.ए. से ही कराना ना, सरपंच से ही क्यों कराना। आप खुद ही करना, कोई बात नहीं। लेकिन मैं तो आपको सुझाव दे रहा हूं, अच्छे लगें तो मानना। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल मीणा : नहीं, आपके वक्त में ही सरपंचों से काम किया। (व्यवधान) मैं यह नहीं कह रहा हूं। आपके टाइम में सरपंचों ने किया।

श्री हेमाराम चौधरी : फिर आप खुद ही कर लेना।

श्री कालीचरण सर्राफ : आपके समय में व्यवस्था सरपंचों के हाथ में थी। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल मीणा : आपके 10 प्रतिशत माननीय विधायक तो अकाल की वजह से जीतकर आये हैं। (व्यवधान)

श्री रिछपालसिंह मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवधान होने से सदन का समय बर्बाद हो रहा है, उसकी व्यवस्था करें आप।

श्री हेमाराम चौधरी : नहीं, आप ही कर लेना। मस्टर रोल आप ले लेना सब। आपके सभी विधायकों को मस्टर रोल दे देना और जहां आपके विधायक नहीं हैं जिस विधान सभा क्षेत्र में, आपके हारे हुए प्रत्याशियों को मस्टर रोल दे देना। फिर काम चलाते रहना, कोई बात नहीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य, आपके दूदू के सदस्य तो अकाल की वजह से ही जीतकर आये हैं। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : आप पर विश्वास करके, जनता ने विश्वास करके विधान सभा में पहुंचाया और आप उसके साथ विश्वासघात कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये, माननीय सदस्य, आप बीच में व्यवधान मत करें। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : कटारिया साहब, मैं आपसे अनुरोध करूंगा। मेरी

(श्री हेमाराम चौधरी)

यह समझ में नहीं आता, मैं कोई सुझाव दे रहा हूं उससे इनको दिक्कत क्यों आ रही है ? मानना, नहीं मानना, आपका काम है। कम से कम सुनने की तो बात होनी चाहिए। (व्यवधान) सुनने को भी ये तैयार नहीं हैं आपकी पार्टी के सदस्य। (व्यवधान) ये चाहते हैं कि मस्टर रोल हमें मिले। इनको ही मिलें, इनको दे देना।

एक माननीय सदस्य : आप भी हैं।

श्री हेमाराम चौधरी : हमारे को नहीं चाहिए। मैं तो नहीं लूंगा, आप देंगे तो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इनको बात करने दीजिए। माननीय सदस्य, आप इनसे बात ही मत करो। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : मैंने पिछली बार भी, जब भी जिले में अकाल राहत परामर्शदात्री कमेटी की बैठक हुई थी उसमें यह मुद्दा उठाया, मैंने कहा जन प्रतिनिधियों को इससे दूर रखिये। इसका कारण है। आप कहते हो, सरपंच। सरपंच या तो अपने पक्ष के लोगों को लगायेंगे और पक्ष के वह नहीं भी लगायेगा, ईमानदारी से काम करेगा तो भी वह कर नहीं सकता है। क्योंकि वापस उसको फिर चुनाव लड़ना है। तो वह अगर नहीं लगायेगा तो कहेंगे कि सरपंच हमने तो आपको बनाया है और काम पर उनको लगा रहे हो जिन्होंने आपको वोट नहीं दिये। अब वह चाहे भूखा ही मर रहा है। इनकी मजबूरी है। इसलिये मैं कह रहा हूं। हम तो कहते हैं हम एम.एल.ए. हैं, हमको बीच में मत रखना। हम तो रहना भी नहीं चाहते हैं। बाकी आपकी जो इच्छा हो, वैसे करना। मैंने तो आपको एक सुझाव दिया है। इस तरह से चारे की व्यवस्था। पशु शिविर आपको खोलने पड़ेंगे। पहले भी सरकारों ने खोले हैं जब भी अकाल पड़ा है। अब पशु शिविर भी आप जल्दी खोलेंगे तब जाकर यह हमारा पशु-धन बच सकता है। आज बिलकुल ही जंगल में कतई चारा ही नहीं है। लोगों के पास भी, बहुत कम लोगों के पास चारा है, सबके पास चारा नहीं है। जो पशु लोगों ने छोड़ दिया आवारा, जिनको चारा नहीं डाल रहे हैं तो वे पशु कैसे जिन्दा रहेंगे बिना चारे के। आदमी तो फिर भी होशियार है, बुद्धिजीवी है उसको

(श्री हेमाराम चौधरी)

इतना दिमाग दिया है वह कहीं भी जाकर के मजदूरी करके कैसे भी कम से कम कहीं जाकर के किसी के गले पड़कर भी अपना पेट भर लेगा। पशु का इतना दिमाग है नहीं। उसको तो चारा कोई डालेगा तो वह खा लेगा, नहीं डालेगा तो इधर-उधर डोलते-डोलते मर जाएगा। इसलिये पशुओं को बचाने का आपका काम है। पूर्ववर्ती सरकार ने मनुष्य को तो कहां, पशु को भी चारे के अभाव की वजह से नहीं मरने दिया। इसलिए आप कैसा करते हैं, क्या करते हैं, यह तो आपका काम है। मैं तो आपको सुझाव ही दे सकता हूं। इसके अलावा आप अकाल राहत के तहत जो काम है उनमें स्थाई सम्पत्तियों का निर्माण हो, इस प्रकार के आप यदि काम करवायें तो कुछ काम भी होगा। पैसा भी खर्च होगा और आने वाले समय में जनता के लिए वह उपयोगी सम्पत्तियां साबित होंगी। इसमें सड़कों का काम है, जिसमें यह मैटीरियल बहुत कम लगाते हो, भवनों में मैटीरियल ज्यादा लगता है तो आप भवन नहीं बनायें लेकिन सड़कों का है, चारदीवारी का है जिसमें बहुत कम मैटीरियल लगता हो या कुछ मैटीरियल जैसे 70 और 30 परसेन्ट के हिसाब से, 30 परसेन्ट केन्द्र सरकार देती है और जिसमें यह मान लीजिए 30 परसेन्ट से ज्यादा मैटीरियल लगता हो तो उसमें विधायक अपने कोटे से दे दें, सांसद अपने कोटे से दे दें और कोई योजना से या जनता जन सहयोग से दे दें तो ऐसे काम हो तो उनको भी लिये जाने की जरूरत है इसलिए मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाह रहा हूं कि यह भयंकर अकाल है, इसमें राजनीति की कोई बात थी ? मैंने तो कोई राजनीति की बात की नहीं और आपको लगी है तो पता नहीं। आपको अकाल के बारे में व्यवस्था करने की जरूरत है और व्यवस्था जल्दी से जल्दी हो इसके लिए आपने अभी से क्या तैयारी कर ली क्योंकि एकदम तो आप काम शुरू भी करना चाहेंगे तो नहीं कर पाऐंगे। आपको अकाल के काम स्वीकृत भी करने पडेंगे। फिर काम स्वीकृत करने के बाद में एग्जिक्यूटिव एजेन्सी, फिर आगे कौन शुरू करेगा, कैसे करेगा, इसमें भी 15-20 दिन तो लग ही जाते हैं तो आपका काम आप कब तक स्वीकृत कर दोगें ओर फिर कब तक उन कामों को शुरू कर दोगें और लोगों को काम पर लगा दोगे ?

(श्री हेमाराम चौधरी)

चारे के लिए निवेदन है कि कब से यह ट्रांसपोर्टेशन से चारा आएगा, उसका अनुदान शुरू कर दोगे ? पशु शिविर शुरू कर दोगे और मजदूरी की इसकी व्यवस्था, सवाल यह है कि अकाल के काम पहले भी बहुत चले लेकिन पूर्व के वर्षों में अकाल के समय में बहुत ज्यादा करप्शन हुआ लेकिन इस पिछले साल में करप्शन नहीं हुआ और इस बात को तो आप भी स्वीकार करेंगे। यह व्यवस्था है। व्यवस्था आप अच्छी करेंगे तो करप्शन नहीं होगा।

आपकी व्यवस्था कमजोर होगी तो करप्शन होगा। अकाल के मामले में भी लोग नहीं चूकते हैं। पैसे ठोक जाते हैं। बाकी तो यह इन्जीनियर्स वगैरह काम करते हैं, किस तरह से इनका कमीशन दूसरा चलता रहता है, उस लफड़े में हम पड़ना भी नहीं चाहते हैं लेकिन अकाल के मामले में भी मजदूरों का नाम चढ़ाई के मामले में, लोग पहले पैसे खा जाते थे। पिछले वर्ष नहीं खाये। ऐसा कहीं नहीं है। हमारे जिले में तो एक भी मामला नहीं आया। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं लेकिन पूर्व में ऐसा हुआ था। तो यह व्यवस्था अच्छी सरकार ने की, ध्यान दिया पूर्ववर्ती सरकार ने तब तो यह हुआ इसलिए आप भी ध्यान देना। दिलावर साहब, अगर आपको लगे, नहीं तो आपको जैसे लगे कर देना। हमारा तो काम है आपको कहना और हमारे हाथ में तो कहने के सिवाय कुछ नहीं है। आप भी इधर से ही जोर-जोर से बोलते थे। आप तो बहुत आरोप लगाते थे। आप तो इस सदन में कपड़े तक फाड़ देते थे। हमने तो कोई कपड़े फाड़ने का कुछ किया नहीं काम। हमने तो सुझाव के तौर पर कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी : तो यह कहना चाहते हैं।

श्री मदन दिलावर : आप तो रोना रोते थे। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : रोना बहुत मुश्किल है। आप भी एक बार रोकर बता दो। रोना है न, रोना भी उसको ही आता है जिसके दिल के अन्दर गरीब के प्रति दर्द हो। आज आप और हम चुनकर यहां आ जाते हैं। यहां आने के बाद उन गरीबों के प्रति कितनी बात करते हैं और कितनी नहीं करते, क्या

(श्री हेमाराम चौधरी)

करते हैं या क्या नहीं करते, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है लेकिन दिलावर साहब, अब आप सत्ता में हो, पहले में और अब में.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सीधा क्यों विवाद में पड़ रहे हैं ?

श्री हेमाराम चौधरी : इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें आप राजनीति मेहरबानी करके, कृपा करके नहीं लायें, सब लोगों को, जरूरतमन्द को जो काम मिले। समय पर उनका भुगतान हो और पूरा भुगतान हो और उनकी मजदूरी में कोई कटौती नहीं हो, यह सारी बातें आप करेंगे तब तो अकाल का सही प्रबन्ध हो जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अकाल पड़ेगा ही नहीं।

श्री हेमाराम चौधरी : अकाल पड़ेगा ही नहीं, यह बात तो आप भी बहुत जोर-जोर से कह रहे थे पर अब पड़ा या नहीं पड़ा, यह तो आप जानें। अब तो पड़ा ही नहीं है तो यह कह देना कि अकाल पड़ा ही नहीं है, आपके राज में अकाल पड़ता नहीं, यह भी आपने बहुत बार बात कही है।

श्री संयम लोढ़ा : आपके वक्तव्य से मंत्रीजी, मालूम पडता है कि सरकार कितनी गम्भीर है अकाल को लेकर। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चोधरी : यह बात सही है कि आप यही कहते रहना और आप करना कुछ मत। अकाल के लिए प्रबन्ध.....(व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सम्वत् 2027 में यह.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : तगारामजी, आप बीच में नहीं। नहीं-नहीं, यह तो यह बात कर रहे हैं कि अकाल नहीं पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : आपने बार-बार मेरे क्यों बीच में टोकाटोकी की ? इससे यह साफ जाहिर होता है कि आप अकाल के प्रति कतई गम्भीर नहीं हैं। आपका अकाल के बारे में प्रबन्ध करने का कोई इरादा नहीं है लेकिन

(श्री हेमाराम चौधरी)

आप नहीं करेंगे तो हम तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, सुझाव के सिवाय लेकिन ईश्वर आपको माफ नहीं करेगा और मौका आने पर जनता भी आपको माफ नहीं करेगी। हमको भी नहीं किया तो आप कौन से खुदा हो ? आप आप भी तो इन्सान ही हो न ? इन्सान से बढ़कर आज आप अपने आपको सत्ता में आने से खुदा समझने लग गये। कुछ दिन हम भी समझते थे। हमारा भी गरूर दूर हो तो आपका नहीं हो सकता क्या ? (व्यवधान) मैंने तो कहा है इस विधान सभा के अन्दर, बिजली के मामले को लेकर, मैंने तो इस बिजली के मामले में कहा है। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय हेमारामजी, 25 तारीख को जब अधिकारियों की मीटिंग रखी, श्रीमान्, आप नहीं पधारे। आप कह रहे हो कि आप कितने गम्भीर हो पानी के बारे में, अकाल के बारे में, यह 25 तारीख को आप क्यों नहीं पधारे ? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : आपके हाथ में क्या है, अमरारामजी ? आपको तो स्वतन्त्र प्रभार भी नहीं दिया। आप बात करते हो, आप एक कोई स्वतन्त्र प्रभार तो ले लो। जेल का दे रहे थे, जेल में क्या, किसी को जेल में डालना है क्या ? जेल का महकमा आपको दे रहे थे। (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : इनकी तो छोड़ो, आपको तो नहीं पधारना चाहिए था क्या ? आप तो अपनी गम्भीरता दिखाते, केवल भाषण देना ही आता है ? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : आप राजी नहीं हुए तो फिर बाद में आपने इस्तीफा तक की धमकी दे दी तब जाकर यह आपको गृह वाला थोड़ा सा यह मिला। कटारियाजी के अण्डर में आपको रखा, यह तो कटारियाजी भले आदमी हैं इसलिए आपकी थोड़ी-बहुत चलती है, बाकी आपकी क्या चले ? राज्य मंत्री तो कृषि.....(व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : जितनी आपकी चलती थी उससे ज्यादा चल रही है इनकी। उनको छोडिये आप। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : वरना राज्य मंत्री तो मैं भी था, कौन पूछता था, कौन पूछता था ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : हेमारामजी, जितनी आपकी चलती थी, उसकी बात चल रही है। जितनी आपकी चलती थी, उससे ज्यादा चलती है।

श्री हेमाराम चौधरी : मुझे मालूम था कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप तो केवल मीटिंग ले सकते हो। उसके सिवाय आपके पास कुछ है नहीं तो क्यों फालतू टाइम खराब करें। आपके यह गंगारामजी भी नहीं आये, आपके जालमसिंहजी भी नहीं आये, आपके यह भी नहीं आये और आप मुझे उलाहना दे रहे हो, सबको मालूम है....(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : नहीं-नहीं, यह सारे आये हैं। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : यह इनके बात समझ में आएगी जब आएगी। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री उपाध्यक्ष : आप इनको.....(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : अभी मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि.....(व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : यह क्या बात हुई ? आप माननीय सदस्य का अपमान कर रहे हैं। यह क्या बात हुई ?

श्री हेमाराम चौधरी : नहीं, मैं माननीय सदस्य का, मैं इनका बहुत....(व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय सदस्य सब एक समान हैं, कोई डेढ होशियार नहीं है। सब समान हैं। आप नहीं कह सकते। गलत बात है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह इनका घर का मामला है। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : मैंने कोई माननीय सदस्य का अपमान नहीं किया है। मैं माननीय सदस्य का बहुत स्वागत करता हूं। (वयवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : बिलकुल अपमान है, यह अपमान किया है। आपने कहा है कि उनको जब समझ में आएगी तब आएगी। आपका मतलब इनको समझ में नहीं आता है।

श्री अमराराम (धोद) : अगर नहीं आती आपकी बोली तो इसमें कौनसी बात है ? (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : यह क्या बात हुई ? ऐसे कमेन्ट्स मत करिये। यह कार्यवाही निकाली जाए, साहब। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह इनका घर का मामला है।

श्री हेमाराम चौधरी : समझ में क्या, कोई बात किसी के समझ में आती है और किसी के नहीं आती है। (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : आपने कहा कि इनकी समझ में आएगी तब आएगी, क्या मतलब हुआ। बुजुर्ग आदमी की आप ऐसे मजाक बना रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : कोई बात मेरी समझ में नहीं आती, इसमें क्या बात है ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : आपसे बुजुर्ग हैं।

एक माननीय सदस्य : इनको क्या तकलीफ है ?

श्री तगाराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि 15 अगस्त को बरसात हुई थी और बहुत अच्छा जमाना आया था। मैंने जानकारी दी है। मैं आशावादी हूं इसलिए भगवान बरसात करेगा और जमाना आएगा, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री हेमाराम चौधरी : प्रार्थना कर दी, जमाना आ जाएगा तो बहुत बढिया है, इनको धन्यवाद देता हूं कि भगवान इनकी प्रार्थना सुने। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा कि आप बात सीधी इनसे, आपस में वाद-विवाद में मत पडिये, आपको जो बात कहनी है वह सीधी आसन से कहिये।

श्री हेमाराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय

(श्री हेमाराम चौधरी)

नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि बहुत सदस्य बोलना चाहते हैं इसलिए में तो आपके माध्यम से सरकार से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी आज 30 जुलाई हो गयी है, 16 अगस्त से काम शुरू होंगे तो तैयारी अभी से करेंगे तब होगा। 16 जुलाई से काम प्रारम्भ करवायें। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करें। पीने के पानी की समस्या बहुत गम्भीर हो गयी है, उसके समाधान के लिए आप बिजली की कटौती तो बन्द करें। एक तरफ तो अकाल है, बरसात आयी नहीं और टोको में पानी नहीं आया, बरसात का पानी तो बहुत इकट्ठा नहीं हुआ, लोग इकट्ठा नहीं कर पाये और दूसरी तरफ आप बिजली काट देते हो। पीने के पानी के कुए भी बन्द पड़े हैं तो फिर पीने के पानी के लिए आप यह आखिर करना क्या चाहते हो ? आज जनता की क्या हालत है अगर आपकी यही व्यवस्था रही और इसी तरह से आपका इन्तजाम रहा तो लोग सड़कों पर आएंगे, धरने देंगे और फिर बाद में आप कहेंगे कि यह धरना दे रहे हैं, इनका काम है, विरोध करना, यह करना, हमने इनकी सरकार बनने के बाद में आज दिन तक मैं कभी एक भी लफ्ज नहीं बोला और कभी नहीं कहा क्योंकि समय भी मिलना चाहिए लेकिन अब समय का इन्तजार करें तो यह तो अकाल पड़ गया। लोग तो मर जाएंगे। मवेशी मर जाएंगे। पीने के लिए पानी नहीं, फिर बाद में हम कब बोलेंगे इसलिए बोलने का समय आया है तो हमारी भी यह मजबूरी है कि हम भी सरकार के सामने अपने सुझाव रखें और उनसे कुछ निवेदन करें। हम तो आपसे यही करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप अकाल के अन्दर पुख्ता प्रबन्ध करें, जिसमें बाड़मेर और जैसलमेर में तो बिलकुल भयंकर अकाल है। प्रभारी मंत्रीजी पधारें, जलदाय मंत्रीजी भी पधारें। जो भी जिनके हाथ में काम हो, वे आयें, जो कुछ वहां आकर देखकर, उस पर कुछ निर्णय लें। यूं ही मीटिंग ली। आपने मीटिंग ली, क्या निर्णय लिया ? क्या फैसला किया पीने के पानी के बारे में तो इसलिए कुछ निर्णय ले सकने की स्थिति में हो तो आप पधारें, यूं तो हम भी बाड़मेर में ही बैठे हैं न, हम भी तो जन-प्रतिनिधि हैं लेकिन हमारे हाथ में निर्णय लेना तो है नहीं। लेने वाली बात रही नहीं। हम तो आपके सामने कह सकते हैं, यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अर्जुन सिंह देवड़ा।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आज सूखे और अकाल पर यहां चर्चा हो रही है। गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात बताई, वाकई में जो परिस्थितियां अभी तक बनी हैं राजस्थान की, मैं ऐसा समझता हूं कि राजस्थान के इकतालीस हजार गांवों में रहने वाले किसान और जो मजदूर हैं, सभी के सामने एक समस्या खड़ी हो गयी कि किस प्रकार से हम, हमारा, हमारे परिवार का भरण-पोषण कर पायेंगे। किस प्रकार से हम हमारे पशुओं को जिन्दा रखेंगे क्योंकि पिछले तीन सालों से राजस्थान में लगातार अकाल पड़ रहा है और आपको मालूम है कि राजस्थान में अधिकांश जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और उनकी जीवनी का साधन कृषि और पशुपालन यही है। यह दोनों ही चीजें बरसात के ऊपर निर्भर रहती हैं और यदि बरसात आती है तो निश्चित तौर पर उनके जीवन में खुशहाली आती है। जो आज उनके सामने चारे की समस्या है वह नहीं रहती। लेकिन अभी आज 30 जुलाई जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे अधिक समस्या यहां पर जैसा कि गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पीने के पानी की, चारे की और रोजी-रोटी की है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक जुलाई में करीब-करीब तीन बरसात हो जाया करती थी और इससे लोगों को काफी आस रहती थी चलो, इस साल अच्छी बरसात हो गयी। लेकिन अभी तीसरा दौर भी करीब करीब जुलाई खतम होने जा रहा है औरं ऐसी परिस्थिति में अकाल तो करीब करीब है ही। यह हम सब मानकर चल रहे हैं और जो बरसात का औसत है, उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक जो बरसात हुई है वह बहुत ही कम हुई है और हमेशा की औसत के अनुसार लगभग 58 प्रतिशत कम हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारी ऐवरेज बरसात हमेशा हुआ करती है, मैं यहां पर यह भी कुछ बताना चाहूंगा कि जो सामान्य वर्षा हमारे बीकानेर जैसे डिवीजन में 46.97 एम.एम. हुआ करती थी उसके विरूद्ध अभी तक वास्तविक 7.9 एम.एम. बरसात ही हो पायी है। अजमेर में सामान्य वर्षा 101.20 एम.एम. हुआ करती थी जिसके विरूद्ध अभी तक 35.50 एम.एम. बरसात हुई है। जयपुर में 107.47 एम.एम. बरसात सामान्य वर्षा होती है उसके विरूद्ध 28.02 एम.एम. बरसात हुई है। कोटा में 152.20 एम.एम. हुआ करती थी उसके विरूद्ध 42.44 एम.एम. बरसात हुई है। उदयपुर में 102.38 एम.एम. के विरूद्ध 66.71 प्रतिशत बरसात ही हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, जो पहली बरसात आई

(श्री अर्जुन सिंह देवड़ा)

उसके बाद में बरसात आई ही नहीं और, उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सालों में बरसात कम होने के कारण हमारे यहां पर कुओं का जल स्तर भी दस से पन्द्रह मीटर तक नीचे चला गया है। आपने देखा पिछले सालों में भी कई जगह ऐसी थी जहां पर हमारे पानी के क्षेत्र कहे जाते थे - जालौर, सिरोही, लेकिन स्थिति यह आ गयी है कि बरसात की लगातार कमी के कारण वहां पर भी कुओं का जल स्तर गिर गया और उस कारण से हमारी मोटरें, हमारे पम्पिंग सैट थे, वह भी सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे। हमारे विद्युत कनेक्शन काटने पड़े।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हालत यह है कि राज्य में लगभग 110 बांधों में एक बून्द भी पानी नहीं आया है। जो पानी दूसरे बांधों में आया है वह भी मात्र सिर्फ 8.5 प्रतिशत, बिलकुल ही कम पानी आया है। ऐसे में सभी माननीय सदस्य आज यहां पर चिन्ता जाहिर कर रहे हैं और वाकई में राजस्थान में, मैं समझता हूं पिछले कई सालों में, हमने अखबार में भी देखा कि शायद यह तीसरी बार ऐसी अकाल की भीषण समस्या हमारे सामने आई है कि जुलाई में यह हालत है कि हमारे यहां पर बरसात नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदय, जलाशयों में पानी नहीं आने के कारण जो हमारे पनबिजलीघर हैं, वह भी बन्द होने के कगार पर हैं। उत्तरी भारत में विद्युत सप्लाई करने वाली एन.टी.पी.सी. की तीन इकाइयां बन्द हो चुकी हैं और दूसरी इकाइयों में भी पानी नहीं आने के कारण बिजली का काफी संकट हमारे सामने है।

उपाध्यक्ष महोदय, खरीफ का जो हमारा लक्ष्य था वह 112 लाख हैक्टेयर में था। मैं यहां कहना चाहूंगा कि जो लक्ष्य था उसके विरूद्ध सिर्फ 45 लाख हैक्टयेर में ही फसल बोई गई थी लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जिन-जिन काश्तकारों ने यह फसल बोई। सपने यह थे कि दूसरी बरसात आयेगी, तीसरी बरसात आयेगी, लेकिन बरसात आई नहीं और वह फसल भी आज वहां पर कुछ नहीं है। बरसात नहीं होने के कारण वहां पर भी जो फसल खड़ी हुई थी वह भी आज जल गयी है और लगभग 65 लाख हैक्टेयर में फसल बोई नहीं गई थी तो जो बोई थी, जो फसल नहीं बोई थी करीब-करीब एक जैसा ही है। आज पशुओं के लिये चरने के लिये कोई भी चारा नहीं है और ऐसी विकट

(श्री अर्जुन सिंह देवड़ा)

स्थिति में हमें सोचना पड़ेगा कि हम राजस्थान की जनता के हितों के लिये मैं माननीय अकाल राहत मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि तत्काल इसके लिये केन्द्र सरकार को भी अनुरोध करें और राज्य सरकार अपने स्तर पर भी राहत के कार्य शुरू करें। इसमें पीने का पानी है, चारा है और मजदूरी का काम है। उपाध्यक्ष महोदय, अकाल पहले भी पड़ते थे, पहले भी सरकार ने काम काज किये, लेकिन पहले लगभग अकाल के काम अक्टूबर महीने में शुरू होते थे। कई बार जनवरी, फरवरी में शुरू होते थे। सिर्फ 2003 के अन्दर अगस्त महीने में, जैसा कि गुढ़ामालानी से आने वाले सदस्य ने कहा कि 2003 से 16 अगस्त से काम शुरू किये गये।

उपाध्यक्ष महोदय, शायद अकाल, क्योंकि 2003 में नहीं पड़ा था, 2002 में भी अकाल था, 2001 में भी अकाल था, लेकिन उस समय के जो काम शुरू हुए, उस समय काम शुरू हुए थे जनवरी-फरवरी में, 2001 में जनवरी में शुरू हुआ था और 2003 में अगस्त में, 16 अगस्त, 2003 से शुरू किया गया। मैं ऐसा समझता हूं कि शायद तत्कालीन सरकार के सामने चुनाव सामने थे और ऐसी परिस्थिति में उन्होंने 16 अगस्त से अकाल राहत के कार्य शुरू किये। इसके लिये तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उन्होंने अकाल राहत का कार्य तो शुरू किया और.....(व्यवधान) आप मुझे कहने दें मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूं।......(व्यवधान) ऐसा है हेमारामजी.....(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : आपके सामने पंचायतों के चुनाव हैं।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : ऐसा है हेमारामजी, चलिये, मैं हेमारामजी की बात से सहमत हूं कि चुनाव, यह कह रहे हैं लेकिन मैं.....(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : इसलिए खोले कि चुनाव थे सामने। हम कह देंगे आपके पंचायतों के चुनाव हैं इसलिए आपने खोले, यह कौनसी बात है।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य काफी शेखी यहां पर आप कर रहे थे अपनी सरकार की।....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : देवड़ा साहब, अभी जो 16 अगस्त, 2003 कोट कर रहे हो, यह गलत है 16 अगस्त, 2002 है। 2002 में 16 अगस्त से काम चालू

(श्री संयम लोढ़ा)

हुए। गलत है आपका। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : मेरे में 2003 लिखा हुआ है। हां, 2002 है। मैं इसमें अपने आपको करेक्ट करता हूं। अभी गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी चर्चाएं की। पिछली सरकार के अकाल राहत के प्रबन्धन की बात बताई कि क्या क्या हुआ, क्या-क्या नहीं हुआ ? मैं यहां पर आपने कुछ बातें कहीं। उपाध्यक्ष महोदय, अकाल, पूर्व में भी हम साथ में थे 85 में, उस समय भी अकाल पड़े थे और तत्कालीन मुख्य मंत्री स्व. हरिदेव जी जोशी और तत्कालीन मुख्य मंत्री माण्डलगढ़ से आने वाले माननीय शिवचरण जी अभी यहां विराजे थे उस समय भी राजस्थान में अकाल काफी भयंकर था और राज्य सरकार ने अकाल राहत कार्य शुरू करवाये। लेकिन पिछली सरकार ने अकाल राहत में जो भेदभाव किया, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से ऐसा कभी कांग्रेस सरकार ने अकाल राहत में भेदभाव नहीं किया होगा। अभी बड़ी-बड़ी, लम्बी-लम्बी बातें कर रहे थे कि हमारी सरकार ने रोस्टर प्रणाली अपनाई। किस प्रकार की रोस्टर प्रणाली.....(व्यवधान)

श्री हेमाराज चौधरी : जिन्होंने भेदभाव किया तभी तो आप चुनाव जीतकर आये हो। जिन्होंने भेदभाव किया, मैंने कहा न वह तो बाहर ही रह गये। भेदभाव नहीं किया वह अन्दर आये हैं।.....(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी : यह तो आपने मान लिया कि आपने किया था। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : जिन्होंने गड़बड़ी की वह बाहर रह गये। आप बड़े चिन्तित थे कि मस्टररोल किस को दिये जायेंगे, अपने गिरेबान में झांक कर देंखे कि किस को देते थे, मस्टररोल बिकते थे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं मस्टररोल बिकते थे और आज हमको यह सीख दे रहे हैं। कम से कम कहने के पहले सोचना चाहिए। मैं ऐसी बातें नहीं करता हूं और न मैं किसी को डिस्टर्ब करता हूं। मैं आपका सम्मान करता हूं, आप बार-बार खड़े होकर इस तरह की बात कर रहे हैं तो मुझे कहने में मजबूर होना पड़ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय देवड़ाजी, वो आपकी बात से सहमत ही थे।

श्री हेमाराम चौधरी : आप किसके लिए कह रहे हो मस्टररोल बिकते थे ? यहां मेरे बारे में कह रहे हो क्या ? मैंने कहा न कि जिन्होंने भी किया है उनको भोगना पड़ा है और जो करेंगे फिर भोगेंगे। हम करेंगे तो हम भी भोगेंगे, हम कोई खुदा नहीं हैं, हम भी इन्सान हैं।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यहां किसी माननीय सदस्य का नाम नहीं लिया।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को टोक रहे हैं को बार-बार, यह कोई सवाल जवाब थोड़ी हो रहा है। (व्यवधान) आपने अपनी बात बता दी, सरकार क्या करेगी सरकार बता देगी।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : लेकिन जिन्होंने किया उन्होंने भुगता भी और अभी माननीय सदस्य कह रहे थे क्या हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना नहीं चाह रहा था कि जो मस्टररोल के गेहूं दिये जाते थे, उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार की ओर से गेहूं दिये जाते थे और 25, 75 परसेन्ट राशि होती थी भुगतान की वह गेहूं के रूप में 25 परसेन्ट आपकी कैश के रूप में जो राज्य सरकार देती थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात आपको बताना चाह रहा हूं कि पिछले टाइम में जो गड़बड़ियां हुई गेहूं में और इन चीजों में, इनमें 168 एफ.आई.आर. लोज हुई है, 84575.3 क्विंटल गेहूं गबन हुए हैं और अगर इसमें रिकार्ड चाहें तो सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य अभी खड़े हो गये, मैं कहना चाहता हूं कि सिरोही में तीन केस और 11.940.48 क्विंटल गेहूं का गबन हुआ। इसी प्रकार से एक-एक आंकड़ा बताना चाहूं तो अलवर में दो मुकदमें दर्ज हुए जिसमें 1226.70 क्विंटल गेहूं का गबन हुआ। बांसवाड़ा में 1907, बाड़मेर में 2612 । यह तो, उपाध्यक्ष महोदय, वह हैं जो सरकार के आंकड़ों में है, जालौर का मुझे मालूम है, उपाध्यक्ष महोदय, ट्रक आये सीधे के सीधे अहमदाबाद चले गये।

जैसा अभी माननीय सदस्य बता रहे थे, अकाल की जो इस बार व्यवस्था है निश्चित तौर पर उसमें भी सुधार लाना पड़ेगा। अभी चारे की बात की, चारे के बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं ने कलक्टर साहब को कहा, उसमें रेत आती थी। मैं मंत्री महोदय से यह आग्रह करना चाहूंगा कि कृपा कर के इस बार जो-जो पिछली सरकार द्वारा इस प्रकार के काम किये गये हैं, इन

(श्री अर्जुन सिंह देवड़ा)

कामों को तो निश्चित तौर पर ध्यान में रखते हुए इस काम में पूरी सावधानी बरतें। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि अभी भी चुनाव आने वाले हैं, मैं उन चुनाव के परे जाकर मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा, वैसे तो, उपाध्यक्ष महोदय, 27 तारीख को केन्द्रीय अध्ययन टोली, तीन सचिव यहां आये थे, यहां आकर अकाल का जायजा लिया और उन्होंने भी माना कि वाकई में राजस्थान में अकाल है और इस अकाल की स्थिति में निश्चित तौर पर सरकार ने अपनी जो मांग रखी है 7719 करोड़ रूपये कि इससे निपटने के लिए तो मैं समझता हूं कि सभी, पक्ष और विपक्ष हम सभी लोग मिल कर जल्दी से जल्दी केन्द्र सरकार पर दबाव बनाएं। राजस्थान की जनता पिछले तीन-चार सालों से अकाल से ग्रसित है और ऐसी सूरत में जो समस्या अभी सामने आने वाली है, जिसमें पीने के पानी की विशेष समस्या है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि बिजली की सप्लाई सही नहीं होने के कारण जो हमारे पीने के पानी के स्रोत हैं और जहां पर हमारे डाइरेक्ट फीडर हैं, अभी फिलहाल 132 के.वी.ए. सब-स्टेशन को किन्हीं कारणवश बन्द किया गया है, मैं यहां कहना चाहता हूं मंत्री महोदय से और विद्युत मंत्रीजी से भी कि हमारे जो छोटे-छोटे गांव हैं, जैसे सांचौर है, वहां पर टापी और सुरावा दो ऐसी जगह हैं कि उन 108 गांवों को सप्लाई उन दोनों ही स्रोतों से होती है। वह 33 के.वी.ए. सब-स्टेशन से जुड़े हुए हैं, डाइरेक्ट फीडर से अगर 132 के.वी.ए. सब-स्टेशन से बिजली काट दी जाती है तो निश्चित तौर पर लोग बिजली के बिना रात को लालटेन लगा कर भी रह सकते हैं लेकिन वह 108 गांव के लोग बिना पानी के नहीं रह सकते। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि विशेष तौर से यह जो बिजली की समस्या है, जो 33 के.वी.ए. स्टेशन पर डाइरेक्ट पी.एच.ई.डी. को जो सप्लाई हमने दी है तो इस परिस्थिति में उनको बन्द नहीं किया जाए और जैसा कि हेमारामजी ने कहा कि यह भी बात सही है कि कुछ स्टाफ की कमी है तो निश्चित तौर पर वहां पर स्टाफ भी लगाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि जालौर में हमारी सात पंचायत समिति हैं, पांच विधान सभा क्षेत्र हैं। सात में करीब-करीब सभी

(श्री अर्जुन सिंह देवड़ा)

जगह कहीं पर दो ए.ईएन. हैडक्वाटर हैं, कहीं पर एक ए.ईएन. जसवन्तपुर जहां पर 150 गांव हैं, वहां पर एक ही ए.ई.एन. हैडक्वाटर है लेकिन है जो रानीवाड़ा और जसवन्तपुरा जहां पर 150 गांव हैं, वहां पर एक ही ए.ईएन. है जो रानीवाड़ा और जसवन्तपुर को सम्भालता है। ऐसी परिस्थिति में एक ए.ईएन. जहां पर पानी की समस्या है इधर से उधर उसको काम देखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जे.ईएन. वहां है नहीं, तो मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि ऐसी जगह और भी राजस्थान में होगी, सिर्फ मैं जसवन्तपुरा की बात नहीं कह रहा हूं, और भी होंगी तो ऐसी परिस्थितियों में वहां पर भी अलग से व्यवस्था करके कुछ ऐसी कार्यवाही की जाए ताकि वहां के लोगों को इससे राहत मिले और हो सके तो एक ए.ईएन. दो जे.ईएन. एडजेस्ट कर के नयी पोस्ट क्रिएट करें ताकि इस भीषण अकाल की परिस्थिति में उन लोगों को राहत मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चारे के बारे में कहना चाहूंगा कि चारे की भी समस्या है। पिछले साल चारा था जो हमने हमारे पशुओं को चरा दिया लेकिन अभी बरसात नहीं होने के कारण से पूरे प्रदेश में चारे, पानी की लोगों को रोजगार की, तीनों ही समस्याएं हैं और मैं यहां पर पुनः मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि पहले, उपाध्यक्ष महोदय, यह होता था यहां पर कई बार चर्चा होती थी और चर्चा करने के बाद में जो भी मुख्यमंत्री होते थे, तो वह यह कहते थे कि हम पटवारियों से इसका दिखवा लेते हैं कि कितना खराब हुआ है, कितना खराब नहीं हुआ है लेकिन इस बार तो बिलकुल साफ-साफ है कि कुछ जमीन पर तो बुवाई हुई, उस पर फसल जल चुकी और कुछ जमीन ऐसी है जिस पर बुवाई नहीं है। तो इन परिस्थितियों में पुरजोर शब्दों में राज्य सरकार से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार से भी जो आपने अनुरोध किया है, निश्चित तौर से वह सहयोग आपको मिलेगा केन्द्र से जैसा पिछली सरकार को भी मिला था लेकिन अभी जो अपने संसाधन हैं, जो भी आपके पास हैं, निश्चित तौर पर जल्दी से जल्दी यह राहत कार्य शुरू कराएं ताकि राजस्थान की जनता को जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उनको पीने के पानी, चारा और रोजी-रोटी मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। श्री शांतिलाल चपलोत।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अकाल की स्थिति बहुत भयaकर है। पिछले 125 सालों में 6 साल तक कंटिन्युअल कभी अकाल नहीं पड़ा और इस बात की त्रासदी है कि पिछले 50 सालों में जुलाई मास में इतनी कम बरसात देखने में नहीं आयी।

उपाध्यक्ष महोदय, हम को इस अकाल को बहुत गम्भीरतापूर्वक लेने की आवश्यकता है। अकाल के कारण हमारा पशुधन त्राहि-त्राहि कर रहा है। पांच करोड़ के आस-पास हमारा पशुधन है, पांच करोड़ से ज्यादा हमारी जनता है और पशुधन के अलावा ऐसे पशु-पक्षी करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में हैं। गये समय अकाल के समय छोटे-छोटे वनचर, जो पशुओं की श्रेणी में नहीं आते, करोड़ों की संख्या में वन्य जीव मारे गये थे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बारे में सरकार विशेष ध्यान देवें। राज्य सरकार ने 12 जुलाई को जो बजट पेश किया था। उस समय जो बजट पेश किया था उसको यह मानकर कि अच्छी बरसात होगी, अच्छा जमाना होगा, किसी प्रकार से अकाल की कल्पना करके यह बजट तैयार नहीं किया था। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि कृषि से जुड़े जो लोग हैं, खेती से जुड़े जो लोग हैं, खेती से जुड़े जो श्रमिक हैं वह करोड़ों की संख्या में हैं। हम किस प्रकार से उनको रोजगार देने का प्रबन्ध करेंगे। आज उनके दर्द की कहानियां हम नहीं कह सकते।

मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस बजट में बाढ़ का जिक्र तो है पर अकाल का जिक्र नहीं है इसलिए हमको वापस, बजट भी पास हो गया, मद भी अलग-अलग कायम हो गये पर मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इसमें वापस रिव्यू करने की आज आवश्यकता है। आज हमारी प्रायोरिटीज बदल गयी हैं, 30 जुलाई तक यदि बरसात नहीं हो तो राजस्थान में हा-हाकार मचने की स्थिति आ गयी है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बारे में हम गम्भीरतापूर्वक विचार करें। सरकार लोक कल्याणकारी सरकार है और लोक कल्याणकारी सरकार का अपना दायित्व है कि "सर्वजन हिताय, बहुजन सुखाय:" सबके हित में बहुजन के सुख के लिए काम करें। करोड़ों लोगों को आज लगाने की आवश्यकता है।

इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक वाटर शेड के

(श्री शांतिलाल चपलोत)

कार्यक्रम हाथ में लिए जाएं। एनीकट और बांध मास स्केल पर आज बनाने की आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप कैसे रोजगार दे सकेंगे इसलिए आवश्यक है कि ज्यादा से ज्यादा एनीकट बनाए जाएं। इतिहास में भी पढ़ा है, उदयपुर जिले में राजसमन्द जिला बन गया है। राजसमन्द झील इसलिए बनी थी कि उस समय तीन सौ साल पूर्व भारी अकाल पड़ा तो राजसिंहजी ने अकाल से निपटने के लिए उस झील को बनाया। यह मेरे हिसाब से मुझे पूरा अनुमान तो नहीं है पर दस हजार से बारह हजार एम.सी.एफ.टी. की झील बनाई थी। इसी तरीके से जयसमन्द भी अकाल के टाइम पर बनी हुई झील है जो एशिया की प्राकृतिक झीलों में सबसे बड़ी झील है जयसमन्द जो भी अकाल में बनी हुई है। सोलह-सत्रह हजार एम.सी.एफ.टी. की होगी या उससे ज्यादा की होगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अभी ज्यादा से ज्यादा एनीकट, ज्यादा से ज्यादा वाटर शेड के काम, रोड्स का काम यानि इसमें मैटेरियल कम्पोनेन्ट भी कम लगेगा और ज्यादा से ज्यादा रोड्स का काम होगा तो मास स्केल पर आप लोगों को काम दे पाएंगे वर्ना इतने लोगों को काम देना बहुत मुश्किल काम है।

आज जिस तरह की स्थिति हो रही है अभी उदयपुर जिले में आज तक के रिकार्ड के अनुसार तीन इन्च भी बरसात पूरी तरह नहीं हुई है जबकि जुलाई निकल गया और पन्द्रह अगस्त के बाद तो रेयर ही बरसात होती है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर विशेष ध्यान दें।

आज मानसी वाकल का कार्य जो उदयपुर की एक महती योजना है, उस मानसी वाकल योजना को अधिक धनराशि देकर जो स्टेज थर्ड और फोर के काम हैं वह ज्यादा कराए जाएं जो मोहनलालजी सुखाडिया के टाइम से पैण्डिंग चले आ रहे हैं। हम आज जो काम चला रहें हैं वह मानसी वाकल का पानी हम लिफ्ट से लाना चाहते हैं। मेरा अनुरोध है कि वाई टनल, गुफा बनाकर के चौबीस किलोमीटर की और पानी वाई ग्रेविटी लाया जाए जिससे बारह करोड़ रूपए का तो प्रतिवर्ष का बिजली का व्यय बच जाएगा। इसलिए भी आवश्यकता इस बात की है कि मानसी वाकल के काम को अभी द्रुत गति से कराया जाए तभी जाकर के आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगा सकते हैं।

(श्री शांतिलाल चपलोत)

इसी तरीके से माही का पानी जयसमन्द में डलवाया जाए। जयसमन्द बहुत बड़ी झील है। पूरा का पूरा सराड़ा, सलूम्बर, गिर्वा के पार्ट, यह काफी एरिये हैं जो उससे लाभान्वित होते हैं। तो जयसमन्द में भी आप माही से पानी ला सकते हैं।

इसी तरह से जाखम का पानी जो महती योजना है जाखम की प्रतापगढ़ के पास उस पानी को मारवाड़ होकर कानोड और भिन्नौड होकर, भटेवड होकर, मावली होकर, फतेहनगर और आस पास के इलाकों में पीने के पानी के लिए लाया जा सकता है। इसी तरह से मचिन का तालाब अभी बन रहा है। मचिन योजना बाघेरी नाके के नाम से वहां पर काफी पीने के पानी के लिए गांव जोड़े गए हैं। उसमें राजसमन्द, रेलमगरा, मावली और नाथद्वारा इनको जोड़ा जाए। मुझे बहुत आश्चर्य है और हमारे भूतपूर्व मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं इन्होंने क्यों मावली को छोड़ा यह तो ये जानें पर मेरा अनुरोध है कि उस वाघेरी के नाके का सबसे पहले जाकर के मैंने ही देखभाल की थी और काम करवाने के लिए प्रोवीजन भी बनवाया था। मैं यह चाहूंगा कि इस वाघेरी के नाके से उदयपुर के जिले में जो गांव पड़ते हैं उनमें भी पीने के पानी की सुविधा कराई जाए। आज की तारीख में पीने के पानी का जितना हाहाकार हो रहा है, इन दिनों में जून तक बल्कि 15 जुलाई तक 750 टैंकर केवल मावली तहसील में चल रहे थे। इससे आज सहज अनुमान लगा सकते हैं कि वहां की स्थिति क्या होगी। आज की तारीख में 500-500, 400-400 फीट पानी नीचे उतर गया है, 600-600 फीट के ट्यूबवैल लोगों ने हमारे यहां लगाए हैं और पानी नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है इस पर विशेष ध्यान देने का कष्ट करें, सिंचाई मंत्रीजी और अकाल राहत मंत्री जी इसके बारे में सोचें।

बनास का उदगम स्थल हमारे यहां पर है। बनास के उदगम स्थल का पानी मारवाड़ में होकर के लूणी नदी में बहकर समुन्द्र में जा रहा है, उसको रोककर के डाइवर्ट करके बनास में डाला जाए और उस पानी को राजसमन्द में भी डलवाया जा सकता है। उसके लिए भी कोई महती योजना.....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कहां है चपलोत साहब वह पानी ?

श्री शांतिलाल चपलोत : वह जब भी बरसे जब डलवाने के लिए पूरी कोशिश तो करो। वह जा रहा है, लूणी में बहकर जाएगा तो अरब सागर में ही (व्यवधान) इसलिए कह रहा हूं बरस जायेगा तो बहुत अच्छी बात है। आपके मुंह में गुड़ और शक्कर। मैं तो चाहता हूं कि आपके कहने से बारिश बरसे तो हमारे को कोई तकलीफ ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : चपलोत साहब को मत रोको।

श्री शांतिलाल चपलोत : मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने आदिवासी इलाके, मैं नहीं जानता कि कितने देखे हैं, जब तीन साल पहले मैं और माननीय जो आज उपराष्ट्रपति हैं, माननीय कटारिया जी और कई लोग आदिवासी इलाके कोटड़ा में गए। वहां एक महिला अपने बच्चों को जिन्दा रखने के लिए तीन साल पहले टिमरू के पेड़ पर चढ़ी कि बच्चों को टिमरू खिलाकर जिन्दा रखेगी, वह उस पर चढ़ी तो वह उससे गिर गयी और वह मर गयी। भूख का इतना हाहाकार उस एरिये में मचा हुआ है। पानी भी बरसता है वहां कोटड़ा में पर पानी को रोकने का कोई साधन अभी तक नहीं बनाया।

इसलिए ज्यादा से ज्यादा एनीकट कोटड़ा के क्षेत्र में, झाड़ौल के क्षेत्र में बनाए जाएं। वहां पर बहुत भारी जंगल हैं उसके बावजूद भी वहां वन औषधियों का अभाव है साढ़े तीन सौ प्रकार की वन औषधियां उन जंगलों में मिली हैं। कोटड़ा, झाडौल, सीता भैरन जो प्रतापगढ़ से धरियावद के बीच में है, वह धरियावद मानसी देसूरी का जंगल और जयसमन्द की तरफ आने वाला जंगल, इन सब जंगलों में ज्यादा से ज्यादा यदि हम वास्तव में किसान का हित करना चाहते हैं, आदिवासी इलाके के लोग हैं, यदि आदिवासियों को बचाना चाहते हैं तो वन औषधियां बुवाकर उनको काम पर लगाया जाए। यदि वन औषधियां हमको मिल गयी तो एक एक हजार रूपये की मैंने पहले भी कहा कि वहां धौली मूसली होती है, दूसरी प्रकार की होती है। ऐसी कई प्रकार की चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि उस जंगल में भैंसवाड़ा का जोरदार जंगल है उनमें यदि आपने जड़ी बूटियां बोने का काम करवाया और किसी प्रकार के काम करवाये अभी इस अकाल के समय तो मैं समझता हूं बहुत सार्थक हम कदम उठा पायेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि आपकी घंटी हो गयी है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बाकी सहमति तो प्रकट हो गयी.....

श्री शांतिलाल चपलोत : "परोपकार: फलन्ति वृक्षा:, परोपकार: बन्ति नद्य:" परोपकार के लिये ही वृक्ष फल देते हैं। परोपकार के लिये ही नदियां पानी बहाती हैं। नदियों में पानी बहता है तो यह नहीं कहती हैं कि पानी मेरा है और मैं इसको यूज करूंगी। वृक्ष जो फल देते हैं वह कभी नहीं कहते हैं मेरा आम है मैं ही खाऊंगा। जड़ जीब भी दूसरों की भलाई के लिये जी रहे हैं तो हम सब लोग जो सदन में बैठे हैं, जागरूक लोग हैं, हम इस पीडित मानवता के लिये आगे आयें। आज मानवता में जो कसक आ रही है, छह साल से जो लोग अकाल से जूझ रहे हैं उनके लिये हमको बिना किसी पालिटिक्स के, बिना किसी लाग लपेट के एक होकर, "उतिष्ठत: जाग्रत त्प्यवरन मोदते:" उठो, जागो और जब तक लक्ष्य सिद्ध नहीं हो जायेगा, अकाल की चपेट से राजस्थान को नहीं बचा लोगे तब तक हम चुपचाप नहीं बैठे रहेंगे, यही बात कहकर मैं अपनी बात यही समाप्त करना चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री शांतिलाल चपलोत : मेरा आपसे अनुरोध है इसके बारे में जरा विचार करें।

एक ही बात कहना चाहता हूं गये समय से हमने जो तय किया था कि 128.98 लाख हैक्टयेर में बुवाई करेंगे। कुल मिलाकर अभी जुलाई में परसों तक 44.74 लाख हैक्टेयर में ही बुवाई हुई है। उसमें धान 1.68 की जगह .39, ज्वार 5.88 की जगह 2 लाख हैक्टेयर, बाजरा 44.15 की जगह 13.46 लाख हैक्टेयर, इसी तरीके से सोयाबीन, कपास और सबमें 1/3 के आस पास ही बुवाई नहीं हुई है। इस बात को गम्भीरता से लेने की आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। श्री रिछपाल मिर्धा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में राजस्थान की सरकार के सामने और राजस्थान की जनता के सामने एक बड़ा गम्भीर मुद्दा राजस्थान में है। एक आसाम और बिहार को छोड़कर अन्य स्टेटस में भयंकर अकाल है और राजस्थान भी इसकी चपेट में है। तो इस अकाल के मुद्दे पर सदन में आज चर्चा हो रही है। मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं करते हुए जो मेरे जिले और इलाके की गम्भीर समस्या है अकाल से सम्बन्धित उन पर कुछ सुझाव दूंगा और मेरे विचार सदन के समक्ष रखूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : बहुत अच्छी बात है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस जिले से आता हूं.....

श्री हेमराज मीणा : मेरे तो अकाल आपने ही.....(व्यवधान) निपटा है। अकाल है ही कहां आपके पास। अभी अकाल के काम और भी निपटेंगे.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : क्या कह रहे हैं आप ?

श्री महीपाल सिंह यादव : यह मामला स्पष्ट कर दें.....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं करेंगे.....

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : क्या कह रहे हैं, अकाल निपटा है आपने.....

श्री महीपाल सिंह यादव : मेरा झुकाव उधर है.....

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : इनके लिये भी आप तुमड़े का बीज मंगाओ। इनको भी आफरा हो रहा है। तुमड़े का बीज मंगाकर....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कौनसा बीज ?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : तुमड़े का बीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कहां मिलेगा ?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : चूरू जिले में मिल जायेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह मंगाकर कैसे देना है इनको ?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : पाड़े के दूध में मिलाकर पिलाओ इनको।

डा. किरोड़ीलाल : वह तो छत्तीसगढ़ में मिलेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तुमड़े का बीज.....

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : और जब भी कोई आफरा होता है..... (व्यवधान) मैं कभी किसी माननीय सदस्य के बीच में नहीं बोलता.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : फिर घोलकर पिलाओ.....

श्री महीपाल सिंह यादव : और जगह का पता नहीं हो तो चपलोत साहब बता देंगे।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : मेरी बात नीडर होकर कहता हूं और आप बीच में बोले तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप ऐसी छोटी-छोटी बातों पर न बोलें।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, वह बीच में बोल रहे हैं इसलिये मैंने निवेदन किया....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कितने लोगों को देना है आप तो यह बता दो।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : आप वैद्य हो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा कितने लोगों को देनी है....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कितने लोगों को देनी है ?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : वह लिस्ट दे दूंगा आपको अलग से चैम्बर में जाकर कि इन-इन लोगों को आप पिला दो तो इनको आफरा नहीं आए... (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, तूमड़े के बीज तो जहर होते हैं तो यह माननीय सदस्य मुझे जहर पिलाना चाहते हैं इसका मतलब।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : तूमड़े के बीज से कब्जी मिट जायेगी आपकी। क्या दे रहे हैं उसमें.....

श्री उपाध्यक्ष : यह तो दवा दे रहे हैं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : कब्जी नहीं होगी आपको कभी। औषधि है एक और रामबाण बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो इनके पास.....(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, नागौर जिले के करीब करीब 1470 गांव भयंकर अकाल की चपेट में हैं और अकाल का सबसे ज्यादा असर गांव में रहने वाला जिसका मुख्य धन्धा पेट पालने का खेती और पशुपालन है उस पर सबसे ज्यादा होता है।

वैसे तो राजस्थान में पिछले वर्षों में देखें तो करीब-करीब दस साल से बरसात कम हो रही है। चार साल लगातार पिछले शासन में अकाल पड़ा। पिछली साल अच्छी बारिश हुई, जमाना भी हुआ। इस अकाल से जूझने के लिये सरकार को कई योजनाएं बनानी पड़ेंगी। सरकार की जिम्मेवारी के साथ सभी जन-प्रतिनिधि जो इस सदन में बैठे हैं, राजस्थान की जनता के सुख-दुख में उनकी भी भागीदारी है और उनका जिम्मा भी बनता है कि राजस्थान की जनता जब संकट में हो तो अपनी जिम्मेवारी को समझें।

मैं इस बात के लिये राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में जो अकाल राजस्थान की जनता तो भुगत रही है और अब ऐसा लगता नहीं आज 30 जुलाई होने को आयी, अब अगर बारिश हो भी जाये तो आधी फसलों की बुवाई का समय निकल चुका और कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश हुई वहां किसानों ने बुवाई की वहां बीज और भाड़े के पैसे उनके घाटे में हो गये। अब आने वाले समय में सरकार को हर हाथ को काम देना, पशुधन जो बचा है उसको कैसे बचाया जाये, भूख से कोई नहीं मरे और पेयजल की व्यवस्था अच्छे तरीके से हो जाये, इन तीन बातों के लिये सरकार से निवेदन करना चाहूंगा।

मेरे इलाके में वैसे नागौर के अन्दर 68520 पशु बचे हैं इन सालों में। गायों की बहुत दुर्दशा हुई और 70 लाख से घटकर आंकड़ा यह आ गया 28

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

लाख। इससे आप अन्दाज लगाओ कि नागौर जिले का कितना पशुधन मौत के मुंह में पहुंच गया। तो आने वाले समय में मैं माननीय मंत्रीजी अनुभवी हैं वैसे तो और इनसे निवेदन करना चाहूंगा जितनी भी गौशालाएं चल रही हैं, जो पशु आवारा घूम रहे हैं उनको चिन्हित करके आप जो चारा डिपो खोलें उनमें ऐसी व्यवस्था करें कि उन पशुओं तक गरीब को वह चारा मिल जाये। जो लोग इस अकाल के समय में भ्रष्टाचार करते हैं उनको आप कड़ी से कड़ी सजा दें। स्कूटर के नम्बर, मोटर साइकिल के नम्बर, उप नम्बरों पर चारे की गाडियां ला लाकर गाडियों का पैसा खाने से भी भ्रष्ट लोग नहीं चूकते। मैंने तो देखा है जिन्होंने गायों के पैसे खाये हैं और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनको लकवा हुआ और लकवा की फैरी लगाने वाले धाम भी मेरे क्षेत्र में है। उसको बोला जाता है बाबा चतरदासजी का धाम है। वहां सब लूले लंगड़े अभी फेरियां दे रहे हैं पड़े पड़े। सब वहां पड़े हैं।

श्री उपाध्यक्ष : फिर भी मानते नहीं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : भगवान के घर तो न्याय होता ही है बाकी इस मामले में सरकार भी सजग रहे तो अच्छा रहेगा.....

श्री उपाध्यक्ष : फिर भी डरते हैं कहां यह। फिर भी डरते तो नहीं हैं करने वाले।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : डरते नहीं है तो भरेंगे। करेंगे वह भरेंगे।

श्री जुबेर खान : लूले लंगडे हो जायेंगे।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : लूले लंगड़े होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस सरकार को यही निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल में हाहाकार नहीं मचे, हर हाथ को काम मिल जाये। जैसा अभी गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि झगड़े होंगे। झगड़े इस बात के होंगे कि आपके गांव में हर जात के लोग, हर कास्ट के लोग काम पर जाने के लिये तैयार हैं, मजदूरी पर जाने के लिये तैयार हैं तो सरकार ऐसी कोई नीति बनाये जिस हिसाब से सब लोगों तक वह

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

काम पहुंचे। सबको बारी-बारी से मजदूरी मिले और पेयजल, छाया की व्यवस्था जिससे लोगों को राहत मिल सके।

पिछली बार अकाल का प्रबन्ध अच्छा हुआ था। जो काम हुआ है उसकी सराहना करेंगे। जो नहीं हुआ है उसकी बुराई भी करेंगे। पिछली बार अकाल का प्रबन्धन अच्छा था और भारत सरकार के प्रधानमंत्रीजी ने उसकी सराहना की थी।

अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे इलाके की कुछ पेयजल की समस्याएं हैं, मंत्रीजी तो यहां नहीं विराजते हैं। पर आजादी के 57 साल बाद भी मेरे क्षेत्र के इन गांवों में पीने का पानी आज भी उपलब्ध नहीं है। एक ए.ईएन. डेप्युटेशन पर लगा हुआ है, तीन जे.ईएन. की पोस्ट खाली पड़ी हैं, डेगाना में एक पोस्ट खाली पड़ी, भैरूड़ा में एक पोस्ट खाली पड़ी और बुटाड़ी में एक पोस्ट खाली पड़ी।

उपाध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों की इतनी लापरवाही कि एक्स.ईएन. और एस.ई. कोई आर्डर करे तो उसको कर्मचारी माने नहीं। हमारी यूनियन बनी हुई है, लीकेज निकालने जाए नहीं, शाम को दारू पीकर सो जाएंगे, कैसे लीकेज निकले ? कई स्कीमें बन्द पड़ी हैं, गांव वाले रोते रहते हैं और कोई सुनने वाला नहीं है, कोई धणी-धोरी नहीं है। कई स्कीमें ऐसी हैं जिनको पी.एच.ई.डी. महीने-महीने भर चालू नहीं कर पाता। एक स्कीम और चला रखी है टी.एस.एस. की। मेरे इलाके में 29 टी.एस.एस. योजनाएं हैं, उनमें कोई मोटर खराब हो जाए और मोटर जल जाए तो एक महीने वह मोटर वापस नहीं लगे। कहते हैं तो कहते हैं कि पंचायत में कहो, पंचायत ठीक करवाएगी। पंचायत के पास पैसे नहीं किराये के नागौर जाने के ही, वह कहां से ठीक कराएगी ? मोटरों को ? यह हाल हो रहा है पी.एच.ई.डी. का मेरे यहां।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो जो जमीनी हकीकत है वह कह रहा हूं। मैं कोई बोलने के लिए नहीं कह रहा हूं या किसी की बुराई करने के लिए नहीं कह रहा हूं। आज भी आप गांवों में जाकर स्थिति देखें तो वहां पीने का पानी मिल रहा है, बिजली की व्यवस्था, चार घण्टे देने की घोषणा तो यहां आप करते हैं, कांग्रेस भी करती थी घोषणा कि 8 घण्टे बिजली दे देंगे, 12 घण्टे

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

बिजली दे देंगे, ये घोषणाएं आप मत करो। आप कुछ करके बताओ। राज बदलता है, कभी राज कांग्रेस का, कभी भारतीय जनता पार्टी का, आप व्यवस्था को बदलो तब लोग आपको मानेंगे कि हमने व्यवस्था को बदल कर दिखाया है। राज बदलने से क्या है ? राज पहले कांग्रेस का था, अब आपका है। व्यवस्था को बदलो। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पेयजल व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए और सरकार इस बारे में सजग रहे, जो पोस्टें खाली हैं उनको भरो।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं बड़े खेद के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे नागौर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला परबतसर और नागौर में लगता था। पशु मेले में बिक्री के लिए पशु आते थे और हजारों की संख्या में इन पशुओं की बिक्री होती थी। पहले हाई कोर्ट का एक आदेश हुआ कि तीन साल तक के बछड़ों, जब तक तीन साल के न हो जाएं, उसको बाहर नहीं ले जा सकते। इसके बाद में पिछली बार मैंने विधान सभा में निर्दलीय विधायक की हैसियत से कई बार इस मामले को सदन में उठाया कि साहब, एक लाइन का संशोधन कर दो कि जो कृषि योग्य हैं और कृषि के लिए जाते हैं, उनको आप ले जा सकते हैं लेकिन उन तीन साल तक के बछड़ों पर से रोक नहीं हटी। इससे हमारे नागौर के सभी पुश मेले बरबाद हो गए और तीन साल तक बछड़ों को कौन घर पर रखेगा ? तीन साल में तो वे साण्ड हो जाएं।

मैं आपके माध्यम से इस बारे में सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर ध्यान दिया जाए और एक लाइन का संशोधन कर नागौर जिले की मशहूर नागौरी नस्ल के बैलों की नस्ल को बचा सकें तो बचाने का प्रयास करें। नागौर जिले की जनता, वहां के पशु पालक आपके बहुत आभारी होंगे।

कुछ लोग भेड़ पालते हैं। हमारे वहां भेड़ भी खूब हैं। भेड़ों में जो फिड़किया रोग है उसका टीका लगता है, उसकी रेट आपने दुगुनी कर दी। बोलो साहब, उससे सरकारी रेवेन्यू कितनी बढ़ेगी ? मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि भेड़ पालकों को फिड़किया रोग की दवा के जो टीके दिए जाते थे उसकी रेट को वापस कम किया जाए और भेड़ पालकों के साथ जो अन्याय किया है उसको रोका जाए।

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

उपाध्यक्ष महोदय, अकाल में जब अभावग्रस्त गांव घोषित करते हैं तो जो ए.बी.सी.डी., चार तरह की नरगपालिकाएं होती हैं, उनको उसमें नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता ? क्या नगरपालिका क्षेत्रों में लोग नहीं रहते या उनके अकाल नहीं है या उनके कृत्रिम वर्षा आपने करवा दी ? इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सी और डी श्रेणी की नगरपालिकाएं हैं उनको भी इस अकाल के तहत अभावग्रस्त घोषित करें तो उनको भी सम्मिलित करें।

राज्य सरकार अकाल के कामों को अच्छी तरह से चलाए, लोगों को रोजगार दे, पीने का अच्छा पानी मुहैया कराए। इन बातों के लिए तत्परता से अपनी ताकत दिखाए तब तो मानेंगे कि सरकार बदली है, नहीं तो सरकारें बदलती रहती हैं, व्यवस्थाएं बदले तब राजस्थान की जनता को भी लगेगा कि हमारे सुख-दुःख में सरकार ने कुछ मदद की है, सरकार हमारे साथ है। इतनी सी बात मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। आपने जो समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। श्री हरीश चन्द।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, दोनों तरफ से दो-दो बोले, एक तो बीच में से भी बुलवाइए।

श्री उपाध्यक्ष : आपको तो सबके बोलने के बाद ही समय मिलेगा।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) : अगर हमारा आप ध्यान नहीं रखेंगे तो किससे हम अपेक्षा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : आप तो दोनों नेता हैं, सबके बोलने के बाद ही बोलते हैं, सार उसमें आ जाता है।

श्री अमराराम (धोद) : सबके बोलने के बाद तो सहायता मंत्रीजी बोलेंगे।

श्री जीतमल खांट : हम छोटे-छोटे दलों के लोग हैं। वैसे तो हमारा जनता दल राष्ट्रीय दल ही है, ध्यान रखा करें संख्या के हिसाब से।

श्री उपाध्यक्ष : आप दोनों को तो मौका देंगे ही। (व्यवधान)

श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां) : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल का तो नाम ही भयंकर है और अकाल की भयंकरता जब जाती है तब सबको महसूस होती है। इस समय अकाल की बात चल रही है, अकाल मण्डरा रहा है, अकाल आएगा या नहीं आएगा अभी तक कोई ऐसा निश्चित नहीं है। (व्यवधान) आज से ही अच्छी वर्षा आ जाये तो अकाल मिट सकता है। (व्यवधान) इस बार दो सावन हैं और दूसरे सावन में भी अच्छी बारिश आ जाए तो अकाल मिट सकता है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, जिनको अकाल नहीं लग रहा है, उनको क्यों बोलने दिया जा रहा है ?

श्री हरीशचन्द्र कुमावत : मैं यह कहना चाहूंगा कि अकाल की जो स्थिति बनती जा रही है, उस अकाल की स्थिति में काम कराने के लिए कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं और उन व्यवस्थाओं को समय पूर्व ठीक प्रकार से कर लिया जाता है तो अकाल राहत का काम अच्छी प्रकार से चलता है। अकाल जब श्रमिकों को काम पर लगाया जाता है, प्रारम्भ में तो कम लोगों को लगाते हैं, बाद में अधिक लोगों को लगाते हैं। श्रमिकों को लगाने की जो व्यवस्था है कि किस प्रकार के लोगों को चयन किया जाए, किस प्रकार के लोगों को कौन से कार्ड जारी किए जाएं, किसको हरा कार्ड मिले, किसको लाल कार्ड मिले, ताकि सब लोगों को रोजगार मिले। इस प्रकार की व्यवस्था कई जिलों में पिछली बार देखने को मिली, इस बार भी आवश्यकता पड़ेगी। मैं समझता हूं कि यह होम वर्क सभी जिलों में काफी समय से किया हुआ है, उस होम वर्क को व्यवस्थित कर लिया जाए तो ज्यों ही काम चालू हो, उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार की आवश्यकता नहीं होगी कि किस प्रकार के लोगों को काम मिल रहा है और इस प्रकार के लोगों को काम नहीं मिल रहा है।

इसी प्रकार से कामों का चयन भी किया जा सकता है। पिछली बार जो अकाल राहत के कार्य अधूरे रह गए थे, उनको भी पूरा कराने की आवश्यकता है। छोटे-छोटे काम अधूरे रह गए थे, अब अकाल के समय में उनको पूरा कर दिया जाए तो उसका लाभ सब लोगों को मिलेगा। काम जो कराए जाएं वे उपयोगी होने चाहिए। पिछले समय में गांवों में कुए गहरे कराने, परम्परागत स्रोतों को ठीक कराने के लिए काफी पैसा उपलब्ध कराया गया था।

(श्री हरीशचन्द्र कुमावत)

मुझे दूसरी जगहों की तो जानकारी नहीं है लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में हजारों कुओं को गहरा कराने के लिए राशि उपलब्ध कराई गई लेकिन आज उनका जायजा लिया जाए तो एक भी कुए में पानी न उस समय आया था और न आज इस समय है। उस पैसे का सुदुपयोग नहीं हुआ। कई लोगों ने उसमें घोटाला किया, लोगों ने फर्जी मस्टरोल बना दिए, राशि और सामग्री के फर्जी बिल बनाकर पैसा उठा लिया। इस प्रकार का अवसर उनको यदि पुनः उपलब्ध कराते हैं तो ठीक नहीं होगा, इस प्रकार के कामों को रोका जाए।

इसी प्रकार से गौशालाओं में जितनी गाएं उपलब्ध हैं उनका सर्वे पहले से ही करा लिया जाना चाहिए। पिछली बार मैंने अनुरोध किया था कि नागौर जिले में गौशालाओं को जो अनुदान मिला, वह 21 दिन देर से मिला, उन 21 दिन के अनुदान की राशि अब तक बकाया चल रही है।

उस समय मैंने सरकार से निवेदन किया था तो तत्कालीन मुख्य मंत्री ने आश्वासन भी दिया था कि उन 21 दिन का भुगतान कराया जाएगा लेकिन उस सरकार ने उसका भुगतान नहीं कराया। गाएं उपलब्ध हैं, गौशालाएं उपलब्ध हैं तो यह काम पहले से ही क्यों न करा लिया जाए। कुछ पक्के निर्माण कार्य कराए जाएं। जैसे शिक्षा विभाग की तरफ से अभी सभी स्कूलों में नए-नए कमरे बनने वाले हैं, जो मिडल स्कूलें क्रमोन्नत हुई हैं उनमें कमरे बनेंगे, जो प्राइमरी स्कूल नए खुले हैं उनमें भी कमरे बनेंगे। अकाल राहत की राशि मैटेरियल कम्पोनेन्ट के रूप में काम आ सकती है, श्रम व्यय के रूप में काम आ सकती है, इसलिए उस राशि को मैटेरियल कम्पोनेन्ट और लेबर कम्पोनेन्ट के रूप में काम लिया जाए।

इसी प्रकार से विधायक कोटा सबके पास उपलब्ध है और विधायक कोटे को काम में लेने के लिए जो मैटेरियल कम्पोनेन्ट है वह हमारे विधायक कोटे का उपयोग लेकर श्रमिक व्यय अकाल राहत से दिया जाए ताकि विधायक कोटे की संख्या भी बढ़ जाएगी और हम ज्यादा काम करा पाएंगे। इसलिए इस प्रकार से व्यवस्था भी करायी जाए।

इसी प्रकार से मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आज अखबार में पढ़ने को मिला कि अस्पतालों की विकास समिति के प्रभारी विधायकों को

(श्री हरीशचन्द्र कुमावत)

बनाया गया है। वैसे एक विधायक, जो मंत्री बनता है तो वह पूरे राजस्थान का प्रभारी बन जाता है, लेकिन आज विधायक अपने-अपने क्षेत्र में अकाल राहत के प्रभारी बनें, इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए। विधायक प्रभारी हो, वहां का प्रधान, वहां का नगरपालिका क्षेत्र का चेयरमैन, वहां का जिला पार्षद उस कमेटी के सदस्य हों ताकि इन कामों में जो अनियमितता होती है, कामों की ठीक प्रकार से व्यवस्था नहीं होती उसमें कुछ सुधार हो जाए। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि विधायकों को प्रभारी बनाते हुए हर विधान सभा क्षेत्र में इस प्रकार की व्यवस्था की जाए उनकी देखरेख में वहां का काम हो।

मैं आपके समक्ष घाटवा पंचायत का उदाहरण देना चाहता हूं। वहां का सरपंच जिसने वर्ष 2001 में वहां पर अकाल राहत में कुओं का निर्माण कराने की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। वहां पर कुए खुदाई का निर्माण काम या रिपेयर का निर्माण काम कराया नहीं, झूठे मस्टररोल और उन मस्टररोल में मजदूर, श्रमिक हैं वो भी बाहर के नाम दिखा दिये गये, उनके किसी के पैर के अंगूठे, किसी की अंगुली के अंगूठे लगाकर उसके पेमेन्ट करा दिये गये, मैटेरियल के झूठे वाउचर बना लिये गये। जब फोरेंसिक लेबोरेटरी से उसकी जांच हुई तो वो सब अंगूठे फर्जी पाये गये। पुलिस में उसका केस दर्ज हुआ, पुलिस केस में भी उसके ऊपर अभियोजन तैयार किया जाए इस प्रकार का निर्णय लिया गया, लेकिन उस समय की गवर्नमेन्ट ने यहां पर जब केस आया तो उसको बता दिया कि आप तो कुएं के मस्टररोल बना लो और मैटेरियल का खर्चा बता दो और यह बताकर यहां पर रिपोर्ट भिजवा दो कि काम तो हुआ है, केवल इतनी सी गड़बड़ हुई है जो मजदूरों को नाम है वो सही प्रकार से भुगतान नहीं हुआ, इस प्रकार का काम तत्कालीन अकाल राहत मंत्रीजी थे उन्होंने भी उनको चेतावनी दे दी कि आइन्दा से मजदूरों को ठीक प्रकार से रखा जाए, लेकिन जिस सरपंच ने वहां भ्रष्टाचार किया, जब फोरेंसिक रिपोर्ट में यह साफ-साफ आ गया कि यहां पर भ्रष्टाचार हुआ है परन्तु वो पुलिस वाले उसमें एफ.आर. कैसे लगा सकते हैं वो फाइल अभी तक चल रही है, ऐसे भ्रष्टाचार को बढ़ाने का जो अवसर आ जाता है उस पर भी कड़ा रूख लेना चाहिए ताकि आइन्दा इस काम में भ्रष्टाचार करने का अवसर प्राप्त न हो।

(श्री हरीशचन्द्र कुमावत)

इसके साथ-साथ, जैसे ग्यारहवें वित्त आयोग का पैसा है, राज्य वित्त आयोग का पैसा है वो पैसा भी सब पंचायतों में उपलब्ध होगा तो उसको मैटेरियल कम्पोनेन्ट मानते हुए श्रम व्यय अकाल राहत से दें तो वहां उन पंचायतों का विकास भी अधिक हो सकेगा, वहां ज्यादा से ज्यादा काम हो सकेगा। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा ये अकाल राहत के काम केवल गांवों तक सीमित न रखे जाएं, नगरपालिका क्षेत्र भी, छोटी नगरपालिकाओं में ये काम होने चाहिए ताकि वहां के जो गरीब आदमी हैं उनको भी काम करने का अवसर मिले।

इसी के साथ-साथ, आज नागौर जिले में पीने के पानी की भयंकर समस्या है। नागौर जिला बहुत बड़ा जिला है, इसमें सब जगह पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। मैं अपने नावां विधान सभा क्षेत्र के लिए कहना चाहूंगा आज जो हमारा नमक क्षेत्र है उस नमक क्षेत्र में धरती में पानी भी नहीं है, कुओं में पानी सूख गया है इसलिए बाहर से पानी वहां लाने की व्यवस्था, बार-बार ये बातें चलती हैं कि वहां पर बीसलपुर का पानी लाएंगे, वहां पर इन्दिरा गांधी नहर का पानी लाएंगे, लेकिन इस प्रकार की कोई योजना बनी नहीं। अब अकाल के समय में तो यह योजना बन भी नहीं सकती, लेकिन कुछ बड़ी राशि इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे वहां हमेशा अकाल की समस्या का समाधान हो, पानी बाहर से आये तो ऐसे स्थानों पर टैंकरों से पानी पहुंचाने की व्यवस्था यथाशीघ्र लागू की जानी चाहिए। यदि वहां पर टैंकरों से पानी नहीं पहुंचाया गया, उसमें कोई कमी रह गई तो आज ज्यादा भयंकर समस्या होगी तो वो पीने के पानी की होगी। यदि पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गई तो लड़ाई-झगड़ा होगा वो पानी के लिए हो सकता है। इसलिए वहां व्यवस्था की जाए। दूसरा, जिस इलाके में हमारे वहां पानी उपलब्ध है, नावां क्षेत्र में नमक का इलाका है वहां पानी की कमी है, लेकिन जो कुचामन का क्षेत्र है उधर पानी की बहुत ज्यादा कमी नहीं है, परन्तु वहां पर जो स्वीकृत हैण्ड पम्प हैं वहां पर जो ट्यूबवैल का निर्माण कराना है ये सब काम जो समर कंटेजेंसी के काम स्वीकृत हैं वो काम भी अभी तक अधूरे पड़े हैं, पूरे नहीं हुए हैं। आज प्रधानमंत्री योजना के अनुसार हैण्डपम्प कराने की बात थी उसमें 10 परसेन्ट विधायक कोटे का पैसा भी लिया गया है, लेकिन वहां हैण्डपम्प नहीं कराये

(श्री हरीशचन्द्र कुमावत)

गये। कारण यह रहा कि इसके जो ठेकेदार लोग हैं उन्होंने अपना पैसा बटोरने का ही इन्तजाम कर रखा है, काम करते नहीं हैं। इसलिए ऐसे ठेकेदारों को जो ठेका दे रखा है उसको निरस्त करना चाहिए, उनको ब्लेक लिस्टेड करना चाहिए और वहां पर काम है सब प्रकार के कराने चाहिए, हैण्ड पम्प कराने चाहिए ताकि वहां की जनता को लाभ मिल सके। ट्यूबवैल बनाना है उन ट्यूबवैलों को बनाना, उन पर विद्युत कनेक्शन कराना, मोटर पम्प लगाना इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं सब प्रकार की दुरूस्त कर दी जाएंगी तब जाकर यह अकाल का समय, यदि अपने पास रहेगा तो बहुत भयंकर हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसके लिए सारी तैयारियां.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री हरीशचन्द्र कुमावत : सारी तैयारियां करते हुए उन सबकी व्यवस्थाएं करते हुए इसका अच्छा प्रबन्ध करते हुए यह सरकार ध्यान देकर इसको कराये तो मैं समझता हूं आने वाले समय में अकाल के समय में हम सब लोग लगेंगे तब जाकर उस अकाल को सम्भाल पाएंगे। इस बार का अकाल बहुत भयंकर अकाल होगा, इसलिए इसमें हम सब दूसरी स्वयंसेवी संस्थाओं का भी योगदान लेंगे, दूसरे दानदाताओं का सहयोग भी लेंगे, आम जनता का सहयोग भी लेंगे, इसके साथ प्रबन्ध अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। इसलिए स्वयंसेवी संस्थाओं का भी इसमें योगदान है, विधायकों को प्रभारी बनाकर दूसरे लोगों को भी जोड़ें, इस प्रकार का मेरा निवेदन है। मैं समझता हूं सरकार इस पर पूरा ध्यान देकर यहां पर अकाल की अच्छी व्यवस्था और इस प्रकार के प्रबन्ध कराकर अकाल राहत के काम शीघ्र प्रारम्भ कराये, यह मेरा विनम्र निवेदन है। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। श्री कालीचरण सर्राफ।

एक माननीय सदस्य : जौहरी बाजार में भी अकाल है ?

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) : मैं राजस्थान का विधायक हूं केवल जौहरी बाजार का नहीं हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश पिछले कई सालों से निरन्तर सूखे की मार झेल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : सुझाव देंगे ये अपने को।

श्री कालीचरण सर्राफ : इस साल यह उम्मीद थी....

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सदस्य, जौहरी भी अकाल का सामना कर रहे हैं ? आप तो जौहरी बाजार से हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ : मेरे बाजार में एक भी जौहरी नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा : आप तो जौहरियों के इलाके से हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ : हां, मेरे जौहरी बाजार में एक भी जौहरी नहीं है बैठिए आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मदद करवाएंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस साल यह उम्मीद थी कि अच्छी बरसात होगी, मानसून सामान्य से अच्छा होगा और गत कई वर्षों से हमारा प्रदेश अकाल से जूझ रहा है उससे प्रदेश की जनता को राहत मिलेगी। प्रदेश में पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति होगी, पशुओं के लिए पर्याप्त चारे की व्यवस्था होगी, समय पर बुवाई होगी, परन्तु माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है हम लोगों का कि इस वर्ष भी पर्याप्त वर्षा नहीं हुई और उसके कारण प्रदेश की जनता को अकाल के हालात का सामना करना पड़ रहा है। लगातार वर्षा के अभाव के कारण न केवल प्रदेश की जनता पर, आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, अपितु प्रदेश में भूजल का स्तर भी निरन्तर नीचे जाता जा रहा है जिसके कारण पूरे प्रदेश में पेयजल का संकट व्याप्त हो गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मानसून की स्थिति यह रही है कि 31 जुलाई, 2003 तक पिछली बार 250 मिलीमीटर बरसात हुई थी। इस वर्ष 28 जुलाई, 2004 तक मात्र 112.02 मिलीमीटर बरसात हुई है। यानी इस बार सामान्य से 55.20 प्रतिशत बरसात कम हुई है। इसी प्रकार से 28 जुलाई, 2004 तक समूचे प्रदेश में 129 लाख हैक्टेयर के विरुद्ध केवल 51.38 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बुवाई हुई है। इसका मतलब केवल 39.8 प्रतिशत क्षेत्र में ही बुवाई हुई है।

(श्री कालीचरण सर्राफ)

मानननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में भयंकर अकाल की स्थिति है, परन्तु मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे प्रदेश की संवेदनशील मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने अकाल की स्थिति के बारे में गम्भीरता से इसकी गम्भीरता को देखते हुए निरन्तर अकाल की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। और प्रतिदिन राज्य में होने वाली बरसात और फसलों की बुवाई की समीक्षा की जा रही है और किसी भी स्थिति में होने वाली स्थिति से निपटने के लिए यह सरकार दृढं संकल्प है। राज्य सरकार ने अकाल की स्थिति से निपटने की तैयारी प्रारम्भ कर दी हैं। केन्द्रीय सरकार को अन्तिरिम ज्ञापन सौंपने की तैयारी की जा रही है और मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार का दृढं संकल्प लेकर माननीय वसंसुन्धरा जी अकाल से निपटने के लिए दृढ़ संकल्पित है, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्पित है, निश्चित रूप से हम अगस्त के महीने में अकाल राहत के काम प्रारम्भ कर देंगे। यह मुझे पूरा विश्वास है। मैं यह बात, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए कह रहा हूं कि आज तक जितने भी अकाल राजस्थान में पड़े हैं केवल 2002-03 के वर्ष को छोड़कर किसी में अकाल के काम अक्टूबर से पहले हमारे प्रदेश में चालू नहीं हुए और 2002-03 में भी केवल इसलिए अगस्त में अकाल के काम चालू हुए क्योंकि उस समय चुनाव का वर्ष था उनको प्रदेश की जनता से कोई लेना-देना नहीं था केवल प्रदेश में क्योंकि विधान सभा के चुनाव होने वाले थे और चुनावों में वह किसी प्रकार से जीत सकें उन्होंने अकाल में भी राजनीति करने का प्रयास किया। मैं बताना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1985-86 में अकाल की स्थिति बनी तो अक्टूबर में काम प्रारम्भ हुआ, 1986-87 में अकाल की स्थिति बनी तो जनवरी में काम प्रारम्भ हुआ, 1987-88 में अकाल की स्थिति बनी तो जनवरी में काम प्रारम्भ हुआ, 1999 में फरवरी में काम चालू हुआ और 2000-01 में जब गहलोत साहब राजस्थान के मुख्य मंत्री थे और भयंकर अकाल की स्थिति थी राजस्थान में उस समय में जनवरी, 2001 में कार्य प्रारम्भ किया क्योंकि वह चुनावी वर्ष नहीं था।

केवल 2002-03 में अगस्त में उनहोंने काम प्रारम्भ किया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने अकाल से सामना करने के बजाय अकाल के नाम पर राजनीति करने की कोशिश की। राजस्थान के इतिहास में यह पहला अकाल है

(श्री कालीचरण सर्राफ)

2002-03 का कि सैकड़ों लोगों की केवल इसलिए मौतें हुई कि उनको खाने के लिए अनाज नहीं दिया गया, पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं की गई। 1956 में जब राजस्थान में अकाल पड़ा था उस समय कोई भी भूख से मौत हो जाती तो समझ में आता था क्योंकि उस समय हमारे पास संसाधन नहीं थे, हमारे पास साधन नहीं थे परन्तु 21 वीं शताब्दी में 2002-03 में अकाल हमारे राजस्थान में पड़े और केन्द्रीय सरकार इतनी भरपूर सहायता दे उसके बाद सैकड़ों लोग केवल इसलिए मर जाएं कि उनको देने के लिए अनाज नहीं है इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और उस समय के हमारे तत्कालीन मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत उनको + + + नहीं आई कि उन्होंने यह कहीं पर स्वीकार नहीं किया कि भूख से मौतें हुई हैं। आज सुबह जब अकाल राहत मंत्री जी एक माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब दे रहे थे तो उन्होंने उसमें स्वीकार किया है कि शाहबाद में रूकमणी पुत्री रामजीलाल, संजीव पुत्र मांगीलाल, उषा पुत्री भजनलाल, रेशमी पुत्री मनफूललाल, इमरत पुत्र चिरंजीलाल, राकेश पुत्र मोहनसिंह, अनिता पुत्री जाधोलाल यानी इस प्रकार से 11 लोग शाहबाद पंचायत समिति में भूख के कारण मरे। किशनगंज में सीमा पुत्री छीतरलाल, प्रियंका पुत्री रामस्वरूप, मथरी बाई पुत्री फूलचन्द, दिलीप पुत्र कन्हैयालाल ऐसे 12 लोग पंचायत समिति किशनगंज में मरे। यह आज सरकार ने स्वीकार किया है और इसी प्रकार से तोलाराम यह अटरू में भूख के कारण मरे। होनां तो यह चाहिए था कि उस समय के तत्कालीन मुख्य मंत्री यह स्वीकार करते कि आज हमारी गलती के कारण, हमारी बेवकूफी के कारण इस अकाल का प्रबन्धन सही तरीके से नहीं कर पाये इसलिए भूख से मौतें हुई हैं और मैं सार्वजनिक रूप से इसके लिए माफी मांगता हूं। उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी और इतना ही नहीं, उन्होंने तो भूख से मौत हुई हैं इस बात को स्वीकार ही नहीं किया क्योंकि वह चुनावी वर्ष था। (व्यवधान) बैठिये, बैठिये।

श्री अशोक (खण्डार) : यह तो पुरानी राम कथा सुनाने के लिए आप आगे क्या करना है इसके बारे में आप बतायें।

श्री कालीचरण सर्राफ : आप बैठिये, बता रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अशोक (खण्डार) : आप आड़ा टेढ़ा सब कुछ बोलते जा रहे हैं और उल्टा सीधा आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अटल बिहारी जी वाजपेयी ने अकाल प्रबन्धन की प्रशंसा की है, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री अशोक (खण्डार) : आपके पास क्या फैक्ट्स हैं, वह बताओं आप। (व्यवधान) आपको करना क्या है, यह बताओ आप। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सदस्य, हमारे राज में भूख से मरने की बात तो छोड़ो, एक आदमी भूखा सोया तक नहीं, आप बात क्या कर रहे हो ? (व्यवधान)

श्री राईया मीणा : आप आगे क्या करेंगे, यह बता दो। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : आपने इस प्रकार यह गलत बयानी कर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया, उसका ही यह परिणाम है कि राजस्थान विधान सभा में (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : यह मंत्री जी के जवाब का जिक्र कर रहे हैं, लिखित में तो यह कहते हैं भूख से कोई नहीं मरा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुबह मंत्री जी ने जवाब दिया है कि अकाल से मौतें हुई हैं कांग्रेस सरकार के राज में। (व्यवधान)

श्री अशोक (खण्डार) : रिजल्ट क्या निकलेगा। (व्यवधान) अकाल के ऊपर अगर आप ध्यान देना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : इस लड़ाई का आज नतीजा कुछ तो निकलेगा, मंत्री परिषद् के दोनों दावेदार खड़े हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : आज सुबह मंत्री जी ने सूचना दी या नहीं दी (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान) आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बोलने वालों की सूची में आपका नाम है, आपको पूरा मौका मिलेगा। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े खेद का विषय है और खेद का विषय इसलिए है कि हम आज 2004-05 में अकाल की बात कर रहे हैं और उस विषय पर तो कोई बोलना नहीं चाहता, 2002-03, 2003-04, 2004-05 के अकाल की बात करते हैं। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि अगर वह अकाल पर बोलना चाहते हैं तो जो इस समय अकाल पड़ रहा है अगर उस पर बोलें तो बड़ी मेहरबानी होगी।

श्री कालीचरण सर्राफ : मैं 2004-05 में पड़ने वाले अकाल में राज्य सरकार को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में निश्चित रूप से बताऊंगा परन्तु पिछली सरकार ने क्या कारगुजारियां रही, क्या क्या उन्होंने पाप किया, क्या-क्या कुकर्म किये यह भी बताना मैं आवश्यक समझता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि भूख से मौत तो बहुत दूर की बात है, भूखा कोई सोया भी नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं राष्ट्रपति ने मांगी बारां में भूख से मौतों पर रिपोर्ट, क्यों मांगी, राष्ट्रपति ने ? क्योंकि भूख से मौतें हुई थी। मानवाधिकार आयोग ने भूखमरी से मौतों के मामले पर रिपोर्ट मांगी, मानवाधिकार ने क्यों मांगी ?

श्री संयम लोढ़ा : राष्ट्रपति तो काम देखकर गये थे उदयपुर आकर और महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम उप राष्ट्रपति दोनों ने इस सरकार के राहत प्रबन्धन के कामों की सराहना की थी और 55 साल के स्वतन्त्र हिन्दुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा श्रेष्ठ प्रबन्ध बताया था। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। (व्यवधान) अकाल का प्रबन्धन सही नहीं है, कहीं गेहूं सही ढंग से नहीं बांटा गया, यह सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट है। आप बताओं क्या गलत है ?

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, अकाल पर इतनी राजनीति की गई, भूख से मौतों पर माफी तो मांगी ही नहीं, इतना ही नहीं। इसके साथ-साथ, यह कहा गया कि केन्द्रीय सरकार ने हमें

(श्री कालीचरण सर्राफ)

अकाल राहत कार्मों के लिए या अकाल से मुकाबला करने के लिए एक भी पैसा नहीं दिया। + + + आनी चाहिए इनको, मैं बताना चाहूंगा कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान के इतिहास में सबसे पहली बार यह हुआ कि केन्द्र में राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन की सरकार अटल बिहारी जी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने अकाल के साथ राजनीति नहीं की और 6 हजार करोड़ से ज्यादा अकाल की सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार को पैसा आया और राज्य सरकार कितनी गम्भीर थी ? राज्य सरकार कितनी गम्भीर थी वह भी आप देखिये। 6 हजार करोड़ से ज्यादा पैसा केन्द्रीय सरकार ने दिया और राज्य सरकार ने अपने बजट में से केवल 57.05 करोड़ रुपये दिये यानी एक प्रतिशत भी नहीं। जो केन्द्रीय सरकार का सहायता के लिए पैसा आया उसका एक प्रतिशत भी राज्य सरकार ने नहीं दिया। अब आप देखिये, राष्ट्रीय आपदा कोष, एन.सी.आर. में 1126.91 करोड़ रुपये.....

डा. सी.पी. जोशी : आप भाषण दे रहे हो, आपने इस बजट में प्रोविजन किया है क्या ? जो एनुअल बजट रखा है उसमें अकाल का कोई प्रोविजन है तो बताइये कितना पैसा है ? (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : ढाई सौ करोड़।

डा. सी.पी. जोशी : बताइये। (व्यवधान) एक नये पैसे का प्रोविजन नहीं है। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : माननीय नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, आप तो बजट को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, ढ़ाई सौ करोड़ का प्रबन्ध है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

डा. सी.पी. जोशी : वह तो भारत सरकार का पैसा था। (व्यवधान) वह तो एन.सी.एफ. का आता है। उसका पैसा बताना, आपके बजट में फिर क्या बताया है ? बताइये न, खाली भाषण दे रहे हो। आपके स्टेट के फण्ड से क्या-क्या पैसा है ? खाली बातें कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सर्राफ : जोशी जी, जिस समय बजट प्रस्तुत किया गया उस समय अकाल की....

डा. सी.पी. जोशी : बताइये-बताइये फीगर। सुनें क्या ? बताइये न फीगर, खाली भाषण दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : सुनिये, मैं यही बता रहा हूं। आप सुनिये, मेरी बात सुनिये। जब बजट प्रस्तुत किया गया उस समय प्रदेश में अकाल की स्थिति नहीं थी और आज अकाल की स्थिति है और मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं.....(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : किसने कहा नहीं थी ? किसने कहा नहीं थी ? बजट कल पास किया है। बजट तो अभी पास किया है। एप्रोप्रियेशन बिल तो कल पास किया है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अकाल और कांग्रेस का साथ है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : एप्रोप्रियेशन बिल तो कल ही पास किया है। मानते भी नहीं और भाषण दे रहे हो। (व्यवधान) एप्रोप्रियेशन बिल कल पास किया है। कल एप्रोप्रियेशन बिल पास किया है उसमें प्रोविजन रखते। एक पैसे का प्रोविजन नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : आप बैठिये। आपको यह विश्वास दिला सकते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : यह सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को यह मालूम नहीं है कि 12 तारीख को बजट के पहले अकाल होगा। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : मैं तो आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूं.....(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : यह भाषण तो चुनाव में दे चुके हो। चुनाव में भाषण दे चुके हो। परसों पास किया है एप्रोप्रिएशन बिल। एक पैसे की

व्यवस्था नहीं की उसमें और भाषण दिये जा रहे हो। ऐसे भाषण चुनाव में दे चुके हो आप। परसों तक क्या किया आपने ? परसों एप्रोप्रियेशन बिल पास किया उसमें लाते पैसे का प्रोविजन। एक पैसे का प्रोविजन पास नहीं किया। ताली बजाकर के चले गये और बातें कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पर जोशी जी, इस चीज को तो स्वीकार करना पड़ेगा कि पिछले दो वर्षों में केन्द्र सरकार ने जो आपको मदद दी आपने उस पूरे पैसे को भी खर्च नहीं किया। उसमें भी पैसा बचा लिया। आप कहें तो मैं आपके आंकड़े बता दूं।

डा. सी.पी. जोशी : आप तो आपका खुद का आंकड़ा उठाकर देख लें। 1993 से 1998 तक का, हर सरकार यह करती रही है। आप जब गये तब क्या करके गये थे ? भाषण दे रहे हो। (व्यवधान) आप क्या करके गये ? (व्यवधान) आप दूसरों को भाषण दे रहे हो राजेन्द्र राठौड़ सिंह जी। पांच साल का पैसा बचा है। भैरोंसिंह जी के राज में भी पैसा बचाकर के गये हैं और भाषण देने खड़े हो गये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जोशी साहब, आपकी सरकार इस बात की दोषी है कि आपने केन्द्रीय सरकार के दिये हुए पैसे को खर्च नहीं किया। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : कोई भी सरकार आये, पांच साल का पैसा मिलता है, पांच साल का पैसा आपने भी खर्च नहीं किया है। (व्यवधान) आपके पांच साल का पैसा भैरोंसिंह जी के राज में पूरा खर्च नहीं किया गया और भाषण दे रहे हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पानी पड़ता था, अकाल नहीं पड़ता था, हमारे टाइम में और अब भी नहीं पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा : राठौड़ साहब, 1991-92 में 30 हजार गांव अकाल पीडित थे। केन्द्र सरकार ने आपको कितना पैसा दिया और आपने कितना खर्च किया 1991-92 का आप बता दो। आपको 93 करोड़ रुपये दिये और आपने 5

(श्री संयम लोढ़ा)

करोड़ रुपये खर्च किये। सिर्फ 5 करोड़ खर्च किये 93 करोड़ में से, बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मोहन लाल गुप्ता : माननीय नाथद्वारा से आने वाले सदस्य ने यह कहा....(व्यवधान) कि केन्द्र सरकार से पूरा पैसा अकाल के लिए मिला है तो आपकी सरकार जब तक राज में रही, केन्द्र सरकार को यह कहती रही कि हमको कुछ नहीं मिला, कोई सहायता नहीं दी, कोई सहायता नहीं दी। अब आप कह रहे हो सारा पैसा.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मोहन लाल गुप्ता : पहले आप केन्द्र सरकार को दोष देते थे तो आखिर आप.....(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : ......आपकी सरकार ने खजाने से राजस्थान के में से एक रूपया खर्च नहीं किया। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : आप बजट के पूरे जानकार हैं। (व्यवधान) आपने क्यों नहीं कहा कि केन्द्र सरकार से पैसा मिला है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोहन लाल जी गुप्ता। माननीय कालीचरण जी अपने सुझाव देकर के कन्क्लूड करिये। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार अकाल से मुकाबला करने के लिए कृत संकल्प है और हम किसी भी प्रकार की राजनीति अकाल में नहीं आने देंगे। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : यह भाषण जौहरी बाजार में भी देना। उसके लिए भी धन्यवाद। (व्यवधान) यह क्या बातें कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कन्क्लूड कीजिये माननीय सदस्य। आप कंन्क्लूड कीजिये।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा टाइम खराब कर रहे हैं, मैं अभी तक बोला ही नहीं हूं, तीन मिनट ही नहीं बोला हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ये सब मिले हुए हैं आपस में। आप कन्क्लूड कीजिये। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : यह आपका टाइम मोहन लाल जी खराब कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ : नहीं, आप कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह घर का मामला है। (व्यवधान)

श्री नवनीत नीनामा : माननीय उपाध्यक्ष जी, ग्रामीण क्षेत्र के अकाल के बारे में कई सदस्य बोलने वाले हैं और आप यह आंकड़ों में समय निकाल रहे हैं। आज जो गांवों के व्यक्ति हैं, पूरी अपनी चर्चा नहीं करेंगे तब तक नीचे बैठने वाले नहीं है। यह जो मजाक में समय निकल रहा है आपका और यह आंकड़ों में अपना समय गुजार रहे हो और मजाक में सत्र चला रहे हैं। यह सत्र चल रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कन्क्लूड कीजिये।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मेरा समय खराब कर दिया। हमने इनका क्या समय खराब किया ? मंत्री नहीं बनाया और समय खराब किया तो गुप्ता जी ने किया है इनका समय खराब। हमने क्या समय खराब किया इनका ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कन्क्लूड कीजिये।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं केन्द्रीय सरकार ने जो 32 लाख मैट्रिक टन अनाज अकाल राहत काम के लिए मजदूरी चुकाने के लिए इनको दिया उसमें से 8 करोड़ रुपये का गेहूं, 84575.3 क्विंटल गेहूं का घोटाला पकड़ा गया है और इसमें अभी जांच चल रही है, मंत्री जी स्पष्ट करेंगे यह तो अभी तक इतना तो पकड़ा गया है, इससे ज्यादा घोटाला भी निश्चित रूप से इसमें हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि

(श्री कालीचरण सर्राफ)

आज शुक्रवार है, लोगों को जाना है इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता पर मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने......

श्री अर्जुन लाल मीणा : एक मिनट, एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप क्यों ? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : मेरा कहना यह है कि निश्चित रूप से आज प्रदेश में अकाल की भयंकर स्थिति है, सरकार इसके लिए गम्भीर है और सरकार निश्चित रूप से जागरूक है, दृढं संकल्प है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि अकाल के मामले में गम्भीरता से लेकर के अकाल के काम में कोई राजनीति नहीं आनी चाहिए और कांग्रेसी मित्रों से यह कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार पिछली केन्द्रीय सरकार ने बिना किसी राजनीति के भरपूर केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार को अकाल के मुकाबले के लिए दी उसी प्रकार आप भी उनको कहिये कि इसमें राजनीति नहीं करे और जो अकाल की भयंकर स्थिति है उसका मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार को भरपूर सहायता दे जिससे अगस्त में ही यहां पर अकाल राहत के काम चालू किये जा सकें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। श्री मंगलाराम गोदारा।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आज अकाल पर चर्चा हो रही है। पीछे के आंकड़े और आगे के आंकड़े लिये जा रहे हैं। मेरा विधान सभा जिस जगह है वो एक अजीब ही जगह है, चूरू और बीकानेर दोनों के बीच में है और चारों तरफ टीबों से घिरा हुआ है। सबसे ज्यादा अकाल की मार, अगर अकाल राजस्थान में पड़ता है तो चूरू और बीकानेर जिले में सबसे ज्यादा पहले पड़ता है और पानी की बड़ी समस्या है। जिस जगह मेरा क्षेत्र है न तो वहां कोई नहरी इलाका है, न कोई नहर का पानी मिलता है, खाली गांव में जिस तरह के ट्यूबवैल बने हुए हैं उन ट्यूबवैल से पानी मिलता है। कई-कई गांव ऐसे हैं, जहां पानी भी नहीं है और जो है वह खारा है। वहां 15-15, 20-20 किलोमीटर पाइप लाइन से पानी दिया जा रहा

(श्री मंगलाराम गोदारा)

है। सबसे ज्यादा भयंकर मार पानी की मार है कई गांवों मे और उस जगह 6-7 साल में वहां मूंगफली की पैदावार हो रही है और राजस्थान में सबसे ज्यादा मूंगफली की पैदावार मेरे विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में हो रही है। वहां सबसे ज्यादा बिजली की जरूरत है और मूंगफली की पैदावार है, उन गांवों में अगर बराबर उनको बिजली दी जाये तो पानी की भी समस्या नहीं रहेगी और चारे की भी समस्या नहीं रहेगी, पशुओं के लिए चारा भी मिलेगा। अकाल के अन्दर पिछली सरकार ने बराबर बिजली दी पर हमारे कई ऐसे गांव हैं जिन गांवों में कोई चारा का डिपो नहीं खोला। उसका कारण वहां पर ट्यूबवैल और वहां की मूंगफली की पैदावार है। जिस तरीके से पिछली सरकार ने हर ट्यूबवैल पर चारा और बीज फ्री दिया था और चारा उगाने के लिए इन किसानों ने चारा उगाया, उसको बीज दिया था, बिजली भी बराबर दी थी। आज अगर अकाल के अन्दर वहां चारे का बीज और बिजली बराबर दी जाये तो पशुओं के लिए चारा मिल सकता है और पीने का पानी मिल सकता है।

श्री धर्मपाल चौधरी : मंगलाराम जी, पिछली बार आपको कितनी बिजली दी ? पिछली बार आपके अकाल पड़ा था और, मैं उसी के बारे में पूछ रहा हूं, पिछली बार तो कितनी बिजली दी, अब कितनी बिजली मिल रही है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय धर्मपाल जी, माननीय धर्मपाल जी, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं ? आप काहे के लिए इसमें बीच में पड़ रहे हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : अब आठ घण्टे बिजली मिल रही है और पिछली बार चार घण्टे भी नहीं मिल रही थी। ये कह रहे हैं कि पिछली बार बिजली दी, पिछली बार की याद कर रहे हैं। मैं भी था विधान सभा में।

श्री मंगलाराम गोदारा : तीन दिन में 6-7 घण्टे बिजली मिल रही है, पहले 2-3 घण्टे ही मिलती थी।

श्री धर्मपाल चौधरी : और तब तो आपके पूरे पांच साल में ही तीन घण्टे ही मिली।

श्री मंगलाराम गोदारा : मेरे वहां उन किसानों की यह हालत है कि धरना, प्रदर्शन और किसान यहां स्टेच्यू सर्किल पर आये हैं। मंत्रीजी ने

(श्री मंगलाराम गोदारा)

आश्वासन दिया, उसके बाद में 6-7 घण्टे बिजली मिल रही है तीन दिन से, बाकी वहां के किसान हैं, मूंगफली की फसल है, सबसे ज्यादा पानी मांगती है। रेतीला इलाका है, मेरे यहां न तो वहां कोई पहाड़ी इलाका है, न और कुछ है, खाली टीबे हैं और आज भी बरसात नहीं है और हालत किसान की खराब है। आप कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने कितनी बिजली दी, पिछली सरकार ने गांवों में बिजली दी और गांव के आदमियों को रोजगार दिया और शहरी क्षेत्र को भी रोजगार दिया....

श्री धर्मपाल चौधरी : उसी का परिणाम भुगतो आप। यह परिणाम उसका है कि बिजली का जो करण्ट है ना......

श्री मंगलाराम गोदारा : उसी का परिणाम है कि हम यहां बैठे हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपको असलियत में मारा है तो बिजली के करण्ट ने मारा और पूरे पांच साल हम भी गांवों में रहते हैं। हम कोई जौहरी बाजार में रहते हैं या कोई चांदपोल में रहते हैं ? हम भी रहते हैं गांवों में। गांवों में अगर बिजली देते तो यह आपकी हालत होती नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री मंगलाराम गोदारा : माननीय धर्मपाल जी, जिनके करण्ट लगा वह रह गये पीछे, मैं करण्ट से बच गया और मेरे यहां तो ठीक था। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : चार साल बाद देखेंगे, चार साल बाद देखेंगे, तब लगेगा करण्ट।

श्री मंगलाराम गोदारा : उपाध्यक्षजी, अकाल से बचने के लिए मेरा यह सुझाव है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में किसानों को हरे चारे के बीज पिछली सरकार ने दिये थे, वैसे ही मैं आशा करता हूं कि अभी भी बीज मिलेंगे और बिजली भी बराबर देंगे तो वहां किसान की हालत ठीक होगी। दूसरा, चारा बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। तीसरा, मेरा निवेदन यह है कि रोजगार की जहां अपन बात करते हैं, रोजगार अभी से अगर शुरू करेंगे तो गांव के मजदूर वह उस समय जमा रह जायेगा, नहीं तो हालात खराब हैं, अकाल का समय है,

(श्री मंगलाराम गोदारा)

भयंकर अकाल है, इसके अकाल के अन्दर अगर सरकार सही मायने में इस अगले महीने से अकाल राहत के काम चला देंगे, पिछली सरकार ने भी जैसे कहीं 10 आदमी, कहीं 20 आदमी, कहीं 50 आदमी के लिए रोजगार खोला था और रोटेशन से काम चलाया था। उसमें काफी हद तक लोगों को राहत मिली थी और जिस जगह ट्यूबवैल बन हुए हैं, उन ट्यूबवैल पर बराबर अगर लाइट दी जाये तो एक ट्यूबवैल पर कम से कम 10 परिवार पलते हैं और कम से कम 10 परिवारों के पशु उस हरे चारे से या मूंगफली के चारे से पलते हैं तो मेरा तो एक ही सुझाव है कि आप बिजली के बारे में ज्यादा से ज्यादा मेरे क्षेत्र को बिजली दें ताकि वहां का पशुधन बच सके, वहां का आदमी बच सके।

दूसरा मेरा सुझाव है, जिन गांवों में, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई ऐसे गांव हैं जो सुजानगढ़ तहसील के हैं और बीदासर के नीचे पड़ते हैं। वे गांव अभी भी पानी की व्यवस्था के लिए तरस रहे हैं। जैसे कालेरा ढाणी, वहां आज भी पानी नहीं है पीने का, 50 साल की आजादी के बाद भी आज भी पानी नहीं है। मैंने एक ट्यूबवैल बनाया था, उसमें भी खारा पानी निकल गया। कहीं साइड में अगर ट्यूबवैल बन जाये तो एक-डेढ़ किलोमीटर में मीठा पानी है, अगर ट्यूबवैल बन जाये तो वहां पानी मिल सकता है। आज यह स्थिति है कालेरा ढाणी की, वहां पीने का पानी है ही नहीं। पानी वीदासर या दूसरी जगह से लाया जा सकता है। दूसरा, जोगलसर जो टी.एस.एस. स्कीम है। वहां पर पानी की भयंकर दिक्कत है। नब्बासर, जहां ट्यूबवैल बना हुआ है, ढाणियों में, बाकी वहां बी.आर. की वजह से कनेक्शन नहीं हो रहे हैं। अगर वहां कनेक्शन हो जाये तो आगे आने वाले समय में वहां पानी की समस्या का समाधान हो सकता है। गिरवरसर, बारसर, जांट, भम्भू, इंयारा, रूदूसर, आसरासर, ये गांव सारे ही सुजानगढ़ तहसील के हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में है, इनमें पानी की भयंकर समस्या है। आज दिन तक पानी की समस्या है तो आगे आने वाले समय में भयंकर पानी की समस्या होगी। आज भी उस गांव में जहां कई गांव में ट्यूबवैल बने हुए हैं, बाकी कनेक्शन नहीं है और बिना कनेक्शन के वह ट्यूबवैल पड़े हुए हैं। दो-दो, तीन-तीन साल से बने हुए हैं और पानी की भयंकर समस्या है। आज अगर ट्यूबवैल को कनेक्शन से जोड़ दिया जाये तथा चालू

(श्री मंगलाराम गोदारा)

कर दिया जाये तो पानी की समस्या कम हो सकती है। दूसरा, पिछली बार सरकार ने शहरी क्षेत्र में जैसे रोजगार दिया था लोगों को, शहरी क्षेत्र की कच्ची बस्तियों में लोग बसते हैं, वे गांव के आदमी से ज्यादा गरीब हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र के बाहर के इलाके में जाओगे तो आपको खेती में काम करने वाले आदमी, कोई मजदूरी करने वाला आदमी ज्यादा तादाद में मिलेंगे और उनकी यह हालत है कि गांव का आदमी तो कहीं ट्यूबवैल पर चला जाता है, कहीं कोई बाहर चला जाता है। वह खाली मजदूरी और खेती पर निर्भर करता है शहर का आदमी और शहर के बाहरीं क्षेत्र में कच्ची बस्तियां हैं। उनमें अगर फेमिन चालूं होते ही उनको रोजगार दिया जाये तो सबसे बढिया रहेगा क्योंकि पहले हमने कई बार कोशिश की थी लास्ट में जाकर शहरी क्षेत्र में काम दिया था, पहले शहरी क्षेत्र में काम नहीं कराया था अकाल राहत में। अभी शहरी क्षेत्र में अगर काम चालू करवा दिया जाये जैसे कच्ची बस्तियों में जैसे ग्रेवल रोड है या खुर्रा है या छोटे-मोटे नालियां हैं और कई काम हैं, इस तरह से अगर कोई लेबर लगा दी जाये वहां पर तो वहां के लोगों को रोजगार मिल सकता है और वे लोग बच सकते हैं तो हालात उनके सबसे ज्यादा खराब हैं।

हरे चारे की बात भी मैंने कह दी, बिजली की जैसे दाम बढ़ते हैं बिजली के, पिछली सरकार ने जैसे बिलों में छूट दी थी, अकाल था, अकाल के अन्दर बिजली के बिलों में छूट दी थी, माफ किया था ब्याज और पेनल्टी माफ की.....(व्यवधान) आप तगाराम जी, बाद में बोल लेना ना।

श्री उपाध्यक्ष : बिजली वाली बात थी। बिजली वाली बात में तगाराम जी कहां आगे गये।

श्री मंगलाराम गोदारा : बिजली के बिलों में छूट दी थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि पिछली सरकार ने जैसे अकाल राहत के अन्दर बिजली के बिलों में किसानों के बिलों में ब्याज और पेनल्टी माफ की थी, उसी तरीके से ब्याज और पेनल्टी माफ करके अगर बिल दें तो सरकार को भी फायदा होगा और किसान भी बिल भर सकेंगे, किसान पेनल्टी और ब्याज नहीं दे सकेंगे, न बिल भर सकेंगे और सरकार को भी घाटा होगा और किसान को भी घाटा होगा तो सरकार से यह निवेदन करता हूं, जैसे

(श्री मंगलाराम गोदारा)

पिछली सरकार ने छूट दी थी, इसी तरीके से छूट देकर किसान को राहत पहुंचाये। दूसरा, जैसे बिजली में बढ़ोतरी की गई है....

श्री उपाध्यक्ष : बाकी बिजली की बात चार तारीख को करेंगे मंगलाराम जी।

श्री मंगलाराम गोदारा : नहीं नहीं उपाध्यक्ष जी, मेरे तो बिजली वाला ही मामला है। बिजली अकाल से जुड़ी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : वह चार को करेंगे, फिर उसका अलग से मौका मिलेगा।

श्री मंगलाराम गोदारा : ठीक है, आप अगर कहते हैं तो बिजली की बात चार तारीख को उठा लेंगे। चाहें तो आज की बिजली काट दो आप। तो मेरा तो निवेदन यही है कि आप इस अकाल के मौके पर इसे थोड़ा गम्भीरता से लें। आपस में पीछे-आगे के आंकड़े नहीं गिनायें तो ठीक रहेगा। कोई पीछे की बात करेगा, कोई आगे की बात करेगा, इससे तो फायदा नहीं है। फायदा तो अब आप आगे की अपन सोचेंगे, आगे से अकाल के अन्दर लोगों को काम देंगे, उससे भी गरीब आदमी को रोजगार मिलेगा और उससे ही आने वाले टाइम में अकाल का हम मुकाबला कर सकेंगे। आपने टाइम दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती प्रतिभा सिंह।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी काफी सारी बातें सुन रही थी और इस बार उम्मीद ऐसी थी कि अकाल का कहीं नामो-निशान नहीं होगा और जो जमाना होने के, जो गांवों में कहते हैं, वैसे संकेत बराबर मिल रहे थे। काली-पीली आंधियां भी पिछले काफी सालों से नहीं आ रही थीं लेकिन इस बार बराबर आई, लगातार पांच-पांच, छह-छह घण्टे तक आई और जो गांवों में खेजड़ी का पेड़ है, उसकी रूह देखकर भी, उसका ढंग देखकर भी गांवों में जो बड़े-बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि जमाना होने के आसार हैं और लग भी ऐसा ही रहा था कि जमाना जरूर होगा लेकिन मैं सोचती हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मेरे को एक कारण मोटा-मोटी

(श्रीमती प्रतिभा सिंह)

समझ में आया कि राम का नाम लेकर उन्होंने राम को भजा और राम मेहरबान हुआ, आप लोग सत्ता में आ गये और सोने पर सुहागा यह हुआ कि लगे हाथ एम.पी. के चुनाव हुए और आपकी 21 सीटें और आ गई तो आप लोग मदमस्त हो गये और राम को याद नहीं दिलाया, राम को याद नहीं किया इसलिए ईश्वर का अपना तरीका होता है खुद को याद दिलाने का, अब हम बराबर याद कर रहे हैं तो करते जाइये, मैं सोचती हूं कि भगवान जरूर पसीजेगा। मैं सूखे का....(व्यवधान) आप महिला प्रतिनिधि कहकर जेण्डर का, आप जेण्डरवाइज वेरीफिकेशन न करें, महिलाओं को कम मत आंकें। सूखे का जो सीधा असर है वह किसान पर आता है। पिछली बार जो किसानों के बराबर लगातार अकाल पड़ते रहे क्रम से, बीच में खाली एक साल जमाने के आसार रहे, कभी किसी साल थोड़ी बारिश हो गई तो कोई पशुओं के लिए चारा हो गया लेकिन इस बार जो हालात हैं वह बहुत भयंकर हैं और जो पिछले लगातार सूखे पड़े, उसका मैंने देखा कि सीधा असर किसान पर, जो मध्यम वर्ग का किसान होता है, छोटा किसान है, उसके ऊपर किस तरीके से आता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हमने अकाल के काम किये और बी.पी.एल. परिवारों को उसके अन्दर ले लिया कि मजदूरी पर बी.पी.एल. परिवार लगेगा, कोई पंचायत समिति के काम हों, एम.पी., एम.एल.ए. लेड के काम हों, उनमें भी एक कोटा उनका भरना जरूरी है, मैं कोई बीपीएल परिवारों का विरोध नहीं कर रही, जो मैंने प्रेक्टिकल में गांवों में देखा, अनुभव किया, उसका मैं आपको बता रही हूं कि हमसे कहां चूक हुई और यह हालत हुई लगातार अकाल के काम चलते रहे और बीपीएल परिवारों के लोगों के यहां पर, मैं आपको सत्य कहती हूं, साल-साल भर का अनाज स्टोर हो गया, बोरियां उनकी भर गई और उनको मार्केट में अपना अनाज निकालना पड़ा, जो उन्होंने लिया था उस रेट से ज्यादा मुनाफे में उन्होंने मार्केट में भी निकाला। इसके अन्दर जो किसान मध्यम और छोटे वर्ग का था वह पिस गया। हमारे यहां सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि जो मध्यम और छोटे वर्ग का किसान है वह अपने खेत में तो अपना काम, अपनी मजदूरी, पूरा परिवार लगकर करता है लेकिन वह बाहर काम करने नहीं जाता है, उसकी हालत दयनीय हो गई। जो नौकरीपेशा लोग थे उन्होंने भी, अपने खर्चों में जरूरत उनको कटौती करनी पड़ी क्योंकि हमारी

(श्रीमती प्रतिभा सिंह)

जो अर्थ व्यवस्था है वह बेसिकली राजस्थान की, हिन्दुस्तान की, कृषि के ऊपर आधारित है लेकिन यह जो मध्यम और छोटे वर्ग का किसान है, इसकी हालत बहुत दयनीय हो गई और इसको अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ी, कहीं बेचनी भी पड़ी और उसके लिए हालात बहुत विकट हो गये। मैं आपका ध्यान इसी ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि इन लोगों के बिजली के बिल माफ किये जायें और सरकार को किसी भी कीमत पर, हम इधर से आरोप लगायें, यह उनका जवाब दें, ठीक नहीं किया था तभी तो आप लोग सत्ता में आ गये, अब तो काम करना सीखिये, इन पर दोष लगा कर आप बच नहीं पायेंगे। आपको आने वाले वक्त में, आप किस मुस्तैदी से हर आदमी के मुंह तक अनाज जाय और काम जाय, इस पर लोग आपको कसेंगे, इधर आरोप-प्रत्यारोप लगाने से नहीं आपको छोड़ने वाले। मैं ऐसा समझती हूं। बिजली के बिल माफ करें और सरकार को दृढ संकल्प लेकर सारी अपनी प्राथमिकताओं को स्थगित करते हुए कहीं से बिजली खरीदे और कोई भी जुगत हमें लगानी पड़े, हम बिजली खरीदें और लोगों को मुहैय्या करवायें ताकि वह अपने पशुओं के लिए चारा लगा सकें, अधिक से अधिक हमें छूट देनी चाहिए, कृषि कनेक्शन हम लोगों को दें और जो गिरदावरी की रिपोर्ट मैंने देखी है, ज्यादातर हमारे सरकारी, हमारे अकाल के काम या हमारा कोई भी प्लान क्यों पिटता है, उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि हम सरकारी मशीनरी पर डिपेन्डेंट हैं। उनके अन्दर जो चेक है, उसके अन्दर जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी भागीदारी नहीं है इसलिए जितना सम्वेदनशील जन प्रतिनिधि हो सकता है चाहे वह निचले स्तर का हो, चाहे ऊपर के स्तर का हो, उतना प्रशासनिक अधिकारीय ढांचा नहीं हो सकता है, यह प्रेक्टिकल बात है। इसके अन्दर बराबर जो बैठ कर गिरदावरी बना ली और जब मुआवजा देने का टाइम आया, इसीलिए हाहाकार मचता है क्योंकि हकीकत में होता कुछ और है और रिपोर्ट आपके पास, सरकार के पास दूसरी आ जाती है। इस साल राहत कार्य जल्दी से जल्दी शुरू करने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि पहले जो अकाल पड़ा था उसमें शुरू में थोड़ी-थोड़ी बारिश कहीं हो गई थी और लोगों ने अपनी फसलें भी बीज दी थीं, इस बार हालात तो बिलकुल खराब हैं, अब पूरा जुलाई चला गया और अब बारिश की बूंदे देखने को हमें नसीब हुई हैं और जब तक जबरदस्त, कम से कम तीस-चालीस

(श्रीमती प्रतिभा सिंह)

अंगुल बरसात नहीं हो जाय तो किसान खेत में, जमीन में, उसकी छाती पर हल नहीं चला सकता है। बार-बार पड़ने वाले अकाल के लिए सरकार को, जन प्रतिनिधियों को, जनता को, वह वक्त आ गया है कि मैं समझती हूं कि हमें यह सोचना चाहिए और कृतसंकल्प हो जायें कि हमे कई स्तरों पर काम करने की जरूरत है, मैं ऐसा सोचती हूं कि हमें पेड़ जबरदस्त मात्रा में लगाकर जैसे एक आन्दोलन चला रहे हैं इस तरीके से, अकाल पड़ रहा है उसका मुकाबला भी करें और आगे न पड़े उसके लिए भी मैं सोचती हूं कि हमें सरकार को और जन प्रतिनिधियों को, जो हम सब लोग हैं, उनको बराबर कई चरणों में काम करना चाहिए, जैसा मुझे समझ में आया कि हमें पेड़ लगाने का काम युद्ध स्तर पर करना चाहिए, इसको एक आन्दोलन के रूप के अन्दर चलायें ताकि हम आने वाले बार-बार के अकाल से बचें और वह वक्त आ गया है, उपाध्यक्ष महोदय, कि हमें मजबूर होकर पानी की राशनिंग हम जितनी जल्दी करेंगे उतना जल्दी हम लोग बच सकेंगे, अन्यथा स्थिति हमारे आने वाले टाइम में बहुत विकट है। कोई वक्त था जब आदमी एक बाल्टी पानी के अन्दर नहाकर निपट जाता था और जहां पानी की कमी होती थी तो बड़ी परात के अन्दर बिना साबुन से नहाते थे और उस पानी को पशुओं को पिला देते थे। आज हालत यह है कि एक आदमी को निवृत्त होने के लिए ही दिन में दस बाल्टी पांनी चाहिए तो इसका कोई न कोई सिस्टम, यदि हम दस बाल्टी पानी यूज करते हैं तो उस दस बाल्टी पानी को परिष्कृत करके खेती के, बगीचे के काम में लें, ऐसा मैं सोचती हूं कि ऐसा हमें हर घर में, हर जगह में आने वाले टाइम में कम्पलसरी कर देना चाहिए, नहीं तो स्थिति आने वाले टाइम में लोगों की पलायन की आ जायेगी और पानी के लिए लोग दर-दर भटकेंगे। पशुधन का जो ज्यादातर हिस्सा है, वह किसान के पास है। उसके अलावा भी है जैसे डेयरी का करते हैं लोग, काफी लोगों के पास है। इसलिए किसानों को चारा उत्पादन, जो जल्दी से लगे, कम पानी में लगे, इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों की सेवाएं हमें लेनी चाहिए और क्योंकि पौष्टिक आहार, अकाल है इसलिए नहीं मिल पायेगा तो उसका कोई सब्सीट्यूट मैं सोचती हूं कि एनीमल हस्बेंडरी वाले लोगों को ढूंढना चाहिए ताकि जो बार-बार पिछले अकालों से हमारा जो पशुधन मैं समझती हूं कि 30% तो वैसे ही खराब हो चुका है और

(श्रीमती प्रतिभा सिंह)

जो बचा-खुचा है उसकी भी आने वाले टाइम में हालत बहुत खराब हो जाएगी। मेरे से पूर्व वक्ता ने बता दिया था एम.पी., एम.एल.ए. लैड के जो काम हैं उनको भी अकाल के साथ डबटेल कर दिया जाए तो मैं समझती हूं कि हम जनप्रतिनिधि ज्यादा काम भी करा सकेंगे और लोगों को उसके अन्दर रोजगार भी मिल सकेगा और जो छोटी नगरपालिकाएं हैं वहां पर राहत कार्य पिछली सरकार ने राहत कार्य छोटी नगरपालिकाओं में करवाये थे लेकिन वो बाद के फेज में उन लोगों ने लिया था मैं समझती हूं कि क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और पिछले चार-पांच साल में जब अकाल पड़ा था तो कस्बे के हालात सूने जैसे हो गये थे, कस्बे के हालात सूने हो गये थे व्यापारियों की दुकानों पर कोई जाता नहीं था लोगों ने नये काम लेने बन्द कर दिये थे कोई भी काम अकाल को देख कर लोगों ने अपने प्रोग्रामों को स्थगित किया था इसलिए मैं यह सोचती हूं कि ये जो कृषि की मन्दी है इसका प्रभाव सब जगह आता है तो इससे नगरपालिका क्षेत्र का जो मजदूर है वो अछूता नहीं रह सकता क्योंकि ये सब चीजें एक दूसरे से को-रिलेटेड है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करूंगी और मैं सोचती हूं कि मैंने जो कुछ रचनात्मक सुझाव सरकार के सामने रखें हैं उनके बारे में सरकार एक्सरसाइज करे और सब लोगों को साथ लेकर और एक दृढ इच्छाशक्ति के साथ सरकार कृतसंकल्प हो जाए तो मैं सोचती हूं कि हम इस अकाल का मुकाबला तो आसानी से तो नहीं कर पाएंगे लेकिन इसके मुकाबले में हम कहीं ठहर पाएंगे।

अकाल राहत कार्यों में भ्रष्टाचार की भी बात मैं बार-बार सुन रही थी। महोदय, किस तरीके से आज भ्रष्टाचार हम लोगों के अन्दर स्थापित हो गया है मैं इसका एक उदाहरण आपको देना चाहूंगी कि कोई वक्त था कि हम कोई आदमी जो भ्रष्टाचार से पैसा कमाता था उसको अड़ोस-पड़ोस में बताते हुए शर्म आती थी लेकिन आज हम अपनी लड़की का रिश्ता करने के लिए जाएं तो लड़के की तनख्वाह नहीं देखते हैं उसके ऊपर की इन्कम देखते हैं यह बिलकुल प्रैक्टिकल बात है तो ये जो भ्रष्टाचार जो हमारे सिस्टम के अन्दर इस तरीके से बैठ गया है और कोई आदमी इससे लड़ना चाहे तो उसको लोग पागल समझते हैं कि देखो किस व्यवस्था के विरूद्ध लड़ने के लिए यह चल रहा है।

(श्रीमती प्रतिभा सिंह)

तो मैं सोचती हूं कि कोई भी स्कीम बनायें तो एक कोटा, तो इनका, तो कोई भी सरकार आए या जाए क्योंकि हम लोगों की जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की दृढ़ इच्छाशक्ति नहीं है हम राजनीतिक लोग हैं हमें स्वीकार करना चाहिए कि हम लोगों पर राजनीतिक दबाब आते हैं ओर हम ही लोग इन भ्रष्टाचारी लोगों को चाहे आप हो चाहे मैं हूं चाहे ये हो हम ही लोग इनको बचाते हैं और कभी आपसे बच जाते हैं और इन का कार्यक्रम बराबर चलता रहता है। मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिन्द।

सूचना

सराड़ा, उदयपुर में साम्प्रदायिक तनाव

डा. बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल सराडा उदयपुर में दो समुदायों के बीच में भयंकर तनाव की स्थिति थी और उसके कारण आज वहां पर गोली चल गई 5 आदमी घायल हो गये उसमें दो आदमी सीरियसली इंजर्ड हैं तीन आदमी घायल हैं। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जी इसके बारे में एक स्टेटमेन्ट दें और मेरा सुझाव है कि चूंकि कल और परसों दो दिन की छुट्टी है आप और स्थानीय विधायक तत्काल जाकर दोनों समुदायों से बात करें शान्ति-व्यवस्था कायम करने के लिए क्योंकि हमारा प्रदेश कौमी एकता और कम्युनल हारमोनी के लिए विख्यात रहा है। हमारी कम्युनल हारमोनी बनी रहे इसके लिए आपको उपाय करने चाहिए और घायल हुए हैं उनको आपको सरकार की तरफ से उनकी चिकित्सा व्यवस्था और उनको उचित मुआवजा देने की व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, कल दोपहर बाद ही इन दोनों समाजों के बीच में आपसी काफी तनाव रहा है। मैं सारी की सारी रिपोर्ट तो अभी आपको नहीं कर रहा हूं क्योंकि अधिकृत रूप से जो सारी बातें केवल टेलीफोनिक बातें जो हुई हैं, कल से तनाव था और अगर आप चाहें तो जो कुछ मेरे पास है वो मैं भले ही पढ़ देता हूं लेकिन मैं चाहूंगा कि

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

निश्चित रूप से काबू करने के लिए गोली चली है 5 लोग इंजर्ड हुए हैं। अब यह गोली का मुआयना करने के बाद ही लगेगा कि पुलिस की गोली थी या और कोई थी। अभी उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन उन 5 लोगों को जरूर उदयपुर होस्पिटल में रेफर किया है अभी 10 मिनट पहले ही मेरी वहां के थाने पर और वहां के लोगों से जो मेरे को जानकारी मिली वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं चाहूंगा कि सोमवार को तो मैं इसको विस्तार से जो भी कुछ घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में जो भी समय तय करेंगे, स्टेटमेन्ट मैं सोमवार को दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि वहां के विधायक और मैं कल वहां जाकर मौके पर जो भी स्थिति है उसको सारा स्वयं अपनी आंखों से देख करके वहां के प्रशासन से भी बात करके जो कुछ भी मुझे यहां कहना होगा वो सोमवार के दिन मैं कहूंगा। जितने भी इंजर्ड हुए हैं उनको हम क्या देंगे वो सोमवार के दिन मैं कहूंगा। पर अभी होस्पिटल में इलाज के लिए सब प्रकार की व्यवस्था हो जाए उसके लिए मैं अभी बात कर रहा हूं और अगर उनमें से इंजर्ड को सरकार को क्या सहायता करनी है मैं सोमवार को ही इसके बारे में बता सकूंगा और मैं चाहता हूं कि ये जो साम्प्रदायिक विद्वेष वहां पैदा हुआ और विशेष आदिवासी क्षेत्र में यह होना भविष्य के लिए बहुत खतरे की घण्टी बजाने वाला हो जाएगा इसलिए इसको किस ढंग से शान्ति से इसको सुलझा लिया जाए उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। कल जाकर के और जो कुछ भी वस्तुस्थिति से सोमवार के दिन जैसा आप समय तय करेंगे मैं उस बारे में पूरा स्टेटमेंट दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुन्दरलाल।

राज्य में सूखे की स्थिति पर विचार

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) : माननीय सभापति जी, जो अकाल पर चर्चा हो रही है सबसे ज्यादा हमारे क्षेत्र में तो बरसात अब तक तो हुई नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कत है पानी की। पानी 20-30 गांव ऐसे हैं भालोट, ढाणी भालोट, चूड़ीना, कांकडा, सोली इनमें बिलकुल नीचे भी नहीं है 9-9 सौ फुट खोद लिया पर पानी नहीं मिल रहा है। इसके अलावा अकाल के बाद अब

(श्री सुन्दरलाल)

पुरानी बात को अपन को छोड़ देना चाहिए और उलाहने में लगे रहेंगे तो लोगों को नुकसान हो जाएगा कि आपने भी क्या किया ? इन्होंने किया तो इन्होंने भुगता। अपन तो अच्छा करेंगे तो अच्छा रहेगा काम इसलिए इस मामले में लगो ही मत कि इन्होंने क्या किया। आप तो एक बात करें कि व्यवस्था करनी चाहिए सबसे पहली व्यवस्था पानी के लिए दूसरी नम्बर पर व्यवस्था करें चारे की। तीसरे नम्बर पर व्यवस्था जो जिन गायों का कोई धणी नहीं है गौशाला में उन गायों की व्यवस्था चारे की करो जिससे लोगों की आशा बंध जाए कि काम बनेगा। इसके इलावा किसको मस्टररोल दिये जाएंगे कौन मस्टररोल लेगा यह धन्धे से अलग रह करके इस काम को करो। कई तो अधिकारी यह चाहते हैं कि अकाल पड़े क्यों वो अकाल में ही व्यवस्था बैठती है और कांग्रेस वालों का राज आया था तभी तो यह अकाल पड़ा, नहीं पड़ता ही नहीं। इसके अलावा कई आदमी यों कहते हैं.....(व्यवधान)....मेरी बात तो सुनो पहले आप चमकते क्यों हो ? ऐसा है रही बात देवताओं की देवताओं वाली बात भी मैं आपको बताऊं कि कोई सेठजी फैक्ट्री का शिलान्यास करवा रहा था और जब पण्डित ने शिलान्यास के अवसर पर कहा कि 5 रूपये रखो तो वो अठन्नी रख देता। ढाई घण्टे में पण्डित के तीन रूपये आए और फिर वह गणेश जी को उठाकर चल पड़ा। उससे पूछा कि कहां ले जा रहे हो तो बोला कि इसे दरिया में गिराऊंगा। पूछा क्यों तो बोला कि ये आपकी फैक्ट्री क्या चलायेगा, मेरे ही चार घण्टे में तीन रूपये आये। तो हमने तो सारे देवताओं से कह ली, कर ली, पर पार नहीं पड़ रही है। देवताओं में भी कमजोरी आ गयी यह भी देंखने में आया है तो हमने सारे देवी-देवता खूब ढोक लिये पर उनमें भी कमजोरी आ गयी इसलिए इसके बाद आप इस बात को देखें कि कैसे, एक तो कमेटियां बनें तहसीलवाइज जिसमें सब तरह के आदमी शिड्यूल्ड कास्ट का भी सब आदमी लेकर उनकी कमेटी बने और वो उसको काम को देखें जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि एम.एल.ए. भी, प्रधान भी, सरपंच भी और अन्य आदमी को लेकर उस काम को देखें जो काम जचे। कई जगह तो ऐसा है, आप इनको पूछोगे तो इनको यही नहीं पता कहां काम चलेगा। सारा काम अधिकारियों के भरोसे छोड़ दोगे तो काम नहीं चलेगा। इसमें 75 प्रतिशत प्रतिनिधित्व क्षेत्र के लोगों का

(श्री सुन्दरलाल)

होना चाहिये और वह उस काम को देखें। पिछली बार मस्टररोल ऐसे आदमियां को दिया जो आदमी हैदराबाद में था उसका नाम मस्टररोल में था। कोई आदमी पंजाब में था उसका नाम मस्टररोल में था और दाम उठा लिया।

श्री उपाध्यक्ष : सुन्दरलाल जी, वह हवाई जहाज से आते जाते होंगे।

श्री सुन्दरलाल : जिनके 200-200 बीघा जमीन थी उनके पास तो अनाज नहीं था और जो मजदूरी करता था उसके 30-30 बोरी अनाज हो गया, आप व्यवस्था इस प्रकार से करो। आज काश्तकार को सबसे ज्यादा नुकसान है। जिसके पास 200 बीघा जमीन है उसके पास 20-30 पशु भी हैं, वह भी भूखे मरेंगे। जो मजदूरी करता है वह पशु नहीं रखता है। इसलिए सब तरह की बात को सोचना पड़ेगा। जिसके पास डेढ़ सौ बीघा जमीन है वह आदमी डेढ़ सौ बीघा जमीन के हिसाब से ही पशु रखता है उसको सबसे ज्यादा दिक्कत आयेगी। मजदूरी में आप कहोगे कि चयनित परिवार वालों को पहले लगायेंगे। अब चयनित तो वह भी हो गया जिसके पास डेढ़ सौ बीघा जमीन है, वह भी दुख पा रहा है क्योंकि उसके पास कोई साधन नहीं है। इसलिए इस बात को देखते हुए मैं भी आज एक शेर कहूंगा, कई लोग शेर कहते हैं। यह आज का ही ताजा कोई पुराना नहीं है।

"दो राहगीर जा रहे थे, उनके ध्यान थे
एक तरफ जंगल, एक तरफ शमशान थे।
ठोकर लगी हड्डी के, उस हड्डी के यह बयान थे
चलने वाला चलो सम्भल के कभी हम भी इंसान थे।।"

श्री उपाध्यक्ष : श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : उपाध्यक्ष महोदय, आज अकाल और सूखे पर जो चर्चा चल रही है, 2004-05 में का जो सूखा और अकाल है मै समझता हूं कि इस शताब्दी का सबसे बड़ा अकाल यह 2004-05 में जिससे अभी हम गुजरेंगे यह सबसे भीषण अकाल होगा। बुजुर्ग कहते थे कि छप्पना अकाल जैसा अकाल नहीं था जिसमें हजारों लोग बिना अन्न के मर गये। उस टाइम व्यवस्था नहीं थी, कोई साधन नहीं थे पर पानी की किसी तरह की कोई

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

कमी नहीं थी। भूजल का स्तर ऊंचा था, पानी उपलब्ध था। पर किसानों की खेती नहीं हुई, अन्न नहीं पकने के कारण ज्यादा से ज्यादा लोग भूखे मर गये, कोई आदमी प्यासा नहीं मरा। इस अकाल को देखते हैं इस अकाल में जो जल स्तर है वह दिनों दिन नीचे जा रहा है। किसान का खेत खाली है। जैसा कि अभी बताया कि पूरे राजस्थान में मात्र 25-30 प्रतिशत बुआई हुई है और जो 30 प्रतिशत बुआई हुई है वह भी फसल बिना बरसात के कारण सूख गई। जो आने वाला अकाल है यह मैं समझता हूं कि इस शताब्दी का सबसे भीषण अकाल है और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और पी.एच.ई.डी. मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा आपने अभी से इसकी व्यवस्था करने के लिये सभी क्षेत्रों से अधिकारियों को बुलाकर वहां की पानी, वहां की फसलों की, बरसात की सबकी जानकारी आपको प्राप्त है। केन्द्र से जो टीम आई थी उन्होंने देखा वास्तव में अभी तक लोगों ने फसल बोई नहीं है। अधिकतर क्षेत्रों में आज दिन तक बरसात नहीं हुई और जिस क्षेत्र में बरसात हुई वहां लोगों ने जो फसल बोई वह फसल भी आज सूख गई। मैं समझता हूं किसान आज की तारीख में सबसे ज्यादा पीड़ित है। जो आदमी 50 बीघा जमीन रखता है उसके साथ 20-25 मवेशी भी रखता है। उसके चारे की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसको खुराक देनी पड़ती है और अगर उसके पास फसल नहीं होगी, अगर चारा नहीं है तो एक तो उसको अपने परिवार को पालना पड़ता है और दूसरी ओर उसको मवेशी को पालना पड़ता है। मैं समझता हूं आज की तारीख में सबसे ज्यादा कोई दुखी है इस अकाल के टाइम में तो वह किसान दुखी है और उसमें भी सबसे ज्यादा दुखी छोटा किसान है।

आज राजस्थान में अब तक की औसतन बरसात 58 प्रतिशत से भी कम है। सम्भाग वाइज अगर आप देखें तो बीकानेर में 46 एम.एम. होनी चाहिये उसकी जगह केवल 7.9 एम.एम. है। जौधपुर में 75.34 एम.एम. होनी चाहिये उसकी जगह खाली 9.5 एम.एम. है। अजमेर में 101.2 एम.एम. होती है आज उसकी जगह 35.50 एम.एम. बरसात हुई है। जयपुर में 107.47 एम.एम. बरसात रहती है आज 28 एम.एम. बरसात ही हुई है। कोटा में 152 होती है और आज खाली 42 एम.एम. बरसात हुई है। इसी प्रकार पूरे राजस्थान में जो औसतन बरसात से भी कम बरसात गिरी है और मेरा आपसे

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

यही निवेदन है कि कलक्टर की रिपोर्ट और गिरदावरी की रिपोर्ट से पहले सरकार तुरन्त प्रभाव से जो उनके पास धन है, जो उनके पास उपलब्ध राशि है उससे उनका काम जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिये और उस क्षेत्र का चयन करना चाहिये जहां लघु सीमान्त काश्तकार रहते हैं, जहां गरीब जनता रहती है, जहां आदिवासी हैं। उनके पास खेती के अलावा कोई काम नहीं है और मैं आपको यह कह रहा हूं कि अगर 10 दिन में आपने उनके बारे में कोई सोच नहीं रखी, अगर आपने कोई रोजगार उपलब्ध नहीं कराया तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि या तो वह गांव छोड़कर शहरों की तरफ जायेंगे और आपके क्षेत्र में मैं आपको कह सकता है कानून व्यवस्था भी बिगड़ सकती है। आज हमारे क्षेत्र में बरसात नहीं हो रही है। हमारे वहां के आदिवासियों की मीटिंगे हो रही हैं, लोग उनको उकसा रहे हैं। किसी दूसरे धर्म के बारे में उनको भड़का रहे हैं। कोई किसी धर्म के बारे में भड़का रहे हैं और वह आदमी फ्रस्ट्रेशन के कारण, स्टार्वेशन के कारण, भूख के कारण उसको टाइम से रोजगार उपलब्ध नहीं हुआ तो वह रोड पर आ जायेंगे और इससे कानून व्यवस्था बिगड़ गई तो हम सब इसके जिम्मेदार हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि 11 अगस्त को कांग्रेस ने 16 अगस्त को चालू किया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा हमको प्राथमिकता से किया, हमको। अगस्त से चालू करना चाहिये ताकि हमारे क्षेत्र का हम बन्दोबस्त कर सकें।

आज पानी की जो हालत है, आज किसानों की जो हालत है मैं समझता हूं इससे ज्यादा दयनीय स्थिति किसी की नहीं है। आज पूरे राजस्थान में मैं कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बन्धों में पानी नहीं आया और जो पानी आया है वह मामूली आया है। इससे मैं समझता हूं पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पायेगी। आज हमारे क्षेत्र में जंवाई बांध सबसे बड़ा मुख्य जल स्रोत है जो हमारे पूरे जिले को और जोधपुर तक को पानी पहुंचाता है। मैं कल की बात बता रहा हूं आपको वह पानी डेथ स्टोरेज में पहुंच गया है। आज दो दिन बाद पम्पिंग से पानी निकालेंगे और वह पानी मात्र 15-20 दिन का है। आपके पास दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप ट्रेन से पानी लायेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ट्रेन के अलावा भी आपको वहां के जो ट्रेडिशनल सोर्स हैं, पहले जैसे ट्रेडिशनल खुदवाए, जो वहां कुए थे, बावड़ी थी कई सालों से जो बन्द पड़ी थी उनको पहले भी खुदवाया गया, इसको भी अपन

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

को बजट देखकर जो पुराने जल स्रोत हैं उनको वापस कैसे कामयाब बना सके, कैसे उनको वापस खुदवाकर पानी की व्यवस्था कर सके, हमको इस पर विचार करना पड़ेगा। जहां ट्यूबवैल नहीं है वहां पानी अगर बहुत गहरा चला गया है तो वहां आपको ट्यूबवैल की आवश्यकता पड़ेगी। आज हैण्ड पम्प की भी व्यवस्था होनी चाहिये।

मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में, इस पूरे पाली जिले में सबसे ज्यादा अगर कहीं चयनित परिवार हैं तो मेरे क्षेत्र में अब कम से कम 12 हजार लोग चयनित हैं। मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करूंगा कि यह मुझे मालूम है कि केन्द्र सरकार से अभी तक गेहूं उपलब्ध नहीं हुआ है। पर हम उनके ऊपर दबाव डालें, जैसे हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से अकाल को देखते हुए राजनीति से ऊपर उठकर ज्यादा से ज्यादा अनाज उन्होंने राज्य सरकार को दिया, पानी के लिये जो पैसा दिया, चारे के लिये पैसा दिया इसी प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि इस टाइम की दिल्ली सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार ध्यान रखे, ज्यादा से ज्यादा गेहूं जो 7 हजार करोड़ का प्रावधान इसमें रखा है, अकाल में हम इनसे मन्जूर कराएं और हमें उम्मीद है कि केन्द्र सरकार राजनीति से ऊपर उठते हुए उपलब्ध कराएगी ताकि 8 महीने जो निकालने हैं, यह हमको जो फेस करना है इसलिये आपको उपलब्ध कराना है। हमारे प्रतिपक्ष से भी यही उम्मीद करता हूं कि इसके लिये आप को भी लड़ना पड़ेगा, आपको भी हमारा साथ देना पड़ेगा ताकि हम राजस्थान की जनता को इस अकाल से बाहर निकाल सकें। मेरा एक और निवेदन है कि इस अकाल को देखते हुए हमारे यहां कम से कम 2 ट्रेन, जो लास्ट ईयर हमको एक ट्रेन सप्लाई मिलती थी, रानी, वाली और फालना के लिये, उसमें मात्र 8 लाख लीटर पानी आता था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां जो नीचे जल स्रोत हैं उसमें पानी नहीं होने के कारण इस टाइम आपको कम से कम 2 ट्रेन चलानी पड़ेगी तभी, हमारे तीनों शहरों की आबादी लगभग एक लाख से ऊपर है, खाली एक ट्रेन से काम नहीं चलेगा। कम से कम दो ट्रेन की आवश्यकता पड़ेगी।

दूसरा, मेरा एक और निवेदन है कि मैं 3 साल प्रधान रहा। मैंने इस

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

अकाल को ज्यादा नजदीकी से देखा है। अगर सरकार पूरा श्रेय ले तो मैं इसको गलत समझता हूं। मैं उन प्रवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे क्षेत्र से आज दिल्ली, मुम्बई और मद्रास में बैठे हैं। उन्होंने इतनी मदद रखी है, हमारे क्षेत्र में जितनी भी गौशालाएं खुली हैं सब उनके माध्यम से खुली हैं। सरकार ने एक भी गौ-शाला नहीं खोली है। वे अपने मन्दिर के माध्यम से या उनकी कोई फर्म के माध्यम से, उन्होंने अपनी गौ-शालाएं खोलीं, और 10-10, 15-15 गांव उन्होंने अधिकृत करके, वे काम करते हैं, मुम्बई में पर अपनी मातृ-भूमि के लिये, अपने खून-पसीने की कमाई हमारे क्षेत्र को दी, ऐसे प्रवासी बन्धुओं को, मुझे आज भी मालूम है, एक मोहन लाल जी जैन हैं, वे उस बेड़ा गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने दो अकाल के अन्दर 4 हजार कूपन आदिवासियों में बांटे। हर महीने में उस आदमी ने मात्र 2 रूपये किलो गेहूं आदिवासियों को दिया। 2 रूपये किलो गेहूं में उन्होंने 4 हजार कार्ड उस आदमी में बांटे और 10 -10, 15-15 किलो गेहूं, ऐसे आदमियों को सरकार को आगे लाकर इस टाइम उनका सम्मान करना चाहिए ताकि उनको और प्रोत्साहन मिले। एक किशोर खिमावत है। जो लगातार तीन साल से हमारे क्षेत्र में जो भू-जल स्तर जो लगातार इसने आज की तारीख में 10 तो बेस फ्लो बना दिये, ऐसे बड़े तालाब खुदवा दिये और इतने लोगों को रोजगार दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं वन मंत्रीजी से कि कम से कम 60 हजार पौधे पिछले 2 सालों में लगाये और आज भी वह पेयजल की व्यवस्था तक उसको खुदाई तक, उसकी रखवाली तक वह आदमी खुद देखता है। ऐसे आदमियों को अपने को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। तभी जाकर हम इस अकाल का सामना कर सकते हैं।

दूसरा, मेरा वन मंत्रीजी से एक और निवेदन है। अभी तक तो जैसे मालूम है अभी तक तो चराने पर कोई शुल्क आपने लगाया नहीं है और मुझे उम्मीद है, आप बहुत दयालू हो, भेड़पालकों के प्रति एक अच्छा रूझान है। मैं चाहूंगा कि अकाल को देखते हुए भेड़पालकों के लिये जंगल में किसी प्रकार से कोई पैसे नहीं लिये जाएं ताकि भेड़-पालकों को चराई का पैसा देना नहीं पड़े। एक दूसरा, जो किसान 5 साल से इस अकाल का सामना कर रहे हैं और काफी पैसे का, बैंकों में उसका ऋण बाकी है। मैं यह निवेदन करूंगा कि सहकारी बैंकों के द्वारा आज की तारीख में इस अकाल को देखते हुए इनके

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

ऊपर दबाव नहीं डालें, ताकि वसूली नहीं हो। अगर आप वसूल करेंगे तो वह मजबूर होकर अपना खेत बेच देंगे, जमीन बेच देंगे, वह मजबूर होंगे अपने मकान बेचने के लिये, तो मेरा निवेदन है कि किसी प्रकार इस अकाल को देखते हुए इस वसूली को टाला जाए।

मेरा एक और निवेदन है, अकाल मंत्रीजी से कि जैसे, भेड़, बकरी, गाय, ऊंट इनको फेमिन कोड में अभी नहीं लाया गया है। आज मैं सोचता हूं कि पश्चिमी राजस्थान में आम आदमी किसान और भेड़-पालक है। मैं यही निवेदन करूंगा कि इसको फेमिन कोड में लीजिए ताकि इनको भी अनुदान की राशि मिले। मात्र दो रूपये एक भेड़ को मिले पर इनको अनुदान की राशि मिले। ताकि उनको प्रोत्साहन मिले और वह आदमी जो भेड़ पालता है, वह भेड़ की व्यवस्था कर सकता है, चराई की व्यवस्था कर सकता है उस पर ही निर्भर है। अगर वह अपनी व्यवस्था छोड़ देगा तो मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार उसके पास कोई धन्धा नहीं रहेगा, काम नहीं रहेगा और उसकी रोजी-रोटी उसके हाथ से छूट जाएगी। यह मेरा आपसे निवेदन है। मुझे एक ही दर्द था तत्कालीन सरकार से, हमारे पास सिरोही लगता है, राजसमन्द लगता है। मुझे आज भी मालूम है पूरे पाली जिले में हम 5 विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के। पाली के साथ इतना अन्याय हुआ, इस अकाल राहत के टाइम तो अन्याय हुआ है। वर्ष 2002-03 में मात्र 50 हजार लेबर की स्वीकृति हमको दी गयी और सिरोही जो हमसे आधा है और आधे से भी कम है वहां सिरोही में एक लाख लेबर चलती थी। राजसमंद आज हमारे से आधा है, वहां एक से सवा लाख की लेबर चलती थी। हमारे लोग मजबूरन उन जिलों में काम के लिये वहां जाते थे। मैं उम्मीद करता हूं, चूंकि अकाल राहत मंत्री हमारे प्रभारी मंत्री हैं इसलिये हमारे पूरे जिले का पूरा विशेष ध्यान देंगे और ज्यादा से ज्यादा रोजगार हमारे जिले को देंगे। यह मैं उम्मीद करता हूं। आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीतमल खांट।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान भर में अकाल की छाया मण्डरा रही है और हमारा पूरा सदन इस

(श्री जीतमल खांट)

अकाल को लेकर के बड़ा चिन्तित है और हमारे सभी माननीय सदस्य अपने महत्वपूर्ण सुझाव दे रहे हैं, इस अकाल का मुकाबला हम कैसे करें, जनता और पशुधन को हम कैसे राहत उपलब्ध करायें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां अलग-अलग तरीके से हैं और प्रदेश के सभी विभिन्न हिस्सों की अपनी-अपनी समस्याएं हैं। मैं अपने उदयपुर सम्भाग, जो सम्पूर्ण रूप से अनुसूचित जन-जाति बाहुल्य क्षेत्र है, जो सम्पूर्ण रूप से पहाड़ी क्षेत्र है।

मैं बिना किसी भूमिका को बनाये सुझाव देना चाहूंगा कि माननीय अकाल राहत मंत्रीजी हमारा वह क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है। आप सबसे पहले वहां जिला कलक्टरों के माध्यम से पूरा इस तरीके से एक मास्टर प्लान के लिये कहें कि वहां पर मूलभूत जो समस्याएं हैं, आज जो हम अकाल राहत के काम करते हैं मात्र पक्की सड़कों के किनारे धूल डाल देते हैं और पानी आता है, वह वहकर चली जाती है। मैं चाहूंगा कि हमारा पूरा क्षेत्र पहाड़ी इलाका है। ऐसे काम को हाथ में लिया जाए जिससे आज जो काम करने वाले हैं, आने वाले समय में वह काम उस किसान और मजदूर के लिये विकास का, अपने जीवन की आजीविका कमाने वाले स्थायी कोई सोर्स बनें। मैं चाहूंगा कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ का यह कोटड़ा और फलासिया का जो इलाका है। कुछ गहरे कराने के लिए पिछली सरकार ने समय-समय पर इतने सर्वे करा रखे हैं। कई किसानों ने निजी कुए खोद रखे हैं लेकिन उनकी हालात आज हम पांच वर्षो से देख रहे हैं कि पिछली सरकार के समय में भी अकाल के हालात बने और वर्तमान समय में भी अकाल के हालात से हम सब जूझ रहे हैं। पूरा प्रदेश का किसान और मजदूर चिन्तित है। सरकार चिन्तित है और जन-प्रतिनिधि चिन्तित है। मैं चाहूंगा कि हमारे ट्राइबल बेल्ट के अन्दर जितने भी किसान हैं, सबसे पहले उनके इन निजी कुओं को किसी तरीके से गहरा करवाया जाए। उनके कुओं की ब्लास्टिंग किस तरीके से करवायी जाए, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैं जहां तक समझता हूं जहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं वहां पर तो छोटी-मोटी घास भी पैदा कर सकता है किसान, लेकिन बड़ा भू-भाग

(श्री जीतमल खांट)

ऐसा है, जिनके पास सिंचाई के कोई साधन नहीं है, मैं चाहूंगा कि हमारा महाराष्ट्र पैटर्न के माध्यम से पैसा हमें मिले। वहां भी हमारी ऐसी परियोजनाएं लगाये और हमारे अकाल के माध्यम से जो पैसा मिले उनको भी कुछ गहरा कराने के लिए मोटे तौर पर लगायें ताकि आने वाले समय में यही कुए उस किसान के लिए, उसके परिवार को पालने के लिए काफी सहयोगी सिद्ध होंगे।

मैं दूसरा चाहूंगा कि हमारा पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। बहुत ही उबड़-खाबड़ इलाका है। कहीं पर पठारी है तो कहीं पर दुर्गम पहाडियों से बसे हुए सारा बिखरां हुआ आदिवासी इलाका है। जब तक भूमि सुधार कार्यक्रम आप हाथ में नहीं लेंगे, पानी आता है और बहकर चला जाता है। हमारे भू-भाग में पत्थरों की कमी नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस तरीके से कच्चे एनीकटों का निर्माण करवाया जाए जिससे हमारे पहाड़ों में कटने वाली जो जमीन है, वह भी रूके और वहां पर इस कच्चे एनीकटों के माध्यम से वहां का पानी जो दौड़कर आता है और निकलकर सीधा समुद्र में चला जाता है नदी नालों के माध्यम से तो मैं चाहूंगा कि उस इलाके का पानी उन कच्चे एनीकटों के माध्यम से वहां आकर रूके। वहां पर जितना भी पहाड़ी इलाका है, छोटे-मोटे नदी नाले हैं इनको भी ऐसे कार्यक्रमों को हाथ में लेकर जिससे अधिक से अधिक संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध हो क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पूरा इलाका गुजरात की सीमा से लगता हुआ क्षेत्र है। रोजगार के अभाव में बांसवाड़ा का हो, डूंगरपुर का हो, उदयपुर का हो प्रतापगढ़ का इलाका हो, यह सारे के सारे लोग रोजगार के लिए पलायन कर जाते हैं गुजरात, सूरत में, महाराष्ट्र में और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जो लोग रोजगार के अभाव में, जो रोजगार यहां पर उनको उपलब्ध नहीं होता है बड़े पैमाने पर, हमारे पूरे क्षेत्र के लोग पलायन कर जाते हैं। उस महाराष्ट्र और गुजरात के जिन क्षेत्रों में वे काम करने के लिए जाते हैं हमारे भाई और बहनों के साथ, हमारे लोगों के साथ पता नहीं क्या इस तरीके की ऐसी घटना घट जाती हैं, किस तरीके का वहां पर व्यवहार होता है. जिसकी हम इस पवित्र सदन में बात नहीं कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि हमारा पूरा क्षेत्र जनजाति क्षेत्र है। आज भी उस आदिवासी इलाके के अन्दर यह हालात हैं कि अकाल की वास्तविक विभीषिका से वहां के जनजाति लोग उस पीड़ा से आज भी उभर

(श्री जीतमल खांट)

नहीं पाये हैं। आज भी वे लकड़ियों की गठरी बांधकर दस-दस किलोमीटर बाजार या कस्बे में पहुंचते हैं और कहीं 12 रूपये, 20 रूपये लेकर उस गठरी को बेच कर आते हैं और वही फिर 15 रूपये, 20 रूपये अपने हाथ में लेकर किसी दुकानदार के वहां पर अनाज लेकर आते हैं तब जाकर चूल्हे जलते हैं। आज भी वह विभीषिका उस इलाके के अन्दर है इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारी पलायन की प्रवृत्ति पूरे सम्भाग के अन्दर है, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की ही नहीं, पूरे सम्भाग की बात कहना चाहूंगा कि वह पूरा सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति क्षेत्र है। बड़े पैमाने पर वहां पर पलायन होता है। आदिवासी महिलाओं और भाइयों के साथ अनहोनी घटनाएं होती हैं। इन सारी प्रवृत्तियों को रोकने लिए पिछली सरकार ने क्या किया, वर्तमान सरकार, आरोप-प्रत्यारोप करने से अकाल की विभीषिका से हम उभर नहीं पाएंगे। सरकार बड़ी सम्वेदनशील हो और अकाल एक बहुत बड़ा अपने आप में ही, जिसका सम्बन्ध भूख से है। हम यह जानते हैं कि सुबह से शाम अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो किस तरीके से हमारे शरीर में क्या हल-चल होती है तो उन लोगों की परिस्थितियां हैं जो सात-सात, आठ-आठ साल के जो बच्चे अपनी कोख में लेकर, अपना घर परिवार छोड़कर, अपने पशुधन को कैसे जिन्दा रखें, हमारे परिवार को कैसे जिन्दा रखें, इस चिन्ता को लेकर वे अपना इस प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सरकार इस तरीके के कुछ कार्य अपने हाथ में ले जिससे वहां की जनता को अधिक से अधिक रोजगांर मिल सके। मैं चाहूंगा कि हमारा डूंगरपुर जिले का सागवाड़ा, चिकली, चौरासी, सिमलवाड़ा का जो क्षेत्र है, यह माही के किनारे पर लगता हुआ क्षेत्र है, यहां पर भी वही परिस्थितियां हैं जो हमारी बांसवाड़ा की पीपलकुट हो, दानपुर क्षेत्र हो, कुशलगढ़ क्षेत्र हो, मैं चाहूंगा कि माही कमाण्ड, कुछ क्षेत्र हमारा माही कमाण्ड में आता है, कुछ क्षेत्र हमारा कमाण्ड क्षेत्र से बाहर है। जो माही कमाण्ड के किनारे पर आने वाले गांव हैं। इस तरीके की सरकार वहां पर योजनाएं बनाये कि जहां पानी का हमारा स्रोत है वहां पर रोजगार के साधन, ऐसी कोई सरकार योजना तैयांर करे कि हमारा कड़ाणा का बेक वाटर का पानी उस इलाके में भरा पड़ा रहता है, आज हमारा पानी उस डेम में नहीं है और कल को उस डेम में पानी भरेगा। यह जो सागवाड़ा,

(श्री जीतमल खांट)

चिकली और चौरासी वाला जो इलाका है, माही डेम और कड़ाणा जब भर जाता है और भरने के बाद भी इस क्षेत्र के लोग पलायन करते हैं, गुजरात में जाते हैं इसलिए कि उस नदी से भरा पड़ा इलाका उस नदी से इतना पानी भरता है, हमें सरकार टी.ए.डी. के माध्यम से, सरकार अपने अकाल के माध्यम से, वहां पर इस तरह की परियोजनाएं लाये, जैसे कि हमारी कोई लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से जो हमारा कड़ाणा बेक वाटर का पानी आखिरी सिमलवाड़ा तक के इलाके में जा सकता है। हमारे माननीय मंत्री महोदय यहां पर बैठे हुए हैं और आपका सागवाड़ा का इलाका आपका इलाका है। लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर इस कड़ाणा बेक वाटर के किनारे पर अगर कोई लिफ्ट वहां पर लगाई जाए तो..... (व्यवधान) वहां पर कम से कम हजारों आदिवासी काश्तकारों को स्थाई रोजगार मिल सकता है इसलिए मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आप अपने एक साल का, आपका पैसा सिर्फ ऐसी परियोजनाओं पर लगाये जिससे कि आने वाले समय में वहां के आदिवासियों को स्थाई रोजगार के अवसर प्रदान हो। बार-बार उनको पलायन की स्थिति में नहीं गुजरना पड़े। उनका स्थाई कोई न कोई हल हो। मैं चाहूंगा कि एनीकटों का, आप लिफ्टों का इस तरीके से निर्माण करें कि जो हमें बार-बार अकाल की विभीषिका से जूझना पड़ता है, उससे बचे।

मैं यह भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस के राज में सागवाड़ा को माही से जोड़ने के लिये भीखा भाई के स्वर्गवास होने के बाद भीखाभाई सागवाड़ा माही नहर का काम पूरा करने के लिये पिछली सरकार ने अपना एक वायदा दोहराया था, संकल्प लिया था कि हम भीखा भाई ने लम्बे समय तक उस आदिवासी क्षेत्र के अन्दर गरीब जाति की सेवा की इसलिए उनके नाम पर उस नहर का नामकरण किया जाये। इस नहर की परियोजना को आगे बढ़ायें। लेकिन माननीय मंत्री महोदय, यह भी आपका क्षेत्र है। आपको भी ध्यान है कि पिछली बार कांग्रेस की सरकार ने जो वायदा किया था वह वायदा पूरा नहीं किया। जिसकी परिणति से आपको वहां की जनता ने अपूर्व जन समर्थन के साथ वोट देने का काम किया है और आपके राज में रहते हुए भी इस परियोजना को पूरा नहीं किया तो मैं आपके भविष्य के बारे

(श्री जीतमल खांट)

में ज्यादा बात नहीं कहना चाहूंगा लेकिन वहां की जनता का दिल जरूर दुखेगा और यह लोग कहेंगे कि हमारा मिनिस्टर होते हुए भी हमारी परियोजना पूरी नहीं कर पाये। आज हम स्व. भीखा भाई को श्रद्धा से याद करते हैं लेकिन जिस नहर को जिस भावना के साथ पूरा करना था, नहीं कर पाये। मैं चाहूंगा मंत्रीजी, इस कार्य को भी आप अपने हाथ में लें और अकाल राहत मंत्रीजी को आप कहें कि इस काम को भी हाथ में लें जिससे अधिक से अधिक जनता को रोजगार के अवसर उपलब्ध हों।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि उस इलाके के अन्दर हमारा वन क्षेत्र पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा वन मंत्रीजी भी पास में ही बैठे हुए हैं कि जहां पर नंगी पहाडियां पड़ी हुई हैं, वहां पर पिछली सरकारों ने एक हवाई छिड़काव के माध्यम से जंगल पैदा करने का एक मन बनाया था। करोड़ों रूपये फूंक दिये, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि जब तक वृक्ष नहीं लगेंगे तब तक अकालों का यह दौर चलता रहेगा। मैं कहना चाहूंगा कि इस जंगल को किस तरह से वापिस तैयार किया जाए क्योंकि हमारा बांसवाड़ा की 8 पंचायत समितियों में से कम से कम पांच पंचायत समितियों में हमारा कमाण्ड क्षेत्र है, बाकी का हमारा नॉन कमाण्ड इलाका है। वहां पर आप कुछ इस तरीके से वहां के किसानों को प्रोत्साहन राशि देकर आप इस तरीके से बीज उपलब्ध करवायें या पौधे उपलब्ध करवायें, तो उस इलाके के अन्दर काफी कुछ जंगल पैदा हो सकते हैं।

मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक अन्य बात और कहना चाहूंगा कि अकाल के बारे में सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी को अपनी राजनैतिक भावना से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा, चिन्तन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। अभी हमारे बाली से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे मस्टर रोल किसको दिया जाये, किसको नहीं दिया जाये। इस विषय पर हम उत्तेजित रहेंगे तो गरीब की जो तकलीफ है, गरीब की सेवा करेंगे तो सबसे बड़ा धर्म लगेगा और गरीब के साथ हमने कोई बेइन्साफी की, अगर उसके साथ धोखा किया तो सबसे बड़ी भूल होगी और भगवान हमको कभी माफ नहीं कर

(श्री जीतमल खांट)

सकेगा। इसलिए मैं चाहूंगा इस पवित्र सदन में कि सभी पूरे राजस्थान भर के यहां जितने माननीय सदस्यों की टीम बैठी हुई है, पूरी सरकार यहां बैठी हुई है, बड़ी गम्भीरता के साथ इस अकाल के विषय पर चिन्तन, मनन करें और पूरा सदन, पूरी सरकार जिम्मेदारी के साथ, सभी माननीय सदस्यों की, सभी जन प्रतिनिधियों की यह जिम्मेदारी है कि अकाल के समय में हम पशुधन को जिन्दा रखने के लिये रोजगार का सृजन करने के लिये जनता को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिये हम लोगों को कौनसी योजना बनानी चाहिये, कौनसी योजना को मूर्त रूप देना चाहिये। इस पर सभी माननीय सदस्य अपने अपने विचार दें। आपने मुझे समय दिया। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

(समय: 16.34 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

श्री तगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे को टाइम मिलता नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले चालीस साल से कुछ अन्तरालों को छोड़कर राजस्थान की जनता अकाल की मार झेलने को अभिशप्त है और इन चार-पांच दशकों में राजस्थान में जो भी सरकार शासन में रही, उसने लोगों को तात्कालिक समस्या का समाधान का प्रयास किया। लेकिन अब समय आ गया है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जब नयी सोच के साथ और नई दृष्टि के साथ सरकार को इस समस्या के समाधान के लिये आगे आना चाहिये। विगत दशकों में हजारों करोड़ रूपये इस अकाल से मुकाबले में खर्च हुए, लेकिन अकाल फिर रह-रहकर सामने आ जाता है। हमारा आम आदमी, हमारा भाई अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करता है और फिर अकाल हमारे सामने विकराल रूप लेकर खड़ा हो जाता है। उसकी कमर टूट जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो सरकार अब शासन में आई है उसने एक परिवर्तन की तस्वीर राजस्थान की जनता के सामने पेश की थी और मैं यह समझता हूं कि राजस्थान की सबसे बड़ी कठिनाई, राजस्थान

(श्री संयम लोढ़ा)

की सबसे बड़ी समस्या अगर है तो वह अकाल है। इस सरकार को इस अकाल की समस्या के स्थाई समाधान के लिये नई दृष्टि प्रस्तुत करनी चाहिये। सरकार की प्राथमिकता बदलनी चाहिये। आज ज्यादा नहीं तो 500 करोड़ रूपये के बनाये हुए हैण्ड पम्प किसी काम के नहीं रहे। हमारी सोच इतनी ही है कि पानी की समस्या हैं उसके लिये हैण्ड पम्प बना दिया। हम तात्कालिक समस्या का समाधान का काम करते हैं। आज पच्चीस हजार हैण्ड पम्प किसी काम के नहीं रहे और एक गांव में अगर पांच हैण्ड पम्प काम भी कर रहे हैं तो उनमें से एक हैण्ड पम्प ऐसा होगा जिसमें मीठा पानी आ रहा होगा, चार हैण्ड पम्प में पानी इतना नीचे चला गया है कि या तो खारा पानी देते हैं या फ्लोराइड का पानी देते हैं। इसलिए मैं यह समझता हूं कि राजस्थान की वर्तमान सरकार को इस बात का प्रयास करना चाहिये कि पानी को कैसे रोका जाये, जल स्तर को कैसे ऊंचा लाया जाये, जल का संरक्षण कैसे किया जाए और राजस्थान में इस अकाल की कमर को स्थाई रूप से कैसे तोड़ा जाए, इस बात पर सरकार को विचार करना चाहिये और एक नई दृष्टि के साथ सामने आना चाहिये।

अभी केन्द्रीय अध्ययन दल आया। दूदू और फागी का दौरा किया। क्या कहा जनता ने ? जनता ने यही कहा कि पानी हैण्ड पम्प में इतना नीचे चला गया है कि फ्लोराइड है और पी नहीं पाते। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार अपनी तमाम प्राथमिकताओं को छोड़ते हुए, तमाम प्राथमिकताओं को परिवर्तित करते हुए राजस्थान की समस्या के स्थाई समाधान की दिशा में आगे आये। व्यापक रूप से इस पर विचार करें। हमारे तालाब, हमारे पौण्ड, हमारे छोटे-छोटे एनीकट बांध क्या हम सिंचाई के क्षेत्र में, जलग्रहण के क्षेत्र में पानी को रोकने के क्षेत्र में कर सकते हैं, यह सरकार की मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कई माननीय सदस्यों ने इस सदन में विचार प्रकट किये और यह कहा कि तत्कालीन अशोक जी गहलोत की सरकार ने बहुत पाप किये और राजस्थान के लोगों को भूखे मरने के लिए छोड़ दिया। उनकी किसी तरह की परवाह नहीं की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी उम्र से ज्यादा आपका अनुभव है सदन का और, इस सार्वजनिक जीवन का और आपने वह हर जमाना देखा है कठिन से कठिन समय देखा और उस कठिन समय में

(श्री संयम लोढ़ा)

लोगों के साथ आप खड़ी रहीं। राजस्थान का 55 साल का इतिहास गवाह है कि 55 साल के इतिहास में अकाल राहत के बेहतरीन प्रबन्धन का काम, सर्वश्रेष्ठ प्रबन्धन का काम किसी सरकार ने किया तो वह अशोक गहलोत की सरकार ने किया है। पूरे राष्ट्र के अन्दर.....(व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई) : राजनीतिकरण कर दिया उन कार्यक्रमों का। यह प्रबन्धन किया।...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र मीणा (वित्त राज्य मंत्री) : इसलिए अशोक जी गहलोत की सरकार में सबसे ज्यादा अकाल में मौतें हुई अकाल से।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई बहुत बड़ी कठिनाई और समस्या जनता के सामने होती है सरकार उसके समाधान की कोशिश करती है। मैं यह नहीं कहता कि सारे काम अपनी परिणति को प्राप्त होते हैं। सब कुछ वैसा होता है जैसा आप सोचते हैं, ऐसा नहीं होता। गलतियां भी होती हैं और जो काम करेगा उससे गलतियां भी होंगी। बहुत अच्छा काम करने के बाद भी हम वापस शासन में नहीं आ सके तो मैं यह मानता हूं कहीं न कहीं हमारी असफलता रही होगी, हमारी कमी रही होगी और इस बात का जनता ने हम को दण्ड दिया होगा। विनम्रता से राजस्थान की जनता ने जो जनादेश दिया है उसको हमने स्वीकार किया है और हम स्वीकार करते हैं। हम अपनी गलतियों से सीखेंगे।.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं बोलें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप स्वीकार नहीं करते तो क्या करते, बताओ ? बताओ क्या करते ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, बीच में नहीं बोलें।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, सत्ता पक्ष के सदस्य अपने बहुमत के बल पर मुझे दबाना चाहते हैं। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : यह आसन आपका प्रोटेक्शन करेगा।

श्री संयम लोढ़ा : शुक्रिया। अध्यक्ष महोदय, हर वर्ष इस सरकार ने बेहतरीन प्रबन्धन किया और जो इस साल से पीछे का अकाल था, उसका मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं, 15 अगस्त से राज्य कार्य शुरू करने का फैसला किया। सुबह 6 बजे से एक बजे तक का समय रखा। जैसे ही गर्मी बढ़ी उस समय को घटा कर एक बजे से 12 बजे किया और गर्मी बढ़ी उस समय को 12 बजे से घटा कर 11 बजे किया। एक-एक पल राजस्थान की इस आम जनता का ख्याल रखने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। राजस्थान के 40 हजार गांवों में वार्ड पंच के घर पर और सरपंच के घर पर गेहूं रखा और अशोकं गहलोत ने यह कहा कि गांव में कोई आदमी भूखा सोना नहीं चाहिए।

श्री कालीचरण सर्राफ : आठ करोड़ का गेहूं खा गये, वह गेहूं मार्केट में ब्लैक हो गया। सरपंचों ने उस गेहूं को मार्केट में ब्लैक कर दिया।

श्री ओम बिरला : पूरे अकाल के गेहूं, आपके कांग्रेस के पदाधिकारियों ने गरीब का गेहूं बेचा है जो पूरी राजस्थान की जनता जानती है।

श्री अध्यक्ष : सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यगण, आप उन्हें बोलने दें, वे इस बार के अकाल पर चर्चा नहीं कर रहें हैं वे पिछली उपलब्धि बता रहे हैं। उन्हें बोलने दें आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज चर्चा किस पर है, अध्यक्ष महोदय ?

श्री कालीचरण सर्राफ : पिछली गलतियां हम बता रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सरपंच के यहां गेहूं रखा, इन्होंने पंचायत समिति के सदस्य के यहां गेहूं रखा, जिला परिषद के सदस्य के यहां गेहूं रखा और उन्होंने कालाबाजारी करके बाजार में उसको बेच दिया और जो मजदूर थे उनके पास तक वह गेहूं नहीं जा पाया। आठ करोड़ के गेहूं का तो पता लग गया है बाकी......(व्यवधान)

श्री हीरालाल : अभी एफ.आई.आर. दर्ज होकर जांच हो रही है।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने स्वयं ने कहा है कि हमें जनता ने जो कुछ

(श्री अध्यक्ष)

मेन्डेट दिया है उसके आधार पर बैठे हैं फिर आप क्यों कह रहें हैं ? खुद ने स्वीकार तो किया है कि कमियां रही होंगी तब हम बैठे हैं वहां फिर आप बीच में बोलते हैं। अब कोई नहीं बोलेंगे बीच में। अब नहीं बोलेंगे।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं गहलोत सरकार के काम की चर्चा नहीं करता लेकिन हमारे सत्ता पक्ष के साथियों ने जिस रूप में यह बातें रखी हैं यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि मैं अपनी बात रखूं।

अध्यक्ष महोदय, इस बात की पूरी कोशिश की कि इस शासन के अन्दर कोई व्यक्ति भूखा मरना तो छोड़िये भूखा सोये नहीं। और मुझे खुशी है इस बात की......

श्री अध्यक्ष : माननीय कालीचरणजी, प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा : और जब अकाल राहत का आखिरी महीना चल रहा था 55 साल के राजस्थान के इतिहास में उस आखिरी महीन में 72 लाख लोगों को रोजगार ज्यादा प्रदान किया गया। 36 लाख को पहले पखवाड़े में और 36 लाख को दूसरे पखवाड़े में और 55 साल के इतिहास में कभी यह आंकड़ा इस ऊंचाई तक गया हो तो जब राहत मंत्रीजी जवाब दें तब फरमा दें।

अध्यक्ष महोदय, हमने गायों का अनुदान बढ़ाया। क्या था आपके राज में, दो रूपये। एक गाय पर दो रूपये देते थे। बड़े गायों के हिमायती बनते हो, गौ-हत्या रोकेने के लिए आन्दोलन करते हो, संसद को ठप्प करते हो लेकिन 1993 से 1998 तक जब आपकी सरकार रही आप गाय पर दो रूपये देते थे। हमने उसको कहां तक पहुंचाया।

श्री अध्यक्ष : आप कहां 1993 में चले गये, बात 2004 की हो रही है। आप 2004 की बात करिये।

श्री संयम लोढ़ा : 1998 की बात कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह कुछ भी बोल सकते हैं, + + +

श्री कालीचरण सर्राफ : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने इनको कितनी सहायता दी और आपने अपना कंट्रीब्यूशन राज्य सरकार का कितना दिया ? यह बताइये।

श्री हीरालाल : आप हमें इंगित क्यों कर रहे हो ? आप तो हमारी तरफ देख कर हमें इशारा कर रहे हो, उकसा रहे हो।

श्री कालीचरण सर्राफ : केन्द्र सरकार ने 6 हजार करोड़ रूपये की सहायता दी और आपका कंट्रीब्यूशन केवल 57 करोड रूपये और आप कह रहे हो हमने गाय का अनुदान बढ़ा दिया, हमने यह कर दिया।

श्री ओम बिरला : माननीय सदस्य, यह राज्य सरकार नहीं बढ़ाती है गोशाला का अनुदान, दिल्ली की सरकार बढ़ाती है। राजस्थान की सरकार नहीं बढ़ाती।

एक माननीय सदस्य : यह जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य पहले ही बोल चुके हैं।

श्री भवानी सिंह राजावत : माननीय सदस्य, गाय की रक्षा की बात कर रहे हैं, + + + है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह एक्सपंज किया जाए। (भारी व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : और अटल बिहारीजी क्या खाते हैं ? अटल बिहारीजी ने तो स्वीकार किया है। यह एक्सपंज किया जाए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसको एक्सपंज किया जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बताएं क्या कहा है उन्होंने ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह माफी मांगे। इसको एक्सपन्ज किया जाए। (व्यवधान) इन्होंने कहा कि + + + + + +

डा. सी.पी. जोशी : अटल बिहारीजी का मेन्यु हुआ था भास्कर में,

(डा. सी.पी. जोशी)

देखा कि नहीं, पढ़ा कि नहीं पढ़ा ? पढ़ा, भास्कर में मेन्यु आया था और बातें कर रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह की हल्की बातें सदन के अन्दर होंगी तो इसका अन्त नहीं होगा। मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूं अनर्गल आरोप लगेंगे तो यहां भी केन्द्र सम्बन्धी आरोप लगाने में हम पीछे नहीं रहेंगे। यह गलत चीज है।

श्री जुबेर खान : इसको एक्सपंज करिये और माननीय सदस्य को पाबन्द कीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप इसको कार्यवाही में से एक्पंज करवाएं।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया : अध्यक्ष महोदय, आपने तो यह भी फर्माया था कि जो सदन में उपस्थित नहीं है उसके खिलाफ अनर्गल बातें नहीं करें तो आपके सामने जो बात है यह तो एक्सपंज करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इस तरह के अनर्गल आरोप, यह क्या तरीका है। (व्यवधान).....महावीरजी, आप बैठे रहिये। हम लोगों के भी मुंह खुलेंगे अगर इस किस्म के भद्दे आरापे लगाने का सिलसिला शुरू हो गया तो इसका अन्त नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : आप इतने एक साथ बोलते हैं कि आसन को कुछ नहीं समझ में आया, कुछ नहीं सुनायी दिया। उन्होंने, संसदीय सचिव ने क्या कहा, मुझे सुनायी नहीं दिया। (व्यवधान) एक एक बोलें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यहां इन्होंने यह कहा कि + + +

श्री अध्यक्ष : हे राम।

श्री जुबेर खान : इसको एक्सपंज करिये, अध्यक्ष महोदय।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह इतना हल्का, घटिया, बेबुनियाद आरोप इस सदन के अन्दर आठ महीने में पहले दफा लगा है और, अध्यक्ष महोदय, इसे एक्सपंज किया जाए।

श्री अध्यक्ष : इसे एक्सपंज किया जाए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : थैंक यू।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप बीच में इस तरह नहीं करें। अब क्या रह गया बाकी ? एक्सपंज तो हो गया। माननीय संसदीय सचिव, आप भी इस तरह......(व्यवधान)......न करें तो अच्छा होगा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, हमारी अशोक गहलोत की सरकार ने उस मजूदर का तो सोचा ही और यह सोचा कि इस सरकार के माध्यम से प्रदेश के आम किसान को, प्रदेश के आम मजदूर को निजी तौर पर भी लाभान्वित कैसे करें। 55 साल के इतिहास में पहली बार किसानों के कुओं की खुदाई करने का काम अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत किया गया और राजस्थान के हजारों किसानों को लाभान्वित करने का काम तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने किया।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से निजी आवास.....

श्री जुबेर खान : आप बोलो जब बोल लेना।

श्री अध्यक्ष : अब आप क्यों बोल रहे हो ? आपके एक सदस्य बोल रहे हैं, आप ही टोक रहे हैं।

श्री जुबेर खान : हम तो उनसे कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप क्यों कह रहे हैं, क्यों बैठे-बैठे कह रहे हैं आप ?

श्री संयम लोढ़ा : इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय, निजी आवास भी अकाल राहत में बनाने का काम तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने किया और हजारों लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास किया।

अध्यक्ष महोदय, राजनीतिक रूप से तो कोई भी बात की जा सकती है। आज हमारे संसदीय कार्य मंत्रीजी कह रहे थे कि अकाल एक ऐसी कठिनाई और एक ऐसी समस्या है जिस पर राजनीति से ऊपर उठकर बात करनी

(श्री संयन लोढ़ा)

चाहिए। मैं उनके विचार का स्वागत करता हूं। उन्होंने बहुत ही श्रेष्ठ बात कही लेकिन आज ही प्रश्नकाल में आपकी सरकार के राहत मंत्रीजी लिखित में क्या जवाब दे रहे थे, वर्ष 2002-2003 में राज्य में भूख से कोई मौत नहीं हुई और बाद में राजनीतिक रूप से भाषण दे रहे थे। अब सदन में सनसनी फैलाने के लिए यह कह दिया कि भूख से मौतें हुई। एक सरकार का जिम्मेदार मंत्री, जिसके कन्धों पर राजस्थान के साढ़े पांच करोड़ जनता का भविष्य है, जीवन है वह अगर इतने हल्के तरीके से सदन में जानकारी देता है, सदन को गुमराह करने की कोशिश करता है तो इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती।

श्री कालीचरण सर्राफ : सबसे ज्यादा भूख से मौतें आपके राज में हुई अकाल के कारण।

श्री हीरालाल : पानी के लिए मर गये, भूख की क्या बात करते हो।

श्री अध्यक्ष : टोका-टोकी नहीं करें।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा राजनीति से ऊपर उठ कर काम करने की बात कहते हैं, हमने इस बात का परिचय दिया है जब रावी-ब्यास का इश्यू आया। हमने राजनीति के ऊपर उठ कर राजस्थान की जनता के हित में सदन की नेता से कन्धे से कन्धा मिला कर साथ और आज हम उनके साथ हैं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जब अकाल का समय था, हमारी पार्टी सरकार में थी..... यह क्या तरीका है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको बोलते, आपके सचेतक ने सात मिनट का समय दिया है कि सात-सात मिनट का समय दिया जाए।

श्री संयम लोढ़ा : मैं अभी केवल सात सैकण्ड बोला हूं बाकी तो उनके शोरगुल में चला गया है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह कितना सही बोलते हैं सात सैकण्ड बोले हैं। (व्यवधान)

(समय : 16.50 बजे)

(डा. एन.एस. गुर्जर, सभापति, पदासीन)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजनीति से ऊपर उठने का आपका आह्वान अच्छा है लेकिन जब पांच साल हमारी गवर्नमेन्ट रहीं, आप राजस्थान की जनता में जाकर क्या कह रहे थे ऐसे अकाल, अ से अशोक गहलोत, क से काल, क से कांग्रेस. यही कह रहे थे आप और आज राजस्थान की जनता क्या कर रही है, ब से बी.जे.पी. और ब से बर्बादी (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : ऐसा कोई नहीं कह रहा (व्यवधान) यदि यह कहते हैं तो लोकसभा के चुनावों में 25 में से 21 सीटें बी.जे.पी. की नहीं आती (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : दिल्ली में सरकार ऐसी बनीं कि पूरे उत्तर भारत में (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : व से वसुन्धरा, वर्षा.....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सूखे की स्थिति पर चर्चा और उसके उत्तर तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

सरकार का उत्तर आने तक सदन का समय बढ़ाया जाता है।

राज्य में सूखे की स्थिति पर विचार

श्री रामलाल शर्मा : ब से बी.जे.पी. और ब से भगवान।

श्री संयम लोढ़ा : बहुत अच्छी बात है अगर आपको यह लगता है कि व से वसुन्धरा और व से वर्षा, बहुत खुशी की बात है लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं तिवाड़ी जी आपने जो वर्षा के

लिए पूजा की वह तो पूर्ण पूजा थी पर जोधपुर में जो पूजा आपने करवाई वह खण्डित पूजा थी और वह खण्डित पूजा करवाने की वजह से राजस्थान की जनता पर यह दुखों का पहाड़ टूटा।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : सभापति महोदय, कौन कहता है कि खण्डित पूजा थी, आप क्या ज्योतिषी हो क्या ? आप क्या एस्ट्रोलोजर हो क्या ? क्या समझते हैं आप ?

श्री संयम लोढ़ा : वह तिवाड़ी जी हां भर रहे हैं, सहमति व्यक्त कर रहे हैं खण्डित पूजा थी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : कौन कहता है ? (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई) : आप लोगों को मालूम नहीं है क्या बरसात हो रही है बाहर।

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, राजस्थान की जनता को जब मनोबल की आवश्यकता थी, पांच साल अकाल पड़ा हुआ था। सत्ता पक्ष का दायित्व होता है कि उनके जीवन के निर्वहन के लिए सत्ता पक्ष उनका इन्तजाम करे और उस काम में हमारी सरकार लगी हुई थी लेकिन तब प्रतिपक्ष के यही माननीय सदस्य राजस्थान की उस जनता का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे थे। बाड़मेर में इनके सांसद जसवन्तसिंह आरोप लगा रहे थे बाड़मेर में दो जनों के भूख से मरने का आरोप, जयपुर में इनके प्रवक्ता मानिकचन्द सुराना रेवडमल की मौत भूख से, सिरोही में एक नया आरोप लगा रहे थे सुराना जी कि चयनित व्यक्ति की मौत भूख से, आरी गांव में जोधपुर में यह आरोप लगा रहे थे दो मृत्यु भूख से और यह जो सहकारिता मंत्री के रूप में विराजमान हैं, यह बारां में आरोप लगा रहे थे भूख से मौत का दावा झूठा निकला तो इस्तीफा और आज आप ही की सरकार के मन्त्री ने जवाब दिया कि वर्ष 2003-2004 में भूख से कोई मौत नहीं हुई (व्यवधान) मेरे प्रश्न संख्या 2618 के जवाब में लिखित में इस सरकार ने जवाब दिया है (व्यवधान) लेकिन आपको राजनीति करने का अधिकार प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में प्रतिपक्ष के लोगों को राजनीतिक करने का अधिकार है पर मैं निवेदन करना चाहता हूं

(श्री संयम लोढ़ा)

कि आप राजनीति में उस स्तर पर नहीं जाएं कि प्रदेश की आम जनता का मनोबल टूटे, उनका हौंसला टूटे उनका विश्वास टूटे। उनके विश्वास को बहाल करने का काम आपका है।

श्री मदन दिलावर : आपका क्या है ?

श्री संयम लोढ़ा : यह बार-बार + + + (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : इनको आगरा भिजवा दें (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में कमेन्ट्स नहीं, बैठे बैठे कमेन्ट्स नहीं, आप कन्क्लूड करिए प्लीज। You have taken a lot of time.

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, आपका संरक्षण चाहिए मुझे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, बहुत लम्बी बात नहीं कहूंगा। आपने आदेश दिया है मैं समाप्त कर रहा हूं। इसी मुख्य मंत्री निवास से इस जयपुर शहर में दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर दूर आगे आप नजर दौड़ाएं तो जयपुर शहर में 35 जगह ऐसी हैं जहां पर मजदूर अपना श्रम बेचने के लिए आता है और आज आप जाकर देखें उन 35 जगहों पर रोज सवेरे 20-25-30 हजार लोग अपना श्रम बेचने के लिए आते हैं और उनका श्रम का खरीददार नहीं मिलता और जो लोग श्रम बेचने आते हैं उसमें भीलवाड़ा तक के लोग आज जयपुर में आ रहे हैं, उदयपुर तक के लोग जयपुर में आ रहे हैं। मैं, माननीय सभापति महोदय, जोधपुर भी गया, मैंने वहां भी देखा, वहां भी मजदूरों की यही स्थिति थी। डूंगरपुर से एक आदमी जोधपुर में अपना श्रम बेचने आ रहा था। आज इस वक्त में जब एक चौराहे पर 200-300-500 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, एक-एक हजार, बारह-बारह सौ लोग अपना श्रम बेचने आ रहे हैं (व्यवधान) और ऐसे वक्त में इस सरकार की सोच क्या है ? यह राजस्थान को किस दिशा में ले जाना चाहती है, उसकी प्राथमिकता क्या है ?

जयपुर शहर में इस सचिवालय से थोड़ी सी दूरी पर एक गौल्फ का मैदान बनाने की आपने स्वीकृति दी। गौल्फ के उस मैदान पर एक दिन का बीस लाख लीटर पानी खर्च होता है। आपने अपनी पार्टी के लोगों को खुश

(श्री संयम लोढ़ा)

करने के लिए शराब सस्ती की तो भले ही की पर क्या उस गरीब आदनी का उस पानी की बून्द पर हक नहीं है (व्यवधान) मुट्ठी भर लोगों को खुश करने के लिए इस कठिनाई के समय में गौल्फ का मैदान (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : अशोक गहलोत ने जितना पैसा जोधपुर में खर्च किया और जोधपुर में जो अशोक गहलोत ने पैसा खर्च किया उसको याद करो फव्वारों पर। उस चीज को भूल गये आप। आज गौल्फ मैदान याद आता है। अपने समय को भूल गये (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिए, उनको कन्क्लूड करने दीजिए, विराजिए (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : सैण्ट्रल पार्क किसने बनाया है (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : सबका भला हो इस तरह का एक भी काम नहीं किया तत्कालीन मुख्य मंत्री ने (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजें, वह कन्क्लूड कर रहे हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय सभापति महोदय, माननीय सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मंत्री जी ने आज सुबह जो जवाब दिया है भूख से मौतें नहीं हुई, मैं आपको प्रोसीडिंग पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि.....

श्री सभापति : मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं, मैं अलाऊ नहीं कर रहा हूं, अंकित नहीं हो।

श्री कालीचरण सर्राफ : x x x

श्री सभापति : कन्क्लूड करें प्लीज, बहुत समय बोल चुके हैं।

श्री संयम लोढ़ा : विदिन फ्यू सैकिण्ड्स।

श्री सभापति : नहीं, आपकी पार्टी के बहुत सदस्य बोलना चाहते हैं। आप 20-22 मिनट ले चुके हैं।

श्री संयम लोढ़ा : आप तो कृपा रखो थोड़ी। माननीय सभापति महोदय, इस कठिनाई के समय में राजस्थान की जनता को राहत देने के लिए......

श्री सभापति : आप एक मिनट में कन्क्लूड करें।

श्री संयम लोढ़ा : सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की झंडावरदार जो विचारधारा बनती है उस विचारधारा की सरकार ने क्या फैसला किया, राजस्थान में शराब के 23 नये कारखाने खुलेंगे, आपको मालूम है एक शराब की बोतल पर दस लीटर पानी खर्च होता है उसको बनाने के ऊपर और आज जब राजस्थान की जनता पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रही है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : सभापति महोदय, मैं इनसे यह पूछना चाहती हूं कि इनको क्या अनुभव है इस बात का ? अनुभव तो बताएं।

श्री सभापति : आप विराजिए। यह बात-बात में क्या एक-एक सेंटेंस में आप खड़े हो जाते हैं। नहीं, नहीं गलत है यह।

श्री संयम लोढ़ा : दो मिनट और। आज अब राजस्थान की साढ़े पांच करोड़ जनता के भविष्य उन बच्चों के जीवन के सम्बन्ध में इस अकाल जैसी कठिनाई पर चर्चा कर रहे हैं, बहुत खुशी होती यदि राजस्थान की मुख्य मंत्री भी आज इस सदन में विराजती, सारे सदन के सदस्यों के विचार सुनती but she is not resident Chief Minister. वह अनिवासी मुख्य मंत्री हैं। इस राजस्थान के सर्वोच्च सदन के अन्दर आज अकाल जैसे सब्जैक्ट की चर्चा हो रही है (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : चर्चा करने के लिए किसी मंत्री और (व्यवधान)

श्री सभापति : कन्क्लूड करें प्लीज।

श्री भवानी सिंह राजावत : यह अकाल पर बहस माननीय मुख्य मंत्री जी ने करवाई है आपको याद होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आज किसी पारिवारिक कारण से वह चली गयीं, सबको पता है (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत : इतनी सम्वेदनशील हैं (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : (व्यवधान) और यह कहकर गयी हैं। वह सी.पी. जोशी जी बैठे बैठे हंस रहे हैं (व्यवधान) मुख्य मंत्री जी तो इतनी सम्वेदनशील हैं जितना हिन्दुस्तान में कोई हो नहीं सकता (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : आपके राज्य सचिव से मिलने गयी हैं (व्यवधान) चर्चा करते हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : कल इनसे पूछ रही थी और एक जना यहां पर कहकर कहता है (व्यवधान) ऐसी + + + उसी कारण वहां पहुंचे हो + + +

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं और बीच में खड़े हो जाते हैं। मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय सभापति महोदय, अकाल पर इनको बोलना नहीं, अशोक महान पर बोलना है, मुख्य मंत्री पर बोले, अकाल पर एक शब्द नहीं बोले (व्यवधान) पांच साल में हमने क्या किया, केन्द्र सरकार हमें पैसा देती नहीं (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : सभापति महोदय, अच्छा होता माननीय सदस्य अकाल पर चिन्ता करते (व्यवधान) गरीब की चिन्ता करते (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : हमने तो अशोक महान को, पूजा कर लो, उसकी फोटो ले लो, अपने घर में लगा लो (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : यहां आरोप लगा रहे हैं (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह अकाल पर बोल नहीं रहे हैं (व्यवधान) मुख्य मंत्री जी हैं वह गयी हैं दिल्ली और यह इस प्रकार से (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह आसन क्यों अलाऊ करता है ?

श्री सभापति : श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

श्री संयम लोढ़ा : मैं समाप्त कर रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हो गया सब समाप्त।

श्री संयम लोढ़ा : मैं नहीं बोलने दूंगा फिर किसी को भी (व्यवधान) मैं देखता हूं कैसे बोलेंगे ? (व्यवधान)

श्री सभापति : विराजिये आप.....(व्यवधान) माननीय सदस्य, आसन पांवों पर। आप बैठिये पहले। आप विराजिये....(व्यवधान) आसन पांवों पर आप विराजिये.....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं....(व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजिये। आप विराजिये प्लीज। आप विराजिये....

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब नीनामा जी का नाम लीजिये..... (व्यवधान)

श्री सभापति : मेरे पास जो लिस्ट है उसके हिसाब से लूंगा मैं..... (व्यवधान) मैं थोड़ी बोलने दूंगा इनको.....(व्यवधान) इनका नाम है शंकर सिंह.....(व्यवधान)

श्री नवनीत नीनामा : हम हमारे क्षेत्र की चर्चा को विधान सभा में रखकर...

श्री सभापति : विराजिये। विराजिये.....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं.....(व्यवधान) नहीं बैठूंगा मैं....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : नीनामा जी का नाम ले लो ना.....(व्यवधान)

श्री नवनीम नीनामा : माननीय सदस्य, सुनें। जब पण्डित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल नागौर में झण्डा फहराने के लिये गये थे उसी वक्त पण्डित जवाहरलाल नेहरू झण्डा फहराने से रूक गये थे और गुजरात के वल्लभ भाई पटेल गये तब जाकर झण्डा फहरा था.....(व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजिये माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य...(व्यवधान) माननीय सदस्य आप पैरों पर ही आसन पंवों पर ही माननीय सदस्य आसन पांवों पर...(व्यवधान)

श्री नवनीत नीनामा : आपको मालूम है आजादी का। आप जब से बहस कर रहे हो.....(व्यवधान)

श्री सभापति : आसन पैरों पर। सिट डाउन। माननीय सदस्य, उत्तेजित मत होइये। विराजिये....(व्यवधान)

श्री नवनीत नीनामा : यह आजादी किस लिये दी गयी है। इस प्रकार मजाक करने के लिये और अगर आजादी दी गयी है तो सही है.....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराजिये। आप विराजिये..... (व्यवधान)

श्री नवनीत नीनामा : मैं सवाल पूछना चाहता हूं माननीय...... (व्यवधान)

श्री सभापति : अब.....(व्यवधान) रखिये। बैठिये आप। मुझे यह रेकार्ड कर रहे हैं कि नहीं करने के लिये कहना पड़ेगा। विराज जाइये। आप सीनियर सदस्य हैं.....(व्यवधान) आप आपस में.....(व्यवधान) मेरे पास यह लिस्ट है पार्टीज की तरफ से और जिसमें आर्डर में लिखा हुआ है....(व्यवधान) एक-एक अब प्लीज.....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं।..... (व्यवधान)

श्री सभापति : लिसिन मी एक मिनट.....(व्यवधान) तो मेरे पास जिस आर्डर में......

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब हो गया समाप्त तो.....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मेरा समाप्त नहीं हुआ तो हाउस ही चलेगा अभी बाद में.....

श्री सभापति : आप बैठे-बैठे नहीं। कोई बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे...... (व्यवधान) मेरे पास जिस तरह से पार्टीज का आर्डर में नाम है। जो चीफ व्हिप हैं, पार्टी के अगर वह आर्डर चेंज करना चाहते हैं तो मेरे पास लिखित में आप चिट भिजवा दीजिये, मैं चेंज कर दूंगा लेकिन जिस आर्डर में मेरे पास

(श्री सभापति)

नाम है मैं उसी तरह से पुकारूंगा। यह नहीं कि मैं उसको यहां चेंज कर दूं इसलिये जो भी जल्दी बोलना चाहते हैं। पार्टी के अपने चीफ व्हिप से कंसल्ट कर लें और मेरे पास उस तरह से नाम भिजवा दें कि पहले इनको बुलाएं। लेकिन आप एक का नाम लेते हैं दस खड़े हो जाते हैं कि पहले मुझे बुलाइये, मुझे बुलाइये, यह कोई क्लासरूम थोड़ी है जो मैं कह दूंगा आप पहले खड़े हो जाइये। जो भी चीफ व्हिप से मेरे पास नम्बरिंग आर्डर आयेगा मैं उसी में बुलाऊंगा। आप माननीय सदस्य, आधा मिनट में समाप्त करें.....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : एक मिनट.....

श्री सभापति : नहीं। नो प्लीज.....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : एक मिनट....(व्यवधान)

श्री सभापति : You have taken a lot of time. Now, please conclude. आप विराजो। समाप्त कर रहे हैं। माननीय सदस्य विराज जाओ वह समाप्त कर रहे हैं। उनको समाप्त करने दीजिये प्लीज....(व्यवधान) आप समाप्त कर रहे है। यह समाप्त कर रहे हैं। समाप्त करने दीजिये। अगर कोई आरोप लगायेंगे गलत तो मैं रोक दूंगा.....(व्यवधान) आप विराज जाएं.....

श्री हेमराज मीणा : आप एक मिनट सुनें.....(व्यवधान)

श्री सभापति : अगर वह कोई असंसदीय शब्द बोलेंगे, कोई आरोप लगायेंगे तो मैं इसको कार्यवाही से निकलवा दूंगा। विराज जायें आप..... (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : सभापति महोदय, मैं और बात कह रहा हूं.....

श्री सभापति : मुझे मालूम है क्या कहना है....

श्री हेमराज मीणा : मैं कह रहा हूं कि आपने दोनों पार्टी के चीफ व्हिप से नाम की लिस्ट ले ली लेकिन जिन लोगों की चीफ व्हिप के पास लिस्ट नहीं है। इनडिपेन्डेन्ट हैं, बसपा के भी है, सारे लोग बैठे हैं, इनेलो के भी है, उनकी कौन लिस्ट देगा ? उनकी सीधी पर्ची आपके पास गयी है और आप उन सबको नहीं बुलायेंगे, दोनों पार्टी को बुला देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा.....

श्री सभापति : ऐसा है जो पार्टीज को अलाटेड समय होता है.....

श्री हेमराज मीणा : यह तो हमारे साथ हमेशा ही होता आया है। इसमें तो रात के दस बजेंगे। यह कौनसा तरीका है.....

श्री सभापति : अब आप सुनिये ना मेरी बात। विराजिये। ऐसा है जो निर्दलीय आ रहे हैं उनमें प्रतिभा सिंहजी बोल चुकी। जो निर्दलियों का समय होता है, रोज यह जरूरी नहीं कि हर दिन हर निर्दलीय को बुलाया जाये। निर्दलियों में कभी एक, कभी दूसरा, कभी तीसरा, जितना समय होता है। यहां पार्टीज को जितना अलाटेड समय होता है उसके हिसाब से बुलवाते हैं......

श्री हेमराज मीणा : आप बता दीजिये हमारा समय है कि नहीं है ताकि हम निर्दलीय सब चले जाएं। चले जायेंगे सब लोग बैठकर के हमेशा होता आया है....

श्री सभापति : प्रतिभा सिंह जी बोली हैं ना। और भी कोई बोलना चाहेगा तो हम समय देंगे लेकिन एक सिस्टम बन गया है एक इधर से दो उधर से....

श्री मुरारी लाल मीणा : बीच में से......

श्री सभापति : हां बीच में भी लेंगे। लिया है ना प्रतिभा सिंहजी को बुलवाया है। विराज जाएं.....(व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : माननीय सभापति महोदय, यह दोनों पार्टीज का समय बांटते हो तो उसी वक्त ही बांटकर....(व्यवधान)

श्री सभापति : बांट रखा है यहां, आपको ध्यान नहीं है। सब बांट रखा है। माननीय सदस्य, यह जरूरी नहीं है कि रोज आपको बुलाया जाये। हर डिमाण्ड पर, हर भाषण पर आपको समय दिया जाये यह जरूरी नहीं है एक एक सदस्य को.....

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : और भी बाकी बहुत हैं....

श्री सभापति : तो इसीलिये दे रहा हूं ना। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं। आपको तो रोज समय दिया जाता है, आपको क्या परेशानी हो रही है।

(श्री सभापति)

आपको यह परेशानी हो रही है मुझे रोज बोलने दिया जा रहा है तब तो आप रोकते हो.....

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : आपका मैं सम्मान कर रहा हूं आसन का। मैं यह नहीं कह रहा हूं मेरा मतलब यह नहीं है। मेरा निवेदन तो यह है कि बाकी सबको भी बोलने का समय.....(व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराज जाओ.....(व्यवधान) तो अब जिनको शिकायत है वह बोल रहे हैं उनको मैंने जवाब दे दिया। अब आप बीच में क्यों बोल रहे हैं ?

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, निर्वाचित जनप्रतिनिधि का यह कर्तव्य है कि विनम्रता के साथ वह आम जनता की सेवा करें और इस सरकार ने अकाल की कठिनाई का सामना कर रही उस आदमी की जनता को नजरदान्ज करके अपनी सरकार के मंत्रियों के लिये 30 नयी गाडियां खरीदने का काम किया। आज इस विधान सभा के बाहर का परिसर देख लें। कितनी ऐसी प्राइवेट कारें, चमचमाती हुई गाडियां हैं जिनके ऊपर लालबत्ती लगी हुई है, खुले आम कानून को तोड़ने का काम जो कर रहे हैं सत्ता के मद में चूर सत्ता पक्ष के लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि साढ़े पांच करोड़ लोगों की सोचो।

श्री सभापति : प्लीज समाप्त करिये।

श्री संयम लोढ़ा : एक कविता के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

सदी का सबसे गम्भीर सूखा है, लाचार बेबस इन्सान यहां भूखा है।
खिले सूखे में कमल आपका था नारा, लोग अब समझ गये उन्हें किसी
और ने नहीं रहनुमा ने ही मारा है। बहुत देखें हैं इस चमन ने
आपके पूजा पाठ, आपके बंगलों की सजावट के सही ठाठ।
कल भी गरीबी भूखे पेट सोयी होगी, शर्म करो आपकी इबादत पर
तो देव प्रतिमा भी रोयी होगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह बहस का मंच है, यह विचार प्रकट करने का मंच है, यह क्या रोज-रोज.....(व्यवधान) यह राजस्थान

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

विधान सभा का सदन है और यह रोज की बात है.....(व्यवधान) काहे को अलाऊ कर रहे हैं आप ? आप अलाउ ही क्यों कर रहे हैं ? क्या है यह ? (व्यवधान)

श्री सभापति : श्री शंकर सिंह राजपुरोहित.....(व्यंवधान)

श्री ओम बिरला : आप ऐसा करें, कविराज बन जायें और वहां कविता सुनाया करें। यह तो सदन का पटल है विधान सभा का। माफ करें कम से कम यहां तो....(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

सरकारी मुख्य सचेतक द्वारा मोहम्मद माहिर आजाद, सदस्य पर लगाये गये आरोपों का अपलोकन

श्री जुबेर खान : आई एम आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री सभापति : Please, Please, on a point of order.

श्री जुबेर खान : मैं प्रक्रिया के नियमों के नियम 272 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा,

"Rules to be observed while speaking.- A member while speaking shall not -

.... (ii) make a personalcharge against a member;" इसके बाद मैं आपको निवेदन करूंगा 27 रूल

"Procedure regarding allegation against a person.- No allegation of a defamatory of incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker...."

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कल जब 11.45 बजे के करीब चर्चा चल रही थी तो सत्ता पक्ष के चीफ व्हिप और टोंक से आने वाले माननीय सदस्य ने क्योंकि जब चर्चा चल रही थी संयम लोढ़ा जी कोई बात कह रहे थे तो इधर से कोई व्यवधान हुआ तो माननीय नगर से आने वाले सदस्य ने इतना कहा

(श्री जुबेर खान)

कि आपको ज्यादा ज्ञान नहीं है। आप अपना ज्ञान बता रहे हो। इतनी सी बात कही थी जिस पर टोंक से अपने वाले माननीय सदस्य और मुख्य सचेतकजी ने कहा + + + । आपके पास कोई ज्ञान नहीं है। + + + माहिर आजाद साहब ने कहा, आसन की व्यवस्था के बाद आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि आसन ने कहा था कि आप व्यवधान मत डालिये। फिर टोंक से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा + + + आपको ज्ञान इसका है। आपको ज्ञान केवल इसका है। इस पर माहिर आजाद साहब ने कहा आप हमेशा व्यवधान फैलाते क्यों रहते हैं। फिर कहते हैं कि मैंने सरकारी योजनाओं, इनकी + + + यह ज्ञान आपको केवल है। फिर दुबारा उन्होंने आरोप लगाया। हां, उन्होंने कहा कि ऐसे आरोप, कि हां ठीक है....(व्यवधान)

श्री सभापति : बैठे-बैठे नहीं बोलें प्लीज।

श्री जुबेर खान : केवल यह ज्ञान है और मैं पेश कर सकता हूं। केवल यह ज्ञान है इन्होंने इन पर आरोप लगाया और यह और लगाया। सभापति महोदय, और + + +.....(व्यवधान) यह ज्ञान है आपको...

श्री सभापति : पाइंट आफ आर्डर पर बोल रहे हैं। लैट हिम फिनिश्ड....(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : + + + यह ज्ञान है आपको.... मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, वह पाइंट आफ आर्डर पर बोल रहे हैं। आप बीच में क्यों व्यवधान डाल रहे हैं.....

श्री जुबेर खान : अब बोल लीजियेगा।

किसी माननीय सदस्य के खिलाफ वगैर प्रोवोकेशन के इस तरह के आधारहीन आरोप लगा देना यह माननीय अध्यक्ष ने जिस दिन एक माननीय सदस्य ने पर्यटन मंत्री के बारे में कहा था उस दिन साफ व्यवस्था दी थी कि कोई भी माननीय सदस्य अनर्गल आरोप नहीं लगायेगा। अगर लगाएगा तो उसको रूल 273 में लिखित में देगा।

(श्री जुबेर खान)

सरकारी मुख्य सचेतक महोदय द्वारा इस तरह से आरोप लगाया जाना, मैं समझता हूं बिलकुल ही गलत है और इसके अतिरिक्त मैं आसन से निवेदन करूंगा कि टोंक से आने वाले माननीय सदस्य को पाबन्द किया जाए कि हर बार इस तरह के आरोप लगा देते हैं, नहीं लगाएं। मैं निवेदन करूंगा कि नियम 276, पर्सनल एक्सप्लेनेशन के अन्तर्गत नगर से आने वाले माननीय सदस्य को अपना स्पष्टीकरण यहां देने की इजाजत दी जाये ताकि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, वह अपना स्पष्टीकरण दे सकें। जिस तरह से अध्यक्ष महोदय ने पर्यटन मंत्रीजी को मौका दिया था।

मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कोई भी माननीय सदस्य किसी के बारे में कोई भी गलत बात, गलत आरोप, व्यक्तिगत आरोप, हम राजनीतिक दलों से आते हैं, हम पार्टियों की नीतियों की चर्चा करने आते हैं, एक सीमा तक आरोप नीतियों पर लगा सकते हैं, सरकारों के कार्यकालों पर लगा सकते हैं मगर कोई माननीय सदस्य के खिलाफ आरोप लगाना है तो आप लिखित में दीजिए ताकि वह माननीय सदस्य अपना जवाब तो दे सके। यह व्यवस्था इस सदन में होनी चाहिए। क्योंकि आगे साढ़े चार साल तक यह सदन चलना है, यह गलत परम्परा है, चाहे प्रतिपक्ष की तरफ से कोई माननीय सदस्य आरोप लगाए..... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजिए।

श्री जुबेर खान : चाहे सत्ता पक्ष की तरफ से कोई माननीय सदस्य आरोप लगाए, किसी भी माननीय सदस्य को यह अधिकार नहीं है कि वह मन में आए तब बोलने लगे और किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाए। इसलिए मेरा निवेदन है कि नगर से आने वाले माननीय सदस्य को नियम 276 के तहत पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने दिया जाए और जो ये बातें कही गई हैं इसको एक्सपंज कराया जाए और आइन्दा ऐसी चीजों की पुनरावृत्ति न हो, आसन इसकी व्यवस्था करे। मैं यही शब्द कहना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आसन भी इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए कोई ऐसी व्यवस्था देगा कि भविष्य में इस तरह के गलत आरोप किसी माननीय सदस्य के खिलाफ, खिलाफ चाहे किसी के भी हो, नहीं लगाए जाएं। (व्यवधान)

श्री सभापति : एक मिनट। लीडर आफ अपोजिशन।

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय सभापति महोदय, कई बार इस सदन में देखा गया है कि माननीय सदस्य डिबेट में जब हिस्सा लेते हैं तो व्यवधान पैदा करने की दृष्टि से अनर्गल आरोप लगा देते हैं। पिछले दिनों हालांकि कोई आरोप सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने नहीं लगाया था, उसके बावजूद यहां पर पर्यटन राज्य मंत्रीजी को पर्सनल एक्सप्लेनेशन का मौका दिया गया। आप भी जानते हैं कि नियम 273 और 276....

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : उसका तो लगाया ही नहीं था, वह तो.....

श्री सभापति : आप उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए।

श्री धर्मपाल चौधरी : उन्होंने तो टेण्डरों की बात पर बेसलेस आरोप लगा दिया, सीधे मंत्री पर, तो कहा कि उन्होंने तो लगाया ही नहीं था और इन्होंने लगा दिया, इन्होंने लगा दिया, दोनों तरफ बराबरी की बात करो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान) माननीय सदस्य, जब लीडर आफ अपोजिशन बोलते हैं तो उनको इण्टरप्ट न करें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से टोंक से आने वाले माननीय सदस्य, चीफ व्हिप महोदय को चुनौती देना चाहता हूं कि वह प्रूफ बताए कि नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने क्या गड़बड़ की है, हमारी चुनौती है। आपके पास कोई प्रूफ नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, जो चीज मर्जी में आए वैसे दबाव डालकर उसमें व्यवधान पैदा कर दें कि + + + आपने यह कर लिया। सबसे पहले तो उनको एक्सप्लेनेशन का मौका दिया जाए और यदि आपके पास कोई तथ्य है तो सदन में प्रस्तुत करें, पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी साफ होकर आ जाएगा। बिना किसी तथ्य के किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी कह देना, यह अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के लिए सदन है

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का मतलब यह नहीं है कि आप जानते हुए भी कि इस बात में कोई तथ्य नहीं है और जो चाहे मन में आए वह आरोप लगा दो, यह उचित नहीं है, यह सदन का दुरूपयोग है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अनर्गल आरोप लगाकर कोई व्यवधान पैदा करता है उसको आसन की तरफ से रोका जाना चाहिए। जिस व्यक्ति के बारे में आरोप लगाए गए हैं, उसको व्यक्तिगत स्पष्टीकरण का मौका देना चाहिए और आयन्दा के लिए आपकी हिदायत मिलनी चाहिए। सभी लोगों को बिना तथ्य की जानकारी के किसी भी सदस्य पर कोई आरोप नहीं लगाने चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने जो बात कही, मैं समझता हूं.....

श्री सभापति : एक मिनट, एक मिनट पार्लियामेन्टरी अफेयर्स मिनिस्टर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुझे पुकारा है आपने।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : आप तो कहेंगे ही, आप तो सत्ता पक्ष के हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुझे इजाजत दी है उन्होंने, मेरा नाम पुकारा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप मेरी बात तो सुन लें, आप तो बाद में ही बोल लेना। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, अभी प्रतिपक्ष के नेता ने अपनी बात कहते हुए कई बातें कहीं। सदन की गरिमा बनी रहे, यह पक्ष और विपक्ष दोनों का दायित्व है। परन्तु यह भी प्रतिपक्ष का दायित्व नहीं कि किसी आदमी को बैठे हुए कभी + + + कह दो, कभी + + + कह दो। जिस तरह की भाषा, अशिष्ट भाषा का प्रयोग होगा तो फिर उसका प्रतिकार उसी तरह से होगा। हालांकि मैं इसका पक्षधर नहीं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग हो।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने पर्यटन मंत्रीजी को इंगित करते हुए कहा कि + + + इसलिए आप इस तरह का काम कर रही हैं। इस तरह का आरोप लगाया, वह तो आरोप नहीं और यहां से कोई बात कह दी जाए, स्पोंटेनियस कोई बात आ जाती है तो वह आरोप है। यह दोनों तरह की बात प्रतिपक्ष के नेता जरा ठीक नहीं। आप प्रतिपक्ष के नेता हो, आप एक जिम्मेदारी के पद पर बैठे हुए हो, इस पद को कभी भैरोंसिंहजी शेखावत जैसे आदमी ने सुभोभित किया था। इसलिए जो बात कहें कम से कम यह तो सोचें कि हम अपने ऊपर भी उस चीज को लागू करें तब तो हमें उपदेश देने के लिए आप ठीक हो वरना यह नहीं हमें उपदेश दे दिया और खुद चाहे कुछ भी कह दो। आपके माननीय सदस्य किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, कभी आपने देखा ? आप उनको भी कहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, बोलिए।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) : माननीय सभापति महोदय, एक सैकण्ड। एक ही सैकण्ड (व्यवधान) मैंने आज एक सदस्य को यह कहते हुए खुद सुना है....

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : मेरे लिए कुछ कहा है।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : आप मिनिस्टर हैं या + + + हैं ? यह शब्द हुए ? यह कहने की बात है ? मैंने सुना है कि आप मंत्री हो या + + + मैंने खुद ने सुना है। यह क्या कोई तरीका है ? (व्यवधान)

श्री सभापति : बैठो-बैठो। बातचीत नहीं। सीरियस बात पर बातचीत हो रही है, कृपया आपस में बातचीत न करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय सभापति महोदय, इस सदन के अन्दर सभ्य भाषा का प्रयोग, सम्मानजनक शब्दों सहित करने की उम्मीद की जाती है। सभी लोग ऐसा बोलें। सब सदस्य बराबर के हैं, कोई मंत्री है, कोई कुछ है। यह व्यक्तिगत आरोप है, यह व्यक्तिगत आरोप है। आपकी प्रोसीडिंग्स की कापी हमारे पास पहुंच गई है। आप देख लें उस कापी में।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

अब यह भी सही है कि आवेश में आकर, मुझे लम्बा अनुभव है कि इस सदन में आवेश में आकर कभी-कभी लोग बहुत सारी बातें कह देते हैं जिनका कोई बेसिस नहीं होता, कोई आधार नहीं होता, आधारहीन बातें यहां पर कह देते हैं। बहुत सी दफा ऐसी बातें रेकार्ड में चली जाती हैं और उस बात पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। अगर ध्यान में आ गया, जो बार-बार इण्टरप्शन करते हैं तो कई दफा लोग खींज कर यह भी कह देते हैं कि + + + है।

अभी चले गए, माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी ने कहा, किसी को + + + कह रहे थे, यह बार-बार कह रहे थे।.....(व्यवधान).......बैठ जाओ। फिर फायदा क्या है ? कोई गम्भीरता नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज को गम्भीरता से लें। मुझे भी ताव आया, मैंने कह दिया कि + + + अमरारामजी उस पर बोले कि + + +

अब इस किस्म की बात कई दफा हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। मैं खुद कहता हूं कि नहीं होनी चाहिए। एक सीमा है जिसको बार-बार लांघ जाते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि इस मामले में मुख्य सचेतक महोदय को कहना चाहिए, कह लो वरना रिकोर्डेड व्यक्तिगत आरोप है, इनसे बचना चाहिए। कृपयां इसको एक्सपंज कर दें तो यह मुनासिब रहेगा, यही मेरा आपसे निवेदन है, अनुरोध है।

श्री सभापति : माननीय मुख्य सचेतक।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सभापति महोदय, कल की प्रोसीडिंग्स आपने पढ़कर सुनाई। मैंने तो वह पढ़ी नहीं है लेकिन यहां मैं भी इस मत का हूं कि यहां पर गम्भीरता से बात कही जानी चाहिए और मैं बार-बार इसीलिए खड़ा होता हूं और मुझे कोई शौक नहीं है खड़े होने का लेकिन मुझे कहा जाता है कि व्यवधान मंत्री हैं, कभी प्रतिपक्ष के नेता कहते हैं कि यह + + + है तो जब ये + + + कहते हैं तो मुझे + + + कहना पड़ता है। अब प्रतिपक्ष के नेता अगर गैर जिम्मेदार बात कहें तो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार का सदन का माहौल यानि हमको बहुत तकलीफ है इस बात

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

की। हम यह चाहते हैं कि किसी भी माध्यम से किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं तो लगाएं, यहां पर व्यवस्था है लेकिन यह भी व्यवस्था है कि नोटिस देकर आरोप लगाने चाहिए। यह भी व्यवस्था है कि जो इस सदन का सदस्य है यदि वह स्वयं उपस्थित है, कहने की स्थिति में है तो आरोप लगाया जा सकता है, यह भी व्यवस्था है। सब प्रकार की व्यवस्था है। व्यवस्था यह भी है कि जिस प्रकार से पहले से चली आ रही व्यवस्था, पहले स्थगन प्रस्ताव कैसे आते थे, इसके बाद यह था कि इनको कैसे रोका जाए, फिर यह हुआ कि सदन की व्यवस्था कैसे हो इस बात के लिए किया गया।

अब अपने श्रीमान् माहिर आजाद साहब के मामले में, आपको पता है कि ये टोंक कर प्रोवोक करते हैं।

मैं हो जाता हूं, मुझे नहीं होना चाहिए, यह भी मैं मानता हूं, पर मैंने जो कुछ कहा है आपने पद का दुरूपयोग किया है, यदि मान लो (व्यवधान) कल आप उपस्थित थे, कल कह सकते थे, वो प्रोसिडिंग गयी, छप गई, अखबार में छप गई, सब कुछ हो गया। यदि मान लो माननीय सदस्य यह कहना चाहें कि आपने पद का दुरूपयोग नहीं किया, यदि इस पर बहस कराना चाहें, यदि मान लो मैंने कोई गलत बात कही, अपने यहां व्यवस्था यह है कि 51 में लोकसभा में किसी व्यक्ति की पैरवी की गई तो उसकी केवल लोकसभा की सदस्यता इसलिए समाप्त कर दी गई कि वो उसकी पैरवी कर रहे थे। अपने यहां पर व्यक्तिगत मामले उठाने के लिए मनाही है, व्यक्तिगत जिनके इंट्रेस्ट हैं, अब जिनके ट्रक चल रहे हैं, जिनके खानें चल रही हैं वो यहां पर नहीं बोल सकते, लेकिन वे माननीय सदस्य अपने पक्ष (व्यवधान) सदन की अवमानना होते-होते धीरे-धीरे यह हुआ कि लोग अपने व्यक्तिगत संरक्षण के लिए इस सदन का उपयोग करने लग गये। यह मनाही है कोई भी माननीय सदस्य यानी नगरपालिका का कोई सदस्य, पंचायत समिति का कोई मेम्बर, नगरपालिका का चेयरमैन हो, लोक सभा का सदस्य हो, चाहे विधान सभा का सदस्य हो वो व्यक्तिगत यानी कोई झाड़ू लगाने वाला भी उसका मैम्बर नहीं हो सकता यदि कोई झाड़ू लगाता है तो। लेकिन धीरे-धीरे हमने ऐसी अवमानना कर दी कि हम यहां एम.एल.ए. बनकर आ गये इसलिए फलानी जमीन

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

आबंटन करा ली, हमने यह करवा लिया, इसलिए मैंने कहा है, मैंने मना नहीं करता हूं मैंने कहा है और यदि यह गलत है तो आप कहें जो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। यदि इस पर कोई बहस करना चाहे, इन्होंने कहा कि आपको ज्ञान नहीं है, मैंने कहा कि आपको किस बात का ज्ञान है, मुझे बताएं, मैंने यह कहा है मैं मना नहीं करता। लेकिन यदि इन बातों पर एक्सपंज करें यह तो आपका निर्णय है क्या करें, आप जाने, लेकिन यदि सदन में जो व्यक्ति उपस्थित हो और यह भी व्यवस्था है कि यहां पर गम्भीर से गम्भीर आरोप लगे, यहां प्रतिपक्ष के नेता ने भी लगाये हैं, यहां पर सत्ता पक्ष के लोगों ने भी लगाये हैं, यहां पर यह भी कहा जाता है, सबको पता है कि मुख्य मंत्रीजी वहां अकाल के काम के लिए गई हुई हैं सबको पता है, कांग्रेस के माननीय सदस्यों को भी, लेकिन उठकर यह कह दिया कि मुख्य मंत्री इसके लिए गम्भीर नहीं हैं। यह आरोप नहीं है क्या ? यानी गम्भीर आरोप है मुख्य मंत्री पर, सदन के नेता के ऊपर जो इतनी चिन्तित है, आपको साथ लेकर चलना चाहते हैं, पहली बार हुआ है चाहे पानी का मामला है, चाहे अकाल का मामला है हमने आपको साथ लेकर कदम बढ़ाये। आपने कभी भी नहीं किया। हमारी सरकार इतनी गम्भीर चिन्ता रखती है, आप कोई भी मामला उठाएं पर्ची के माध्यम से उठाएं, आपने तो कभी जवाब ही नहीं दिया, लेकिन हम तत्काल जवाब देते हैं। इतनी सम्वेदनशील सरकार है, अब आप उसमें केवल हो-हुल्लड़ करके बिना व्यवस्था के, बिना नियमों के आप यहां पर आकर खड़े हो जाते हैं, आरोप लगाने लग जाते हैं तो हमको खड़ा होना पड़ता है। आसन पर आरोप लगते हैं। केवल मेरे पर नहीं, केवल और माननीय सदस्यों पर नहीं। अभी तो हमको समय ही नहीं हुआ, आये ही हैं सरकार में, लेकिन अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए आरोप लगाते हैं तो फिर क्या हो ? फिर हमको कहना पड़ेगा। इसलिए मैं बहुत गम्भीरता से कहता हूं, यदि मेरे कारण से किसी की आत्मा को चोट पहुंचती है मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, क्षमा मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं यह अपेक्षा करता हूं, मैं कभी भी यदि आरोप लगाऊंगा तो उस दिन सारे तथ्य लेकर आऊंगा और बाकायदा नोटिस देकर आरोप लगाऊंगा, लेकिन मेरे से आप यह अपेक्षा करते हो और आप स्वयं खुले रहना चाहते हो तो यह

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

नहीं हो सकता। यह बिलकुल सम्भव नहीं है। (व्यवधान) मैं सारी प्रोसिडिंग्स निकाल-निकाल कर यहां पर ले आऊंगा कि आपने क्या-क्या कहा, किस-किस ने क्या-क्या कहा है। ऐसा नहीं है कि मैं प्रोसीडिंग लाना नहीं जानता, पढ़ना नहीं जानता और बताना नहीं जानता। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस कल की बात को कल ही रहने दें, यहीं इसको समाप्त करें और यदि उनकी आत्मा को मेरे कारण से तकलीफ हुई हो तो (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ये तो जीवित आत्मा नहीं है।

डा. सी.पी. जोशी : सभापति महोदय, यह बहस का मुद्दा नहीं है खाली एक निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान) तो आप बन्द कर देंगे क्या ? आप नये-नये आये हैं, आप सीखेंगे नहीं तो क्या करें ?

श्री सभापति : एक मिनट, एक मिनट। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : सभापति महोदय, रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है (व्यवधान)

श्री सभापति : आपस में नहीं। आपस में बातचीत नहीं।

डा. सी.पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, जिस तरह की बात रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने उठायी है उसमें कांक्रीट मामला है, जो चीफ व्हिप ने बातें कहीं हैं जनरल बातें कही हैं, जो भी प्रोसीडिंग रखी है उस प्रोसीडिंग में आपको वर्बेटिम (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : जनरल बात नहीं है। मैं सारी बात बताने को तैयार हूं।

डा. सी.पी. जोशी : क्या ? (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बोलो ना, आप क्या चाहते हो ? आप बोलिए। (व्यवधान) उनकी बात मत करिए। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : सभापति महोदय, लिमिटेड मामला है जो सरकारी पक्ष का चीफ व्हिप है उसकी ड्यूटी है, उसकी जिम्मेदारी है उससे

(डा. सी.पी. जोशी)

एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। कोई भी बात होती है सदन में चलाने के लिए सरकार की तरफ से भी और कोई अन्यथा बात भी हो तो जो सरकार का चीफ व्हिप है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है वो एक अनुभवी सदस्य है, उनसे यह अपेक्षा की जाती है वो सदन में मर्यादित आचरण करेंगे। साधारण सदस्य से यह अपेक्षा की जाती है, यह जो प्रश्न रामगढ़ के माननीय सदस्य ने उठाया है वो यह उठाया है कि उस समय माननीय सदस्य ने यह-यह बातें कही हैं जिसमें + + + आरोप लगाया है, यह लगाया गया। तो स्पेसिफिक मामला है, यदि आपके पास तथ्य है तो आपको अधिकार है, कोई मना नहीं करता कि आप अधिकार को लाकर आप नोटिस देकर 273 में + + + आप लाइए कोई तकलीफ नहीं है। यदि तथ्य नहीं है तो जो रिकार्ड में आ गया है वो अध्यक्ष की व्यवस्था है कि जब रिकार्ड में आ गया है तो सदन में उस सदस्य को एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाना चाहिए हमारा आपसे यह निवेदन है कि इस मौके पर तो इनको मौका दिया जाना चाहिए और भविष्य के लिए न केवल हमारे पक्ष, चाहे उत्तेजना में कोई भी हो, किसी बात पर हो हम आपको भी कहते हैं आप सदन में निर्णय लें कि यदि उत्तेजना में कोई बात हो गई तो उसको डिलिट करने का भी आपको अधिकार देते हैं, लेकिन सदन की डिबेट गरिमामय हो और गरिमामय डिबेट में खासतौर से महावीर जैन साहब जो सिर्फ सदस्य नहीं सरकारी पार्टी के चीफ व्हिप हैं उनसे ज्यादा आशा की जाती है कि उनका व्यवहार मर्यादित होना चाहिए। हममें से कोई आदमी उत्तेजित हो सकता है, लेकिन आपको मर्यादित होकर सदन को चलाने की जिम्मेदारी आपकी है, इसलिए यह जो उदाहरण दिया गया है उस उदाहरण को अन्यथा न लें, लेकिन माननीय सदस्य को आप एक्सप्लेन का मौका दें और यदि इनके पास तथ्य हैं तो रिकार्ड में लाएं। नहीं लाएं तो इनको मौका दें और इसको डिलिट किया जाना चाहिए।

व्यक्तिगत आरोपों व्यवस्था अपलोपित करा दिया जाय

श्री सभापति : सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा निवेदन है, मैंने सबकी बात सुनी है इधर से, इधर से। अपने इस सदन की (व्यवधान) एक मिनट विराजें आप। बात आ गई पूरी प्लीज। मैं खड़ा हूं, मैं बोल रहा हूं व्यवस्था देने दीजिए, व्यवस्था का प्रश्न उठा है व्यवस्था देने दीजिए। इस सदन की बहुत उच्च परम्पराएं रही हैं और यह नियम में स्पष्ट है कि कोई भी किसी के ऊपर राजनैतिक आरोप तो अपन कभी भाषणों में उत्तेजना में लगा देते हैं। अभी आज भी बोलने में भौंपू और माइक शब्द आया है, मैं चाहता हूं वो प्रोसीडिंग से निकाल दिये जाएं। इस तरह के जिसने भी शब्द बोले हैं जिस माननीय सदस्य ने भी, वो शब्द आज कार्यवाही से निकाल दिये जाएं। (व्यवधान) कभी भी बोलें कुछ। उदाहरण देते हुए बोले हैं, गये हैं (व्यवधान) जिसने भी बोले हैं, मैं सबके लिए बोल रहा हूं। प्लीज (व्यवधान) इधर से बोले हों, इधर से बोले हों। जिसने भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है वो सब निकाल दिये जाएं। उदाहरण देते हुए बोले हैं, आरोप नहीं लगा रहे थे। आज उदाहरण देते हुए बोले गये हैं, लेकिन उदाहरण देते हुए भी बोलना ठीक नहीं है। वो सदन की कार्यवाही से निकाल दें।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं मुझे याद है एक बार माननीय भैरोंसिंहजी जब विपक्ष के नेता थे किसी माननीय सदस्य ने हल्के शब्दों का उनके प्रति प्रयोग कर दिया। किसी माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया और स्पीकर ने कार्यवाही से निकालने के निर्देश दिये। इस समय जो महामहिम उप राष्ट्रपति हैं वो उस समय विपक्ष के नेता थे। उन्होंने अध्यक्ष जी से निवेदन करते हुए कहा माननीय अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य कैसे बोलते हैं, जनता में इनका कैसा व्यवहार है यह आप प्रोसीडिंग में रहने दीजिए ताकि इनको पता लगे कि ये किस तरह का व्यवहार करते हैं। तो जो हम इस सदन में व्यवहार करते हैं, जो भाषा बोलते हैं उस भाषा पर कई बार आवेश में आकर नियन्त्रण नहीं रहता, हमारी भाषा पर हम भविष्य में सभी यह ध्यान रखें, मेरे ऊपर भी, आप पर भी, सब पर लागू होता है कि हम भाषा में बोलते हुए नियन्त्रण रखें। कई बार जोश-जोश में निकल जाता है, लेकिन अपने यहां परम्परा रही है, स्वयं चलाकर कहते हैं, मैं कई बार बोल चुका हूं

(श्री सभापति)

इसलिए यह नियम स्पष्ट है। मैं इन सबको देखते हुए चूंकि सदन में माननीय सदस्य यहां मौजूद हैं जिन पर कल उत्तेजना में कुछ आरोप लगाये गये तो आपको मैं इजाजत देता हूं कि आप एक्सप्लेनेशन दें नगर से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप बात क्यों बढ़ाना चाहते हैं ?

श्री सभापति : वो एक्सप्लेनेशन तो दें ना अपना।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय....

श्री सभापति : आप केवल एक्सप्लेनेशन दें, आरोप नहीं लगाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक्सपन्ज करने की बात करके ख़तम करें।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने उनको क्या करने के लिए दिया था ? पूरी भूमिका बांधी।

श्री सभापति : देखिए उन्होंने (व्यवधान) माहिर आजादजी, एक मिनट, मैं व्यवस्था दे दूं। एक मिनट। (व्यवधान) देखिए, एक मिनट सुनिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाओ बात को। (व्यवधान) आज अकाल पर बहस हो रही है, माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : फैक्ट्री की बात आई थी, खानों की बातें आई थी कि तुम + + + हो, यह हो, कई बातें आई यहां। सबको एक्सप्लेनेशन करा लो।

श्री धर्मपाल चौधरी : चर्चा करोगे तो दो दिन लगेंगे यहां पर। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, आज यह सारा राजस्थान इस बात के लिए चिन्तित है, माननीय सदस्य आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, अभी थोड़ी देर पहले उत्तेजित थे क्योंकि ये लोग अपनी पीड़ा कहना चाहते हैं, अपने दर्द को कहना चाहते हैं। राजस्थान के लोगों से उम्मीद करते हैं। इसलिए काहे को (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर, एक मिनट। (व्यवधान) एक मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अगर कोई विवादित बात रह गई है तो प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप हैं, चीफ व्हिप साहब हैं, आपके वैश्म में आ जाएंगे, आपके चेम्बर में आ जाएंगे वहां बैठकर बात कर लें आप। यह कोई बात ही नहीं है। बहस चालू कराओ।

श्री सभापति : देखिए, दो ही विकल्प हैं अगर समाचार पत्रों में वह चीज आ गई है (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कोई नहीं आई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मुझे क्षमा करना।

श्री सभापति : बस ठीक है। (व्यवधान) मैं एक्सपन्ज करवा दूंगा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने, सभापति महोदय, मुझे मौका दिया, मैं दो मिनट में अपनी बात कहूंगा।

श्री सभापति : देखिये, दो व्यवस्थाएं हो सकती हैं। अगर आप एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं तो आपको एक्सप्लेनेशन का मौका मिलेगा, जो भी कहा गया है क्योंकि समाचार पत्रों में नहीं आया है, एक्सपन्ज कर दें।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, नहीं, यह तो दोनों काम होंगे।

श्री सभापति : नहीं, नहीं, दोनों नहीं हो सकते। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : जी, आपने (व्यवधान) रिकार्ड में रहने दीजिए।

श्री सभापति : जो चीज रिकार्ड में आ जाएगी।

मोहम्मद माहिर आजाद : मुझे मेरी बात करने का मौका दीजिए आप।

श्री सभापति : नहीं, आप यह चाहते हैं कि एक्सपन्ज नहीं किया जाए, एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : साहब, उषा पूनिया को इन्होंने मौका भी दिया और कार्यवाही से भी निकाला। यह क्या बात हुई, दोनों नहीं हो सकती बिलकुल उन्होंने सफाई का मौका भी दिया और आपने कार्यवाही से भी निकाला। (व्यवधान) हर मैम्बर के लिए अलग-अलग नहीं हो सकते। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : उनको स्पष्टीकरण का मौका भी दिया था और एक्सपन्ज भी किया था, दोनों काम किये थे। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : यह सदन जब से चला, आपस में आरोप-प्रत्यारोप लगाये। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : पहले ये दोनों व्यवस्थाएं हुई थीं। सदन तो चाहता है व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दीजिए, दोनों बातें की गई। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : किसने किस पर आरोप लगाया, किसने किस पर आरोप लगाया, मैं समझता हूं यह ऐसा बिन्दु है, एक-एक पर चर्चा होगी। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजिए, मैं व्यवस्था दूंगा। देखिये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, पहले क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मुझे मालूम नहीं, कई बार हो जाता है बीच में, कई चीज छूट जाती हैं, आ जाती हैं। दो ही तरीके हैं, कानून में सब प्रावधान हैं। (व्यवधान) मैं कह रहा हूं नं कहां मानते हैं। माननीय सदस्य अगर सदन में मौजूद हैं तो वह दो तरीके हैं, आरोप लगे तो आसन को अधिकार है कि एक्सपन्ज करवा दें तो फिर एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं होती और यदि एक्सपन्ज नहीं करवाया जाता और माननीय सदस्य उसका स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो उसका भी अधिकार है। दोनों चीजें नहीं हो सकती कि आप एक्सपन्ज भी कर दीजिए और स्पष्टीकरण भी दीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : दोनों की हैं, आपने दोनों की हैं उस रोज।

श्री सभापति : अब हो गया होगा। मेरी जहां तक जानकारी है आप चाहो तो एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं।

श्री अमराराम (धोद) : कल ही उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है उसी वक्त जब.....

श्री सभापति : मैं डील कर रहा हूं, मुझे डील करने दीजिए। प्लीज मुझे डील करने दीजिए। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अपनी सीट पर से आरोप लगाये हैं।

श्री सभापति : एक मिनट यहां एक्सपन्ज हो रहा है बात खतम हो गई। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड : यह प्रतिपक्ष के लोग अकाल पर बहस ही नहीं चाहते। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, इसी आसन से पर्यटन राज्य मंत्री के बारे में जो बात कहीं गई थी उनको एक्सपन्ज किया गया था और उनको एक्सप्लेनेशन का मौका भी दिया गया था। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : उसी दिन आब्जेक्शन किया गया था।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आसन की व्यवस्था तो एक जैसी रहे। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : उसी के बारे में आब्जेक्शन किया था। (व्यवधान) पर्यटन राज्य मंत्री ने उसी समय अनुरोध किया था। (व्यवधान)

श्री सभापति : स्पष्टीकरण होगा फिर तो आ गया ने रिकार्ड पर। (व्यवधान) दोनों बात नहीं हो सकतीं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : दोनों बात हुई हैं। (व्यवधान) आप ऐसा करें विधान सभा सविचालय के स्टाफ से पता कर लें। (व्यवधान)

श्री सभापति : एक मिनट आप विराजिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप विराजिए, देखिए, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। यदि

(श्री सभापति)

प्रोसीडिंग्स भी कोई चीज नहीं है तो उस चीज पर एक्सप्लेनेशन किस बात का है ? (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठें-बैठें नहीं बोलें। (व्यवधान) जब रिकार्ड में ही कोई चीज नहीं है तो आप एक्सप्लेनेशन किस बात पर देंगे इसलिए मैं इस बात को (व्यवधान) हां, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी आरोप लगाये गये व्यक्तिगत.....

एक माननीय सदस्य : अगर आप एक्सप्लेनेशन करवाओ तो आप उचित समझें तो कार्यवाही से निकाल दें, यह क्या बात हुई ?

श्री सभापति : जो भी व्यक्तिगत आरोप लगाये हैं, वह एक्सपन्ज किये जाते हैं और यह मामला यहीं समाप्त, धन्यवाद।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, नहीं, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, इनके ऊपर कोई आरोप ही नहीं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : एक मिनट तो बोलूंगा। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : अभी तक जो भी आरोप-प्रत्यारोप लगे उस पर चर्चा होगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, रिकार्ड में तो है ही नहीं आपके ऊपर आरोप, आप रिकार्ड में क्यों देना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : अब जरा चर्चा हो जाए यह भी। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्लीज, प्लीज।

एक माननीय सदस्य : इनको बोलने का मौका ही नहीं दिया।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरे ऊपर कभी कोई आरोप ही नहीं रहा, मेरे खिलाफ एक भी हो तो बता दें। यह कोई भी मेरे या मेरे परिवार के किसी भी बात से कोई आरोप ही नहीं रहा आज के समय तक। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजें, प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान) श्री शंकरसिंह राजपुरोहित, यस प्लीज। (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : सभापति महोदय, हम सब सीखने के लिए सभा में आये हैं, ऐसी अनर्गल बातें सुनने के लिए नहीं आये हैं।

श्री सभापति : कृपया आप विराजिए, चलिए। श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) : माननीय सभापति महोदय, यह तो योग था शंकर के खड़े होने पर कोई न कोई विवाद होना था, जो हो गया, पूरा भी हो जाए।

श्री सभापति : प्लीज आप विषय पर आइए तुरन्त।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : बिलकुल विषय पर बोलूंगा।

श्री सभापति : केवल 10 मिनट का समय दूंगा ? मिनट पर घण्टी बजाऊंगा (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : आपकी बात मान्य है।

श्री सभापति : 7 मिनट ही हैं तो 7 मिनट में घण्टी बज जाएगी।

राज्य में सूखे की स्थिति पर विचार

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : मान्यवर, अकाल पर बहुत भारी चर्चा की और उस चर्चा में मैं भी भाग ले रहा हूं। जैसा कि माननीय सदस्य बता रहे थे कि 55 वर्ष के इतिहास में अकाल की सहायता, लोगों की सहायता, राजस्थान की जनता की सहायता, भूखे लोगों की सहायता ऐसी कभी नहीं हुई लेकिन अगर वास्तव में पूर्ववर्ती सरकार की सहायता बराबर थी तो न्यायालय की फटकार क्यों मिलती, क्यों सर्वोच्च न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करता। गोदामों में अनाज सड़ रहा था, अनाज लाने के लिए आपको टाइम नहीं था और उस समय के तत्कालीन मुख्य मंत्री खाली हैलीपैड पर, हैलीपैड बनाने में व्यस्त थे और जोधपुर की नगरी का सौन्दर्यीकरण, चौराहों का सौन्दर्यीकरण जब राजस्थान का गरीब, राजस्थान का भूख नंगा व्यक्ति भूखा सो रहा था अशोक जी गहलोत ने एक आहट तो सुन ली होती कि जब मां के आंचल में एक लौटता हुआ बच्चा दूध के लिए भी लौटता रहे तो उसकी आहट तो सुन ली होती, एक बून्द दूध नहीं आया क्योंकि उस मां ने दो दिन से खाना नहीं खाया

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

था। वह अशोकजी गहलोत जो जोधपुर में खाली हैलीपैड बनाने में रहे थे, सोनिया जी की लिस्ट में नम्बर वन क्योंकि सोनियाजी ने इटली की चकाचौंध रोशनी देखी थी, हिन्दुस्तान की गरीब जनता की गरीबी नहीं देखी थी, उन गांवों की गरीबी नहीं देखी थी, वह दर्द नहीं देखा था। उनकी लिस्ट में अशोक ज़ी गहलोत नम्बर वन।

श्री सभापति : सब्जेक्ट पर बोलिए प्लीज। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपसे पहले। प्लीज, आप आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय सीरियस मैटर है। (व्यवधान) सरकार को क्या करना चाहिए (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : आधे घण्टे से ये लोग आरोप लगा रहे थे। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप आरोप प्रत्यारोप लगाने में समय खराब कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : माननीय सभापति महोदय, आधे घण्टे से आरोप लगा रहे थे, हम सुन रहे थे। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : यह सब्जेक्ट पर ही बाले रहे हैं गहलोत साहब का रेफरेंस भी सब्जेक्ट पर ही आया है। (व्यवधान) आप इतने क्यों उत्तेजित हो रहे हो ? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उस भयंकर अकाल में अटलबिहारी वाजपेयी ने एक दिन राजस्थान आने का काम नहीं किया। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : यह माननीय सदस्य सब्जेक्ट पर ही बोल रहे थे इसीलिए गहलोत साहब का रेफरेंस आया। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराज जाइये। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : हां, बोलता हूं। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : गहलोत साहब को याद ही इसलिए किया। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्लीज सिट डाउन (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदय, एक खडा होता है फिर दूसरा खड़ा हो जाता है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप नियमों का पालना करिये। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : यह वास्तव में वह सुधारें पानी के लिए तरस रहा है न राजस्थान और वह बनाया वह तो सुनना ही पड़ेगा। जनता के साथ आपने अन्याय कर दिया, जनता ने आपके साथ न्याय कर दिया। आपने 2002-03 में देखो हकीकत के बिन्दु हैं, बता रहा हूं मैं, 4 लाख 18 हजार लेबर लगानी थी, सुनिए और 2 लाख 65 हजार लेबर लगा सके और 2 लाख 65 हजार, माननीय सभापति महोदय, जो पी.डब्ल्यू.डी. के आलरेडी पंचायत में जो काम कर रहें थे उन लोगों को भर्ती करके इन्होंने पैसा उठाया, पैसों की काला बाजारी की, इन्होंने चोरी की, इस बात का सबूत है, जनता ने इनको तिरस्कृत कर दिया। मान्यवर, एक बात अभी और बताऊंगा।

श्री सभापति : बोलने दीजिए। बैठे-बैठे नो कमेन्ट, नये सदस्य हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : क्या कर रही है सरकार ?

श्री हेमाराम चौधरी : पढ़ने दीजिए। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : नहीं, यह गलत बात है। (व्यवधान) यह वीक स्टेटमेन्ट नहीं देना चाहिए।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं हैं। (व्यवधान) क्या दिया है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : गया उसके बाद में जमाना आएगा फिर आप लोग आये तो अकाल ले आये। अब आप क्या कर रहे हो ? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : चर्चा तो इसी बात पर चर्चा हुई। (व्यवधान)

श्री सभापति : अमरारामजी आप विराजिए, बार-बार खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान) फिर किस बात पर खड़े हो रहे हो। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : इस बात पर खड़ा हो रहा हूं, एक घण्टा आपने अभी इसी पर लगाया और वो ही काम फिर चालू हुआ इसलिए हो रहा हूं खड़ा (व्यवधान)

श्री सभापति : कोई भी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाएंगे। बैठ जाइये आप प्लीज।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, अकाल पर चर्चा करानी हो तो ठीक से कराइये। (व्यवधान)

श्री सभापति : अब आप समय ले रहे हैं। इतनी देर में उनका भाषण पूरा हो जाता। आप बोलने ही नहीं देना चाहते नये मेम्बर हैं। मैंने पहले ही कहा कि वह नये मेम्बर हैं उनको बोलने दीजिए और आप हर बात पर खड़े हो जाते हैं, आप विराजिए, विराज जाएं, आप सब्जेक्ट पर बोलिये।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : माननीय सभापति महोदय, देखें, यह तो बात है, अभी बारां का बताया कि बारां जिले में 20 मौतें भूख से हुई हैं। यह हुई है, पिछली सरकार के अकाल के समय में हुई है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठ जाइये।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : इस बात का साक्षी है और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं इलैक्ट्रोनिक मीडिया को जिस इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्य से इस बात का उजागर किया और न्यायालय ने फटकार दी, राष्ट्रपति महोदय ने हस्तक्षेप किया और उस समय में वसुन्धरा जी राजे ने पहुंच कर गरीबों की सेवा की। इस बात का भी तथ्य है। उस समय गेहूं के घोटाले हुए। मान्यवर सिरोही से आने वाले सदस्य विराजे हुए हैं, क्या सिरोही में उस समय में इनके राज में घोटाले नहीं हुए ? तीन-तीन घोटाले हुए और 11940 टन, इनकी शह में हुआ होगा ऐसा मैं मानता हूं क्योंकि ये सरकार में थे, ये वहां के विधायक थे। सिरोही के घोटाले हैं। ऊंची आवाज में बोलते हैं खाली। आपको अधिकार नहीं है ऊंची आवाज में बोलने का। यह आपके जमाने में हुए हैं। इस बात को कबूल करना है। सिरोही में तीन घोटाले हुए हैं।

श्री संयम लोढ़ा : अब आपका राज है, आप कुछ करो। हाथ में चूड़ियां पहन कर क्यों बैठे हो 8 महीने से ? कुछ करो। हमने घोटाले किये तो लटकाओ फांसी पर हमको।

श्री सभापति : बैठिये। माननीय प्लीज, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, मैंने कितनी बार कहा कि नये सदस्य हैं बोलने दीजिए लेकिन फिर बीच-बीच में खड़े हो जाते हैं।

श्री संयम लोढ़ा : सिरोही में कोई घोटाला हुआ नहीं और ये कह रहे हैं कि घोटाला हुआ। गलत तथ्य बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : बैठिये। अगर दिया है तो उसका तरीका हैं नियमों में।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : हां, घोटाले हुए है। यह अधिकारिक रिपोर्ट है। तीन घोटाले हुए हैं उनकी। (व्यवधान)

श्री सभापति : यहां खड़े होकर के बीच में व्यवधान का तरीका नहीं है। नियमों में प्रावधान है, अगर वो कुछ बोल रहे हैं और गलत तथ्य है तो आप नोटिस देकर के उन गलत तथ्यों के बारे में जानकारी दीजिये लेकिन बीच-बीच में खड़े होकर टोकना दिस इज नोट गुड।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार, वसुन्धराजी इस बारे में बहुत चिन्तित हैं, निश्चित रूप से चिन्तित हैं और एक बात वसुन्धराजी ने कल यह कहा है कि किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। अभी दिन आये हैं, आप बता दीजिये इस बात का उदाहरण। हम व्यवस्था करेंगे। अभी फिलहाल दो लाख मैट्रिक टन.....

श्री संयम लोढ़ा : जिन्दा रहने दोगे लोगों को जब सोयेंगे न।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : दो लाख मैट्रिक टन अनाज जो अभी चार महीने के लिए लेबर के लिए चाहिए वह केन्द्र सरकार से आते ही अपने अकाल राहत के कार्य शुरू कर दिये जाएंगे। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि गिरदावरी का जो विषय है अभी खतम कर देना चाहिए। अकाल राहत के कार्य केन्द्र सरकार से अनाज मिलते ही तुरन्त हमें चालू कर देने चाहिए।

अब मैं पेयजल के मामले में बोलूंगा। माननीय सभापति महोदय, अकाल पिछले 40-44 सालों से कभी आता है, कभी नहीं आता है। पीने के पानी की समस्या का वास्तव में हमें परमानेन्ट सोल्यूशन कोई न कोई करना

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

चाहिए। मंत्री महोदय विराजें हैं उन्हें निवेदन करूंगा कि सांचौर और भीनमाल जालौर जिले में नर्मदा से जुड़ जाएंगे, आहोर जिस पर कोई पानी का स्रोत नहीं है, आने वाले समय में जंवाई से जोड़ने की जो स्कीम हमने दी है, हमारे लिए परमानेन्ट पेयजल की स्कीम को आप पास करने की कोशिश करेंगे।

सभापति महोदय, राहत कार्य जो हमें चाहिए, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि अकाल राहत कार्य ज्यादा से ज्यादा कच्चे कार्यों पर चालू करिये तालाब और जहां पक्की सड़क एक बार बना दी है, दूसरी बार नहीं बना सकते वहां ग्रेवल सड़क के माध्यम से करें। पक्के काम में कोई कमरा बनाने के काम में लेबर कम लगेंगे, पैसा खर्च ज्यादा हो जाएगा और ऐसे कच्चे कामों में लेबर ज्यादा लगेंगे इसलिए कच्चे कामों को महत्व देना चाहिए।

श्री सभापति : कन्क्लूड करिये। नो-नो।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : एक मिनट में करता हूं। माननीय सभापति महोदय, एक वर्ष में 100 लाख मैट्रिक टन अनाज चाहिए हमें और 477.92 लाख टन चारे की प्रतिवर्ष आवश्यकता है वह व्यवस्था हमें करनी चाहिए।

श्री सभापति : माननीय प्लीज कन्क्लूड।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : एक मुख्य बात पर आता हूं। आने वाले समय में गौशालाओं के लिए अनुदान है वह सरकार को बढ़ाना चाहिए। जो आंगनबाड़ी की महिलाओं को न्यूट्रीशियन दिया जाता है उसमें भी वृद्धि करेंगे तो एक सप्लीमेन्ट्री इलाज उसका होगा। कुओं का निजीकरण, यह बहुत समय रहते हमें करना चाहिए। पशु चिकित्सा एवं टीकाकरण में पर्याप्त व्यवस्था पशु चिकित्सा मंत्री करेंगे। उसके साथ-साथ, जो मेडिकल डिपार्टमेन्ट है, प्राथमिक हैल्थ सेण्टर पर, सामुदायिक भवन पर और गांवों में मुफ्त दवाइयां ज्यादा से ज्यादा स्टाक में अकाल के वर्ष में रखनी चाहिए जिससे कोई महामारी नहीं हो जाए और लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो जाए।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अभी माननीय

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

सदस्य बता रहे थे कि निजी आवास हमने दिये लेकिन उन्हें यह बता देता हूं कि निजी आवास की व्यवस्था केन्द्र सरकार के द्वारा हुई और केन्द्र सरकार से जो पैसा दिया उनमें आपने 4-4 ईटें लगाकर के केन्द्र सरकार को चूना लगाया, उस पैसे को चूना लगाया, यह हकीकत है।

श्री सभापति : समाप्त करें। श्री नवनीत नीनामा।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : माननीय सभापति महोदय, आपने जो समय दिया है उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : और हमारी सरकार ने जो तय किया हैं, मैं एक विधायक के रूप में मेरी तहसील की तो गारण्टी लेता हूं कि किसी को भूख से नहीं मरने दिया जाएगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : नवनीत जी, शुरू करिये। प्लीज 10 मिनट में समाप्त करें। सीधे सब्जैक्ट पर आइये।

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) : मान्यवर सभापति महोदय, मैं कोई लम्बी बात न करके आपके इस सदन में जब आजादी का सवाल उठा था सन् 1950 में देश में एक मनुष्य के पीछे, यह जो आंकड़े मैं बता रहा हूं कि 1950 में एक व्यक्ति को 500 क्यूबिक मीटर पानी मिलता था और आज 1869 हो गया है। मान्यवर, यह जो आज अकाल पर चर्चा चल रही है, मैं सदन में बैठा-बैठा आपसे, सारे सदन से मैंने ट्रेनिंग ली है - लाकर खाओ, पैदा कर खाओ। इस बात को लेकर के आज की चर्चा चल रही है। अब हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम बाहर से लाकर खायें और अकाल का मुकाबला करें या हमारे यहां पैदा करें, खायें और अकाल का मुकाबला करें। यह सवाल है। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि यहां इतने मिलीमीटर पानी बरसा तो क्या आपने इन्द्र महाराज को कोई चिट्ठी लिखी थी कि कितना मिलीमीटर बरसना चाहिए था ? किसी ने पत्र लिखा था ? किसी देश के मुख्य मंत्री ने या प्रधान मंत्री ने या किसी अधिकारी ने पत्र लिखा था ? यह तो समुद्र का तूफान है और तूफान में जो होता है वह हो जाता है। अब उसके पीछे अकाल और खेती और दु:ख-सुख की

(श्री नवनीत नीनामा)

बाज जोड़ने वाली फिट नहीं बैठती है। इससे गांव में रहने वाला किसान अमावस, पूर्णिमा का दिन तय करता है कि उसी रोज बरसात आयेगी और उसी रोज बरसात आती है। गांव में रहने वाला किसान जो दीवाली के आस-पास जो कहता है कि उस वक्त पर अमुक तारीख को बारिश होगी और उसी तारीख को बारिश होती है और पहले से भविष्यवाणी कर देता है कि इस साल अकाल पड़ेगा तो पड़ेगा। आपके कितने भी तूफान, समुद्र, पेड़ उछलते रहेंगे, तूफान चलते रहेंगे तो मेरा ऐसा आग्रह है कि स्थान काम करने के लिए, अकाल का मुकाबला करने के लिए...

श्री सी.डी. देवल : इस बात की भी भविष्यवाणी बता दें माननीय सदस्य।

श्री सभापति : हां, आपको बोलने का मौका दूंगा। बोलने का मौका दे रहे हैं।

श्री नवनीत नीनामा : बतायेंगे। यह महाभारत, पृथ्वी 38 किलो ठण्डी हुई है, जिस रोज बिलकुल ठण्डी हो जाए, हवा बन्द हो जाएगी और आप सब ठण्डे हो जाओगे।

डा. किरोड़ी लाल : ये आदिवासी पण्डित हैं।

श्री नवनीत नीनामा : तो मेरा ऐसा आग्रह है कि अस्थाई अकाल का मुकाबला करने के लिए मेरा ऐसा आग्रह है कि अभी भी जून के महीने में हम ट्राइबल कमेटी लेकर के पूरे क्षेत्र में घूमे और देखा तो यह उदयपुर डिवीजन जहां घाटियां, ऊंची-नीची घाटियां और पहाड़ियां है। वहां पर एनीकट्स, छोटे तालाब अगर बनाये जायें तो पेड़-पौधों का आधार बने और वे पेड़ जिन्दा रहें तथा पानी का भी आधार बने, ऐसी हमारी मंशा है और रेगिस्तान में जहां अकाल का सवाल है, रेगिस्तान में पौधे लगाने की जरूरत है, दक्षिणी राजस्थान में आज जो पेड़ हैं, उनकी रक्षा करने की जरूरत है, वहां पेड़ लगाने की जरूरत नहीं है। वहां रेगिस्तान में बबूल ले जाकर उन्होंने लगा दिये और वहां पर वे पनपते नहीं और वहां पेड़ दूसरी तरह से हैं तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा था, पेड़ पानी पैदा करते हैं। अगर पेड़ नहीं हो तो पानी नहीं है,

(श्री नवनीत नीनामा)

इस प्रकार का मेरा आग्रह है। यहां पर यह भी बात कही गई कि रोस्टर प्रणाली, अब रोस्टर प्रणाली, आज गांव में मजदूर का कहना है, रोस्टर प्रणाली, 10 मजदूर लगाये, उन मजदूरों को हटाया, दूसरे सप्ताह 10 और लगाये, और जोड़ लगाई, 10 को तो निकाल दिया, दूसरे दिन लगाये और जोड़ होता है 20 मजदूरों का, इस प्रकार से दोहरी संख्या बताई जा रही है और आखिर में इसके आंकड़े तौलते नहीं। तो मेरा ऐसा आग्रह है कि अगर यह रोस्टर प्रणाली किसी अधिकारी की नौकरी पर लागू कर दी जाये, किसी नेता पर लागू कर दी जाये कि बारी-बारी से एम.एल.ए. बनो, या बारी-बारी से नौकरी उठाओ। ऐसा अगर रोस्टर प्रणाली लागू कर दी जाती है तो कैसा दिखे, मतलब कैसा लगे तो इसमें सोचने का विषय है। यह रोस्टर प्रणाली की भाषा गांव में जाकर नहीं बोलना चाहिए, अब लोग समझ चुके हैं। इसलिए अब इस प्रकार की भाषा बोलकर मजदूरों के साथ कहना, यह ठीक नहीं है इसलिए मेरा आग्रह है कि अभी भी इस अकाल के समय में आज उदयपुर डिवीजन में ऊंची-नीची घाटियों में तालाब और एनीकट बनाये जायें तो पहाड़ पनपे, पानी रहे, रिवाव चले और इस तरह से मैं मेरे क्षेत्र पर जा रहा हूं। विधान सभा क्षेत्र घाटोल, दानपुर और कुशलगढ़, जो सूखा एरिया है, वहां की ऐसी स्थिति है, वहां पर पानी है लेकिन अव्यवस्था के कारण वहां तकलीफ हो रही है तो उसके लिए मेरा सुझाव है, मांग है कि पीपलखूंट क्षेत्र में बोरी बानगटी नाम का तालाब का निर्माण सन् 1977-78 के दरम्यान महामहिम उपराष्ट्रपति, शेखावत साहब जब मुख्य मंत्री थे, इसके समय में, इनके मुख्यमंत्रित्व काल में तालाब के निर्माण के लिए जांच हुई और वहां पर सर्वे हुआ, काम शुरू हुआ लेकिन वह तालाब बनने से कुछ जमीन वन विभाग की बीच में आती थी तो वन अधिकारियों के द्वारा उस काम को रोका गया। जिस सम्बन्ध में राज्य और केन्द्र सरकार से निर्णय भी आये हैं और 17 लाख रूपये सिंचाई विभाग से वन विभाग को जमा कराने के लिए कागज जयपुर और बांसवाड़ा के आफिसों में गोता खा रहा है, इसलिए मेरा आग्रह है कि इन कागजों को टटोलकर जो पैसा स्वीकृत है, उन पैसों को विभागीय समझौता करके उस तालाब का काम शुरू कराया जाये। शुरू कराने के बाद तालाब के नीचे ही...

श्री सभापति : समाप्त करें कृपया, समाप्त करें।

श्री नवनीत नीनामा : .....ऊंची-नीची घाटियां हैं जहां पर गांव केसरपुरा, राणोती, हरवर, सेमलिया, महुवाल, कालियाकुंड, शोडलपुर, ये जो गांव हैं, सूखे हैं और इस गर्मी के मौसम में वहां टैंकरों से इस साल पानी पिलाया गया है तो मेरा आपसे आग्रह है कि उस तालाब को बनाया जाये और नीचे की ऊंची-नीची घाटियां हैं, वहां पर एनीकट बनाया जाये तो....

श्री सभापति : श्री हेमराज मीणा।

श्री नवनीत नीनामा : .....उस क्षेत्र के कुओं का पानी का स्तर ऊपर आये, हैण्डपम्पों के पानी का स्तर ऊपर आये तो पानी की समस्या निपटे, ऐसा मेरा आग्रह है।

श्री सभापति : आप निर्दलीय हैं, आप निर्दलीय हैं। उसके बाद आपका आ रहा है। कन्क्लूड करिये प्लीज।

श्री नवनीत नीनामा : मेरा ऐसा आग्रह है कि वह वन विभाग में और हमारे आसपास में वन है और वन विभाग के द्वारा खाली वन भूमि की रखवाली की जा रही है, पेड़ों की नहीं की जा रही है तो पेड़ नहीं होने की वजह से अकाल बढ़ता चला जा रहा है इसलिए इन पेड़ों की रखवाली के लिए सही पेड़ लगाये जायं और इन पेड़ों के नीचे जो थैलियां हैं, उनकी जड़ें काट दी जाती हैं तो वन अधिकारी पानी की पैदाइश करने के लिए वन अधिकारियों को माननीय वन मंत्रीजी से निवेदन है कि वन अधिकारियों को ऐसे निर्देश दिये जायें कि उन थैलियों के नीचे पेड-पौधें अपनी जड़े निकालते हैं, उसको काट दिया जाता है और वहां पौधे लगाते हैं वह पेड़ पनपते नहीं हैं, ऐसी स्थिति में मेरा आपसे आग्रह है कि पेड़ों को सही ढंग से लगाया जाये। पेड़ लगाने के लिए जमीन का सर्वे कराया जाये कि कौनसा पौधा किस तरह की जमीन पर पनपता है....

श्री सभापति : कन्क्लूड करें। श्री हेमराज मीणा।

श्री नवनीत नीनामा : यदि सर्वे करवाकर निर्णय लिया जाये तो....

श्री सभापति : रिपीटेशन मत करें, रिपीटेशन नहीं प्लीज।

श्री नवनीत नीनामा : तो यह अकाल का मुकाबला हो सकता है। बाहर से अनाज लाकर के मौसम का समय निकाला जा सकता है। महीने, दो महीने, छह महीने निकाला जा सकता है, पीढियों की कमाई नहीं हो सकती है। आपने मुझे मौका दिया और मेरी चर्चा जल्दी-जल्दी कराने के लिए कहा, उसके लिए मैं आपका आदर करते हुए मेरी बात को विराम देता हूं, जय भारत।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री हेमराज मीणा।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : सभापति महोदय, अकाल की चर्चा के ऊपर मैं अपने विचार रखना चाहूंगा कि कई माननीय विद्वान सदस्यों ने अपने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये। अकाल की बात बड़े जोरों से चली। लेकिन सम्पूर्ण हाड़ौती के बारे में, हाड़ौती की वैसे मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन सारे हाड़ौती के बारे में मैं आपको कहूं कि सबसे ज्यादा यदि अकाल है या सबसे ज्यादा गरीब इलाका है तो सम्पूर्ण हाड़ौती में किशनगंज, शाहबाद और सहरिया है जहां पर अभावग्रस्त, दीन-हीन गरीब व्यक्ति रहते हैं। आज भी अपन विचार करें तो किशनगंज, शाहबाद के मजदूरों के लिए, रोज उनको मजदूरी की आवश्यकता है। सुबह मजदूर जायेंगे, शाम को गेहूं लेकर आयेंगे, आटा बनायेंगे, उसके बाद रोटी पेट में जायेगी। लकड़ी काटने जायेंगे, लकड़ी को काटकर बेचेंगे, उसके बाद में मजदूरी आएगी, उसके बाद में खाना खायेंगे, उस इलाके की ऐसी स्थिति है और इस समय भी उस क्षेत्र में 50,000 मजूदर हैं, आज भी अगर मजदूरी दी जाये तो 50,000 मजदूरी वहां चालू करनी पड़ेगी। ऐसी उस क्षेत्र की स्थिति है....

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि विद्वानों ने अपने विचार रखे। जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो आप कुछ सुझाव दे रहे थे, आप उन विद्वानों में नहीं हैं क्या ? आपने कहा, अभी कई माननीय विद्वान सदस्यगणों ने चर्चा में भाग लिया..... (व्यवधान) नहीं, नहीं, मैं तो विद्वान हूं नहीं साहब, मैं जब बोलने के लिए खड़ा हुआ, आप कुछ सुझाव दे रहे थे तो आप विद्वानों की सूची में नहीं हैं क्या ?

श्री सभापति : विराज जाइये, विराजें।

श्री हेमराज मीणा : मेरे से सब ज्यादा विद्वान हैं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : जब आप बोलने के लिए खड़े हुए थे.....

श्री हेमराज मीणा : माननीय सदस्य, मेरे से सब विद्वान हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, विराजें आप।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय सदस्य, मैं आपको 10 बार टोंकू, एक बार भी नहीं बोलने दूं, तो आपको कैसा लगेगा ? सभापतिजी, जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ, तब उन्होंने मुझे दो बार टोका।

श्री सभापति : नो इन्टरप्शन प्लीज। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। जो सभी सदस्य चुनकर आते हैं, वे भी विद्वान हैं। (व्यवधान) आसन पैरों पर है माननीय सदस्य।

डा. किरोड़ीलाल : क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पत।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : ये दो बार खड़े हुए जैसे इनके स्प्रिंग लगी हुई हो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सारे माननीय सदस्य जो चुनकर आये हैं, सब विद्वान हैं।

श्री हेमराज मीणा : माननीय सदस्य, यह बात मैं कह चुका, सब माननीय सदस्य जो पहले बोले हैं, जिन्होंने विचार रखें हैं, वे सब मेरे से ज्यादा विद्वान हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप सब्जैक्ट पर बोलिये, आपका समय समाप्त हो जायेगा, मैं घंटी बजा दूंगा, सब्जैक्ट पर बोलिये, फटाफट बोलिये।

श्री हेमराज मीणा : सभापति महोदय, पिछले वर्ष 2000-03 की बात करें तो यदि सबसे ज्यादा अकाल था तो पिछले समय में भी उस आदिवासी क्षेत्र में था। आज सारे दिन से अकाल की बात चल रही है और आदिवासी क्षेत्र में मौतों की बात चल रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, पूरे बारां जिले में 24 मौतें सरकार ने स्वीकार की हैं। उस समय कांग्रेस का राज था। कांग्रेस का

(श्री हेमराज मीणा)

राज था उस समय, सभापति महोदय, हमने कई आन्दोलन किये, प्रदर्शन किये, धरने दिये, उसके बाद किसी के जूं नहीं रेंगी। जब यह मौतों की बात मीडिया ने, इलेक्ट्रानिक मीडिया ने आगे पहुंचाई, हिन्दुस्तान लेवल पर जब यह बात पहुंची तब कांग्रेस के बड़े नेताओं के और बड़े-बड़े, अखबार में छपने से दिल्ली के लोगों के, दूसरे स्टेट में यह बात पहुंची, लोग सेवा के लिए आगे आये। गुजरात से आये, हरियाणा से आये। उन बाबा संत को मैं बधाई दूंगा। हरियाणा के एक संत गुरूद्वारे से आये जिन्होंने एक महीने तक मेरे क्षेत्र में लंगर चलाया। एक महीने तक चार हजार लोगों को प्रतिदिन उन्होंने भोजन कराया। उस तरह से वह अकाल निकला। सभापति महोदय, 24 मौत अकाल मेरे क्षेत्र में हुई और यह माननीय सदस्यों ने स्वीकार भी किया है, सरकार ने भी स्वीकार किया है। बारां में भी मौत हुई। बारां जिले का पूरे का आंकड़ा देखें तो 37 मौतें हुई। मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक मेरे माननीय सदस्य जो बसपा में थे, माननीय माहिर आजादजी, वह इलाके के दौरे पर गये, उन्होंने प्रेस कांफ्रेन्स में कहा कि अकाल मौतें हुई हैं। अकाल मौतों का उन्होंने प्रेस कांफ्रेन्स में कहा, पिछली बार विधान सभा में भी कहा। परन्तु आज वही सदस्य कांग्रेस में हैं, आज वह वकालत कर रहे हैं कि मौतें नहीं हुई, वह अकाल मौतें नहीं थीं। मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्यों से कि दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। कथनी-करनी में अन्तर नहीं होना चाहिए। यदि यह बात हमने ध्यान में रखी तो निश्चित रूप से हमारा काम आगे बढ़ेगा। सभापति महोदय, अकाल मौतें हुई, तत्कालीन मुख्य मंत्री उस समय पधारे। दीवाली मनाने के नाम से गये। दीवाली के दिन गये, शाहबाद जाकर रूके। मैं यह कहना चाहूंगा, अब आप कहेंगे कि आप आलोचना कर रहे हैं लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मैं उस समय वहां पार्टी का पदाधिकारी था। हमारा डेपुटेशन लेकर मिलने की उनसे हमने बहुत कोशिश की, हमारा डेपुटेशन उनसे नहीं मिल सका और वे वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से घिरे रहे, कांग्रेस के लोगों से घिरकर रात्रि वहां रूक कर मुख्य मंत्रीजी वापिस आ गये, किसी आदिवासी के घर नहीं गये, किसी की झोंपड़ी में वह नहीं गये, किसी जिस घर में मौत हुई है उस मौत वाले घर में नहीं गये। अब एक तरफ आप आलोचना की बात कहेंगे, क्या मुख्य मंत्री

(श्री हेमराज मीणा)

शाहबाद में जाने के बाद, शाहबाद-किश्नगंज मुख्य मंत्रीजी गये, दीवाली मनाई, दीवाली के दिन वहीं थे लेकिन किसी ऐसे जिसके घर में अकाल मौत हुई हो उस परिवार में जाकर वह बैठे नहीं, किसी आदिवासी सहरिया से नहीं मिले, कांग्रेस के वर्करों से घिरे रहे। जो भी उन्होंने कानाफूसी की, वह काम वह करते रहे। इतना ही नहीं हुआ, सभापति महोदय, राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा सम्माननीय सोनिया गांधीजी भी गई। (व्यवधान) अकाल पर ही बोल रहा हूं।

श्री सी.डी. देवल : यह अकाल पर तो बोल नहीं रहें। इनके क्षेत्र की क्या समस्या है, मुख्य मंत्रीजी ने दीवाली मनाई और सोनियाजी आ गई, उससे क्या हो गया ? आपके क्षेत्र की बात हो, वह कहिये।

श्री धर्मपाल चौधरी : यह सुनो तो सही। उसी पर, अकाल पर ही बोल रहे हैं यह।

श्री हेमराज मीणा : सभापति महोदय, मैं अकाल की बात कह रहा हूं। उस अकाल को देखने के लिए दिल्ली से कांग्रेस की अध्यक्षा हेलीकाप्टर से जाकर वहां उतर गई। उसके बाद हेलीकाप्टर आ गया। वहां पर पांच हजार आदिवासियों की भीड़ खड़ी हो गई केवल सोनियाजी से मिलने के लिए। लेकिन सोनियाजी किसी से नहीं मिलीं। बेरियर लगा दिये, सीधी कार से निकल गई। हमने कोशिश की कि एक बार डेपुटेशन अपनी पार्टी की तरफ से मिलना चाहिए, हमने काले झण्डे दिखाये। काले झण्डे दिखाये, लाठीचार्ज हुआ.....

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, इनको पता नहीं है। सोनिया गांधीजी ने एक-एक गांव का दौरा किया। हजारों-लाखों अकाल पीडित लोगों से वह मिलीं हैं और कुल मिलाकर के.....

श्री मदन दिलावर : नो-नो। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : मैं इलाके का रहने वाला हूं, मैंने उस इलाके को देखा है नजदीक से। हमारे समाज कल्याण मंत्रीजी गये थे..... (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : आप थे क्या वहां पर किशनगंज में ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : जो सदन की सदस्या नहीं हैं उनके बारे में..... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : किसी से नहीं मिलीं, लोगों का अपमान किया, आदिवासियों का अपमान किया उन्होंने। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अटल बिहारी बाजपेयी एक भी गांव में नहीं गये। एक गांव में नहीं गये प्रधान मंत्री। क्या बात कर रहे हो आप, एक गांव में नहीं गये, एक गांव को नहीं देखा माननीय प्रधान मंत्रीजी ने। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : सोनियाजी आंधी की तरह आई, तूफान की तरह गई, बस। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सात हजार करोड़ दिये आपको।

श्री धर्मपाल चौधरी : सारा पैसा अकाल का मिला दिल्ली से, आप लोगों ने एक पैसा खर्च नहीं किया।.....(व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : सोनिया गांधी उस बलती लाय में, उस लू के अन्दर मारवाड़ के क्षेत्र में गई हैं, सांचोर गई हैं, जालौर में गई, पाली में गई हैं और आपके नेता कोई शिमला में बैठा था और कोई गोवा में बैठा हुआ था।

श्री सभापति : आपको बोलने का मौका दूंगा।

श्री सी.डी. देवल : रोज सोनिया गांधी का संदेश आया, वह अशोक गहलोत की व्यवस्था थी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपको बोलने का मौका मिलेगा, आप समाप्त करें प्लीज। समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा वहां पर मौत वाले लोगों से मिलने गई थीं तो कम से कम उन लोगों से मिलना चाहिए था। मजबूरी थी, हमने कहा हम मिलेंगे। मदन दिलावरजी, अभी जो समाज कल्याण मंत्री हैं यह हम सब साथ थे, हमने काले झण्डे दिखाये, हम रोड पर खड़े हो गये, लाठीचार्ज हुआ, हमको पकड़ा, हमारे विरोध करने के बाद भी....

श्री सभापति : एक मिनट में आप समाप्त करें कृपया।

श्री हेमराज मीणा : वह नहीं पहुंची। सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि इस अकाल के कारण से जो फसल नहीं हुई, 27 प्रतिशत केवल बुवाई हो पाई है और पिछली बार का हम देखें तो गौवंश का इतना नुकसान हुआ, सारा गौवंश हमारा नष्ट हो गया, आगे से हमको देखना

(श्री हेमराज मीणा)

पड़ेगा कि हमको गाय को बचाना है, सारे गौवंश को बचाना है, चारे की व्यवस्था करनी है, यह सारी व्यवस्थायें इस सरकार के ध्यान में हैं और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस अकाल को सहन करने के लिए कुछ राज्य सरकार ने सहरिया क्षेत्र के लिए योजनाएं हाथ में ली हैं। अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में कहा है कि सौ दिन हर परिवार को मजदूरी दी जायेगी। उसमें बीस करोड़ रूपये खर्च होंगे। मैं समझता हूं इससे सहरिया को अकाल में राहत मिलेगी। यही नहीं कहा, सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने यह भी घोषणा की है बजट में कि आज दिन तक डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में उप योजना क्षेत्र में लाभ मिलता था, पहली बार पैंतीस किलो गेहूं हर परिवार को मिलेगा, दो रूपये किलो के हिसाब से मिलेगा, इससे भी अकाल को सहन करने की क्षमता उस क्षेत्र में होगी।

श्री सभापति : समाप्त करें, प्लीज।

श्री हेमराज मीणा : सभापति महोदय, और निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति : समय समाप्त हो चुका आपका।

श्री हेमराज मीणा : फसल बीमा योजना लागू की सरकार ने। मैं सरकार में बैठे हुए सब माननीय सदस्यों को यह कहना चाहूंगा कि फसल बीमा योजना तुरत-फुरत लागू होनी चाहिए और तत्काल जो फसल अभी खड़ी है, उनका फसल बीमा हो ताकि किसानों को राहत मिल सके। सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में सारे जंगल कट रहे हैं, लगातार जंगल का कटान जारी है, हर रेन्ज में जंगल का कटान जारी है। मैं यहां बैठे हुए माननीय वन मंत्रीजी का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा....

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री हेमराज मीणा : कि फोरेस्ट विभाग का काम पेड़ लगाना तो बहुत दूर रहा, आप पेड़ लगने की चिन्ता कम करें लेकिन जो पेड़ लगे हुए हैं राजस्थान में, उन पेड़ों को बचा लेंगे, तो पानी की समस्या खतम हो जायेगी हमारी, पानी निश्चित रूप से मिलेगा। सभापति महोदय, जितने हमको छोटे-छोटे एनीकट बनाना चाहिए, मिनि डेम बनाना चाहिए......

श्री सभापति : समाप्त करें। श्री सी.डी. देवल।

श्री हेमराज मीणा : इरिगेशन के छोटे-छोटे डेम, एनीकट और लिफ्ट सिंचाई योजनाएं जो भी बनानी थीं..... (व्यवधान) सभापति महोदय. मैं एक मिनट और लूंगा आपका।

श्री सभापति : मैं आपको बोल रहा था आपका समय आप समाप्त कर रहे हैं।

श्री हेमराज मीणा : एक निवेदन करूं, सभापति महोदय। पेयजल के ऊपर अपनी एक बात कहना चाहूंगा। सभापति महोदय, जेडीए में, आवासन मण्डल में अभी मकान एप्रूव करती है सरकार, नगर निगम का जो आयोजक है वह एप्रूव करता है, उसमें वह व्यवस्था की जानी चाहिए, सरकार को विधेयक लाना पड़े तो लाये कि जितना बरसात का पानी जितना भी होता है वह बरसात का पानी अन्दर मकान में टांके बनाकर के पूरा पानी इकट्ठा होना चाहिए, इसके लिए कानून बनाना चाहिए ताकि पानी को शुद्ध करके पीने के लिए काम आ सके।

श्री सभापति : समाप्त करें, प्लीज। सिट डाउन प्लीज।

श्री हेमराज मीणा : सभापति महोदय, बहुत कोशिश करने के बाद आपने समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री सी.डी. देवल।

श्री तगाराम चौधरी : माननीय सभापति महोदय, एक आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि मैंने बार-बार या कई बार.....

श्री सभापति : आपको भी बुलायेंगे, बुलायेंगे। विराज जायें, आप विराजें। ऐसा नहीं।

श्री तगाराम चौधरी : तो मेरा नाम है ?

श्री सभापति : लिस्ट है उसके हिसाब से। विराजें आप प्लीज।

श्री तगाराम चौधरी : मैं पर्ची के बारे में आपको निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति : हां. आपको समय दूंगा, बैठ जाइये।

श्री तगाराम चौधरी : समय आप देंगे ?

श्री सभापति : मैं समय दूंगा, बैठ जाइये।

श्री तगाराम चौधरी : धन्यवाद।

श्री सी.डी. देवल (सोजत) : सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की पहले फरवरी में बैठक हुई उसमें राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कराया कि क्षेत्र में अकाल की भयंकर स्थिति बनी हुई है, इस वास्ते सरकार को तुरन्त अकाल राहत काम खोलने की व्यवस्था करनी चाहिए। फरवरी के बाद आज जुलाई का महीना आ गया है जब इस अकाल के ऊपर बहस हो रही है। एक तरफ पिछले समय में खरीफ की फसल हुई निःसन्देह अच्छी फसल हुई लेकिन वहां बरसात उतनी ही हुई जितनी वहां फसलों के लिए जरूरी थी और रबी की फसल कम से कम पाली जिले में यहां जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो भी इस बात को ताइद कर सकते हैं कि पाली जिले में रबी की फसल नगण्य हुई है जो काश्तकार सौ बीघा खेती करता था उसके दो बीघा ही खेती हुई है लेकिन पाली के जिला कलक्टर साहब को शायद इस बात का ध्यान नहीं आया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट यहां नहीं भेजी। माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैंने पत्र लिखा उसका जवाब आया कि कलेक्टर ने गिरदावरी रिपोर्ट में खराबा दर्ज नहीं किया। माननीय सभापति महोदय, अगर सौ बीघा जमीन में खेती करने वाला दो बीघा जमीन में खेती करे सारा का सारा खेत खाली पड़ा रहे अगर वो भी खराबा नहीं हो तो फिर आई.ए.एस. अधिकारियों के दिमाग में खराबा क्या होता है यह बात मेरे ध्यान में नहीं आयी। सभापति महोदय, आप अनुमान लगाइये कि एक तरफ राजसमन्द जिले के अन्दर जो पाली जिले से जुड़ा हुआ गांव है उसमें अकाल राहत कार्य चल रहे हैं और दूसरी पाली जिले के हजारों किसान, गरीब मजदूर हैं वो अकाल राहत कार्यों से महरूम हैं और आज भी तारीख तय नहीं हुई है यह तो बहस ही है कि अकाल राहत कार्य कब शुरू होंगे। पाली जिले में अकाल की भयंकर समस्या है और कुओं का जलस्तर बहुत नीचे गया हुआ है जहां 20 फीट पर पानी था आज दो सौ फीट पर पानी है क्योंकि न तो तालाबों में पानी है और न नाडियों में पानी है और न नदियों की ठीक व्यवस्था है। जवाई बांध बन गया। यहां जालौर के विधायक बैठे हैं और सुमेरपुर के विधायक बैठे हैं और पूरा का पूरा गांव बरबाद

(श्री सी.डी. देवल)

हो गया उस जवाई बांध से। चाहे पीने का पानी मिले और कुछ लोगों को सिंचाई की सुविधा मिले। इस तरह से रायपुर दीपावास में बांध बना 28 गांव बरबाद हो गये जिनमें सोजत क्षेत्र के दवे साहब के क्षेत्र के भी हैं और गोयल साहब के भी हैं और रामनारायणजी डूडी के क्षेत्र के भी हैं और बान्ध के एक तरफ जहां 20-25 काश्तकार 200 काश्तकारों को दो हजार बीघा जमीनों में पानी मिलता है लेकिन 28 गांवों के काश्तकार बरबाद हो गये हजारों काश्तकार बरबाद हो गये तो आपको यह व्यवस्था सोचनी पड़ेगी कि एनीकट बनाया जाए छोटे बान्ध बनाये जाएं। सिंचाई मंत्रीजी ने इस बात की घोषणा कर दी लेकिन मैं इस सदन के माध्यम से, माननीय सभापति महोदय उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर आपने एनिकट बना दिये बड़े एनिकट बना दिये तो नीचे के खेत बरबाद हो जाएंगे और अकाल की जो स्थिति है उससे ज्यादा बुरी स्थिति हो जाएगी। आप एनिकट जरूर बनायें लेकिन ऊंचाई एक-दो फीट से ज्यादा मत बनायें। आप एनिकट बनायें लेकिन नदी के बेस फ्लोर के रूप में बनाये ताकि आगे पानी नहीं रूके और क्षेत्र के लोगों को पानी से फायदा मिल सके। इस तरह अकाल के अन्दर नाडियां खुदवाने का काम शुरू किया गया लेकिन सभापति महोदय, मैं इनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो नाडियां हैं उनमें जितना मोड रहे उतने तक तो उनमें पानी रूके और मोड जब खुदते-खुदते खत्म हो जाता है तो उस नाडी को खुदवाने की कोई सार्थकता नहीं है, क्योंकि उस में एक महीन भी पानी नहीं ठहरता है। आज सारी नाडियां जो अकाल में खुली हैं वो बेकार पड़ी हैं इसलिए आप गांव वालों को पूछ कर कोई कमेटी अकाल राहत की बनायें और जिला लेबल की कमेटी अकाल रहात की गठन करें और गांवों की जो समस्या और गांवों की जो वास्तविक फिजीकल पोजीशन है उसके अनुसार आप अकाल राहत कार्यों को खोलें केवल नाडियां खोलने से कोई व्यवस्था नहीं होगी। दूसरी तरफ आजादी के 56 साल के बाद गांव में ऐसी ढाणियां हैं ऐसी जगह हैं जहां आने-जाने का रास्ता नहीं है, सभापति महोदय, अगर आजादी के 56 साल के बाद भी लोगों को आने-जाने का रास्ता नहीं मिले तो में समझता हूं कि इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं है। सड़क बनाने की बात आती है तो सड़क नीति आड़े आ जाती है लेकिन अकाल एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ढाणियों को जोड़ा जा सकता है।

(श्री सी.डी. देवल)

बैरो के बीच में जहां एक-एक बैरे में सौ-सौ घर बने हुए हैं वहां उनके आने-जाने का रास्ता बन सकता है तो इसके लिए जो भी व्यवस्था करें इनकी यह व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे स्थायी काम कराये जाएं जिससे कि लोगों को फायदा हो सके। अकाल की नीति है, अकाल 55 साल से पड़ रहा है और मारवाड़ के लोग अकाल के आदी हैं। एक कहावत है कि "पग पूंगल जड कोटड़े ने बाई जो बाड़मेर, पड़तो दुडतो बीकपुर ने ढाब जैसलमेर।" यह कहावत है कि अकाल तो कहीं ढूढना हो तो आप बीकानेर में ढूंढ लें लेकिन अब जैसलमेर और पूंगल की स्थिति तो सुधर गयी है। क्योंकि वहां राजस्थान कैनाल आ गयी है लेकिन नागौर, पाली, सिरोही, जालौर की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। बाड़मेर की स्थिति खराब होती जा रही है इसलिए, सभापति महोदय, स्थायी अकाल राहत के लिए राजस्थान कैनाल का पानी इन एरियाज में लाया जाए तो इनकी व्यवस्था हो सकती है। इसके अलावा अकाल राहत की जिला राहत की कमेटियां बनायी जाएं और उनमें सब जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाए ग्राम सभा में सबसे मोटा झगड़ा होता है वो है लेबर डिप्लोयमेन्ट का, आप गांवों में लेबर लगाते हैं, बारी बान्धते हैं लेकिन वो बारी किसके काम आती है ग्राम सभा होती है ग्राम सभा के माध्यम से परिचय पत्र लास्ट ईयर बने हैं लेकिन मैं, सभापति महोदय, आपको बताना चाहता हूं कि सौ परसेन्ट ग्राम सभा होती ही नहीं, यहां बैठे हुए माननीय सदस्य भी छाती पर हाथ रख कर कह दें कि ग्राम सभा में होता क्या है। सरपंच लाता है और ग्राम सभाओं में लोगों के दस्तख्त करा लेते हैं और दस्तखत करा कर व्यवस्था करा देता है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो इसलिए सरकारी कर्मचारियों को वहां रख कर ग्राम सभाओं की व्यवस्था करायी जाए। इसके अलावा सबसे मोटी समस्या इस बार पानी की है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पी.एच.डी. मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सितम्बर, 1999 में गजनाई बान्ध से एक जलप्रदाय योजना स्वीकृत हुई और पांच वर्ष हो गये व द्रोपदी के चीर की तरह बढ़ती ही जा रही है आज तक वो योजना पूरी नहीं हुई है। 8 गांवों में से तीन गांवों में पानी पहुंचा है। मेरे जैसा आदमी लिख-लिख कर मिल-मिल कर थक गया

(श्री सी.डी. देवल)

लेकिन प्रशासन के कानों में कोई जूं नहीं रेंगी है इसके अलावा 4-6-2002 को 363.20 लाख की एक योजना देवली हुलारी नीति निर्धारण समिति में पास हो गयी उसमें केवल बान्ध का पानी रिजर्व रखना है वह आज तक 2002 से लेकर 2004 आ गया दो साल में वो पानी रिजर्व नहीं हो सका। इसी तरह रायपुर बान्ध की एक योजना बनायी है वो इसलिए नहीं बन रही है कि साहब पानी रिजर्व नहीं हो रहा है। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्रीजी, पी.एच.डी. और सिंचाई मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कम से कम लोग-बाग खेती तब करेंगे

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जब जीवित रहेंगे और पानी नहीं मिलेगा तो जीवित ही नहीं रहेंगे तो खेती कैसे करेंगे इसलिए आप मुनष्यों के लिए उसकी खेती को रोक पीने के पानी की स्थायी व्यवस्था करायें ताकि आने वाले टाइम में लोग आपको भी धन्यवाद दे सकें और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करायें। मेरी आपसे यही विनती है। बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्रीमती वन्दना मीणा।

श्रीमती वन्दना मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय सभापति महोदय, अकाल एवं पेयजल पर चर्चा हो रही है मैं भी मेरे विधान सभा क्षेत्र की चर्चा रखना चाहती हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में उदयपुर ग्रामीण के 153 रेवेन्यू विलेज हैं व 18 वार्ड हैं। शहर के 153 रेवेन्यू विलेज जो भी जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हैं और वहां सभी आदिवासी रहते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में उदयपुर ग्रामीण में पिछले वर्ष भी भयंकर अकाल था व पूर्व की सरकार ने गिरदावरी नहीं करने से एक भी अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया और वहां की जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है व अभी जो वर्षा हुई है वह भी इतनी ज्यादा नहीं है फसल भी नहीं बोयी है और जो जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है वह आदिवासी भाइयों की जो उनकी जमीनें हैं, 3-4 बीघा से ज्यादा नहीं है, भौगोलिक दृष्टि से पहाड़ी एरिया है, वहां के आदिवासी भाई पहाड़ों में बसे हुए

(श्रीमती वन्दना मीणा)

हैं और आपसे कहना चाहूंगी कि जो 3-4 बीघा जमीन है वह भी खेती लायक नहीं है और कंकरीली जमीन है। वहां पर अच्छी से अच्छी वर्षा हो तब भी 6 महीने अनाज खाये जितना पक सकता है। 6 महीने उनको बाहर मजदूरी पर जाना पड़ता है ऐसी स्थिति में, मान्यवर, पिछले पांच साल से अकाल तो पड़ रहा है भयंकर और आज की तारीख में सारे आदिवासी सुबह उठ कर शहर में रोजगार के लिये आना पड़ता है। सिंचाई के साधन नहीं हैं, सड़के नहीं हैं। माननीय मंत्रीजी, अगर एक टीम मेरे विधान सभा क्षेत्र में भेजकर वहां के हालात को देखें तो आपको देखकर वास्तव में बड़ा आश्चर्य होगा कि यह विधान सभा क्षेत्र कैसा है और किस तरह इन्होंने चुनाव लड़ा होगा। 50 साल की आजादी में पहले भी विधायक बनें, सरकारें भी आई कुछ काम और सड़के हैं माननीय भैरोसिंहजी शेखावत के कार्यकाल में बनी है। उसके बाद मेरे विधान सभा क्षेत्र में न तो एनीकट बने हैं, न आने जाने के लिये सड़के बनी हैं और न हास्पिटल बने हैं। मैं जिस क्षेत्र में गई वहां मुझे 7-8 किलोमीटर पैदल चलकर जाने का मौका मिला और हां की गरीब जनता की समस्या सुनी और बड़े ताज्जुब की बात है कि वहां पहले भी अकाल के काम नहीं चले और अभी भी मैं आग्रह करना चाहूंगी मंत्री महोदय से कि अब भी अकाल के काम अगर चालू कर दिये जाएँ तो वहां की जनता को राहत मिल सकेगी। मान्यवर, पास की जो विधान सभा क्षेत्र है चाहे सलूम्बर हो, चाहे सराड़ा हो, सड़क के एक तरफ तो अकाल राहत के काम चल रहे हैं, दूसरी तरफ मेरे विधान सभा क्षेत्र में अकाल के काम नहीं चल रहे हैं। इससे जनता मुझसे पूछती है और जनप्रतिनिधि होने के नाते हमें उस समय जवाब देना बड़ा भारी पड़ता है। वह जनता क्या जाने।

पानी के बारे में कहना चाहूंगी। पहाड़ी एरिये की वजह से न तो वहां टैंकर जा पाते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि जो पुराने सार्वजनिक कुए हैं, जहां गाड़ी नहीं जाती है, वहां पर कुए गहरे करवाये जाएं और जहां गाडियां जा रही हैं वहां पर हैण्ड पम्प लगाए जाएं ताकि वहां जनता को पीने के लिये पानी मिल सके। इसके साथ, मान्यवर, मैंने पूर्व में मुख्य मंत्री महोदया से निवेदन

(श्रीमती वन्दना मीणा)

किया था कि पानी की बहुत भयंकर समस्या है और उनके आशीर्वाद से कई जगह टैंकर चले हैं परन्तु अभी टैंकर बन्द कर दिये गये हैं। इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन है कि वहां टैंकर पुनः चालू करवाए जाएं।

सभापति महोदय, आदिवासियों के घर का गुजारा चलने का एकमात्र पशुधन सहारा है। पशुधन पहले अकाल की वजह से काफी खतम हो चुका है लेकिन जो बचा खुचा है उसके लिये चारे की व्यवस्था हो, पीने के लिये पानी की व्यवस्था हो और बीमारी के लिये दवाइयों की व्यवस्था हो यही आपसे मैं मांग करती हूं। मुझे आपने बोलने का मौका दिया उसके लिये बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री मदन राठौड़। 5 मिनट प्लीज, पांच मिनट का मतलब 5 मिनट। (व्यवधान)

श्री जालम सिंह रावलोत : सभापति महोदय, यह बिलकुल नहीं होगा। हम कम नहीं करेंगे। अकाल का मतलब बाड़मेर, जैसलमेर से है और आपने बाड़मेर, जैसलमेर के लोगों को अवसर ही नहीं दिया।

श्री सभापति : दे रहा हूं मैं, बैठ जाइए। मेरे पास जो चीफ व्हिप का लेटर आता है उसके हिसाब से बुलवाता हूं।

श्री जालम सिंह रावलोत : सभापति महोदय, अकाल का मतलब ही बाड़मेर से है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराज जाइए, एक मिनट सुन लीजिए। (व्यवधान) आप बैठिए, आप एक मिनट सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आपकी जो बात है वह आप चीफ-व्हिप से बोलिए। मेरे पास जिस आर्डर में चीफ-व्हिप से नाम आता है.... नाम आपका है लेकिन जिस आर्डर में वो नाम देंगे मैं उसी आर्डर में बुलवाता हूं। आप आसन से बहस नहीं करें। आप चीफ व्हिप से जाकर चर्चा कर लें। जिस आर्डर में वह नाम भेजेंगे मैं उस आर्डर में बुलवाऊंगा।

श्री मदन राठौड़ : सभापति महोदय, अकाल और पानी इस मामले में पूरे राजस्थान में सबसे अधिक यदि प्रभावित कोई जिला है तो वह पाली जिला है। पाली जिले में गत वर्ष भी ट्रेनों से पानी आया था। टैंकर से पानी पहुंचाया

(श्री मदन राठौड़)

गया था। पेयजल की व्यवस्था है नहीं, बहुत बड़ी तकलीफ है इसलिए मुझे भी आपने अवसर दिया उसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

श्री सभापति : 5 मिनट में ही समाप्त कीजिएगा, मैंने एक शब्द कह दिया 5 मिनट में समाप्त करेंगे।

श्री मदन राठौड़ : आप अगर टोकते जायेंगे तो कैसे होगा।

श्री सभापति : बोलिए, बोलिए।

श्री मदन राठौड़ : सबसे पहला तो यह निवेदन है कि जो पेयजल के स्रोत हैं जहां से पानी लिफ्ट होता है वहां पर बिजली की आपूर्ति में कटौती नहीं होनी चाहिए। कुछ बिन्दु मैंने दिये हैं बिजली विभाग को भी दिये हैं और जलदाय विभाग को भी लिखित में दिये हैं। जोधपुर से कुड़ी से रोड तक पाइप लाइन लगी हुई है। उस पाइप लाइन से 70 लाख लीटर पानी नियमित रूप से आना चाहिये लेकिन अभी केवल 18-20 लाख लीटर पानी आ पा रहा है। उसका कारण यह बताया गया है कि विद्युत आपूर्ति पूरी नहीं मिलती है इसके कारण वहां पेयजल हमें केवल 18-20 लाख लीटर ही दे पाते हैं। वहां पर 70-80 लाख लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिये यह वहां की व्यवस्था है। जिला कलक्टर और सभी अधिकारियों के साथ बैठकर हमने जो चर्चा की उसके अनुसार 70 लाख लीटर पानी नियमित रूप से मिलना चाहिये और उसमें से 40 लाख लीटर टैंकर से पानी पाली पहुंचेगा, इस प्रकार की व्यवस्था है। जब वहां पर केवल 18 लाख लीटर पानी आयेगा तो 40 लाख लीटर पानी कैसे पहुंचाया जा सकेगा इसके बारे में चिन्ता करना आवश्यक है।

सभापति महोदय, पानी की ट्रेनें जोधपुर से 6 ट्रिप पाली के लिये और 3 ट्रिप जंवाई बांध से सोजत और खीमेल के लिये यह तय किया गया है और प्रति ट्रिप सवा लाख रूपया और देना पड़ता है पी.एच.ई.डी. विभाग को जो रेल विभाग को देता है। पहले परिवहन मुफ्त में मिलता था, मैं फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बार भी यह प्रयास करें, हमारे कांग्रेसी बन्धु प्रयास करें यदि उनकी चलती है तो ट्रेनें फिर से मुफ्त करायें। इस प्रकार की व्यवस्था पाली जिले के लिये होनी चाहिये।

(श्री मदन राठौड़)

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी केवल 2 रेक्स हमको मिली हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैंने केवल एक-डेढ़ मिनट बोला है, मुझे बोलने दीजिए। अभी केवल 2 रेक्स मिले हैं और उसका चैक जमा करवा दिया है। चैक जमा कराने के बाद भी हमको 6 और 3 ट्रिप चाहिये अभी केवल 2 रेक्स मिली हैं। इससे व्यवस्था बिगड़ जाएगी, अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी जिसको कन्ट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाऐगा। इसलिए मैं यह आग्रह करना चाहूंगा हमें ट्रेनें उपलब्ध करवायें। जब चैक जमा करवा दिये फिर भी केन्द्र सरकार हमें और रेक्स क्यों नहीं उपलब्ध करवा रही है, यह व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिये।

मान्यवर, अभी सुमेरपुर की स्थिति यह है कि 15-20 मिनट पानी सप्लाई होता है और अलटरनेट-डे सप्लाई होता है। आप कल्पना करें कि 15-20 मिनट में कितना पानी मुहैया हो सकता होगा और उससे कितने लोगों को परेशानी होगी, कितनी लड़ाइयां हो रही हैं इसके बारे में भी आप चिन्ता करें। मान्यवर, पाली जिले में 258 गांवों में टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है और अभी आवश्यकता है 450 गांवों में टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाना पड़ेगा, इस प्रकार की व्यवस्था करें। 50 ट्यूब वैल अभी तत्काल चाहिये और 350 हैण्ड-पम्प......

श्री सभापति : समाप्त करें, समाप्त करें प्लीज।

श्री मदन राठौड़ : मान्यवर, मुझे आप यह बात तो कहने दीजिए।

श्री सभापति : आपने 5 मिनट मांगे हैं मैंने 5 मिनट दे दिये आपको।

श्री मदन राठौड़ : मुझे 5 मिनट नहीं हुए हैं, सभापति महोदय, आपने टोक-टोक कर 3 मिनट तो आपने खराब कर दिये।

श्री सभापति : यह मेरे पास नोट, ऐसा नहीं है। आसन पर वो मत लगाएं। मैंने आपको समय दिया है इसका मतलब यह नहीं है।

श्री मदन राठौड़ : कृपया मुझे ...ा संरक्षण दें, मुझे मेरी बात कहने दें। अभी हमको 50 ट्यूब वैल चाहिये, 350 हैण्ड पम्प चाहिये, 100 हैण्ड पम्प तो शहरी क्षेत्रों में चाहिये। सभापति महोदय, चारा परिवहन की भी हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी। पशु शिविर भी हमको लगाने पड़ेंगे, रोजगार भी उपलब्ध करवाना पड़ेगा। 15 अगस्त तक रोजगार प्रारम्भ करवाना चाहिए लेकिन अगर आप 15 दिन देरी से भी भले कर दें लेकिन 48 हजार सीलिंग हमें तत्काल दें, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाएगी। गत वर्ष 18800 सीलिंग हमको मिली थी अगस्त में, जो हमने बढ़ाकर एक लाख 50 हजार की। इस बार हमको आवश्यकता है इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें।

सभापति महोदय, आप मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं। मुझे कुछ बातें और कहनी बहुत जरूरी हैं।

श्री सभापति : श्री मुरारीलाल मीणा।

श्री मदन राठौड़ : लेकिन एक निवेदन और कहना चाहूंगा एक सदस्य के बारे में मुझे बहुत चिन्ता है। वह सदस्य सदन में दिखने में नहीं आते। (व्यवधान) केवल शपथ ग्रहण के दिन आये थे वे केवल शपथ लेने के लिये आये थे। वह पूर्व मुख्य मंत्री महोदय अशोकजी गहलोत, वह कहां हैं इसकी खोजबीन करायें। यह चिन्ता का विषय है। सभी सदस्य चिन्तित हैं। मैं भी चिन्तित हूं। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य भी..... (व्यवधान)

श्री सभापति : धन्यवाद, धन्यवाद। आप विराजें। धन्यवाद।

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय सभापति महोदय, अकाल जैसी एक इतनी बड़ी, इस राजस्थान में अकाल पड़ा हुआ है और उसके बारे में यहां चर्चा हो रही है और सदन की उपस्थिति कैसी है, कितने लोग सदन में उपस्थित हैं। अब हमारे मंत्री से इसका जवाब दिलवा दीजिए कि मंत्रीजी क्या राहत देंगे, कब काम चालू करवायेंगे। यहां पर इस चर्चा में जो सदस्य बोल रहे हैं, आकर बोलते जा रहे हैं और अपने घर को जा रहे हैं, क्योंकि शुक्रवार है। कोई किसी को चिन्ता नहीं है कि राजस्थान में अकाल पड़ रहा है। तो उसके लिये कोई चिन्ता की बात है, यहां सिर्फ अखबार में देने के लिये कि राजस्थान की बात करने के लिये, इसलिये मंत्रीजी से इसका जवाब दिलवा दीजिए कि क्या-क्या व्यवस्था इस अकाल के समय ये करेंगे।

श्री सभापति : पूरी कोशिश कर रहे हैं जल्दी की। श्री मुरारीलाल जी मीणा।

श्री धर्मपाल चौधरी : क्या मतलब है, सुनने वाले कहां हैं, एक-एक बोलते जा रहे हैं, अपने घर जाते जा रहे हैं।

श्री सभापति : मुरारीलाल जी मीणा। माननीय, डिस्टर्ब नहीं करें। मुरारीलाल जी को बोलने दीजिए।

श्री मुरारीलाल मीणा (बांदीकुई) : माननीय सभापति महोदय, यह सदन पिछले 4-5 घण्टे से एक बहुत गम्भीर विषय जो राजस्थान में एक अकाल की स्थिति पैदा हो गयी है उसके बारे में विचार कर रहा है लेकिन बीच -बीच में कई माननीय सदस्य ऐसे विचार करने लग जाते हैं, हम सोच रहे थे कि यह 2002 या 2003 के अकाल राहत पर विचार-विमर्श हो रहा है। 1980 से लेकर यह 2004 तक वर्षा लगातार कम होती जा रही है।

श्री सभापति : यह मोबाइल किसका है ? (व्यवधान) जमा करा दीजिए, जिसके पास भी है। जिसके पास भी बजा है, जमा करा दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बाबूलालजी नागर का है। (व्यवधान) मुझे आज्ञा प्रदान करें।

श्री सभापति : हां, आपको आज्ञा है, आपको मालूम है तो ले आइये जिसके पास भी है, जिसके पास भी बजा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आ जाऊं बाबूलालजी ?

श्री बाबूलाल नागर : मन्जूर है। लेकिन, सभापति महोदय, राजेन्द्रजी राठौड के पास फोटो वाला मोबाइल है, फोटो वाला। फोटो वाला मोबाइल रखते हैं ये।

श्री सभापति : सवाल उसका नहीं है, जिसके पास मोबाइल बजा है, कृपया अपने आप रख दें यहां पर। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : सभापति महोदय, समय तो खराब हो रहा है। हमको बोलने नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री मुरारीलाल मीणा : 1987 में राजस्थान के अन्दर 57 प्रतिशत वर्षा कम हुई

श्री सभापति : अब रख दीजिए (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : यह फालतू की बहस कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : यह सब फालतू की बहस है क्या ? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : सभापति महोदय, यह कोई बात हुई क्या, आपका कोई तरीका थोड़ी है (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराज जाइये। फालतू की बहस क्या होती है (व्यवधान) आप मोबाइल लेकर आयेंगे, बजाएंगे, यह फालतू की बहस है..... (व्यवधान) सिट डाउन, प्लीज

श्री मदन राठौड़ : लेकिन यह, सभापति महोदय, आप मुझे..... (व्यवधान) लेकिन आप मेरी बात तो सुनिये

श्री सभापति : सिट डाउन, आई वोंट अलाऊ यू।

श्री मदन राठौड़ : नहीं, लेकिन जो दूसरे व्यर्थ की बातें करते हैं, उसमें तो कहने देते हैं आप (व्यवधान)

श्री सभापति : आप मुझे लिखकर दे गये थे कि मैं केवल 5 मिनट बोलूंगा 6 मिनट ले लिये आपने, 7 मिनट ले लिये उसके बाद भी आप कर रहे हैं।

श्री मदन राठौड़ : लेकिन मेरी बात तो मुझे कहने दीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : सिट डाउन, आई वोंट अलाऊ यू।

श्री मदन राठौड़ : अब फालतू में टाइम खराब कर रहे हैं उसके लिये कोई बात नहीं है (व्यवधान)

श्री सभापति : सिट डाउन प्लीज 5 मिनट का मतलब 5 मिनट होता है। (व्यवधान) आप मोबाइल बजाएंगे क्या ? (व्यवधान)

श्री जालम सिंह रावत : हर बार हम लोगों के साथ, हमेशा यही होता है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : आप न्याय करें हमारे साथ। (व्यवधान) सभापति जी, न्याय करें। (व्यवधान) हमको टोक देते हैं, यह कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आसन पैरों पर, बैठ जाइये। (व्यवधान) आसन पैरों पर।

श्री मदन राठौड़ : सभापति महोदय, यह कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान) आप हमारे साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आसन पैरों पर, आसन पैरों पर। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आसन पैरों पर, नियम कानून समझो, माननीय सदस्य।

श्री जयराम जाटव : हमें तकलीफ तो इस बात की है कि आप हमें बोलने नहीं देते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्रत्येक दिन बोलना आपका जरूरी नहीं है। हम मेम्बर का बोलना जरूरी नहीं है। यहां मोबाइल बजा है, उसके लिये सदन में व्यवस्था दी है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : मैं मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान) लेकिन दूसरे माननीय सदस्य भी टाइम खराब कर देते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपने यह कहा कि फालतू की बात कर रहे हैं। (व्यवधान) आप बैठिये, बैठिये। (व्यवधान) आप चलाकर के स्वयं कहकर गये कि मैं 5 मिनट से जयादा नहीं बोलूंगा। (व्यवधान) मैंने आपको समय दिया, उसके बाद मोबाइल बजा है। यहां अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे रखी है, कोई सदस्य मोबाइल नहीं बजायेगा। हमने मोबाइल जमा कराने की व्यवस्था की और आप खड़े हो गये बीच में। (व्यवधान) आप विराज जाइये।

कांग्रेस पार्टी ने मुझे लिखकर दे रखा है कि 7 मिनट से ज्यादा बोलने का समय किसी सदस्य को नहीं दिया जाए। (व्यवधान) विराज जाइये, आप। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लिख कर दिया गया है कि इतने समय से ज्यादा नहीं बोलने दिया जाए। माननीय सदस्य, मुझे, (व्यवधान) माननीय

(श्री सभापति)

सदस्य बैठे-बैठे नहीं बोलें, जरा ध्यान से सुनिये। माननीय सदस्य, मदन राठौड़, मदन जी राठौड़, माननीय सदस्य, मुझे चीफ व्हिप ने लिखकर दिया हुआ है बी.जे.पी. के चीफ व्हिप ने कि 5 मिनट के लिये इनको समय दिया जाए। मैंने आपको उससे ज्यादा समय दे दिया, उसके बाद आप आसन पर आरोप लगा रहे हैं, बैठिये।

श्री मुरारीलाल : माननीय सभापति महोदय, पिछले 25 साल से लगातार वर्षा कम होने के साथ-साथ पानी का जबरदस्त दोहन हो रहा है। 1987 में 57 प्रतिशत वर्षा कम हुई। 2002-03 के अन्दर 60-62 प्रतिशत वर्षा कम हुई है। अभी तक इस वर्ष करीब 55 प्रतिशत वर्षा एवरेज वर्षा से कम हुई है। लेकिन जिस हिसाब से पानी का दोहन और लगातार वर्षा की कमी के कारण पानी का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है और एक विकट स्थिति पैदा हो गयी है इस कारण भयंकर, मैं कहता हूं, सदी का महा-अकाल, एक मौत, महा-अकाल की स्थिति पैदा हो गयी है। माननीय सदस्यों से, जो इस अकाल के मामले की चर्चा कर रहे थे, आज की चर्चा का मैन जो मुद्दा है वह यह है कि जो यह ऐसी स्थिति राजस्थान में पैदा हो गयी है इस समस्या का समाधान क्या हो। किस-किस चीज की समस्या पैदा हुई है, हमारे सामने सबसे मुख्य समस्या, बिजली की, पानी की, चारे की, अनाज की, दवाइयों की और रोजगार की है। और इन समस्याओं का समाधान हम बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, इन बातों पर विचार होना चाहिए। लेकिन सदन में हम देख रहे हैं, 2-3 घण्टे से, माननीय सदस्य पुरानी बातों पर अधिकतर चर्चा कर रहे हैं।

मैं दौसा के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि इस बार पूर्वी राजस्थान में भी बहुत भयंकर अकाल है। दौसा क्षेत्र में 15-20 प्रतिशत फसल बोयी गयी थी। वह भी वर्षा नहीं होने के कारण अभी पूर्ण रूपेण सूख चूका है। मेरे विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के अन्दर पानी की बहुत भयंकर समस्या पैदा हो रही है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बाण गंगा नदी से बसवा व बांदीकुई को पानी ले जाने के लिये एक 5.88 करोड़ की योजना इस 2001-02 में स्वीकृत हुई थी। वह योजना जब बाण-गंगा के अन्दर विभाग वाले बोरिंग करने गये तो 30-40, गांव के आदमियों ने आकर उस योजना को

(श्री मुरारीलाल मीणा)

इसलिये रूकवा दिया कि यह जब तक बाण नदी पर सरकार द्वारा सरफेस बेरियर या एनीकट का निर्माण नहीं किया जाएगा. पानी बस्वा व बांदीकुई को नहीं ले जाने देंगे। उस टाइम तत्कालीन अधिकारियों ने यह निर्णय किया था कि इस पैसे में से बाण-गंगा नदी पर एक सब सरफेस बेरियर का निर्माण किया जाएगा और उसके बाद में इसमें बोरिंग करके बस्वा व बांदीकुई के लिये पानी ले जाया जाएगा। लेकिन तब से लेकर अब तक इस योजना पर करीब दो -ढाई करोड़ रूपये खर्च हो गये, बाकी पैसा बचा पड़ा है। पाइप लाइन डाल दी गयी है, टंकियां बना दी गयी हैं लेकिन जल का जो मूल सोर्स है, बोरिंग, अभी तक नहीं किये गये है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि शीघ्र इस पर निर्णय करवाया जाए ताकि बोरिंग होकर बस्वा व बांदीकुई को पानी दिया जा सके।

दूसरा, बिजली का सवाल है। पानी की सप्लाई के लिये बिजली बहुत ही आवश्यक है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने अभी जो बिजली सप्लाई के ब्लाक बना रखे हैं, 3 ब्लाक में बिजली सप्लाई करते हैं। कहने को तो यह कहते हैं कि हम 6-6 घण्टे बिजली सप्लाई करते हैं। लेकिन एक ब्लाक जिसका समय आता है रात को 11 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उस ब्लाक के अन्दर क्योंकि सब लोग बोरिंग में से पानी पीते हैं, 3-3, 4-4 सौ फीट की गहरी बोरिंग है। वहां से सब-मर्सिबल द्वारा पानी निकाला जाता है। तो ऐसा कौनसा किसान है जो पानी के लिये रात्रि को 11 से सुबह 5 बजे तक जागता रहे और पानी प्राप्त करेगा। जब हमने वहां पर अधिकारियों से बात की तो वह बोल रहे थे, गवर्नमेन्ट ने ऊपर से ही इस बार यह ब्लाक बनाकर दिये हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि गांव के हिसाब से, बिजली चाहे आप 6 घंटे ही दो लेकिन गांव की आवश्यकता के हिसाब से विद्युत की सप्लाई की जाए।

दूसरा, जो आप, जैसे अकाल राहत के कार्य सरकार के द्वारा यदि खोले जाते हैं तो उसमें स्थायी महत्व के कामों को मैं चाहूंगा कि अधिक महत्व दें। इसमें एनीकटों का निर्माण, पुराने जो अधूरे कार्य हैं, उनको पूर्ण करवाना है। यहां सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री महोदय विराज रहे हैं।

(श्री मुरारीलाल मीणा)

इनमें मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मिसिंग लिंक के मामले, उन्होंने प्रस्ताव भी मांगे हुए हैं। अभी इस अकाल राहत के तहत मिसिंग लिंक के प्रस्ताव मांग लिये जाएं और इनमें से कम से कम अर्थ का कार्य तो हो ही सकता है। पुराने हैण्ड पम्प, अधिकतर 70 प्रतिशत हैण्ड पम्प सारे एरिये में सूख चुके हैं उनकी जगह नये हैण्ड पम्प लगाये जाएं और जहां पर फ्लोराइड युक्त पानी है और वहां हैण्डपम्प सक्सेज नहीं हैं, वहां टंकियों से पानी सप्लायी करने की व्यवस्था की जाए। यदि यह व्यवस्था अतिशीघ्र नहीं की गयी तो सारे गांवों में पीने के पानी की भंयकर समस्या पैदा हो जाएगी। अभी चारा पिछले दस दिनों के अन्दर 120 रूपये प्रति मन पहुंच गया है जिसका भाव चालीस-पच्चास रूपये प्रति मन था अभी। (व्यवधान)

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री मुरारीलाल मीणा : धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री रामलाल जाट।

श्री रामलाल (बनेड़ा) : माननीय सभापति महोदय, आज एक गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे। किसी ने अपनी भूमिका बनाकर रखी। किसी ने प्रतिपक्ष, पहले सरकार पर आरोप लगाया लेकिन आज जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, यह आज से मुद्दा नहीं बना हुआ है बल्कि, सभापति महोदय, जब मुगलों का, अंग्रेजों का और राजा-महाराजाओं का राज था तब भी इस देश में अकाल पड़ता रहा है। उस समय भी कई तरह की व्यवस्थाएं हुई लेकिन जब देश आजाद हुआ, उसके बाद वोट का राज बना और वोट से जब सरकारें बनीं उसने अपने विचार से, अपने ढंग से इस तरह अकाल का मुकाबला करने की कोशिश की। उस कोशिश में कई बांध बने, कई नाडियां, कई हैण्डपम्प, ट्यूबवैल, एनीकट्स, इस तरह की व्यवस्था इस भारतवर्ष में हुई और इस प्रदेश में राजस्थान में भी हुई थी लेकिन जिस तरह आज इस चर्चा में सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने, संसदीय कार्य मंत्रीजी ने जिस तरह से इस बात को माना कि अकाल भगवान की देन है, इसमें अकाल के ऊपर ही चर्चा करें, कोई पार्टी पर दोषारोपण, किसी भी पक्ष पर नहीं करें। तो मैं बात

(श्री रामलाल)

जानकार भी आज प्रसन्न हुआ कि वास्तव में सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने भी इस बात को माना। बाकी हमेशा ही सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य यह कहा करते थे कि कांग्रेस जहां अकाल है, यह जगह-जगह गांवों में प्रचार हुआ करता था। लेकिन जब भी राजस्थान में कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी का राज रहा तब भी अकाल, अवश्य ही भारतीय जनता पार्टी के राज में भी पड़ा लेकिन जब इधर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य थे, उस समय वे आरोप लगाते रहते थे लेकिन आज इस बात को उन्होंने भी माना कि वास्तव में यह अकाल भगवान की ही देन है इसलिए अपन सबको इसका मुकाबला करना चाहिए।

सबसे पहले आज बजट की भी बात हुई। कई माननीय सदस्यों ने बजट पर कल तालियां बजाकर जोर-शोर से उसका समर्थन भी किया लेकिन उसमें कहीं पर भी यह जिक्र नहीं किया गया कि कभी अकाल के लिए व्यवस्था इस बजट में की जाएगी। कृषि के लिए इन्होंने 142.23 करोड़ रूपये की वार्षिक योजना में खर्च का रखा। सिंचाई और बाढ़ के लिए इन्होंने 925.61 करोड़ रूपये का खर्च में रखा लेकिन आज जिस तरह इन्होंने अकाल के अन्दर कोई प्रावधान नहीं रखा तो यह एक गम्भीर विचारणीय प्रश्न है। इसके बारे में भी माननीय अकाल राहत मंत्रीजी, मैं कहूंगा कि हमारे यह कुछ जो सुझाव हैं, उन सुझावों को आप मानें, बाकी आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहे। सबसे मोटी बात गिरदावरी की इसमें आती है। रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि जब-जब भी गिरदावरी हुई, आजकल जो बरसात होती है वह खण्ड वृष्टिवाइज होती है। कहीं दो गांव और एक पंचायत में बरसात हो जाती है, कहीं पर पांच गांवों में हो जाती है और दस गांवों में नहीं होती है। यहां तहसील का मुख्यालय या एस.डी.एम. हैडक्वार्टर या जिला कलक्टरी है, वहां उसमें बरसात होती है और उनको जो पैमाना नापने का है, उससे नापकर कह देते हैं कि यह 10 एम.एम. बरसात हो गयी, 20 एम.एम. बरसात हो गयी इसलिए उसको अकाल राहत में नहीं लेते हैं। पिछली बार भी इस तरह से कई गांव छूटे हैं लेकिन हम लोगों ने वापस जब दुबारा गिरदावरी जिन्सवारी करवायी तो उस समय उन गांवों को जोड़ा गया तो मैं यह निवेदन करूंगा कि सबसे पहले तो जब भी आप जिन्सवारी, जिस तरह से आज जो फसल बोने का लक्ष्य था 128.98 लाख

(श्री रामलाल)

हैक्टेयर का और अभी जो फसल बोआई हुई है वह 44.74 लाख हैक्टेयर में, इस बात से अनुमान है कि पूरे राजस्थान में भयंकर अकाल की स्थिति है। इस तरह बिना गिरदावरी का आपका जो रेकार्ड है उसको जिलाधीशों से लेकर तुरन्त ही आपको अकाल राहत कार्य चालू करना चाहिए। इसके साथ ही कुछ बातें जो पिछली सरकार में अच्छी हुई। यह सरकार उसको बदलना चाहती है। उसको निश्चित रूप से आप बदलें लेकिन जो अच्छी बातें थीं, उस समय अकाल राहत का जो टाइम, उस समय का जो भुगतान, उस समय निजी मकान बनाने की, कुआ खोदने की, नाडियों की जो व्यवस्था थी, उनको भी आप इस बात का ध्यान रखें ताकि लोगों को ज्यादा फायदा मिलेगा। एक जो सबसे बड़ी भयंकर समस्या हमारे एरिया में भी है, राजस्थान में कई जगह तो रेगिस्तान है। उस तरफ बिजली की ज्यादा डिमाण्ड रहती है। हमारे कुछ एरिया में माननीय मंत्री महोदय, जो बिजली की पिछली बार अकाल में जो कनेक्शन, वैसे तो किसान को मिलता नहीं है। कुओं में उनके पानी नहीं है लेकिन पांच हार्स पावर के पिछली सरकार ने बिजली के जो बिल थे, उनको कनेक्शन काटने के जो आदेश दिये, माननीय मंत्री महोदय, आप उस बात पर ध्यान दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जब-जब भी कुओं में वापस पानी आये तक तब उस किसान का कनेक्शन बिना बिल जमा, उसका संम्बन्ध विच्छेद किया जाए और जब उस कुए में पानी आए तो उनका कनेक्शन वापस सीनियोरिटी से जोड़ा जाए। यह व्यवस्था पिछली गवर्नमेन्ट ने भी की थी। इसके बारे में आप खास तौर से ध्यान रखें।

इसके साथ ही, कुछ हमारे जिले में 400-500 अभी भी घास की बिल्टियां बकाया हैं। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी : माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति : समाप्त होने दीजिए उनका। आप समाप्त करें। समाप्त करें, प्लीज। रामलालजी, समाप्त करें।

श्री रामलाल : माननीय तगारामजी साहब, थोड़ा सा रूकिये। माननीय सभापति महोदय, एक दो मिनट का और, वह तो मुझे पता था कि लास्ट में बोलने का नम्बर आएगा मेरा।

श्री सभापति : बोलिये-बोलिये, आप इतनी बात नहीं..... (व्यवधान)

श्री रामलाल : कुछ हमारे जिले में करीबन 323 जो, माननीय अकाल राहत मंत्रीजी, घास की बिल्टियां अटकी पड़ी हुई हैं। उन्होंने जिलाधीश ने यहां लैटर लिखा और यहां के सहायता सचिव ने उसका जवाब दिया और आपके अतारांकित प्रश्न में भी इसका जवाब आया है कि हम वहां घास की सब्सिडी नहीं दे सकते क्योंकि भीलवाड़ा जिला पूरा अकाल में था। वह भी महज इसलिए कि जिलाधीश ने दो सेण्ट्रलाइज धर्मकांटा खोले थे। एक माण्डल में और एक जहाजपुर में तो जितनी भी गाड़ियां आयी, चाहे मध्य प्रदेश से आयीं, चाहें बून्दी की तरफ से आयी तो बून्दी की तरफ से आने वाला सीधा रास्ता है, वह सेण्ट्रलाइज आपका धर्मकांटा जहाजपुर ही पड़ता है। वहां से वह कांटे पर गाड़ियां तुली और एम.पी. से आने वाली मण्डल में तुली। आपकी कमेटी बनी और आपका ग्राम का पटवारी इस बात को कह रहा है।

श्री सभापति : कन्क्लूड करिये, प्लीज।

श्री रामलाल : माननीय सभापति महोदय, दो मिनट। पटवारीजी, सचिवजी और सरपंच इस बात को मान रहे हैं कि घास आया और सेण्ट्रलाइज धर्मकांटे पर तुला और यहां से गाड़ी भरी, वहां का सरपंच, वहां का पटवारी यह लिखकर दे रहा है कि घास वहां से भरा गया और गांव में वितरण हुआ लेकिन उसकी सब्सिडी महज इसलिए रोकी कि वह भीलवाड़ा जिले में ही ट्रक वापस तोले गये जबकि तोलना जब कांटा सरकार ने लगा रखा है, उसी जगह पर किसान तोलेगा तो उस समय करीब 500 बिल्टियां हैं, इस तरह का 10-12 लाख रूपये का मामला है। उस पर आप विचार करके आने वाले टाइम में तो आप अकाल का मुकाबला करेंगे ही..... (व्यवधान)

श्री सभापति : कन्क्लूड करिये।

श्री रामलाल : लेकिन इस बारे में आप थोड़ा विशेष ध्यान रखें। अब पार्टी के आरोप-प्रत्यारोप तो लगे ही थे। थोड़ी सी बात मैं भी, शेर-शायरी बड़ी चलती आ रही है, थोड़ा सा मैं भी सुना दूं।

श्री सभापति : हां, एक शेर बोलिये।

श्री रामलाल : जब आपकी सरकार बनी, आप जब आये हो तो किसानों की हालत इस तरह हो रही है, आज किसानों के आंखों में अन्धेरा ही अन्धेरा है, चाहे बिजली का समझो, चाहे विकास का समझो फिर भी किसान अपनी उम्मीद नहीं छोड़ता है। किसान अपनी उम्मीद कभी नहीं छोड़ता है। वह किसान कभी-कभी कह उठता है-

"नहीं रहूं मैं उसके कहीं भी रोशनी,
फिर भी उम्मीदों के चिराग जलाता है वह।
जिन्दगी गुजरती है बीरानियों की गोद में,
खोई हुई बहार को बुलाता है वह।
न जाने कितने ही गम छुपे हैं उसके सीने में....

किरोड़ीलाल जी सुनिये-

न जाने कितने ही छुपे हैं गम उसके सीने में।
हर एक गम को चूम कर भी मुस्कराता है वह।
कोई तो होगा इस जहां में मुझको भी चाहने वाला,
बस इसी उम्मीद के सहारे वह जिये जाता है।

लेकिन फिर भी उसको जो,.....अभी थोड़े हालात बदले, केन्द्र में दूसरी सरकार आयी है। सभापति महोदय..... (व्यवधान)

श्री सभापति : धन्यवाद। आपने लास्ट में कन्क्लूड कर लिया कविता से बोलकर। तगारामजी।

श्री रामलाल : माननीय सभापति महोदय, लास्ट में एक कविता और है। छोटी सी, दो लाइन की, माननीय तगारामजी साहब, आपके लिए है। मैं भी एक किसान हूं, दो मिनट।

श्री तगाराम चौधरी : सभापति महोदय, अब यह दो मिनट किस बात की ?

श्री रामलाल : हालात ऐसे हैं।

श्री तगाराम चौधरी : नहीं, अब आप मेरे को बोलने दीजिए।

श्री रामलाल : एक मिनट, एक मिनट, सभापति महोदय, खतम कर रहा हूं। एक मिनट।

श्री तगाराम चौधरी : कृपया, आप मेरे व्यवधान नहीं डालें।

श्री रामलाल : हां, नहीं डालूंगा। मैं कविता..... (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी : आपने कविता पढ़ दी।

श्री रामलाल : माननीय सभापति महोदय, मैं कभी व्यवधान नहीं डालता हूं।

श्री तगाराम चौधरी : आपकी कविता से आपने अपना कथन पूरा कर लिया।

श्री रामलाल : दो लाइन, तगारामजी। हाथ जोड़ता हूं। दो मिनट। आधा मिनट में।

एक माननीय सदस्य : बोलिये-बोलिये।

श्री रामलाल : जो हालात बदले उसमें देश की जो राजनीति, लोक सभा से जो आवाज आ रही है उसमें यू.पी. की सरकार के बारे में कहूंगा कि-

"रूक जाना नहीं तू कहीं थक हार के, किसान के लिए कह रहा हूं।

श्री तगाराम चौधरी : एक कविता के बांद यह दूसरी है। सभापति महोदय, एक कविता बोल दी।

श्री रामलाल : कांटों पर चलकर मिलेंगे साये बहार के,

हर खुशी मिले तुम्हें, सफलताएं कदम चूमे,

हम मंजिल मिले तुम्हें,

यह मनमोहन सिंहजी और सोनिया गांधी जी कह रहे हैं किसान को कि....

श्री सभापति : विराजिये, विराजिये, हो गया आपका।

श्री रामलाल : शुभकामनाएं तुम्हें, कभी नहीं हर रोज मिलेंगे तुम्हें,

अपने बाहुपाश में लेकर गले लगाएंगे तुम्हें,

आंसू पोंछकर भरतपूर मुस्कराहट देंगे तुम्हें,

हाथ में हाथ डालकर सदा साथ देंगे तुम्हें। (व्यवधान)

कदम से कदम मिलाकर (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : उत्तरी भारत में एक राज्य नहीं बचा..... (व्यवधान)

श्री सभापति : समाप्त करिये.......(व्यवधान)....

श्री धर्मपाल चौधरी : दिल्ली में ऐसी सरकार बन गयी जो पूरे देश को ले डूबी। पूरे देश में अकाल पहली बार हुआ है।.....(व्यवधान)

श्री रामलाल (बनेड़ा) : माननीय धर्मपाल जी, एक मिनट (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : या तो पानी पड़ा हुआ अकाल या पानी नहीं पड़ा हुआ अकाल। आज का लेख पढ़ो......(व्यवधान)......पूरे देश में सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी का राज आप लेकर आये हो। सारे देश में अकाल हो गया।.....(व्यवधान).......

श्री रामलाल (बनेड़ा) : कदम से कदम मिलाकर मन्जिल तक पहुंचाएंगे तुम्हें,

धूल को धुल न देने के लिये मन से मनाएंगे तुम्हें।"

धन्यवाद

श्री सभापति : तगारामजी।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : माननीय सभापति महोदय, आज अकाल पर चर्चा हो रही है। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो मुख्य मंत्री महोदय और राजस्थान सरकार को इस बात के लिये धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने समय रहते हुए, बरसात की पूरी आशा है अभी भी, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि बरसात हो और जमाना आवे। पहले भी मैंने एक बात कही थी कि संवत् 2027 में 15 अगस्त को बरसात हुई थी और इतना जमाना आया

(श्री तगाराम चौधरी)

था तो बात तो अभी आगे पड़ी है परन्तु ईश्वर करे और जमाना आवे, बरसात हो। इसके उपरान्त भी जो आज तक बरसात हुई नहीं है इसलिए राजस्थान सरकार ने गम्भीरता से लिया। मुख्य मंत्री महोदया ने और आज अकाल पर चर्चा रखी है। मैं निवेदन करूंगा राजस्थान में अलग-अलग तरह की भौगोलिक स्थिति है, अलग-अलग तरह की कठिनाइयों के क्षेत्र उसमें थे। मेरा क्षेत्र, मेरा बाड़मेर जिला और हमारा पड़ौसी जिला जैसलमेर सबसे दूर है और उन पर प्रकृति की मार सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण बार-बार युद्धों की भी मार पड़ी है और आंधियां भी हमारे यहां ज्यादा चलती हैं। रेतीला क्षेत्र है। खारे पानी का क्षेत्र है तो वहां पर अकाल की मार सबसे ज्यादा पड़ती है और मानसून भी हमारे वहां तो बाद में आता है और पहले वापस चला जाता है। औसतन वर्षा हमारे वहां कम होती है। इन सभी बातों को लेकर अकाल की जितनी मार पश्चिमी क्षेत्र और बड़े-बड़े क्षेत्रफल हैं हमारे जिले के, वह मार हमें झेलनी पड़ती है हमारा जीव जानता है। दूसरे माननीय सदस्य हैं उनको भी इस बारे में पूरा ज्ञान होगा परन्तु झोंपड़े में रहकर उस चीज का अनुभव मैंने किया है, कर रहा हूं। आज की तारीख में कर रहा हूं। आज तो बीच में खड़ा हूं लेकिन रहता हूं वहीं। इसलिए किस तरह से लोग रहते हैं, किस तरह से पशु पालकर पेट भरते हैं, किस तरह से दूर से पानी लाकर पीते हैं। खारा पानी भी कभी कभी पीना पड़ता है। यह हालत है। वहां की हालत सुनाने के लिये मैं भी इतनी देर से बार-बार खड़ा हो रहा था। आप देख रहे हो मैं अभी बीमारी से उठा हुआ हूं और मेरा गला काम कम देता है और दिन भर बैठा रहता हूं तो इसमें और ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। उसके उपरान्त भी मेरा निवेदन है कि मेरे बाड़मेर जिले में विशेष तौर से मेरे विधान सभा क्षेत्र में पानी की इतनी कमी है और जैसलमेर का जिक्र किया कि नहर आई है। नहर आई है, एक तरफ आई है नहर। नहर का पानी भगवान करे आवे क्योंकि जिस तरह से हमारे साथ पंजाब दुर्व्यवहार कर रहा है वह सुधरे। सदन की राय से जैसा संकल्प लिया है नहर में भी पानी आवे। कुछ राहत मिले क्योंकि पीने के पानी की जितनी परेशानी मेरे विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर झेल रहा है ऐसा और कहीं मुश्किल से होगा। मैं यह नहीं कहता सभी कह रहे हैं कि हमारे जैसी कहीं पर कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन मेरे वहां पर है। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूं

(श्री तगाराम चौधरी)

कि अभी से सरकार से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा नलकूप खुदवाये जायें। जहां पर पानी मीठा उपलब्ध होने की सम्भावना है तो भगवान करे अकाल न पड़े लेकिन पड़ गया तो इसमें व्यवस्था करने के लिये पहले से ही नलकूपों की ज्यादा आवश्यकता है। यह मेरा निवेदन है।

रोजगार के बारे में आप काम खुलवायें। आप पक्के काम करवायें और जिसमें विशेष तौर से यह लिंक रोड वगैरह है उनकी मोरम से रोड बनाकर उनके ऊपर रोलर से कुटाई कर दी जाये तो भी वह लिंक रोड है वह दूसरी रोडों से आने जाने में, अकाल के समय में देखरेख में, अनाज पहुंचाने में, पानी पहुंचाने में मदद मिलेगी। टैंकरों से पानी पहुंचाया जाये और रेल की बात, बाड़मेर नगर है। बाड़मेर नगर भी नगर होते हुए एक लाख के करीब आबादी होते हुए वह अभी एक गांव के जैसा जीवन जी रहा है पानी की कमी की वजह से तो वहां पर भी रेल से पानी बाड़मेर पहुंचाया जाये, बालोतरा पहुंचाया जाए। ठेठ मुनाबाव तक पहुंचाया जाए। यह मेरा निवेदन है। इस तरह की व्यवस्था होगी और ट्यूबवैल खोदकर टैंकरों से पाइप लाइन के जरिये और पाइप लाइन जहां खराब है उनको ठीक करवाकर इस तरह की व्यवस्था करने का मेरा निवेदन है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आपके माध्यम से और रोजगार के बारे में वहां सीलिंग पहले कर रहे थे, तीन बार नाम लिखकर पूरा कर रहे थे। इसके बजाय मैं तो एक और सुझाव देना चाहता हूं कि गेहूं मिले और गेहूं प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से यदि दे दिया जाये तो अच्छा होगा। नहीं तो पक्के काम, अब पिछली सरकार की बात करूं। पिछली सरकार ने पक्के काम में जोधपुर में मैंने देखा था, हो रहा था। मैं नाम नहीं लेना चाहता। कहते हैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया जाए। लेकिन एक पक्का काम हुआ था। काफी लम्बा-चौड़ा था किसी के नामकरण के बारे में। लेकिन उसके सिवाय पक्के काम नहीं करवाये गये। नाडियां खुदवाई गयी, उनका कोई उपयोग नहीं है। बहुत कम नाडियां ऐसी हैं जिनका उपयोग होता हो, बाकी होता ही नहीं है। पक्के नेचर के काम लिये जाएं और जैसे अभी से ही मैं निवेदन करूं प्रभारी मंत्री महोदय, हर जिले में पधारें और वहां की मीटिंग लें। इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी और उसमें जन प्रतिनिधियों को साथ में लिया

(श्री तगाराम चौधरी)

जाए और आप कमेटियों का गठन करवाएं ताकि तब जाकर उसकी व्यवस्था होगी और जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर और काम को स्वीकृत किया जाए। उनको सबको ध्यान रहे, सहयोग करें। जनता की कौनसी आवश्यकता है जिसके बारे में वह बता सकें। इसलिए जल्दी से जल्दी आप अकाल राहत परामर्शदात्री समितियों का गठन करवाएं। तहसील है, सब डिवीजन है, जिले का तो होना ही चाहिये।

दूसरी बात बिजली की। पेयजल के लिये, ट्यूबवैलों के लिये बिजली की बहुत आवश्यकता रहेगी और साथ ही साथ, क्योंकि बाड़मेर जिला मेरा क्षेत्र भी उसमें कहीं-कहीं पर खेती होती है। उसमें भी हरा चारा उगाने के लिये, पशुओं के लिये भी बहुत बिजली ज्यादा से ज्यादा दी जाएं। आपने समय बहुत कम दिया। बहुत-सी चीजें कहनी थी। लेकिन कह नहीं पा रहा हूं। जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद। और अभी से सुध ली है इसके लिये मैं फिर बार-बार तारीफ करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री अर्जुन लाल मीणा।

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्री महोदया को, माननीय अकाल राहत मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं। मैं सीधे ही मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की बात कर रहा हूं जहां 51 ग्राम पंचायतें हैं जिसमें 15 ग्राम पंचायतों में अकाल राहत का काम अभी भी चल रहा है। 1770 लेबर अभी फिलहाल काम कर रही है लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने जो जिन्सवारी की थी, एक ही विधान सभा क्षेत्र में एक पंचायत पर अकाल राहत का काम चल रहा है और दूसरी पंचायत पर अकाल राहत का काम नहीं चल रहा है। लोग हमें पूछते हैं कि हमने ऐसा क्या गुनाह किया जो हम भी अकाल की चपेट में हैं और हमारे यहां काम नहीं चल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा तो सिर्फ इतना ही निवेदन है कि पूरे जनजाति क्षेत्र में, उदयपुर सम्भाग में जनजातियों की जो हालत है वह सुबह मजदूरी करते हैं, उदयपुर आते हैं और शाम को जब मजदूरी करके पैसे ले

जाते हैं तब खाना खाते हैं। यह हालत है उनकी। पिछले पांच साल से लगातार उदयपुर डिवीजन जनजाति क्षेत्र अकाल से ग्रसित है और वहां के लोग आज गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की ओर पलायन कर गये हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो अभी काम चल रहा है अकाल राहत का, माननीय अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन है। इस काम को आगे जारी रखा जाए और नया काम 15 अगस्त से सरकार करने की सोच रही है, जल्दी से जल्दी चालू कराया जाए।

सभापति महोदय, पिछले समय में जो अकाल के काम हुए हैं उसमें मिट्टी डलवाने का काम हुआ, मेरा सुझाव है कि जहां भी अकाल राहत का काम शुरू करवाया जाए पी.डब्ल्यू.डी. के मार्फत, इर्रिगेशन के मार्फत या पंचायत समिति के मार्फत करवाया जाए, निश्चित तौर से पक्का काम होगा तो दिखेगा और अच्छा काम होगा।

सभापति महोदय, सलूम्बर हैडक्वार्टर है जिसमें तीन तहसीलें पड़ती हैं। वहां लघु कृ.क रहते हैं, उनके पास मात्र एक बीघा से लेकर पांच बीघा तक की जमीन है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि उन्होंने पहली बारिश हुई जब अपना बीज डाल दिया और अभी बारिश ही नहीं हुई तो न तो फसल उगी तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि उन लघु कृषकों को राहत दिलायी जाए और जल्दी से जल्दी अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किया जाए।

सभापति महोदय, सलूम्बर क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या है। अभी वर्तमान में भी टैंकरों द्वारा सप्लाई हो रही है और अभी बारिश हुई नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि सलूम्बर के पास में एशिया की कृत्रिम झील है जयसमन्द झील जिसमें पिछले दस सालों से उदयपुर में पानी जाता है। जयसमन्द झील खाली पड़ी हुई है। जहां सिंचाई की सुविधा सराड़ा, सलूम्बर इन तहसीलों के कृ.कों को मिलती थी अब सिंचाई की व्यवस्था तो नहीं हो पाएंगी लेकिन उन कृ.कों के लिए, उन क्षेत्र के लोगों के लिए पीने के पानी की गम्भीर समस्या है। राज्य सरकार के पास सोम कमला अम्बा से एक फ्लोराइडयुक्त गांवों को स्वच्छ पेयजल की एक योजना बनी है, 24 करोड़ की वह योजना राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। मंत्री महोदय से निवेदन है

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

कि जल्दी से जल्दी उसको पारित करा कर उस काम को चालू करवाया जाए।

सभापति महोदय, मेरा एक और भी निवेदन है कि सलूम्बर कस्बा है, नगर पालिका क्षेत्र है, वहां पेयजल की गम्भीर समस्या है, अभी एक योजना अम्बा माता डेम से बनी है। जो अम्बा माता डेम का सरप्लस वाटर है उसको नहर के माध्यम से सलूम्बर के सेरिंग तालाब में डाला जाए और वहां की पेयजल की समस्या का समाधान किया जाए।

सभापति महोदय, सराड़ा और सलूम्बर में जितने भी तालाब हैं, ऐसे हरचंद का तालाब, सराड़ा में चावण्ड केजड़ का तालाब है, इनमें जो नदी का पानी बह कर जाता है उसमें पानी डलवाने का काम किया जाए।

सभापति महोदय, मेरा तो सिर्फ इतना ही निवेदन है कि जो काम अभी अकाल राहत के चल रहे हैं उनको जारी रखा जाए और नया काम शीघ्रातिशीघ्र चालू करवाया जाए।

सभापति महोदय, आपने मुझे मौका दिया और पहली बार मौका दिया उसके लिए आप का मैं आभारी हूं। जय भारत। जय हिन्द। धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री बृजकिशोर शर्मा।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। अकाल पर बहुत चर्चा हो चुकी है, बहुत से सुझाव आ चुके हैं। भयंकर अकाल की जो इस समय आशंका की जा रही है, वह 56 के अकाल से भी ज्यादा गम्भीर नजर आ रही है। राजस्थान में 41 हजार गांव अकालग्रस्त हैं। चारा, पीने का पानी, पशुओं को पानी का अभाव व्याप्त है। गांव में रहने वालों के लिए रोजगार का अभाव पैदा हो गया है अतः रोजगार नहीं होने के कारण गांवों को छोड़ कर गांव के लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, और करने को मजबूर हो रहे हैं।

अकाल की छाया गांवों पर ही नहीं होकर शहरों पर भी पड़ रही है और इसकी वजह से शहरों में, खासतौर से जयपुर शहर में बिजली का कट लागू हो गया है और बिजली का कट लागू होने से चाहे जयपुर शहर हो, चाहे

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

और बड़े शहर हों, पीने के पानी के लिए ट्यूबवैल पर बिजली नहीं मिल पाने के कारण जयपुर और राजस्थान के सभी शहरों में पीने के पानी की गम्भीर समस्या पैदा हो गयी है।

जयपुर शहर जो रामगढ़ बन्धा मैन स्रोत है, उसमें भी पानी का अभाव है, बिलकुल पानी नहीं है। अतः गांवों और शहरों में खासतौर से पीने के पानी का ट्यूबवैल है, मैं आपके माध्यम से बिजली मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे ट्यूबवैल पर बिजली का कट नहीं लगाया जाए।

सभापति महोदय, आपसे निवेदन है कि गांवों के लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था और अकाल राहत कार्य जल्दी से जल्दी शुरू कराए जाएं तथा पशुओं को चारा और पीने के पानी की व्यवस्था जल्दी से जल्दी करायी जाए।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री जालम सिंह रावलोत। श्रीमती राजकुमारी शर्मा।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) : सभापति महोदय, आज सदन में एक अत्यन्त ही मार्मिक मुद्दे पर चर्चा हो रही है। अकाल किसी भी राज्य पर गम्भीर विपदा है। अकाल एक प्राकृतिक आपदा है जिसके लिए किसी भी व्यक्ति विशेष को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अकाल का आना, जाना एक प्राकृतिक विपदा है परन्तु कुशल प्रबन्ध उपलब्ध कराना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है।

सभापति महोदय, राजस्थान में गत एक वर्ष को छोड़कर पिछले तीन-चार वर्षों में लगातार अकाल पड़ रहा है। मुझे याद है, मैंने अखबारें में भी पढ़ा था कि हमारी जो माननीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा था कि यह अकाल नहीं त्रिकाल है, जो वास्तव में सही था। मेरे कहने का अर्थ यह है कि अकाल किसी भी शासन में आ सकता है और जब किसी राज्य में अकाल पड़ता है तो उसकी मार न केवल वहां रहने वाले इन्सान पर वरन पशुधन और प्रकृति पर भी पड़ती है, सरकार उनकी हर सम्भव मदद करे। पिछली सरकार ने नारे तो

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

बहुत दिये थे तथा अपने अकाल प्रबन्धन के काफी गुणगान भी किये हैं परन्तु वास्तव में जनता को कोई मदद नहीं मिल पायी। जितनी पिछली सरकार ने जो राजभवन में शपथ ली थी कि हम जनता की सेवा करेंगे, वो इन्होंने जनता की ऐसी सेवा की कि मौत, भुखमरी से राज्य में नंगा नांच हो रहा था, जो किसी से छिपा हुआ नहीं है। मुझे याद है उस वक्त मेरे क्षेत्र के एक किसान ने खुद मुझसे कहा था कि दो वक्त की रोटी मिल जाए तो ही बहुत है। एक ऐसी दशा में किसान पहुंच चुका है परन्तु पिछली सरकार भ्रष्टाचार में डूबी रही और एक तरफ कहते हैं कि हमने अकाल राहत कार्यों में बहुत सारे काम करवाएं हैं।

हमारी मुख्य मंत्रीजी का हृदय बड़ा सम्वदेनशील है, वे बहुत ही दयालु हैं, उन्होंने जन-जन और पथ-पथ पूरे राजस्थान का भ्रमण किया है। सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी अकाल का सुप्रबन्ध हमारी परीक्षा की घड़ी है। आज राज्य की जनता हमारी ओर आशा की नजरों से देख रही है। हमें सभी से सहयोग लेकर अपना प्रबन्ध अकाल से करना पड़ेगा। सही मायने में जनता और पशुधन की रक्षा करनी है और राहत पहुंचानी है। जुलाई का महीना खतम होने जा रहा है, राज्य में पर्याप्त वर्षा हो नहीं पायी है जिससे चारे और पानी का संकट हो गया है और बहुत खतरा बढ़ गया है। पानी की समस्या के लिए हमारी प्राकृतिक भौगोलिक स्थिति के साथ-साथ राज्यों के गठन के समय जो राजस्थान के राज्य एवं केन्द्र के तत्कालीन नेतागण भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने पानी के बंटवारे के लिए राज्य के साथ न्याय नहीं किया।

अन्त में, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि उन्होंने पूरे राज्य को घूमकर देखा है और राज्य की भौगोलिक जानकारी ली है। मेरे स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम भोगवा, डावक्यारी, गोकुलपुरा, पीपल्या की ढाणी, निर्माणों की ढाणी, राजपूतों की ढाणी, नानी, पुरोहित का बास आदि यहां पानी की इतनी दिक्कत है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि यहां पानी की सुविधा करवाई जाए। मेरे यहां अभी अकाल राहत कार्य चालू नहीं किये गये हैं। मैं आपसे निवेदन करना

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

चाहती हूं कि मेरे भोगव क्षेत्र है उसमें 56 साल की आजादी के बाद आज तक चिमनी में काम कर रहे हैं, हमारी विद्युत विभाग के मंत्रीजी की ओर मैं आशाभरी नजरों से देख रही हूं, वहां आज तक बिजली की सुविधा नहीं हो पा रही है, क्या आप करेंगे ? डावक्यारी गांव हैं, वहां जो नदी में उतरते हैं, उनके पास कोई सड़क का साधन नहीं है, वह करवाने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति : धर्मपाल चौधरी।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में अकाल जैसे गम्भीर मामले पर चर्चा हो रही है और इस पर हमारे माननीय मंत्री महोदय पहले वक्तव्य देना चाहते थे लेकिन प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्य, प्रतिपक्ष के नेता और उधर से भारी उन्होंने चिन्ता की कि इस पर एक दिन पूरे दिन चर्चा होनी चाहिए और चर्चा रखी लेकिन कितने माननीय सदस्य हाजिर हैं, कौन अकाल के प्रति बहुत चिन्तित हैं, 57-55 में से कितने बैठे हुए हैं यहां ? (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : आप सदस्यों की बात करते हो, मंत्री जी नहीं हैं (व्यवधान)

श्री सभापति : आपस में डिबेट नहीं करें प्लीज। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : आप कितने सम्वदेनशील हो और कितनी आपको चिन्ता है (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप उसके प्रति कितने सम्वेदनशील हो, हमने तो उसी दिन कहा था कि हमारी सरकार अकाल के प्रति बड़ी सजग है।

श्री सभापति : आपस में इन्टरप्ट नहीं करें।

श्री धर्मपाल चौधरी : हमारी सरकार अकाल के प्रति बड़ी सजग है। हमारी सरकार अकाल के प्रति क्या करना चाहती है उसके बारे में माननीय मंत्री जी वक्तव्य देना चाहते थे। आपने सुना नहीं और सुना नहीं तो उसका परिणाम आज शुक्रवार है सबको घर जाना है, अखबार में नाम आ जाए कि

(श्री धर्मपाल चौधरी)

हमने जाकर बोला। अभी अकाल चालू हुआ नहीं। हमारे को सबको आशंका है, चिन्ता है कि अकाल पड़ेगा क्योंकि माननीय तगाराम जी ने कहा था कि पहले भी 15 अगस्त तक (व्यवधान) सुन लो पहले आराम से बीच में बोलोगे तो बैठ जाएं। आपको तकलीफ ज्यादा है, आपको चिन्ता ज्यादा है, हम बैठ जाएं।

श्री सभापति : बैठे, बैठे कमेन्ट नहीं प्लीज।

श्री धर्मपाल चौधरी : तो आपकी चिन्ता सबको पता लग रही है। अब वह पहले कह रहे थे कि कांग्रेस के अकाल और मेल, आज राजस्थान में अकाल नहीं है पूरे हिन्दुस्तान में अकाल है। जहां पर बारिश हो रही है वहां तो बाढ़ आ रही है और एक तरफ सूखा पड़ा हुआ है। आपका दिल्ली में राज, जो आप इस राज को राजस्थान से यह कर रहे थे आप देश की इस राजधानी में बैठकर पूरे हिन्दुस्तान को अकाल की चपेट में ला दिया और कहते हैं आपने करके दे दिया। अभी हमारे मंगलारामजी पढ़ रहे थे, वहां से बोल रहे थे एक शेर बोल रहे थे सोनियाजी ने क्या कहा मनमोहन सिंहजी से। अब पूरे देश में पड़ गया अकाल, क्या कहेंगी सोनिया जी मनमोहन सिंह जी से और मनमोहनजी क्या कहेंगे सोनियाजी से, पता लग जाएगा।

हमारी सरकार अकाल के प्रति चिन्तित है। अब अकाल जो पड़ गया तो इसमें क्या हो, हमारी सबकी सोच यह होनी चाहिए कि अकाल पड़ गया इसमें जिस तरह से हम पानी के लिए, पंजाब ने हमारा पानी रोका, हमारी सरकार ने जो पहले सरकार थी पूर्ववर्ती सरकार दिल्ली की उसने 2000-2002-2003 और 2004 में अगर राजस्थान में अकाल पड़ा तो पैसा दिया दिल्ली से। जितना अनाज मांगा उतना अनाज दिया। कभी भी आज जो आपने बांटा पैसा, अभी आंकड़ों में अगर आप जाओ तो कितना पैसा अकाल में आपने खर्च किया राजस्थान से और लास्ट में कितना पैसा छोड़ दिया ? यह पैसा आपने राजस्थान के फण्ड से 42 करोड़ खर्च किया और उसके बाद अन्त में ठीक है पहले की सरकार में जो पैसा बचा और आपकी सरकार में भी अन्त में पैसा बच गया। राजस्थान के अन्दर कोई पैसे की कमी नहीं थी कि कोई भूखा मरे लेकिन जब अखबारों में छपा, अखबार रोज लेकर खड़े हो जाते हैं लेकिन आपके समय में अगर कोई बात कहते हैं, कितने लोग मरे भूख से ? अगर

(श्री धर्मपाल चौधरी)

इसको देखने लगे और आए दिन गिनने लगें कि सोनिया गांधी जी आई थीं, अकाल का प्रबन्धन देखने आई थीं और अकाल में आपको नम्बर अव्वल दिया लेकिन आप कितना पैसा लोगों पर बकाया छोड़कर गए थे, आज भी अगर 51 हजार क्विंटल अनाज है तो उस समय का अकाल का भुगतान आज तक पूरा नहीं हुआ और कितने लोगों के खिलाफ केस बने, कितने केसों में लोगों का पैसा खाया गया और आपने अकाल को तो कांग्रेसीकरण कर दिया क्योंकि चुनाव नजदीक था। चुनाव नजदीक था तो मस्टररोल किसको बांटे (व्यवधान) हम तो सरकार से सिर्फ यही निवेदन करना चाहते हैं कि अकाल का प्रबन्धन इन्होंने तो ठीक किया नहीं। इन्होंने तो नम्बर वन मुख्यमंत्री, नम्बर वन प्रबन्धन और सब मामलों में जीरो लेकिन जल्दी से जल्दी अकाल के काम आपने तो 15 अगस्त को चालू किए थे पर हमारी सरकार उससे पहले, जब हमारे मंत्री जी बोलेंगे ना यहां पर और जब सुनोगे तो आपकी तारीख से पहले ही काम चालू करेंगे, अकाल का काम चालू करेंगे। लेकिन अकाल में कैसा काम हो ?

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि जिस तरह पहले वाली सरकार ने जो गलतियां कीं सिर्फ अखबारों में नाम लेकर कि हमारा प्रबन्धन बहुत अच्छा रहा, अकाल के प्रबन्धन में पक्के काम हों और उसकी मोनीटरिंग कमेटी हो, उसकी जांच कौन करेगा, मजदूर लगे नहीं। मस्टर रोल, बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि आदमी बम्बई में बैठा है, हैदराबाद में बैठा है और उनके नाम मस्टर रोल हों और जिनके खेत हैं, खलिहान हैं, जो मजदूरी का कभी काम करते नहीं उनके नाम मस्टर रोल में झूठे मस्टर रोल भरे गए और उस मस्टर रोल से ना तो कोई ऐसा काम हुआ इसलिए पक्के काम होने चाहिए अकाल में और उसके ऊपर मानीटरिंग कमेटी होनी चाहिए और उस मानीटरिंग कमेटी में वहां का जो विधायक है वह विधायक भी सम्मिलित रहना चाहिए क्योंकि यह नहीं हो जाए कि जो काम हुआ था, कभी भी आज एक-एक साल की इनक्वायरी होती नहीं है। उसी समय पर हर पन्द्रह दिन बाद हर पखवाड़े में वहां पर मीटिंग हो और मीटिंग होने के बाद वहां हम बैठकर डेस्कस करें कि अमुक काम अगर ठीक नहीं हो रहे,

(श्री धर्मपाल चौधरी)

किसी गरीब आदमी को पैसा नहीं मिल रहा, उसको अनाज नहीं मिल रहा, अगर उसको तुरन्त सहायता मिलेगी तो तो अपना सबका बोलने का यहां मतलब है, अपने कहने का कोई मतलब है। अब यहां पर अगर हम अपनी बात को कहने के लिए कि आपने क्या किया, हमने क्या किया इस बात को छोड़कर अगर हम राजस्थान की जनता के प्रति, उस गरीब के प्रति उस किसान के प्रति चिन्तित हैं तो हमको सबको जिस तरह से सोचकर कि जल्दी अकाल के काम चलें, आज मजदूर तो मजदूरी कर लेता है लेकिन उस किसान के बारे में भी सोचना पड़ेगा जिसके बीस, तीस, पचास, सौ बीघा जमीन है जिस तरह से सुन्दरलालजी कह रहे थे कि वह ना तो खेत में मजदूरी करने जा सकता है और उसकी फसल का टोटल नुकसान हो गया, उसके घर में जानवर हैं उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत, मध्यम वर्ग के लिए हमेशा आती है।

पश्चिमी राजस्थान में तो अकाल अक्सर पड़ता रहता है। पूर्वी राजस्थान में बहुत कम समय ऐसा आता है जब अकाल पड़ता है पर हमारे यहां के लोगों में यह प्रथा नहीं है क्योंकि स्वाभिमान में जिन्दा रहते हैं और वह सड़क पर जाकर मिट्टी डालने का काम कर नहीं सकते इसलिए उनके बारे में भी सरकार को सोचना पड़ेगा कि ऐसे जो किसान हैं, ऐसे जो मध्यमवर्गीय लोग हैं उनके बारे में सरकार क्या करे, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, आपने जो समय दिया क्योंकि बहुत समय हो चुका है और मेरा तो आपके माध्यम से मंत्री जी को इतना ही निवेदन है क़ि लास्ट में अपना वक्तव्य देते समय प्रतिपक्ष का मुंह बन्द करें, पक्के काम करें और अभी से व्यवस्था करें कि कोई भी उसमें गड़बड़ नहीं हो, उसके लिए मानीटरिंग कमेटी बनाएं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री खुशवीर सिंह।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय सभापति महोदय, हमारा नम्बर है।

श्री सभापति : ले रहा हूं। एक-एक ले रहा हूं उसी रेश्यो में ले रहा हूं।

श्री अमराराम (धोद) : रेश्यो तो यह था दो माननीय सदस्य उधर से, दो इधर से और एक इधर से, आपने व्यवस्था आपके आने के बाद.....

श्री सभापति : मैंने कोई व्यवस्था नहीं बदली है। आपके तीन चार सदस्य बुलवा दिए हैं मैंने। चार सदस्य बोल चुके हैं।

श्री अमराराम (धोद) : हां तो 25 में से चार बोले हैं।

श्री सभापति : हां तो आपका लेंगे ना, इसके बाद लेंगे।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : माननीय सभापति महोदय, आज इस बरसात की रिमझिम में अकाल राहत पर सदन में जो चर्चा हो रही है उससे एक बार तो लगा कि अब इसके बारे में क्या चर्चा करें लेकिन यह तो प्रतिवर्ष आने वाला अकाल है और इसके बारे में गहन सोचना पड़ेगा अपने को।

मैं एक किसान की बात के साथ अपनी बात शुरू करता हूं। किसान अपने आराध्य से प्रार्थना करता है कि "ईश्वर विनती आपसूं मौत हो तो भलमार, मारन मार गयो मोखला पर मेह बिना मत मार" मारने के लिए कई कारण हो सकते हैं, कई मारने के अवसर हैं लेकिन बारिश के बिना मत मार। मैं आज इस सदन में इसके बारे में जो चर्चा हो रही है हमें सोचना होगा कि इस बरसात के नहीं होने से जो पैदा होने वाली स्थिति है उसके बारे में अपने को सोचना है। आज यह हालत क्यों हो रही है, इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। अपनी राजनीतिक सोच को एक तरफ रखकर विचार करना पड़ेगा अपने को। आरोप और प्रत्यारोप से अकाल की स्थिति सुकाल में नहीं बदल सकती है।

मैं सभापति महोदय, आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके बारे में आज अकाल राहत कार्य की हम तो मांग करते हैं, कुएं गहरे कराने की मांग करते हैं लेकिन अगर पानी ही नहीं रहेगा जमीन के अन्दर तो कौन से कुएं गहरे होंगे, कहां से पानी आएगा उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि अकाल की स्थिति क्यों पैदा होती है उसके बारे में किसी ने चर्चा नहीं की। आज जंगलों का विनाश हो चुका है। वृक्ष समाप्त हो चुके हैं और यह तो वैज्ञानिकों ने ही सिद्ध करके बता दिया कि बरसात वृक्षों से होती है, घने जंगलों से बरसात होती है लेकिन उसके बारे में कोई नहीं सोच रहे हैं। हम तो यही मांग कर रहे

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

हैं कि पानी मिलना चाहिये, चारा मिलना चाहिये, अकाल राहत कार्य शुरू होने चाहिऐ लेकिन यह तो प्रतिवर्ष पड़ने वाला अकाल है, यह क्यों स्थिति पैदा होती है उसके बारे में सोचना होगा। आज अकाल राहत के तहत सड़क की पटरी के दोनों तरफ, सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय विराजे हुए हैं, सिर्फ मिट्टी डलवाने से कार्य नहीं होगा, अकाल राहत के तहत कांकरीट वर्क करना पड़ेगा कि भविष्य में अकाल नहीं हो। नाड़ी में मिट्टी इधर से उधर डालने से यह कार्य नहीं चलेगा। ठीक है कुछ समय के लिये उनको राहत मिल सकती है लेकिन अकाल को सुकाल में कैसे बदलें, उसके लिये विचार करना होगा और उसके लिये सबसे महत्वपूर्ण जंगल है। जंगल से जनता को कैसे जोड़ना है। आज करोड़ों अरबों रूपये खर्च हो रहे हैं काजरी और आफरी पर। किसी ने विचार नहीं किया, आज ऐसा वृक्ष उन्होंने पैदा नहीं किया कि इस वजह से लोगों का जुड़ाव हो वृक्षों के प्रति और जुड़ाव तब ही होगा कि आर्थिक रूप से उनको फायदा होगा। आज जो अपन काम कर रहे हैं मिट्टी खोदने का उससे इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर पूरे राष्ट्र का फ्लोराइडयुक्त 50 प्रतिशत पानी है। आज पुनर्भरण की जो व्यवस्था है वह 145 प्रतिशत अधिक दोहन हो रहा है राजस्थान में पुनर्भरण से भूजल में। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इस स्थिति से निपटने के लिये अपने को सबको मिलकर विचार करना होगा....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, पांच मिनट तो बोलने दें....

श्री सभापति : हो गया ना। जल्दी करिये। जल्दी प्लीज ज्यादा सदस्य भाग ले सकेंगे चर्चा में। आप तुरन्त पाइण्टस बोलिये। भूमिका लम्बी मत बनाइये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : अच्छा धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री अमराराम जी धोद।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय सभापति महोदय, आज इस वि .य पर जो सदन में चर्चा हो रही है कि राजस्थान में अकाल की स्थिति लगातार आती रही है, कोई पहली बार नहीं आ रही है और सबसे प्रमुख बात है कि जो तीन काम इस अकाल में जनता को और जानवर पर जो असर पड़ता है।

सबसे पहला है कि जनता को जो काम करने लायक लोग हैं उनको काम इस भयंकर अकाल से, पानी नहीं बरसने से शायद अब भी बरसात हो भी जायेगी तो भी मैं समझता हूं कि अकाल तो निश्चित रूप से होगा। बढ़िया है बरसात हो जाए कुछ पानी की व्यवस्था होगी लेकिन जिस तरह से आज तक जो हम व्यवस्थाएं करते आएं हैं निश्चित रूप से सरकार भी इस बात के लिये चिन्तित है और तय रूप से व्यवस्था करने के लिए योजना बनाकर लागू करेगी लेकिन जो खामियां हमारी पीछे रही हैं उनको हम किस तरह से दुरूस्त करने के लिए तैयार हैं। क्या हम लोगों का तय रूप से भयंकर अकाल जो 1987 से 2002 में आया, मैं समझता हूं इससे कम ग्रेविटी इस साल के अकाल की नहीं होगी। चाहे 1987 का हो, चाहे 2002 का हो लगातार अकाल पड़ने पर हमारी जो व्यवस्थाएं रही हैं उनमें खामियां रही है उनको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं और तमाम लोगों को एकजुट करके इस भयंकर अकाल की मुसीबत से हम पार किस तरह से पा सकते हैं, मैं समझता हूं एक तो सबका सहयोग हो और हौंसेले के साथ मुकाबला करें मैं निश्चित रूप से इस बात का पक्षधर हूं।

एक तो सबसे पहले मैं सरकार से चाहूंगा कि राज्य स्तर से लेकर नीचे एस.डी.ओ. स्तर तक तय रूप से तमाम लोगों को राजनैतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर सबको साथ लेकर तमाम उन राजनीतिक पार्टियों को, तमाम उन स्वयंसेवी संस्थाओं को जो स्टेट लेवल पर हैं और उनको तमाम जो आज तक की अकाल की व्यवस्थाओं में चाहे पानी की व्यवस्था करने में हो, चाहे वह राशन देने में हो और किसी भी तरह से जो प्रवासी राजस्थानी हैं उन्होंने जितना योगदान दिया उस सबको टेक करके राजस्थान की सरकार को इस बात के प्रयास करने चाहिये। आज भी हालत यह है कि स्टेट से लेकर न केवल हम सदन तक बल्कि सदन से बाहर भी तमाम राजनीतिक पार्टियों की जिस तरह से आज हम चर्चा कर रहे हैं उस व्यवस्था

(श्री अमराराम)

से लोगों को उसमें किस तरह से इनवाल्वमेन्ट हो सकता है तमाम राजनैतिक और स्वयंसेवी संस्थाओं को उसमें शामिल करके एक निगरानी कमेटी जिससे मैं समझता हूं सरकार की जो कमी खामी रहती है उनको दुरूस्त करने में तय रूप से सरकार को निर्णय करना है, लोगों को काम देना है, लोगों के लिये पानी की व्यवस्था करनी है, पशुओं के लिये चारे की व्यवस्था करनी है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि निगरानी कमेटी के लिए राज्य से लेकर एस.डी.ओ. स्तर तक करें जिससे यह काम नहीं हो। सभापति महोदय, 2002 में काम हुए उसका आज भी करोड़ों रूपया हजारों मैट्रिक टन गेहूं आज भी बकाया है, उस मजदूर का मजदूरी जिसमें साठ रूपये में किया है। आज सरकार कह रही है दस हजार मैट्रिक टन गेहूं खा गये। जो खा गये उनके आपको सात महीने हो गये। एक साल पिछली सरकार ने बिता दिया, सात महीने आपने बिता दिये, आज तक डेढ़ साल के बाद उस मजदूर को उसकी चिन्ता कीजिये जिसने सुबह से लेकर शाम तक तपती दोपहरी में मिट्टी डाली है, डेढ़ साल बीतने के बाद भी हम उसे मजदूरी नहीं दे पाए। जिसने भी गेहूं खाया है मजदूर का, दस हजार मैट्रिक टन गेहूं खा गये, इनकी तरफ उंगली करने से काम नहीं चलेगा, उस अकाल के मजदूर को गेहूं जिससे भी खाया है, सरकार को सात महीने हो गये अभी तक तो वह जेल में होने चाहिए। केवल यह राजनीति आप करते रहे हैं। इनके राज में दस हजार मैट्रिक टन निश्चित रूप से आप सब लोगों को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो निगरानी नहीं होगी और अकाल में यह हुआ है कोई 2002 में ही नहीं। जब चाहे सत्ता आपके हाथ में थी जब भी थी, पूरे राजस्थान में उस गरीब की जो सुबह से शाम तक मजदूरी करता है उस तपती धूप में और मजदूरी की हालत यह है कि सात सात, आठ आठ महीने की प्रेगनेन्ट औरतें भी सुबह से शाम तक अपने परिवार को बचाने के लिये अकाल पर जाती हैं। उनके लिये हालत यह है।

सभापति महोदय, दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि जो पशु के लिये सबसे....

श्री अमराराम चौधरी : जिन्होंने किये हैं उनके खिलाफ मुकदमे बने हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनके खिलाफ मुकदमे नहीं बने हैं और आप....

श्री अमराराम (धोद) : मंत्रीजी, बता दें कितने लोगों को चालान करके अभी तक अन्दर कर दिया और गेहूं उनसे वसूल कर लिया है। निश्चित रूप से बतायें कि दस हजार मैट्रिक टन गेहूं अगर खा गये तो उनसे आप वसूल....

श्री सभापति : आप आसन को सम्बोधन करें, उधर नहीं देखें।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, उनसे तो करें लेकिन जिनका बकाया है....

श्री सभापति : इधर देखकर बोलिये आसन की तरफ।

श्री अमराराम (धोद) : जिनका बकाया है उनका तो गुनाह नहीं है। सात महीने हो गये और आज तक आपने उनका कितना पेमेन्ट कर दिया यह बता दें।

दूसरा, सबसे भयंकर होगा चारे की व्यवस्था का। निश्चित रूप से मजदूरी के बाद सबसे ज्यादा पैसा हम उस पर खर्च करते हैं और तय रूप से पिछली जो रबी की फसल है हमारे पड़ौसी राज्य हरियाणा और पंजाब से हम चारा ज्यादातर परिवहन से लाते हैं और इसका मुकाबला करने के लिये सरकार से मेरा तो एक ही निवेदन है कि जितना हमारे पास पानी है, बरसात का पानी नहीं बरसा, जितना हमारे पास नदियों का, बान्धों का, सिंचाई का जितना पानी है उसमें हम किस तरह अधिक से अधिक हरा चारा पैदा कर सकते हैं, इससे एक तो हमें परिवहन का खर्चा नहीं करना पड़ेगा। केवल हम इस बात पर रहें तय रूप से सूखा चारा लाने के लिए जहां से भी मिलेगा सरकार प्रयास करेगी लेकिन हम हमारे साधनों से हमारे पास जितना पानी है, चाहे अण्डरग्राउण्ड है उससे हम चारा कितना पैदा कर सकते हैं। जितना ज्यादा हम चारा पैदा करेंगे और जितना बढिया बीज किसान के बीच में सरकार ले जाएगी और चारा केवल कहने से नहीं बोया जाएगा, सरकार जब तब सपोर्ट प्राइस कि किसान हरा चारा पैदा करेगा अगर नहीं बिकेगा तो सरकार उसको इस कीमत पर खरीदेगी। यह अगर सरकार किसान को विश्वास दिलाएगी, जिसके ट्यूबवैल हैं सात लाख से ज्यादा ट्यूबवैल हैं। अगर आप बिजली देंगे, हरा चारा की कीमत आप डिक्लेयर कर देंगे कि वहां नहीं बिकेगा तो सरकार लेकर के पशु शिविर

(श्री अमराराम)

हैं उनमें सरकार खरीदकर देगी तो मैं समझता हूं ट्रांसपोर्ट में जितनी सब्सिडी देते हैं, उस सब्सिडी में जितना पैसा खर्च करते हैं उससे ज्यादा कीमत पर उसी गांव में जिसमें किसान को देना है वहां पैदा हो जाएगा निश्चित रूप से। लेकिन उस चारे के लिए सबसे पहले हमारे जितने भी, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से भी हमें कहना चाहिए कि जहां हमारे सरकारी सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के फार्म हैं वहां हरा चारा पैदा करने

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

की हो यहां भी और तय रूप से जहां भी गांव के लोगों ने अपने स्तर पर गौशालाएं चला रखी हैं और यह हर दूसरे, तीसरे साल राजस्थान में अकाल आता है। हर ग्राम पंचायत में गोचर भूमि है क्यों न उनको हम तैयार करें इस बात के लिए कि वे उस पर हरा चारा पैदा करने के लिए उसका उपयोग कर सकती है। आप ट्यूबवैल खुदवाइए, जिस किसी साल अकाल नहीं हो, आप उसका कनेक्शन काट दीजिए, सरकार आपके पास है, उस गांव में ट्रान्सपोर्टेशन का पैसा नहीं लगेगा। यदि आप यह हर पंचायत और हर गांव में न करें तो कम से कम जो गांव वाले अपने खर्चे से गौशालाएं चला रहे हैं उनको तो कम से कम एक साल के लिए ट्यूबवैल खोदने का पैसा और हरा चारा पैदा करने के लिए, क्योंकि सभापति महोदय, हरा चारा जब बरसात न हो, हरा चारा जानवर एक महीने भी नहीं खाएगा सूखा चारा देंगे तो आधे से ज्यादा जानवर सूखा डालते-डालते ही खतम हो जाएंगे इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि जिस साल अकाल हो, उस ट्यूबवैल को चालू कर दें, ग्राम पंचायत के अधीन रहे तो तय रूप से उस गांव में मैं समझता हूं कि हरा चारा पैदा करने में हमें बहुत बड़ी सहायता मिलेगी।

श्री सभापति : समाप्त करें प्लीज।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, समाप्त ही कर रहा हूं। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि हरे चारे के लिए पानी की व्यवस्था हम कर सकते हैं, करनी चाहिए।

(श्री अमराराम)

दूसरा, मैं मजदूरी के बारे में कहना चाहता हूं। जो मजदूरी हैं, हम जिस तरह से मजदूर को सुबह से लेकर शाम तक आठ घण्टे काम लेते हैं, नपाई के नाम पर जितनी चीट उस गरीब के साथ होती है, आप कितनी भी मोनिटरिंग कर लो, सुबह से शाम तक आठ घण्टे उससे आप काम लेते हैं तो मैं नहीं समझा कि आप अकाल सहायता कर रहे हैं या उससे काम करा रहे हैं। काम कराइए आप, मेट लगाइए, सुबह से शाम तक जितना काम करा सकते हैं, आठ घण्टे में, उसके लिए तो नाप है, जो राजस्थान का सबसे गरीब आदमी है जिसकी संख्या 1 करोड़ है, जिसके खेत में बरसात नहीं होने से मजदूरी नहीं मिल रही है, उसके लिए तो नाप है और बाकी सरकारी अधिकारियों के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए कोई नाप नहीं है, तीन-लाख लोगों पर जनप्रतिनिधि हैं वह अपनी जनता की आवाज एक मिनट भी नहीं रखे तो उसके लिए कोई नाप तौल नहीं, कलक्टर से लेकर पटवारी तक वह अपना काम एक मिनट भी नहीं करे तो उसकी कोई तनख्वाह नहीं कटती, पर राजस्थान का वह गरीब आदमी जो भयंकर अकाल में जिसको मजदूरी नहीं मिल रही है, वह सुबह से शाम तक आठ घण्टे तपती धूप में काम करेगा, उसकी नपती होगी, 100 घन फुट अगर नाप नहीं निकलेगी तो उसकी मजदूरी नहीं होगी और उसी से सबसे बड़ा चीट होता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मजदूरों के साथ नाइन्साफी किसी भी रूप में न की जाए।

श्री सभापति : समाप्त करें प्लीज।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, समाप्त ही कर रहा हूं। मेरा निवेदन है कि जो सरफेस वाटर है उसका हम अधिकतम उपयोग करें, जो मजदूर हैं उन मजदूरों के साथ राहत का काम करें और जो भी स्कीम हैं उनको मिलाकर के जितने काम के साथ-साथ पक्के काम में बदलने के काम कर सकते हैं, करें। मैं समझता हूं कि मजदूरी के साथ-साथ मैटेरियल का पैसा जितना सरकार जुटाएगी, उसका सदुपयोग होगा।

वाटर हार्वेस्टिंग का जो काम है, रिचार्जिंग का जो काम है, वह आप कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि जो भूमि खेती लायक नहीं है, वहां चारा उगाने का काम कर सकते हैं। इसलिए चारे और मजदूरों के लिए व्यवस्था की

(श्री अमराराम)

जाए। मैं समझता हूं कि इन बातों के लिए सरकार तय रूप से जो कमी खामी हमारे अकाल प्रबन्धन में रही है उनको दुरूस्त करने का काम करेंगे, लोगों को समय पर मजदूरी मिले, उनकी नाप के नाम पर चीटिंग न होने दें, जो गेहूं जाए वह सही सलामत मिले। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री जालम सिंह रावलोत।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) : सभापति महोदय, अकाल और कांग्रेस पर्याय है और अकाल का नाम आते ही पूरे देश की जनता के सामने बाड़मेर और जैसलमेर का विषय होता है। इस बार भी बाड़मेर और जैसलमेर भयंकर अकाल की चपेट में हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस के राज में जो चार साल अकाल रहा, उसमें सीमा जन कल्याण समिति के प्रान्तीय महामंत्री के रूप में मैंने अकाल सेवा में और गौ सेवा का पुनीत काम करने का सुयोग्य अवसर मिला। उसी का परिणाम है कि मैं जैसलमेर जिले का रहने वाला हूं, मैं जोधपुर विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हूं लेकिन बाड़मेर की जनता ने केवल इसलिए चुना कि इसने गौ सेवा के अन्दर और अकाल के अन्दर काम किया है। शुद्ध रूप से यही मेरा कैरियर रहा है। इसलिए जो गौ सेवा का काम करेगा, जो इस पुनीत काम को करेगा निश्चित रूप से उसका फल उसको मिलता है।

कांग्रेस के राज में अकाल राहत कार्यों में हमारे बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र में भयंकर उपेक्षा रही। अकाल राहत कार्य खोलने में पूरी तरह से कांग्रेसीकरण और पक्षपात किया गया। सब विषय आप लोगों के सामने आए हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं की जानबूझकर उपेक्षा की गई। पचमेड़ा गौ शाला और भादरिया जैसी गौशालाओं के जो काम चल रहे थे उनमें बाधा पहुंचाई गई और गौ सेवा का पूरी तरह से कांग्रेसीकरण किया गया, इससे लोगों को परेशानी हुई एवं खास कर भेड़ और बकरी पालकों के लिए इनकी सरकार ने कोई काम नहीं किया और केन्द्र सरकार ने और महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो गौ शालाओं को सीधे पैसा दिया था, पहले वाले राज्यपाल महोदय के यहां से हटने के बाद में उन सारे गौ सेवकों से और गौ शालाओं से सरकार ने पैसा वापस

(डा. जालम सिंह रावलोत)

लिया, यह बहुत दुःख. की बात है और भ्रष्टाचार तो इनका पर्याय है और खास कर बात है कि बाड़मेर और जैसलमेर में संदिग्ध लोगों, राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में लिप्त लोगों को अकाल का सारा काम दिया गया।

मेरे कुछ सुझाव हैं, संक्षेप में आपके सामने रख रहा हूं, समय की अपनी मर्यादा है। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री माननीया वसुन्धरा राजे का मैं बहुत आभारी हूं बोर्डर की जनता की तरफ से जिन्होंने अकाल की इस भयंकर परिस्थिति में इस तरह का एक महत्वपूर्ण और साहसपूर्ण निर्णय लिया है। अकाल की सम्भावनाओं को देखते हुए उन्होंने जो विचार रखें हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। वसुन्धरा और वर्षा, भाजपा और वर्षा, यह एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। हमारे माननीय सदस्य तगारामजी ने जैसा बताया कि अकाल नहीं रहेगा, सुकाल आएगा, निश्चित रूप से राजस्थान तुरन्त ही हरा-भरा होने वाला है और मौसम भी आज यही बता रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारी यशस्वी सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि कच्चे अकाल राहत कार्य एवं गौ शिविरों का पुनीत काम एक अगस्त से चालू करने की आज ही घोषणा करें और गौ सेवा शिविरों के लिए अनुदान राशि जो पूर्व में बहुत कम दी जाती थी, अब बढ़ाकर 20 रूपये प्रति पशु और 12 रूपए प्रति पशु-छोटे करके गौ पीड़ितों की सहायता की जाए।

(समय : 19.36 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

कांग्रेस ने सबसे बड़ा नुकसान यदि किसी का किया तो वह किया है पशु पालकों का। भेड़ पालक और बकरी पालकों का। इनकी सरकार ने बड़े पशुओं के लिए जो व्यवस्था की उसमें भ्रष्टाचार किया जरूर लेकिन बकरी पालकों और भेड़ पालकों के लिए, प्रतिपक्ष के नेता विराजमान हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया, कोई मुआवजा नहीं दिया, कोई अनुदान राशि नहीं दी। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए एक मुश्त राशि वार्षिक या अर्द्धवार्षिक रूप से राशि किश्तों में अग्रिम राशि के रूप में दें ताकि पिछले चार

(डा. जालम सिंह रावलोत)

सालों में जो नुकसान हुआ उस नुकसान की वह पूर्ति कर सके। पड़ौसी राज्यों में हमारे जो भेड़ पालक और बकरी पालक जाते हैं उनकी पूरी सुरक्षा होनी चाहिए और उनके लिए सब प्रकार के प्रबन्ध होने चाहिए।

स्वयंसेवी संस्थाओं ने राजस्थान में पिछले चार साल के अकाल में बहुत महती भूमिका ग्रहण की। उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सीमा दल कल्याण समिति सबसे आगे रही है और हमारे पूर्व मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने दो बार जयपुर में कार्यक्रम करके हमारी संस्था सीमा जन कल्याण समिति को सीमान्त और बोर्डर एरिया में, बाड़मेर और जैसलमेर में सबसे ज्यादा अकाल प्रबन्ध का काम किया, उसके लिए हमारी संस्था नम्बर वन रही।

अध्यक्ष महोदय, पुनः ये संस्थाएं तैयार हैं। मुख्य मंत्रीजी और अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन है कि आप उन संस्थाओं को आमन्त्रित करें, अकाल की इस घड़ी में राजस्थान की जनता के लिए वह आगे आएं। वह तैयार बैठी है।

हमारे वन विभाग का जो क्षेत्र है उसमें सेवण घास बहुत है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह सेवण घास उपलब्ध कराई जाए और चारे की आपूर्ति भी पड़ौसी राज्यों से तुरन्त करे, इसके लिए आवश्यक व्यवस्था सरकार करे।

पेयजल विभाग से मेरा निवेदन है कि जो पद उनके रिक्त पड़े हैं, विशेषकर कनिष्ठ अभियन्ता के और छोटे पद, वह जल्दी उनको भरे। उनकी जो पुरानी पाइप लाइने हैं, उनके जो संयन्त्र हैं उन गांवों में पानी नहीं पहुंचा है, ढाणियों में पानी की तरस रहती है, वह शीघ्र पहुंचाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करे।

गौ सेवा शिविरों में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा होता है। अकाल सहायता कार्यों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। पिछले चार साल में अकाल राहत कार्यों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने घर भरे हैं, मालामाल हुए हैं, ऐसा पूरा राजस्थान में विशेषकर बाड़मेर और जैसलमेर में हुआ है जिसका मेरे पास

(डा. जालम सिंह रावलोत)

पुख्ता उदाहरण है। यह सरकार ऐसे भ्रष्टाचार रोकने की पुख्ता व्यवस्था करे। हमारी सरकार बनी तब से ही, पहले दिन से दृढ संकल्प किया कि हम 120 लोग नहीं, अब 130 लोग मिलकर राजस्थान को भ्रष्टाचार से मुक्त कराएंगे, ऐसा संकल्प सरकार बनते ही लिया था। इस नाते भ्रष्टाचार को दूर करने का पूरा प्रयास हमारी सरकार इन अकाल राहत कार्यों में करे ताकि भ्रष्टाचारियों का सत्यानाश हो और उन पर अंकुश लगे।

हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य और अन्य लोगों को साथ लेकर केन्द्र सरकार पर इतना दबाव डालें कि जिस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने राजस्थान में भरपूर अकाल सहायता दी उसी क्रम में केन्द्र की सरकार हमारे राज्य को ज्यादा मदद दे। इनका राज केन्द्र में बनते ही पूरा देश अकाल की चपेट में आ गया लेकिन जो राहत राशि मिलनी चाहिए जैसे 9 हजार करोड़ रूपये की राशि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने हमें दी, उससे ज्यादा राशि केन्द्र सरकार हमको वर्तमान में दे।

ऐसा विनम्र निवेदन है। हमारे पक्ष और विपक्ष के सम्माननीय नेताओं से अनुरोध है कि पशु आहार अच्छे स्तर का उपलब्ध कराएं और पशु चिकित्सा के लिए पूरी व्यवस्था हो, वो ढंग से होनी चाहिए और आज की तारीख में पशु चिकित्सालयों की स्थिति गांवों में बहुत खराब है। वहां के चिकित्सक ड्यूटी करते नहीं हैं, दवाइयां हैं नहीं और अभी जैसलमेर में करेरा रोग चल रहा है उनकी पूरी पकड़ जितनी होनी चाहिए उतनी बन नहीं पायी है। प्रतिपक्ष के नेता ने भी इस ओर ध्यान केन्द्रित किया था। मोबाइल टीम के माध्यम से पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए। विशेषकर हमारे बोर्डर के जिलों में अकाल ज्यादा है। गांवों से युवा शहरों की ओर बढ़ रहे हैं, गुजरात की ओर जा रहे हैं उनको रोजी-रोटी का, सुबह और शाम का पेट पालने की एक गम्भीर समस्या है इसके लिए कई प्रकार के राष्ट्र विरोधी तत्व बोर्डर पर हमेशा सक्रिय रहते हैं, हमारे युवा उनकी चपेट में न आयें इस नाते भी हम पर्याप्त अकाल राहत कार्य और हम इस चीज को ध्यान में रखकर कि जो सम्पूर्ण जनता है राजस्थान की उनके हितों को ध्यान में रखें, केवल जैसा कांग्रेस ने कांग्रेसीकरण किया वो हम लोग नहीं करें, यह हमारा परम धर्म है

(डा. जालम सिंह रावलोत)

और हम इसको निभाएंगे। निवेदन इनता सा है कि जिस विश्वास और साहस के साथ हमारी सरकार ने राजस्थान में सम्भावित अकाल, अकाल नहीं होगा, सुकाल ही आएगा, लेकिन सम्भावित अकाल की स्थिति में आज पूर्व में इतनी सारी चर्चा करायी और जिस तरह के साहस का परिचय दिया है ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है कि हम राजस्थान की जनता में किसी को भूख से मरने नहीं देंगे, किसी को प्यास से मरने नहीं देंगे, गौमाता के प्रति हमारी भावना है और पशुपालकों की हम पूरे उत्साह से पूरी ताकत से और सब प्रकार का सहयोग लेकर उनकी रक्षा करेंगे। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : विजय बंसल बोल लिये क्या ?

श्री विजय बंसल : नहीं बोला।

श्री अध्यक्ष : बोलिए।

श्री विजय बंसल (भरतपुर) : माननीय अध्यख महोदय, दो-तीन दिन पहले अकाल-अकाल पक्ष और विपक्ष बहुत हेला-हेला कर एक दिन का समय निश्चित कराया। सुबह से चल रही इस चर्चा में यह देखने में आया कि सिवाय एक-दूसरे के प्रत्यारोप लगाने के अलावा इस तरह की बात नहीं चल रही है कि जो आपदा पड़ गई है सरकार से क्या अपेक्षा है, सरकार को क्या करना चाहिए, इस पर यह सुझाव देने चाहिए। मेरा तो यही कहना है कि फालतू समय, आठ बज चुके हैं, शायद दस बज जाएं, कम समय में बात करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अकाल की विभीषिका प्राय: आती रही है। इसका कारण खोजने की आवश्यकता है। मैं सबसे पहले वन विभाग के अधिकारियों को दोषी मानता हूं। जिन्होंने आजादी के पश्चात् आज तक सघन वृक्षारोपण करने की छोड़ जो भी वन थे उन पेड़ों को काटा है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं भरतपुर में नेशनल पार्क है, पेड़ काटना मना है, वन मंत्रीजी यहां बैठे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं घना के गेट पर शाम को 5 बजे कम से कम 500 गट्ठर लकड़ी के निकलते हैं, वन विभाग के अफसरों की देखरेख में।

(श्री विजय बंसल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल राहत के कार्य जल्द से जल्द कराये जाएं। बजाय कच्चे काम कराने के जहां आवश्यकता है जगह-जगह स्कूल खोलने की घोषणाएं हो रही हैं, जगह-जगह पी.एच.सी. खोलने की घोषणाएं हो रही हैं मैं सुझाव देना चाहता हूं स्कूल प्राइमरी हेल्थ सेन्टर्स की बिल्डिंग्स अकाल राहत में खोली जाए तो इससे राज्य का भला ही होगा।

पानी की समस्या। जल स्तर निरन्तर गिरता जा रहा है, फ्लोराइडयुक्त हो गया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी यह बहुत बड़ी समस्या है। जलदाय विभाग द्वारा विधायक कोटे की राशि उसमें सम्मिलित करके हैण्ड पम्प खोदे जाते हैं, लेकिन जहां 60 फुट या 100 फुट पर मीठा पानी मिलता है उसकी जगह भी वो 400 फुट तक पाइप को ले जाते हैं। मैं समझता हूं इस विधायक कोटे की राशि को अगर स्वजलधारा योजना के अन्तर्गत ट्यूबवैल और टंकी बनाने में भी सम्मिलित कर दिया जाए, चाहे वो पैसा विधायक कोटे का उसमें बढ़ाया जाए तो निश्चित रूप से पानी की समस्या से इस अकाल में राहत मिल सकेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी कमी आएगी पशुधन की, उनके चारे की। चारे का भाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : ट्रेजरी बैंचेज में है जो लोगों के इन सुझावों को नोट कर रहा है ?

डा. किरोड़ी लाल : मैं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप कर रहे हैं ?

डा. किरोड़ीलाल : हां।

श्री अध्यक्ष : इन सुझावों को आपने नोट कर लिया ? बात तो इन्होंने इम्पोटेन्ट कही है, महत्वपूर्ण बात कही है कि स्वजलधारा में केवल हैण्ड पम्प ही हैं यदि पेयजल टंकी व ट्यूबवैल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुझाव दिया है इन्होंने।

श्री मदन दिलावर : वह स्वजलधारा में नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय। स्वजलधारा में एम.एल.ए. और एम.पी. का पैसा नहीं लगा सकते, ऐसा है।

श्री विजय बंसल : मेरा सुझाव है उसमें लगाया जाए। कुछ इस तरह से लाया जाए, यह तो मैं भी जानता हूं नहीं लगा सकते। इस बात को मैं भी जानता हूं।

श्री अध्यक्ष : सुझाव है। यही तो कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं ? आपकी कम समझ में आयी बात यह। स्वजलधारा में केवल आप हैण्ड पम्प का लगा सकते हो, बाकी नहीं। वही तो कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं ? आपकी समझ में ही नहीं आयी।

श्री मदन दिलावर : मेरे आ गई वो प्रधानमंत्री अनाउंस योजना में हैण्ड पम्प का है। उसमें लगा सकते हैं और इस स्वजलधारा में जनता का इकट्ठा किया हुआ पैसा ही लगा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : वो यही तो सुझाव दे रहे हैं कि इसको डबटेल कर दें विधायक कोष को। और क्या कर रहे हैं वे ?

श्री विजय बंसल : इस बात को तो मैं जानता हूं मंत्री महोदय।

श्री कालूलाल गुर्जर : जो योजना स्वजलधारा भारत सरकार ने चलायी है उन्होंने यह कहा है कि इसमें पब्लिक का कन्ट्रीब्युशन ही चाहिए 10 परसेन्ट, और किसी संस्था का पैसा 10 परसेन्ट मिलता है तो वह स्वीकार नहीं है, ऐसा उनकी गाइडलाइन्स में है।

श्री विजय बंसल : पब्लिक कन्ट्रीब्युशन के साथ-साथ।

श्री कालूलाल गुर्जर : राजस्थान सरकार नहीं, यह केन्द्र से कराना पड़ेगा।

डा. एन.एस. गुर्जर : वहां जब मंत्रियों की बैठक होती है तो आप वहां सुझाव रखिएगा कि हमारे सदन में मुद्दा उठा है और सब लोगों का यह सुझाव है तो बदल देंगे।

श्री विजय बंसल : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी समस्या आयी है पशुधन की, उसके चारे की व्यवस्था की।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। अभी मंत्रीजी ने यह फरमाया कि नहीं लगा सकते। अभी हमारे विधायक कोटे के 2,500 रूपये एस.टी. बस्ती के लिए हैं, 5 हजार रूपये एस.सी. की बस्ती में हैण्ड पम्प खोदने के लिए हैं और 50-50 हैण्ड पम्प सेंक्शन किये हैं। (व्यवधान) मैं वही कह रहा हूं। आपका यह फरमाना है कि नहीं लगा सकते। यह गलत है कि नहीं लगा सकते। यह गलत है। (व्यवधान) मैंने खुद ने दिया है।

श्री कालूलाल गुर्जर : यह किसने कहा, नहीं लगा सकते ?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैंने दिया है ना।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय सदस्य, केवल हैण्ड पम्प में 5 परसेन्ट पैसा विधायक कोष से दिया जा सकता है। भारत सरकार की गाइडलाइन यह है कि जो स्वजलधारा योजना में कोई योजना बनेगी, ट्यूबवैल बनेंगे, टंकी बनेगी उसमें पब्लिक कन्ट्रीब्युशन जरूरी है 5 परसेन्ट।

श्री अध्यक्ष : अकाल की स्थिति के अन्दर यही तो आपको सजेस्ट करना है, और क्या करना है ?

श्री कालूलाल गुर्जर : भारत सरकार का है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : हम कर सकते हैं इसको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : समझ गये, चेयर से बहुत महत्त्वपूर्ण सुझाव आया है, अब आगे चलें। (व्यवधान)

श्री विजय बंसल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक पुशधन के बचाने की बात है।

श्री हेमाराम चौधरी : जनता अकाल के कारण इस साल कन्ट्रीब्यूशन दे नहीं सकती और कन्ट्रीब्यूशन के बिना आप दोगे ?

श्री सांवर लाल : आपको इसकी चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है, सरकार अपने खर्चे पर व्यवस्था करवाएगी क्योंकि जनता नहीं देगी।

श्री अध्यक्ष : यह हुई ना बात।

श्री हेमाराम चौधरी : यह कह दिया बहुत है। खाली कह दिया, कहने से कुछ नहीं होता।

श्री सांवर लाल : भारत सरकार की योजनाएं तो जिस तरीके से हैं वैसे ही चलेगी बाकी आवश्कतानुसार राज्य सरकार व्यवस्था करेगी। जहां पर हैण्ड पम्प की आवश्यकता है (व्यवधान)

श्री विजय बंसल : माननीय मंत्री महोदय, इसको घोषणा माने लें ?

डा. क़िरोड़ी लाल : यही जवाब है अकाल का।

श्री विजय बंसल : माननीय अध्यक्ष महोदय, चारे की समस्या बहुत तेजी से बढती जा रही है, दिन-प्रतिदिन चारे के भाव काफी ऊपर चले जा रहे हैं। अगर पशुधन को बचाना है तो मैं कहना चाहूंगा कि थ़ोड़ी-थोड़ी बारिश पड़ी है, जैसा कि अमराराम जी ने कहा था कृषि वैज्ञानिकों से सलाह करके ऐसे बीज जो कम समय में हरा चारा पैदा करता है तो सरकार को प्राथमिकता से इस कार्य को लेना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के सूख से पूरा राष्ट्र चिन्तित है। मेरे भरतपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ल्ड हैरिटेज के नाम से घना बर्डस सैंक्चुरी है जहां पानी की कमी से विभिन्न देशों से आये हुए प्रवासी पक्षियों की चार साल से आवक कम होती जा रही है। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि वहां पानी की व्यवस्था अवश्य कराएं नहीं तो हिन्दुस्तान में नहीं विदेश में भी हमको अपमानित होना पड़ेगा।

इसके लिए कुशल मानीटरिंग, अधिकारियों की देखरेख में, जनप्रतिनिधियों की देखरेख में कि अकाल राहत में कहीं कोई घोटाला नहीं हो जाए। इसमें आवश्कता है। कोई जनप्रतिनिधि कभी नहीं चाहता कि उससे प्रदेश में, उसके जिले में उसकी विधान सभा कांस्टीट्यूएंसी में अकाल पड़े लेकिन सरकारी अधिकारी हमेशा यही चाहते हैं कि हर साल या तो अकाल पड़े या बाढ़ आये क्योंकि उनकी जेब उसी से भरती है। इस पर भी रोक लगाई जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, विभिन्न गौशालाएं चल रही है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें आप।

श्री विजय बंसल : विभिन्न गौशालाएं चल रही हैं। मैं कहना चाहता हूं उनके पास 4-4 सौ, 5-5 सौ बीघा भूमि है। उन पर भी कुछ व्यवस्थाएं कर गायों को बचाने का प्रयास किया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। अन्त में, मैं कहना चाहूंगा कि अकाल चर्चा के दौरान जो आज की तारीख फिक्स की गई थी बरसात शुरू हो चुकी है और निश्चित रूप से सावन का महीना मलमास है बरसात आएगी क्योंकि सदन की नेता महारानी वसुन्धरा का, वसुन्धरा का मतलब होता है हरी भरी धरती, मैं आशा करता हूं अकाल से राहत मिलेगी। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश त्रिवेदी। श्री भंवरलाल राजपुरोहित। (व्यवधान) प्रतिपक्ष के माननीय मुख्य सचेतक महोदय, आपको तो यह भी मालूम नहीं है कि वह त्रिवेदी हैं, चतुर्वेदी नहीं हैं। रोज आप चतुर्वेदी लिखकर भेजते हैं और कल मुझसे ही गलती हो गई, मैं चतुर्वेदी बोल गई। आपकी पार्टी के मैम्बर हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब आप कितने जागरूक हैं पता लगा न।

श्री अध्यक्ष : आप खुद चतुर्वेदी लिखकर भेज देते हो, कैलाश चतुर्वेदी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कृपया आप अपने कर्तव्य का ध्यान रखें, मुख्य सचेतक और हो। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह न त्रिवेदी हैं न चतुर्वेदी हैं, ये त्रिपाठी हैं।

श्री कैलाश चतुर्वेदी : नहीं, नहीं, त्रिवेदी हूं।

श्री अध्यक्ष : त्रिवेदी और त्रिपाठी तो एक ही होता है, माननीय सदस्य। उसी को त्रिपाठी भी कहते हैं, त्रिवेदी भी कहते हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : पहली बार बोल रहे हैं, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : देखिए, मैंने नाम पुकार लिया राजपुरोहित का और उसके बाद मौका दूंगी क्योंकि यह एबसेन्ट थे, पहले मैंने नाम पुकार लिया है।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : अब मैं नाम पुकार चुकी हूं। (व्यवधान) अब इनके बाद मौका दे दूंगी। (व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुराहित : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अकाल और राजस्थान इनका चोली दामन का साथ है, अकाल और कांग्रेस यह संजोग से ही इनका भी चोली दामन का साथ है। मान्यवर यह सत्य है, आंकड़े कहते हैं और समय कहता है।

श्री हेमाराम चौधरी : आप तो कांग्रेस में से अभी तो गये हो ?

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : मैं कहीं नहीं था, आपको भूल है, आपको बिलकुल भूल है, खैर छोडिये आप। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान के नागौर और जोधपुर डिवीजन और बीकानेर डिवीजन हमेशा जोग्राफी मेरी भी पढ़ी हुई है पांच से सात इन्च बरसात होती है, कोटा में 15 से 20, उदयपुर में 10 से 15 और हमारी सरकारें बनीं यदि यह जानते हुए कि यह स्थिति है तो हमारे साइंटिस्ट और हमारे नेताओं की सोच थी कि आखिर यहां बरसात इतनी होगी और यहां अकाल की स्थिति है तो उसकी परमानेन्ट योजना बननी चाहिए थी कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। इजरायल का उनको ध्यान है, अमेरिका का उनको ध्यान है, आस्ट्रेलिया का उनको ध्यान है उसी पैटर्न पर यदि सरकारें हमारी योजनाएं बनाती तो हमारे अकाल तो पड़ता लेकिन परेशानी पानी की वजह से नहीं होती। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं आज हमारे इस पूरे सदन में मैं 6-7 घण्टे से सुन रहा हूं हमारे सिर्फ दो सदस्यों ने इस बात का जोर दिया इन्होंने और खुशवीर जी ने कि आखिर अकाल पड़ता क्यों है। अकाल पड़ने का मुख्य कारण है जो सभी जानते हैं आप लोग वह पड़ता है हमारे वृक्ष आक्सीजन नहीं छोड़ते हैं कम पड़ गये और इधर मोनो-आक्साइड, आक्साइड, कार्बन डाई आक्साइड जितनी भी गैसेज हैं उनकी वजह से ओजोन में छिद्र हो रहा है तो टेम्प्रेचर बढ़ रहा है। इधर इनका तो बढ़ना और वृक्षों का कटना, इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। हम बातें जरूर कर लेते हैं, कोई गम्भीर हो रहा है ? आज भी जितनी भी सरकारें थी यदि काम हो जाता तो यह वृक्ष नहीं कटें और मैं कहता हूं यदि

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

यह तय हो जाता कि एक वृक्ष काटने वाले को 10 वर्ष की सजा होगी, मैं आपको सत्य कहता हूं एक दरखत नहीं कटता। आज आप छोटे से कामों को बनायें दरखत चला जाएगा तो अब तो वह 10-15 दिन की शायद होती होगी। मैं एक बात कहता हूं सिरियसली किसी ने नहीं लिया। प्रश्न है कि नहीं कटें इसके लिए सरकार सिरियस हो और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वृक्ष ही सब कुछ बात है, इस पर भी स्ट्रेस किया जाए और उसके साथ-साथ दूसरी जो गैसेज बनती हैं जो मोनो-आक्साइड वगैरह होती हैं उनको कम करने पर सरकार सोचे, साइंटिस्ट भी सोचें कि गैसें कम कैसे हों, इनको रोका कैसे जाए। एक तीसरी बात मान्यवर कि मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार अकाल जो पड़ रहा है उसमें मैं ज्यादा कहूंगा तो समय काफी हो चुका है, मैं शार्ट में ही कहना चाहता हूं कि अकाल जो है यह काफी वर्षों से पड़ रहा है। सरकारें यह कहती हैं कि आज 52 से लेकर यह अकाल तो हमको विधान सभा में सुनते सुनते बल्कि तानें दे रहे हैं कि हमेशा अकाल अकाल यह रोज सुनाया जाता है। अकाल में यह भी होता है कि यह खा गये, गेहूं खा गये, वह चीनी खा गये। मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप सरकार को यह कहिये कि सरकार अब जो चीनी, गुड या जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं या धान जो भी है बाकी उसमें एक ऐसी सख्ती लगाएं कि जो यह यदि किसी की शिकायत आएगी उसका ऐसा प्रावधान कीज़िए, चाहे वह सरपंच हो, चाहे ग्रामसेवक हो, चाहे पटवारी हो, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए तो इस बात में थोड़ी सरलता आ जाएगी और रहा अकाल का, अब मैं तो एक बात जानता हूं सीधा सा, मान्यवर, मैं अन्धविश्वासी समझिए, कुछ भी समझिए, कई सालों से बरसात नहीं आ रही है और 35 साल के बाद इसको मैनयुपुलेटेड नहीं समझें, मैं एक अन्धविश्वासी भी हूं, मान्यवर, हमारी मुख्य मंत्रीजी जिस दिन से आसन सम्भाला है पिछली सरकार का बरसात का जो रिकार्ड रहा, यह क्योंकि मैन्युपुलेटेड बात नहीं है बिलकुल सत्य बात है कि नागौर जिले में पूरे के पूरे गांवों में बरसात हुई और राजस्थान में पूरे में बरसात हुई और कई कहते कहते मर गये, आसोज में बरसात हो जाए, दाबकर बरसात हुई। मैं अभी भी आश्वस्त हूं कि इस साल अकाल नहीं पड़ेगा, हम हालांकि इस पर डिस्कस

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

कर रहे हैं, मेरी पूरी धारणा है कि इस बात में कि अब के अकाल नहीं पड़ेगा फिर भी अकाल पड़ता है तो सरकार को 3, 4, 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। अकाल हुआ तो पानी की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए ताकि पानी मिल सके और पानी की मानीटरिंग होनी चाहिए जिस तरह मैडम ने इलेक्ट्रिसिटी में मानीटरिंग एक डिपार्टमेन्ट रखा, पानी के लिए मानीटरिंग डिपार्टमेन्ट अलग रखें। इस फेमिन में मानीटरिंग हो तो मैं सत्य कहता हूं न तो यह करप्शन होगा न कोई गेहूं खाएगा, न चीनी खाएगा न कोई फर्जी मस्टर रोल भरेगा इसलिए एक मानीटरिंग होनी चाहिए। दूसरा मेरा निवेदन है कि गौशाला जितनी भी हैं उनको आप सशक्त बनाइए। गौशालाएं हमारी तहसील में और हमारे जिले में काफ़ी हो गई। इसके साथ-साथ, मुझे इस बात का भी विश्वास है कि हमारा राजस्थान एक धार्मिक प्रदेश है, उसमें काफी जो हमारे साहूकार हैं, दानदाता हैं, ये लोग बहुत इन्टरेस्ट लेते हैं पर उनको हमारे कांफीडेन्स में लेना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा पशुओं का पशुवाड़ा बनाकर गायों को बचा सकें।

दूसरा, पानी का जहां तक सवाल है, अब पानी की वास्तव में कमी है और बरसात न हो तो जहां तक ट्यूबवैल हैं उनको ज्यादा से ज्यादा खोदा जाए ताकि उस पानी का स्टोरेज ढंग से किया जाए। मैं उस क्षेत्र की बात कहता हूं, मेरा क्षेत्र बांका पट्टी के नाम से प्रसिद्ध है, वहां पर फ्लोराइड था और उसकी वजह से लोग बांके हो जाते थे, आपकी हड्डिया बांकी हो जाती थी इसलिए ट्यूबवैल के बाद ही यह हमारी रिमेडी हुई, हमारा बचाव हुआ। मैं निवेदन करना चाहता हूं मेरे क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा ट्यूबवैल खोदें, दूसरे जिलों में भी मैं निवेदन करना चाहता हूं ट्यूबवैल खोदें, कुएं गहरे करवाएं और कार्य जब शुरू करवाएं उसमें तालाब के सड़कों के कच्चे कार्य में और उन शिड्यूल कास्ट और उन बी.पी.एल. आदमियों के पक्के मकान के लिए सैंक्शन होनी चाहिए ताकि इस मौके पर वह अकाल राहत के कार्य में उनके मकान बना सकें। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश त्रिवेदी (व्यवधान) आप तो बोल लिये और लोग भी तो बोलना चाहते हैं।

कैल श त्रिवेदी (सहाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल पर जो चर्चा हो रही है सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप 2002 के अकाल के बारे में इतने टन गेहूं हो गया, इतना टन यह हो गया। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि हाथ कंगन को आरसी क्या। वर्तमान में मेरे यहां अकाल राहत के काम चल रहे हैं, आज की तारीख में भी चल रहे हैं, पूरे राजस्थान में अकाल नहीं है, भीलवाड़ा जिले में अकाल नहीं, मामूली अकाल है और कुछ भाग में रायपुर क्षेत्र में अकाल चल रहा है। सबसे पहले अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान मैं उस ओर दिलाना चाहता हूं जिला कलक्टर द्वारा जो स्वीकृतियां जारी की गई, मई के अन्दर, उन स्वीकृतियों को आप यहां सदन में मंगा कर देखें उससे आपके अधिकारियों का काम करने का तरीका और अकाल का प्रबन्धन स्वतः ही उसकी पोल खुल जाएगी। वो यह है कि जितने भी च है 30 हजार का काम था तो लाख रूपये की स्वीकृति, चाहे एक छोटी सी नाडी बनानी हो या रिपेयरिंग करनी हो तो लाख रूपये की स्वीकृति, बड़ा तालाब बनाना है तो लाख रूपये की स्वीकृति, बान्ध बनाना हो तो लाख रूपये की स्वीकृति, आधा किलोमीटर सड़क बनानी हो तो लाख रूपये की स्वीकृति और तीन किलोमीटर सड़क बनानी हो तो लाख रूपये की स्वीकृति। जब जिला कलक्टर ने यह मीटिंग बुलाई और मैंने ये स्वीकृतियां देखीं तो मैंने जिला कलक्टर, पी.डब्ल्यू.डी. और इरिगेशन के अधिकारियों से यह पूछा कि जरा मुझे इनके तकमीने बतायें कि यह किस तकनीकी आधार पर एक-एक लाख रूपये की स्वीकृति निकाली और उन साइडों पर क्या-क्या वर्क आप अकाल राहत के सम्बन्ध में करवाना चाहते हैं तब अधिकारियों ने मौन होते हुए यह स्वीकार किया कि न तो हम साइडों पर गये हैं न इनके हमने तकमीने बनाये हैं, न हमने मौका देखा है और सीधी स्वीकृतियां निकलती हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब स्वीकृति में ही सरकार के धन का दुरूपयोग होना चालू होता है तो पूरी अन्जाम तक जब काम पहुंचता है उसकी क्या हालत होती है। वह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे यहां थला के खीरखेड़ा एनीकट और खीखेड़ा के काम पर जो आदमी अहमदाबाद में बैठा हुआ है, 11-6-2004 को उसका नाम मस्टररोल में लिखा हुआ है और वहां विकास अधिकारी चैक करने जाता है, उस नाम को डिस-अलाऊ करके आता है,

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

यह आदमी यहां नहीं है तो लोगों ने कहा कि यह तो अहमदाबाद रहता है। डिस-अलाऊ करने के बाद पुनः सरपंच दुबारा नाम वहां लिख देता है। इतनी हिम्मत आप उसकी देखिये। लिखकर के उसकी आगे से हाजिरी भरता है जबकि उसको पूरे 10 दिन के लिए डिस-अलाऊ किया हुआ है। यही नहीं, सरपंच साहब की और भी मैं आपको बताऊं कि गारीखेड़ा एनीकट और गारीखेड़ा नाडी के मजदूरों को जो जो काम कर रहे हैं, इसी महीने की 15 तारीख को सारे मजदूरों को अपने खेत के काम पर लगा रखा था। खेत पर काम पर लगा रखा है और जब खेत पर काम में लगा रखा है और मजदूरों की शिकायत, जब गांव वालों को पता लगा कि सारे मजदूर सरपंच के खेत पर काम कर रहे हैं तो गांव वालों ने जाकर के विकास अधिकारी, तहसीलदार से कहा तो उनका जवाब था कि उनको तो मजदूरी से काम है कहीं भी करो न। यह आपका प्रबन्धन है। 12 बजे मेरे पास फोन आता है तो मेरे जिले के मंत्री कालूलाल जी से फौरन इनके चेम्बर में मिला और मैंने कहा कि मंत्री महोदय, यह हालत है, मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसी वक्त मंत्री महोदय ने टेलीफोन किया कलक्टर और पी.डी. को और एस.डी.एम. जांच करने गया। वह मजदूर जो शाम को घर आ गये थे, गांव में इकट्ठा करके जब उनके बयान लेने लगे तो अचानक जब बयान लिये तो अध्यक्ष महोदय, गरीब, एस.सी., एस.टी. और चयनित लोगों को क्या पता कि हमको सरपंच के वहां काम कर रहे हैं जो नहीं कहना है, सभी ने कहा कि सरपंच साहब ने कहा तो उनके खेत में ही काम कर रहे थे। बी.जे.पी., कांग्रेस से मुझे कोई लेना-देना नहीं है। मैं यह कह रहा हूं कि जो हम, अच्छे प्रबन्धन की बात कर रहे हैं उसमें सुधार की जरूरत है। उस व्यक्ति ने जब उन लोगों ने एस.डी.एम. और तहसीलदार के सामने बयान दे दिये, बयाने देने के बाद में वो जिला कलक्टर के पास उसको दोषी पाये जाने की जांच उपखण्ड अधिकारी ने भेज दी तो 16 तारीख को जो नैक्स्ट पखवाड़े को मजदूर लगने थे तो एक भी मजदूर उनमें से लगाया नहीं गया और उनके घरों पर जाकर के धमकियां दी। एस.सी., एस.टी. के परिवारों को डांट पिलाई, मारपीट करने की कोशिश की तब जाकर के उन लोगों ने पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराई। उस पर कोई कार्यवाही

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

नहीं हो रही। यह हालत तो हैं। मेरे यहां तो अकाल राहत कार्य चल रहा है और जो चल रहा है उसमें जो स्थितियां खराब हैं वह मैं बता रहा हूं आपको।

भीलों का एनीकट बागोलिया पंचायत में, 1.7 से 15.7 तक, हम इधर दुहाई देते हैं कि चयनित लोग लगेंगे, एस.सी., एस.टी. के इतने परसेन्ट लगेंगे, इतने सवर्ण जाति के लगेंगे, इतनी महिलाएं लगेंगी।, इतने ओ.बी.सी. के लगेंगे, इतने वो लगेंगे लेकिन हालत देखिये आप कि मस्टररोल नम्बर 62616 जिसके अन्दर एस.सी., एस.टी. और चयनित परिवार के 4 घण्टे मजदूरों ने काम किया उनके नाम काट दिये गये और प्रभावशाली लोगों के नाम लिख दिये गये। बागोलिया में मस्टररोल नम्बर 62616, आप यहां सदन में मंगवायें, देखें। मस्टररोल नम्बर 62616 में 13 एस.सी. और एस.टी. और चयनित लोगों के नाम काटे। मस्टररोल नम्बर 62615 में 15 एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के नाम काटे गये और इनकी जगह जिन लोगों के नाम लिखे गये हैं वो सारे उससे पूर्व पखवाड़े में सुरास एनीकट पर काम करने वाले लोग थे। तो यह इस तरह का प्रबन्धन है और इस तरह से अकाल राहत हम पूरे राजस्थान में कैसे चलायेंगे इस पर हमको विचार करना है। मेरा आपसे यह कहना है कि जो इस तरह के कार्य हो रहे हैं उनके लिए पूर्व प्रबन्धन में आर.ए.एस. अधिकारी हर तहसील स्तर पर लगे हुए थे। इस बार आर.ए.एस. अधिकारी नहीं लगे हैं।

जितनी भी ये स्वीकृतियां जारी हों, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब भी सरकार अकाल राहत प्रारम्भ करना चाहे लेकिन इसके पूर्व तैयारी करें पूर्व तैयारी के अन्दर जितने भी विभाग हैं, पी.डब्ल्यू.डी., इर्रिगेशन, पी.एच.ई.डी., चाहे पंचायत समिति, जिस माध्यम से आप करवाना चाहते हैं उन सबको जो-जो काम उनको करवाने हैं उनके एस्टिमेट कम्पलीट हों, एस्टिमेट कम्पलीट होने के बाद जितना-जितना काम उनका करवाना हैं, पक्का काम है तो पक्के काम का एस्टिमेट बने और पक्का काम किससे करवाना है जो डवटेलिंग करके करवाना है तो चाहे विधायक कोष से करवायें, चाहे एम.पी. कोष से डवटेलिंग करवायें, चाहे पंचायत समिति की योजनाओं से डवटेलिंग करायें और उन कामों को पक्के काम को भी लिया

जाए और कच्चे काम को भी लिया जाए। सबसे बड़ी जो अकाल राहत के कार्यों में तकलीफ आती है कि 10 लाख का एस्टिमेट बनता है, स्वीकृति यहां नहीं होती है। 20 लाख की वहां नहीं होती है, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर 50 लाख का भी एस्टिमेट है तो जिला कलक्टर उसको सारे को स्वीकृत कर दे और उसमें इस वर्ष जितना काम हो वह काम पूरा हो नहीं तो अगली बार वह काम आगे बढ़े, ऐसी मेरी भावना है।

घास के मामले में आप यह देखिये कि सहाड़ा पंचायत के अन्दर पंचायत समिति की बैठक में गत अकाल का जो घास का अनुदान का एक लाख रूपया डी.आर.डी.ए. ने पंचायत समिति को दिया और पंचायत समिति ने पंचायत को पेमेन्ट कर दिया उसको पेमेन्ट किये हुए आज 8 महीने हो गये लेकिन वह पैसा सरपंच ने निकाल कर अपने काम में लगा लिया। आज तक वो सारे काश्तकार परेशान हैं। उसकी कई शिकायतें हुई। उसके लिए भी मैंने मंत्री महोदय से जब निवेदन किया तो मंत्री महोदय ने यह कहा कि इसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करो और यह पैसा वसूल करो और काश्तकारों को बांटो। तो यह जो हमारा प्रबन्धन खराब हो रहा है इसको ठीक करने की बहुत जरूरत है। मेरा यही कहना है कि घास के अन्दर सबसे बड़ी जो प्राब्लम है, आप जिले पर ठेकेदार नियुक्त कर देते हैं जिला कलक्टर। मेरी गलवा पंचायत की एक महिला सरपंच है। एम.पी. से गाड़ी आई उसको जिला कलक्टर के आदमी कांटे पर गाड़ी को देते हैं, कांटे पर उसने गाड़ी ली है, धर्मकांटे से पर्ची बनी है और वह गाड़ी तहसील में आई, तहसीलदार ने उसको वैरिफाई की है पटवारी के सामने, दस आदमी के सामने वह घास पूर्ण वितरण हुई है। वितरण होने के बाद उस गाड़ी का अनुदान काश्तकार ने आपस में इकट्ठा करके उस गाड़ी वाले को भुगतान कर दिया। ऐसी तीन गाडियां हैं जो गलवा पंचायत की है। उन गाडियों पर अनुदान आज तक नहीं मिला। नहीं मिलने के पीछे जिला कलेक्टर ने यह लिखा कि यह गाडियां जहां से एम.पी. से आई उसकी तौल पर्ची ठीक नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूं, सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस ठेकेदार ने एम.पी. से खरीदी यह कार्यवाही उसके खिलाफ होनी चाहिए जबकि जिला कलक्टर ने यह कार्यवाही क्या कि दोषी सरपंच के

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

...कार्यवाही की जाए। न तो सरपंच वहां एम.पी. गाड़ी तुलवाने गया, न गाड़ी लेने गया। ... के ठेकेदार ने उसको गाड़ी सेल की है, भीलवाड़ा में सेल की है और ... गड़बड़ी की है तो ठेकेदार ने की है तो ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज करके उस महिला सरपंच के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। जब जिला कलक्टर को यह हालात बताये तो जिला कलक्टर ने कहा कि इसमें तो मिस्टेक हो गई। तो मेरा यह निवेदन है कि उन काश्तकारों का पैसा दिया जाए ... वास्तव में ... गाड़ियां बंटी है उसका सत्यापन करवा लिया जाए और ऐसे ... न कराए जाए।

... की ... के ... की जो मैन समस्या है। अभी वर्तमान में मेरे यहां 122 ... के टैंकर चल रहे हैं। पानी के जो टैंकर चल रहे हैं वह कहां से आ रहा है ..., वह उस जगह से आ रहा है जिस गांव में मैं पैदा हुआ ...पुर ... झालरा ... की बावड़ी है.....

... : मिस्टर त्रिवेदी, आप भाषण कन्क्लूड करें।

... कैलाश त्रिवेदी : दो मिनट में करता हूं मैडम। जब हम छोटे थे तब उसमें ... और उसी से पूरा गांव और पूरा इलाका पानी पीता था 10-20 ... वह झालरा बन्द हो गया, पानी नहीं, कुछ नहीं लेकिन पूर्व की जो सरकार थी, उसने उसमें 50,000 रूपये की स्वीकृति दी और उस झालरा बान्ध को ... दिया। ... से यह निवेदन करना चाहता हूं, हम बिसलेरी का पानी ... हैं लेकिन उस झालरा का पानी अगर आप पीयें, बिलकुल ठण्डा पानी है और बिसलेरी का ... है, वह ट्रेडिशनल जल स्रोत हैं, पुरखों का बनाया है, ऐसे जल स्रोत से कम से कम उस इलाके में पूर्व सरकार के समय में 100 तो पुराने ... क्षेत्र में जल स्रोत ठीक हुए और 80-90 कुए तो नये बने हैं, उन्हीं से ... रहा है, उनसे टैंकरों से पानी पिलाया जा रहा है और ... उनका जल स्तर टूट रहा है क्योंकि कोई तो 20 मीटर हैं, कोई 21 मीटर है तो मेरा निवेदन है कि इस बार जो अकाल राहत के काम चले, उसमें एक ... कुए ... कराने का, किसी स्कीम में, किसी पेयजल स्कीम में ... सेंक्शन नहीं निकाले। मेरा यह निवेदन है, अब जो पेयजल की समस्या

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

आने वाली है, सबसे पहले हमको पेयजल की समस्या से निपटने के लिए जितने भी कुए हैं, जो ट्रेडिशनल जल स्रोत हैं उनको हमको ठीक कराना पड़ेगा, उनको गहरा करना पड़ेगा। जितना जल स्तर नीचे जा रहा है, उतना उनको हमें गहरा करना पड़ेगा। इसके दो बेनिफिट हैं। एक हमारे हैण्डपम्प खराब हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ट्यूबवैल में मोटरें फंस जाती है लेकिन कुआ अगर जमाना हो जाये तो बहुत ज्यादा लाभ देगा, जमाना नहीं हुआ तो भी वह लाभ देगा इसलिए आपसे मेरा यह विशेष रूप से आखिरी निवेदन है और, अध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : और कोई बोलना चाहते हैं या जवाब दिलवाया जाये ?

अनेक माननीय सदस्य : बोलना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम है।

श्री दाताराम गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, हम बोलना चाहते हैं।

श्री जुबेर खान : 2-2 मिनट बोलने दीजिये, लिस्ट में सारे नाम हैं उनको अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जितने हाथ आप लोगों ने उठाये हैं यदि उतने लोग बोलेंगे तब तो रात के 12 बजेंगे। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आप 2-2 मिनट रख दें (व्यवधान) 2-2 मिनट दे दीजिये, अपने इलाके की बात कह देंगे सब लोग, दो-दो मिनट।

श्री बाबूलाल नागर : मैं सुबह से बीमार हूं, उसके बाद भी यहां बैठा हुआ हूं। मेरी तबीयत खराब है, उसके बावजूद भी मैं यहां आया हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुनिये, मैं आपको बोलने का अवसर तो दूंगी लेकिन आप दो मिनट के अन्दर अपनी बात समाप्त करें। मुख्य बात पर आइये, दो मिनट में अपनी बात करें।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, अकाल पर अगर टाइम भी लग जाये तो कौनसा फर्क पड़ने वाला है। (व्यवधान) पहले भी एक-एक, दो-दो बजे तक डिबेट चली है।

श्री अध्यक्ष : चेयर आन लैग्स मिस्टर नागर, आसन पैरों पर है। अपना स्थान ग्रहण कर लें।

श्री बाबूलाल नागर : मैं तो अनुरोध कर रहा हूं साहब, मुझे दिख रहा है अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैं दो मिनट का समय आप सब को देने को तैयार हूं। अपनी बात मुख्य रूप से जो आपकी समस्या है, उसे दो मिनट में कह दीजिये और सबको दे देती हूं बोलने का मौका, बाकी तो यदि आप इस तरह से 15-15 मिनट लेंगे तब तो रात के 12 बजे का समय हो जायेगा।

श्री बाबूलाल नागर : पहले वाले भी तो आधा-आधा घण्टे बोले हैं। अभी थोड़ी देर ज्यादा रूक जायेंगे, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) यह क्या बात हो गई।

श्री अध्यक्ष : बात तो करीब-करीब आ गई।

डा. बुलाकीदास कल्ला : 5-5 मिनट में सब अपनी बात कह देंगे अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) पांच मिनट तो दें अध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड : अध्यक्ष महोदय, मैं तो माननीय सदस्यों को यह आश्वस्त करना चाहूंगा, अगर वह लिखकर भी देंगे तो सरकार उनकी लिखी हुई बात पर भी गौर करेगी और उसका प्रत्युत्तर भी देगी। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : अकाल जैसे मामले पर क्या जल्दी है। नहीं, अकाल जैसे मुद्दे के ऊपर यह सरकार सुनना नहीं चाहती। कौनसी इतनी जल्दी है अकाल जैसे मुद्दे के ऊपर (व्यवधान) अकाल की चर्चा पर पहले भी बारह-एक बजे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड : जो माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त नहीं कर सके, वे लिखकर देंगे तो भी उन सबका उत्तर भी दिया जायेगा, उन सुझावों के ऊपर कार्यवाही की जाएगी और इसके अलावा मंत्री महोदय ने कहा है, वह व्यक्तिगत तौर पर उनसे बात भी कर लेंगे, व्यक्तिगत तौर पर आकर भी अपनी बात कह सकते हैं। वे उनके लिए पूरा समय देंगे। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : संसदीय कार्य मंत्रीजी, देखिये, अपने क्षेत्र की बात दो -दो मिनट में सब कह दें, तीन-चार आदमी हैं तो बात खतम हुई, सुबह से बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं दो मिनट के लिए तो अलाऊ कर रही हूं।

श्री जुबेर खान : और माननीय सदस्यों से भी निवेदन है कि वे अपने क्षेत्र की समस्याओं की बात कहें।

श्री हीरालाल (निवाई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 2-2 मिनट का समय सबको बोलने का मौका दिया जाये। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मंत्रीजी, सुनने का हौंसला रखो। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, क्षेत्र की बातें जिन-जिन माननीय सदस्यों की हैं, मैं उनके साथ बैठ लूंगा।

श्री बालूलाल नागर : मंत्रीजी, आप तो मत बैठना, हमारी बात सुन लो हाउस में और मत बैठना।

डा. किरोड़ी लाल : मैं तो सुनूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह आपको सम्मान के साथ चाय भी पिलायेंगे, बात करेंगे।

डा. किरोड़ी लाल : चाय पिलाऊंगा, नाराज क्यों हो रहे हो ?

श्री बाबूलाल नागर : नहीं, मंत्रीजी, आप तो सुन लो खाली।

श्री जुबेर खान : सुबह से माननीय सदस्य बैठे हैं। जब इतनी देर बैठे हैं तो आधा घंटा और बैठ जाओ।

श्री संयम लोढ़ा : अकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, अपने-अपने क्षेत्र के लाखों लोगों की जिन्दगी का सवाल है और पांच मिनट में अगर माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहते हैं, हमको मौका देना चाहिए और विराज कर सुनें यहां पर।

श्री बाबूलाल ॰ ।.र : यह तो महत्वपूर्ण मुद्दा है, हम भी अपने विचार रखेंगे।

श्री संयम ॰ॅद्रा : राजस्थान के इस सर्वोच्च सदन में चर्चा हो रही है, आप बात करने का मौका दीजिये।

श्री कनकमल कटारा : अध्यक्ष महोदय, जो बात हो रही है, वह बातें रिपीट हो रही हैं, जो बातें कह दी हैं, वही बातें रिपीट करते हैं। इसलिए अब समय नहीं लें, टोकाटोकी बीच में नहीं हो, सुझावात्मक रूप में कह दें।

श्री संयम ॰ॅद्रा : आप तो मंत्री बन गये हो तो सुनना भी पसन्द नहीं करेंगे क्या ? (व्यवधान)

श्री अध्य_ा : ॰ नवरतन राजोरिया (अनुपस्थित) श्री नन्दलाल पूनिया।

श्री सांवर ॰ ल : केवल सुनाने के लिए सुना रहे हो।

श्री अध्यक्ष : पुकार तो मैंने नवरतन राजोरिया का नाम है।

श्री नन्द॰ ल पूनि॰ : अध्यक्ष महोदय, आज यहां अकाल के ऊपर.....

श्री हीरालाल (निवाई) : अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान, आज अकाल की स्थिति पर विचार-विमर्श किया माननीय सदस्यों ने और महत्वपूर्ण सुझाव दिये....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दोनों को एक साथ बुला लो।

डा. किरोड़ी ॰ ॰ : दोनों को बोलने दो।

श्री अध्यक्ष : आप एक बार बैठ जायें। श्री हीरालालजी।

श्री हीरालाल (निवाई) : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, अकाल में कच्चा काम नहीं किया जाये जैसे मिट्टी पटकते थे पिछली सरकार के समय में, दूसरा, पानी का जो दोहन हो रहा है, उसमें रोक लगाई जाये। जंगलों की कटाई हो रही है, उस पर रोक लगाई जाये ताकि अकाल ही नहीं पड़े और मेरे विधान सभा क्षेत्र में बरसात कम हुई है, समय से

(श्री हीरालाल)

पूर्व जिन कृषकों ने बीज डाल दिया, वह जल गया है तो उसकी व्यवस्था की जाये और फसल बीमा लागू किया जावे। आपने मुझे टाइम दिया, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। ऐसे बोलिये, इस तरह से बोलिये, जैसे वह बोले हैं, वैसे आप बोलिये। श्री नन्दलाल पूनिया।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में अकाल पर चर्चा हो रही है और इस मुद्दे पर सारा सदन एक मत है और हम सब यह चाहते हैं, हम सब मिलकर इस अकाल का मुकाबला करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की जो समस्या है, सबसे पहली समस्या है पानी की। आज हमारे क्षेत्र का आदमी, जो हरियाणा की सीमा से लगता हुआ है, वहां से टैंकरों से पानी लाता है और एक टैंकर का 400-500 रूपये है, उनको वह वहन करना पड़ता है। आज छह महीने से यह व्यवस्था चल रही है। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और गरीब आदमी 500-500, 600-600 रूपये देकर कब तक टैंकरों से पोसाएगा ? जो गरीब आदमी हैं, जिसके पास ऊंटगाड़ा है, वह कैसे लाएगा ? मैं तो कहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पानी की जरूर व्यवस्था होनी चाहिए। मेरे क्षेत्र में कुछ योजनाएं पानी की हैं, दो-तीन स्कीम हैं। एक तो आपणी योजना है, उसमें भी पूरा पानी नहीं आता है। बुडास-कालोडी स्कीम है, उसमें करीब 10-12 गांव हैं, बिलकुल ही पानी नहीं पहुंचता है और एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जो भलाऊ से लेकर जुठाना पूरण तक, बिजली की लाइन अलग से वाटर वर्क्स लेकर आये हैं, जो आज तक छह महीने से जुड़ी हुई नहीं है। मैं सदन का ध्यान, मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उस योजना से यदि वह लाइन जोड़ दी जाये जो बिलकुल तैयार है, कम्प्लीट है, सारा खर्चा लग गया है, उसमें सिर्फ बिजली के तार जोडने हैं, यदि वह जोड़ दिया जाये तो कम से कम 20-25 गांवों की पीने के पानी की समस्या का हल हो सकता है।

दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या है चारे की, जो चारा हमारे हरियाणा के आसपास था, जो चारा था, पिछली बार हम वहां से कार्टेज करके लेकर आये, वहां भी चारा उपलब्ध नहीं है। और अब जो तूड़ी आएगी वह भी आगे अप्रैल

(श्री नन्दलाल पूनिया)

में आएगी, तब तक हमारा पशुधन बिलकुल खतम हो जाएगा। अब भी कुछ गांवों में हमारी गायें मर रही हैं और यदि इसी प्रकार से गायें मरती रहीं तो काश्तकार का खेती के बाद में कोई साधन है तो वह पशुधन है, उसका पशुधन मर गया तो काश्तकार की रीढ़ टूट जाएगी। मैं तो निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार से कि अभी भी चारे के लिए विशेष प्रबन्ध किया जाये चाहे पंजाब से लाना पड़े चाहे हरियाणा से लाना पड़े, चाहे कहीं से दूसरी जगह से कार्टेज करके लाना पड़े, आपको अभी से चारे का प्रबन्ध कर लेना चाहिए। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, जो मेरी मुख्य समस्या थी मेरे क्षेत्र की, वह मैंने आपके सामने रख दी। इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री नाथूराम अहारी।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अकाल राहत के बारे में बहस चल रही है। अकाल राहत में डूंगरपुर की स्थिति बहुत ही भयंकर है। लोगों ने जून में बरसात हुई थी उससे फसल बोई थी। वह फसल खतम हो गई, बीच में फिर फुहारी आ गई, फिर बोई वह भी खतम हो गई। कई माननीय सदस्यों ने बताया कि अभी सुकाल आ जायेगा, अभी बरसात आ जायेगी उससे सुकाल आ जायेगा, मेरा मानना यह है, मैं भी काश्तकार हूं, अब कितनी भी बरसात आ जाए लेकिन मक्की की फसल नहीं होगी। वह इसलिए नहीं होगी कि मक्की दो-ढाई महीने में पकती है। दो महीने होने को आ गये, वह मक्की कुछ नहीं हुई है। भले ही जिन्दा है तो भी नहीं होनी है। घास जरूर होगी। इसलिए मेरा मानना यह है कि अभी बरसात हो जाए तो कोई सुकाल आ जाएगा, यह सम्भावना नहीं है। हां, यह जरूर है कि जलस्तर कायम हो जाएगा और घास हो जाएगी। इसके अलावा फसल तो होनी नहीं है। हमारे डूंगरपुर में कई परिवार ऐसे भी हैं जिनके घर में दाना नहीं है, दो-दो, तीन-तीन दिन तक खाना नहीं खाते हैं। अभी हवाई पुल बांधते हैं हमारे वीजेपी के साथी लेकिन उससे कुछ नहीं होता, उससे निबटोगे तब पता लगेगा। यह समय बीत जाएगा तब पता लगेगा कि अकाल से कैसे निबटाया जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप अभी से लग जाएंगे और फर्स्ट अगस्त से ही,

(श्री नाथूराम अहारी)

कल से ही काम चालू करने के बारे में कलेक्टर को हिदायत दी जाए और काम कराये जायें तो भी कम हैं, मैं यह समझता हूं। वैसे पहले से ही कर देना चाहिए था। (व्यवधान) आप बीच में नहीं बोलें, आपकी आदत है यह। क्या आदत पड़ गई यह आपकी मंत्री होते हुए भी....

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, थोड़ा तसल्ली से बैठें, बीच में क्यों टोकते हैं।

श्री नाथूराम अहारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो काम चालू करने की बात कर रहे हैं वह मैं समझता हूं कि जल्दी होंगे नहीं। इसलिए कलक्टर को तुरन्त हिदायत दें और गिरदावरी क्या करेंगे, कुछ नहीं है उसमें, घास के अलावा कुछ नहीं है, घास भी बहुत कम है। इसके अलावा काम जो शुरू करें, कई माननीय सदस्यों ने पक्के काम के लिए कहा, पक्के काम से मजदूर नहीं लगते हैं, उसमें मकान के पक्के काम कर सकते हैं, उसके अलावा कोई एनीकट का कर सकते हैं, दस-पन्द्रह-बीस के अलावा नहीं लगते। इसलिए मेरा यह मानना है कि कच्चे काम शुरू करने पड़ेंगे और एनीकट बांधे, नहीं बांधे यों नहीं, लेकिन कच्चे काम शुरू करने पड़ेंगे सड़कों के और तालाबों के तब जाकर के मजदूर लग पाएंगें। और उसकी व्यवस्था जैसे पूर्व सरकार ने की थी, पन्द्रह रोज के अन्दर हर पेमेन्ट करना था, वह जैसे किया, ऐसी आप वयवस्था करेंगे। अभी बिलकुल अनाज के बारे में तो लोगों के पास कुछ नहीं है। मेरे यहां एक मजदूर काम करने आता था, दो दिन तक उसने खाना नहीं खाया। फिर मैंने पूछा कि क्या बात है, ऐसे मरे-मरे कैसे हैं तो लोगों ने बताया कि यह तो घर से वैसे ही चला आता है, खाना तो है नहीं, अनाज है नहीं। फिर मैंने उसको खाने के लिए कहा और एडवान्स में पैसा दिया। तो हालात बहुत खराब है। मैंने कुछ नाम नोट कर रखें हैं पर समय नहीं है इसलिए नहीं बोलता हूं। लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि पक्के काम होने चाहिए। मैं बराबर देख रहा हूं, मुझे पच्चीस साल हो गये लगातार, बराबर देख रहा हूं, लोग गम्भीर नहीं हैं, आपके सदस्य हर समय पूर्व सरकार ने यह किया, पूर्व सरकार ने यह किया, इससे काम नहीं चलेगा। आप काम करिये और लोगों को जिन्दा रखने की कोशिश करें, पशुओं के लिए घास लाने की कोशिश करें, पानी की व्यवस्था करें। आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ः अध्यक्ष : श्री कन्हैया लाल मीणा।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल की विभीषिका को देखते हुए जयपुर जिला एवं पूर्वी राजस्थान में भी भयंकर स्थिति है। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए मेरे क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा कि जो हैण्डपम्प हैं, साठ परसेन्ट हैण्डपम्प पानी का लेवल नीचे चले जाने से सूख गये हैं। एक तो उन जगह पानी के लिए हैण्डपम्प लगाएं जाएं। दूसरा निवेदन है कि चारे की जो कमी है, पहले चालीस रूपये से लेकर पैंतीस रूपये मण था, वर्तमान में 120 रूपये का यह चारा हो गया है। तो निवेदन है कि चारे की व्यवस्था वर्तमान में करना अति आवश्यक है। दूसरा मेरा निवेदन है कि जो अकाल राहत के कार्य चलाये जा रहे हैं उन अकाल राहत कार्यों में जो पुराने कार्य अपूर्ण रह गये हैं, अकाल राहत के तहत जो करवाये गये थे उनको पूरा करवाया जाए। साथ ही उनके ऊपर ग्रेवल रोड, कम से कम छह-छह इंच ग्रेवल रोड करवा कर के उसके ऊपर रोलर चलाया जाए। साथ ही, निवेदन करना चाहूंगा कि जिनकी फसलें पानी की कमी की वजह से, जैसे किसी ने ट्यूबवैल लगा रखा है, आज छह घण्टे बिजली आ रही है, यदि इसको आठ घण्टे कर दी जाए तो मैं कहता हूं कि किसानों को इससे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है और कुछ काश्तकार जिनके कुए हैं, उन लोगों को इससे काफी फायदा हो सकता है। साथ ही निवेदन है कि कम से कम एक काम पर जैसे पहले पच्चीस मजदूरों को लगाया जाता था, सौ मजदूर कम से कम एक गांव में लगाएं तब जाकर उस गांव की कोई व्यवस्था हो सकती है। एक-एक पखवाड़े में सौ आदमी, एक पखवाड़े में लगाएं, सौ आदमी एक पखवाड़े में लगाएं और जिस प्रकार से पिछली बार जैसे अकाल राहत कार्य चला था उसमें बीस व्यक्ति एक काम पर लगाये गये और वहां काफी झगड़ा होता था, गरीबी रेखा में चयनित व्यक्तियों के अलावा भी ऐसे व्यक्ति हैं जो बीपीएल परिवारों से भी ज्यादा गरीब हैं तो उन व्यक्तियों को भी उसका लाभ मिलना चाहिए। साथ ही, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल राहत कार्यों की जो देखभाल लोकल में जैसे सरपंचों के द्वारा आप काम देंगे और सरपंचों को मानीटरिंग करने के लिए जैसे उनका भुगतान करवाया जाए, तहसीलदार के माध्यम से, भुगतान के लिए पंचायतों को आप भुगतान नहीं देकर के वह पैसा

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

आपके तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी वहां बैठकर के सामने मजदूरों को करें, इस प्रकार की व्यवस्था कराई जाए। मैं बस इतना ही कहते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि हैण्डपम्प की और जो पुरानी पेयजल स्कीम्स हैं उनकी मरम्मत करके कम से कम उनकी तो शुरूआत कर दी जाए, यही निवेदन करते हुए मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : मिस्टर रावत।

श्री हरीसिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, आज हमारा देश कृषि प्रधान देश कहलाता है और कृषि प्रधान देश कहलाने के बाद भी आज हमारे भारत की जनता, हमारे देश की जनता एक अन्न के दाने के लिए मोहताज है। कारण क्या है, कारण है आज हमारे देश को स्वतन्त्र हुए 57 साल हुए, 57 साल में पचास साल तक कांग्रेस ने राज किया लेकिन पचास साल में कांग्रेसियों ने क्या किया. भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया, कभी इन्होंने देश के बारे में सोचा नहीं। लेकिन जैसे ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और हमारे तत्कालीन प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयीजी ने नदियों से नदियां जोड़कर यह प्लानिंग किया कि हम पूरे गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पानी पहुंचायेंगे लेकिन जैसे ही हमारी सरकार का परिवर्तन हुआ और वह जो योजना थी उन्होंने ठण्डे बस्ते में रख दी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज अगर हमारे देश को उन्नतशील देश बनाना है तो हमें कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो भ्रष्टाचार पर अपने को नियन्त्रण करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार ही एक सबसे मेन है कि जो अपने देश के विकास की गति को अवरूद्ध कर रहा है। दूसरा है परिवार नियोजन। जब तक परिवार नियोजन पर अगर अपन एकल नहीं हो सकेंगे, देश का विकास सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप अकाल पर बात करते-करते कहां परिवार नियोजन पर चले गये ? बात अकाल की करो ना।

श्री हरीसिंह रावत : तो अध्यक्ष महोदय, आज उसकी जरूरत है, जो अकाल से जूझ रहे हैं, इस अकाल से जूझने का हम एक ही निर्णय, ठोस अगर निणर्य लें तो हम उसका समाधान कर सकते हैं। हमें ऐसे निर्णय लेने

(श्री हरीसिंह रावत)

चाहिए जिससे कि हर आदमी स्वावलम्बी हो, हर पेट को रोटी मिले और हर हाथ को काम मिले। यह तभी सम्भव होगा जब हम कुछ इस तरह के ठोस निर्णय लेकर प्लानिंग करेंगे। वह प्लानिंग कैसे हो। एक जगह राजस्थान में, राजस्थान में जैसे हर जिलेवाइज अपन अलग-अलग विभक्त कर दें कि सपोज करिये उदयपुर जिला है, उदयपुर में जिस चीज की अवेलेबिलिटी है, सपोज करिये वहां पर मार्बल निकलता है या इस टाइप का कोई खनिज निकलता है तो इस टाइप की वहां इण्डस्ट्रीज, छोटे-छोटे गृह उद्योग लगाएं जाए या सपोज करिये जैसलमेर साइड में, तो वहां पर जैसे आज अलग सांस्कृतिक का चलता है तो सांस्कृतिक टाइप की वहां व्यवस्था चालू की जाय तो अपना देश, हर आदमी अपना स्वावलम्बी हो सकता है और विकास की तरफ बढ़ने में कभी किसी तरह की, अभी अकाल पड़ेगा, मैं सोचता हूं कि अगर इस टाइप का हर एरियावाइज अगर काम वहां पर विभक्त करके अगर उसको उन्नत किया जाए या उसी प्रकार उसको एजुकेट किया जाए तो स्वावलम्बी हो सकता है। दूसरा, हमारे जोब ओरिएंटेड एजुकेशन होना चाहिए। जोब ओरिएंटेड एजुकेशन होना आज निहायत जरूरी है क्योंकि हर आदमी तो डाक्टर या इन्जीनियर बन नहीं सकता। जोब ओरिएंटेड से हर आदमी को अपनी-अपनी व्यवस्था करने का मौका मिलेगा, किसकी रूचि किस में है तो उसी रूचि के अनुसार उसको काम दिया जाए, उसकी ट्रेनिंग दी जाए और उसके अलावा जो कुछ परसेन्टेज बचेगा वह डाक्टर या कोई भी इन्जीनियर बन सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक अपन जोब ओरिएंटेड एजुकेशन नहीं करेंगे तब तक हमारे देश की उन्नति सम्भव नहीं है। अब ज्यादा तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं बहुत कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन समय का अभाव है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मेरे एरिया में जो पानी की समस्या है उस पानी की समस्या के निदान के लिए जल्दी से जल्दी जो भी निर्णय हो करें इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिन्द। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : मि. मांगीलाल गरासिया।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, आज विशेष तौर से अकाल की भयंकर परिस्थिति पर पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य अपनी बात रख रहे हैं मैं भी अपनी बात इसमें सम्मिलित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि इस अकाल के लिए राजपत्र जारी करने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं कि पूरा ही जो कृषि प्रधान देश होने के नाते पूरा कृषि पर ही सभी आश्रित रहते हैं और मैं मानता हूं कि यह अकाल विगत टाइम 1987-88 के अकाल से भी बहुत भयंकर अकाल है चारे की, पानी की और विशेष तौर से अनाज की तकलीफ हर गांव, ढाणी और मजरे में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत पुराना अनुभव है पर मैं निवेदन करूंगा कि गत टाइम में 4 करोड़ 48 लाख लोगों को जो अकाल से प्रभावित हुए थे और इस बार मैं मानता हूं कि 5 करोड़ लगभग लोग अकाल से प्रभावित होंगे इसमें कोई दो राय नहीं है और गत टाइम पर जिस तरह से 40.990 गांव जो अकाल से अभावग्रस्त थे तो मुझे लग रहा है कि इस बार 45 हजार गांव लगभग अकाल से प्रभावित होंगे। इसका प्रबन्ध और सुव्यवस्था करना सभी का दायित्व है और मैं मानता हूं कि चारे की समस्याएं गत टाइम पर भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी और जो गांव और ढाणियों में पशु भी कई लोग छोड़ कर चले जाते थे और कई लोगों को पलायन करना पड़ता था ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी था चारा डिपो को प्राथमिकता मिले और उसमें स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से और ग्राम पंचायतों के माध्यम से, दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से भी प्राथमिकता मिलती थी पर मैं निवेदन करूंगा कि वन सुरक्षा समितियों को भी इसमें प्राथमिकता से जोड़ना चाहिए जो विस्तृत रूप से वन विभाग के प्रबन्ध की व्यवस्था करने में काम करती है यही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी की समस्या में जो पुरानी बावडियां हैं, हैण्डपम्प हैं और विशेष तौर से ऐसे गांव और ढाणियां जो रोड़ों से वंचित रह रहे हैं उनमें कई लोगों की तकलीफ है। वो लोग 5-5 किलोमीटर से पानी लाने का काम करते हैं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ज्वलन्त उदाहरण देना चाहूंगा कोटड़ा और गोगुन्दा का। कोटड़ा और गोगुन्दा में 5-6 किलोमीटर से लोग माथे पर पानी लाने का काम करते हैं एवं नदियों में बैरी खोद करके फिर वहां पानी लाने का काम करते हैं और वो भी अशुद्ध पानी हुआ करता है उससे कई तरह की बीमारियां पैदा होने की सम्भावना

(श्री मांगीलाल गरासिया)

बनती है। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्रीजी से ऐसे गांव और ढाणी और दूरदराज के क्षेत्रों में वहां पर जो सार्वजनिक कूपों को प्राथमिकता देकर के उस गांव और ढाणी और मजरे को पानी की सुविधा से जोड़ने का आह्वान करने का कष्ट करें। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से थोड़ा निवेदन करूं जो टैंकर बन्द कर दिये गये हैं मेहरबानी करके उन टैंकरों को वापस चालू कर दिया जाए जिससे पानी की समस्या उन लोगों की दूर हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है इस बार में सबसे ज्यादा दिक्कत.....।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय सदस्य, पूरे राजस्थान में हमने टैंकरों से परिवहन है उसके 31 अगस्त तक के आदेश कर दिये।

श्री मांगीलाल गरासिया : बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय, मेरा निवेदन है दूसरा कि इस बार में जो लक्ष्य विशेष रूप से बुआई को लेकर के और यहां तक बुआई में कई तरह की तकलीफें हमारे लोगों को हुई बुआई तो कर दी परन्तु समय पर बारिश नहीं होने से पूरी से पूरी फसलें चोपट हो गयीं और फसलों में दिक्कत आयी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसके कारण 128.98 जो लक्ष्य लाख हैक्टेयर में था वो केवल 44.74 हैक्टेयर तक ही रह गया है इससे बुआई में जो गणित बिगड़ी है इससे बहुत बड़ा प्रभाव हमारे काश्तकारों पर पड़ेगा और आने वाले टाइम में बहुत दिक्कतें हमें अनाज के रूप में होंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा निवेदन है हमारे विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में जो पानी से सुखेर डेम से पानी जोड़ने का मामला.....।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मंत्रीगण बार-बार हूट कर रहे हैं यह अशोभनीय बात है 3-4 बार तो इनको हो गया माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और ये बार-बार टप-टप कर रहे हैं आपकी उपस्थिति में माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री मांगीलाल गरासिया : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो महत्वपूर्ण मामला है उसमें मैं

(श्री मांगीलाल गरासिया)

थोड़ा निवेदन करूंगा क्योंकि सुखेर डेम जो 12-14 गांव जुड़ते हैं और सुखेर डेम गत टाइम पर 5 करोड़ के प्रोजेक्ट से...

श्री अध्यक्ष : आप 6 मिनट ले चुके हैं 6 मिनट हो गये बोलते आपको।

श्री मांगीलाल गरासिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में बात को खतम कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक सुखेर डेम से गोगुन्दा को पानी पिलाने का मामला है उसमें मेरा निवेदन है कि बीच में जो 14 गांव जुड़ते हैं उन 14 गांवों में यदि ये परियोजना शुरू नहीं हो जाती तब उन लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा इसलिए मेरा निवेदन है कि सुखेर से गोगुन्दा को पानी पिलाने के साथ में बड़गांव को भी, जो परियोजना बनी है, उसको भी क्रियान्विति करके इन्हें पूर्ण कराने का काम करावें। दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां काश्तकारों का मामला है और काश्तकारों के मामले में एस.डी.ओ. कोर्ट जो सहायक न्यायालय एवं सहायक कलक्टर का मुख्यालय है गोगुन्दा में पद स्वीकृत करने के बाद में भी अभी मुख्यालय उदयपुर में है इसलिए मेरा निवेदन है कि एस.डी.ओ. कार्यालय उनका मुख्यालय गोगुन्दा हो तब जाकर के सही तरीके से अकाल का संचालन और अन्य भी काम होगा। इसी तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से नायब तहसीलदार का पद सायरा में सृजित है जबकि गोगुन्दा में काम कर रहा है इसलिए मेरा निवेदन है कि इसे भी वहां न्यायालय के रूप में और विशेष तौर से नायब तहसीलदार का मुख्यालय सायरा करवाने का कष्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल बंशीवाल। (अनुपस्थित)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल। (व्यवधान) अब आपको बुलवा दूंगी इनको बोल लेने दो उनके बाद आपको।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पहले था। नाथूसिंहजी आसन पर थे तब मैं देख कर आया था पता नहीं कहां गायब हो गया है।

(श्री बाबूलाल नागर)

नाथूसिंहजी बैठे थे तब मैं देख कर आया था तीन के नीचे थे और 5-6 बोल लिये वो कहां बीच में गायब हो गया ?

श्री अध्य_ाा : आपको भी दूंगी मौका।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की सूखे की समस्या पर चर्चा के दौरान मैं विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के प्रतिनिधि के नाते ये निवदेन करना चाहता हूं कि बीकानेर जिले और बीकानेर जिले का ग्रामीण क्षेत्र विशे कर क्षेत्र लूणकरणसर हर समय जब कभी भी परिस्थितियों में मानसून अगर मेहरबान नहीं होता तो सबसे पहले अकाल की छाया वहां पर मंडराती है। पूर्व में जो अकाल की स्थितियां वहां पर रहीं उनमें मैं विस्तार से नहीं जाते हुए वर्तमान समय में यही निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचित इलाके के अन्दर चूंकि पानी की कमी है उसके चलते निश्चित रूप से वहां पर किसी भी प्रकार की उपज किसान को प्राप्त नहीं हो पायी है। जो किसान ढाण्यिों में अपने खेतों में ढाणी बना करके निवास करता था उसका पलायन पूर्व से जारी है और वर्तमान हालात में उसको निश्चित रूप से वहां पर शत प्रतिशत पलायन करना जरूरी उसके लिए हो जाएगा। इसी के चलते चूंकि आज खेती के साथ-साथ दूसरा आजीविका का कोई साधन आम किसान का है तो वो पशुपालन है। आज पशुओं को बचाने के लिए आम पशुपालक के सामर्थ्य से बाहर की स्थिति हो चुकी है चूंकि चारे के भाव जिस गति से पिछले दिनों में बढ़े हैं और लगभग तीन गुना से ज्यादा दाम हो चुके हैं इसका दूसरा पक्ष और है कि पिछले समय में वर्ष 2001-2002 में जो अकाल की स्थितियां रही थीं उस समय तत्कालीन सरकार द्वारा जो भी प्रयास किये गये थे आम जन को और पशुओं को बचाने के लिये उन प्रयासों का सहारा था पास के राज्यों में स्थिति बेहतर होना। आज चूंकि पूरे देश के हालात लगभग एक जैसे हो रहे हैं, स्थान-स्थान पर अन्य राज्यों में भी किसान परेशान होकर आत्म हत्याएं तक कर रहे हैं ऐसी स्थिति में यहां हमारे हालात बहुत ज्यादा विकट हो जाते हैं। इसलिए मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान समय में हम चारे का प्रबन्ध और अनाज का प्रबन्ध जिस बेहतर तरीके से कर पाएंगे वहीं हमारे यहां के आमजन को बचाने में सहायक हो सकेगा। बार-बार यह

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

बात आती रही है, आज सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों के जो विचार आये वह भी यही रहे कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में यह कमियां रही। मैं निवेदन करना चाहता हूं चूंकि आप सबने उन परिस्थितियों को बहुत नजदीक से देखा है। अकाल राहत के प्रबन्धन में जो कमियां रही उन कमियों को आप दूर करके और बेहतर अकाल प्रबन्धन करें जिससे कि आम जन को हम ज्यादा बेहतर तरीके से सुविधा उपलब्ध करा सकें, यह मेरा निवेदन है।

इसी के साथ-साथ, एक दूसरा पक्ष और है क्योंकि यह पशु पालन प्रधान क्षेत्र है, गत समय में दो बार दूध का क्रय मूल्य कम कर दिया गया है जो कि पशु पालक के साथ अन्याय है। इसी के साथ-साथ जो केटल फीड प्रोवाइड कराया जाता है उसकी कीमत बढ़ा दी गई है। आज के हालात को देखते हुए हमें ज्यादा सम्वेदनशील होते हुए इन बातों की तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यही निवेदन करते हुए आपने जो मुझे समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री दाताराम।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बार जो अकाल पर चर्चा हो रही है अकाल तो राजस्थान में पिछले 24 साल से देखा जाए तो 2 बार ही ऐसा समय आया है जब अकाल नहीं पड़ा। दो वर्ष 1983-84 और 2003-04 में 3-3 जिलों में अकाल पड़ा है बाकी करीब-करीब 10 से अधिक जिलों में अकाल रहा है लेकिन इस बार पहला समय है कि इसको अकाल नहीं कहा जा सकता, इसको सूखा कहा जा सकता है। किसानों की फसल की बुआई ही नहीं हो पाई है। आज तक जो भी अकाल पड़ा है उसमें या तो फसल चौपट हो गई या एक बार बरसात होने के बाद दुबारा पानी की कमी के कारण फसल चौपट हुई है लेकिन यह पहला समय ऐसा आया है जिसमें समय पर बरसात हुई नहीं है और किसानों की फसल की जुताई नहीं की गई है। इसलिए इसमें ज्यादा विकट समस्या आएगी वह पीने के पानी की आएगी और अकाल के प्रबन्धन में तो वैसे पिछली सरकार ने भी प्रबन्धन का खूब कहा कि अकाल का अच्छा प्रबन्ध हुआ है लेकिन अकाल का प्रबन्ध कम हुआ और मीडिया का प्रबन्ध अधिक रहा, यह देखने में आया था। मोस्टली अखबारों

(श्री दाताराम गुर्जर)

में देखा गया था कि मीडिया के माध्यम से तो खूब प्रचार प्रसार किया गया था कि अकाल में यह किया जा रहा है लेकिन आज तक कई ऐसे मजदूर मिलेंगे जिनका भुगतान नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सहायता मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल प्रबन्धन के दौरान इस प्रकार की मोनेटरिंग होनी चाहिये कि जो मजदूर अपनी मजदूरी कर जाए और उसके बाद में उसको उसका हक नहीं मिले, ऐसा नहीं हो। एक तो सबसे बड़ा मैं आपको यह सुझाव दे रहा हूं।

पानी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि पानी के लिए जहां हैण्डपम्पों से आज तक व्यवस्था की गई थी आज जल स्तर इतना नीचे चला गया है कि हैण्डपम्पों से पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से बैठ नहीं सकती। इस अकाल की स्थिति को देखते हुए और आज तक पी.एम. अनाउन्स में जो 10 परसेन्ट कोटा विधायक कोष से देकर हम हैण्डपम्प लगाते थे उसकी बजाय चाहे उसको साढ़े चार सौ, पांच सौ फीट तक का ही करे लेकिन उसमें सिंगल फेस की मोटर डाल दी जाए तो कम से कम गांव में 3-4 जगह हम ऐसी स्कीम बना दें तो उस गांव में पीने के पानी की सुचारू व्यवस्था हो सकती है। जहां टैंकरों की सप्लाई की जा रही है, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि 31 अगस्त तक इसको हमने बढ़ा दिया है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि 31 अगस्त तक बढ़ाओ चाहे कभी तक बढ़ाओ टैंकरों से सम्पूर्ण व्यवस्था नहीं हो सकती। इसलिए इस अकाल की दृष्टि को और पानी की कमी को देखते हुए आपको इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वह व्यवस्था अकाल के दौरान हो और सम्पूर्ण समय में वहां के लोगों के काम आए। इस अकाल की मार किसान पर ज्यादा पड़ती है। मजदूरी करने वाला चाहे किसी भी वर्ग का आदमी हो लेकिन वह मजदूरी हर समय करता रहता है और उसको मजदूरी मिलती भी है। आज सरकार द्वारा मजदूरी की स्कीम अकाल मे नहीं हो लेकिन मजदूरी के कार्य करीब-करीब सब जगह चल रहे हैं चाहे किसी भी विभाग में देखो। किसान के पास सबसे बडी दिक्कत आती है कि वह मजदूरी पर भी नहीं जाता और अपने कुओं में उसके पास इतना पानी होता है कि फसल की जुताई हो जाती है, बिजाई हो जाती है लेकिन उसके बाद पानी की कमी आ जाती है।

(श्री दाताराम गुर्जर)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों को इस अकाल में विशेष सहायता दी जाए। जहां कुओं में पानी सूख गया है अगर कोई किसान कुएं को गहरा कराना चाहे तो उसको गहराई के लिए सहायता दी जानी चाहिए। अगर किसी किसान ने बोरिंग खुदवाई है तो उसको बोरिंग कराने के लिए कुछ सहायता दी जानी चाहिए। और अगर वह शिफ्ट करना चाहता है अपने बिजली का कनेक्शन तो उसमें उसको सहायता दी जानी चाहिये। इस प्रकार की सहायता अगर निश्चित रूप से सरकार देगी तो पीने के पानी के साथ-साथ किसानों के खाने का प्रबन्ध भी हो सकता है। इसमें यही होगा पूरी फसल की जुताई बुआई नहीं हो सकती लेकिन वह अपने पशुओं के लिए तो कुछ व्यवस्था कर लेगा, खाने के लिये बीघा-दो बीघा की जुताई करके अपने परिवार का और कम से कम इतना प्रबन्ध हो जाएंगा कि कोई अड़ोसी-पड़ोसी को भी समय पर उपलब्ध हो जाएं। इसलिए आपके माध्यम से मेरे तो यह दो तीन सुझाव हैं कि पानी की व्यवस्था सबसे जरूरी है और पशुओं के चारे की व्यवस्था जरूरी है। पिछली सरकार की तरह नहीं हो जाए चारा पंजाब ने भेजा नि:शुल्क, हरियाणा ने भेजा नि:शुल्क और समय पर पहुंचा नहीं और बिचौलियों ने उसको न जाने कहां पर बेचा और क्या किया। इसलिए इस बार ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए कि जो सरकार व्यवस्था करे उसकी मोनेटरिंग होना जरूरी है। आपने जो समय दिया उसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री बाबूलाल नागर।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के लोग पिछले 5 वर्ष का अधिकतर लेखा जोखा करते रहे। मैं समय की सीमा को तो समझता हूं लेकिन अकाल जैसे मामले में....

श्री अध्यक्ष : .....लेकिन पालन नहीं करूंगा, यही मतलब है ?

श्री बाबूलाल नागर : समझता हूं।

श्री अध्यक्ष : समझता हूं, पालन नहीं करूंगा।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा कि पालन नहीं करूंगा। सीमा को समझता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं मुझे याद है मेरे विधान सभा क्षेत्र दूदू में 1962 में जब आपका यह फेमिन कोर्ट बना 5-6 साल ऐसे बचे जिसमें अकाल नहीं आया। हर साल अकाल पड़ा और जबरदस्त अकाल पड़ा। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इसी हाउस में मुझे याद है उस समय प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय महामहिम भैरोंसिंहजी शेखावत ने एक बात कही थी कि राजस्थान के अकाल के कार्यों में भ्रष्टाचार चल रहा है, पक्षपात चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं कोई उस बात को बहस का मुद्दा नहीं बनाना चाहता हूं। माननीय भैरोंसिंहजी मेरे विधान सभा क्षेत्र की 16 ग्राम पंचायतों में गये। अध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले में जबरदस्त अकाल के काम शुरू थे। सबसे ज्यादा काम दूदू में था और अकाल भी दूदू में था। मैं इस बात को कह सकता हूं पिछली सरकार ने एक-एक महीने में 15 दिन में एक मस्टररोल देते थे 52-62 हजार श्रमिकों को एक-एक महीने में मेरे विधान सभा क्षेत्र में रोजगार दिया है। 15 पंचायतों में उन्होंने विजिट की उससे एक दिन पहले उन्होंने बयान दिया, अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है एक भी जगह उन्होंने इस बात की चर्चा नहीं की..... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दो मिनट बोलने के लिये दिये हैं, होश में बोलो उप राष्ट्रपति बन गये वह।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय अंशुमान सिंहजी ने, मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं सत्ता पक्ष के हर व्यक्ति ने हमारे पांच साल के अकाल की चर्चा की है तो यह कहना मेरा कर्तव्य बनता है, अंशुमान सिंहजी मेरे विधान सभा क्षेत्र में गये, अध्यक्ष महोदय, बिना बताये गये। जिला कलक्टर को भी अपने घर पर बुलाया और उनको यह जानकारी नहीं कि आज महामहिम राज्यपाल महोदय कहां जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने चार जगह विजिट करी और शायद हिन्दुस्तान में पहला ऐसा मौका होगा कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने श्रमिकों को लाइन में लगाकर उनकी मस्टररोल पर हाजिरी बोली। अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है एक भी जगह एक भी श्रमिक अनुपस्थित नहीं पाया गया, एक भी जगह कहीं फर्जी मस्टररोल नहीं भरे गये।

श्री धर्मपाल चौधरी : ऐसा है, अखबार वाले बैठे हैं यहां पर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वर्तमान की बात करो, अतीत की बात मत करो। वर्तमान की बात करो। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : अखबार वालों की बात कर रहा हूं। जितने अखबार वाले बैठे हैं उनमें से अधिकतर उस वक्त में साथ थे वह मैं और बता दूं आपको। मैं आपसे ज्यादा जानता हूं उनको। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप अपना टाइम ही खतम कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आपको समय दिया किसके लिए.... (व्यवधान) कुछ भी ज्यादा नहीं जानते हो। (व्यवधान) आपने तो कांग्रेसीकरण किया सिर्फ, कोई काम किया ही नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वर्तमान में आओ, ओनली 4 मिनिट्स। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : केन्द्रीय कृषि मंत्री नीतिश कुमारजी जयपुर जिले के कामों को देखने आये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप अपना समय अतीत में खो देंगे, वर्तमान में आ जाइये। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, मैं बीमार आदमी हूं। आपसे प्रोटेक्शन चाहता हूं। बिस्तर से उठकर आया हूं। मैं सिर्फ, अकाल है मेरे एरिया में और जब अकाल है इसलिये मैं यहां हाजिर हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय कृषि मंत्री नीतिश कुमारजी ने मेरे यहां विजिट की और मुझे खुशी है....

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा अतीत से वर्तमान में आइये, अब। (व्यवधान) समय खो रहे हैं अपना।

श्री बाबूलाल नागर : तो जब वे यहां से विजिट करके गये उसी दिन प्रेस वालों से उन्होंने वार्ता की। और यह फ्रन्ट पेज पर छपा कि राजस्थान के अकाल प्रबन्ध पूरे हिन्दुस्तान में सबसे बेहतर प्रबन्ध है। अध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री बाबूलाल नागर)

आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं। सत्तापक्ष के लोगों को।

श्री धर्मपाल चौधरी : यह अकाल की फोटो रख रखी है ना इसलिये उधर हो। 156 से 56 इसलिए हो। अकाल पर मत उछलो ज्यादा।

श्री बाबूलाल नागर : बहुत दिन हो गये, कई माननीय सदस्य, जो पिछली विधान सभा में मौजूद थे, हर बार..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य, बोलने दीजिए। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : साहब, दो मिनट दिये हैं, यह क्या फालतू में..... (व्यवधान) कहना क्या है, कह क्या रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोलने दीजिए उनको। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : धर्मपालजी, विराजें, आप जरा सुन तो लें। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : जो आज का टापिक है.....

श्री अध्यक्ष : अब वे खतम करने वाले नहीं हैं, इसलिये बोलने दीजिए उन्हें.

श्री बाबूलाल नागर : हर बार पूरे 5 साल तक एक बात बोलते रहे, अध्यक्ष महोदय, पूरे 5 साल तक एक बात बोलते रहे कि यह भीख का टोकरा मैं कहना चाहता हूं अकाल राहत मंत्रीजी मेरे पास प्रोसीडिंग्स हैं कम से कम 5 सौ बार आपने भीख का टोकरा कहा था, राजस्थान में कांग्रेस सरकार को और मैं तो कहना चाहता हूं आप इस भीख के टोकरे को लेकर जाएं। हम सब राजस्थान की जनता के लिऐ आपके साथ हैं। आपको किसी तरह की कमी नहीं आने देंगे और मुझे खुशी है, आज अकाल पर चर्चा हो रही है, भारत के प्रधान मंत्रीजी ने एक सप्ताह पहले चिन्ता व्यक्त कर दी कि जहां-जहां अकाल है वहां पूरी हम व्यवस्था करेंगे और दिल्ली से केन्द्रीय टीम आज जब राजस्थान में आ गयी और जायजा लेकर गयी तब इस सरकार की आंख खुली

(श्री बाबूलाल नागर)

है। मैं तो आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हुआ।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में दो मिनट में कनक्लूड करता हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं। एक हमारा कालख बान्ध है, अध्यक्ष महोदय, 5-6 विधान सभा क्षेत्रों में.....

श्री अध्यक्ष : आपने 8.46 पर बोलना शुरू किया था। अब आप एक मिनट में बात कीजिए। आपने 7 मिनट ले लिये हैं। 7 मिनट हो गये हैं आपको।

श्री बाबूलाल नागर : दो मिनट में खतम करता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, एक मिनट, नो, नो। वन मिनट।

श्री बाबूलाल नागर : अब क्या हुआ, कालख बान्ध है, चौमूं विधान सभा, फुलेरा विधान सभा, कुछ हिस्सा सांगानेर विधान सभा, फागी विधान सभा, दूदू विधान सभा, मालपुरा विधान सभा 6-7 विधान सभा क्षेत्र की सिंचाई करता था। 1982 में कुछ राजनीतिक लोगों को कुछ अधिकारियों ने जमीन आबंटित करवा दी, फार्म हाऊस करवा दिये। उसकी वजह से बांडी नदी जो चौमूं से आती है, उसकी आवक रूक गयी और कालख बान्ध में कोई भी पानी नहीं आता है। मैं यह चाहता हूं क्योंकि यह एक विधान सभा का मामला नहीं है। अगर एक विधान सभा का मामला होता तो मैं अकाल राहत में काम शुरू करवा देता। जिला स्तर पर मैं चाहता हूं सरकार यह तय करे इस काम को युद्ध स्तर पर ले और जहां-जहां भी जिस-जिस का एरिया पड़ता है, जिस विधान सभा क्षेत्र का, इस कालख बान्ध की जो आवक है, बांडी नदी का जो पेटा है, और कहीं जरूरत पड़े, कहीं फार्म हाउस की दीवार तोड़नी पड़े तो मैं समझता हूं दृढ इच्छा शक्ति करके, क्योंकि उन्होंने फार्म हाउस खरीदे नहीं हैं। मैं गिना सकता हूं किन-किन राजनीतिक नेताओं ने जमीन आबंटित करायी है, किन-किन अधिकारियों ने जमीन आबंटित करायी है। पर मैं इतना जरूर चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय कि उन दीवारों को तोड़ें तो कालख बान्ध में पानी आयेगा।

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें। समाप्त करें। स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण कर लीजिए अब।

श्री बाबूलाल नागर : मैं तो सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण करें, कृपा करके।

श्री बाबूलाल नागर : मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूं। एक मेरे माननीय सदस्य ने यह अखबार दिखाया है जिसमें वसुन्धराजी ने ढोकला ले रखा है। इसमें हम आपके साथ हैं। आप चिन्ता मत करो और हम आपको विश्वास देते हैं कि कांग्रेस के सदस्य, उस समय तो आप टोकरा लेने की बात कर रहे थे.... (व्यवधान) हम आपको विश्वास देते हैं हम आपके साथ इस मामले में हैं लेकिन राजस्थान में अकाल की आप व्यवस्था करें। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : यह टोकरा तो आपने ले रखा था। यहां पर..... (व्यवधान) यहां पर लेकर रहेंगे। टोकरा लेकर नहीं रहे, वह तो भिखारी का टोकरा आप ही लेकर डोल रहे थे कि हमको पैसा मिला नहीं.....अकाल का सारा पैसा..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री गौतम लाल मीणा।

श्री गौतम लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, अकाल के विषय में मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात कहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 18 पंचायतों में 88 गांव अभावग्रस्त हैं। पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर 42 गांव अकालग्रस्त घोषित किये गये हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी व माननीय मंत्रीजी का हार्दिक आभार। 5 हजार लेबर वर्तमान में काम कर रही है। साथ ही जिस गांव में पानी की समस्या थी वहां पर हर गांव में टैंकर लगा दिये गये और स्वजलधारा में 85 हैण्डपम्प और अन्य योजना में जिला कलक्टर ने 41 गांव, एवं स्कूल में 75, सौ दिन में 190 हैण्डपम्प खोदे गये और किसी प्रकार की इस वक्त में पानी की समस्या जो है, अभी आज समाचार मिले हैं कि धरियाबद में बहुत भारी वर्षा हुई है इसलिये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, अकाल पर अभी जो 5 हजार लेबर काम कर रही है तो पूर्व में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य कह रहे थे कि अच्छा प्रबन्धन था। वहां पर 5 हजार लेबर स्वीकृत होती फर्स्ट में तो एक महीने में 3 पखवाड़े करते तो उनको गिनते 15

(श्री गौतम लाल मीणा)

हजार लेबर काम कर रही है। तो एक हजार को 3 हजार में गिनते थे। इस तरह ऐसा कोई प्रबन्धन नहीं था। जितने हमने धरने-प्रदर्शन अशोक गहलोत जी की सरकार में दिये, शायद पहले कभी नहीं दिये होंगे। साथ ही पूर्व की भारतीय जनता पार्टी के शासन में सन् 1995 से 2000 तक मैं प्रधान था, उस समय भी हमने अकाल में काम किये तो पक्के एनीकट बनवाये थे, पुलिस के थाने बनवाये थे, स्कूल के कमरे बनवाये थे। उस समय के अधूरे एनीकट के काम अधूरे पड़े हैं। इतना राजनीतिक भेदभाव किया उस पर एक भी ईंट नहीं लगायी। जहां तक ये एस.सी., एस.टी. की बात करते हैं उस टाइम जनजाति मंत्री नन्दलालजी मीणा थे, जिन्होंने मीणा समाज के नाम से एक सामुदायिक भवन स्वीकृत किया उसके ऊपर 2 लाख रूपये का काम अधूरा रह गया। किसी सांसद और विधायक ने एक फूटी कौड़ी भी नहीं लगायी। तब पक्के काम हुए और अच्छे काम हुए। इस सरकार ने सिर्फ धूल डालने का काम किया और फर्जीवाड़े के लिऐ कहने की जरूरत नहीं है। हमने धरना दिया तो वहां पर सारे अधिकारी और मंत्री, मंत्री महोदय ने जब वह भीलवाड़ा की बात हो रही थी तो तुरन्त कलक्टर को आदेश दिया और वहां पर मजदूर सही किये। लेकिन हमारे वहां तो कोई सुनता भी नहीं। दुनिया भर का भ्रष्टाचार करते हैं, सारे मिलीभगत से। मैं तो इस वक्त में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अभी माननीय सदस्य ने कहा था, भीख का कटोरा लेकर आप भी जाओ दिल्ली, तो हम भी आयेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसमें एक शेर सुनाऊंगा-

"कभी घण्ट तो कभी गोविन्द बजे, बात ने माने जब्बर की

जिसको न भरोसा हो उस पर, जो आस करे अकबर की।"

श्री अध्यक्ष : सब तो बोल लिये करीब-करीब। श्री बंशीलालजी, आप बोलेंगे। नहीं बोल रहे हैं वे।

श्री बंशीलाल खटीक : दो मिनट में। 58 हो रहे हैं, 60 पर समाप्त।

श्री अध्यक्ष : हां, बोलिये, 2 मिनट।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमंद) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। बिना भूमिका के मैं

(श्री बंशीलाल खटीक)

चन्द सुझाव देना चाहूंगा। राजसमन्द जिला अकाल की चपेट में है और उस अकाल की चपेट में राजसमन्द जिला है और राजसमन्द जिले में 4 विधायक हैं। भले ही नाथद्वारा से कांग्रेस के हैं तो भी वह हमारी है, मैं उनका समर्थन करता हूं कि वहां भी अकाल के काम खोले जाने चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम कभी ऐसा नहीं करते, अकाल की राजनीति नहीं करते और इसमें तो भगवान भी नाराज होता है, किसी गरीब के ऊपर किसी गरीब का निवाला छुड़वाकर, यह हमारी, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कभी नहीं रही है, न रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे चन्द सुझाव हैं। हमारी सरकार बहुत ही सजग है अकाल के प्रति और सभी काम होंगे, अकाल राहत के काम होंगे। कुएं बावड़ियों के काम होंगे।

मिट्टी के काम होंगे। पक्के काम होंगे पर, अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है कि यह सरकारी काम के साथ-साथ में यदि विधायक अपने इस पद का सदुपयोग करके अपने दिमाग लगाकर हमारे वहां के जो क्षेत्रीय रहने वाले जो राज्य से बाहर हमारे उद्यमी हैं, उन उद्यमियों से निवेदन करें। एक सूची बनाएं और सूची बनाकर पत्र के द्वारा उनको निवेदन करें कि आज हमारा राजस्थान, हमारा क्षेत्र अकाल की चपेट में है। आप भी वहां के निवासी हैं। आपका भी एक हक बनता है, सहयोग करें तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई हमारा राजस्थान का व्यक्ति जो बाहर व्यवसाय करता है, कभी मना नहीं करेगा और वह अपनी वहां टीम बनाकर जरूर कोई न कोई चारे के लिए, अनाज के लिए, पानी के लिए कोई न कोई सहयोग करेगा।

अध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने नहीं दिया, वह एक मिनट भी।

अध्यक्ष महोदय : श्री भरतसिंह।

श्री भरत सिंह (सांगोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं तो एक ही व्यवस्था चाहूंगा कि मैं हाड़ौती सम्भाग से आता हूं और वहां की पृष्ठभूमि अकाल की नहीं है। पिछले कुछ सालों से हालात पलटे हैं और हाड़ौती में भी जहां नदी नहरों का इलाका है, अकाल की स्थिति पैदा हो गयी

(श्री भरत सिंह)

है। अध्यक्षजी, आपके माध्यम से मेरा तो एक ही सुझाव है कि मुझे कहना तो बहुत कुछ है लेकिन आप जो राहत मंत्री हैं, उनको, वन मंत्रीजी को, पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी को, सम्भागीय स्तर पर भेजें और वे वहां पर प्रधानों की और वहां के जिला प्रमुखों की और क्षेत्र के विधायक की वहां बैठक लें ताकि उस सम्भाग की जो चर्चा है, उसके बारे में बात उस बैठक में की जा सके और अगर यह मंत्रीजी बात का आश्वासन देंगे तो मुझे फिर उस सम्भाग के बारे में इस पूरे सदन का टाइम लेने की आवश्यकता नहीं है, एक चीज।

दूसरी चीज, माननीय, एक मंत्रीजी ने यह सुझाव दिया कि आप लिखित में प्रस्ताव भेज दें, हम जवाब देंगे। मैं आपके पास लिखित में प्रस्ताव जरूर भेजूंगा मगर मुझे एक बात जो अजीब लगती है कि मंत्रीजी को अगर कोई विधायक पत्र लिखे तो उसका जवाब तो आपको ऐसे भी देना चाहिए। दुर्भाग्य से स्थिति यह है कि हम जो पत्र लिखते हैं उनके जवाब नहीं मिलते हैं और आप जब पधारें इलाके के अन्दर तो आपके विभाग के सैक्रेटरीज को भी लेकर पधारें। हो यह रहा है कि मंत्री लोग आते हैं, क्षेत्र का दौरा भी करते हैं मगर अपने सम्भाग के जो हैं, उसके जो अपनी पार्टी के एम.एल.एज. हैं, उनसे ही मिलकर रह जाते हैं और जो सैक्रेटरी आते हैं उनकी अखबारों में सूचना मिलती है कि अमुक सैक्रेटरी वहां पर आ गया। अगर आप राजस्थान के अकाल का चिन्तन करना चाहते हैं तो उनकी सूचना भी वहां के जन-प्रतिनिधियों को, प्रधानों को इस बात की जानकारी हो और उनके लिए वे निश्चित समय निकाले और वहां पर उसकी व्यवस्था हो कि वे अपनी कठिनाइयों की वहां चर्चा करें, इस प्रकार की आप व्यवस्था करेंगे तो निश्चित रूप से अकाल का सुचारू रूप से मुकाबला करने में बल मिलेगा। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि जब आप कार्यक्रम तय करें और पहले उन लोगों को लिखे कि हम इस तारीख को आ रहे हैं ताकि उनसे लिखित में सुझाव ले लें, नहीं तो वह एक ही बात है और उस सुझाव के ऊपर आप अधिकारियों से रिपोर्ट लें और उसका जो सार निकले उसके ऊपर चिन्तन करें तो निश्चित रूप से इसके अच्छे लाभ होंगे। यही मेरा आपसे कहना है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छा। गुड। श्री रामचन्द्र सराधना।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : बड़ा मुश्किल से मिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा महत्वपूर्ण विषय समझकर आज अकाल पर चर्चा रखी गयी थी लेकिन अकाल पर चर्चा के बजाए अकाल पर बहस होना शुरू हो गयी जिसके कारण ज्यादातर समय हमारा बरबाद हो गया और इस चर्चा का महत्व इसलिए था कि सरकार के सामने हर विधायक अपने-अपने क्षेत्र के सारे हालात बतायें और सरकार को फीड-बैक मिले और वह अपना काम करें। लेकिन वह पुरानी सरकार और नई सरकार के झगड़े में, बहस में ही बहुत सारा समय गुजर गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो निवेदन करना चाहता हूं, सभी साथियों से कि हम कोई एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं और इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे हमने कोई अकाल पटक दिया या आपने कोई अकाल पटक दिया। यह प्राकृतिक आपदा है। यह किसी के बस की बात नहीं है और पहले भी बातें चलती रही हैं। अकाल में भूख से मरने वालों की बात भी चली है लेकिन यह कोई मुद्दा नहीं है। अब भी ऐसे ही होगा जैसे होता आया है। जो यह प्राकृतिक परेशानी है, इनको तो भोगना ही पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता था कि राज चाहे कांग्रेस का या राज चाहे बी.जे.पी. का हो, बेईमान कहीं नहीं जाता। बेईमान कांग्रेस के राज में भी मौजूद थे और बेईमान आपके राज में भी मौजूद हैं। हमने भी बहुत कोशिश की थी सुधारने की। आप भी बहुत कोशिश करेंगे लेकिन आपको भी मालूम पड़ जाएगा कि किस तरह से बेईमान अपना काम कर जाते हैं। अभी एक महीना नहीं हुआ होगा, खराणा के बहुत सारे मजदूर थे जिनको एक व : से गेहू नहीं मिला था। डीलर के पास गेहूं आया। गांव में गया और गेहूं लेने के लिए आ जाओ कहा। महिलाओं ने अपना कूपन दे दिया। उनको दे दिया और वह डीलर वहां से सारे कूपन इकट्ठे करके जयपुर भाग लिया, आज तक उसका कोई लेखा-जोखा नहीं है। डी.एस.ओ. को रिपोर्ट हो गयी, माननीय मंत्रीजी को रिपोर्ट हो गयी, उसके खिलाफ एफ.आई.आर. भी नहीं हुई और वह शिड्यूल्ड कास्ट की मजदूर जो महिलाएं हैं, वह अब तक रोती-फिरती हैं, उनको गेहूं नहीं मिला और कूपन भी गायब हो गये। यह मौजूद है। चाहे आपकी सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो बेईमान मजबूत रहता है। वह आपसे भी काम निकाल लेता है और इनसे भी काम निकाल लेता है। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं मोटे-मोटे तौर पर अकाल के बारे में।

(श्री रामचन्द्र सराधना)

दो तरह से अकाल का सामना होता है। एक बात तो यह होती है कि मौजूदा अकाल जो आ गया, उसका हम कैसे मुकाबला करें। उसमें हम कैसे जिन्दा बच सकें और एक आइन्दा कभी अकाल नहीं आए, उसके लिए हमें क्या-क्या उपाय करने चाहिए। तो आज के मौके लिए हमें आवश्यकता इस बात की है कि मजदूरों को रोजगार मिले। मेहनत करने के लिए उनको मौका मिले और वे उससे अपना पेट पालन कर सकें। पानी की व्यवस्था हो सके। पानी की व्यवस्था के लिए पुराने कुएं हैं, हमारे जलस्रोत हैं उनको खुदाने की बात भी हो सकती है। हैण्डपम्प लगाने की बात भी हो सकती है और माननीय मंत्रीजी, यह डी.पी.ई.पी. में भी पैसा था पहले तो और शिक्षा विभाग के पास भी कुछ पैसा होगा। स्कूलों में हैण्डपम्प लगा देंगे तो भी अपने गांव वालों को उससे भी बहुत सारी राहत मिलेगी।

दूसरी बात है कि हमेशा के लिए कैसे इससे मुकाबला किया जाए ? मैं आपको फिर निवेदन करता हूं, एक बार पहले भी मैंने कहा था इसी सदन में कि राजस्थान में शुष्क खेती की वृहद् योजना बनानी पड़ेगी। जब तक शुष्क खेती की वृहद् योजना राजस्थान में नहीं बनेगी तो आप आएं या चाहे हम आएं, सरकार बदलती रहेगी लेकिन यह प्राकृतिक आपदा हमेशा ही चलती आयी है, कभी-कभी गेप हो जाता है, कभी ठीक होता है, कभी खराब हो जाता है इसलिए निश्चित रूप से शुष्क खेती की एक कल्पना आनी चाहिए। संरचना होनी चाहिए और वह सारे राजस्थान में फैलनी चाहिए। उसमें यह छठे मासक, जो छह महीने में हम जो फसल बोने की बात करते हैं, इसका जमाना अब लद चुका है। यह छह महीने वाली फसल काश्तकारों का भला नहीं कर सकती और वह शुष्क खेती ऐसी आनी चाहिए जो छह महीने में फसल तो दे लेकिन वह फसल दो-दो, तीन-तीन, चार-चार साल चले, इस तरह की होनी चाहिए और दूसरा कुटीर उद्योग उसके साथ में लगाना चाहिए। कुटीर उद्योग और शुष्क खेती को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना चाहिए।

आपने पानी की व्यवस्था कर रखी है। पानी के टैंकर लगा रखे हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, मोटे रूप से कि जयपुर में इस तरह से, जयपुर शहर में करीब-करीब 1100 टैंकर पानी के चल रहे हैं और आर.टी.ओ.

(श्री रामचन्द्र सराधना)

से हमने पूछा तो वे कहते हैं कि हमारे पास 300 टैंकर से ज्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं है। कहीं 300 से रजिस्ट्रेशन ज्यादा नहीं है और 100-150 बिना रजिस्ट्रेशन के होंगे लेकिन 100 टैंकर आज जयपुर में नहीं है लेकिन चल रहे हैं और उनका पेमेन्ट हो रहा है तो यह ईमानदार आदमी सब लगे हुए हैं, आपको भी ध्यान रखना चाहिए। यह केवल हम आपको कह दें और आप हमें कह दें, इससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। मैं एक निवेदन और करना चाहता था कि मेरे जमवारामगढ़ में बहुत सारे टैंकर लगा रखे हैं। टैंकर उतने हैं नहीं। टैंकरों की गिनती हो रही है। टैंकर सारे दिनभर का पैसा ले रहे हैं लेकिन वे काम नहीं कर रहे। टैंकरों की गिनती कौन करें ? वाचिंग नहीं है। जो मानिटरिंग होनी चाहिए उस मानिटरिंग की सबसे बड़ी कमजोरी है। रामजीपुरा में जो बंजारों का गांव था वहां पर कोई खेती का काम नहीं है उनके पास। कई बार कह लिया लेकिन आज तक उसमें टैंकर पानी का नहीं लगा और वे सारे परेशान हैं, बंजारे लोग।

एक और निवेदन करना चाहता था, आप पी.एच.ई.डी. के मंत्री महोदय तो दूसरे हैं। स्वजलधारा की जो बात चल रही थी (व्यवधान) आप बैठे हैं। अच्छा-अच्छा स्टेट मिनिस्टर हैं, कोई बात नहीं, मंत्रीजी, आप कर लेंगे। आप तो सारे सरकार ही हैं। स्व-जल-धारा के लिए मैं कह रहा था कि जयपुर जिले में स्व-जल-धारा की जिला स्तर की कमेटी की मीटिंग नहीं हो रही है। बहुत सारे गांव वालों लोगों के पैसे जमा है। कमेटी में पैसे जमा हुए हैं। कमेटी रजिस्टर्ड है लेकिन उसका पैसा उनको नहीं मिल पा रहा है। कारण उसका एक ही है कि जिला स्तर कमेटी की मीटिंग नहीं हो रही है। इसलिए जिला स्तर कमेटी की मीटिंग होनी चाहिए और अकाल राहत में..... (व्यवधान) मैं समझ रहा हूं कि धर्मपालजी, आपका टाइम हो रहा है लेकिन माफ करें, थोड़ा सा सुन लीजिए। मैं निवेदन यूं कर रहा था.....(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : टाइम क्या हो रहा है ? टाइम हो रहा है, काहे का हो रहा है ? टाइम हो रहा है।

श्री रामचन्द्र सराधना : जाने का, घर जाने का, यह जाने का तो..... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : यह तो ऐसा है कि इस सदन में जाने-आने का तो पता है कि कितने 200 एम.एल.ए. हैं और बैठे कितने हैं, गिनती कर लो और आप भी इसलिए बैठे हो कि आपको बोलना है। अगर आप बोलते नहीं तो अब तक पार होते आप भी। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : हां, मैं यह भी कह रहा हूं। मैं कब मना कर रहा हूं ? कब मना कर रहा हूं ?

श्री धर्मपाल चौधरी : खुद के अन्दर झांको सराधनाजी।

श्री रामचन्द्र सराधना : कभी-कभी तो चुप रहा करो।

श्री धर्मपाल चौधरी : अकाल की चिन्ता है, जब ही तो बैठे हैं।

श्री रामचन्द्र सराधना : मैं निवेदन यूं कर रहा था माननीय अकाल राहत मंत्रीजी (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : थोड़ा देखना कि कितने जने बैठे हो इससे चिन्ता आपकी पता लग रही है।

श्री रामचन्द्र : वह तो परमात्मा की कृपा है, कृपा है। हमारे साथी मंत्री बनें। अब सुन लीजिए थोड़ी देर। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : उधर कितने जने बैठे हो इससे आपकी चिन्ता पता लग रही है। हमारे तो मंत्रीजी जवाब दे रहे थे। लेकिन आपने, 55 आदमियों ने बहस करी कि हम इसमें बहस करना चाहते हैं पूरे दिन। हो कितने अब ? बैठे हो क्या ? चिन्ता है क्या ? टाइम हो रहा है टाइम।

श्री रामचन्द्र सराधना : इतने भी आपकी कृपा से बच गये।..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्यों बीच में व्यवधान डाल रहे हो। आप बीच में व्यवधान डाल रहे हैं।.....(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : सीनियर्स कितने हो, पता है क्या ? .(व्यवधान)...

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप 30 आदमी हो 120 में से।....... (व्यवधान).......

श्री रामचन्द्र सराधना : मैं यह निवदेन कर रहा था माननीय अध्यक्ष जी.....(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आप 55 हैं। (व्यवधान) आप कह रहे हो तो नहीं है। फिर कह रहे थे हम तो पूरे दिन चर्चा करें। लो कर लो चर्चा, कितने जने बैठे हो ? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : सरकार के मंत्री गायब, मुख्य मंत्री गायब, क्यों सुनना चाहते हो आप मेरे को। अकाल के प्रति आप कितने गम्भीर हो ? (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : हम आपसे ज्यादा गम्भीर हैं।...... (व्यवधान)...... हमारे मंत्रीजी जवाब देंगे। हमारे मंत्री जी तो उसी दिन जवाब दे रहे थे। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : मंत्रिमण्डल 75 प्रतिशत गायब है। कोई सुनता ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गम्भीर तो आपकी तरफ भी हैं, ये भी गम्भीर हैं। ..... (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र साराधना : नहीं, ज्यादा बोलने से अच्छा लगता है क्या ? बीच-बीच में बोलने से कोई अच्छे नम्बर बढ़ रहे हैं क्या ? बोलना सब जानते हैं, कौन नहीं जानता बोलना ? मैं यह निवेदन कर रहा था मंत्रीजी आप अकाल राहत के लिये माननीय किरोड़ी लालजी को यह मन्त्रालय दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : छह मिनट हो गये हैं आपको। अब आप एक मिनट में अपनी बात कह दो। छह मिनट हो गये।

श्री रामचन्द्र सराधना : यह वाला टाइम तो काउन्ट नहीं कर लिया आपने। यह बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं तो पूरा करके बैठ जाता। मेरा तो आखिरी था। माननीय अकाल राहत मंत्रीजी, आपको (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब यह जबरदस्ती लेते हैं, क्या करें। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : अकाल राहत का कार्य भार मिला है। आप हमारे इलाके के मंत्री हैं। हमें तो बड़ी खुशी हुई कि आप मन्त्रिमण्डल में आये। लेकिन सौभाग्य से आपको ऐसा मन्त्रालय मिला है तरालू-बांट का मन्त्रालय या 12 महीने पांच वर्ष तक आपको यह उलाहने सुनने का, कि हां, बेइमानी हुई है। कहां गड्ढे खुदे, कहां भूखे मर गये। खैर, पर आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय किरोड़ी लाल जी, आप जब विरोधी पक्ष में थे जब आपने एक योजना बनाई थी। कांग्रेस की सरकार में कमलाजी उधर सिंचाई मंत्री थीं, उस समय आपने कहा था कि जमुना का पानी जयपुर जिले में आना चाहिये। बड़े तरीके से आपने बड़े व्यावहारिक रूप से लाकर हम सब लोगों के सामने रखा था। हमें बड़ी खुशी हुई थी, यह मौका आपको मिल गया है।

श्री अध्यक्ष : अब आप पुरानी बातों पर चले गये। आज की बात करो। पुरानी बात पर चले गये आप।......(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : अब के लिए ही कह रहा हूं, अब पानी आएगा न। पानी तो अब आएगा कमलाजी का नाम लेते ही साहब, यह क्या बात हो गयी। पानी तो अब आएगा दिल्ली से यमुना जी का पानी। यदि जयपुर में पानी आ जाता है तो इसके अलावा और कहीं का पानी आ सकता है, यह बात सही है बीसलपुर का पानी भले ही आप पीने के पानी के लिये लिया हो, लेकिन खेती के लिये पानी आ सकता है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं इस मामले में गौर करें और एक बात और कहना चाहता हूं।

आपकी अकाल की जो रिपोर्ट आ रही है कि अकाल कहां कहां है, इसके लिये तहसीदार रिपोर्ट भेजता है और वह खराबा कैसे तैयार करता है, खराबा उसको मानते हैं जो फसल खड़ी हो गयी, उग गयी, अंकुर हो गयी और वह जल गयी। उसको तो खराबा मानते हैं लेकिन पानी नहीं होने के कारण, बरसात नहीं होने के कारण जिन खेतों में बीज नहीं पड़ा, उसको वह खराबा नहीं मानते। इसलिए मेहरबानी करके इस खराबे की परिभाषा को बदलिये और जहां पर बरसात नहीं होने से जो बीज नहीं डाल सके, उसे भी खराबे में शामिल करके अकाल की परिभाषा में आना चाहिए, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्षजी, आपने जल्दबाजी में मुझे समय दिया इसके लिये तो बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री जयराम जाटव।

श्री जयराम जाटव (खैरथल) : माननीय अध्यक्षजी, मैं तो ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं करना चाहता। मुझे चार दिन पहले की बात याद आ गयी। हमारे यहां पर कालेज खोलने की मांग के लिये खैरथल विधान सभा क्षेत्र के कुछ लोग आए, सरपंच आए थे मैं उनको कह रहा था, भाई, बड़ा बुरा हो रहा है. बरसात नहीं होने से अकाल की स्थिति पैदा हो गयी। तब उन्होंने मुझे एक बात कही कि विधायकजी, अकाल नहीं पड़ेगा। मैं बड़े अचम्भे में रह गया। उन्होंने कहा जब-जब कांग्रेस का राज आया तब-तब अकाल पड़ा और बीजेपी का राज जब राजस्थान में आया, अकाल नहीं पड़ता है। यह मुझे पूर्ण विश्वास है कि दो सावन हैं, अकाल नहीं पड़ेगा। भगवान ना करे कहीं कुछ क्षेत्रों में बरसात कम हो जाए, अकाल की स्थिति हो जाए तो जो हमारी सरकार है, उसका जो प्रबन्धन है, उसमें जो विकास कार्य हो, अच्छे हों। लेकिन अधिकांश काम कच्चे ना होकर पक्के काम अधिक होने चाहिए। ग्रेवल रोड बने। उस पर रोलर फिराकर उसको दबाना चाहिए। सड़क बनती है जो चार महीने भी नहीं चलती, उखड़ जाती है। मोनिटरिंग की बात आई, यह बात सत्य है कि वहां जो सरपंच पिछली बार था, मैंने देखा मेरे आढ़त की दुकान थी अनाज की। हमारे पड़ौसी के भाई धर्मपालजी विधायक गवाह हैं। रोजना 10-10 ट्रैक्टर गेहूं के भरकर आते थे अकाल राहत कार्य के, जो सरपंच लाते थे। मैंने पूछा इतना गेहूं कहां से आ रहा है ? उन्होंने कहा अकाल राहत का आ रहा है। सरपंचों ने टोटल ही फर्जी मस्टररोल भरे उस काम की मोनिटरिंग जरूर होनी चाहिए और जो सबसे पहले जो काम है वह गांवों में पीने का पानी का रह गया। हमारे यहां लगभग 20-25 गांव ऐसे हैं मेरे क्षेत्र में जो पहाड़ की तलहटी में है। 700-800-900 फीट बोरिंग कर लिया, पानी नीचे नहीं है जमीन में। वहां तीन-चार कि.मी. दूर जाकर पानी मिलता है। उन गांवों में पानी की पहले व्यवस्था हो। गांव में अभी हमारे यहां थोड़ी बहुत बिजाई हुई, उसमें किसान का ट्रेक्टर चला परन्तु सूखा पड़ने से जो बीज जला उसके लिए वहां प्रबन्धन देखें। छह-सात बीघा जमीन है मंझौले कृषक, सीमान्त कृषक हैं उनकी स्थिति खराब है इस टाइम। बड़ा किसान तो अपना गुजारा कर लेता है। मजदूर अपनी मजदूरी कर लेता है लेकिन सीमान्त कृषकों का नुकसान इस बरसात में, जो थोड़ी

(श्री जयराम जाटव)

बहुत बरसात हुई, अब बीच में जो 15 दिन का गैप आया, उनका जो बीज डला, खाद डाली, उनको जो नुकसान हुआ उसके लिये वहां अब दुबारा बरसात निश्चित रूप से होगी। मेरे यहां मैंने दिन में टेलीफोन से बात की थी। उन्होंने कहा हमारे बरसात हुई है तो वहां जब बिजाई होगी तो सरकार की तरफ से बीज की व्यवस्था होनी चाहिए। यह मेरा सुझाव है और 15-16 गांव की जो पानी की समस्या विकट है, उनमें व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा मैंने देखा है अकाल में अधिकांश नुकसान गरीब लोगों को होता है। लोग भयभीत हो जाते हैं कि अकाल पड़ गया। वहां गांवों में कानून व्यवस्था बिगड़ने की पूरी-पूरी सम्भावना हो जाती है। जहां कानून व्यवस्था की सम्भावना है उस पर अधिकांश ध्यान दिया जाए। विकास कार्यों में ध्यान दिया जाए।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस के भाई, माननीय सदस्य ने अभी कहा कि राज किसी का हो, लेकिन गड़बड़ करने वाला चाहे कांग्रेस में हो, चाहे बी.जे.पी. में हो, रास्ता निकाल लेता है। गड़बड़ी करने वालों का ध्यान रखा जाए, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो। पार्टी नहीं होती, गड़बड़ करने वाला तो गड़बड़ का ही होता है वह पार्टी का नहीं होता। इसलिए पानी का, चारे की व्यवस्था सबसे पहले प्रायोरिटी से होनी चाहिए। वृक्षारोपण की बात आई। उसको दर किनार कर दें लेकिन हमारे यहां जो फसल बीमा योजना है, कुछ गरीब लोगों को इस अकाल में बीमारियां भी लग जाती हैं उनके लिए इलाज के लिए आवश्यक दवाइयों की व्यवस्था भी कराई जाए। लम्बी-चौड़ी बात न कहते हुए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सुबह से बहस चल रही है। कांग्रेस के सदस्य कुछ सुझाव के तौर पर दे रहे थे। बहस कर रहे थे। उनके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद है, लेकिन हम जो सीखने आये थे उतना हम लोगों को सीखने को नहीं मिल रहा है। जब कोई नया आदमी खड़ा होता है तो उसके पीछे कोई न कोई बात कहकर उसको दबाने का प्रयास किया जाता है। मैं आया था। मैं सोच रहा था कांग्रेस के माननीय सदस्य बहुत सीनियर हैं और कुछ सीखने को मिलेगा। यहां एक उधर से बोलते हैं, इधर से बोलते हैं, दोनों की मिलीभगत से आधा-पौन घण्टा गुजर जाता है और लास्ट में कहा जाता है दो मिनट, पांच मिनट। मैं बहुत लम्बा

(श्री जयराम जाटव)

बोल गया, इसके लिए सदन के बीच ज्यादा बड़ी बात ठीक नहीं। फिर भी हमको कुछ मिला है और जो आकल की बात कही उसमें क्षेत्र की व्यवस्था की बात कही। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है मंत्रीजी पर, सरकार के ऊपर पूर्ण व्यवस्था होगी और अकाल राहत कार्य के सही प्रबन्धन होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बंशीलाल खटीक : मेरा आपसे निवेदन है कि किसानों का विषय है। अकाल है। उनकी डेट बढ़ा दी जाए ताकि वह अपना प्रीमियम बराबर ले सकें। अभी तो किसानों ने जमा नहीं कराया है। इसकी अन्तिम डेट है इसको बढ़ा दी जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री सुभा . चन्द्र शर्मा।

श्री सुभा . चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल की इस चर्चा में मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि बड़ा वीभत्स अकाल पड़ने जा रहा है। जिस प्रकार की परिस्थितियां बन गयी हैं, भगवान ना करे ऐसा नहीं हो। अगर बरसात होती है तो मैं समझता हूं कुछ राहत मिलेगी। लेकिन मेरा एक ही निवेदन है, सुझाव है राज्य सरकार से आपके माध्यम से कि हमारे मन्त्रिमण्डल के जितने भी साथी हैं, उन सबको मिलकर पूरे जिलों के अन्दर जाकर, पूरा दौरा करके उसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए और पूरी मोनिटरिंग करनी चाहिए। जहां-जहां काम शुरू किये जायें उन कामों के ऊपर पूरी निगरानी रखी जाऐ और ग्रामीण क्षेत्र में आम आदमी को रोजगार मिल सके। मजदूरी मिल सके ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान में कई बार अकाल का बार-बार सुना करते थे लेकिन अब की बार स्थितियां बदल गयी और पूरा राजस्थान इस भयंकर अकाल की चपेट में है। उत्तरी पूर्वी राजस्थान में भी भयंकर अकाल की स्थिति हो गयी है और अकाल की स्थिति इसलिए हो गयी कि बरसात नहीं होने के कारण फसल बोयी नहीं गयी है और जब फसल बोयी नहीं गयी है तो उन किसानों की हालत बदतर हो गयी है। मजदूर को मजदूरी मिले लेकिन इसके साथ-साथ किसानों को राहत देने के लिए भी कोई न कोई योजना जरूर चलायी जानी चाहिए। उसमें अगर सबसे पहली जरूरत पड़ेगी तो इस वक्त

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

चारे की और पीने के पानी की जरूरत पड़ेगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों को चारा बोने के लिए सहायता दी जानी चाहिए और पीने के पानी की जिन-जिन गांवों में समस्या है वहां पर सबसे पहले पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए।

मेरा एक निवेदन और है कि जिने टैंकरों से पानी की हम सप्लाई कर रहे हैं अगर इसकी सही ढंग से प्लानिंग होती या प्लानिंग बनायी जाती तो जिन-जिन गांवों के अन्दर एक बार टैंकर भेज कर पानी का जितना पैसा दिया जा रहा है उतने पैसे में तो वहां ट्यूबवैल बना कर पानी पिलाया जा सकता था। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, इस बात के लिए आग्रह है कि ठोस योजना बना कर के ठोस कार्यक्रम के माध्यम से जनता को राहत पहुंचाई जाने के लिए काम करना चाहिए। विशेष तौर से स्थायी सम्पत्तियों का निर्माण हो, सड़कों का निर्माण हो, पक्की सड़कें बनें, ग्रेवल रोड तक का काम बने जिसमें मजदूरों को कच्चे काम से लेकर ग्रेवल रोड तक काम करने का मौका मिले। इसके साथ-साथ, चाहे भवन निर्माण की बात है, चाहे कहीं पर भी स्थाई काम हों, जो सम्पत्तियां अर्जित हो सकें, जिसमें अकाल का पैसा भी खर्च हो और स्थाई सम्पत्तियां गांव के विकास के सम्बन्ध में भी हों और मजदूरों को रोजगार भी मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि इस पर पूरी मानीटरिंग करें। पिछली बार एक व्यवस्था ऐसी गड़ाबड़ा गयी थी, एक सीलिंग आ गयी थी कि बी.पी.एल. और चयनित परिवार के लोग ही मजदूरी कर सकते हैं और कई गांव की तो ऐसी स्थिति हो गयी थी कि वहां बी.पी.एल. और चयनित परिवार के अलावा रोजगार मिलने वाला नहीं था और उसमें भी सीमा थी कि 15 दिन से ज्यादा काम उसको नहीं मिल पाएगा। तो वहां अगर मजदूर नहीं मिल पाए इसलिए माननीय राहत मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी मजदूर, चाहे वह किसान का बेटा है, चाहे वह मजदूर है, गरीब तबका है, बी.पी.एल. का है, चयनित परिवार का है, जिसकी भी खेती खराब हो गयी थी, जिसकी भी फसल नहीं बोयी गयी है उसकी एक सीमा जरूर तय करें कि बी.पी.एल. और चयनित परिवार के साथ-साथ अन्य समाज

(श्री सुभा चन्द्र शर्मा)

के लो भी उसमें मजदूरी कर सकें और राहत पा सकें। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि पूरी मानीटरिंग के साथ सरकार इस बात पर निगरानी करे और जिस तरह से अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि बेईमान की कोई पार्टी नहीं होती, चोर की कोई पार्टी नहीं होती, कोई संगठन नहीं होता वह मौका मिलने पर अपना काम निकालने के लिए चाहे वो कांग्रेस राज हो चाहे भा.ज.पा. का राज हो अपना समय निकालने के लिए अपना रास्ता बना लेता है इसलिए उन लोगों के ऊपर पूरी निगरानी रखी जाए और पूरी निगरानी के साथ जनता को राहत पहुंचायी जाए। मेरा तो यही निवेदन है।

मेरा निवेदन है कि पेयजल और चारे की व्यवस्था चाहे बाहर से लाना पड़े और चाहे यहां उगाना पड़े, दोनों चीजों के साथ-साथ हमें काम करना चाहिए। बाहर से परिवहन में जितना पैसा चारे पर खर्च कर रहे हैं उतना पैसा अगर किसान को सब्सिडी के रूप में चारा उगाने की भी मदद यह कर देंगे तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं उनकी बहुत बड़ी मदद हो पायेगी। इन्हीं शब्दों के साथ, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, उत्तर दें।

श्री ... सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम है।

श्री अध्यक्ष : आप बोलेंगे ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : हां।

श्री अध्यक्ष : बोलिये, बोलिये प्रतिपक्ष के नेता महोदय।

श्री ... सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : अब प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आप ही कह देना उनकी बात, क्या है, इतना समय हो गया है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : दो, दो मिनट बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : आल राइट, दो-दो मिनट बोलो।

श्री ... "खण्डार" : अध्यक्ष महोदय, आज अकाल की चर्चा में मैं अपने क्षेत्र की यही समस्या रखना चाहता हूं, मंत्री महोदय मेरे जिले से ही हैं.....

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्षेत्र में जाया करो, माननीय सदस्य।

श्री अध्यक्ष : आप बीच में क्यों.....(व्यवधान).....

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : महावीरजी, आपसे ज्यादा और आपके घर के हाथ लगा कर जाता हूं आगे से।

अध्यक्ष महोदय, सवाईमाधोपुर में अकाल की स्थिति गम्भीर है और किसानों ने बरसात नहीं आने की वजह से फसल भी नहीं बोयी है। खराबे की स्थिति के लिए जो रिपोर्ट आई उसमें उनको भी शामिल करें जिन्होंने फसल बोयी नहीं है।

दूसरा, वहां पर पानी का गम्भीर संकट है। आपने पानी का पुख्ता इन्तजाम करने की व्यवस्था तो की है परन्तु वहां का जो प्रशासन है वह ठीक तरीके से रूपरेखा नहीं कर रहा है। मेरे क्षेत्र में एक भी टैंकर से पानी की सप्लाई नहीं हो रही, आप नोट कर लें और इसको चैक करवा लें। खण्डार क्षेत्र में जानबूझकर के अनदेखी और बेरूखी से काम किया जा रहा है और आपके यहां 250 टैंकरों से सप्लाई हो रहा है पानी। माधोपुर हैडक्वार्टर और मेरे यहां एक भी टैंकर से पानी की सप्लाई नहीं है और जानबूझकर रोका गया। 20-25 गांवों में पानी की गम्भीर समस्या है परन्तु मेरे साथ भेदभाव हुआ। हैण्डपम्प की स्वीकृति जारी हुई तो 225 हैण्डपम्प में से मंत्रीजी के यहां 65 हैण्डपम्प पास हो गये मेरे को 35 हैण्डपम्प दिये। (व्यवधान) नहीं, मंत्री महोदय, आप उन्हें नहीं कह रहे हैं परन्तु मेरे साथ में ऐसा हो रहा है और आपकी देखरेख में नहीं होना चाहिए, मेरा तो यह निवेदन है।

दूसरा, मैंने जो एम.एल.ए. कोटे के हैण्डपम्प दिये हैं उनकी स्वीकृतियां जारी नहीं की। मैंने कहा कि अप्रैल में हमें पैसा मिलना चाहिए था, सरकार ने बजट पास किया नहीं, जून में पैसा नहीं दिया जुलाई में भी नहीं दिया और फिर क्या अगस्त, नवम्बर में पानी पिलाएंगे क्या ? हमारे एम.एल.ए. कोटे के हैण्डपम्प की सैंक्शन नहीं निकाली जा रही है। अभी कलक्टर बता रहे हैं कि वहां पर हमें पैसा नहीं मिला तो आप वो पैसा छोड़ें ताकि हम पानी के लिए व्यवस्था कर सकें और मेरे साथ समानता से व्यवहार करके मेरे क्षेत्र के लोगों के साथ न्याय करें। जब वहां अकाल का काम शुरू

करें तब मुझे जरूर प्रशासन पूछे कि कहां प्राथमिकता से काम होने चाहिए। पानी की व्यवस्था के लिए मेरे साथ यह जो भेदभाव हुआ है.....

डा. किरोड़ी लाल : अपन दोनों एक ही जिले के हैं, आपने यह शिकायत आज ही की है। **(व्यवधान)** अब यह भेदभावं नहीं होगा आपके साथ।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : नहीं सर, मैंने कहा था उस दिन कि, साहब, हैण्डपम्प कर दिये और टैंकर मुझे जानबूझ कर काटे हैं। मुझे तो आपकी पूरी कृपा है परन्तु प्रशासन को आप कह दीजिएगा ताकि वहां के लोगों को पानी मिल सके और जब काम चलाएं तो मेरे लोगों को रोजगार बराबर मिले। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री महीपाल सिंह यादव। दो मिनट में, जैसे इन्होंने खत्म किया, दो मिनट में वैसे आप भी खतम करें।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि, मंत्री महोदय, हम उस पूर्वी राजस्थान से हैं जिसमें आप भी हैं और यह मत्स्य प्रदेश कभी अकाल की चपेट में नहीं आया। हमारे चार-पांच जिलों में इस समय किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है वह बिजली है। अगर चारा योजना में आप किसानों को कनेक्शन देते हैं तो निश्चित रूप से किसानों की खुशहाली हो सकती है।

दूसरा सवाल है कि इस समय कुछ जगह बारिश हुई है, वहां फसल खड़ी हुई है लेकिन वह जलने के कगार पर है और बारिश की जो व्यवस्था है, अब ईश्वर सबको याद आ रहा है-"दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ने कोई", तो स्थिति यह होती जा रही है।

श्री अध्यक्ष : "जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए"।

श्री महीपाल सिंह यादव : मत्स्य प्रदेश में, पूर्वी राजस्थान में इस समय जितने भी ओपन ट्यूबवैल हैं वह सब खतम हो चुके हैं। विद्यालयों में जितनी टी.एस.एस. योजनाएं थीं उन कुओं का पानी खतम हो गया है। आपने

(श्री महीपाल सिंह यादव)

बजट में भी इसका कोई प्रावधान नहीं किया अकाल का, केन्द्र के भरोसे छोड़ा है। इसलिए आप विद्यालयों में पीने के पानी की व्यवस्था करें। बहुत से गांवों में आज भी यह स्थिति है कि जितने भी हैण्डपम्प हैं वह सब ड्राई हो गये। सूरजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे 900 फीट तक पानी नहीं है तो ऐसे जहां पहाड़ी क्षेत्र हैं या सूरजगढ़ का क्षेत्र है जहां कई गांव ऐसे हैं जहां चार-चार किलोमीटर से पीने के लिए पानी लाते हैं, खेती तो खतम हो चुकी इसलिए मंत्री महोदय और कृषि मंत्री भी यहां किसान परिवार से हैं, सिंचाई राज्य मंत्रीजी भी किसान परिवार से हैं, आप अभी इसकी व्यवस्था, जो कार्य योजना बनाने जा रहे हो इस अकाल राहत के उचित प्रबन्धन के लिए, वह आप हमें अभी बताएंगे लेकिन प्रदेश की जो स्थिति है वह बड़ी हाहाकर की है।

अभी हमारे अलवर जिले में अगर बिजली की 6 घण्टे सप्लाई हो जाए तो हमारें जिले में अकाल नाम की चीज नहीं रहेगी। कुछ एरिया ऐसे हैं जो पहाड़ी एरिया हैं, वहां पर अगर पातालतोड़ कुए बना दिये जाएं तो भी वहां अकाल की स्थिति खतम हो सकती है।

कुछ बड़े-बड़े विद्यालय, कालेजेज हैं जहां पर पुरानी योजनाएं थीं, वह समाप्त हो गयी हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि समय बहुत हो गया है, सुझाव बहुत अच्छे-अच्छे आए हैं, आपने जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री भी लगाए हैं अकाल के लिए और इस अकाल प्रबन्धन के लिए जो जिला स्तर पर व्यवस्था की है वह मंत्रीगण उस जिले के प्रधान, प्रमुख, एम.एल.ए. जो भी प्रमुख लोग हैं उनको सब को बुला कर एक मीटिंग जिला स्तर पर होनी चाहिए और उसमें सबकी भावनाएं आ जायेंगी।

इसलिए में ज्यादा समय नहीं लेते हुए, अध्यक्ष महोदय, आपने बड़ी मेरे पर कृपा की, कई दिनों से हाथ उठाता रहा हूं, आज पता नहीं कैसे दया आ गयी

श्री अध्यक्ष : आप क्या बोलेंगे, आप तो अन्दर में हैं क्या बोलेंगे ?

श्री महीपाल सिंह यादव : अध्यक्ष जी का यह था कि हमारी तरफ तो देखते ही नहीं हैं, हाथ खड़ा कर देते हैं और उधर नजर घुमा देते हैं। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने हमारी तरफ इनायत की।

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

श्री महीपाल सिहं यादव : प्रभु की महिमा बड़ी है निराली। मैं माननीय अकाल राहत मंत्री जी, आपसे कह रहा हूं "प्रभु की महिमा है बड़ी निराली, याद कर लो घड़ी दो घड़ी, कूच कर जाएगी जिन्दगी, मौत हमारे सिरहाने खड़ी" तो यह प्रबन्धन करो प्रदेश का, याद करेगा यह प्रदेश आपको। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं।

श्री बीरूसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा में तीस कच्ची बस्तियां हैं।

श्री अध्यक्ष : कच्ची बस्ती का सवाल थोड़े ही है यह।

श्री बीरूसिंह राठौड़ : पानी की बड़ी समस्या हो रही है। मर रहे हैं लोग यहां पर (व्यवधान) धन्यवाद, मुझे बोलना ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। माननीय मंत्रीजी।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं दस मिनट में खतम कर दूंगा। आप विराजें, जो पाइंट्स आए हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं वह दस मिनट ही कह रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, दस-बारह मिनट में खत्म कर दूंगा। आज सदन में माननीय सदस्यों ने अकाल से उत्पन्न स्थिति के बारे में अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अकाल क्यों पड़ता है, पर्यावरण का असन्तुलन होने पर पेड़ों की......

श्री रामनारायण डूडी : काल का जन्मदाता ही बीकानेर और पूगल ही है जो पुरानी बहावत है कि "पग पूगल धड़ मेड़ता, बाहेड बाड़मेर, आतो जातो जोधपुर, ठाबो जैसलमेर" तो पूगल में ही तो जन्म हुआ है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है आपने दूसरी कहावत नहीं सुनी है।
"सियालो खाटू भलो ऊडांलो अजमेर, नागौरा...सावन बीकानेर"
बीकानेर का सावन बहुत प्रसिद्ध है।

श्री रामनारायण डूडी : जमाना अच्छा तो कारा कुजिया, तीन काल ऐड़ा पड़े, माई ने पूत मिले नहीं पाछा"।

श्री अध्यक्ष : अब दो जवाब आप, प्रतिपक्ष के नेता जवाब दो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, मैं इसका जवाब देता हूं संस्कृत में "कृषि चमै, वृष्टि चमै, वैद्यम चमै, सूत्रम चमै," इसका अर्थ यह है कि कृषि और वृष्टि बराबर होनी चाहिए और यह तब होती है जब परमार्थ के काम होते हैं। एक व्यक्ति ने पूछा अध्यक्ष महोदय....

श्री महावीर प्रसाद जैन : चार साल में नहीं हुए ?

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें। देखिए, यह गलत बात है। माननीय मुख्य सचेतक महोदय, टोकेंगे नहीं आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला : "जल से पतला कौन, कौन भूमि से भारी
कौन अगन से तेज, कौन काजल से कारी,
तो उसने जवाब दिया,
जल से पतला ज्ञान, पाप भूमि से भारी,
क्रोध अगन से तेज, कलंक काजल से कारी।
तो पाप इतने बढ़ गए, परमार्थ के काम होने बन्द हो गए।

श्री अध्यक्ष : आज तो प्रतिपक्ष के नेता ने बहुत ज्ञान की कही है आपको।

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह एक आध्यात्मिक पक्ष है जिसके कारण से बरसात नहीं हो रही है और साइन्टिफिक पक्ष यह है कि पर्यावरण का असन्तुलन होने से कार्बन मोनोआक्साइड, कार्बन जोन इतना अधिक बढ़ गया है कि पर्यावरण का सन्तुलन बिल्कुल बिगड़ गया है। पहले पुरवा हवाएं आती थीं तो बरसात आती थी अब पिछवा हवाएं आने लग रही हैं जिसके कारण से मानसून अस्त व्यस्त हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : सावन में पुरवा से बारिश नहीं होती है, यह बता दूं मैं आपको।

डा. बुलाकीदास कल्ला : पुरवा से आती है अपने यहां तो (व्यवधान) भादवे का महीना आ गया (व्यवधान) अधिक मास नहीं होता तो एक दो दिन बाद भादवे का महीना आ जाता। (व्यवधान) मुझे पता है अधिक महीना है, क्या बात करते हो। सवाल इस बात का है कि पर्यावरण के असन्तुलन के कारण आज पूरे देश में और पूरे एशियाई देशों में खास तौर से पर्यावरण असन्तुलन होने के कारण से बरसात की कमी हो रही है। कोई यह कह दे बी.जे.पी. वहां आ गयी, कांग्रेस, पिछली बार देश में एन.डी.ए. की सरकार थी, अकाल क्यों पड़ा देश में ? यह कहना उचित नहीं है और यह कहना अपने को बन्द कर देना चाहिए। हमको हमारी इस समस्या के बारे में ध्यान देने के लिए सबसे बड़ा उपाय यह करना चाहिए कि पेड़ खूब लगाने चाहिए। डी-फोरेस्ट्रेशन का जो काम हुआ है राजस्थान में उसने सबसे ज्यादा राजस्थान का नुकसान किया है।

इसलिए अरावली की पहाड़ियां हरी भरी हों, राजस्थान के प्रत्येक परिवार में प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पेड़ लगाए, यह अनिवार्य रूप से होना चाहिए और किसानों के खेतों की जो मेड़ है वहां चारों तरफ यदि पेड़ लगें तो मैं समझता हूं कि हमारे यहां पर्यावरण में जो भारी असन्तुलन है वह सन्तुलन में परिवर्तित हो सकता है। इसके कारण बरसात की मात्रा में वृद्धि हो सकती है।

मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान में जोधपुर सम्भाग में - 52.15 पर्सेण्ट बरसात सामान्य से कम हुई है और बान्धों में पानी केवल मात्र 4.42 पर्सेण्ट है। बीकानेर में औसत से 39.59 पर्सेण्ट बरसात कम हुई है और बान्ध तो बहुत कम हैं और जो हैं वह बिल्कुल खाली हैं। अजमेर की स्थिति और ही विकट है। वहां पानी की मात्रा बान्धों में केवल 0.5 पर्सेण्ट है और बरसात की कमी सामान्य से 51.88 पर्सेण्ट है। जयपुर में - 52.29 पर्सेण्ट सामान्य वर्षा से कम बरसात हुई है और बान्धों में पानी 9.07 पर्सेण्ट है। कोटा सम्भाग में, पूरे सम्भाग की बात कर रहा हूं - 51.22 पर्सेण्ट पानी है, सामान्य बरसात से कम बरसात हुई है और

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

बान्धों में पानी 17.98 पर्सेण्ट है। उदयपुर सम्भाग में सामान्य से - 41.50 पर्सेण्ट वर्षा कम हुई है और बान्धों में पानी की स्थिति 8.42 पर्सेण्ट है। अध्यक्ष महोदय, समस्त राजस्थान में - 52.60 पर्सेण्ट सामान्य से कम बरसात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 58 पर्सेण्ट है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : 52.60 पर्सेण्ट यह कल शाम तक की स्थिति है। मेरे पास तो यह सिंचाई विभाग का आंकड़ा पड़ा है, देख लो, पढ़ लो इसमें (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : Nobody can challenge you.

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, यह पहला मौका है जब राजस्थान में 32 के 32 जिलों में सामान्य से कम बरसात हुई है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पहले एरिड जोन और सेमी एरिड जोन में जिसमें खास तौर से बीकानेर गंगानगर, अब दो जिले हो गये। पहले बारह जिले थे अब तेरह जिले हुए। ऐरिड और सेमी ऐरिड जोन में हो गए। तो बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, पाली, जालौर, सीकर, झुंन्झुनूं, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, यह जो क्षेत्र हैं यह एरिड और सेमी एरिड जोन में आते हैं। इस एरिड और सेमी एरिड जोन के इलाकों में खास तौर से बरसात की कमी रहती थी। एरिड जोन में ज्यादा, सेमी एरिड में उससे कम और हमारा जो पूर्वी राजस्थान था, दक्षिणी राजस्थान था उधर प्रायः प्रायः बरसात अच्छी होती थी और अकाल की स्थिति भी कहीं होती थी तो रबी की फसलें हमारे यहां अच्छी होती थीं।

इस बार केवल मात्र सूखा नहीं है, अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो है पेयजल का संकट, बिजली का संकट और रबी की फसल का संकट। खरीफ और रबी दोनों के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। मैं खास तौर से सदन को आपके माध्यम से यह अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे यहां पौंग डेम, भाखड़ा डेम और जो हमारी अन्य सिंचाई की योजनाएं ज्यादातर उन पर डिपेन्ड करती हैं उनमें पूर्ण भराव रहता था। एक बार पौंग डेम में पानी नहीं आया था लेकिन अक्टूबर में इतनी बरसात हुई कि वहां पर एकदम बाढ़ आ गयी और पानी की कमी नहीं रही।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि भाखड़ा में 31.19 पर्सेण्ट पानी है, पौंग में 23.26 पर्सेण्ट पानी है, गांधी सागर में 4.7 पर्सेण्ट पानी है, राणा प्रताप सागर में 53.40 पर्सेण्ट पानी है और बांसवाड़ा में 39.74 पर्सेण्ट और बीसलपुर में तो केवल 5.79 पर्सेण्ट ही है पानी। ऐसी स्थिति में हमारे किसान जो इर्रिगेशन से सम्बन्धित हैं, सिंचाई से सम्बन्धित हैं। इर्रिगेटेड एरिया में भी पानी का भयंकर अकाल होने वाला है। ऐसी स्थिति में मैं खास तौर से आपको यह कहना चाहता हूं कि अभी आपने सारे जिलाधीशों से अगस्त माह में वहां की क्या पोजीशन है उस पर मांगा है। जिन स्थानों पर सामान्य से 50 पर्सेण्ट से भी कम बरसात हुई हैं वहां तो अभी बोया ही नहीं गया है इसलिए जिस प्रकार से सन् 2002-2003 में टैस्ट वर्क नहीं बल्कि अकाल राहत के रेगुलर कार्य शुरू कर दिये गये थे उसी प्रकार से जिन इलाकों में बरसात बिलकुल नहीं हुई है वहां तत्काल राहत कार्य आपको शुरू करने चाहिए। इसके साथ-साथ, आपको एक काम और करना चाहिए कि सबसे पहले पेयजल का प्रबन्ध करना चाहिए। ढाणीवार, ग्रामवार, पंचायतवार, कस्बेवार, जिलेवार योजनाएं बनानी चाहिए कन्टीजेन्सी प्लान बना करके और जहां हैण्डपम्प के माध्यम से आप पानी दे सकते हैं हैण्डपम्प से, जहां टैंकरों से दे सकते हैं टैंकरों से, जहां रेलगाड़ी से पानी पहुंचाना है वहां रेलगाड़ी से, यह पूरी की पूरी व्यवस्था आपको तत्काल करनी चाहिए। कई स्थानों पर जहां पिछले साल से अकाल है वहां पहले से ही टैंकरों के माध्यम से पीने के पानी की व्यवस्था है लेकिन जिन इलाकों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है वहां पर यह व्यवस्थाएं आपको तत्काल करनी चाहिए। अकाल के वक्त में जलजनित बीमारियां बहुत फैल जाती हैं, इसको रोकने के उपाय किये जाने चाहिए और पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहिए।

दूसरी समस्या आने वाली है चारे की। चारे की व्यवस्था के लिए मुझे खास तौर से यह कहना पड़ेगा कि पिछले वर्षों में चारा डिपो खोले गये। पशु सेवा शिविर खोले गये और इसके लिए आपको याद होगा आप लोगों के वक्त में छह रूपया प्रति बड़े पशु के लिए और छोटे पशुओं के लिए तीन रूपया

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

मिलता था। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने बड़े पशुओं के लिए बारह रूपये, छोटे पशु के लिए छह रूपये करके पूरे राज्य में पशुओं को संरक्षण देने का एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। मैं चाहता हूं कि आप चारा डिपो खोलने के प्रबन्ध करें और चारा जहां-जहां से ला सकते हैं उसके लिए अभी से आपकी सचिव स्तर की टीमें अलग-अलग स्थानों पर जाकर चारे का पर्याप्त प्रबन्ध करें तो निश्चित रूप से राज्य में आने वाले समय में चारे का संकट नहीं रहेगा। पशुओं को अनेक प्रकार की बीमारी हो रही हैं। अभी बाड़मेर जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने करा रोग का जिक्र किया था। आज बाड़मेर में बायतू और जैसलमेर में कई तहसीलों में खास तौर से मैं लाठी पंचायत का आप लोगों को जिक्र करना चाहूंगा। वहां पर करा वाले रोग से हजारों गायें मर रही है। वहां मिनरल मिक्सचर अभी से बांटना शुरू कर दो, नहीं तो, इतनी गायें मर जाएंगी कि उसका आप अन्दाज नहीं लगा सकोगे। इसलिए सबसे पहले तो हम सब लोग सदन के मिलकर जो भी आपका ईष्ट हो चाहे भगवान हो, खुदा हो, अल्लाताला हो, परबरदिगार हो या गुरू ग्रंथ साहिब हो, सब लोग मिलकर दुआएं करें कि राजस्थान में बरसात आए और यदि ......(व्यवधान) चर्च में भी जाकर प्रार्थना करें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कुल मिला करके हम सबको दुआ करनी चाहिए कि राजस्थान में अच्छी बरसात हो और बरसात न होने पर कम से कम आपको प्रबन्ध जरूर करने चाहिए और प्रबन्ध ऐसे करने

(समय: 19.44 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

चाहिए, आप कहने को यहां कुछ भी कह दें। मैं आपसे कहना चाहता हूं अब तो आपके पास सरकार है, अब आप क्या भ्रष्टाचार की बात करते हैं। जिस किसी ने भी भ्रष्टाचार किया है उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। कौन रोकता है आपको ? मैं यह साफ तौर से कहना चाहता हूं कि हमारे वक्त में कांग्रेस के वक्त में तीन काम बहुत अच्छे हुए थे। एक तो समय पर भुगतान, पारदर्शिता और पूरा भुगतान और इन तीन बातों के आधार पर अकाल का प्रबन्धन चाहे आप मन में.....(व्यवधान) कृपा करके आप विराजो.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय.....

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह आज तक बकाया है आज तक..... (व्यवधान)

डॉ. बुलाकीदास कल्ला : घनश्यामजी, यह डिस्टर्ब करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आज तक बकाया है...

श्री धर्मपाल चौधरी : अभी तक बकाया है....

श्री महावीर प्रसाद जैन : और पचास पर्सेण्ट मर गये पचास पर्सेण्ट पशु। उस समय पचास पर्सेण्ट तो पशु मर गया और कितना तो बकाया है और मतलब है आप देखो तो सही.....(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : मजदूरी बकाया है अभी इसलिए सत्य तो बोलो.....

डा. बुलाकीदास कल्ला : अब मैंने तीन बातें कहीं पारदर्शिता थी। पारदर्शिता नहीं है तो आप बताइए कहां गड़बड़ घोटाला हुआ। एक भी नहीं बता सकते। इसी तरीके से पूरा पेमेन्ट हुआ। समय पर भुगतान हुआ, हर पखवाड़े का भुगतान हुआ, और 75 लाख लोगों को चाहे हमने टर्नवार रोजगार दिया हो लेकिन रोजगार दिया है। खास तौर से, मैं कहना यह चाहता हूं आपने उपाय क्या किये। अभी तक तो आपकी कोई तैयारी ही नहीं है। हम लोगों के वक्त में तो हम कोशिश करते रह जाते थे कि केन्द्रीय टोली आए, हमारा जायजा लें और हमको सहायता दें। हम लोगों ने 2002-2003 के लिए 7519.6 करोड़ रूपये की मांग की थी उसकी तुलना में कितना रूपया मिला, यह सब बातें माननीय मंत्रीजी जवाब देंगे तो पता लगेगा मांग के मुकाबले में राजस्थान को कितना 2002-2003 में पैसा मिला लेकिन इसके साथ-साथ, कुछ कदम ऐसे होने चाहिए जिन कदमों के बारे में सरकार की पूरी मानसिकता होनी चाहिए। मैं समझता हूं.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य......(व्यवधान) माननीय सदस्य....

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब जिलों की बात करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। बीकानेर जिला जहां से आप आते हैं वहां के लिए मैं आपको कहता हूं कि जिले की दस उचित मूल्य दुकानदारों के विरूद्ध 2345 से......

श्री अमराराम (धोद) : डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य यही हैं, इनसे बात कर लेना आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : 2345.67 क्विंटल गेहूं गबन की स्थिति में है प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी हैं इनके से 215.89 क्विंटल गेहूं की वसूली भी की गयी है। यह केवल बीकानेर की बात है, आप कहो तो हर जिले की बता दूं कितने तो बकाया हैं और कितनी रिपोर्टें दर्ज हुई हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : विराजों आप। यह एफ.आई.आर. हमारे वक्त में दर्ज हुई या आपने की। आपने दर्ज की या हमारे वक्त में ही हो गयी थी ?

डा. किरोड़ी लाल : हमने।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह उस समय जो गड़बड हुआ आपने कहा नहीं हुई, उसकी कह रहा हूं। कब हुई है यह आप कहो तो मैं रिकार्ड लाकर बता दूंगा। पर यह तो अभी पिछले सत्र में जब बात उठी उसके बाद एफ.आई.आर. दर्ज हुई है। पहले आपके समय में कुछ नहीं हुआ। ढका है उसको आपके समय तो। सुनी नहीं शिकायत आपने।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप विराजो। मेरी समझ में नहीं आता है.....(व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत : राज्यपाल महोदय द्वारा जो पैसे दिये गये हैं गौशालाओं को वह पूरे के पूरे पैसे इन्होंने वापस लिये हैं, इसका जवाब दें......

श्री महावीर प्रसाद जैन : यदि एक शब्द गलत हो....

डा. जालम सिंह रावलोत : राज्यपाल महोदय ने जो पैसे दिये वह वापस ले लिये.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य....(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : महावीरजी, आप भी ऐसी बात कर रहे हो, फिर परम्पराओं को तोड़ते हो आप। फिर हमारे लिये यह कहते हैं। आप खड़े हो गये, आपके दूसरे सदस्य खड़े हो गये। आप खुद डिस्टर्ब करते हो..... यह बात जानते हो और आप को हम कहें क्या.....

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैंने तो केवल करेक्शन किया। अच्छा प्रतिपक्ष के नेता बोलते हैं तो कोई नहीं बोलने चाहिए क्या ?

श्री रामचन्द्र सराधना : आप भी विराज जाओ.....

श्री महावीर प्रसाद जैन : आज तक नहीं बोले क्या कभी। अगर मैंने कोई गलत बात कही हो तो सदन छोड़कर चले......(व्यवधान) मैंने तो सिर्फ करेक्शन किया है। न तो मैंने आरोप लगाया.....(व्यवधान) मैंने केवल करेक्शन किया है....

श्री कैलाश त्रिवेदी : आपकी समस्याओं का समाधान सुन लो आप..... (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा : गलत परम्परा नहीं डालें आप...... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : पूरे राजस्थान की बात नहीं कही, केवल बीकानेर की बात कही है....

श्री कैलाश त्रिवेदी : राजस्थान की कहो ना....

श्री महावीर प्रसाद जैन : मुझे पता है आपकी पत्नी भी प्रधान रही है। आपको ज्यादा ज्ञान है मुझे पता है...

श्री कैलाश त्रिवेदी : मेरे तो बाप दादा, काका, मां, मेरी पत्नी और मैं सब पूरा खानदान चला आ रहा है। आप चिन्ता मत करो वह भी है....

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप सेवाभावी हैं मुझे पता है....

श्री कैलाश त्रिवेदी : वह तो बनते आएंगे जो जन्मपत्री में लिखा है वह आपसे नहीं टल सकता हमारा और आपका नाम भी महावीर जैन किसी पण्डित ने ही रखा है। आप सुनो पहले। मैं यह कह रहा हूं आप बार-बार इस बात को

उठा रहे हो माननीय गृह मंत्रीजी ने इस सदन में एक वक्तव्य दिया था कि वह जितनी भी हत्याएं और लूट आपके राज में बढ़ी हैं तो उन्होंने क्या कहा मैंने ऐसे कोई हत्यारों को निर्देश नहीं दिये कि आप हत्या करो। मैंने किसी हत्यारों को निर्देश नहीं दिये तो माननीय अशोक गहलोत ने किसी डीलर को ऐसे निर्देश नहीं दिये हैं इसलिये आपको जो जांच करनी हो, करें। न तो अशोक जी गहलोत ने दिये, न गुलाबजी कटारिया ने दिये हैं इसलिए आप इस तरह के आरोप न लगाएं और प्रतिपक्ष के नेता को बोलने दें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आरोप कहां है ? आरोप कहां लगाये हैं, मैंने केवल सूचना दी है, मैंने यह नहीं कहा कि आपने करवाया और इन्होंने गृह मंत्रीजी ने स्वीकार किया है...... (व्यवधान) गृह मंत्रीजी ने स्वीकार किया है कि यह हुआ है..... (व्यवधान

श्री कैलाश त्रिवेदी : सूचना...... (व्यवधान) मेरी बात सुनिए..... (व्यवधान) यह नहीं चलेगा...

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं तो यह कह रहा हूं कि आपके कहने से यह हुआ है....

श्री कैलाश त्रिवेदी : भट्ट जी भट्टा खाएं और औरों को ज्ञान बताएं और भैंस, गाय को कहें कि तेरी पूंछ काली, ऐसी मत बोलो धौली....... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : महावीरजी बोल लें 15 मिनट बढ़िया रहेगा। पूरी जानकारी हमको भी हो जाए.....

श्री उपाध्यक्ष : महावीर जी तो यही कह..... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं तो केवल करेक्ट कर रहा हूं..... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : जितनी गड़बड़ी हुई, कहां-कहां हुई, वह जानकारी पूरी आप दे देंगे, पूरी जानकारी हो जाएगी। विपक्ष के नेता तो बाद

(श्री अमराराम)

में ही बोल लेंगे, आपसे जानकारी हो जाएगी। आइन्दा से राजस्थान में 2004-2005 में कोई गड़बड़ी न हो, वह व्यवस्था आप बता दें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मना थोड़े करेंगे उसके लिए। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : माननीय मुख्य सचेतक महोदय, हमारे खाने में क्यों व्यवधान डाल रहे हैं ? एक घण्टा लेट खाना खाएंगे। आप व्यवधान मत डालें कृपा करके।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं तो यहां इन्तजाम कर दूंगा। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : अब वे बार-बार कहें कि दवाई तो देनी ही पड़ेगी आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कौनसी ?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : पाडे के दूध में तूम्बे के बीज मिलाकर, उसको लेना पड़ेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसा है + + + डालना पड़ेगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, आप सदन को रैगुलेट करो। चीफ व्हिप सबसे ज्यादा व्यवधान पैदा करें यह तो बहुत शर्म की बात है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैंने तो करेक्शन किया है, व्यवधान तो किया नहीं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मेरी आपको चुनौती है, बीकानेर सहित राजस्थान में जहां-जहां गड़बड़ी हो, उनको जेल के सींखचों में बन्द करें। (व्यवधान) आप क्या सरकार लिए बैठे हो ? यह हो गया, यह हो गया, आप एक्शन क्यों नहीं लेते ? आठ महीने क्या किया ? (व्यवधान)

आप देखिए, कहते हैं कि एज यू सो सो शैल यू रीप। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी केन्द्रीय सरकार थी उसने 9 हजार करोड़ रूपये का घाटाला किया, कौन जिम्मेदार है ? बताइए आप ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : गुस्सा क्यों होते हो आप ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : गुस्सा नहीं हो तो क्या हो ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने कहा हमारे यहा कुछ नही हुआ, आपने कहा कुछ नहीं हुआ, उसके लिए कहा है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैंने भी बता दिया। (व्यवधान) एन.डी.ए. की सरकार में 9 हजार करोड़ रूपये का घोटाला हुआ है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हमने मना कर रखा है ? आपकी सरकार है, कर लेना न कुछ।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हां, यह तो करेंगे ही।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो भी हो कर लो, कर लो, आप कहते हो हमारे यहां कुछ नहीं हुआ।

डा. बुलाकीदास कल्ला : जो सरकार में है उनको चाहिए कि वह एक्शन ले।

श्री उपाध्यक्ष : (व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : सबके बच्चों के लिए हो रहा है, बी.जे.पी. और कांग्रेस के, आप मस्त रहो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं सदन में यह कह रहा था कि अकाल को वास्तव में राजस्थान से हमेशा के लिए निकालने के लिए कुछ ऐसे आवश्यक कदम उठाने होंगे जिनके माध्यम से राजस्थान का हम बचाव कर सकें। मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहूंगा कि पहले राजस्थान में 12 डार्क जोन थे, अब 86 डार्क जोन बन गए। धीरे-धीरे हमारी भूमि के पानी का स्तर नीचे जा रहा है। इस बारे में हम क्या कर रहे हैं ? बीच में स्कीमें बनीं कि जितने सूखे शौचालय हैं उनको गीले शौचालय में बदला जाए। आज कोई भी अपनी सुविधा के लिए जाता है और 6 लीटर पानी ढोल कर आ जाता है। ऐसी स्थिति में, हमें राजस्थान में इन पाइन्ट्स पर विचार करना होगा कि हम पानी की बचत कैसे करें। पानी की बचत करने के लिए हम सब लोगों को पानी का

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

आप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के उपाय करने होंगे। वाटर हार्वेस्टिंग के उपाय करने होंगे।

मुझे याद है, मेरा घर पुराना है, करीब साढ़े तीन सौ वर्ष पुराना। उस घर में 10 आदमी साल भर तक पानी पी सकें। खाना बना सकें। नहा सकें, इतना पानी छत का इकट्ठा होकर घर के जल कुण्ड में इकट्ठा होता है। लेकिन आजकल जो मकान बनते हैं उनमें रबड़ की टंकियां लगाते हैं उसके कारण से वर्षा का जो पानी है वह कैसे इकट्ठा होगा ? इसलिए हमें वाटर हार्वेस्टिंग पर सबसे ज्यादा तवज्जो देनी होगी। गांव में, खेत में, ढाणी में, शहरों में, जो मकान है, सब जगह कम से कम जो भी मकान है, उनमें वर्षा का पानी इकट्ठा करने का काम करना चाहिए। ताकि यह बहकर व्यर्थ न जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं सातवीं, आठवीं कक्षा में पढ़ता था, बचपन में, गर्मियों की छुटिटयों में, जब मोर्निंग वाक पर जाते थे तो एक किसान एक लोटे से एक बेल को सींचता था, मैंने कहा कि इससे क्या होगा, उसने कहा बेल को पाल रहा हूं, बून्द-बून्द सिंचाई कर रहा था और सर्दी के दिनों में अच्छी ककड़ी का उत्पादन वह कर रहा था। धीरे-धीरे साइन्टिफिक मैथड आए। आज आप देख रहे हैं कि वैज्ञानिक खेती हो रही है, फव्वारा खेती जो हो रही है, इन सब चीजों का उपयोग करते हुए हमें वाटर मैनेजमेन्ट, जल प्रबन्धन का काम करने को राजस्थान में हमें तवज्जो देनी होगी ताकि कम से कम पानी का उपयोग करके हम ज्यादा से ज्यादा फसल कैसे ले सकते हैं, इसके उपाय के बारे में काम करना होगा। नहीं तो, मैंने कई बार देखा है, पानी की बारी के लिए ज्यादा पानी लगाकर लोग फसल खराब कर लेते हैं। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में हमारे यहां नहरों में कई जगह सेम की समस्या पैदा हो गई है जो पहले पंजाब में थी। इस समस्या के समाधान के लिए जल प्रबन्धन को सर्वोच्च प्राथमिकता राजस्थान में देनी होगी तब जाकर हम पानी की बचत कर पाएंगे। हम अपने घरों में भी पानी की बचत कर सकते हैं, इसके लिए पानी बचत के उपायों पर हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

जब प्राकृतिक आपदा आती है तो पशुओं और आदमियों में कई बीमारियां फैल जाती हैं इसलिए हमें हमारे पशु पालन विभाग और मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेन्ट को भी पूरा सक्रिय करना होगा कि वह टीम बनाकर गांवों में जाए और प्राकृतिक आपदा के कारण जो बीमारियां फैली हुई हैं, उनको ठीक करें। सबसे पहले तो मेरा सुझाव है कि पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में जहां अकाल की भयंकर समस्या है, वहां मिनरल मिक्सचर पशुओं को जरूर बांटा जाए, नहीं तो, पशुओं की स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि वह विभिन्न रोगों के शिकार हो जाएंगे। मिनरल मिक्सचर भी समय पर नहीं बंटा तो हजारों नहीं लाखों गाएं मौत के मुंह, अकाल मौत मर जाएंगी।

इसी प्रकार से, मैं खास तौर से कहना चाहूंगा कि राज्य में भारतीय खाद्य निगम के पास 5.54 लाख मीट्रिक टन अनाज है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा मंत्रीजी से कि आपने भारत सरकार को आने वाले समय में कितने अनाज की आवश्यकता होगी, कितना आपको गेहूं चाहिए, इसके बारे में कोई पत्र व्यवहार किया है ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राजस्थान की इस स्थिति के बारे में क्या आप कृषि मंत्री, भारत सरकार से मिले ? क्या आपने भारत सरकार को कोई पत्र लिखा ? यदि नहीं लिखा है तो मैं समझता हूं कि कृषि मंत्री, भारत सरकार, जिनसे हम लोग मिलकर आए, उन्होंने साफ कहा कि मैंने स्वयं राजस्थान सरकार को, आपके मुख्य मंत्री जी को चलाकर फोन किया है और उनसे कहा है कि हमारी सूचना के आधार पर.....।

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव) : कल्ला साहब, मुख्य मंत्रीजी आज सभी लोगों से मिलेंगी इस मामले में।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अच्छी बात है। यह उन्होंने आज से कम से कम 20 दिन पहले हमको यह सूचना दी थी कि हमने आपके मुख्य मंत्री से बात करके यह पूछा है कि राजस्थान की क्या स्थिति है। राजस्थान में सूखे के लिए आपने क्या तैयारी की है और हम लोग चलाकर आपको सहयोग देने के लिए तैयार हैं।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

कांग्रेस पार्टी की एक टीम गई, उसने भी प्रधानमंत्रीजी और भारत सरकार के कृषि मंत्रीजी से मिलकर राजस्थान की स्थिति से अवगत कराया। उसके कारण यहां स्टडी टीम आई। स्टडी टीम आने के बाद हमें पूरी उम्मीद है कि राजस्थान को इस सम्बन्ध में पूरी सहायता मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, अकाल में सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है रोजगार की। रोजगार के लिए सबसे बड़ा साधन है सड़क। सड़क हम स्टेट सेक्टर में बनाते हैं, कृषि उपज मण्डी से बनाते हैं और हम सड़क बनाते हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत। इस बारे में मेरा सुझाव है कि ठेका प्रथा को समाप्त करके तमाम कार्मो में मैटेरियल कम्पोनेन्ट सरकार दे और लेबर कम्पोनेन्ट फेमिन के अन्तर्गत करवाए। यदि हम सड़कें बनाएंगे तो मेरा दावा है कि आने वाले समय में लगभग 500 तक की आबादी के जितने भी गांव हैं बल्कि उससे नीचे तक भी हम ले जा सकते हैं, तीन सौ साढ़े तीन सौ तक की आबादी के जो गांव हैं उनको भी हम सड़क योजना से जोड़ सकते हैं और इससे काफी काम हो सकता है।

दूसरा काम है खादी और ग्रामोद्योग संस्थाओं के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम दे सकते हैं। किसान अपने खेत में, कुआ खुदवाए या कोई और काम करे तो मैटेरियल कम्पोनेन्ट उसको और लेबर कम्पोनेन्ट फेमिन के माध्यम से देकर हम काफी काम करा सकते हैं. हमको इन कार्यो में बी.पी.एल. परिवारों, जो गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहते हैं उनको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक विडम्बना है कि मैं राज्य में सरकारों के सभी मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इन दिनों दूध के रेट कभी कम नहीं हुए हैं, दूध के रेट सर्दी के दिनों मे कम होते हैं लेकिन इस बार डेयरी फैडरेशन ने दूध के रेट, जयपुर को छोड़कर कई डेयरी संघों ने एक रूपया लीटर कम कर दिया है एक तरफ आप चारा महंगा कर रहे हैं, सदन के सभी सदस्यों ने बात की थी, दूसरी तरफ जो आप दूध का पैसा देते हैं, दूध आप सस्ते मूल्य पर खरीदना शुरू कर देते हैं। यह दोहरी मार है किसानों पर, इसको आपको दूर करना चाहिए।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

मैं खास तौर से कहना चाहूंगा कि राजस्थान में राहत कार्यों में ज्यादा से ज्यादा तालाब, नाड़ी, सड़कें, खादी ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग को अपना प्रोत्साहन देकर इस बुरे समय में हम सब लोगों को मिलकर इसका सामना करना चाहिए। मुझे उम्मीद है, उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से माननीय सदस्यों ने अपने अमूल्य सुझाव दिये हैं उन सुझावों के आधार पर आप अपना रिप्लाई देंगे और इस प्राकृतिक आपदा से मुकाबला करने के लिए हम एकजुट होकर काम करेंगे और साथ ही साथ, मैं यह भी कहना चाहूंगा अभी तक आपकी तैयारी है नहीं,. आज आपकी मुख्य मंत्रीजी मिलने गई हैं, एक महीने से आपके यहां बरसात नहीं हो रही थी तो इतने दिन बाद क्या कर रहे थे ? आपने जिला प्रभारी पूजा करवाने के लिए बना दिये, लेकिन पूरा सदन जानता है कि अकाल के लिए प्रभारी मंत्री आपने अभी बनाए हैं और प्रभारी मंत्रियों को कम से कम 5 दिन हर जिले में जाकर जन-प्रतिनिधियों से, प्रधानों से, प्रमुखों से, एम.एल.एज्. के साथ बैठकर यदि विचार-विमर्श करेंगे और कठोर से कठोर उपाय करेंगे तब जाकर अकाल का मुकाबला कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में अकाल पर बड़ी सार्थक चर्चा हुई और सार्थक चर्चा ही नहीं हुई जमकर चर्चा हुई, करीब 8-9 घण्टे हुई और जिन-जिन माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये, इतना पार्टिसिपेशन जिन-जिन सदस्यों ने किया है उन माननीय सदस्यों का मैं बहुत-बहुत आभारी हूं और लुब्बोलुबाव एक बात सामने आई कि सरकार को चारे की व्यवस्था करनी चाहिए, रोजगार की व्यवस्था करें, पेयजल की व्यवस्था की जाए, जल प्रबन्धन को प्राथमिकता दी जाए, जैसे अभी कल्ला जी बोल रहे थे जल संग्रहण के कार्यों को प्राथमिकता दें, अकाल के कार्य खोले जाएं और मजदूरों के कूपन जो भुगतान के बकाया हैं उस बकाया भुगतान को करें। जो कोई घोटाला हुआ है, गड़बड़ हुई है उसकी जांच हो, आगे न हो ऐसा घोटाला, ये बातें आई।

(डा. किरोड़ी लाल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पर बोलने से पहले अकाल की पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगा और यह अकाल प्रकृति की देन है, ईश्वर की देन है। प्रकृति का चाहे बैलेन्स बिगड़ा हो, दोहन ज्यादा हुआ हो, जिस किसी भी कारण से यह स्थिति बनने लगी है, उपाध्यक्ष महोदय, यह नयी स्थिति नहीं है। अभी पहाड़िया जी परसो बोल रहे थे तो मैं उनका भाषण सुन रहा था। वो कह रहे थे कि आपने पूजा की लेकिन पूजा मन से नहीं की, आपने पूजा बेमन से की। पूजा की बात कल्लाजी भी कह रहे थे कि इसका आध्यात्मिक पक्ष है इस बात को तो कल्लाजी मानते हैं। अपने महीपाल जी ने कहा था कि दुख में स्मरण सब करें सुख में करे ना कोय। हमने तो बहुत पहले ईश्वर का स्मरण किया और उस ईश्वर का स्मरण किया तो उस पर आपको दर्द हुआ और हमारे यहां पर जो प्रार्थना हमने मन्दिरों में की, पूजा-पाठ किया, बड़े कटाक्ष किये कांग्रेस के मेरे भाइयों ने, विरोध भी किया। प्रभू की सत्ता के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। प्रभू की सत्ता के बिना फूल भी नहीं खिलता है। अगर आप प्रभू की सत्ता में विश्वास नहीं रखते हो तो भले आप खूब विरोध करें, यह हमारे मुख्य मंत्रीजी ने भी कहा है कि अकाल को दूर करने के लिए हमारे मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि पूजा-अर्चना कराये जाने को लेकर मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि अनादिकाल से खुशहाली के लिए भगवान की प्रार्थना और पूजा करने की परम्परा चली आ रही है। इस परम्परा को कायम रखने के अलावा हमने और कुछ नहीं किया। यदि ईश्वर की आराधना को कांग्रेस गलत मानती है तो यह गलती करने में मुझे कोई संकोच नहीं। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा और राज्य सरकार ने 21 जून को पुष्य नक्षत्र पर राज्य के अनेक धार्मिक स्थलों पर खुशहाली और अच्छी बारिश के लिए प्रार्थना की। माननीय मुख्य मंत्रीजी ओसियां में सच्चिया माताजी के मन्दिर में गई। माननीय गृह मंत्रीजी नाकोड़ा मन्दिर में गये, संयमजी भी आते हैं उस मन्दिर में। माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी झारखण्ड महादेव में। माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी रावदेवरा में। माननीय वासुदेव देवनानीजी अमरापुरा में। संसदीय सचिव भवानी सिंहजी चंदमौली में। पंचायत राज मंत्री कालूलालजी रावसन मेमोरियल कैंथोलिक चर्च में। भाई युनुस खान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में, वन एवं खान मंत्री लक्ष्मीनारायण दवे कोटेश्वर महादेव, पुष्कर में। सिंचाई मंत्री

(डा. किरोड़ी लाल)

सुरेन्द्रजी राठौड़ महाकालेश्वर मन्दिर, उदयपुर में, कृषि राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्रपाल टीटी गुरूद्वारा बुड़ाझोड़, बीकानेर में। यह जो साम्प्रदायिक सदभाव, आप कई बार हमारे खिलाफ बोलते रहते हो कल्लाजी....

श्री उपाध्यक्ष : और डा. किरोड़ीलालजी ?

श्री संयम लोढ़ा : आप आदिवासी हो इसलिए आपको पूजा करने का मौका नहीं दिया सरकार ने।

डा. किरोड़ी लाल : मुझे आज यहां विधान सभा में बोलना था तो मैं आज प्रभू से प्रार्थना करके आया था, कल मैंने तैयारी की थी तो बारिश हो गई। आप मुख्य मंत्रीजी के बारे में कह रहे थे कि ऐसी सार्थक बहस में भी मुख्य मंत्रीजी यहां पर नहीं रूकीं। कल्लाजी, मुख्य मंत्रीजी को चिन्ता है। जो चिन्ता आप जता रहे थे उससे बढ़कर चिन्ता मुख्य मंत्रीजी को है और मुख्य मंत्रीजी ने दिल्ली में जाकर क्या किया है वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि उनके अथक प्रयास के परिणाम जो हमारे सामने आये मैं आपकी जानकारी में देना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं लम्बे-पूरे मामले में तो नहीं जाना चाहता, पर यह जो अकाल पड़े हैं इसमें राजस्थान पर अकालों की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। आजादी के पहले एक छपनिया अकाल पड़ा जिसके बारे में हम सभी सुनते हैं, जानते हैं। आजादी के बाद 1985-86 में अकाल पड़ा, 1986-87 में पड़ा, 1987-88 में पड़ा, 1999-2000 में पड़ा, 2002-2003 में पड़ा। 1981 से 82 तक छोटे-मोटे अकाल पड़ते रहे। ये थपेड़े राजस्थान की जनता को लगते आये हैं, लेकिन छपनिया अकाल जितना भीषण पड़ा वो बड़ा भीषण अकाल था और उसमें एलवडेज ने अपनी पुस्तक "हिस्ट्री इकोनोमिक्स आफ इण्डिया फेमिन्स, 1914" में उसका विस्तृत वर्णन किया है। मैं उसकी ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन वो त्रिकाल था जिसमें न खाद्यान्न मिला, न चारा मिला, न पानी मिला और मानव और मवेशी पलायन कर गये। इन्सान से इन्सान बिछड़ गया। बच्चे बेचकर भूख मिटाई कई जगह। पेड़ की छाल और घास

(श्री किरोड़ी लाल मीणा)

खाकर पेट की भूख मिटायी। इस ढंग के अकाल भी इस धरती पर पड़े हैं, लेकिन उनका सामना यहां की जनता ने बड़ी हिम्मत के साथ किया है।

एक हल्का सा समय मैं आपका जरूर लेना चाहूंगा, जानकारी देना चाहूंगा, आपको भी, मुझे भी जल्दबाजी है, कल्लाजी आप वेदों के बारे में विश्वास रखते हैं। भारतीय परम्परा में वेद सर्वाधिक सम्मान पुस्तक है और कल्लाजी, वैदिक विश्व ने ऐसे अंनेक सूक्तों की रचना की है। जिनके परायण से अनावृष्टि और अकाल को दूर किया जा सकता है। करोड़ों आज भी इस पर अटूट विश्वास करते हैं। आजकल अंग्रेजी में हम जिस शब्द को मानसून कहते हैं वह मृदुगण है और ऋग्वेद का पर्जन्य सूक्त तो प्रसिद्ध है, उनके अनेक सूक्तों में बरसात के लिए मृदु की प्रार्थना की गई है और कृष्ण यजुर्वेद की 73वीं संहिता में इष्ट विधान नामक चौथे पाठ में अनावृष्टि व अकाल के निवारण के लिए करीरी यक्ष का विधान बताया गया है। करीरी इष्ट का एक मन्त्र है, कल्ला जी, 'मारत वसि मृदांमोर्जो पाम धाराम इंदि, अर्थात् मृदुगण नामक है वायु, तुम जलधारा को अन्तरिक्ष से हम तक लेकर आओ, इसका अर्थ यह है। विश्व में अप्रीतम स्थान रखने वाली भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, अन्नाद, भवन्ति भूतानि, परजान्य अन्न संभवे, यज्ञात भवन्ति पर्यन्ये यज्ञकर्समुदवाय, यानी प्राणी अन्न से पैदा होता है, अन्न बरसात से, बादलों से पैदा होता है और वर्षा यज्ञ से होती है। (व्यवधान)

श्री दाताराम गुर्जर : एक यज्ञ विधान सभा में भी करवा दो यहां पर। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा : कल्ला जी, मैं इसलिए कह रहा हूं।

श्री दाताराम गुर्जर : एक यज्ञ यहां विधान सभा में करवा दो ताकि राजस्थान का भला हो जाए, सब विधायक मिलकर।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : कर रहे हैं, हम कर रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप मंत्री जी इसको देखकर पढ़ रहे हैं, यह मुझे कंठस्थ है।

डा. किरोड़ी लाल : हां, आपको कंठस्थ है आप तो ब्राह्मण पुत्र हैं, आपको तो कंठस्थ होगा ही। (व्यवधान) लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं आप लोगों को यह बात पची नहीं। (व्यवधान) बाल्मिकी रामायण के बाल कांड में एक कथा आती है कल्ला जी. अन्न देश के राजा रोमपाल जी, हेमाराम जी, अन्न देश के राजा रोमपाल जो कि दशरथ के मित्र थे, के यहां 12 वर्ष तक बरसात नहीं हुई, जनता त्राहि त्राहि कर उठी, सब उपाय खोजे तो ध्यान में आया कि महर्षि कश्यप पौत्र श्रृंगी ऋषि को यदि नगर में ले आया जाए तो बरसात हो सकती है, उस ऋषि को लायें और बरसात हो गई। बाल्मिकी रामायण के बाल कांड के दशम् सर्ग के 29वें श्लोक में कहते हैं कि जब-जब किसी राज्य में अनावृष्टि के कारण अकाल की स्थिति आये तो बाल्मिकी रामायण के बाल कांड के 8वें से 11वें सर्ग का पाठ करना चाहिए। यही कथा महाभारत के वन पर्व में आती है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार के माननीय मंत्री जवाब दे रहे हैं या + + + जवाब दे रहे हैं। जनता त्राहि त्राहि कर रही है और ये + + + बैठे हुए हैं। (व्यवधान) लोग तो भूख से बिलबिला रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, यह बताओ आप ? कोई जवाब है यह ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : उससे बारिश हो गई है और उससे बारिश हो गई है, राजस्थान का भट्टा बैठा दोगे आप लोग (व्यवधान) काम की बात करो। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : इतने नास्तिक हो गये क्या, आपका धर्म मर गया ? सुनना भी आप पसन्द नहीं कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल खटीक : उनकी मानसिकता क्या है ? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : डा. साहब, इतना बता दें, यह सब जितने भी ग्रन्थ हैं, अगर इनके करने से बरसात होती तो शायद आज तक राजस्थान में एक दफा भी अकाल नहीं पड़ता। (व्यवधान)

श्री संयम लोढा : अकाल नहीं पड़ा कभी, जो प्रदेश 40 साल से अकाल झेल रहा है। + + + की तरह यहां पर भाषण दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : ऐसे ही हैं। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय सदस्य, आपके बस की बात नहीं है तो बैठें। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : बात कम्युनिस्ट और कांग्रेस की नहीं है, अगर इससे होता तो फिर नहर बनाने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान) हजारों, करोड़ रूपये खर्च करने की जरूरत नहीं है। यह काम चालू कर दो इससे होता हो तो (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : यह इनका कसूर नहीं है, इनकी पार्टी की अध्यक्ष है ना, वह इटली की रहने वाली है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अब मंत्री जी का जवाब आने दें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढा : यह 21वीं सदी की चर्चा हो रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : इनका कसूर नहीं, इनकी पार्टी की अध्यक्ष हैं वह विदेशी हैं। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : सारे ग्रन्थों को यहां पढ़ो, बरसात हो जाए तो सारी रात सुनने के लिए तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : सुनो तो सही पहले। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : अगर बरसात करने के ग्रन्थ हैं। (व्यवधान) हम सारी रात सुनने के लिए तैयार हैं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : एक आपके मन की बात कहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह आस्था का प्रश्न है, आप इसमें क्यों बीच में बोलते हैं ? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : राजस्थान में कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरेगा, कोई बच्चा भूख से नहीं मरेगा। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : वह दिल्ली में इटली की रानी बैठी है ना और आपके जैसे बैठे हैं जब यह बारिश नहीं हो रही। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मैं हेमारामजी के मन की बात कह देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अमराराम जी नहीं मानेंगे। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : हेमाराम जी, जोधपुर में रविवार को इटली के विदेशियों ने कुंजबिहारी के मन्दिर में इन्द्रदेव को मनाने के लिए रूद्राभिषेक व प्रार्थना की (व्यवधान) और मुख्य सचेतक, बीकानेर में मुस्लिम समाज ने 40 टन दूध की खीर बनाकर खिलाई और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की तो इनको फिर मना नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : हम तो मान गये पण्डित किरोड़ी लाल जी हो गये आज से आप।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें बहुत खुशी हो रही है आज कि अकाल राहत मंत्री जी जो बात कह रहे हैं, प्रत्येक मनुष्य आध्यात्मिक विचार रखता है, यह बात ठीक है कि वह इबादत कहां करता है लेकिन बड़ी प्रसन्नता हुई कि जो आज आथेंटिक बातें कह रहे हैं और वे ओथेंटिक ग्रन्थ से कह रहे हैं, हमको इस बात की खुशी हो रही है।

श्री ओम बिरला : माननीय सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य को पता नहीं है। (व्यवधान) महीपाल जी से शिक्षा लो। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा : वह भी बताऊंगा। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : केन्द्र सरकार से न सहायता लेने की जरूरत है, न इन्तजाम करने की जरूरत है, केवल पाठ करो और यज्ञ करो। इससे व्यवस्था हो जाएगी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मौका आने पर बताएंगे।

डा. किरोड़ी लाल : अमराराम जी, मैं इस बात को छोड़ देता हूं, मैं इस बात को छोड़कर आगे बढ़ रहा हूं।

श्री जुबेर खान : तानसेन मेघ मल्हार गाते थे तो भी बरसात हो जाती थी। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : सब इन बातों को छोड़कर चूंकि आपके पेट में ज्यादा ही कुछ दर्द हो रहा है। (व्यवधान) हमको आप विद्वान नहीं बनने देना चाहते। (व्यवधान) आप नहीं चाहते। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने देश में अच्छी तरह से देखते हैं और बहुत दिनों से इस बात को देखते आ रहे हैं कि आसाम और बिहार दो ऐसे स्टेट हैं। जहां पर बाढ़ आती है और राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा और आन्ध्र ऐसे राज्य हैं जहां पर भीषण अकाल पड़ता है। अभी आन्ध्र में भी हालत खराब है। गुजरात में भी हालत ठीक नहीं है, महाराष्ट्र में भी ठीक नहीं है। इस विषमता को खत्म करने के लिए इस धरती पर एक आधुनिक भागीरथ ने जन्म लिया और वह है अटल बिहारी वाजपेयी, जिसने यह सपना देखा कि यदि हिन्दुस्तान की सब नदियों को जोड़ा जाए तो जहां ज्यादा पानी है, वहां बाढ़ की समस्या के खतम किया जाय और जहां अकाल पड़ता है। पानी कम है वहां पर पानी की बहुतायत की जाए लेकिन दुर्भाग्य है कि उन्होंने जो सपना देखा था वह सपना अब यू.पी.ए. की सरकार ने ठण्डे बस्ते में डाल दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ आपको यह बताना चाहूंगा कि राजस्थान का अधिकांश भाग रेगिस्थानी है और कम वर्षा वाला प्रदेश है। यह अपन सभी जानते हैं। इस कारण राज्य में आमतौर पर किसी न किसी हिस्से में अकाल पड़ता रहता है। अपने यहां बरसात जुलाई से सितम्बर के मध्य होती है और बुवाई लायक बरसात माह जुलाई में होती है। जिसमें औसत से कम वर्षा होने, समय पर पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण बोयी गई फसलों में खराबा होने के फलस्वरूप राज्य में इस समय अभाव की स्थिति पैदा हो गई है और राज्य पिछले कई वर्षों से इस अभाव की स्थिति से, सूखे से या अकाल से जूझ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, Rajasthan is the driest State of India. जो हिन्दुस्तान है, इण्डिया का जो एवरेज रेनफाल है वह 833

(डा. किरोड़ी लाल)

मिलीमीटर है जबकि अपने यहां रेनफाल 531 मिलीमीटर है जिसको अभी तक कभी छुआ नहीं और इसलिए जो राजस्थान में अब की बार बरसात आई वह मानसून की जो पहली स्टेज है, प्रथम दौर 16 से 19 जून को उदयपुर, जोधपुर और कोटा सम्भाग में हल्की और मध्यम बरसात हुई। दूसरे दौर में 4 से 7 जुलाई तक अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, बारां, बूंदी, झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर एवं राजसमन्द में हल्की एवं मध्यम बरसात हुई। तीसरा दौर 6 से 7 जुलाई तक चला जिसमें बीकानेर, जयपुर एवं कोटा डिवीजन में हल्की एवं मध्यम बरसात हुई। चौथा दौर 16 से 20 जुलाई तक चला जिसमें उदयपुर. कोटा, अजमेर जोन तथा आंशिक जयपुर जोन एवं जोधपुर जोन के पाली जिले में तथा जोधपुर जिले के कुछ भाग में मध्यम बरसात हुई। पांचवां दौर 26 से 29 जुलाई तक चला जिसमें 26 को अजमेर, उदयपुर सम्भाग में हल्की बरसात, 27 को उदयपुर, जयपुर एवं कोटा सम्भाग में हल्की एवं मध्यम बरसात, 28-7-2004 को जयपुर, उदयपुर सम्भाग में हल्की बरसात. 29-7-2004 को अजमेर, कोटा, उदयपुर सम्भाग में हल्की एवं मध्यम बरसात हुई। गत वर्ष 31 जुलाई, 2003 तक जैसे विपक्ष के नेता बता रहे थे 250 मिलीमीटर तो सामान्य वर्षा हुई थी इसके विरूद्ध 28-7-2004 तक मात्र 112.02 मि.मी. वास्तविक बरसात हुई जो -55.20 प्रतिशत सामान्य बरसात से कम है तथा गत वर्ष 28-7-2003 तक सामान्य बरसात 236.33 मि.मी. थी तथा वास्तविक बरसात 112.072 मि.मी. हुई जो यह 52.7 प्रतिशत के माइनस में आ जाती है। अब उपाध्यक्ष महोदय, जो बुवाई की स्थिति है, वह मैं सदन को बताना चाहूंगा। 70 प्रतिशत व इससे अधिक बुवाई हुई भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमन्द, कोटा, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, बून्दी, भरतपुर एवं उदयपुर। 50 से 70 प्रतिशत बुवाई हुई अजमेर, जयपुर, सीकर, धौलपुर, टोंक, जालौर, करौली, हनुमानगढ़ और डूंगरपुर। 30 से 50 प्रतिशत बुवाई हुई सवाई माधोपुर, दौसा झुन्झुनूं, अलवर, गंगानगर, पाली एवं सिरोही और 30 प्रतिशत से कम बुवाई हुई बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर एवं नागौर। उपाध्यक्ष महोदय, 28-7-2004 तक पूरे राज्य में 129 लाख हैक्टेर के विरूद्ध केवल 51.38 लाख हैक्टेर क्षेत्र में बुवाई हुई है। इस प्रकार से बुवाई बहुत कम हो पायी है।

(डा. किरोड़ी लाल)

पानी की स्थिति पर भी माननीय सदस्य बहुत चिन्ता व्यक्त कर रहे थे। पिछले कई वर्षों से लगातार बरसात नहीं हो रही जिसके कारण जल स्रोत सूख गये, वाटर लेबल नीचे चला गया और वर्षा नहीं होने के कारण जल ग्रहण के अधिसंख्य स्रोत खाली पड़े हैं, यह बात सही है इसलिए पीने के पानी की स्थिति भी गम्भीर है और यह संकट अगर और बरसात नहीं हुई तो और भी ज्यादा गहरा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, चारे की व्यवस्था के लिए जो जिला प्रभारी सचिवों को हमने राजस्थान में भेजा था उन्होंने 4 जिलों के बारे में जिला करौली, उदयपुर, चूरू एवं चित्तौड़गढ़ में चारे की आवश्यकता बताई। अभी कह रहे थे, कल्ला जी बड़ी चिन्ता कर रहे थे कि राज्य सरकार द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई....

श्री रामलाल (बनेड़ा) : ......अभी भी चारा खरीद रहे हैं लोग-बाग भीलवाड़ा में। अभी आज की तारीख में भी चारा खरीद रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल : जहां कमी है वहां है।

श्री हेमाराम चौधरी : ......यह आपकी रिपोर्ट है तो फिर आप क्या बता रहे हो और क्या प्रबन्ध करने जा रहे हो ? वहां कुछ भी नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल : हेमाराम जी, आवश्यकता नहीं है वहां, आवश्यकता की नहीं कह रहा, ये वहां हैं जहां अत्यन्त ज्यादा चारे की कमी है। चारे की कमी सब जगह है पर जहां भीषण स्थिति जिनको कह सकते हैं वह इन 4-5 जिलों में है।

श्री हेमाराम चाधरी : आज की तारीख में बाड़मेर में लोगों ने पशु छोड़ दिये हैं उनके लिए कोई चारे की व्यवस्था नहीं है। चारे के अभाव में पशु मर रहे हैं धड़ाधड़ और आप कह रहो हो चारे की आवश्यकता नहीं है। आप जांच करवा लो न।

डा. किरोड़ी लाल : आप बैठो तो सही, मैं जवाब दूंगा.

श्री रामलाल (बनेडा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पिछली साल का अकाल अभी भी चल रहा है। पिछली साल के अकाल राहत कार्य अभी भी चल रहे हैं और वहां चारा लोग खरीद रहे है और आपकी रिपोर्ट में है ही नहीं यह।

श्री उपाध्यक्ष : बता रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल : यह आप टोक रहे है न....

श्री जुबेर खान : जो जो करोगे बता दो।

श्री संयम लोढ़ा : मंत्री जी, आपको हमको 8 घण्टे सुनना पड़ा, आप भी पूरा बदला लोगे क्या ?

डा. किरोड़ी लाल : मैं पूरा बदला लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपको पूरा सन्तुष्ट किया जाएगा। माननीय मंत्री जी। आपको पूरा सन्तुष्ट किया जाएगा।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने यह कहा था कि आपने अब तक क्या कार्यवाही की तो मैं प्रतिपक्ष के नेता का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि हमने 13-7-2004 को एक आदेश निकाला और जिलों के प्रभारी सचिव बनाये और उनको यह आदेश दिये कि 17 व 18-7-2004 को आवश्यक रूप से पूरे प्रदेश में दौरा करके फसल के खराबे, बरसात की स्थिति की रिपोर्ट लाकर के दें। इसके बाद में कल्ला जी, हमने 14-7-2004 को एक आदेश जारी किया जिसमें समस्त जिला कलक्टर्स को हमने यह कहा कि 31-7-2004 तक वर्षा की स्थिति की निरन्तर समीक्षा करते रहें तथा अगर पर्याप्त वर्षा नहीं होती है तो जिलों की फसल की स्थिति, चारा, पेयजल, खाद्यान्न आदि का सर्वे आंकलन कराया जाकर के संलग्न प्रपत्र के साथ भेजें। एक हमने यह आदेश निकाला और हमने आदेश एक निकाला 16-7-2004 को और कम वर्षा से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश राजस्थान की सरकार ने दिये। जिसका लम्बा पूरा, इसमें मैं जाना नहीं चाहता, इस बारे में एक 28-7-2004 को हमने आदेश दिये कि सम्भाव्य अभाव स्थिति में सूखा प्रबन्धन के अन्तर्गत प्रभावी तैयारी हेतु दिशा-निर्देश

(डा. किरोड़ी लाल)

जिसमें राहत कार्यों की स्वीकृति की प्रक्रिया एवं प्राथमिकता, जलग्रहण में प्राथमिकता दिये जाने के सम्बन्ध में, सूखा प्रबन्धन में श्रम नियोजन की तैयारी करना, असहाय सहायता के पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार करना, गेहूं के रूप में मजदूरी के भुगतान के सम्बन्ध में, इस ढंग से दिशा-निर्देश देकर के, चारे के लिए परिवहन अनुदान और गौशाला एवं कैटल कैम्पों के भुगतान के सम्बन्ध में व्यवस्था के आदेश हमने जारी किये।

उपाध्यक्ष महोदय, ये माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों का कहना कि सरकार सावचेत नहीं थी, हम तो 13 जुलाई को बजट भाषण के बाद सचेत हो गये थे और हमने यह निर्देश दिये थे। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य सचिव भी प्रति सप्ताह कम व.ा से उत्पन्न स्थिति से सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। 11.30 बजे रोज कितना रेन-फाल हुआ, इसकी रिपोर्ट हमारे पास आ जाती है। इसी प्रकार प्रत्येक जिले में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, जलदाय विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को प्रभावी निगरानी के निर्देश दिये गये हैं और इसी प्रकार से इस वर्ष राज्य में तीन जिलों में, उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमन्द के 649 गांवों में अभाव की स्थिति घोषित की गई थी, जिसका समय हमने 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है और राज्य में 1062 गांव व ढाणियों में 15,521 टैंक ट्रिप प्रतिदिन पानी का, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं तथा 29 कस्बों में 3670 टैंक ट्रिप प्रतिदिन एवं छह कस्बों व 27 गांवों में रेलवे द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यह बात महत्वपूर्ण है, रेलवे से परिवहन का खर्चा हमको केन्द्र सरकार नहीं दे रही है, हम खुद हमारा खर्चा भुगत रहे हैं। केन्द्र सरकार को माह अगस्त एवं सितम्बर के लिए हमने यह कहा कि आप क्या करना चाहते हो ? यहां टोली आई और कल्लाजी कहते हैं, हम टोली लेकर आये हैं। आज भी टोली सब जगह गई, महाराष्ट्र में भी गई, गुजरात में भी गई......

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वहां कल्लाजी नहीं हैं क्या ? महाराष्ट्र है, राज है वहां भी।

डा. किरोड़ी लाल : वहां कल्लाजी हो सकते हैं, वहां भी गई लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, ये गये थे लेकिन यह रावी-व्यास जल विवाद के चक्कर में....

डा. बुलाकीदास कल्ला : इसकी भी बात करके आये हैं।

डा. किरोड़ी लाल : इसमें इन्होंने हमें सहयोग दिया इसके लिए मैं उनका आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं लेकिन हमारी मुख्य मंत्रीजी शरद पवार, कृषि मंत्रीजी से मिलीं और उसके बाद यह टोली आई। टोली ने निरीक्षण किया तो टोली से यह कहा कि हमको अभी एट रेंडम दो लाख मैट्रिक टन गेहूं उपलब्ध कराया जाये। इसके लिए दो लाख मैट्रिक टन की हमने मांग कर रखी ताकि हम काम जल्दी चला सकें और पाली से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे, पाली जिले के लिए रेलवे परिवहन द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने के लिए मुख्य सविच रेलवे ने चेयरमैन रेलवे बोर्ड, सचिव, जल संसाधन भारत सरकार और केबिनेट सचिव से निवेदन किया है एवं एक अगस्त, 2004 से पाली शहर एवं पेयजल से प्रभावित अन्य कस्बों, गांव-ढाणियों को पांच ट्रेनों के माध्यम से जोधपुर एवं जवाई से पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी कल्लाजी हमसे हिसाब पूछ रहे थे, मैं प्रार्थना करना चाहूंगा आपको कि जिस ढंग का सहयोग अकाल की उस विपत्ति में भारत सरकार ने दिया, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया, उस ढंग का सहयोग अगर केन्द्र सरकार से हमको मिलता रहेगा तो मैं आपको, पूरे सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इससे भी बेहतर कुशल प्रबन्धन अकाल का कर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, संवत् 2059 के आंकड़ों की तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, इसमें दो वित्तीय वर्ष पड़ते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सी.आर.एफ. में कुल 467.84 करोड़ रूपये और एन.सी.सी.एफ. में 946.82 करोड़ रूपये प्रास हुए। ये 946.82 और 467.84, यह अब तक की दी गई सहायताओं का रिकार्ड है, आज तक इतनी सहायता नहीं दी गई। निवेश के माध्यम में 3.91 करोड़ रूपये आये। इसी प्रकार प्रधानमंत्री सहायता कोष से 4.95 करोड़ रूपये प्राप्त हुए। इस प्रकार कुल 1422.75 करोड़ रूपये की प्राप्ति

(डा. किरोड़ी लाल)

हुई, वह बता रहा हूं मैं और इसमें जो खर्च किया, 1276.98 करोड़ रूपये, 146.17 करोड़ की बचत रही। दिल्ली की सरकार ने अपना खजाना खोल दिया कि राजस्थान में कोई भूख से नहीं मरना चाहिए, कोई पलायन नहीं होना चाहिए, पशुधन का नाश नहीं होना चाहिए और मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2059 में अकाल की पूरी राशि भारत सरकार की सहायता से खर्च की गई, राज्य के संसाधनों से एक पाई भी अकाल पर नहीं लगाई गई, उपाध्यक्ष महोदय...

डा. बुलाकीदास कल्ला : लेबर कम्पोनेन्ट उस समय कौन दे रहा था मंत्रीजी, लेबर कम्पोनेन्ट, मैटेरियल कम्पोनेन्ट जो है वह कौन दे रहा था उस समय और उसमें दो तरह की मजदूरी थी गेहूं और कैश, कैश कम्पोनेन्ट पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेन्ट ने दिया था, क्या बात करते हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप भूल गये। जिम्मेदारी से बात किया करो थोड़ा सा पढ़ के आया करो।

श्री कालूलाल गुर्जर : आपके टाइम में पक्के काम हुए ही नहीं थे अकाल राहत में। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कल्लाजी, संवत् 2059 में रिकार्ड गेहूं दिल्ली की सरकार ने दिया, जो 32.05 लाख मैट्रिक टन है, जिसकी कीमत 1474.21 करोड़ रूपये, इतना गेहूं दिल्ली की सरकार ने दिया और पिछले वर्षों में बकाया रह गया, उपाध्यक्ष महोदय, जो चुनाव में इनको भी दिक्कत आई, जब ये चुनाव प्रचार में गये तो इनको हर जगह कूपनधारी मिलते थे कि हमारा गेहूं रह गया मजदूरी का, वह हमें दो। उपाध्यक्ष महोदय, ये मुख्य सचेतक महोदय ने यह मामला उठाया था गत विधान सभा के सत्र में।

मैं एक बार सवाई-माधोपुर से जयपुर आ रहा था तो अलीगढ़ पंचायत समिति में, जैसे ही मैं मंत्री बना, मुझे मजदूरों ने घेर लिया। मैं पंचायत समिति में गया। आपको सुनकर यह अफसोस होगा उपाध्यक्ष महोदय, कि अकेली अलीगढ़ पंचायत समिति अलीगढ़ में 70,000 क्विंटल गेहूं का गबन

था। मैंने यह बात सुनी और सुनने के बाद मैंने उनको विश्वास दिलाया, पूरे सदन को कि हम इसका विशेष दल बनाएंगे और हमने विशेष दल बनाया। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस बात का मुझे फख्र है कि 196 एफ.आई.आर. अब तक दर्ज हो गई जिनमें 84,000 क्विंटल गेहूं उन एफ.आई.आर. में है। इतना गेहूं डकार गये। मैं यह नहीं कह रहा हूं ये खा गये, व्यवस्था में कहीं न कहीं खामी रही होगी लेकिन ये हमको कह रहे थे कि अब क्या कर रहे हो तो मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने ये इंटरिम मेमोरेण्डम तैयार किया है और उस समय इंटरिम मेमोरेण्डम को हम देना तो जल्दी चाहते थे, इसलिए उस दिन वक्तव्य देना चाहते थे, आप लोगों ने उसका विरोध किया और यह कहा कि हम तो चर्चा चाहते हैं वरना हम तो उसी दिन वक्तव्य देकर मेमोरेण्डम भारत सरकार को भेजने वाले थे। उपाध्यक्ष महोदय, इस मेमोरेण्डम में जो भारत सरकार से मांग की है, जिसमें मैं सहयोग चाहूंगा कल्लाजी का और पूरी कांग्रेस का....

श्री हेमाराम चौधरी : पूरा सहयोग मिलेगा, आप चिन्ता मत करो।

डा. किरोड़ी लाल : हेमारामजी, इसमें एम्पलायमेन्ट जनरेशन के लिए 73.20 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 5611.88 करोड़ रूपये की हमने आवश्यकता बताई है। उपाध्यक्ष महोदय, केटल कंजर्वेशन के लिए फोडर ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी 234.7 करोड़, केटल कैम्प सब्सिडी के लिए 666.00 करोड़, गौशाला सब्सिडी के लिए 99 करोड़, केटल फीड सब्सिडी 285.00 करोड़ मिनरल मिक्सचर जिसकीं चर्चा माननीय प्रतिपक्ष के नेता कर रहे थे 69 करोड़, ड्रिंकिंग वाटर के लिए 450 करोड़, ग्रेच्युवअस रिलीफ, इसके लिए व्हीटत तो मांगा 2.27 लाख मीट्रिक टन और नकद मांगा है हमने 179.10 करोड़, फूड स्टाम्पस के लिंए 5 करोड़, हेल्थ एण्ड न्यूट्रिशन के लिए 25 करोड़, इनपुट सब्सिडी के लिए 94.85 करोड़, इस प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, 75.47 तो हमने गेहूं मांगा है और 7719.43 करोड़ रूपये इस आपदा से, इस विपत्ति से निबटने के लिए दिल्ली की सरकार से मांगा है। मैं प्रतिपक्ष से प्रार्थना करना चाहूंगा, वैसे तो देश के प्रधानमंत्री अपने आप में निष्पक्ष हैं, उनकी छवि अच्छी है लेकिन स्टेट की कांग्रेस या प्रतिपक्ष का हमें बराबर सहयोग मिला तो मैं

(डा. किरोड़ी लाल)

आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जैसे गत बार भूख से मरे पहले किसी तरह, किसी भी व्यक्ति को हम राजस्थान की धरती पर भूख से मरने नहीं देंगे। (व्यवधान)

श्री रामलाल : भूख से कोई आदमी मरता ही नहीं है कभी।

श्री कैलाश त्रिवेदी : मंत्रीजी, भूख से कोई नहीं मरता है, पड़ौसी कोई न कोई रोटी खिला देता है, सारी व्यवस्था है, ऐसा कोई भी गांव नहीं है....

श्री संयम लोढ़ा : पूरे राजस्थान में आपने दुष्प्रचार किया और राजस्थान की जनता का मनोबल तोड़ने का काम किया था आपने। कोई मेडिकल रिपोर्ट कह रही है वह भूख से मरे थे ?

श्री कैलाश त्रिवेदी : कोई भूख से नहीं मरे। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : कोई मेडिकल रिपोर्ट कह रही है मंत्रीजी कि भूख से मरे थे ? केवल टेबल पीटने से कुछ नहीं होता है। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र मीणा : मेरे विधान सभा क्षेत्र लालसोट में मोहन बैरवा नाम का व्यक्ति भूख से मरा, इसमें आपकी कमेटी गई.... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : यह इस तरह से राजनीतिक दुर्भावना से बात कहो आप...

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह क्यों लिये थे दस-दस हजार, यह क्यों लिये.... (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र मीणा : माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में मरा मोहन बैरवा नाम का व्यक्ति। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : एक तरफ तो आप बात करते हो कि कांग्रेस पार्टी का, प्रतिपक्ष का पूरा सहयोग चाहिए, दूसरी तरफ बिना किसी प्रमाण के इस तरह की बात कर रहे हो, कोई मेडिकल रिपोर्ट है कि वह भूख से मरे थे ? किसी डाक्टर ने कहा है यह कि भूख से मरे थे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा : लोग डेढ़-डेढ़ महीने भूखे रहते हैं, मरते नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, डेढ़ महीने तक तो नहीं मरते..... (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बारां जिले के छजावा गांव में जो अटरू कांस्टीट्वेंसी में आता है, वहां एक माली के घर पर एक बच्चा मरा था। बच्चा जो भूखा था, उस बच्चे को भूख से मरा देखा नहीं गया, तो उसने खुद ने सुसाइड किया और लोगों के बीच में वह कह कर गया कि मुझे सरकार की तरफ से, पंचायत की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हुई, मेरे बच्चों को खाने-पीने का नहीं है इसलिए मैं मर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : गांव में कोई भूख से मरने देता है क्या किसी को, आपके पड़ौस में अगर सरकार भी नहीं दे, आप मरने दोगे क्या ? यह गई बात, आजकल कोई भूखा नहीं मरता।

श्री संयम लोढ़ा : यह राजस्थान की जनता का जमीर इनता नहीं गिरा है कि वह अपने पड़ौस के बच्चे को ऐसे भूख से मरने दे, जमीर है राजस्थान के लोगों में।

श्री धर्मपाल चौधरी : कांग्रेस का जमीर गिरा हुआ था, जनता का जमीर तो नहीं गिरा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अगर यह मालूम पड़ जाए कि कोई बच्चा भूखा मर रहा है, पूरा गांव इकट्ठा होकर उसका सहयोग करेगा और इस तरह से राजस्थान की प्रतिष्ठा को आपने पहले भी धूमिल किया है, अब और मत कीजिये आप।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपने राजस्थान की प्रतिष्ठा को खतम किया और आपने हमेशा कहा बीमारू प्रदेश और आपने हमेशा भीख का कटोरा लिये हुए कि हमने दिल्ली का पत्र लिखा.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात कही, बुरी लगी तो उसके लिए माफी चाहता हूं। पर मैं आपको आव्हान करना चाहता हूं कि अपन मिल-बैठ कर एक होकर अगर इस विपत्ति से लड़गे तो यह विपदा, विपदा नहीं है। आप क्या नाम से, राजनीतिक धरातल से ऊपर उठकर अगर सरकार का सहयोग देते रहे, कल्लाजी, मैं आपको कहना चाहूंगा, राजस्थान के एक महाकवि बिहारीजी ने लिखा है-केला में एकत बसे, हीर, मयूर, खग, बाज-जगत तोबन सोखियो, दीरग दाग दीधार। जो भीषण गर्मी का प्रकोप होता है तो सर्प, मोर, चिड़िया, बाज जैसे जन्मजात शत्रु भी एक जगह हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि राजस्थान की धरती पर बहुत जबरदस्त जो आया है, अभावग्रस्त हुआ है, अपन सबको एक होकर इसके लिए लड़ना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, पानी पर सबका हक है और मेरे को भी.....

श्री राम लाल : आर.के. मीणाजी का लिखा हुआ लगता है।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह बरसात की चिन्ता कर रहे थे, मेरे को ऐसा विश्वास है, मैं कोई भविष्य वक्ता तो नहीं, न ज्योतिषी हूं, न पण्डित हूं, लेकिन अधिक मास था और आज तेरस है, तीन दिन बाद सावन है, मेरे को ऐसा विश्वास है, पता नहीं क्यों अन्तरात्मा से हो रहा है, इस सावन में बरसात की ऐसी झड़ी लगेगी जिसके कारण पीने के पानी की और चारे की समस्या का समाधान भगवान अपने आप कर देगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से जनता को संदेश देना चाहता हूं, जैसे अपने एक माननीय सदस्य ने कहा था, राजसमन्द से आने वालों ने कि यहां भामाशाहों की कमी नहीं रही, देश में जिधर निगाह पसारो, वहां मारवाड़ी ही मारवाड़ी सेठ हैं। अब यह किशनगंज-शाहबाद से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि गत बार जब हमारे वहां अकाल पड़ा तो दिल्ली से हमारे यहां एक सेवाभावी व्यक्ति, सन्त ऐसा आया जो चार हजार लोगों को प्रतिदिन लंगर चलाकर खाना खिलाता था हमारे यहां संस्कार हैं, धार्मिक भावना है, पानी की प्यास को मिटाने के लिए प्याऊ लगाएंगे, गौ की सेवा के लिए घास लाएंगे और

(डा. किरोड़ी लाल)

मनुष्य के प्राण बचाने के लिए खाद्यान्न लाएंगे, लेकिन हमारे यहां का व्यक्ति, इस देश की माटी में जिसने जन्म लिया है, वह जिस ढंग से समर्पण भाव से काम करेगा, उस ढंग से समर्पण भाव के विश्वास पर मैं कह सकता हूं कि अपने किसी प्रकार की कमी न तो जनता की तरफ से आएगी, न सरकार की तरफ से आएगी और यह तो वह धरती है उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाकर भी संघर्ष किया था। हम उसकी सन्तान हैं, उपाध्यक्ष महोदय, और ऐसे गौरवशाली महापुरूष की सन्तान हैं तो मैं कह सकता हूं कि हम समूचा पूरा सदन एक राय होकर चला, बिलकुल तालमेल से चला तो मैं बड़े विश्वास के साथ इस बात को सदन के द्वारा जनता के बीच में कहना चाहता हूं कि हम पूरी तरह से इस विपदा से, इस आपदा से निबटने में सक्षम होंगे, ईश्वर हमारी मदद करे, मैं ईश्वर से यह भी प्रार्थना करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने वाले कह रहे थे कि मुख्य मंत्रीजी कहां चली गई और मुख्य मंत्रीजी......

श्री जुबेर खान : कोई नहीं कह रहा, आप बेकार मुद्दा बना रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर साहब, आज.....(व्यवधान)

श्री युनूस : वह लोढ़ाजी ने कहा था।

श्री जुबेर खान : किसी ने नहीं कहा, सब को पता है मुख्य मंत्रीजी कहां गई हैं, बेकार मुद्दा बना रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रोसीडिंग्स लाओ।

श्री उपाध्यक्ष : आज तो पूरा सदन इस बारे में एक राय से चल रहा है।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय मुख्य सचेतकजी, मुख्य मंत्रीजी दिल्ली गई हैं और आज मुख्य मंत्रीजी दिल्ली में केन्द्रीय अध्ययन दल से मिलीं.......

श्री जुबेर खान : वो तो पता है।.....(व्यवधान)......चर्चा करने के लिए गयी हैं वो तो पता है यह क्यों बता रहे हो ? सोने जाना है, खतम करो। हां, तो सोने दोगे कि नहीं आज ? आपके मंत्री तो सो लिये यहीं खर्राटे मार कर हम क्या करें ?

डा. किरोडी लाल : इनके साथ केन्द्रीय अध्ययन दल के साथ मीटिंग हुई, उपाध्यक्ष महोदय, और केन्द्र सरकार के कृषि विभाग ने राज्य को एक लाख मैट्रिक टन गेहूं रिलीज करने पर सहमति दे दी है। यह मुख्य मंत्री जी का प्रयास है अतः इसके आधार पर हम परीक्षण राहत कार्य निकट भविष्य में शीघ्र ही शुरू करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय......(व्यवधान).....यह भी बता दूंगा जल्दबाजी मत करो मैं और बात भी तो बता दूं। उदयपुर जिले के मावली, फतहनगर तथा राजसमन्द जिले के आमेट, देवगढ़ के कामलीघाट में रेल द्वारा पानी पहुंचाने के लिए चित्तौडगढ़ उदयपुर रेलवे लाइन का आमान परिवर्तन का कार्य जो नवम्बर, 2004 से प्रारम्भ होने वाला था उसे मुख्य मंत्री जी के निवेदन पर स्थगित कर दिया है ताकि रेल द्वारा पेयजल परिवहन में किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। उपाध्यक्ष महोदय, पाली के लिए रेलवे द्वारा निःशुल्क व्यवस्था करने हेतु केन्द्र सरकार का कृषि विभाग रेलवे बोर्ड को पुरजोर सिफारिश करेगा, यह सेन्ट्रल टीम ने कहा है तथा 1 अगस्त से पाली में तथा नजदीक के कस्बों में जैसा मैं कह चुका हूं पानी पहुंचना शुरू हो जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की जो एस.जी.आर.वाई. की रेगुलर स्कीम का जो है जिसकी शेष किस्त हमारी है वो तुरन्त रिलीज करने के लिए भारत सरकार को मुख्य मंत्रीजी ने सहमत कर लिया है। इसके तहत राज्य को 53.57 करोड़ की राशि नकद तथा 37 हजार मैट्रिक टन गेहूं उपलब्ध होगा। उपाध्यक्ष महोदय, अभी वो राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे किसानों की। गैर ऋणी किसानों को फसल बीमा योजना में भाग लेने हेतु निर्धारित समय सीमा जो 31 जुलाई थी उसको बढ़ा कर 31 अगस्त तक कर दिया। मेरे को विश्वास है कि सदन और विशेषकर प्रतिपक्ष मेरे इस बयान से सन्तुष्ट होगा और मैं आशा करता हूं कि हम सब मिलकर इस अकाल की विभीषिका से लड़ने में सफल होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 2 अगस्त, 2004 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 22.53 बजे, सोमवार; दिनांक 2 अगस्त, 2004 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

तारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य/जिला क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी

396. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या युवा एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में क्रिकेट खेल से सम्बन्धित राज्य व जिला क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों।चयनकर्ताओं के चयन/निर्वाचन की क्या प्रक्रिया व पात्रता है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पिछले कुछ समय में जयपुर में क्रिकेट प्रतियोगिताओं में हार जीत केवल मात्र टास की जीत के आधार पर ही करने का कोई प्रकरण सामने आया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे ?

(3) वर्तमान में राज्य व जयपुर जिला क्रिकेट संघों के कौन-कौन पदाधिकारी/चयनकर्ता है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त पदाधिकारियों/चयनकर्ताओं में से कितने ऐसे हैं जिनका पूर्व में क्रिकेट से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है और जिन्होंने आज तक कोई प्रथम श्रेणी मेच तक नहीं खेला है ?

(5) क्या यह सही है कि कतिपय अधिक आयु के खिलाड़ी गलत जानकारी देकर शपथ पत्र के आधार पर कम आयु का जन्म तिथि प्रमाण पत्र प्राप्त कर कम आयु की प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं यदि हां, तो ऐसे कितने खिलाड़ी हैं और यदि नहीं, तो भविष्य में सरकार ऐसे खिलाडियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(6) क्या सरकार क्रिकेट के विकास के लिए उक्त अव्यवस्थाओं को दूर करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान में क्रिकेट का संचालन राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा किया जाता है। जिला स्तर पर उन्होंने जिला किक्रेट संघ बनाये हुए हैं। राज्य सरकार का इन संघों पर सीधा कोई नियन्त्रण नहीं है। राजस्थान क्रिकेट संघ से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में क्रिकेट से सम्बन्धित राज्य व जिला

(युवा एवं खेल मंत्री)

क्रिकेट एसोसियेशन के पदाधिकारियों/चयनकर्त्ताओं के चयन/निर्वाचन की प्रक्रिया एवं पात्रता निम्नानुसार है:-

1. राज्य क्रिकेट एसोसियेशन के पदाधिकारियों/चयनकताओं के चयन/निर्वाचन की पात्रता:-

   i. राज्य क्रिकेट संघ की साधारण सभा की बैठक में प्रबन्ध समिति का चुनाव होता है।

   ii. प्रबन्ध समिति सभी उप समितियों सहित चयन समिति का भी चयन करती है।

   iii. संघ के सभी सदस्य साधारण सभा के सदस्य होते हैं, जो प्रबन्ध समिति चुनती है।

   iv. चयन समिति का चयन, प्रबन्ध समिति करती है। जिसमें सामान्यतः पूर्व के खिलाड़ी, वह व्यक्ति जिन्हें खेल की गहरी जानकारी होती हो एवं जो खेल के लिए समय निकाल कर खेल को देख सकें, को चयनित किया जाता है। राजस्थान को 4 सम्भाग में विभाजित किया हुआ है एवं प्रत्येक सम्भाग में एक-एक प्रतिनिधि को चयन समिति में लिया जाता है। जिससे वह अपने सम्भाग में क्रिकेट की देखभाल कर सकता है।

   v. पदाधिकारियों की पात्रता में केवल मात्र संघ का सदस्य होना ही एंकमात्र शर्त है। चयनकर्त्ता की पात्रता में केवल मात्र खेलों की जानकारी होना ही समुचित माना जाता है।

2. जिला क्रिकेट एसोसियेशन के पदाधिकारियों/चयनकर्त्ताओं के चयन/निर्वाचन की प्रक्रिया एवं पात्रता निम्नानुसार है :-

जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों/चयनकर्त्ताओं के चयन/निर्वाचन उनके संविधानुसार साधारण सभा के सदस्यों द्वारा सामान्यतः मतदान की प्रक्रिया अपना कर किया जाता है। परन्तु सर्वसम्मति से भी चयन कर पदाधिकारी कार्यभार सम्भालते हैं। पदाधिकारियों हेतु पात्रता के सम्बन्ध में

(युवा एवं खेल मंत्री)

संघ का सदस्य होना ही एक मात्र शर्त है। चयनकर्त्ताओं को चयन करने हेतु स्थानीय खिलाड़ी जिन्होंने क्रिकेट खेला हो को प्रबन्ध समिति दायित्व सौंपती है। केवल मात्र खेल की जानकारी होना ही समुचित माना जाता है।

(2) राजस्थान क्रिकेट संघ से प्राप्त सूचना के आधार पर, जयपुर जिला क्रिकेट संघ ने अण्डर 15 लड़कों की जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की थी। जिसमें पहली बार प्रयोगात्मक रूप से 90 ओवरों में मैच का निर्णय नहीं निकलने पर टास से निर्णय करने का नियम बनाया गया था। इस प्रतियोगिता में 6 मैच खेले गए थे और इसमें सभी मैचों का निर्णय टास से हुआ था।

जयपुर जिला क्रिकेट संघ द्वारा प्रायोगिक तौर पर इस प्रतियोगिता का आयोजन खिलाडियों को उपयुक्त अवसर देना था। ताकि खेल के प्रति लगन बनी रहे। दूसरी तरफ बल्लेबाजों एवं गेंदबाजों को भी अपने अनुभवों को दिखाने का अवसर प्राप्त हो।

(3) राज्य क्रिकेट संघ से प्राप्त पदाधिकारियों एवं चयनकर्त्ताओं की सूची परिशिष्ट-"अ" पर एवं जयपुर जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकरी/चयनकर्त्ताओं की सूची परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(4) राजस्थान क्रिकेट संघ से प्राप्त सूचना के अनुसार राजस्थान क्रिकेट संघ के सभी पदाधिकारी पूर्व में क्रिकेट से ज़ुड़े हुए हैं। राज्य संघ के निम्नलिखित पदाधिकारियों ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट मैच नहीं खेले हैं :-

1. श्री पी.एम. रूंगटा, प्रेसीडेन्ट।
2. श्री कमल मोरारका, डिप्टी प्रेसीडेन्ट।
3. श्री अशोक ओहरी, वाइस प्रेसीडेन्ट।
4. श्री काशीनाथ राजगडिया, वाइस प्रेसीडेन्ट।
5. श्री किशोर रूंगटा, सैक्रटरी।
6. श्री राकेश अग्रवाल, जोइन्ट सैक्रटरी।
7. श्री अनिल जैन, जोइन्ट सैक्रटरी।

राज्य संघ के सभी चयनकर्त्ताओं ने प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं।

(युवा एवं खेल मंत्री)

इसी तरह जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारी/चयनकर्त्ता कोई न कोई क्रिकेट के आयोजन से सम्बन्धित रहे हैं जिला पदाधिकारियों में जिन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच नहीं खेले हैं उनका विवरण निम्नानुसार है :-

1. श्री एम.एन.माथुर, डिप्टी प्रेसीडेन्ट।

2. श्री मोहम्मद इकबाल वाइस प्रेसीडेन्ट।

3. श्री रामकिशन मीणा, टूर्नामेन्ट सेकेट्री।

4. श्री सलीम खान, ओर्गेनाईजिंग सेकेट्री।

5. श्री राजेन्द्र सिंह, ट्रेजर

जिला संघ के सभी चयनकर्त्ताओं ने प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं।

(5) राज्य के खेल विभाग के समक्ष अभी तक ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जिसमें अधिक आयु के खिलाड़ी द्वारा गलत जानकारी देकर शपथ-पत्र के आधार पर कम आयु का जन्म-तिथि प्रमाण-पत्र प्राप्त कर कम आयु की प्रतियोगिता में भाग लिया हो।

(6) चूंकि, राज्य के खेल विभाग को उक्त क्रिकेट के विकास में अव्यवस्थाओं के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः उसे दूर करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

Annexure-'A'

LIST OF OFFICE BEARERS AND SELECTORS OF RAJASTHAN CRICKET ASSOCIATION

a) Office Bearers

S. No.	Name	Designation	Details
1.	Shri P.M. Rungta	President	a) Was the Chairman of The Board of Control for Cricket in India from 1972-75. b) Was the Chairman of the Finance Committee of the Board of Control for Cricket in India for more than 10 years. c) Was the Chairman of Finance Committee for the World Cup 1986. d) Is one of the most renowned adminstrator in the field of cricket at All India Level. e) Has completely financed the activities of Rajasthan Cricket Association single handedly, when there was no money in the

1	2	3	4
			game of cricket right from the year 1951-1983.
2.	Shri Kamal Morarka	Deputy President	a) Is the Vice President of BCCI for the last 7 years. b) Has sponsored tournaments such as Ganon & Dunkerley and Moraraka Shield in Rajasthan. c) Chairman of the All India Junior Cricket Committee and in the past Chairman of the Programme & Fixture Committee of all India.
3.	Shri Ashok Ohri	Vice President	a) Has risen from the resion as player at junior level b) Has the rich experience of remaining joint Secretary of RCA for number of years. c) Worked at the grass-root level and district

1	2	3	4
			level is beging carried out by him. d) Was appointed as the Manager of All India U-19 team during the year 2002-2003 to England. e) Has served on the All India Cricket Committee such as Junior Committee, Programme Fixture Committee, Vizzy Trophy Committee ect. f) Has been appointed observer for several test matches and one day international by the BCCI.
4.	Shri Kashinath Rajgariha	Vice President	a) At the time when the RCA did not have money used to sponsor cricketers to play club cricket in England & Bombay. b) Man with very keen interest in the game of cricket and follower of the game at micro level.

1	2	3	4
5.	Shri Jiterndra Bhatnagar	Hony. Treasure	a) Former Rajasthan Ranji Cricket having played for Rajasthan for number of years. b) An eminent adiministrator.
6.	Shri Kishore Rungta	Hony. Secretary	a) Has remained Hony. Treasurer for BCCI from 1998 to 2002-03. b) Has represented India for the meeting of the International Council for Cricket (ICC) as also in the Asian Cricket Council (ACC). c) Was elected to the August Finance & Marketing Committee of the ICC. d) Has represented India in serveral Programme Conducted by the ICC from time to time. e) Has played cricket at Junior Level in Bombay during the day of his education.

1	2	3	4
7.	Shri Rakesh Agarwal	Hony. Joint Secretary	a) Has participated in Senior State Championshiop for number of years. b) Was appointed Co-ordinator of Zimbabwe Cricket Team in the year 2002-03. c) Has been appointed Observer for number of international matches. d) Has been responsible for developement of cricket at the district level and carries out respoinsibilities as the Joint Secretary assisting Hony. Secretary. e) Has been the Secretary of Bhilwara District Cricket Association and developed facilities for cricket in the district. f) Having risen for played Junior cricket.
8.	Shri Anil Jain	Hony. Joint Secretary	a) Has been on the Alwar Dist. Cricket

1	2	3	4
			Association for number of years. b) Has conducted several Ranji Tropy matches and other zonal level matches in Alwar district. c) Carries out the work of assisting Hony. Secretary.

b) Se ior Selectoes

S. No.	Name	Designation	Details
1.	Shri Kishan Rungta	Chairman	a) Has been the Chairman of All India Cricket Selection Committee as also a mamber of All India Selection Committee for number of years. b) Was Captain of the Rajasthan Team as also the Central Zone Team.

1	2	3	4
			c) Amongst a few cricketers who have scored 3,000 runs for the State of Rajasthan. d) At the time when the Rajasthan Cricket Association was a non-starter was responsible for playing association in the state and bringing the cricket culture to the State of Rajasthan. e) Under his Captainship, Rajasthan reached the final of the Ranji Trophy in all the three years.
2	Shri Ratan Singh	Selector	a) Represents the North Zone of the State.

1	2	3	4
			b) Has been an eminent spinner having represented Rajasthan & Railways in Ranji Trophy for several years. c) Also Picked up for the Dilip Trophy for the Central Zone.
3.	Shri Vivek Bhan Singh	Selector	a) Represented the South Zone. b) Has played Ranji Trophy for serveral years as an opening batsman. c) Also the Secretary of Udaipur Cricket Association.
4.	Shri Vinod Mathur	Selection	a) Represents the East Zone. b) Former Captain of Rajasthan

1	2	3	4
			having represented Rajasthan for serveral years. c) Picked up for Dilip Trophy for the Centeral Zone on number of occasions. d) Is Imparting coaching in 2 academies in Jaipur i.e. Neeraja Modi School and Jaipur Club. e) Was the Coach of the Zonal Cricket Academy of the All India Cricket Control Board for one year. f) Is presently the Talent Research Development Officer (TRDO) of the nAll India Cricket Board.

1	2	3	4
5.	Shri Sudhir Mobar	**Selsctor**	a) Repersents the West Zone. b) Has represented in the Ranji Trophy for Several years. c) The ordinant follower of the game.
6.	Shri Pparathisarathy Sharma	**Special Invitee**	a) Is presently imparting coaching at the National Cricket Academy of All India Cricket Board at Bangalore. b) Is also the former test cricketer. c) Is the Chief TRDO for the Centeral Zone.

C) Junior Selectors

S. No.	Name	Designation	Details
1.	Shri Kishan Rungta	Chairman	a) Has been the Chairman of All India Cricket Selection Committee as a member of All India Selection Committee for number of years. b) Was Captain of the Rajasthan Team as also the Centeral Zone Team. c) Amongst a few cricketers who have scored 3,000 runs for the State of Rajasthan. d) At the time when the Rajasthan Cricket Association was a non-starter

1	2	3	4
			was responsible for playing association in the state and bringing the cricket culture to the State of Rajasthan. e) Under his Captainship, Rajasthan reached the final of the Ranji Trophy in all the three years.
2.	Shri Anil Sidana	Selector	a) Represents North Zone of the State b) Has represented Rajasthan in Cooch Behar Trophy (National Junior Championship)
3.	Shri Bharat Bhushan	Selector	a) Represents South Zone of the State

1	2	3	4
3.	Shri Bharat Bhushan	Selector	b) Has played Ranji Trophy for the State.
4.	Dr. Bimal Soni	Selector	a) Represents East Zone of the State b) Has played Ranji Trophy for the State.
5.	Shri C. P. Ojha	Selector	a) Represents West Zone of the State. b) Represents Udaipure University in Rohington Baria Trophy.

Jaipur District Cricket Association

(Affilliated with Rajasthan Cricket Association and District Sports Council)

Patron:
K.M. Rungta Rajeev Arora

President:
Dr. Bimal Soni

Dy. President:
S.M. Mathur

Vice President:
Mohd. Iqbal

Hon. Secretary:
Mukund Rungta

Tournament Sec.:
Ramkishan Meena

Org. Sec. :
Salim Khan

Hon. Treasure:
Rajendra Singh

Committee Member:
Noni Gopal
Shashi Kant Chawada
Vinod Khatana
Salim Comrade
Umashankar Swami
Anurag Mishra

H-25, CHITRANJAN MARG
C-SCHEME, JAIPUR-1
PHONE: 5110697

J.D.C.A. Stadium, Mansarovar
Phone: 2399250

Ref................. Dated 25-6-2004

To,
The Secretary,
Rajasthan State Sports Council,
SMS, Stadium, jaipur

Dear Sir,

With reference your letter dated 22-6-2004 we are enclosing herewith a list of the office bearers and selectors as required by you.

Office Bearers

S. N.	Post	Name of Bearer	Remark
1.	President	Dr. Bimal Soni	State Player
2.	DY. President	Mr.S.M. Mathur	Additional Commissioner in Rajasthan Housing Board
3.	VIce- President	Mohd.Iqbal	Cricket-Organizer including International Organizing
4.		Mr. Sashi Kuchchal	Represented State in junior Cricket

Jaipur District Cricket Association

(Affilliated with Rajasthan Cricket Association and District Sports Council)

Patron:
K.M. Rungta Rajeev Arora

President:
Dr. Bimal Soni

Dy. President:
S.M. Mathur

Vice President:
Mohd. lqbal

Hon. Secretary:
Mukund Rungta

Tournament Sec.:
Ramkishan Meena

Org. Sec. :
Salim Khan

Hon. Treasure:
Rajendra Singh

Committee Member:
Noni Gopal
Shashi Kant Chawada
Vinod Khatana
Salim Comrade
Umashankar Swami
Anurag Mishra

S. N.	Post	Name of Bearer	Remark
5.	Hony Secretary	Mr. M.K. Rungta	Sports organizer having experience of International organizing
6.	Tournament Secretary	Mr. Ramkishan Meena	Sports organizer having experience of International organizing
7.	Organizing Secretary	Mr. SalimKhan	State Panel Umpire
8.	Hony Treasure	Mr. Rajendera Singh	Sport organizer having experience of International organizing

Jaipur District Cricket Association

(Affilliated with Rajast a Cricket A ociatio a d District Sports Co c")

H-25,CHITRANJAN MARG
C-SCHEME, JAIPUR-1
PHONE:5110697

J.D.C.A. Stadium, Manasarovar
Phone: 2399250

Ref.................. Dated..............

Senior Selectors

S. No.	Na e of Selectors	Re ark
1.	Mr. Vinod Mathur (Chairm: 1)	State Captain
2.	Mr. S: ijayVyas	State Captain
3.	Mr. Shailendera Kaushik	State Player
4.	Mr. Maqsood Ah-med	Represented State Jun-ior Cricket

Junior Selectors

S.N.	Na e of Selectors	Re ark
1.	Mr. Vinod Mathur (Chairm: 1)	State Captain
2.	Mr. Surender Pal Singh	Represented State in Junior Cricket
3.	Mr. Mohd. Abdul Saeed	NIS & BCCI Level-1 Coach
4.	Mr. Asger Beg	St: e Player

Thanking you.

Yours faithf lly,

(M.K. R gta)
Hony Secretary

(प्रश्न संख्या-397)

(स्थगित)

राज्य में तेन्दू पत्तों से आय

398. **श्री भरत सिंह (दीगोद)** : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में तेन्दू पत्ता से प्रति वर्ष कितनी आय होती है तथा इस धन्धे में कितने मजदूरों को ठेकेदारों के माध्यम से रोजगार मिलता है ? सरकार को तेन्दू पत्ते से गत 5 वर्ष में हुई आय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वनों की अवैध कटाई से तेन्दू के वृक्षों की संख्या कम हो गई है तथा बड़े वृक्षों का अस्तित्व ही संकट में आ गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनके संरक्षण हेतु कोई कार्य याजना बनाने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि अभ्यारणों में तेन्दू पत्तों को तोड़ने की अनुमति नहीं होने के उपरान्त भी बड़ी संख्या में तेन्दू पत्ता अभ्यारण क्षेत्रों में से ही आता है ? यदि हां, तो अभ्यारणों में ठेका नहीं देने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) राज्य में तेन्दू पत्ता से विगत 5 वर्ष में हुई आय तथा पत्ता संग्रहण में अनुमानित सृजित मानव दिवस तथा श्रमिकों की संख्या परिशिष्ट "क" पर संलग्न प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। अभ्यारण्यों से अवैध रूप से तेन्दू पत्ता तोड़े जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

परिशिष्ट-क

विगत पांच वर्षों में राज्य में प्राप्त राजस्व, श्रमिकों की संख्या एवं सृजित मानव दिवस

क्र. सं.	वर्ष	प्राप्त राजस्व	सृजित मानव दिवस	श्रमिकों की संख्या
1.	1999-00	8,23,41,673	38,69,086	1,28,970
2.	2000-01	10,47,24,222	31,75,365	1,05,846
3.	2001-02	11,89,34,746	24,16,997	80,567
4.	2002-03	8,76,16,790	24,75,936	82,531
5.	2003-04	7,17,27,793	10,30,805	34,360

जोधपुर शहर के पुलिस थाना/चौकियों के भवन

399. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जोधपुर शहर स्थित पुलिस थाने एवं चौकियां जिन भवनों में कार्यरत हैं उनमें से कितने भवनों के मालिकाना हक राज्य सरकार को हैं ?

(2) इन भवनों की स्थिति कैसी है ? इनके मरम्मत हेतु क्या कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो कितनी राशि के एवं सरकार इन्हें कब तक मरम्मत करवाकर ठीक करवाने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार इन भवनों के मालिकाना हक प्राप्त करने हेतु या स्वयं के नए भवन बनाने हेतु भी कोई योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जोधपुर शहर के सभी 13 पुलिस थानों के भवन एवं 28 चौकियों में से 27 चौकियों के भवन का मालिकाना हक राज्य सरकार का है। 1 पुलिस चौकी मण्डोर, गौशाला के भवन में किराये पर संचालित है।

(2) 13 थाना भवनों में से 9 थाना भवन यथा मण्डोर, उदयमन्दिर, शास्त्री नगर, बासनी, प्रताप नगर, सूरसागर, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, महिला थाना एवं सरदारपुरा के भवन ठीक हालत में है। पुलिस थाना सदर बाजार, कोतवाली एवं खाण्डाफलसा पुराने एवं अच्छी स्थिति में नहीं हैं। पुलिस थाना महामन्दिर के भवन का निर्माण ग्यारवें वित्त आयोग के तहत कराया जा रहा है।

पुलिस चौकियों में से सर्राफ बाजार, मेड़ती गेट व जसवन्त सराय, चांदपोल, मसूरिया एवं जालौरी गेट पुलिस चौकी भवन पुराने एवं अच्छी स्थिति में नहीं है।

थाना एवं पुलिस चौंकियों के भवनों की मरम्मत संसाधन उपलब्ध होने पर समय-समय पर करायी जाती है।

(गृह मंत्री)

(3) पुराने भवनों के स्थान पर नये भवनों का निर्माण प्रतिवर्ष उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कराया जाता है।

मावली के अभावग्रस्त ग्रामों में राहत कार्य

400. श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में राज्य के कितने जिले अभाव ग्रस्त घोषित हैं ? अभावग्रस्त घोषित किये जाने के मानदण्ड क्या हैं ?

(2) उदयपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र मावली में कितने ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि मावली क्षेत्र के अधिकांश ग्राम अभावग्रस्त होते हुए भी इन्हें सरकार द्वारा अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार मावली क्षेत्र के ग्रामों का पुनः सर्वे करवाकर उन्हें अभावग्रस्त घो.ित कर राहत कार्य प्रारम्भ कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य के तीन जिलों में आंशिक रूप से क्रमशः राजसमन्द, उदयपुर व भीलवाड़ा की 8 तहसीलों के 649 गांवों में जहां फसल खराबा 50% से अधिक था उनको अभावग्रस्त घोषित किया गया है।

(2) उदयपुर जिले के मावली विधान सभा क्षेत्र के किसी भी ग्राम को अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया हैं। क्योंकि जिन्स गिरदावरी फसल खरीफ सम्वत 2060 के अनुसार बोई गई फसल में 50% से कम का खराबा आंका गया है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

घाटवा (नागौर) ग्राम पंचायत की बैठकें

401. श्री हरीशचन्द्र (नावा) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पंचायती राज नियमों में ग्राम पंचायत में प्रतिमाह वार्ड पंचों की कितनी बैठकें करने का प्रावधान है तथा एक वर्ष में कितनी ग्राम सभा आवश्यक है ?

(2) क्या पंचायत समिति कुचामन सिटी (जिला नागौर) में सभी 55 ग्राम पंचायतों की बैठक की तिथियां तय की हुई है ? यदि हां, तो सभी 55 ग्राम पंचायतों की तिथियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) ग्राम पंचायत घाटवा की जनवरी 2004 से अब तक कितनी साधारण बैठकें व कितनी ग्राम सभा कब-कब हुई ? उनमें क्या कार्यवाही हुई ? कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 39 के अनुसार ग्राम पंचायत को एक पखवाड़े में कम से कम एक बैठक का आयोजन किया जाना आवश्यक है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 3 के तहत वर्ष में कम से कम दो ग्राम सभायें आयोजित किये जाने का प्रावधान है।

(2) जी हां। सभी 55 ग्राम पंचायतों की बैठक की तिथियों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है, जो परिशिष्ट "क" है।

(3) ग्राम पंचायत घाटवा की जनवरी, 2004 से अब तक साधारण सभा की 6 एवं ग्राम सभा की एक बैठक आयोजित हुई। कार्यवाही विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है, जो परिशिष्ट "ख" है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 20 जुलाई, 2004)

चयनित परिवारों के उत्थान हेतु कार्य योजना

197. श्री अमराराम (धोद) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अमराराम)

(1) राज्य में बी.पी.एल. कार्ड धारकों की मौजूदा संख्या कितनी है ? राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा उन्हें क्या सुविधा दी जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि गत वर्ष बी.पी.एल. परिवारों का निर्धारण कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो सूची जारी करने में देरी के क्या कारण हैं ?

(3) मौजूदा बी.पी.एल. कार्ड धारकों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि केन्द्र व राज्य सरकार के गरीबी रेखा के निर्धारण के मानदण्ड अलग-अलग हैं ?

(5) बी.पी.एल. परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की राज्य व केन्द्र सरकार की क्या योजनाएं हैं ?

उत्तर

(1) 1997 की बीपीएल सेन्सस के अनुसार राज्य में ग्रामीण बीपीएल परिवारों की संख्या 20,97,560 है। ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, डीपीआईपी योजनान्तर्गत स्वरोजगार हेतु इन्दिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण हेतु सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं हेतु सहायता दी जाकर परिवारों को लाभान्वित किया जाता है।

(2) बीपीएल सेन्सस 2002 का सर्वे कार्य पूरा हो चुका है। ग्रामीण विकास मन्त्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या (196/2001) द्वारा प्यूपिल्स यूनियन फार सिविल लिवर्टीज के निर्णय होने तक बीपीएल परिवारों के चयन के कार्य को अन्तिम रूप नहीं दिया जाना है।

(3) बीपीएल सेन्सस 1997 के अनुसार बीपीएल परिवारों की जिलेवार संख्या की सूची संलग्न है।

(4) जी नहीं।

(ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज मंत्री)

(5) एसजीएसवाई, डी.पी.आई.पी. योजनान्तर्गत बीपीएल परिवारों को लाभान्वित कर गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का प्रयास किया जा रहा है।

राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास निगम जयपुर द्वारा स्वीकृत ऋण की वसूली

402. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड़ की जयपुर इकाई में मुर्गीपालन योजना के लिए वर्ष 1999 व 2000 में कितने व्यक्तियों/फर्मों को कितनी-कितनी राशि का ऋण दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त ऋण देने से पूर्व सम्बन्धित व्यक्तियों/फर्मों से मूल बिल प्राप्त किये गये थे ? यदि हां, तो किस-किस से और नहीं, तो क्यों ?

(3) व्यय की यथार्थता को प्रमाणित करने के लिये क्या भौतिक सत्यापन एवं वार्षिक बीमा सुनिश्चित किया गया था ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें व नहीं, तो क्यों ?

(4) लाभार्थियों द्वारा ऋण की कितनी किश्तों की अदायगी की गई ? व्यक्तिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि ऋण स्वीकृत करने एवं वसूली में अनियमितताएं बरती गई हैं ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई एवं भविष्य में क्या कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के जिला कार्यालय, जयपुर द्वारा एन.एस.एफ.डी.सी. के तहत वर्ष 1999 व 2000 में मुर्गीपालन योजनान्तर्गत क्रमशः 5 व 10 व्यक्तियों (कुल 15) को ऋण दिया गया। सूची परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है।

(ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज मंत्री)

(2) ऋण राशि का फर्म को चैक देने के पश्चात् ही बिल प्राप्त होता है। निम्न लाभार्थियों के मूल बिल प्राप्त हुए :-

1. श्री बलदेवदास/रामचरणदास

2. श्रीमती गीता देवी/सीताराम

3. श्री मक्खनलाल/पूनमचंद

4. श्री सरदारमल/गणतराम मीणा

5. श्री सीताराम/दुलीचंद

6. श्री बंशीधर/रिछपाल

7. श्री सीताराम/नानगराम खटीक

8. श्री ताराचंद/देवीशंकर

9. श्री लालचंद/लक्ष्मीनारायण

शे . फर्मों से मूल बिल प्राप्त करने की कार्यवाही चल रही है।

(3) ही हां। सभी इकाइयों का भौतिक सत्यापन इकाई स्थापना के दौरान किया गया। इकाई का बीमा प्रारम्भिक वर्ष में किया गया।

(4) लाभार्थियों द्वारा की गयी ऋण की अदायगी की सूचना परिशिष्ट-"ब" पर उपलब्ध है।

(5) यह सही है कि ऋण वसूली 36 किश्तों में की जानी थी व 16 से 20 किश्तें बकाया हो गयी हैं। ऋण वसूली में शिथिलता बरती गयी है लेकिन अब इन डिफाल्टर्स के खिलाफ कानूनी व युद्ध स्तर पर वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं।

वर्ष 1999-2000

परिशिष्ट-अ

मुर्गीपालन योजनान्तर्गत वितरित ऋण एवम् ऋणियों का विवरण निम्नानुसार है

क्र. सं.	नाम लाभार्थी	जाति	निवासी	ऋण राशि
1	2	3	4	5
1.	श्री रति राम पुत्र श्री बिरदी चन्द	खटीक	बस्सी	2,60,000
2.	श्री सीताराम/नानगराम	खटीक	बातडी	2,60,000
3.	श्री चिरंजी लाल/नारायण लाल	खटीक	बस्सी	2,53,970
4.	श्री पन्ना लाल/नानक चन्द	रैगर	बस्सी	2,60,000
5.	श्री अशोक कुमार/भूराराम	खटीक	बस्सी	2,60,000
वर्ष 2000-2001				
1	2	3	4	5
1.	श्री बलदेव दास/रामचरण दास राहुल निवासी- जयपुर	राहुल	जयपुर	2,60,691
2.	श्रीमती गीता देवी/सीताराम	बलाई	सिरसी	2,58,588
3.	श्री मक्खन लाल/पूनमचन्द	बडगुजर	कोटखावदा	2,66,000
4.	श्री सरदारमल/गणपतराम मीणा	मीणा	......	2,58,691
5.	सीताराम/दुलीचन्द	बुनकर	गोविन्दगढ़	2,58,691
6.	बंशीधर/रिछपाल	बलाई	अमरसर	2,50,691
7.	सीताराम/नानगराम	मीणा	बासड़ी	2,58,691
8.	श्री मांगी लाल/छीतरमल	खटीक	जयपुर	2,58,691
9.	ताराचन्द/देवी शंकर	हरिजन	जयपुर	2,58,691
10.	लालचन्द/लक्ष्मीनारायण	बुनकर	मनोहरपुर	2,59,653

परिशिष्ट-"ब"

वर्ष 1999-2000

क्र. सं.	नाम लाभार्थी मय वल्दियत, पता जाति	प्रति किश्त राशि त्रैमासिक	देयकिश्त संख्या	ड्यू किश्त राशि जून 04 तक	प्राप्त किश्त सं.	प्राप्त किश्त राशि	बकाया किश्त	बकाया कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	श्री रतिराम पुत्र श्री बिरदी चन्द खटीक निवासी-बस्सी, जयपुर	10,135	18	1,82,430	5	50,270	13	1,32,160
2.	श्री सीताराम/नानगराम चन्देल निवासी-बस्सी, जयपुर	10,135	18	1,82,430	2	20,270	16	1,62,160
3.	श्री चिरंजी लाल/नारायण लाल निवासी-बस्सी, जयपुर	10,135	18	1,82,430	1	10,135	17	1,72,295
4.	श्री पन्ना लाल/नानक चन्द रैगर निवासी-बस्सी, जयपुर	10,135	18	1,82,430	--	--	18	1,82,430

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	श्री अशोक कुमार/भूराराम चन्देल निवासी-बस्सी, जयपुर	10,135	18	1,82,430	1	10,000	17	1,72,430
वर्ष 2000-2001								
1.	श्री बलदेव दास/रामचरण राहुल निवासी-जयपुर	10,418	14	1,45,852	--	--	14	1.45,852
2.	श्रीमती गीता देवी/सीताराम निवासी-सिरसी जयपुर।	10,418	14	1,45,786	--	--	14	1.45.796
3.	श्री मक्खन लाल/पूनमचन्द बडगुजर निवासी-कोटखावदा जि-जयपुर	10,418	14	1,15,181	--	--	11	1.12,181
4.	श्री सरदारमल/गणपतराम मीणा निवासी-नांगल कोजू	10,418	14	1,45,852	4	41.664	10	1.04.188
5.	सीताराम/दुलीचन्द बुनकर निवासी-गोविन्दगढ़, जयपुर।	10,418	14	1,45,852	--	--	14	1.45,852
6.	बंशीधर/रिछपाल बलाई निवासी-ग्राम असरसर जयपुर।	10,418	14	1,45,852	2	20,836	12	1.25.016

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	सीताराम/नानगराम मीणा निवासी-बासडी खौरा बिसल	10,418	14	1,45,852	--	--	14	1,45,852
8.	श्री मांगी लाल/छीतरमल खटीक निवासी-कानोता जयपुर।	10,418	14	1,45,852	--	--	14	1,45,852
9.	ताराचन्द/देवी शंकर हरीजन निवासी-जयपुर।	10,418	14	1,45,852	--	--	14	1,45,852
10.	लालचन्द/लक्ष्मीनारायण बुनकर निवासी-मनोहरपुर (जयपुर)	10,418	14	1,45,852	--	--	13	1,35,941

परियोजना प्रबन्धक
जिला कार्यालय राज., अनु. जाति
जनजाति वित्त एवं विकास
सह. निगम, जयपुर

विदेशी बबूल (जूली फ्लोरा) की रोकथाम हेतु कार्य योजना

403. श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रतिवर्ष कितने पौधे विभाग द्वारा एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रम के अन्तर्गत लगवाये जा रहे हैं ? उनमें से कितने पौधे जीवित रहते हैं एवं कितने नष्ट हो जाते हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में एक प्रकार का बबूल (जूली फ्लोरा) तेजी से बढ़ रहा है जो किसानों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है ? यदि हां, तो सरकार इसे रोकने हेतु क्या कार्य योजना बनाने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग द्वारा प्रतिवर्ष उपलब्ध बजट के अनुसार वन भूमि, पंचायत भूमि व अन्य शासकीय भूमियों पर पौधों का रोपण किया जाता है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्ष में रोपित पौधों का क्षेत्रफल एवं कृषि वानिकी से उपलब्ध कराये गये पौधों की संख्या का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न प्रस्तुत है।

क्षेत्र विशेष में लगाये गये पौधों में से कितने जीवित रहते हैं, मूल्यांकन से ही प्रतिपादित होते हैं। सामान्यतः जीवितता लगभग 55 प्रतिशत रहती है।

(2) यह सही है कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में विलायती बबूल (जूलीफ्लोरा) के बढ़ने के संकेत प्राप्त हुऐ हैं। किसानों द्वारा इसे मुख्यतः जलाऊ लकड़ी के रूप में उपयोग लिया जाता है। अतः वर्तमान में इसके रोकने की कोई कार्य योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट-"क"

दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्ष में रोपित पौधों का क्षेत्रफल एवं कृि वानिकी में उपलब्ध कराये गये पौधों की संख्या

व ि	पौधारोपण (हैक्टयर में)			पौधा वितरण (लाखों में)		
	वन विभाग	अन्य विभाग	योग	वन विभाग	अन्य विभाग	योग
2002-03	12,580	-	12,580	113.09	9.04	122.13
2003-04	14,502	7229	21,801	96.57	2.62	99.19
2004-05 (लक्ष्य)			17,000			120.00

नोट : पोधारोपण में आवश्यकता अनुसार 200 से 700 पौधे प्रति हैक्टेयर लगाये जाते हैं।

शाहबाद (बारां) पुलिस थाना में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 61/2001

404. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शाहबाद जिला- बारां के यहां दायर इस्तागासा संख्या 156/3 दिनांक 19 जुलाई, 2001 के सन्दर्भ में पुलिस थाना शाहबाद में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 61/2001 दिनांक 20 अगस्त, 2002 दर्ज करवाई गई ? यदि हां, तो किसके द्वारा एवं किस सम्बन्ध में ?

(2) उक्त मुकदमे में कौन फरियादी है ? उक्त मुकदमा किन-किन धाराओं में किन-किन के विरूद्ध दर्ज किया गया ? प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मुकदमे की जांच किस अधिकारी द्वारा कब-कब की गई किन-किन लोगों के बयान दर्ज किए गए तथा अन्वेषण के क्या निष्कर्ष रहे हैं ? बयानों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या अन्वेषण अधिकारी द्वारा दोषी अधिकारी को बचाने का प्रयास किया गया है ? यदि नहीं, तो फिर एफ.आर. नं. 16/2001 के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान दिनांक 27 सितम्बर, 2003 क्यों लिया गया तथा दोषी अधिकारी के विरूद्ध गिरफ्तारी वारण्ट क्यों जारी किए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त दोषी अधिकारी के विरूद्ध माननीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या सरकार पीडिता को अनुग्रह राशि दिलवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या यह भी सही है कि दोषी अधिकारी पुलिस विभाग में कार्यरत होने के कारण उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा हैं ? यदि हां, तो सरकार

(श्री हेमराज मीणा)

अब कब तक उक्त दोषी अधिकारी की गिरफ्तारी हेतु कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शाहबाद के यहां दायर इस्तगासा संख्या 156/3 दिनांक 19-7-2001 पुलिस थाना शाहबाद में परिवादिया श्रीमती बिन्दो बाई की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 61/2001 धारा 376 ताहि में दिनांक 20-8-2001 को पंजीबद्ध हुआ, जिसमें परिवादिया बिन्दो बाई ने नन्दलाल पवन उप अधीक्षक पुलिस शाहबाद के विरूद्ध बलात्कार करने का आरोप अंकित किया था।

(2) उक्त मुकदमें में श्रीमती बिन्दो बाई पत्नी सुरजीत सहरिया निवासी-केलवाड़ा फरियादी है। उक्त मुकदमा धारा 376 ताहि में श्री नन्दलाल पवन तत्कालीन उप अधीक्षक पुलिस शाहबाद के विरूद्ध दर्ज किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(3) उक्त अभियोग का अनुसंधान तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बारां द्वारा किया गया था। जांच अधिकारी द्वारा फरियादिया बिन्दो बाई, उसके पति सुरजीत तथा गवाहान ओम प्रकाश कानिस्टेबल, जगदीश चन्द्र हैड कानि. थाना शाहबाद, जलालुद्दीन, निवासी-दाता, मोहनलाल नि. केलवाड़ा, हरिओम नि. शाहबाद, प्रकाश चन्द्र नामा, के बयान लेखबद्ध किये गये। अभियोग में संकलित मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आरोपी नन्दलाल पवन का इस्तगासे में वर्णित तिथि को घटना स्थल शाहबाद में मौजूद होना नहीं पाया गया तथा वर्णित आरोप झूठे पाये गये। चिकित्सकीय साक्ष्य से भी आरोप की पुष्टि नहीं हुई। तत्पश्चात् एफआर सं. 16 दिनांक 30-12-2001 बसिगे अदमवकू दी जाकर अभियोग का निस्तारण किया गया। बयानों की प्रति संलग्न है।

(4) यह सही नहीं है कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा दोषी अधिकारी को बचाने का प्रयास किया गया हो। उक्त अभियोग की एफ.आर. सं. 16/01 के सम्बन्ध में ए.सी.जे.एम. न्यायालय शाहबाद द्वारा प्रसंज्ञान अभियोग की

(गृह मंत्री)

फरियादिया द्वारा प्रस्तुत प्रोटेस्ट पिटिशन के सन्दर्भ में लिया गया था एवं दोषी अधिकारी की तलबी जरिये गिरफ्तारी वारन्ट की गई थी।

(5) अधीनस्थ न्यायालय शाहबाद द्वारा लिये गये प्रसंज्ञान के खिलाफ दोषी अधिकारी द्वारा डी.जे. कोर्ट बारां में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई जिसका निर्णय जिला एवं सैशन न्यायाधीश द्वारा दिनांक 16-7-2004 को दिया जा चुका है। जिसमें अंकित है कि "निगरानी निगरानीकार स्वीकार की जाकर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत प्रसंज्ञान आदेश दिनांक 27-9-2003 को अपास्त किया जाता है।" इस आदेश के बाद दोषी अधिकारी की गिरफ्तारी का कोई औचित्य नहीं है।

(6) जब उक्त अपराध प्रमाणित नहीं हैं तो अनुग्रह राशि देने का विचार नहीं है।

(7) यह सही नहीं है कि उप अधीक्षक पुलिस पुलिस विभाग में कार्यरत होने से पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। चूंकि न्यायालय ए.सी.जे.एम. शाहबाद द्वारा उप अधीक्षक पुलिस के खिलाफ पुलिस द्वारा दी गई एफ.आर.नं. 16/2001 पर दिनांक 27-9-2003 को प्रसंज्ञान लिया गया था। तत्पश्चात् दि. 13-11-2003 को उक्त न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारन्ट जारी किया गया। वारन्ट जारी करने के पूर्व ही दिनांक 5-11-2003 को उक्त उप अधीक्षक पुलिस द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश बारां में निगरानी याचिका दायर कर दी गई। दिनांक 16-7-2004 को जिला एवं सैशन न्यायाधीश बारां द्वारा निगरानी याचिका की सुनवाई करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोषी अधिकारी के खिलाफ लिये गये प्रसंज्ञान को अपास्त कर दिया गया।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

खाद्य सामग्री एवं माप तोल में व्याप्त अनियमितताओं की रोकथाम

405. श्री जीतराम (मालपुरा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार को खाद्य सामग्री में मिलावट या

(श्री जीतराम)

मापतोल में हेराफेरी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो सरकार इन्हें रोकने हेतु क्या प्रभावी प्रयास कर रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, हां। खाद्य सामग्री में मिलावट की शिकायतों पर स्वास्थ्य विभाग के अधीन खाद्य निरीक्षकों द्वारा पी.एफ.ए. एक्ट, 1954 के तहत कार्यवाही की जाती है। खाद्य निरीक्षकों द्वारा लिये गये नमूने जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में जांच हेतु भिजवाये जाते हैं। जांच में मिलावट पाये जाने पर सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्ध न्यायालय में चालान पेश किया जाता है।

मापतौल में हेराफेरी की रोकथाम के लिये उद्योग विभाग के विधिक माप संगठन द्वारा मानक बाट व माप अधिनियम, 1976, मानक बाट व माप नियम, 1985, मानक बाट व माप (डिब्बा बन्द वस्तुएं) नियम, 1977 एवं राजस्थान मानक बाट व माप (प्रवर्तन) नियम, 1997 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमित रूप से व जांच अभियानों के माध्यम से सघन जांच की जाती है। जांच में दो िर्यो के विरूद्ध न्यायालय में वाद दायर किया जाता है।

पंचायती राज के अधिशे‍ चुंगी कर्मियों को नियमित वेतनमान

406. श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा व‍, 1998 में चुंगी कर बन्द किये जाने पर ग्राम पंचायतों के कितने चुंगी अधिशे‍ कर्मचारी एवं सहायक सचिव को आदेश क्रमांक 100 दिनांक 28 फरवरी, 2000 एवं 4136 दिनांक 14 नवम्बर, 2000 के द्वारा ग्राम सेवक पदेन सचिव पद पर नियुक्त किया गया है ?

(2) यह नियुक्तियां कितने रूपये मासिक वेतन एवं कितने समय के परिवीक्षा काल के लिये दी गई ?

(3) क्या उक्त कर्मचारियों को परिवीक्षा काल पूर्ण होने पर नियमित वेतन श्रृंखला दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री महीपाल सिंह यादव)

(4) सरकार उक्त कर्मचारियों को कब तक वेतन श्रृंखला देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। 589 चुंगी अधिशेष कर्मचारी/सहायक सचिवों को उक्त आदेशों से ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव नियुक्त किया गया।

(2) 1200/- रूपये मासिक मानदेय पर दो वर्ष के परिवीक्षा काल पर दी गई।

(3) जी नहीं। वित्त विभाग के निर्णय अनुसार इनके मानदेय में वृद्धि कर दी गई।

(4) वित्त विभाग से परामर्श कर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

सहकारी बैंको में ऋण वसूली हेतु पदों का सृजन

407. **श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) :** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में ऐसे कितने नागरिक सहकारी बैंक/अरबन को-आपरेटिव बैंक हैं जिनके एन.पी.ए. खाते में बकाया राशि कुल बकाया ऋण की 10 प्रतिशत से अधिक है ?

(2) एन.पी.ए. में आये खातों की वसूली के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं और क्या ऐसे बैंकों में बकाया ऋण की वसूली हेतु पर्याप्त कर्मचारी हैं ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य के किसी बैंक ने वसूली हेतु पद सृजित करने के लिए प्रस्ताव किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उन्हें पद सृजन की स्वीकृति दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में कार्यरत नागरिक/अरबन सहकारी बैंकों में से 8 बैंकों के एन.पी.ए. खाते में बकाया राशि कुल बकाया ऋण की 10 प्रतिशत से अधिक है।

(2) बैंकों द्वारा एन.पी.ए. में आये खातों की वसूली हेतु व्यक्तिगत

(सहकारिता मंत्री)

सम्पर्क/नोटिस एवं सहकारिता अधिनियम, नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। जी हां।

(3) जी हां। राज्य में कार्यरत अरबन बैंक्स में से 3 बैंकों द्वारा वसूली हेतु पद सृजन करने हेतु प्रस्तावित किया गया। विभाग द्वारा दो बैंक्स को संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु स्वीकृति दी गई। एक बैंक को विभाग द्वारा निर्धारित शर्तें/मापदण्ड पूर्ण नहीं करने के कारण स्वीकृति नहीं दी जा सकी।

यात्री अधिभार के रूप में प्राप्त राशि

408. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बाघ परियोजना रणथम्भौर, सवाईमाधोपुर में यात्रियों से सरचार्ज वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितनी धनराशि प्राप्त हुई तथा उसका किस प्रकार उपयोग किया गया ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सरचार्ज की प्राप्त राशि का 80 प्रतिशत हिस्सा राष्ट्रीय उद्यान एवं उसके आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए खर्च किए जाने का प्रावधान है ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि बाघ परियोजना रणथम्भौर सवाईमाधोपुर में पार्क भ्रमण हेतु आने वाले यात्रियों से 'इको डवलपमेन्ट सरचार्ज' वसूल किया जाता है। गत तीन व ों में सरचार्ज से प्राप्त हुई राशि का विवरण परिशिष्ट 'क' में संलग्न प्रस्तुत है। उक्त राशि राज्य सरकार के राजस्व मद में आय के रूप में संग्रहित होती है।

(2) जी नहीं।

परिशिष्ट-"क"

गत तीन वर्षों से सवाई माधोपुर बाघ परियोजना में आये यात्रियों से ईको डवलपमेन्ट सरचार्ज से प्राप्त हुई राशि

क्र.सं.	वर्ष	सरचार्ज से प्राप्त राशि (रूपयों में)
1.	2001-2002	73,82,562.00
2.	2002-2003	71,34,742.00
3.	2003-2004	1,24,82,162.00
	Total	**2,69,96,466.00**

बाड़मेर जिले में महिला थाने की स्थापना

409. श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में कई पुलिस थानों में नए भवन नहीं बने हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पुलिस आधुनिकीकरण की तर्ज पर नए भवन बनवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में एक भी महिला पुलिस थाना नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिला बाड़मेर मुख्यालय पर कम से कम एक महिला थाना बनवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर में 20 थाने स्थापित हैं, जिसमें से 13 पुलिस थाने पुराने भवनों में चल रहे हैं।

थाना बालोतरा के नये भवन का कार्य पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत कराया जा रहा है। थाना कोतवाली के नये भवन के निर्माण का प्रस्ताव वर्ष 2004-05 में रखा गया है। पुलिस थाना कल्याणपुर का निर्माण सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कराया गया है, किन्तु इस भवन में दरार आ जाने के कारण उपयोग में नहीं लिया जा रहा है।

शेष थानों के भवनों की स्थिति ठीक है।

(2) यह सही है कि बाड़मेर जिले में एक भी महिला थाना नहीं है। जिला बाड़मेर मुख्यालय पर महिला थाना स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

लक्ष्मणगढ़ के ओलावृ‍ि से पीडित किसानों को मुआवजा

410. श्री जगत सिंह (लक्ष्मणगढ़) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री जगत सिंह)

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 15 व 16 दिसम्बर, 2003 को जिला अलवर के विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में ओलावृष्टि हुई थी ? यदि हां, तो ओलावृष्टि से किस-किस किसान की फसल को नुकसान हुआ ?

(2) क्या सरकार ज़िन किसानों की फसल नष्ट हुई थीं उनको मुआवजा देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितना और कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि प्राकृतिक आपदा से किसानों की सहायता करने का कोई प्रावधान है ? यदि हां, तो नियमों की प्रति भी सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 15 व 16 दिसम्बर, 2003 को विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में जिन-जिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ, उनकी सूची संलग्न है।

(2) जी हां। सी.आर.एफ. के नियमों के प्रावधान के अनुसार पात्र कृषकों को सहायता उपलब्ध करा दी गई है।

(3) जी हां। नियमों की प्रति संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बारां जिले में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में व्याप्त अनियमितताएं

411. श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बारां जिले में जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्मूलन कार्यक्रम प्रारम्भ होने से वर्षवार कितने-कितने समान रूचि समूहों का गठन किया गया है एवं इन्हें वर्षवार कितनी-कितनी राशि सम्बन्धित कार्यों हेतु उपलब्ध कराई गई, इस कार्यक्रम से जिले में अब तक कितने व्यक्ति लाभान्वित हो चुके हैं ? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रमोद जैन "भाया")

(2) क्या यह सही है की गठित समान रूचि समूहों को राशि उपलब्ध कराने के बाद उन्हें जिस कार्य के लिये राशि दी गई है उसी कार्य हेतु उपयोग में लिये जाने का सत्यापन विभागीय अधिकारियों या नोडल ऐजेन्सी द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो कितने रूचि समूहों द्वारा राशि का सही उपयोग किया गया एवं कितने समूहों द्वारा राशि का दुरूपयोग किया गया ? यदि भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया तो इसके क्या कारण रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) समान रूची समूहों के द्वारा राशि के सही उपयोग नहीं करने के सम्बन्ध में सरकार को कितनी शिकायतें या जांच प्रतिवेदन परियोजना प्रारम्भ होने से अब तक प्राप्त हुई है एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या बारां जिले के जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अधिकारियों या सम्बन्धित नोडल एजेन्सी द्वारा भी समान रूचि समूहों को राशि देने में भ्रष्टाचार अपनाया गया हैं या इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें या जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुये है ? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों या जांच प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले डीपीआईपी के अन्तर्गत परियोजना प्रारम्भ की तिथि से दिनांक 30-6-2004 तक गठित किये गये समान रूचि समूहों, उनमें सम्मिलित सदस्यों, उन्हें उपलब्ध करायी गयी राशि, उनके बैंक खाता का नाम व खाता संख्या व परियोजना से लाभान्वित कराये जा रहे व्यक्तियों की संख्या संलग्न परिशिष्ट-"अ" व "ब" पर वर्णित है।

(2) हां। समान रूचि समूहों को राशि उपलब्ध कराने के बाद इनका सत्यापन अन्तिम समायोजन से पूर्व विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है। अब तक जिन समान रूचि समूहों के कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुए हैं, उनके द्वारा राशि का सही उपयोग किया गया है। भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में सूचना परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है। भौतिक सत्यापन

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

कर ढांचागत निर्माण कार्यों में मेजरमेन्ट बुक (एम.बी.) को पूर्ण किया जाता है तथा किए गए कार्य की यू.सी. को डीपीएमयू को प्रेषित किया जाता है, जिसके पश्चात् आगामी उपलब्धि चिन्ह की राशि हस्तान्तरण आदेश जारी किया जाता है।

कार्य की समाप्ति के पश्चात् कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है, जिसमें भौतिक वित्तीय प्रगति का प्रमाणन किया जाता है।

जहां तक भौतिक सत्यापन रिपोर्ट का सवाल है डीपीआईपी में अब तक निर्धारित प्रक्रिया में भौतिक सत्यापन रिपोर्ट पृथक से नहीं मांगी जाती है, चूंकि यह यू.सी. व सी.सी. में निहित होती है। इसी तरह डीपीएमयू द्वारा जिले में किए गए कार्यों की संख्या को देखते हुए तथा उनके पास सीमित स्टाफ के मद्देनजर प्रत्येक यू.सी. से पूर्व भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया मुश्किल है तथा इससे कार्यकारी संस्थाओं को किए जाने वाले भुगतानों में भी देरी की सम्भावना होती है। समय-समय पर परियोजना के अधिकारी, पंचायत समिति के अधिकारी तथा एन.जी.ओ. के विशेषज्ञ एमपीएमयू तथा विश्व बैंक के विशेषज्ञ भी इन समूहों के निरीक्षण करते हैं परन्तु इस बाबत् औपचारिक निरीक्षण प्रारूप में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है। भौतिक सत्यापन हेतु निम्नलिखित कदम उठाये जाकर कार्यों में गुणवत्ता लायी जा रही है :-

(i) भविष्य में इस हेतु भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट का प्रफोर्मा निर्धारित कर सम्बन्धित को प्रफोर्मा रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है।

(ii) वर्तमान में एहतियात के तौर पर डीपीआईपी द्वारा कराये जाने वाले कार्यों की चार्टर्ड अकाऊंटेन्ट द्वारा जिले में कार्यरत 10 प्रतिशत सीआईजी की आडिट कराई जाती है।

(iii) इसी तरह डीपीएमयू द्वारा भी कार्यरत सीआईजी में से 10 प्रतिशत की आडिट के आदेश जारी किये गये हैं, जिनमें समूहों के संसाधन का सत्यापन भी शामिल है।

(iv) अगर किसी CIG के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच कर तदनुसार कार्यवाही की जाती है एवं जहां कहीं आवश्यक हुआ है वहां पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई गई है।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

(v) उपरोक्त के अतिरिक्त समस्त पूर्ण किये गये कार्यों का अनुमोदन ग्राम सभा में करवाये जाने की स्थिति में ही कार्य को पूर्ण माना जाकर अन्तिम समायोजन किया जाता है।

(vi) समूहों द्वारा क्रियान्वित की जा रही उप परियोजनाओं के 100 प्रतिशत मूल्यांकन हेतु अब यह निश्चित किया गया है कि सभी सीआईजी की सी.ए. द्वारा आडिट करवाई जाए। इस तरह से सभी सीआईजी का 100 प्रतिशत आडिट सुनिश्चित होगा तथा बनाए गए संसाधनों का भौतिक सत्यापन भी हो सकेगा।

आशा है कि उपर्युक्त व्यवस्थाओं से सीआईजी द्वारा बनाए गए असेट्स/संसाधनों का भौतिक सत्यापन तथा उप परियोजनाओं की क्रियान्विति भी सुनिश्चित हो सकेगी।

(3) समान रूचि समूहों के द्वारा राशि के सही उपयोग नहीं करने के सम्बन्ध में जिला कलक्टर महोदय को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जो ग्राम-भोयल के महात्मा गांधी समूह की बकरी क्रय के सम्बन्ध में थी। जिसकी जांच के लिए उप जिला कलक्टर, शाहबाद को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनके द्वारा की गई जांच के उपरान्त अशासकीय संगठन के दोषी कार्मिकों के विरूद्ध जिला परियोजना प्रबन्धक द्वारा पुलिस स्टेशन-कस्बा थाना में प्राथमिकी दर्ज करवायी गयी, जिसकी सूचना राज्य इकाई को भी दी गई। साथ ही अशासकीय संगठन असेफा द्वारा दोषी कार्मिकों को हटा दिया गया है तथा अन्य निर्देशों के सम्बन्ध में अशासकीय संगठन के स्तर से कार्यवाही लम्बित है।

(4) नहीं, डीपीआईपी के अधिकारियों के द्वारा समान रूचि समूहों को राशि जारी करने में किसी भी प्रकार की अनियमितताएं नहीं की गई हैं तथा न ही इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य के गरीब व कृषकों की ऋण माफी

412. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में किसानों व गरीबों के दस हजार रूपये तक के ऋण माफ करने का सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो अभी तक कितने लोगों के ऋण माफ कर दिये गये ?

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान सरकार ने दस हजार रूपये तक के कर्जे माफ करने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो प्रदेश में सहकारी व व्यापारिक बैंकों में दस हजार रूपये तक कर्जे की कितने लोगों में कितनी राशि बकाया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार घोषणा के अनुसार अब उक्त कर्जों को माफ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) घोषणा ही नहीं की गई, अतः इस पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्र की नर्सरियों का रख-रखाव

413. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में कितनी पौधशालाएं एवं नर्सरी संचालित हैं ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा इन पौधशालाओं के रखरखाव के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

(3) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो नर्सरियां स्थापित की

(रामसिंह विश्नोई)

गई थी वे रखरखाव के अभाव में समाप्त हो गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उन्हें पुनः चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या सरकार सड़कों के किनारे पाठशालाओं में/तहसील मुख्यालय पर/चिकित्सालयों व रेल मार्गों पर/सार्वजनिक स्थानों पर नये वृक्ष लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में वर्तमान में 755 पौधशालाएं हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) प्रतिवर्ष पौधे तैयार किये जाने के कारण उपलब्ध कर्मचारियों एवं बजट से स्थाई नर्सरियों का रखरखाव होता है। अस्थाई नर्सरियों मे तैयार पौधों का पौधारोपण में उपयोग करने के बाद ऐसी नर्सरियों के रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती है।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित अधिकतर नर्सरियां अस्थाई प्रकृति की थी। वृक्षारोपण कराये जाने वाले स्थान के समीप ही पौधे तैयार करने के उद्देश्य से अस्थाई नर्सरियां तैयार की जाती हैं। पौधारोपण के बाद अस्थाई नर्सरी की आवश्यकता नहीं रहने के कारण उनका रख रखाव नहीं किया जाता है।

अस्थाई नर्सरियों को पुनः चालू करने बाबत कोई विचार नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र की जिन स्थाई नर्सरियों में पौधे तैयार किये जा रहे हैं उनका समुचित रखरखाव किया जा रहा है।

(4) जी हां। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रश्न में वर्णित स्थानों पर नये वृक्ष लगाये जाते हैं।

परिशिष्ट-"क"

सारांश पौधशाला

क्र.सं.	नाम जिला	पौधशालाओं का प्रकार	पौधशालाओं की संख्या
1.	अजमेर	विभागीय	16
2.	अलवर	विभागीय	22
3.	बांसवाड़ा	विभागीय	37
4.	बारां	विभागीय	[illegible]
5.	बाड़मेर	विभागीय	21
6.	भरतपुर	विभागीय	10
7.	भीलवाड़ा	विभागीय	29
8.	बीकानेर	विभागीय	38
9.	बूंदी	विभागीय	10
10.	चित्तौड़गढ़	विभागीय	61
11.	चूरू	विभागीय	9
12.	दौसा	विभागीय	20
13.	धौलपुर	विभागीय	7
14.	डूंगरपुर	विभागीय	38
15.	गंगानगर	विभागीय	25
16.	हनुमानगढ़	विभागीय	19
17.	जयपुर	विभागीय	73
18.	जालौर	विभागीय	8

क्र.सं.	जिला	पौधशालाओं का प्रकार	पौधशालाओं की संख्या
19.	जैसलमेर	विभागीय	34
20.	झालावाड़	विभागीय	9
21.	झुन्झुनूं	विभागीय	5
22.	जोधपुर	विभागीय	19
23.	बरौली	विभागीय	6
24.	कोटा	विभागीय	9
25.	नागौर	विभागीय	12
26.	पाली	विभागीय	23
27.	राजसमन्द	विभागीय	18
28.	सवाईमाधोपुर	विभागीय	6
29.	सीकर	विभागीय	12
30.	सिरोही	विभागीय	24
31.	टोंक	विभागीय	11
32.	उदयपुर	विभागीय	113
	योग		755

सहाड़ा के पुलिस थानों में दर्ज प्रकरण

414. श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के पुलिस थाना में जनवरी, 2004 से जून, 2004 तक कितने मारपीट के प्रकरणों मे फरयादी की एम.एल.सी. पुलिस तहरीर पर कार्रवाई की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकरणों में किन-किन धाराओं में मुकदमे दर्ज कर कार्यवाही की गयी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में ऐसे कितने प्रकरण हैं जिनकी एम.एल.सी. की गई है और कितनों में मुकदमे ही दर्ज नहीं किए गए ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार मुकदमे दर्ज नहीं करने में दोषी पुलिसकर्मियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला भीलवाड़ा के विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में पुलिस थाना कारोई, गंगापुर, रायपुर, करेडा के क्षेत्र आते है। जनवरी, 2004 से 30 जून, 2004 तक इन थानों में मारपीट के कुल दर्ज 85 प्रकरणों में फरियादियों की पुलिस तहरीर पर एम.एल.सी. कराई गई है, जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त प्रकरण जिन धाराओं में दर्ज कर कार्यवाही की गई है उनका विवरण भी परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) उक्त अवधि में 85 प्रकरणों में एम.एल.सी. की गई। 8 एम.एल.सी. प्रकरणों में प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर केवल 323 भा.दं.सं. के अपराध नाकाबिल दस्तनदाजी पुलिस पाये जाने पर निरोधात्मक कार्यवाही की गई है।

(4) उक्त सभी 85 एम.एल.सी. मामलों में विधिवत कार्यवाही की गई है कोई पुलिस कर्मी मुकदमा दर्ज नहीं करने का दोषी नहीं पाया गया है। इस कारण किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

परिशिष्ट-"अ"

भीलवाड़ा जिले के दर्ज प्रकरणों की सूचना

क्र. सं.	नाम थाना	मुकदमा नम्बर मय ता. कायमी	जुर्म धारा	एम.एल.सी. कराये गये व्यक्ति का नाम व पता	नतीजा
1	2	3	4	5	6
1.	कारोई	9/04 27-2-04	451, 354, 323 ता.हि.	श्री गणेश लाल S/o श्री रामा भील R/o रामा खेड़ा	चालान
2.	कारोई	49/04 23-6-04	341, 336, 323, 324, 34 ता.हि.	श्री अम्बा लाल S/o श्री राम जी जाट R/o सरोमियाणा	चालान
3.	गंगापुर	8/04 10-1-04	341, 323, 504 ता.हि.	श्रीमती धानी W/o शिव नाथ जाति नाथ R/o दियाद	चालान
4.	" "	10/04 13-1-04	143, 323 IRE	श्री नाजी राम S/o दयाराम गाडरी R/o गुढा	FR, ना.द.
5.	" "	11/04 13-1-04	143, 323, 452, IRE व 3 (1) (x) SCSTA 01	श्री नानू राम S/o होकमा चमार R/o गुढा	चालान
6.	" "	14/04 23-1-04	447, 341, 323	श्री छोगा लाल S/o गोकुल बलाई R/o चेड़खेड़ा	चालान
7.	" "	17/04 28-1-04	341, 323, 325 IRE	श्री जगदीश S/o नत्थी लाल सनाढय R/o आमली	चालान

1	2	3	4	5	6
8.	गंगापुर	18/04 29-1-04	143, 452, 323 IRE	श्रीमती पारसी W/o भगवान लाल बागड़िया R/o खातीखेड़ा	चालान
9.	" "	20/04 01-2-04	348, 323 IRE	श्रीमती रसीदा W/o रसीद मोहम्मद पठान R/o सहाड़ा का खेड़ा	चालान
10.	" "	22/04 01-2-04	143, 307, 323, 341, 336, 504 IRE	श्री बाल कृष्ण S/o देवी लाल टांक R/o करेडा लाल शराब ठेकेदार गंगापुर	चालान
11.	" "	23/04 06-2-04	143, 452, 324 IRE	श्री हजारी S/o नियाराम गाडरी R/o गाडरी खेड़ा	चालान
12.	" "	24/04 06-2-04	448, 323, 504, 34 IRE	श्रीमती कैलाशी W/o पेमा गाडरी R/o गाडरी खेड़ा	चालान
13.	गंगापुर	27/04 16-2-04	341, 323, 379 IRE	श्री बालु सिंह S/o संगत सिंह R/o गुमान सिंह जी का खेड़ा	चालान
14.	" "	32/04 23-2-04	147, 341, 323, 452, IRE	श्रीमती ममता W/o राजु माली R/o गंगापुर	चालान
15.	" "	33/04 23-2-04	143, 341, 323 IRE	श्री बनवीर S/o हरदेव माली R/ मेरूणी	चालान
16.	" "	34/04 23-2-04	447, 323, 504 IRE	श्री भैरू लाल S/o लक्ष्मण माली R/o मेरूणी	चालान
17.	" "	40/04 04-3-04	341, 323 IRE	श्री पिण्टू S/o किशन धोबी R/o मेरूणी	चालान

1	2	3	4	5	6
18.	गंगापुर	43/04 06-3-04	341, 323, 504 IRE	श्री कैलाश चन्द S/o श्री नारायण लाल कुमावत R/o उल्लाई	चालान
19.	" "	44/04 08-3-04	143, 152, 323 IRE	श्रीमती मांगी W/o नाथू भील R/o नाथ जी का खेड़ा	चालान
20.	" "	45/04 09-3-04	341, 323, 341 IRE	श्री बनवीर सिंह S/o रणजीत सिंह R/o करण जी की खेड़ी	चालान
21.	" "	46/04 09-3-04	143, 323, 504, 506, 451 IRE	श्री गणेश लाल S/o हजारी बागरीया R/o सानलियास	चालान
22.	" "	50/04 -3-04	452, 323, 504, 506 IRE व 3 (1) (x) SCSTA 01	श्री छौगा लाल S/o भूरा लाल बलाई R/o मेरूणी	चालान
23.	" "	52/04 -3-04	143, 148, 323 IRE	श्री पुष्कर सिंह S/o गोविन्द सिंह राजपूत R/o आसाहोली	चालान
24.	" "	53/04 2-3-04	341, 323, 148, 504 IRE	श्री लोभचन्द S/o पेमा अहीर R/o लक्ष्मीपुरा	चालान
25.	" "	55/04 5-3-04	143, 341, 323, 342, 504 IRE	श्री बद्री लाल S/o लेब्ध जाट R/o सालेरा	चालान
26.	" "	56/04 5-3-04	148, 323, 34 IRE	श्री भगवती लाल S/o श्री खेम राज लखारा R/o गंगापुर	चालान
27.	" "	60/04 22-3-04	148, 341, 323 IRE	श्री महेन्द्र सिंह S/o शम्भू सिंह राजपूत R/o भरवू	चालान

1	2	3	4	5	6
28.	गंगापुर	65/04 30-3-04	448, 341, 323, 504, 34 IRE	श्री मन्सूर अली S/o श्री मुबारिक हुसैन R/o कोशीथल	FR, अ.व.झूठा
29.	" "	68/04 04-4-04	451, 323, 336 IRE	श्री प्रभु लाल S/o चुन्नी लाल जगंलिया R/o गाडरी खेड़ा	चालान
30.	" "	70/04 07-4-04	341, 323 IRE	श्रीमती मांगी बाई W/o हीरा लाल जाट R/o उल्लाई	चालान
31.	" "	72/04 07-4-07	341, 323 IRE	श्री परथू S/o गोकल जाट R/o उल्लाई	" "
32.	" "	74/04 09-4-04	143, 341, 323 IRE	श्री माधु S/o आसु रेगर R/o भरक	" "
33.	" "	77/04 12-4-04	341, 323, 34 IRE	श्री गोपीलाल S/o कानारेगर R/o शिवरत्ती	" "
34.	" "	79/04 14-4-04	451, 323, 143, 336 IRE	श्री सत्य नारायण S/o मांगी लाल सेवक R/o लाखोला	" "
35.	" "	81/04 18-4-04	143, 452, 341, 323 IRE	श्री सत्य नारायण S/o मूल चन्द सुवालका R/o सहाड़ा सिराया	FR, अ.व.झूठा
36.	" "	90/04 27-4-04	341, 323, 504 IRE	श्रीमती नन्दु देवी W/o श्री बालूराम रेगर R/o पोटला	चालान
37.	" "	92/04 27-4-04	" "	श्रीमती पानी W/o हजारी माली R/o गंगापुर	" "
38.	" "	105/04 19-5-04	447, 341. 323, 504 IRE	श्रीमती मांगी W/o भोलीराम गाडरी R/o नाथ जी का खेड़ा	" "

1	2	3	4	5	6
39.	गंगापुर	108/04 20-5-04	143, 452, 323, 341, 379 IRE	श्री गणपत लाल S/o मोहन लाल R/o पोटला	चालान
40.	" "	109/04 20-5-04	143, 509, 341 IRE	श्री अर्जुन कुमार S/o कन्हैया लाल R/o पोटला	" "
41.	" "	110/04 20-5-04	34-, 323, 448, 504 IRE	श्री श्याम सुन्दर S/o मांगी लाल त्रिपाठी R/o गंगापुर	FR. अ.व.झूठा
42.	" "	112/04 22-5-04	452, 323 IRE	श्री राम प्रसाद S/o नाथूलाल आर्चाय R/o लाखोला	चालान
43.	" "	116/04 25-5-04	448, 341, 323 IRE	श्रीमती प्यारी W/o दल्ला बैरवा R/o पिछोरीयाखेड़ा	" "
44.	" "	117/04 25-5-04	308, 451, 341, 323 IRE	श्री शंकर S/o नाथू बागडिया R/o मालीखेड़ा	" "
45.	" "	129/04 05-6-04	143, 323, 336 IRE	श्री तुलसी राम S/o मोहन कुमावत R/o रायथलीपास	" "
46.	" "	130/04 05-6-04	341, 323 IRE	श्री जसू सिंह S/o भूर सिंह राजपूत R/o चेड खेड़ा	" "
47.	" "	132/04 05-6-04	143, 323, 325, 295 IRE	श्री लाधु S/o अमर चन्द कुमावत R/o रायथलियास	" "
48.	" "	138/04 10-6-04	341, 323 IRE	श्रीमती सुन्दर देवी W/o श्री लादू लाल नाथ R/o दियास	" "
49.	" "	142/04 15-6-04	" "	श्रीमती शराफी W/o रामेश्वरीया कंजर R/o माधोपुर (आलोली)	" "

1	2	3	4	5	6
50.	गंगापुर	143/04 16-6-04	143, 341, 323 IRE	श्री अमर सिंह S/o जेतसिंह राजपूत R/o मदूलिया	चालान
51.	" "	144/04 16-6-04	" "	श्री गोपी लाल S/o भूरा कुमावत R/o मदूलिया	" "
52.	" "	147/04 16-6-04	143, 451, 323, 504 IRE	श्रीमती प्रेमी W/o जीवा बागरीया R/o मालीखेड़ा	" "
53.	" "	148/04 16-6-04	341, 323 IRE	श्री पृथ्वीराज S/o छौगाजाट R/o शिवरती	जैर तपू.
54.	" "	150/04 18-6-04	" "	श्रीमती नोजी W/o नाथूपूणिया R / o माझरवास	जैर तपू.
55.	" "	153/04 20-6-04	451, 323 IRE	श्री रतन लाल S/o कुशाल जी कुम्हार R/o लाखोला	चालान
56.	" "	154/04 20-6-04	341, 323 IRE	श्री गोर्धन लाल S/o भैरू लाल जाट R/o लाखोला	" "
57.	" "	155/04 21-6-04	" "	श्री भगवान लाल S/o नन्दा अहीर R/o सुरावास	" "
58.	" "	157/04 23-6-04	452, 323 IRE	श्री राजेश S/o मांगीलाल चमार R/o शिवरती	" "
59.	" "	160/04 25-6-04	341, 323, 324 IRE	श्री शंकर लाल S/o मांगीलाल खारोल R/o लाखोला	" "
60.	" "	162/04 27-6-04	341, 323, 509 IRE	श्री शिवनारायण S/o भंवर लाल R/o गंगापुर	" "

1	2	3	4	5	6
61.	गंगापुर	164/04 25-06-04	341, 323 IRE	श्री बालु S/o अमरा लाल कोलिया R/o कोशीयल	चालान
62.	" "	5/04	" "	राम लाल गुर्जर R/o छतोल	" "
63.	रायपुर	12/04	341, 323 IRE	श्रीमती संतोष सरीफ R/o आमली	" "
64.	" "	13/04	" "	श्री गोर्धन लाल R/o कुलाल खेड़ी	" "
65.	" "	14/04	" "	श्री नारायण सिंह R/o बांगड	" "
66.	" "	17/04	" "	श्री दिनेश भुवंद R/o रायपुर	" "
67.	" "	22/04	341, 323, 34 IRE	श्रीमती गंगा बागरीया R/o बाडियाखुर्द	" "
68.	" "	24/04	341, 323, 336, 448 IRE	श्री हरि सिंह राजपूत R/o छिरोड़ी	" "
69.	" "	26/04	323, 325, 34 IRE	श्री छगन सिंह राजपूत R/o लाठिया खेड़ी	" "
70.	" "	31/04	147, 452, 341, 323 IRE	श्री गोरू बंजारा R/o झोडालिया	" "
71.	" "	35/04	341, 323 IRE	श्री गुलाब गुर्जर R/o बोराणा	" "
72.	" "	36/04	341, 323, 452 IRE	श्री पृथ्वीराज सिंह राजपूत R/o गलवा	" "

1	2	3	4	5	6
73.	रायपुर	38/04	452, 341, 323 IRE	बदरी रावत R/o मियाला	चालान
74.	" "	41/04	341, 323 IRE	श्रीमती मांगीदेवी गुर्जर R/o संगरेव	" "
75.	" "	48/04	" "	श्री दिनेश खडवा R/o झांडोल	" "
76.	" "	ई.न. 4/04	107, 116/31 CRCRC	श्री सुवालाल खटीक R/o संखोद नोट :- इस्तगासा पेश किया गया व 323 IRE के तहत अदालत में चारासुई की हिदायत दी गई।	" "
77.	" "	ई.न. 11/04	107, 117 जा. पौ. CRCRC प्रार्थी गोपी लाल गूजर R/o परबारी	इस्त. पेश किया गया, ना.द. जुर्म होने से 323 IRE की रपट दर्ज की जाकर अदालत में चारा जुही की हिदायत	" "
78.	" "	ई.न. 12/04	107, 117 CRCRC प्रार्थी मोहन लाल खारोल	--"--	" "
79.	" "	ई.न. 18/04	107, 116/31 CRCRC लक्ष्मण गुर्जर R/o परबति	--"--	" "
80.	" "	ई.न. 22/04	107, CRCRC मांगी लाल रेगर R/o देवरीया	--"--	" "

1	2	3	4	5	6
81.	रायपुर	ई.नं. 41/04	107, 117/31 CRCRC श्री मुकेश सेन R/o पारदिया का खेड़ा	नोट - ईस्तगासा पेश किया गया, ना.द. जुर्म होने से 323 IRE की रपट दर्ज की जाकर अदालत में चाहाजुही की हिदायत दी गई।	चालान
82.	--"--	ई.नं.2/04 107, 151 CRCRC	107, 151/ CRCRC घनश्याम कुम्मावत R/o सुराय	इस्तगासा पेश कर नेकचलनी हेतु पाबन्द कराये गये	" "
83.	--"--	ई.नं. 25/04	107, 151/ CRCRC देवी रेगर R/o बाडी	" "	" "
84.	करेड़ा	ई.नं. 17/04	341, 323 IRE	श्री आसू S/o कालुसूथार R/o बागोलीया करेडा	" "
85.	--"--	18/04	--"--	श्री श्रवण S/o अर्जुन लुहार R/o बागोलिया	" "

श्री डूंगरगढ़ के अपूर्ण विकास कार्य

415. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ में ग्राम पंचायत धीरदेशर चोटियां, जाखासर नया, धर्मांश व गुसाईसर इत्यादि द्वारा वर्ष, 1999 से मई, 2004 तक कितने विकास कार्य करवाए गए एवं उक्त कार्य किस-किस मद में व कितनी लागत के हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सभी ग्राम पंचायतों में जो कार्य स्वीकृत हो चुके हैं लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं, उनकी सूची सदन की मेज पर रखें'

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ वर्ष 1999 मई, 2004 तक ग्राम पंचायत धीरदेसर चोटियां में 51.55 लाख के ग्राम पंचायत धर्मांश 3257 लाख के ग्राम पंचायत जाखासर नया में 103.65 लाख के व ग्राम पंचायत गुसाईसर बड़ा में 35.51 लाख की लागत के कार्य हुए, जिनका मदवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। कार्यों की सूची परिशिष्ट-।। पर संलग्न है।

(2) उक्त सभी ग्राम पंचायतों में जो कार्य स्वीकृत हो चुके हैं में से एक को छोड़ कर शेष सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं सिर्फ श्मशान भूमि की चार दिवारी, जाखासर जो कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना लोक सभा द्वारा स्वीकृत किया हुआ है। कार्य शुरू नहीं किया गया।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र हनुमानगढ़ में वृक्षों की अवैध कटाई

416. डा. सुरेश चौधरी (भादरा) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र जिला हनुमानगढ़ में गत तीन वर्षों की संख्या में पेड़ काटे जा चुके हैं ? यदि हां, तो

(डा. सुरेश चौधरी)

क्या सरकार ने भविष्य में पड़ने वाले अकालों से बचने के कोई उपाय किये हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त क्षेत्र में क्या सरकार नये वृक्षारोपण का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार पिछले 3 वर्षों में 1,25,551 परिपक्व पेड़ों का हनुमानगढ़ जिले में विभागीय रूप से विदोहन किया जा चुका है, काटे गये पेड़ों के स्थान पर पिछले 3 वर्षों में विभिन्न प्रजाति के 6,77,245 पौधे पुनः रोपित किये गये हैं।

पुलिस विभाग से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु निर्धारित राशि में छूट

417. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पुलिस से चरित्र प्रमाण-पत्र लेने के लिए कोई राशि निर्धारित है ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) चरित्र प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बेरोजगार युवकों से चरित्र प्रमाण-पत्र लेने के लिए निर्धारित राशि समाप्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) हां। यह सही है कि पुलिस से चरित्र प्रमाण-पत्र लेने के लिए राशि निर्धारित है। निजी क्षेत्र के प्रत्याशियों से राज्य के लिए 200/- रूपये एवं राज्य से बाहर के लिए 300/- रूपये शुल्क निर्धारित है परन्तु यह शुल्क प्रत्याशियों से वसूल नहीं किया जाकर नियुक्ति प्राधिकारी से लिया जाता है। केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार में नियुक्ति हेतु चरित्र सत्यापन के विषय में प्रत्याशियों से किसी प्रकार का सत्यापन शुल्क नहीं लिया जाता है।

(2) चरित्र सत्यापन के लिए पत्रादि सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को भिजवाये जाते हैं। जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्राप्त पत्रादि को सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक को जांच हेतु प्रेषित किया जाता है तथा जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्रत्याशी के चरित्र एवं चाल चलन की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित कर दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ऐसे मामले जो जिला मजिस्ट्रेट/राज्य सरकार से प्राप्त होते हैं उन पर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा कोई पत्राचार नियुक्ति प्राधिकारी से नहीं की जाये। सभी पत्राचार राज्य सरकार/जिला मजिस्ट्रेट से ही किया जावे। यदि किसी प्रकरण में थानाधिकारी द्वारा प्रत्याशी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सम्बन्ध में उसके पक्ष में रिपोर्ट नहीं की जाती है तो उससे सम्बन्धित समस्त अभिलेख वृत्ताधिकारी के स्तर पर जांच की जाती है तथा रिपोर्ट व रिकार्ड पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट को भिजवाये जाते हैं जिला मजिस्ट्रेट के स्तर पर उपरोक्त रिपोर्ट एवं रिकार्ड के आधार पर उचित निर्णय लिया जाता है।

जो प्रकरण नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सीधे ही जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय को प्राप्त होते हैं, उनके सम्बन्ध में रिपोर्ट जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा सीधे ही नियुक्ति प्राधिकारी को भेज दी जाती है।

(3) जी नहीं। जैसाकि बिन्दु संख्या 1 में अवगत कराया है कि केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार में नियुक्ति हेतु चरित्र सत्यापन के विषय में प्रत्याशियों से किसी प्रकार का सत्यापन शुल्क नहीं लिया जाता है। निजी क्षेत्र के प्रत्याशियों से शुल्क सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी से लिया जाता है।

पंचायती राज के जन-प्रतिनिधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु अनुशंसा

418. श्री अमराराम (धोद) (धोद) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य अन्वेषण ब्यूरो ने राज्य में कितने सरपंच, प्रधान एवं प्रमुखों के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करके कार्यवाही हेतु सरकार को अनुशंसा भिजवाई है ?

(श्री अमराराम)

(2) विभाग द्वारा अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरपंच, प्रधान, प्रमुख के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की संदर्भ धाराओं के तहत दर्ज प्रकरणों में अनुसन्धान उपरान्त आरोप प्रमाणित पाये जाने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ऐसे सम्बन्धित सरपंच, प्रधान, प्रमुख आदि के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने हेतु अभियोजन स्वीकृति जारी करने के लिए राज्य को प्रकरण प्रस्तुत करते हैं। वर्ष 2000 से अब तक ऐसे प्राप्त प्रकरणों की (सूची संलग्न) है।

(2) विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न सूची में उपलब्ध है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले में खनन कार्य हेतु स्वीकृति/अनापत्ति-प्रमाण पत्र

419. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में खनन कार्यों की स्वीकृति/अनापत्ति के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या नियम/शर्तें निर्धारित की हुई हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि गत 5 वर्षों में नए खनन कार्यों के लिए कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला अलवर में गत 5 वर्षों में किस-किस खनन कार्य के लिए पर्यावरण विभाग द्वारा अनापत्ति/स्वीकृति प्रदान की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा खनन कार्यों की स्वीकृति बाबत मुख्य रूप से निम्न अधिनियम एवं नियम बनाए हुए हैं :-

(वन एवं पर्यावरण मंत्री)

1. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1957
2. खनिज रियायती नियामावली, 1960
3. खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1998
4. ग्रेनाईट संरक्षण एवं विकास नियम, 1999
5. मार्बल संरक्षण एवं विकास नियम, 2002

राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बनाए गए नियम एवं नीतियां निम्न प्रकार है :-

1. राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियमावली, 1986
2. खनिज नीति, 1994
3. मार्बल नीति, 2002
4. ग्रेनाईट नीति, 2002

इसके अतिरिक्त खनन कार्यों की स्वीकृति के लिए निम्न अधिनियमों के प्रावधान भी लागू होते हैं :-

1. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
2. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 7-2-1992, एवं 27-1-1994
3. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981
4. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974

(2) जी नहीं। गत पांच वर्षों में खान विभाग द्वारा 2032 नए खनन पट्टे तथा 3718 क्वेरी लाईसेन्स स्वीकृत किए गए हैं। विगत पांच वर्षों में दिए गए खनन पट्टों एवं क्वेरी लाईसेन्स का जिले वार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(3) जिला अलवर में विगत पांच वर्षों में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 75 खनन कार्यों के लिए दिनांक 7-5-1992 की अधिसूचना के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इन उद्योगों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

परिशिष्ट-"अ"

Details of Leases Granted in last 5 Years

S.No.	District	Major Mi eral	Mi or Mi eral	Quarry Licenses
1	2	3	4	5
1.	Alwar	0	53	0
2.	Ajmer	39	53	186
3.	Banswara	0	2	0
4.	Barmer	2	66	0
5.	Bharatpur	0	224	0
6.	Bhilwara	52	28	919
7.	Bikaner	6	38	52
8.	Churu			
9.	Bundi	0	139	0
10.	Chittaurgarh	3	3	724
11.	Dholpur	0	17	0
12.	Dungarpur	0	2	0
13.	Jaipur	7	257	0
14.	Dausa			
15.	Jaisalmer	2	165	0
16.	Jalore	0	80	0
17.	Jhalawar	0	50	0
18.	Jodhpur	1	104	1823
19.	Karavli	0	105	0

1	2	3	4	5
20.	Kota	0	57	0
21.	Baran			
22.	Nagaur	2	140	14
23.	Pali	5	44	0
24.	Rajasmand	15	68	0
25.	Sikar	15	77	0
26.	Jhunjhunu			
27.	Sirohi	1	24	0
28.	Sir Ganganagar	2	0	0
29.	Hanumangarh			
30.	Tonk	10	19	0
31.	Sawai Madhopur			
32.	Udaipur	16	39	0
	Total	**178**	**1854**	**3718**

परिशिष्ट-"अ"

भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 7-5-1992 के अन्तर्गत जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति की सूची

क्र. सं.	उद्योग का नाम	ग्राम	खनिज	स्वीकृति जारी करने की दिनांक
1.	शंकर इण्डस्ट्रीज	मंगलावास	चेजा पत्थर	11-2-2000
2.	राजीव मोहन गुप्ता	नयाबास हवेली	सिलिका	26-11-1999
3.	कमल कान्त (एम.एल.896/91, 897/91	झिरी	मार्बल	24-6-1999
4.	छोटा देवी (एम.एल. 65/96)	कयासा	चेजा पत्थर	24-6-1999
5.	अग्रवाल इन्डस्टीज (29/95 एण्ड 28/75)	धोबी गट्टा	चेजा पत्थर	24-6-1999
6.	संग्राम सिंह	कलसीकाला झीरी	मार्बल	24-6-1999
7.	प्रहलाद चन्द्र सैनी (एम.एल. 45/84(8))	कोथल	चेजा पत्थर	24-6-1999
8.	राम किशोर गुप्ता	कुण्डराउल व ठोलन	लाईम स्टोन	24-6-1999
9.	राजेन्द्र कुमार गुप्ता	कुण्डराउल व ठोलन	लाईम स्टोन	24-6-1999
10.	देव दत्त गुप्ता	कुण्डराउल व ठोलन	लाईम स्टोन	24-6-1999

1	2	3	4	5
11.	राम किशोर खण्डेलवाल (एम.एल. 166/91)	निजरा	मार्बल	24-6-1999
12.	कमल कुमार अग्रवाल (एम.एल. 1455/91)	समरा झिरी	मार्बल	24-6-1999
13.	अनिल कुमार जैन (एम.एल. 1347/91)	निजरा	मार्बल	24-6-1999
14.	नवीन कुमार जैन (एम.एल. 169/91 एण्ड 170/91)	समरा	मार्बल	24-6-1999
15.	राजेन्द्र प्रसाद व्यास (एम.एल. 2/96)	साकेत	लाईम स्टोन	24-6-1999
16.	सुभाष चन्द व्यास (एम.एल. 301/89 (8))	साकेत	लाईम स्टोन	24-6-1999
17.	विजय कुमार व्यास (एम.एल. 117/89 (8))	साकेत	लाईम स्टोन	24-6-1999
18.	सुभाष चन्द व्यास (एम.एल. 121/89 (8))	साकेत	लाईम स्टोन	24-6-1999
19.	उपेन्द्र कुमार व्यास (एम.एल. 122/89 (8))	साकेत	लाईम स्टोन	24-6-1999
20.	अरविन्द कुमार अवस्थी (एम.एल. 35/89 (8))	साकेत	लाईम स्टोन	24-6-1999

1	2	3	4	5
21.	टिक्कू र न (ए..एल. 23/95 एण्ड 24/95)	कोथल	चेजा पत्थर	24-6-1999
22.	म ज कु र दी (एम.एल. 19/95 एण्ड 20/95)	कोथल	चेजा पत्थर	24-6-1999
23.	सु दी (एम.एल. 17/95 एण्ड 18/95)	कोथल	चेजा पत्थर	24-6-1999
24.	छ ल दी (ए..एल. 15/95 एण्ड 16/95	कोथल	चेजा पत्थर	24-6-1999
25.	सूरज सिंह (ए..एल. 25/95	कोथल	चेजा पत्थर	24-6-1999
26.	ल चन्द सै (ए..एल. 21/95 एण्ड 22/95)	कोथल	चेजा पत्थर	24-6-1999
27.	ज..दीश प्रस द र दव	कयासा रेवाना	स्लेट स्टोन	24-6-1999
28.	[illegible]	कलसी काला गुवाड़ा	मार्बल	24-6-1999
29.	राम द र कु वत	कलसी काला	मार्बल	24-6-1999
30.	विन्द सिं	घानीन जेरा ड़िरी	मार्बल	24-6-1999
31.	वन्द कठूरिर	कलसी काला गुवाड़ा	मार्बल	24-6-1999

1	2	3	4	5
32.	भगवान सहाय (एम.एल. 2/96)	खेडरोठ	स्लेट स्टोन	24-6-1999
33.	नवीन कुमार जैन (एम.एल. 137/89)	उलाहेडी	चेजा पत्थर	14-1-2000
34.	अंशुल मेहता (एम.एल. 216/89)	उलाहेडी	मार्बल	14-1-2000
35.	विवेक त्यागी (एम.एल. 7/90)	उलाहेडी	चेजा पत्थर	13-1-2000
36.	सुदेश मेहता (एम.एल. 217/89)	उलाहेडी	चेजा पत्थर	14-1-2000
37.	चन्द्र प्रकाश जैन (एम.एल. 934/88)	उलाहेडी	चेजा पत्थर	14-1-2000
38.	हरलाल सैनी (एम.एल. 298/89)	उलाहेडी	चेजा पत्थर	14-1-2000
39.	प्रमोद कुमार जैन (एम.एल. 135/89)	उलाहेडी	चेजा पत्थर	14-1-2000
40.	अजय कुमार गुप्ता (एम.एल. 295/89)	उलाहेडी	चेजा पत्थर	14-1-2000
41.	वेद प्रकाश गुप्ता (एम.एल. 293/89)	उलाहेडी	चेजा पत्थर	14-1-2000
42.	रिचा माथुर	जखराना	स्लेट स्टोन	11-2-2000
43.	श्री राम मिनरल्स	उमरेन	बायराइट	22-2-2000

1	2	3	4	5
44.	विजय कुमार हरीजन (एम.एल. 276/88)	दांतला	चेजा पत्थर	12-6-2000
45.	लक्ष्मी चन्द गुप्ता	सीरावास	सोप स्टोन	27-9-2000
46.	दिनेश शर्मा (एम.एल. 152/81)	प्रतापबन्ध	चेजा पत्थर	24-6-1999
47.	केदार चन्द व्यास (एम.एल. 100/90)	बसनर बिलेडा	लाईम स्टोन	24-6-1999
48.	प्यारे लाल व्यास (एम.एल. 635/88)	बसनर बेलेडा	लाईम स्टोन	24-6-1999
49.	बद्री प्रसाद	प्रताप बन्ध	चेजा पत्थर	24-6-1999
50.	बसन्ती देवी	कुण्ड रोड	स्लेट स्टोन	24-6-1999
51.	श्याम लाल शर्मा (एम.एल. 158/84)	कुण्ड रोड	स्लेट स्टोन	24-6-1999
52.	कृष्णा देवी	कुण्ड रोड	स्लेट स्टोन	24-6-1999
53.	श्री राम यादव (एम.एल. 204/84)	भुगोरे	चेजा पत्थर	24-6-1999
54.	अनुप कुमार (एम.एल. 39/95)	गेलोट	स्लेट स्टोन	24-6-1999
55.	सुरेश चन्द्र (एम.एल. 102/95)	गेलोट	स्लेट स्टोन	24-6-1999

1	2	3	4	5
56.	पंकज (एम.एल. 71/95)	जोनेचा	स्लेट स्टोन	24-6-1999
57.	रामजी लाल (एम.एल. 58/95)	कयासा	स्लेट स्टोन	24-6-1999
58.	तुलसी राम (एम.एल. 72/95)	जोनेचा	स्लेट स्टोन	24-6-1999
59.	सुन्दरी देवी (एम.एल. 215/84)	भुगोरे	चेजा पत्थर	24-6-1999
60.	अमर सिंह यादव (एम.एल. 1/96)	कुण्ड रोड	स्लेट स्टोन	24-6-1999
61.	पायल जैन (एम.एल. 870/91 एण्ड 871/91)	निजरा	मार्बल	24-6-1999
62.	गणेश चन्द कोठारी (एम.एल. 1456/91)	समरा	मार्बल	24-6-1999
63.	विजय कुमार भारद्वाज (एम.एल. 31/96)	मन्धन	स्लेट स्टोन	24-6-1999
64.	सज्जन सिंह (एम.एल. 73/95)	पोरूला	स्लेट स्टोन	24-6-1999
65.	बाबू सिंह चौहान	कुण्ड रोड	स्लेट स्टोन	24-6-1999
66.	वीरेन्द्र सिंह	रेवाना	चेजा पत्थर	05-4-1999
67.	लक्ष्मी नारायण (एम.एल. 212/80, 213/80 एण्ड 214/80)	उमरेन	चेजा पत्थर	12-10-2000

1	2	3	4	5
68.	सुरेश चन्द्र मेहता (एम.एल. 213/89, 74/90)	धोबी गट्टा	चेजा पत्थर	05-3-2001
69.	देवानन्द (एम.एल. 182/89)	इस्माईलपुर	चेजा पत्थर	05-3-2001
70.	रमेश चन्द्र अग्रवाल (एम.एल. 324/87)	हुसैनपुर	चेजा पत्थर	05-3-2001
71.	इन्द्र कुमार शर्मा (एम.एल. 7/85)	उलाहेड़ी	चेजा पत्थर	05-3-2001
72.	श्री राम भारतीय (एम.एल. 6/85, 118/89)	सहोड़ी	चेजा पत्थर	01-3-2001
73.	गोयल क्रेशर्स (एम.एल. 133/83)	सहोड़ी	चेजा पत्थर	01-3-2001
74.	इन्दू स्टोन क्रेशर्स (एम.एल. 113/89)	सहोड़ी	चेजा पत्थर	01-3-2001
75.	ब्रजराज सिंह	कुण्ड रोड	स्लेट स्टोन	24-6-1999

पुलिस कर्मचारियों की कार्यावधि का विनिश्चय

420. श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना), श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में अन्य विभागों की भांति पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को एक दिन में कार्य करने की अवधि निश्चित नहीं है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(2) क्या सरकार उक्त अव्यवस्था को दूर करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि राज्य में अन्य विभागों की भांति पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की एक दिन में कार्य करने की अवधि निश्चित नहीं है क्योंकि पुलिस विभाग में दायित्व एवं कर्त्तव्य विशिष्ट एवं भिन्न प्रकृति के हैं। इन दायित्वों एवं कर्त्तव्य की प्रकृति को देखते हुए पुलिस सेवा में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों से हर समय ड्यूटी के लिए उपलब्ध रहने की अपेक्षा अनिवार्य रूप से की जाती है। सामान्यतया यह प्रयास किया जाता है कि जिन पुलिस कर्मियों की रात्रि ड्यूटी होती है उनकी दिन में ड्यूटी नहीं लगाई जावें तथा सक्रिय ड्यूटी के अन्तराल के बाद विश्राम का अन्तराल हो, लेकिन किसी भी पुलिसकर्मी को आपात एवं अपरिहार्य परिस्थिति में सक्रिय ड्यूटी के लिए कभी भी बुलाया जा सकता है। कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा सम्बन्धी दायित्वों की दृष्टि से आवश्यकतानुसार राजपत्रित आवकाशों पर भी सामान्य कार्य दिवस की भांति कार्य करने के लिए बुलाया जा सकता है। उपलब्ध सीमित नफरी के मध्य नजर थानों पर आठ घण्टे की ड्यूटी शिफ्ट व्यवस्था लागू करने में व्यवहारिक कठिनाई है।

(2) पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा राज्य सरकार द्वारा लागू नियमों एवं विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से किया जा रहा है।

बागीदौरा की पंचायत समितियों को एम.जी.आर.वाई. योजनान्तर्गत आबंटित राशि

421. श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : क्या ग्रामीण विकास एवं

(श्री जीतमल खांट)

पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा की पंचायत समिति आनन्दपुरी, बागीदौरा, गढ़ी का एस.जी.आर.वाई. मद में वर्ष 2000-01 से 2004-05 में प्रतिवर्ष 30 प्रतिशत राशि आबंटित की गई है ? यदि हां, तो आबंटित राशि का विवरण वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र की पंचायत समितियों को एस.जी.आर.वाई. की वर्षवार आबंटन राशि से निजी आवास स्वीकृत किए गए है ? यदि हां, तो पंचायतवार एवं मय राशि व प्रार्थी के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र की पंचायतों द्वारा निजी आवास आबंटन में बी.पी.एल. चयनित को ध्यान में रखा गया है ? यदि हां, तो चयन की कौनसी प्रक्रिया अपनाई गई है ? चयन प्रक्रिया का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना वर्ष 2002-03 से ही प्रारम्भ की गई है। वर्ष 2002-03 से 2004-05 में विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा की पंचायत समिति आनन्दपुरी, बागीदौरा, गढ़ी में जिला परिषद, बांसवाड़ा द्वारा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में 30 प्रतिशत मद राशि में आबंटित की गई राशि का पंचायत समितिवार एवं वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(राशि लाखों में)

वर्ष	बागीदौरा	आनन्दपुरी	गढ़ी
2000-01	योजना नहीं थी	योजना नहीं थी	योजना नहीं थी
2001-02	योजना नहीं थी	योजना नहीं थी	योजना नहीं थी
2002-03	32.36	21.64	40.80
2003-04	35.82	23.96	45.18
2004-05 (15-7-2004 तक)	18.71	12.269	22.879

(पंचायती राज मंत्री)

(2) जी हां। पंचायत समितिवार, वर्षवार स्वीकृत किये गये आवासों की संख्या मय राशि निम्नानुसार है :-

वर्ष	बागीदौरा		आनन्दपुरी		गढ़ी	
2000-01	योजना नहीं थी		योजना नहीं थी		योजना नहीं थी	
2001-02	योजना नहीं थी		योजना नहीं थी		योजना नहीं थी	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2002-03	61	12.20	61	12.20	91	18.20
2003-04	72	14.40	52	10.40	101	20.20
2004-05 (15-7-2004 तक)	53	10.60	20	3.90	0	0.00

पंचायत समितिवार प्रार्थियों को स्वीकृत किये गये आवासों की सूची मय राशि (परिशिष्ट-1) पर संलग्न है।

(3) जी हां। प्राप्त सूचनानुसार भारत सरकार द्वारा जारी सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की मार्ग-दर्शिका एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियाँ अनुसार स्वीकृत किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा चयन प्रक्रिया हेतु जारी पत्र क्रमांक एफ.4(31)आरडी/आरई/02/पार्ट-II दिनांक 26-10-2002 (परिशिष्ट-2) पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

तारानगर (चूरू) में खेलों के प्रोत्साहन हेतु कार्य योजना

608. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या युवा एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में खेल प्रेमी एवं बालकों के लिए खेल प्रोत्साहन के क्या कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं ?

(2) चूरू जिले की तारानगर एवं राजगढ़ तहसीलों में खेल गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु क्या कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं ?

(3) सरकार द्वारा इस वर्ष कितने बच्चों को किस-किस खेल के लिए क्या-क्या सामग्री उपलब्ध कराई गई ? जिला एवं तहसील स्तर पर किन-किन खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया ?

उत्तर

(1) राज्य में खेल प्रेमी एवं बालकों के लिए खेल प्रोत्साहन के लिये प्रत्येक जिला स्तर पर नियमित प्रशिक्षण, केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन, ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविरों आदि का आयोजन किया जाता है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) चूरू जिले की तारानगर एवं राजगढ़ तहसील में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु इस व ्र चूरू केन्द्र पर कार्यरत प्रशिक्षकों द्वारा 10 दिवसीय ग्रामीण प्रशिक्षण शिविर, वालीबाल, एथेलेटिक्स, कबड्डी एवं टेबिल टेनिस खेल में गांव चान्दगोठी, नवां, ढिगारला, मून्दीताल, राजगढ, हमीरवास एवं तारानगर में लगाये गये हैं।

(3) बच्चों को सीधे ही खेल सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जाती है। खेल प्रशिक्षक को खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाकर खिलाडियों को खेल प्रशिक्षण दिया जाता है। जहां प्रशिक्षक नियुक्त नहीं हो और वहां कोई अच्छा खेल चल रहा है, तो उस खेल का सामान वहां के खेल संघ के अध्यक्ष/सचिव को भी उपलब्ध कराया जाता है। चूरू जिले में विभिन्न खेल संघों द्वारा इस वर्ष

(युवा एवं खेल मंत्री)

(2004) आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का विवरण निम्नानुसार है :-

1. कुश्ती संघ द्वारा सब जूनियर प्रतियोगिता 16-4-2004 को सरदार शहर।
2. हैण्डबाल संघ द्वारा सब जूनियर प्रतियोगिता 25-4-2004 से 26-4-2004 तक रतनगढ़ में।
3. बाल बैडमिंटन संघ द्वारा बालक/बालिका वर्ग में 6-1-2004 से 7-1-2004 तक सरदार शहर में।
4. साफ्टबाल संघ द्वारा सब जूनियर/जूनियर/सीनियर प्रतियोगिता 5-5-2004 से 6-5-2004 तक चुरू में।
5. टेनिस बाल क्रिकेट संघ द्वारा जूनियर वर्ग में प्रतियोगिता 4-6-2004 चूरू में।
6. हैण्डबाल संघ द्वारा जूनियर वर्ग में 7-7-2004 से 10-7-2004 रतनगढ़ में।

परिशिष्ट-"अ"

राज्य में खेलों के प्रोत्साहन हेतु परिषद् द्वारा निम्नलिखित कार्य किये जाते हैं

I. नियमित प्रशिक्षण:- परिषद द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय पर वर्ष पर्यन्त नि:शुल्क नियमित प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाता है जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षकों द्वारा बालकों को नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है एवं खेल सामान उपलब्ध करवाया जाता है।

II. केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर:- परिषद् द्वारा माह मई-जून में केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है जिसके अन्तर्गत विभिन्न खेलों में प्रदेश भर से चयनित प्रशिक्षणार्थियों को नि:शुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों को नि:शुल्क भोजन, आवास एवं खेल उपकरण उपलब्ध करवाये जाते हैं तथा यात्रा और दैनिक भत्ता दिया जाता है। शिविर में भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों को टी-शर्ट प्रदान की जाती है।

III. ग्रीष्म कालीन प्रशिक्षण शिविर:- परिषद् द्वारा ग्रीष्मावकाश में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभिन्न खेलों में ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है। इसके अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों को नि:शुल्क प्रशिक्षण व खेल उपकरण उपलब्ध करवाये जाते हैं एवं टी-शर्ट प्रदान की जाती है।

IV. महाराणा प्रताप पुरस्कार:- परिषद् द्वारा अन्तरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को महारणा प्रताप पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जिसके तहत 10 हजार रू. नकद, ब्लेजर, महाराणा प्रताप की प्रतिमा व प्रमाण-पत्र दिया जाता है।

V. खेल रत्न पुरस्कार:- राज्य सरकार द्वारा अन्तरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है जिसके तहत 50 हजार रुपये नकद एवं प्रमाण-पत्र दिया जाता है।

VI. नकद पुरस्कार:- विभिन्न राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के खिलाडियों को नियमानुसार नकद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया जाता है।

रूपवास में खनन कार्य

609. श्री निर्भय लाल (रूपवाल) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र रूपवास में कुल कितने हैक्टेयर क्षेत्र में खनन कार्य होता है ? ग्राम, स्थान सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्थानों में किस-किस प्रकार के पत्थर निकाले जाते हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र में मिल स्टोन, सैण्ड स्टोन एवं कट स्टोन के खनन हेतु कुल कितने हैक्टेयर में किस-किस ठेकेदार को खानें आबंटित की गई हैं ? ठेकेदार का नाम व पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रूपवास में कुल 2592.24 हैक्टेयर क्षेत्र खनन कार्य हेतु आबंटित है। जो कि निकट ग्राम सिरोद, सिंघावली, भिडियानी, बंशीपहाडपुर, राजपुरा, खरगा का नगला, चुरारी डांग, महलपुरचूरा, घाटौली, महलपुर काछी, घाटा, औडेल गद्दी, चक सामरी, लखनपुर, बरौली, बोकोली, गूर्जर बलाई, मोरोली डहर, खान सूरजापुर एवं रूपवास में स्थित है।

(2) उक्त स्थानों पर खनिज सेण्डस्टोन, मिल स्टोन एवं खनिज मैसनरी स्टोन निकाला जाता है।

(3) उक्त क्षेत्र में मिल स्टोन एंव सेण्डस्टोन के खनन पट्टे जिन-जिन ठेकेदारों को आबंटित किये गये हैं। उनके नाम व पते सहित विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शाये गये हैं। कटस्टोन के नाम से कोई भी खनन पट्टा आबंटित नहीं है।

परिशिष्ट-"अ"

कार्यालय खनि. अभियन्ता, भरतपुर

विधान सभा क्षेत्र रूपवास में प्रभावशील खनिज मिल स्टोन व सैण्ड स्टोन के खनन/पट्टों की सूची

क्र. सं.	एम.एल. नं.	नाम पट्टाधारी एवं पूर्ण पता	खनिज	निकट ग्राम	क्षेत्रफल हैक्टर में	अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1.	39/90	श्री शिवचरन लाल पुत्र श्री सुख्खीराम बस स्टैण्ड, रूपवास	मिल स्टोन	रूपवास	959.5000	12-11-1990 से 20 वर्ष
2.	2/95	श्री अश्वनी गुप्ता पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द अनाहगट भरतपुर	सैण्डस्टोन	सिरोद	5.00	6-9-1996 से 20 वर्ष
3.	40/89	श्री बृजेन्द्र सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह इब्राहिम, रूपवास	सैण्डस्टोन	सिंघावली	174.14	5-1-1990 से 20 वर्ष
4.	82/90	श्री बेतालसिंह पुत्र श्री तेजसिंह, महलपुरचूरा, रूपवास	सैण्डस्टोन	सिरोद	10.00	13-2-1994 से 20 वर्ष

1	2	3	4	5	6	7
5.	56/90	श्री भैरोंसिंह पुत्र श्री रजईराम, रूपवास	सैण्डस्टोन	भिडियानी	259.00	10-3-1991 से 20 वर्ष
6.	10/90	श्री वासुदेव कटारा पुत्र श्री सालिगराम, सिरोद, रूपवास	सैण्डस्टोन	सिरोद	10.00	23-7-1990 से 20 वर्ष
7.	6/90	श्री भूरीसिंह पुत्र श्री हरिसिंह महलपुरचूरा, रूपवास	सैण्डस्टोन	सिरोद	10.00	20-11-1990 से 20 वर्ष
8.	37/88	श्री दिनेश चंद पुत्र श्री पूरनमल गुप्ता 436, राजेन्द्र नगर, भरतपुर	सैण्डस्टोन	बंशीपहाडपुर	1.00	1-8-1998 से 20 वर्ष
9.	3/2000	श्री देवी सिंह पुत्र श्री मूलीराम, महलपुरचूरा, रूपवास	सैण्डस्टोन	सिरोद	1.00	22-8-2000 से 20 वर्ष
10.	12/2000	श्री गजेन्द्र भारद्वाज पुत्र श्री श्यामसुन्दर, भवविलास, करौली	सैण्डस्टोन	सिरोद	5.00	22-7-2000 से 20 वर्ष
11.	85/86	श्री हरिओम पुत्र श्री बेतालसिंह, महलपुरचूरा, रूपवास	सैण्डस्टोन	राजपुरा	10.00	3-3-1997 से 20 वर्ष

1	2	3	4	5	6	7
12.	11/2000	मै. जे. केस्टोन्स पावरहाउस, भीमनगर, बयाना	सैण्डस्टोन	सिरोद	5.00	19-7-2000 से 20 वर्ष
13.	80/98	श्री किशनसिंह कोली पुत्र श्री मूलीराम, खेरा ठाकुर, रूपवास	सैण्डस्टोन	सिरोद	0.97	20-6-1989 से 20 वर्ष
14.	26/97	श्री लक्ष्मी चन्द पुत्र श्री सुख्खीराम बस स्टैण्ड के पास, रूपवास	सैण्डस्टोन	खरगा का नगला	153.00	13-6-1988 से 20 वर्ष
15.	8/2000	श्री मानसिंह पुत्र श्री जुगला सिंह रूदावल, रूपवास	सैण्डस्टोन	सिरोद	5.00	4-10-2000 से 20 वर्ष
16.	7/95	श्री महेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री वीरसिंह महलपुरचूरा, रूपवास	सैण्डस्टोन	सिरोद	5.00	9-2-1998 से 20 वर्ष
17.	8/92	श्री नेमीचन्द पुत्र श्री द्वारकाप्रसाद, शिवगंजमण्डी, बयाना	सैण्डस्टोन	चुरारी डाग	139.00	25-12-1990 से 20 वर्ष
18.	124/90	मै. पाषाण उत्पादक सहकारी समिति	सैण्डस्टोन	महलपुरचूरा	509.90	14-3-1991 से 20 वर्ष

1	2	3	4	5	6	7
19.	1/90	मै. पालस्टोन इण्डस्ट्रीज, महलपुरचूरा, रूपवास	सैण्डस्टोन	सिरोद	10.00	3-8-1990 से 20 वर्ष
20.	10/69	श्री रामसहाय पुत्र श्री हाकिमसिंह छत्री का नगला, सिंघानिया रूपवास	सैण्डस्टोन	बसई खोरी	97.1500	5-1-1990 से 20 वर्ष
21.	93/88	श्री रामस्वरूप पुत्र श्री किशनाराम, दाहिनागांव रूपवास	सैण्डस्टोन	सिरोद	10.0000	6-2-1994 से 20 वर्ष
22.	84/84	श्री रमेश चन्द पुत्र श्री बद्रीप्रसाद, जोतरौली रूपवास	सैण्डस्टोन	राजपुरा	10.0000	16-10-1994 से 20 वर्ष
23.	85/87	श्री सत्यदेव गौड पुत्र श्री शिवचरण शर्मा, महलपुरचूरा, रूपवास	सैण्डस्टोन	सिरोद	1.0000	4-9-1997 से 20 वर्ष
24.	13/2000	श्री सुनिल व्यास पुत्र श्री रमनलाल, गोपालगढ़, भरतपुर	सैण्डस्टोन	सिरोद	5.0000	20-6-2000 से 20 वर्ष

1	2	3	4	5	6	7
25.	14/2000	श्री स. यदेव शर्मा पुत्र श्री [illegible]लाराम, [illegible]सेरो [illegible]. कपयास	सैण्डस्टो[illegible]	[illegible]सेरोद	5.0000	11-10-2000 से 20 वर्ष
26.	39/83	श्री विजय कुमार गुप्ता पुत्र श्री मटरेलाल, अनाहगेट, भरतपुर	सैण्डस्टोन	बंशीपहाड़पुर	54.1800	12-10-1993 से 20 वर्ष
27.	228/04	महलपुरचूरा माइन्स प्रा. लि. 4/780 जवाहर नगर, जयपुर	सैण्डस्टोन	महलपुरचूरा	1.4734	3-7-2004 से 20 वर्ष

राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम में अनुसूचित जाति/ जनजाति के कर्मियों को पदोन्नति

610. श्री सुरेश मीणा (करौली) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में कुल कितने पद स्वीकृत हैं उनमें से कितने पद रिक्त हैं ? उक्त पदों में अनुसूचित जाति/ जनजाति के बैक लाग की वर्तमान स्थिति क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मियों को आरक्षण नियमों के तहत पदोन्नति दी गई है ?

(3) क्या यह सही है कि संवैधानिक पदों पर खान सुरक्षा महानिदेशालय को कोयला खान नियमों के तहत नियुक्त किया हुआ है ?

उत्तर

(1) आर.एम.एम.एम. लि. में कुल 2395 पद स्वीकृत हैं। उनमें से 223 पद रिक्त हैं। उनमें से अनुसूचित जाति की श्रेणी में 116 पदों का बैकलाग है। अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में कोई बैकलाग नहीं है।

(2) जी हां। अनुसूचित जाति, जनजाति के सदस्यों को कम्पनी नियमानुसार पदोन्नति दी गई है।

(3) खान सुरक्षा महानिदेशालय, भारत सरकार के श्रम मन्त्रालय के अधीन आता है।

अवैध खनन की शिकायतों पर लम्बित जांच

611. श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीबाड़ा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में अवैध खनन की कुल कितनी शिकायतें गत पांच वर्षों में प्राप्त हुई ? प्राप्त शिकायतों में से कितने मामलों में जांच हो चुकी है व कितनों में बाकी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अर्जुन सिंह देवड़ा)

(2) ऐसी शिकायतों का विवरण भी प्रस्तुत किया जावे जिनमें जांच शुरू भी नहीं हुई है। जांच शुरू नहीं होने के क्या कारण हैं ? ऐसे मामलों में जांच कब तक शुरू होगी ?

उत्तर

(1) पिछले पांच वर्षों में अवैध खनन की कुल 1216 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 1088 शिकायतों की जांच हो चुकी है तथा शेष 128 शिकायतों में जांच की जा रही है।

(2) जी नहीं, ऐसी कोई शिकायत लम्बित नहीं है जिसमें कि जांच शुरू ही नहीं हुई है।

नागौर जिले के पुलिस थानों के वाहन

512. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में जिला नागौर में कुल कितने पुलिस थाने कार्यरत है ? सूची विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कार्यरत सभी पुलिस थानों में वाहन (जीप) उपलब्ध है ? यदि हां, तो कौन-कौन से माडल के वाहन हैं। सूची थानावार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिलों के अधिकांश पुलिस थानों में पुराने और जर्जर अवस्था के वाहन उपलब्ध कराये हुये हैं, जिससे अपराधी वारदात करके भाग जाते हैं और पुराने वाहन उनका पीछा करने में अक्षम हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पुराने वाहनों की जगह नये वाहन उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला नागौर में वर्तमान में कुल 30 पुलिस थाने कार्यरत है। थानों की सूची परिशिष्ट 'अ' संलग्न है।

(गृह मंत्री)

(2) जिला नागौर में कार्यरत सभी पुलिस थानों में वाहन उपलब्ध हैं। थानेवार वाहनों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर अंकित है.

(3) पुलिस थानों हेतु वर्ष 2000-01 से वर्ष 2003-04 की अवधि में पुलिस आधुनिकीकरण योजना क अन्तर्गत 225 हल्के वाहन तथा पुर्नस्थापना के अन्तर्गत 105 हल्के वाहन उपलब्ध कराये गय हैं। शेष वाहन इनसे पूर्व के वर्षों के है। पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत एवं पुर्नस्थापना में वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर पुलिस थानों को नये वाहन उपलब्ध कराये जायेंगे।

परिशिष्ट-"अ"

वाहनों की स्थिति जिला नागौर

क्र.सं.	नाम थाना	वाहन रजि. संख्या	वाहन का प्रकार	वाहन का माडल
1.	नागौर	आर.जे. 21यू. 384	जीप	2004
2.	खींवसर	आर.जे. 21सी. 7865	जीप	2003
3.	श्रीबालाजी	आर.जे. 21सी. 7686	जीप	2002
4.	पांचौडी	आर.जे. 21सी. 2377	जीप	1996
5.	भावण्डा	आर.जे. 21सी. 530	जीप	1992
6.	मेड़तासिटी	आर.जे. 21सी. 7263	जीप	2002
7.	मेडतारोड	आर.जे. 21सी. 0573	जीप	1992
8.	गोटन	आर.जे. 21सी. 1651	जीप	1995
9.	पादूकलां	आर.जे. 21सी. 1062	जीप	1993
10.	डेगाना	आर.जे. 21सी. 1546	जीप	1995
11.	थांवला	आर.जे. 21सी. 2376	जीप	1996
12.	कुचेरा	आर.जे. 21सी. 0629	जीप	1992
13.	जायल	आर.जे. 21सी. 2292	जीप	1996
14.	सुरपालिया	आर.जे. 21सी. 2375	जीप	1996
15.	खाटु	आर.जे. 21सी. 0628	जीप	1992
16.	मुण्डवा	आर.जे. 21सी. 2380	जिप्सी	1996
17.	रोल	आर.जे. 21सी. 2379	जिप्सी	1996

1	2	3	4	5
18.	डीडवाना	आर.जे. 21सी. 7866	जीप	2003
19.	लाडनू	आर.जे 21सी. 1715	जीप	1997
20.	जसवन्तगढ़	आर.जे. 21सी. 0914	जीप	1993
21.	मौलासर	आर.जे. 21सी. 0889	जीप	1993
22.	खुनखुना	आर.जे. 21सी. 0778	जीप	1992
23.	मकराना	आर.जे. 21सी. 7262	जीप	2002
24.	परबतसर	आर.जे. 21सी. 4895	जीप	1998
25.	पीलवा	आर.जे. 21सी. 4894	जीप	1998
26.	गच्छीपुरा	आर.जे. 21सी. 1063	जीप	1993
27.	कुचामन	आर.जे. 21यू. 0310	जीप	2004
28.	चितावा	आर.जे. 21सी. 0891	जीप	1993
29.	मारोठ	आर.जे. 21सी. 0627	जीप	1992
30.	नावां शहर	आर.जे. 21सी. 2378	जीप	1996

निवाई के थानों में चोरी के दर्ज प्रकरण

613. **श्री हीरालाल (निवाई)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई के विभिन्न थानों में दिनांक 1 जनवरी, 1999 से 31 दिसम्बर, 2003 तक मन्दिरों में चोरी के कितने प्रकरण कहां-कहां दर्ज किये गये और उनमें कितनी सामग्री व राशि की चोरी हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चोरी के प्रकरणों में कितने मामलों में अपराधी को पकड़ा गया और उनसे कितनी सामग्री व राशि बरामद की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) दर्ज प्रकरणों में कितने प्रकरण ऐसे हैं, जो अभी तक सुलझाये नहीं गये हैं या बरामदगी नहीं हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त प्रकरणों को सुलझाने व बरामदगी में पुलिस की निष्क्रियता व लापरवाही रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई के थाना निवाई, पीपलू, बरोनी में 1 जनवरी, 1999 से 31 दिसम्बर, 2003 तक मन्दिरों में हुई चोरी के कुल 32 प्रकरण दर्ज हुए, जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त चोरी के 2 प्रकरणों में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे 2 मूर्ति दामोदर व राधाजी भगवान की 800 वर्ष पुरानी कीमती रूपये 30,00,000/- की बरामद की गई एवं 2 मुकुट चांदी के कीमती दस हजार रूपये के बरामद किये गये हैं। जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर दर्ज है।

(3) उक्त दर्ज 32 प्रकरणों में से 30 प्रकरणों में बरामदगी नहीं हो पायी है, जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(गृह मंत्री)

(4) उक्त दर्ज प्रकरणों में बरामदगी के पुलिस द्वारा प्रयास किये गये मगर अभी तक सफलता नहीं मिली है। उक्त प्रकरणों को सुलझाने व बरामदगी में पुलिस की निष्क्रियता व लापरवाही नहीं रही है। अतः किसी भी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई।

परिशिष्ट-अ

जनवरी 1999 से वर्ष 2003 [illegible] चोरी [illegible] सूचना, जिला टोंक निवाई विधान सभा [illegible]

क्र. सं.	नाम थाना	मु.नं. व धारा	चोरी गई सम्पत्ति व राशि का विवरण	अभियुक्त गिरफ्तार का नाम पता	माल सम्पत्ति बरामद हुई का विवरण	नतीजा पुलिस	बरामद नहीं होने का कारण	अभियोग में असफलता पर दोषी अधि./कार्म. के विरुद्ध कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7	8	9
वर्ष 1999								
1.	पीपलू	81/99 457-380 IPC	एक छत्र चांदी का कीमत 5000 रू.	----	----	एफ.आर. 39/30-6-1999 अदम पता मालमुल्जिमान	प्रयास के उपरान्त भी बरामद नहीं हुआ।	कोई कार्यवाही नहीं की गई।
2.	निवाई	53/99 457/380 IPC	छत्र चांदी का, दान पात्र कुल मशरूका 800 रू.	----	----	एफ.आर. 28/31-3-1999 अदम पता मालमुल्जिमान	--"--	--"--
3.	निवाई	290/99 380 IPC	नगद 750 रूपये, छत्र, गहने कुल मशरूका 2000000 रू.	----	----	एफ.आर. 137/20-10-1999 अदम पता मालमुल्जिमान	--"--	--"--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	निवाई	518/99 457-380 IPC	दान पेटी व कपड़े मशरूका 1500 रू.	----	----	एफ.आर. 2/8-2-2000 अदम पता मालमुल्जिमान	--"--	--"--
5.	निवाई	523/99 457-380 IPC	छत्र, गोलख मशरूका 2000 रूपये	----	----	एफ.आर. 3/8-2-2000 अदम पता मालमुल्जिमान	--"--	--"--
वर्ष 2000								
1.	पीपलू	16/2000 457-380 IPC	ग्राम हनुतियां से भगवान कृष्ण की मूर्ति सादा पत्थर की कीमत 500 रू.	----	----	एफ.आर. 8/29-4-2000 अदम पता मालमुल्जिमान	--"--	--"--
2.	पीपलू	153/200 0 379 IPC	ग्राम कठमांणा से नान्दिया की मूर्ति पत्थर की कीमत 1000 रू.	----	बरामद हुई ग्राम कठमाणा के जंगल में पड़ी मिली	एफ.आर. 2/12-२-2001 अदम पता मालमुल्जिमान	प्रयास के उपरान्त भी मुल्जिम का पता नहीं लगा।	--"--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	बरोनी	52/2000 457-380 IPC	ग्राम जामडोली के दिगम्बर जैन मन्दिर से सात मूर्तियां संगमरमर की व एक मूर्ति अष्टधातु की कीमत 6000 रुपये	----	बरामद नहीं	एफ.आर. 26/30-4-2000 अदम पता मालमुल्जिमान	प्रयास के उपरान्त भी बरामद नहीं हुआ।	कोई कार्यवाही नहीं की गई।
4.	निवाई	51/2000 380 IPC	एक टेबिलफेन मशरूका 800 रू.	----	----	एफ.आर. 15/15-3-2000 अदम पता मालमुल्जिमान	--"--	--"--
5.	निवाई	129/2000 457-380 IPC	छत्र, मुकुट, घडी मशरूका 6000 रू.			एफ.आर. 46/31-5-2000 अदम पता मालमुल्जिमान	--"--	--"--
वर्ष 2001								
1.	पीपलू	13/01 457-380 IPC	ग्राम झिराना चांदी का छत्र व नगदी कुल कीमत 6000 रू.	----	----	एफ.आर. 4/7-4-2001 अदम पता मालमुल्जिमान	--"--	--"--
2.	निवाई	75/01 457-380 IPC	दानपेटी मशरूका 1000 रू.	----	----	एफ.आर. 37/15-5-2001 अदम पता मालमुल्जिमान	--"--	--"--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	निवाई	79/01 457-380 IPC	गल्ला मशरूका 500 रू.	----	----	एफ.आर. 30/30-4-2001 अदम पता मालमुल्जिमान	--"--	--"--
4.	निवाई	249/01 457-380 IPC	मुकुट चांदी का मशरूका 1000 रू.	----	----	एफ.आर. 75/30-9-2001 अदम पता मालमुल्जिमान	--"--	--"--
5.	निवाई	271/01 457-380 IPC	400 रू. नगदी	----	----	एफ.आर. 85/1-10-2001 अदम पता मालमुल्जिमान	--"--	--"--
6	निवाई	275/01 457-380 IPC	300 रू. नंगदी	----	----	एफ.आर. 76/30-9-2001 अदम पता मालमुल्जिमान	--"--	--"--
7	निवाई	280/01 380 IPC	मुकुट चांदी का मशरूका 1000 रू.	----	----	एफ.आर. 81/30-9-2001 अदम पता मालमुल्जिमान	--"--	--"--
8	निवाई	316/01 457-380 IPC	छत्र व मुकुट मशरूका 2000 रू.	----	----	एफ.आर. 90/26-10-2001 अदम पता मालमुल्जिमान	--"--	--"--
9	निवाई	463/01 457-380 IPC	छत्र व सोने के आभूषण मशरूका 4000 रू.	----	----	एफ.आर. 28/21-4-2002 अदम पता मालमुल्जिमान	--"--	--"--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
वर्ष 2002								
1	निवाई	199/02 380 IPC	मुकुट चांदी	----	----	एफ.आर. 80/29-6-2002 अदम पता मालमुल्जिमान	--"--	--"--
2	निवाई	220/02 380 IPC	छत्र चांदी का मशरूका 500 रू.	----	----	एफ.आर. 67/24-6-2002 अदम पता मालमुल्जिमान	--"--	--"--
3	निवाई	310/02 380 IPC	छत्र चांदी का मशरूका 3000 रू.	----	----	एफ.आर. 105/29-8-2002 अदम पता मालमुल्जिमान	--"--	--"--
4	निवाई	324/02 457-380 IPC	मुकुट व छोटे-मोटे जेवरात मशरूका 6000 रू.	----	----	एफ.आर. 118/31-8-2002 अदम पता मालमुल्जिमान	--"--	--"--
5	निवाई	359/02 457-380 IPC	दामोदर भगवान की राधाजी की मूर्तियां 800 वर्ष पुरानी कीमत 30,00000 रू.	1. लालचन्द उर्फ केवल राम पुत्र भगवान सहाय निवासी वार्ड	बरामद	चार्जशीट नं. 284/10-12-2002	--"--	--"--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				नं. 14 चाकसू जिला जयपुर ग्रामीण 2. ज्ञानचन्द उर्फ माल्या उर्फ विक्की पुत्र धन्ना नाई निवासी वार्ड नं. 14 चाकसू जिला जयपुर ग्रामीण				
6	निवाई	412/02 457-380 IPC	शेषावतार की व ठकुरानीजी की मूर्ति कीमत 1000 रू.	----	----	एफ.आर. नं. 149/30-11-2002 अदम पता मालमुल्जिमान	--"--	--"--
वर्ष 2003								
1	पीपलू	31/03 457-380 IPC	ग्राम झिराना से चांदी के तीन छत्र कीमत 2000 रू.	----	----	एफ.आर. नं. 10/4-4-2003 अदम पता मालमुल्जिमान	--"--	--"--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	ि.याई	29/03 457-380 IPC	कस्बा ि.याई से चोथिस महाराज की मू.ि पीतल की कीम.ि 700 रु.	----	----	एफ.आर. नं. 48/28-4-2003 अदम पता मालमु.ि जमा.ि	--"--	--"--
3	ि.याई	80/03 457-380 IPC	छत्र दा.ि पेटी मशरूका 1500 रु.	----	----	एफ.आर. .ि 38/26-4-2003 अदम पता मालमुल्जिमान	--"--	--"--
4	ि.याई	493/03 457-380 IPC	मुकुट चांदी का कुण्डल, क. सरी, चांदी की चरण नम जंजीर सोने की 1300 रु. नगद कुल मशरूका 20,000 रु.	----	----	पी.पी.	--"--	--"--
5	बरोनी	10/03 457-380 IPC	ग्राम जामडोली से चारभुजा मन्दिर से भगवान की जेवरात कीमत 10,000 रु.	----	----	एफ.आर. नं. 13/28-2-2003 अदम पता मालमुल्जिमान	--"--	--"--
6	बरोनी	187/03 379 IPC	ग्राम जोला से चारभुजा मन्दिर से दो मुकुट चांदी के कीमत 10,000 रु.	रामदयाल पुत्र रामजीवण जाट निवासी	बरामद	चार्जशीट नं. 129/18-9-2003	--"--	--"--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				जोला थाना बरोनी जिला टोंक				
7	बरोनी	280/03 457-380 IPC	ग्राम बगडी से रघुनाथ जी के मन्दिर से मुकूट, छत्र चांदी के कुल कीमत 20,000 रूपये		बरामद नहीं	एफ.आर. नं. 85/31-12-2003 अदम पता मालमुल्जिमान	--"--	--"--

ठेकेदारों द्वारा अवैध भुगतान उठाने के सम्बन्ध में दर्ज प्रकरण

614. श्री बू ल न .र (दूदू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ठेकेदारी के कार्यों में विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से फ.. बिल बनाकर ठेकेदार द्वारा भुगतान उठाने के सम्बन्ध में दर्ज प्रकरण शिकायत मुकदमा नम्बर 237/2000 में भ्रष्टाचार अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? शिकायत की प्रति व प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विभाग को जिन-जिन कार्यों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, वे कार्य किस-किस विभाग से सम्बन्धित हैं तथा उन कार्यों के मूल्यांकन व भुगतान से सम्बन्धित जिम्मेवारी किन-किन अधिकारियों की रही और वर्तमान में वे कहां-कहां किस-किस पद पर पदस्थापित हैं ?

(3) क्या यह सही है कि शिकायत के तकनीकी बिन्दुओं की जांच सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों के स्थान पर अन्य विभाग के विषय विशे.ज्ञ से करवाए जाने हेतु शिकायतें हुई हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यूरो द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी तथा प्रकरण के जांच के उपरान्त देरी व लापरवाही हुई है ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) श्री रामलाल चौधरी, सदस्य जिला 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति जयपुर द्वारा मैसर्स प्रेम कन्सट्रक्शन कम्पनी के रामेश्वर ल ल चौधरी द्वारा ठेकेदारी कार्यों में लाखों रूपये की सरकारी राशि के भ्रष्टाचार करने के आरोप पर शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में प्रस्तुत की थी जिस पर ब्यूरो में परिवाद सं. 237/2000 दर्ज की गई। परिवाद की जांच के पश्चात् कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई है। तथा उक्त परिवाद मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर को पत्र क्रमांक 725 दिनांक 3-11-2000 द्वारा इस आशय के साथ भिजवाया गया कि परिवाद की जांच सार्वजनिक निर्माण विभाग अपने स्तर पर करवाये तथा जांच के बाद

(गृह मंत्री)

यदि मामला भ्रष्टाचार से समबन्धित होना पाया जावें तो परिवाद व जांच रिपोर्ट की प्रति भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को भेजी जावे।

(2) परिवाद में 7 विभागों में फर्म प्रेम कन्सट्रक्शन कम्पनी द्वारा ट्यूब वेल की खुदाई रोड निर्माण आदि से सम्बन्धित कुल 11 बिन्दुओं पर शिकायत प्राप्त हुई जिनमें 5 मामले सा.नि.वि. से सम्बन्धित, एक मामला रीको सांगानेर, एक मामला राजस्थान विश्वविद्यालय, एक मामला आर.टी.डी.सी.. एक मामला पुल निर्माण निगम तथा एक-एक मामला आयकर व विक्रय कर विभाग से सम्बन्धित है।

परिवाद में अंकित आरोप संख्या 3. 4. 7, 8, 9 व 10 आदि वर्ष 1995 से 1999 के दौरान बोरिंग की खुदाई से सम्बन्धित है तथा शेष आरोप पुरानी रोड कार्य से सम्बन्धित है जिनकी भ्र.नि. ब्यूरो द्वारा व्यवहारिक तौर पर जांच सम्भव नहीं थी एवं आयकर/वाणिज्य कर से सम्बन्धित आरोप अस्पष्ट थे। अतः सा नि. विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर जांच कराने हेतु परिवाद ब्यूरो के पत्र संख्या 1725 दिनांक 3-11-2000 से मुख्य अभियन्ता, सा.नि. विभाग को प्रेषित किया गया है।

ब्यूरो में जांच व्यवहारिक नहीं होने से जिम्मेदारी तय करना सम्भव नहीं हो सका।

(3) सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित बिन्दु जो उनके स्तर पर कार्यवाही हेतु भेजे गये थे, के अतिरिक्त अन्य बिन्दुओं पर जांच नहीं की गइ क्योंकि व्यवहारिक तौर पर चालू ट्यूबवैलों को उखाड़कर पाइप बाहर निकालकर जांच किये जाने का कोई औचित्य नहीं था। इसी प्रकार रोड़ निर्माण भी काफी पुरानी हो जाने के कारण वर्तमान सडक का सैम्पल लिया जाकर कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं था। सार्वजनिक निर्माण विभाग से उनके द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

चौहटन. विकास अधिकारी पंचायत समिति पर जानलेवा हमला

615. **श्री गंगाराम चौधरी** (चौहटन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे -

(श्री गंगाराम चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति चौहटन को दिनांक 24 व 25 जून, 2004 के बीच की रात को कुछ लोगों द्वारा उनके राजकीय आवासीय भवन में प्रवेश कर मार-पीट कर संगीन चोटें पहुंचाई गई ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किस धारा में किस-किस के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया ?

(2) सरकार द्वारा उक्त प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राजकीय अधिकारियों पर इस प्रकार के हमले भविष्य में न हों, इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) हां। यह सही है कि विकास अधिकारी पंचायत समिति चौहटन को कुछ लोगों द्वारा उनके राजकीय आवास भवन में प्रवेश कर मारपीट कर संगीन चोटे पहुंचायी गई। परन्तु दिनांक 24 व 25 जून, 2004 का वाक्या न होकर दिनांक 23 व 24 जून, 2004 के मध्य रात्रि का है। इस सम्बन्ध में पुलिस थाना चौहटन पर विकास अधिकारी श्री शेर सिंह निवासी मॉडासी जिला झुंझुनूं द्वारा मु.सं. 74/04 दिनांक 24-6-2004 धारा 458, 307, 323, 34 भादस से अज्ञात लोगों के विरूद्ध दर्ज किया गया।

(2) उक्त प्रकरण में दौराने अनुसन्धान विकास अधिकारी शेरसिंह का डाक्टरी मुआयना कराया गया। घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका बनाया गया। घटना स्थल से खून आलूदा मिट्टी व खून आलूदा पायजामा वास्ते सबूत जब्त किया गया। एम.ओ.बी. शाखा से अपराधियों के पैरों के निशान उठाये गये। गवाहान श्री उम्मेदसिंह, मानसिंह, बीराराम श्रीमति सदाधन व राजाराम के बर न लिये। मुल्जिमान द्वारा प्रयुक्त की गई जीप आर.जे. 04 टी-318 को वास्ते वजह सबूत जब्त की गई। साक्ष्य के आधार पर मुल्जिमान गोमाराम गेरधर सिंह, जालमसिंह, गंगासिंह, धनसिंह, भोपालसिंह बापर्दा गिरफ्तार कर उनसे विसतृत पूछताछ कर न्यायिक हिरासत में भिजवाया गया। तत्पश्चात् श्रीमान ए.सी.जे.एम. बाड़मेर ने शिनाख्तगी के दौरान मुस्तगीस

(गृह मंत्री)

शेरसिंह से एक अभियुक्त गिरधर सिंह पुत्र बलवन्त सिंह की पहचान करा ली है। मुल्जिम गिरधरसिंह के वारदात के दिन चोट आई थी जिसका डाक्टरी मुआयना करा रिपोर्ट प्राप्त की गई। मुकदमा में मुख्य मुलजिम प्रवीणसिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी बाड़मेर आगोर है, जिसका चौहटन में रायल्टी का ठेका है। शेष सभी अभियुक्त प्रवीणसिंह के ठेके पर मजदूर है। उक्त ठेके पर श्री रूपसिंह सरपंच ग्राम पंचायत चौहटन की भी हिस्सेदारी व अक्सर इस ठेके पर आना जाना व देखभाल करने की साक्ष्य आई है। अब तक की तफ्तीश मुशतगीस द्वारा पेश दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर षडयन्त्र रचने में श्री रूपसिंह वकील सरपंच ग्राम पंचायत चौहटन के हाथ होने की परिस्थितिजन्य साक्ष्य आई है।

मुकदमा की घटना में मुख्य भूमिका मुल्जिम प्रवीण सिंह की रही है। जिस की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेन्ज, जोधपुर के आदेशानुसार उक्त प्रकरण का वर्तमान में अग्रिम अनुसन्धान अति. पुलिस अधीक्षक, जिला पाली के द्वारा किया जा रहा है।

(3) सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के द्वारा किसी भी प्रकार की आशंका जाहिर करने पर उन बदमाश के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करने के मौखिक आदेश पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर द्वारा जरिये दूरभाष सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा एवं प्रभावी गश्त के घटना के दिन से ही दे दिये थे तथा लिखित आदेश दिनांक 24-7-2004 को जारी किये गये हैं।

भ्रष्टाचार निरोधक कार्यालय बीकानेर में दर्ज प्रकरण-7/95 की जांच

616. **श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, बीकानेर में एफ.आई.आर. नं. 7/95 किस अधिकारी के विरूद्ध दर्ज हुई थी ?

(2) क्या यह सही है कि इस एफ.आई.आर. नं. 7/95 में इस अधिकारी पर लाखों रूपये के गबन का आरोप था ?

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

(3) उक्त एफ.आई.आर. नं. 7/95 की जांच और निष्कर्ष की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखते हुये यह बताये की यह अधिकारी वर्तमान में कहां, किस पद पर व कब से पदस्थापित है ?

उत्तर

(1) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में अपराध संख्या 7/95 सर्व श्री डी.वी. चंचलानी, अधिशासी अभियन्ता, आर.डी. रस्तोगी, सहायक अभियन्ता, रमेश कुमार सक्सैना स्टोर कीपर, सा.नि. विभाग, हनुमानगढ़ व श्री चिमनलाल रेल्वे कोन्टेक्टर, हनुमानगढ़ के विरूद्ध दर्ज थी।

(2) एफ.आई.आर. में विटूमन परिवहन करने में निर्धारित दर से 32,330/- रू. का ठेकेदार को अधिक भुगतान करने का आरोप है।

(3) अपराध सं. 7/95 में अन्तिम प्रतिवेदन (तथ्य की भूल) सम्बन्धित न्यायालय में पेश किया गया जहां से दिनांक 9-8-1997 को अन्तिम प्रतिवेदन स्वीकृत किया जा चुका है।

उक्त अधिकारियां में से सर्व श्री डी.वी. चंचलानी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, रमेश कुमार सक्सैना, तत्कालीन स्टोर कीपर, सा.नि. विभाग, हनुमानगढ़ की मृत्यु हो चुकी है एवं श्री आर.डी. रस्तोगी, तत्कालीन सहायक अभियन्ता 31-8-1993 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

झुंझुनूं जिले में दर्ज आपराधिक प्रकरण

617. श्री सुन्दर लाल (सुरजगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला झुन्झुनूं में विगत 2 वर्षों में कितने कत्ल तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 में कितने मुल्जिम गिरफ्तार हुए और कितने नहीं ? मुल्जिमों को गिरफ्तार नहीं किए जाने के क्या कारण रहे ? इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों ?

(2) उक्त में से ऐसे कितने मामले हैं जिनमें एक भी मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 में झुन्झुनूं में हत्या के कुल 80 अभियोग दर्ज हुए, जिनमें 136 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। कुल चार नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है। जिला पुलिस द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम गठित कर कई स्थानों पर तलाशी की गई परन्तु मुल्जिम घटना के समय से ही फरार चल रहे हैं, इस कारण शेष मुल्जिमों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका हैं। गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 में हत्या के कुल 11 अभियोग ऐसे हैं जिनमें एक भी अभियुक्त गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। इनमें 10 प्रकरणों में हत्या के मुल्जिम अज्ञात हैं। जबकि एक प्रकरण में मुल्जिम घटना के बाद से ही फरार चल रहा है। सूची परिशिष्ट "ब" पर संलगन है।

परिशिष्ट-"अ"

2002-2003 [illegible] पंजिब[illegible] ह.[illegible] के अ[illegible]योग

क्र.सं.	अ.सं.	दि[illegible]क	धारा	[illegible] था[illegible]	[illegible]जा	[illegible] म[illegible] गिर. अ[illegible]	[illegible] म[illegible] अभियुक्[illegible] जि[illegible] की गिर. शेष है	गिर. [illegible]हीं हो[illegible] का कारण	पु[illegible]स द्वारा की गई कार्यवाही
1.	120	27-08-02	302. 201 भादस	खेलड़ीनगर	चार्जशीट	कृष्णकुमार उर्फ छोटेलाल पुत्र रामस्वरूप ब्राह्मण [illegible] खोडिया थाना सदर नारनौल	शून्य	--	--
2.	179	11-11-02	302 भादस एवं 3 एससी एसटी एक्ट	"	"	राजेन्द्र सिंह पुत्र गोरधन सिंह राजपूत नि. रसूलपुर	"	--	--
3.	122	22-04-02	302 भादस	गुढा	"	रतनसिंह पुत्र बदनसिंह नि.	"	--	--
4.	150	17-05-02	302, 301 भादस	सिघाना	एफआर अदम पता	--	"	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	207	07-07-02	302. 201, 364 भादस	"	चार्जशीट	विरेन्द्र पुत्र जीताराम यादव, नि. पुहानिया, विजय पुत्र रामस्वरूप खटिक, नि. बेरता, पवन पुत्र ताराचन्द यादव, नि. पुहानिया	"	--	--
6.	288	01-10-02	302 भादस	"	"	जगदीश पुत्र पालाराम नायक, नि. ओजटू	"	--	--
7.	143	10-05-02	302. 323 भादस	"	"	विजेन्द्र पुत्र दयानन्द अहीर, नि. सातड़िया, सुरेश पुत्र दयानन्द, हजारी पुत्र गजानन्द, सुमेर पुत्र दयानन्द निवासीगण सातड़िया	"	--	--
8.	275	28-08-02	302 भादस	कोतवाली	"	रामचन्द्र पुत्र अम्मीलाल, अनिल पुत्र रामप्रताप, नि. भालोठ	"	--	--
9.	74	13-04-02	302, 363 भादस	सदर	"	रामनिवास पुत्र जगनाराम चमार, सज्जन पुत्र नानडराम नि. बीबासर	"	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	137	26-06-02	302, 201 भादस	सदर	एफआर अदम वकू	--	"	--	दि. 28-3-2003 को न्यायालय द्वारा एफआर स्वीकृत
11.	13	10-01-03	"	"	चार्जशीट	बीरबल पुत्र धन्नाराम, श्यामा पत्नी बीरबल, बलकेश पत्नी मुकेश, जाति जाट नि. कुलोठ	"	--	--
12.	143	31-05-02	147, 302 भादस 3 एएसी एसटी एक्ट	चिड़ावा	"	अशोक पुत्र बिरदाराम रैगर, आरीफ पुत्र मुनीर कलाण, दौला पुत्र कासम, नि. सुलताना	"	--	--
13.	217	30-07-02	384, 302 भादस	चिड़ावा	"	धीरसिंह जाट नि. पिचानवा	"	--	--
14.	320	09-12-02	302, 307, 323 भादस	"	"	विजय पुत्र शिवराम ब्राह्मण नि. चिडावा	"	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	118	20-05-02	302 भादस	पिलानी	एफ.आर.अ. व.		"	--	--
16.	270	24-10-02	302. 201 भादस	"	चार्जशीट	ओमप्रकाश, अमरसिंह. जगदीश, हरिसिंह, नरेश, मानसिंह, इन्द्रसिंह, फूलचन्द, शीशराम, हनुमानराम, जाति जाट, निवासी गण बेरी	"	--	--
17.	3	02-01-03	302, 201 भादस	"	एफ.आर.अ. व.	--	"	--	--
18.	89	31-03-03	302 भादस	"	चार्जशीट	दलीप, दीपक. रूपकुमार जाति मेहतर. नि. काजड़ा, सम्मपत नायक, लीलाराम, संजय, राजेन्द्र. जाति जाटान. नि. जीणी	"	--	--
19.	54	16-03-02	302 भादस	सूरजगढ़	एफ.आर. अ. पता		"	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	140	27-06-02	302 भादस	सूरजगढ़	चार्जशीट	धर्मेन्द्र जाट नि. सुखीराम का बास	"	--	--
21.	188	29-08-02	302 भादस	"	एफ.आर.अ.व.	--	"	--	--
22.	169	21-06-02	302, 201 भादस	उदयपुरवाटी	एफ.आर.अ. पता	--	"	--	--
23.	172	22-06-02	147, 452, 302, 201 भादस	"	एफ.आर.अ.व.	--	"	--	--
24.	58	18-03-03	302, 34 भादस	"	चार्जशीट	किशोरसिंह, विक्रमसिंह, महेन्द्रसिंह राजपूत, नि. मणकसास	"	--	--
25.	18	22-02-02	147, 149, 341, 323, 302 भादस	बिसाऊ	"	नाहरसिंह, कर्णपालसिंह, शक्तिसिंह राजपूत नि. महनसर नन्दसिंह, नि. मकराना शक्तिसिंह पुत्र सुरजन सिंह राजपूत नि. टिडियासर	"	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	84	10-07-02	302, 201 भादस	बिसाउ	चार्जशीट	भंवरसिंह मीणा, नि. गांगीयासर	"	--	--
27.	81	29-03-02	143. 451, 323, 302 भादस	बुहाना	"	विजयसिंह, अर्जुन, दशरथ, चौमसिंह, दारासिंह, भादर, परमानन्द, धर्मवीर जांति बावरिया नि. चुडीना	"	--	--
28	135	02-06-02	302, 34 भादस	"	"	अशोक, अनिल जाट नि. बलौदा	"	--	--
29.	176	06-07-02	147, 149, 302 भादस	"	"	रवीन्द्र, जसवीर, प्रभुसिंह, राजपूत नि. रायली	कपीन्द्र राजपूत	फरार होने के कारण	तलास जारी
30.	125	06-08-02	302, 201 भादस	बगड़	एफ.आर. अ.ब.	--	--	--	--
31.	131	25-08-02	"	"	चार्जशीट	सुनिता, शांति, रोहितास जाट नि. ढ़ढारिया	"	--	--
32.	148	29-09-02	302, 452, 323, 307 भादस	"	"	देवाराम, नरेश, सुभाष जाति माली, नि. मखर	"	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.	29	04-04-02	302 भादस	मलसीसर	चार्जशीट	महावीर खाती नि. कालियासर	"	--	--
34.	84	05-09-02	302, 201 भादस	"	एफ.आर.अ. व.		"	--	--
35.	318	17-08-02	147, 149, 447, 323, 325, 307, 302 भादस	खेतड़ी	चार्जशीट	छाजूराम, नानूराम, बाबूलाल, जगदीश, बद्रीप्रसाद, बल्लाराम, महेन्द्रसिंह मालियान, नि. ढाणी छिपा वाली तन पपूरना	"	--	--
36.	417	14-10-02	302, 34 भादस व 3 एससी एसटी	"	"	विनय पाण्डे नि. खेतड़ी, राजेश, संजय महाजन, नि. खेतड़ी हाल अम्बेडकर नगर, नई दिल्ली	"	--	--
37.	464	28-11-02	302, 452, 323 भादस	"	"	होशियार, विजय, सुनिल, धर्मवीर जाट, नि. मान्दरी	"	--	--
38.	192	11-05-02	302, 328 भादस	नवलगढ़	एफ.आर.अ. व.	--	"		--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39.	255	29-06-02	420, 302 भादस	नवलगढ़	एफ.आर. अ.व.	--	"		--
40.	347	13-09-02	147, 364, 302, 120 बी भादस	"	एफ.आर.अ. व.	--	"		--
41.	21	23-01-03	147, 148, 149, 302 भादस	"	चार्जशीट	राजेश, विनोद, विजय, रामूतार, कैलाश बलाई निवासी बाय	"	--	--
42.	25	25-10-03	302, 201 भादस	"	"	राजेश, सुभाष, राकेश जाट नि. भगैरा	"	--	--
वित्तीय वर्ष 2003-04 में हत्या के अभियोग									
1.	258	03-09-03	302, 307 भादस	गुढा	एफ.आर.अ. व.	--	--	--	--
2.	279	15-10-03	302, 34 भादस	सिघाना	चार्जशीट	सीताराम, श्रीमती संजू, नरेश कुमार, जाति जाट नि. भैसावता खुर्द	विक्रमसिंह उर्फ लीला जाट नि. हासलसर	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	130	08-06-03	302 भादस	सदर	चार्जशीट	सुनिल, कुलदीप जाट नि. जाखड़ा का बास	"	--	--
4.	140	18-06-03	"	"	एफ.आर.अ.व.	--	"	--	--
5.	47	28-02-04	385, 342, 302, 34 भादस	"	चार्जशीट	प्रदीप, राजेन्द्र जाट नि. बाकरा	धर्मपाल जाट नि. बाकरा	फरार होने के कारण	तलास जारी है
6.	49	01-03-04	302, 34 भादस	"	"	बलबीर छोटी देवी, दारासिंह चमार नि. सोनासर	"	--	--
7.	202	17-08-03	302, 201 भादस	चिड़ावा	"	अमील कुमार जाट नि. चिड़ावा	"	--	--
8.	263	20-10-03	302, 34 भादस	"	चार्जशीट	धर्मपाल, रामनिवास, जाट नि. पदमपुरा	"	--	--
9.	55	27-02-04	302 भादस व 3 एससी एसटी	"	"	देवीलाल चौधरी नि. हरकटला नेपाल, विरेन्द्र राव पटेल, नि. मनहरवा नेपाल	"	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	70	12-03-04	302 भादस	"	"	जीवनराम कावरिया, नि. श्यामपुरा	"	--	--
11.	90	02-04-04	302 भादस	पिलानी	"	राजेन्द्र जाट नि. बनगोठडी	"	--	--
12.	135	27-05-03	341, 323, 302 भादस	"	"	सुभाष जाट नि. बुडानिया	"	--	--
13.	140	01-06-03	302 भादस	"	"	ओमप्रकाश मेहतर नि. रूपाणा खुर्द हरियाणा	"	--	--
14.	267	01-09-03	302, 201 भादस	"	एफ.आर.अ. व.		"	--	--
15.	302	26-09-03	302 भादस	"	चार्जशीट	संतकुमार चमार नि. बुडानिया	"	--	--
16.	30	17-05-03	341, 323, 302 भादस	मण्डावा	"	बृजलाल जाट नि. डूकियों का बास	"	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	157	15-10-03	147, 148, 149, 324, 302 भादसं	सूरजगढ़	"	हरिराम, ताराचन्द, भागुराम, चिरंजीलाल, बाबूलाल, ओमप्रकाश, श्रीमति संतोष चमार नि. भापैर	"	--	--
18.	45	05-03-03	143, 341, 323, 302 भादसं	"	"	सुखबीर, रमेश, महावीर, ओमप्रकाश, दलीपकुमार जाटा, नि. पुलोठकलां	"	--	--
19.	128	12-06-03	302, 306, 201 भादस	उदयपुरसिटी	एफ.आर.अ.य.		"	--	--
20.	51	09-07-03	302, 307 भादस	बिसाउ	चार्जशीट	कजारीलाल सैनी, हरलाय नायक नि. गांगीयासर, मुरारीलाल सोनी नि. राजगढ	"	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	58	09-04-03	341, 323, 302 भादस	बुहाना	"	जगदीश, बोबदी, सुमन, घीसाराम, प्रेम, जाटा नि. जैतपुर	"	--	--
22.	49	10-05-03	302 भादस	बगड	"	सुभाष, बिजेन्द्र, श्रवणी, शारदा, जाति गुसाई नि. मठ	"	--	--
23.	72	01-07-03	302 भादस व 3 एससी एसटी	"	"	ख्यालीराम जाट चिचडोली	"	--	--
24.	127	11-09-03	302 भादस	"	"	श्रीमति सुमन ब्राह्मण, नि. बुडाना	"	--	--
25.	40	13-03-04	302 भादस	"	"	रामसिंह, मूलचन्द माली, नि. पकौड़ी की ढाणी	"	--	--
26.	89	18-08-03	302, 452 भादस व 3 एससी एसटी	मलसीसर	"	छोटेलाल.जाट नि. टमकोर	"	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	183	13-06-03	302, 201 भादस	नवलगढ़	एफ.आर.		"	--	--
28.	404	16-12-03	302 भादस व 3 एससी एसटी	"	चार्जशीट	पवन ब्राह्मण नि. फतेहसरी	"	--	--

परिशिष्ट-"ब"

बिन्दु संख्या 2- वित्तीय वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 के ऐसे अभियोगों की सूची जिनमें एक भी अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुआ-

वित्तीय वर्ष 2002-03

क्र.सं.	अ.सं.	दिनांक	धारा	नाम थाना	नतीजा	गिर. नहीं होने का कारण	पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही
1	81	15-03-04	302 भादस	कोतवाली	पैडिंग	अज्ञात	अनुधान जारी है।
2	17	25-01-03	365, 302, 201 भादस	सदर	"	"	अज्ञात मुलजिमान की तलाश व अनुसन्धान जारी है।
3	193	05-07-02	302 भादस	उदयपुरसिटी	"	"	अनुसन्धान जारी है।
4	93	22-02-09	302 भादस	मलसीसर	"	"	अभियुक्त की तलास के लिए टीम गठित कर हर सम्भव प्रयास व अनुसन्धान जारी है
वित्तीय वर्ष 20-3-04							
1	351	19-12-03	302 भादस	गुढा	पैडिंग	बिहारी दत्तक पुत्र रामेश्वर मीणा नि. दीपपुरा घटना के बाद फरार चल रहा है।	तलास के लिए हर सम्भव प्रयास जारी है।

1	2	3	4	5	6	7	8
2	93	11-05-03	302 भादस	सदर	"	अज्ञात	अभियुक्त की तलाश के लिए टीम गठित कर हर सम्भव प्रयास व अनुसन्धान जारी है
3	4	04-01-04	302 भादस	सदर	"	"	अभियोग को सफल बनाने के लिए हर सम्भव प्रयास जारी है।
4	337	01-11-03	302 भादस	पिलानी	"	"	अनुसन्धान जारी है। अभियुक्त की तलाश जारी है।
5	308	10-09-03	302, 201 भादस	खेतड़ी	"	"	अज्ञात अभियुक्तों की तलाश व अनुसन्धान जारी है।
6	387	30-11-03	"	"	"	"	"
7	141	20-12-03	302, 201, 120 बी भादस 3 एससी एसटी एक्ट	बगड़	"	"	अभियोग में टीम गठित कर अभियुक्तों की तलाश जारी है

सिरसी

सिरसी रोड, जयपुर के निकट मिली अज्ञात लाश प्रकरण

618. **श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 13 जुलाई, 1989 को सिरसी रोड स्थित पूर्व महाराजा भवानी सिंह के फार्म के निकट दो अज्ञात व्यक्तियों की लाशों को सोडाला पुलिस (जयपुर) के द्वारा बरामद किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त दोनों लाशों की शिनाख्त हो चुकी है ? मृतकों के नाम, पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त मृतकों का पोस्टमार्टम किया गया ? यदि हां, तो कहां व मृत्यु के क्या कारण पाए गए ? पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति एवं एफ.एस.एल. रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर जांच कराई गई ? यदि हां, तो किसके विरूद्ध व मुकदमा नं. एवं जांच की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण में किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ? यदि हां, तो किन-किन को, कब एवं उनको क्या सजा हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त प्रकरण में लिप्त मुख्य अभियुक्त व सहअभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका ? यदि हां, तो क्यों व इन्हें कब तक गिरफ्तार कर लिया जावेगा ?

(6) क्या यह सही है कि मृतकों को दिनांक 13 जुलाई, 1989 को प्रातः श्री नरसिंह, जाति सुनार, निवासी सदर थाना गोल प्याऊ के पास, नया बाजार, अजमेर के निवास स्थान पर देखा गया था ? जिससे कि उनके लम्बे समय से जमीन सम्बन्धी विवाद चल रहा था ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में श्री नरसिंह व अन्य से पूछताछ की गई अथवा उनके बयान लिए गए ? यदि हां, तो बयानों की प्रति सदन की मेज पर रखें व नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या यह भी सही है कि उक्त श्री नरसिंह भी आपराधिक प्रवृत्ति

श्री हेमराज मीणा

का व्यक्ति है ? यदि हां, तो अब तक इसके विरूद्ध किस-किस थाने में, किस-किस धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज है ? मुकदमे वार एवं थानेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या पुलिस उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में श्री नरसिंह से भी पूछताछ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि दिनांक 13-7-1989 को सिरसी रोड स्थित पाण्डे फार्म के पास दो अज्ञात व्यक्तियों की लाशें मिली थी जिनकी शिनाख्त-

(i) श्री भगवान दास पुत्र श्री जवहरी लाल जाति सुनार उम्र 50 वर्ष तक।

(ii) श्री सत्यनारायण पुत्र श्री भगवानदास जाति सुनार उम्र 25 वर्ष निवासीयान दौलत बाग फव्वारा के पास, अजमेर के रूप में हुई।

(2) यह सही है कि दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर से करवाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कुछ भी कारण नहीं बताया गया है। मृतकों के विसरा आदि एफ.एस.एल. में भिजवाये गये। एफ.एस.एल. की रिपोर्ट के पश्चात् ज्यूरिस्ट/चिकित्सक की फाइनल ओपिनियन मृत्यु के कारणों पर नहीं ली गई है। अतः मृत्यु के कारण बताये नहीं जा सकते। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एफ.एस.एल. एवं पैथोलोजी की रिपोर्ट क्रमशः परिशिष्ट "ए" से "सी" तक मृतक सत्यनारायण की व परिशिष्ट "डी" से "एफ" तक मृतक भगवानदास की संलग्न है।

(3) इस सम्बन्ध में थाना सोडाला पर मर्ग संख्या-27/89 धारा 174 जा.फो. में दर्ज कर जांच की गई। मर्ग संख्या 27/89 की प्रति परिशिष्ट (जी) एवं मर्ग जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "एच" पर संलग्न है।

(4) उक्त सम्बन्ध में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया।

(5) उक्त सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी नहीं की जानी है।

(6) जांच के दौरान ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया कि दोनों

(गृह मंत्री)

मृतकों को दिनांक 13-7-1989 को श्री नरसिंह प्रसाद सोनी के मकान पर अजमेर में देखा गया हो। इस सम्बन्ध में श्री नरसिंह प्रसाद सोनी व अन्य वारीस गवाहान से पूछताछ पर उनके कथन लेखबद्ध किये गये हैं। बयानों की फोटो प्रतियां परिशिष्ट "आई" से "पी" पर संलग्न है।

(7) यह सही है कि नरसिंह सोनी पुत्र श्री मोहन लाल सोनी उम्र 36 वर्ष निवासी मकान नं. 249/8 गोल प्याऊ के पास पुरानी मण्डी अजमेर के विरूद्ध जिला अजमेर में चार अभियोग क्रमशः (1) मुकदमा नं.-47/95 धारा 323, 341, भा.द.सं. दिनांक 24-4-1995 व (2) मुकदमा नं.-176/97 धारा 323, 341, भा.द.सं. दिनांक 10-8-1997 थाना सदर कोतवाली अजमेर (3) मुकदमा नं.-280/02 धारा 420, 406, 448, भा.द.सं. दिनांक 19-7-2002 थाना क्रिश्चियन क्षेत्र (4) मुकदमा नं.-235/02 धारा 420, 467, 468 भा.द.सं. थाना सिविल लाइन अजमेर पर दर्ज हुए हैं।

(8) इस सम्बन्ध में जांच के दौरान श्री नरसिंह प्रसाद सोनी से पूछताछ कर बयान लिये जा चुके हैं। जो संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

दीगोद उप खण्ड में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय

619. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के लगभग सभी उपखण्ड मुख्यालयों पर उप अधीक्षक पुलिस का कार्यालय है ? यदि हां, तो उन उप खण्ड मुख्यालयों की सूची संलग्न करें जहां उप अधीक्षक पुलिस का कार्यालय नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि दीगोद उप खण्ड में पुलिस उप अधीखक का कार्यालय नहीं है तथा उप अधीक्षक कार्यालय इटावा में होने के कारण वहां शिकायत लेकर जाना क्षेत्र की जनता के लिए व्यावहारिक नहीं है ?

(3) क्या सरकार उप खण्ड दीगोद में उप अधीक्षक पुलिस का कार्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य के 64 उपखण्ड मुख्यालयों पर उप अधीक्षक पुलिस का कार्यालय सृजित नहीं है। सूची परिशिष्ट 'अ' संलग्न है।

(2) हां। यह सही है कि दीगोद उपखण्ड में पुलिस उप अधीक्षक का कार्यालय नहीं है तथा क्षेत्र की जनता को उप अधीक्षक पुलिस कार्यालय इटावा में शिकायत लेकर जाना पड़ता है।

(3) दीगोद में उप अधीक्षक पुलिस का कार्यालय सृजित किये जाने का कोई विचार नहीं है।

परिशिष्ट-अ

नाम जिला	जहां पर उपखण्ड मुख्यालय पर सर्किल कार्यालय सृजित नहीं है।
1. जयपुर ग्रामीण	1. बस्सी
	2. चाकसू
	3. फागी
	4. विराट नगर
	5. जमवारामगढ़
2. दौसा	6. लालसोट
	7. सिकराय
3. सीकर	8. लक्ष्मणगढ़
	9. श्रीमाधोपुर
	10. दांतारामगढ़
4. झुंन्झुनूं	11. उदयपुरवाटी
5. भरतपुर	12. कुम्हेर
	13. नदबई
	14. नगर
	15. बैर
	16. रूपवास
6. अलवर	17. थानागाजी
	18. बानसूर

1	2
	19. कठूमर
	20. मुण्डावर
	21. रामगढ़
7. करौली	22. सपोटरा
	23. मण्डरायल
8. धौलपुर	24. राजाखेड़ा
	25. बसेड़ी
9. सवाईमाधोपुर	26. बामनवास
	27. बौंली
10. नागौर	28. डेगाना
	29. नावा
	30. लाडनू
	31. पर्वतसर
11. भीलवाड़ा	32. जहाजपुर
	33. बनेड़ा
12. टोंक	34. टोडारायसिंह
	35. पीपलू
13. कोटा ग्रामीण	36. दीगोद
14. बारां	37. मांगरौल
	38. किशनगंज

1	2
	39. अटरू
15. बून्दी	40. केशोराय पाटन
	41. इन्दरगढ़
	42. हिण्डौली
16. झालावाड़	43. पीड़ावा
17. उदयपुर	44. मांवली
18. चित्तौडगढ़	45. गंगरार
	46. रावतभाटा
	47. बड़ी सादड़ी
19. राजसमन्द	48. कुम्भल गढ़
20. डूंगरपुर	49. सीमलवाड़ा
21. बीकानेर	50. डूंगरगढ़
22. गंगानगर	51. घड़साना
23. हनुमानगढ़	52. टीबी
	53. पीलीबंगा
	54. रावतसर
	55. भादरा

1	2
24. चूरू	56. सरदार शहर
25. जोधपुर ग्रामीण	57. शेरगढ़
	58. पीपाड़
26. जैसलमेर	59. फतेहगढ़
27. जालौर	60. आहौर
	61. रानीवाड़ा
28. पाली	62. देसूरी
29. बाड़मेर	63. शिव
	64. गुडामलानी

पुलिस कर्मियों के रिक्त पद

620. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में वर्तमान में पुलिस विभाग में कर्मचारियों/अधिकारियों के कुल कितने पद रिक्त हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त कर्मचारियों/अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? सरकार द्वारा इन पदों को भरने की प्रक्रिया कब तक प्रारम्भ कर दी जाएगी ?

उत्तर

(1) वर्तमान में पुलिस विभाग में आई.पी.एस. के 46 पद, आर.पी.एस. (अति. पु.अ.) के 20 पद, आरपीएस (उप. अधी. पु.) के 82 पद, पुलिस निरीक्षक के 107 पद, उप निरीक्षक के 643 पद, सहायक उप निरीक्षक पुलिस के 762 पद, मुख्य आरक्षी के 625 पद तथा आरक्षी के 4486 पद रिक्त हैं।

कार्यालय अधीक्षक के 3 पद, कार्यालय सहायक के 23 पद, निजी सहायक के 6 पद, शीघ्रलिपिक के 37 पद, लेखाकार के 3 पद, कनिष्ठ लेखाकार के 4 पद, वरिष्ठ लिपिक (कम स्टेनों) के 41 पद, वरिष्ठ लिपिक के 70 पद, कनिष्ठ लिपिक के 27 पद, डाटा एन्ट्री प्रोग्रामर के 35 पद एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 310 पद रिक्त हैं। उप निरीक्षक से कानि. एवं मंत्रालियक कर्मियों की जिला/युनिटवार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। पुलिस निरीक्षक की रेन्ज/युनिटवार सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। आई.पी.एस. एवं आर.पी.एस. अधिकारियों के जिलों में कोई पद रिक्त नहीं है। जो रिक्तियां दर्शायी गई हैं, उनमें ट्रेनिंग रिजर्व, डेप्यूटेशन, रिजर्व, सी.आई.डी. एवं ए.सी.बी. के पद सम्मिलित हैं।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा इन पदों को सीधी भर्ती/पदोन्नति से भरने हेतु नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

थाना मेहन्दवास (टौंक) में दर्ज प्रकरण

62.. श्री कान्ती प्रसाद मीणा (थानागाजी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 20 जून, 2001 को थाना मेहन्दवास जिला टौंक के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में विद्युत् लाइन टूटने के कारण काश्तकार रतनलाल चौधरी के करन्ट लग जाने से उन्हें सआदत चिकित्सालय, टौंक में भर्ती कराया गया था और उसके बयान थाना सदर टोंक द्वारा लिये गये थे ? यदि हां, तो थाना सदर टौंक द्वारा लिये गये बयानों की प्रति सदन की मेज पर रखें

(2) क्या यह सही है कि उक्त घटना थाना मेहन्दवास, जिला टौंक के अन्तर्गत घटित होने के कारण उसका मौका मुआयना एवं गवाहों के बयान पुलिस थाना मेहन्दवास, जिला टौंक द्वारा लिये गये थे ? यदि हां, तो नक्शा मौका एवं बयानों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त घटना घटित होने एवं नक्शा मौका और बयान लेने के पश्चात् थाना मेहन्दवास द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है तथा अब उनके विरूद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें

उत्तर

(1) जी हां यह सही है कि दिनांक 20 जून, 2001, को श्री रतनलाल पुत्र श्री गंगाराम जाट निवासी-बजीरपुर के विद्युत लाइन का तार टूटने के कारण विद्युत करन्ट लग जाने से सआदत चिकित्सालय, टौंक में भर्ती कराया गया जिसकी सूचना दिनांक 21-6-2001 को थाना सदर टौंक को मिलने पर मजरूब श्री रतनलाल का पर्चा बयान लिया गया था। बयान की प्रति परिशिष्ट "उ" पर संलग्न है

(2) जी हां यह सही है कि उक्त घटना थाना मेहन्दवास की होने पर थाना-अधिकारी सदर जिला टौंक ने पर्चा बयान मजरूब रतन लाल का अग्रिम

(गृह मंत्री)

कार्यवाही करने हेतु थानाधिकारी मेहन्दवास जिला टोंक को भिजवाये गये थे। थाना मेहन्दवास के स.उ.नि. श्री भंवर सिंह द्वारा नक्शा मौका बनाया जाकर बयानात गवाहान रतनलाल, पप्पू उर्फ छोगा के लिए गये। बयान रतनलाल, पप्पू उर्फ छोगा व जांच रिपोर्ट स.उ.नि. नक्शा मौका की प्रतियां परिशिष्ट "ब-1" से "ब-4" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। घटना के सन्दर्भ में नक्शा मौका व बयानात गवाहान लेने के बाद मामला आकस्मिक दुर्घटना का पाया जाने के कारण थाना मेहन्दवास द्वारा कार्यवाही नहीं की गई। इस कारण कोई भी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है, इस कारण उनके विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

वन रेन्ज कुम्भलगढ़ में लगी आग से वन सम्पदा को क्षति

622. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कुम्भलगढ़ रेन्ज, पाली डिवीजन, उदयपुर के जंगलों में माह अप्रैल, 2004 में आग लगी थी ? यदि हां, तो उक्त आग कितने दिनों में बुझाई गई अथवा बुझी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आग के कारण करोड़ों रूपये के कीमती जंगल नष्ट हो गये ? यदि हां, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त आग एक महीने तक निरन्तर जलती रही और विभाग द्वारा उक्त आग को बुझाने व रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि प्रयास किए गए तो किये गये प्रयासों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वन्य जीव वन मण्डल उदयपुर के अधीन वन्य जीव अभ्यारण्य कुम्भलगढ़ की रेन्ज कुम्भलगढ़ के अन्तर्गत अप्रेल, 2004 में अग्नि

(वन एवं पर्यावरण मंत्री)

लगने की 7 घटनाएँ घटित हुई। अग्नि घटनाओं का विवरण, वनखण्ड का नाम जहां घटना घटित हुई तथा आग लगने एवं बुझाये जाने का विवरण परिशिष्ट "क" अनुसार संलग्न है।

(2) जी नहीं। अग्नि दुर्घटनाओं के कारण भूमि की सतह पर मात्र सूखी घास, सूखी लकड़ी तथा सूखे पत्ते जले हैं तथा वृक्षों एवं झाड़ियों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है।

(3) जी नहीं। यह सही नहीं है कि अप्रैल, 2004 में अभ्यारण्य कुम्भलगढ़ की रेन्ज कुम्भलगढ़ में विभिन्न स्थानों पर लगी आग एक महीने तक जलती रही। अभ्यारण्य कुम्भलगढ़ अधीन पदस्थापित वन कर्मियों द्वारा आग की सूचना प्राप्त होते ही तुरन्त अग्नि प्रभावित क्षेत्र में पहुंच कर स्थानीय ग्राम वासियों के सहयोग से अग्नि पर काबू पाने के प्रयास प्रारम्भ किए गए। लगी हुई आग के प्रसार को रोकने एवं बुझाने हेतु किए गए प्रयासों का विवरण निम्नानुसार है :-

1. अग्नि रोधी पट्टी बनाई गई।
2. क्षेत्र से गुजरने वाले वन पथों तथा आम रास्तों से घास एवं सूखे पत्तों की सफाई कराकर अग्नि रोधी पट्टी का रूप दिया गया।
3. अग्नि बुझाने हेतु श्रमिक और श्रमिकों द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले उपकरण हमेशा उपलब्ध रहे।
4. स्थानीय ग्रामवासियों का सहयोग प्राप्त किया गया।
5. संचार माध्यमों (वायर लैस सेट्स) का उपयोग कर अग्नि प्रभावित क्षेत्र पर लगातार नजर रखी गयी।

उक्त प्रयासों के फलस्वरूप वन क्षेत्रों में लगी अग्नि पर शीघ्र काबू पाया जा सका।

परिशिष्ट-"क"

वन्य जीव अभ्यारण्य कुम्भलगढ़ में रेन्ज कुम्भलगढ़ अन्तर्गत अप्रैल, 2004 में घटित अग्नि दुर्घटनाओं का विवरण

क्र.सं.	आग लगने की दिनांक	रेन्ज का नाम	वन खण्ड का नाम	आग लगने की		अग्नि बुझाने	
				दिनांक	समय	दिनांक	समय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	15-04-2004	कुम्भलगढ़	ढाणा	15-04-2004	08.00 AM	16-04-2004	11.00 PM
2.	15-04-2004	कुम्भलगढ़	झीलवाड़ा	15-04-2004	11.00 AM	16-04-2004	04.00 PM
3.	19-04-2004	कुम्भलगढ़	कोटड़ा	19-04-2004	04.00 PM	19-04-2004	11.45 PM
4.	27-04-2004	कुम्भलगढ़	घटाड़ा	27-04-2004	12.30 PM	29-04-2004	02.00 PM
5.	27-04-2004	कुम्भलगढ़	ढाणा	27-04-2004	01.25 PM	28-04-2004	11.40 PM
6.	27-04-2004	कुम्भलगढ़	कोटडा	27-04-2004	01.00 PM	28-04-2004	11.00 PM
7.	29-04-2004	कुम्भलगढ़	ढाणा	29-04-2004	04.00 PM	29-04-2004	11.00 PM

बाली के क्षतिग्रस्त एनीकट

623. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला पाली के वन क्षेत्रों में वर्ष 1999 से अब तक कुल कितने एनीकट कितनी-कितनी राशि व्यय कर बनाये गये ? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त में से अधिकांश एनीकट नष्ट हो गय या क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं ? यदि हां, तो एनिकटों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त एनीकटों के दोषपूर्ण निर्माण के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है ? अब इन एनीकटों का पुनर्निर्माण कब तक कर दिया जायेगा ?

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बाली में नवीन एनीकट निर्माण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

उत्तर

(1) पाली जिले के वन क्षेत्रों में वर्ष 1999 से अब तक 8 एनिकट निर्माण किये गये हैं। एनीकटों पर किये गये व्यय की विधान सभा वार सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न कर सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(2) जी नहीं।

(3) इन एनीकटों में से किसी भी एनीकट का निर्माण दोषपूर्ण नहीं है।

(4) विधान सभा क्षेत्र बाली में प्रस्तावित एनीकट निर्माण का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है। प्रस्तावित एनीकटों का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार होगा।

परिशिष्ट-क

जिला पाली में वर्ष 1999 से अब तक निर्माण कराये गये एनीकटों की सूची

क्र.सं.	विधान सभा क्षेत्र	एनीकट का नाम	व्यय राशि (रूपयों में)
1.	सुमेरपुर	काला भाकर	24997
2.	सुमेरपुर	रोजडा	24997
3.	देसुरी	छोड़ा (घाणेराव)	21320
4.	देसुरी	छोड़	39887
5.	देसुरी	खरड़व	300000
6.	देसुरी	तीर्थकर प्रकृति पथ	300000
7.	खारची	कोट की नाल	500000
8.	खारची	सुमेर की नाल	500000

परिशिष्ट-ख

विधान सभा क्षेत्र बाली में प्रस्तावित एनीकट निर्माण

क्र.सं.	एनीकट का नाम	अनुमानित व्यय राशि (लाखों में)
1.	रूपण माता एनीकट	5.00
2.	कनेरिया की नाल एनीकट	5.00
3.	डीगा पीपला एनीकट	5.00

वृक्ष रहित पहाड़ियों पर सड़क निर्माण

624. श्री कन्हैया लाल (टोडाभीम) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि ऐसी पहाड़ियों पर जहां आबादी बसी है और किसी प्रकार पेड़-पौधे नहीं उगते हैं, वहां पर रास्तों को पक्का करने एवं सड़क बनाने में बाधा डाली जाती है ? यदि हां, तो सरकार इस हेतु क्या कार्य योजना बनाने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12-12-1996 के अनुसार किसी भी प्रकार की वन भूमि पर कोई भी गैर वानिकी कार्य बिना भारत सरकार की पूर्वानुमति के नहीं किया जा सकता है। वन क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्तमान रास्तों/सड़कों के सुधार आदि के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अपने आदेश क्रमांक प.1(17)वन/91 पार्ट दिनांक 31-.-1991 से आदेश दिये हैं ऐसे वन क्षेत्र जहां पर किसी वर्तमान रास्ते/सड़क को पक्का अथवा डामरीकरण किया जाना/सुधार किया जाना प्रस्तावित हो, ऐसे प्रकरण में भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त किया जाना वांछनीय नहीं है, यदि यह रास्ते/सड़क जनता के लिये पहले से खुले हों तथा आवागमन के कार्य में लिये जा रहे हों।

जहां किसी वन क्षेत्र में कोई नये रास्ते बनाने हों उस दिशा में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

भादरा में आरा मशीनों के संचालन हेतु अनुज्ञा-पत्र

625. डा. सुरेश चौधरी (भादरा) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सभी आरा मशीनों को बन्द करा या गया है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं. तो क्या सरकार द्वारा कुछ

(डा. सुरेश चौधरी)

आरा मशीनों को लाइसेन्स देकर चालू करने की इजाजत दी गई है ? यदि हां. तो जिला हनुमानगढ़ में भादरा क्षेत्र की किन-किन आरा मशीनों को चालू करवाया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अब भी बगैर लाईसेन्स के आरा मशीनें चलाई जा रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार आरा मशीनों को क्षेत्र के अनुपातानुसार लाइसेन्स देने का विचार रखती है ? क्या सरकार आंरा मशीन का स्थान परिवर्तन या बेचान करने का भी विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य में दिनांक 30-10-2002 से पूर्व जिन 4523 आरा मशीनों को विभाग द्वारा लाईसेन्स जारी किये जा चुके थे, उन्हें बन्दी नहीं करवाया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 30-10-2002 से राज्य में चल रही समस्त अवैध आरा मशीनों को तुरन्त बन्द करने एवं भविष्य में बिना सैण्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी की पूर्वानुमति के आरा मशीनों को लाईसेन्स नहीं देने के निर्देश दिये हैं। उक्त निर्णय की पालना में राज्य में अवैध रूप से चल रही 5547 में से 5545 आरा मशीनें बन्द कराई गई है एवं 2 आरा मशीनें माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश से चल रही है। जिला हनुमानगढ़ से भादरा क्षेत्र में 30 आरा मशीनें लाईसेंसशुदा होने के कारण चालू हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। आरा मशीन का स्थान परिवर्तन की स्वीकृति आरा मशीन नियमों के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। आरा मशीन नियमों के अन्तर्गत जारी किया गया अनुज्ञा पत्र अहस्तांतरणीय है।

[illegible]

।। [illegible] ।।

क्र.सं. [illegible]

1. [illegible] तहसील- भादरा
2. [illegible] वार्ड नं. 22 [illegible] तहसील-भादरा
3. [illegible] वार्ड नं. 11 तहसील-भादरा
4. [illegible] तहसील-भादरा
5. [illegible] तहसील-भादरा
6. [illegible] तहसील- भादरा
7. [illegible] तहसील-भादरा
8. [illegible] तहसील-भादरा
9. [illegible] तहसील-भादरा
10. [illegible] 20 तहसील-भादरा
11. [illegible] 2 तहसील-भादरा
12. [illegible] तहसील भादरा
13. [illegible] तहसील भादरा
14. [illegible] तहसील भादरा
15. [illegible] तहसील भादरा
16. [illegible] तहसील भादरा
17. [illegible] तहसील भादरा
18. [illegible] तहसील भादरा
19. [illegible] तहसील भादरा
20. [illegible] तहसील भादरा
21. [illegible] तहसील भादरा
22. [illegible] तहसील भादरा
23. [illegible] तहसील भादरा
24. [illegible] तहसील भादरा
25. [illegible] तहसील भादरा
26. [illegible] तहसील भादरा
27. [illegible] तहसील भादरा
28. [illegible] तहसील भादरा
29. [illegible] तहसील भादरा
30. [illegible] तहसील भादरा

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं का वितरण

626. **श्री अमराराम (धोद) :** क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कौन-कौनसी आवश्यक वस्तुएं कितनी मात्रा में वितरित की जा रही हैं ?

(2) वर्ष 1998 में कौन-कौनसी वस्तुएं कितनी-कितनी मात्रा में कितने लोगों को वितरित की गई ?

(3) क्या वर्ष 1998 तक तमाम परिवारों को राशन वितरण किया जाता था तथा अब मात्र चयनित परिवारों को ही वितरित किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के तमाम परिवारों हेतु राशन व्यवस्था लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत विभिन्न योजनाओं में निम्नानुसार नियन्त्रित वस्तुएं प्रति माह वितरित कराई जाती हैं:-

1. एपीएल खाद्यान्न (गेहूं, चावल)	35 किलो प्रति परिवार
2. बीपीएल (गेहूं, चावल)	35 किलो प्रति परिवार
3. अन्त्योदय	35 किलो गेहूं या चावल कुल मिलाकर 35 किलो खाद्यान्न प्रति परिवार
4. अन्नपूर्णा गेहूं	10 किलो प्रति चयनित व्यक्ति प्रतिमाह
5. चीनी	बीपीएल परिवारों के लिये 500 ग्राम प्रति यूनिट
6. केरोसीन	शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 5 से 10 लीटर प्रति राशन कार्ड

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(2) वर्ष 1998 में केरोसीन, खाद्यान्न (गेहूं, चावल) एवं चीनी का वितरण किया जाता था। केरोसीन तेल 5 से 10 लीटर प्रति राशन कार्ड (डी.बी.सी. धारकों को छोड़कर) खाद्यान्न एपीएल परिवारों को 10 किलो प्रति यूनिट, बीपीएल परिवारों को 10 किलो प्रति व्यक्ति एवं लेवी चीनी 425 ग्राम प्रति यूनिट प्रति माह की दर से राज्य के कुल 56463803 व्यक्तियों को वितरित की गई।

(3) जी हां। वर्ष 1998 तक तमाम परिवारों को राशन सामग्री का वितरण कराया जाता था। केन्द्र सरकार की नीति के अनुसार अब ए.पी.एल. एवं बी.पी.एल. परिवारों को केरोसीन एवं खाद्यान्न दिया जा रहा। ए.पी.एल. परिवारों को गेहूं 6.60 रूपये प्रति किलो एवं बी.पी.एल. परिवारों को 4.60 रूपये प्रति किलो की दर से दिया जा रहा है। अन्त्योदय एवं अन्नपूर्णा योजना परिवारों को भी राशन सामग्री दी जा रही है। चीनी केवल बी.पी.एल. परिवारों को ही दी जा रही है।

(4) मांग संख्या 1 के उत्तर के अनुसार राशन सामग्री का वितरण किया जाता है। भारत सरकार के निर्देशानुसार ही राज्य में राशन व्यवस्था लागू की जाती है।

सिकराय के राशन डीलरों के विरूद्ध कार्यवाही

627. श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सिकराय में विगत 5 वर्षों से राशन डीलर द्वारा काला बाजारी, खाद्य सामग्री व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले चयनित परिवारों को निर्धारित मात्रा में वितरित की जाने वाली सामग्री में अनियमितता सम्बन्धी ग्रामीणों से शिकायतें प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उक्त में किन-किन ग्रामों से किस-किस के द्वारा, कब-कब ? इस प्रकरण में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? जांच रिपोर्ट मय शिकायतकर्ता की एफ.आई.आर. सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में उक्त विधान सभा क्षेत्र में राशन डीलरों के विरूद्ध जांच किस अधिकारी द्वारा किस-किस डीलर के विरूद्ध की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हेमाराम चौधरी)

(3) क्या सरकार अब पुनः उक्त क्षेत्र के डीलरों के खिलाफ निष्पक्ष जांच अन्य सम्बन्धित स्तर के अधिकारी से कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार जब तक जांच पूर्ण न हो, उक्त राशन डीलरों की डीलरशिप निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में अब पुनः नए सिरे से राशन डीलर नियुक्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सिकराय में विगत 5 वर्षों से राशन डीलर द्वारा कालाबाजारी, खाद्य सामग्री व गरीबी से नीचे जीवन यापन करने वाले चयनित परिवारों को निर्धारित मात्रा में वितरित की जाने वाली सामग्री में नियमितता सम्बन्धी ग्रामीणों से 14 शिकायतें प्राप्त हुई। ग्रामों एवं शिकायतकर्ता का विवरण एवं शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) गत पांच वर्षों में उक्त विधान सभा क्षेत्र में राशन डीलरों के विरूद्ध की गई जांच सम्बन्धी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "क" में दर्शाया गया है।

(3) डीलरों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर निष्पक्ष जांच की गई है। अतः पुनः जांच करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हाती है।

(4) जी नहीं। जांच कार्यवाही के दौरान डीलरशिप निरस्त नहीं की जाती है वरन् प्राधिकार पत्र निलम्बित करके दूसरे डीलर के माध्यम से राशन वितरण कराया जाता है। जांच में दोषी पाये जाने पर ही डीलरशिप निरस्त की जाती है।

(5) जांच में डीलर के दोषी पाये जाने पर उसका प्राधिकार पत्र निरस्त किया जाता है। तत्पश्चात् नये डीलर नियमानुसार नियुक्त करने की कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

परिशिष्ट-"क"

विधान सभा अतांराकित प्रश्न सं. 2378/खाद्य द्वारा श्री हेमाराम चौधरी (200) सदस्य राजस्थान विधान सभा

प्रश्न सं. 1 एवं दो की सूचना (विवरण)

कम संख्य	शिकायतकर्ता	ग्राम डीलर	दिनांक	जांच कर्ता	की गई कार्यवाही
1.	आम जनता	केलाई	2-9-1998	प्र.नि.	प्रतिभूति राशि जब्त
2.	वार्ड पंचगण	दुब्बी	1-9-1998	प्र.नि.	प्रतिभूति राशि जब्त
3.	आम जनता	छोकरवाडा	17-9-1998	प्र.नि.	प्रतिभूति राशि जब्त
4.	सरपंच	सिकंदरा	15-5-1998	प्र.नि.	प्रतिभूति राशि जब्त
5.	आम जनता	कुण्डेरा	6-11-1999	प्र.नि.	प्रतिभूति राशि जब्त
6.	आम जनता	मनांद सूरेर	11-10-2000	प्र.नि.	लाईसेन्स निलम्बित
7.	आम जनता	गीजगढ़	17-10-2000	प्र.नि.	प्रतिभूति राशि जब्त
8.	सरपंच	उदयपुरा	31-6-2001	प्र.नि.	लाईसेन्स निलम्बित
9.	आम जनता	भोहविंगपुरा	7-11-2002	एस.डी.ओ. सिकराय	लाईसेन्स निलम्बित
10.	आम जनता	पाटन	12-4-2004	प्र.नि.	कार्यवाही जेरकार
11.	गूलाब चन्द	भांकरी	16-4-2004	प्र.नि.	-
12.	आम जनता	उदयपुरा	31-6-2004	प्र.नि.	-
13.	आम जनता	मेहन्दीपुर बालाजी	3-6-2004	प्र.नि.	-
14.	प्रवर्तन अधिकारी के स्वयं के निरीक्षण पर	मरीयाडा	3-7-2002	प्र.अ. सिकराय	प्राधिकार पत्र निलम्बित एवं एफआईआर दर्ज

जिला रसद अधिकारी (दौसा)

समझौता समिति द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के लम्बित प्रकरण का निस्तारण

628. श्री गोविन्दराम मेघवाल (नोखा) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि श्रम विभाग में अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर कई प्रकरणों के निस्तारण हेतु समझौता समिति का गठन किया हुआ है ? यदि हां, तो उक्त समझौता समिति के समक्ष वर्ष 1990 व 1991 के कितने प्रकरण सार्वजनिक निर्माण विभाग के समझौते के लम्बित हैं ?

(2) उक्त समिति ने उक्त अवधि के सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रकरणों में अब तक क्या-क्या प्रयास किए और अब उक्त प्रकरणों का कब तक निस्तारण कर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जब समिति का गठन नहीं हुआ तो प्रकरणों को निपटाने के प्रयास का प्रश्न ही नहीं उठता।

(प्रश्न संख्या-629)

(स्थगित)

बस्सी पंचायत समिति के असहाय एवं विकलांगों को आर्थिक सहायता

630. श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति बस्सी एवं पंचायत समिति चाकसू के अपाहिज, बेसहारा, अत्यन्त दयनीय आर्थिक स्थिति एवं विधवा महिलाओं की नामजद सूची सरकार के पास उपलब्ध है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त प्रकार के लोगों की सर्वे सूची बनवाकर कैम्पों

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

के माध्यम से इन्हें आर्थिक सहायता मासिक पेन्शन आदि देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू के अपाहिज, बेसहारा अत्यन्त दयनीय आर्थिक स्थिति के व्यक्तियों एवं विधवा महिलाओं की उपलब्ध नामजद सूची के सम्बन्ध में स्थिति निम्नानुसार है:-

पंचायत समिति बस्सी

1. वर्ष 2001 में विकलांग 1220 व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। जिसकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

2. 822 असहाय व्यक्तियों की सूची जारी की गई हैं। जो कि परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

3. अत्यन्त दयनीय आर्थिक स्थिति -

   a) अन्त्योदय योजना में 1194 व्यक्ति चयनित हैं सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

   b) अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत 86 व्यक्ति चयनित है। चयनित सूची परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

4. विधवा महिलाएं : सर्वे सूची नहीं है।

पंचायत समिति चाकसू

पंचायत समिति चाकसू में अपाहिज एवं असहाय व्यक्तियों की खोज हेतु सर्वे कराया गया था। अपाहित व्यक्तियों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। असहाय व्यक्तियों की सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

इस पंचायत समिति में विधवा महिलाओं की खोज हेतु सर्वे नहीं कराया गया, लेकिन जिन विधवा महिलाओं (पात्र) को विधवा पेन्शन प्राप्त हो रही है की सूची, वृद्धावस्था एवं विकलांग पेन्शनर्स की समेकित सूची के रूप में परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(समाज कल्याण मंत्री)

(2) वृद्धावस्था पेन्शन, विधवा पेन्शन एवं विकलांग पेन्शन हेतु पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए समय-समय पर अभियान आयोजित किये जाते हैं। दिनांक 26-1-2004 से 25-2-2004 तक आयोजित अभियान में राज्य के 8734 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेन्शन, 7740 विधवाओं को विधवा पेन्शन तथा 1703 विकलांगों को विकलांग पेन्शन से लाभान्वित किया गया।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

गुर्जर समाज का अनुसूचित जाति सूची में आरक्षण

631. डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गुर्जर समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु केन्द्र सरकार को राज्य सरकार द्वारा अनुशंषा करने का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस सम्बन्ध में सरकार कोई कदम भी उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और क्या ?

उत्तर

(1) केन्द्र सरकार ने गुर्जर जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। राज्य सरकार द्वारा गुर्जर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करवाने के सम्बन्ध में भारत सरकार के मापदण्ड के अनुसार जिला कलक्टर्स से टिप्पणी मंगवाई जा रही है, अपेक्षित सूचना प्राप्त होने के उपरान्त ही उस पर विचार कर राज्य सरकार की टिप्पणी भारत सरकार को प्रेषित की जा सकेगी।

(2) बिन्दु संख्या एक के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

बुनकर सहकारी समिति/संघ के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

632. प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मई, 2001 में बुनकर सहकारी समितियों एवं

(प्रो. बीरू सिंह राठौड़)

बुनकर संघ में अनियमितता सम्बन्धी शिकायतें की गई थी और सहकारी विभाग के रजिस्ट्रार को दिनांक 10 मई, 2001 को मामले में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था ?

(2) उक्त शिकायत में कितनी बुनकर सहकारी समितियों के नाम थे ? क्या इन समितियों की सरकार द्वारा जांच की गई ?

(3) क्या यह सही है कि इस प्रकरण में एक अन्तिम जांच रिपोर्ट सौंपी गई ? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। सरकार द्वारा उक्त रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) शिकायत में जिन बुनकर सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है उन्होंने वर्ष 1999-2000 से 2002-03 तक में कितना व्यापार किया ? क्या इन समितियों का इन वर्षों में आडिट हुआ है ?

(5) क्या यह सही है कि जयपुर हाथकरघा व उ.स.स.लि. ने भी वर्ष 1999-2000 से अब तक राज्य बुनकर सहकारी संघ के माध्यम से कारोबार किया है यदि हां, तो वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त शिकायत में 92 बुनकर सहकारी समितियों के नाम हैं। जिनकी जांच की जा रही हैं।

(3) जी नहीं।

(4) शिकायत में शामिल बुनकर सहकारी समितियों द्वारा वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2002-03 तक किये गये व्यापार की स्थिति संलग्न परिशिष्ट-1 में दी गयी है। इन 92 बुनकर समितियों में से 34 समितियों का वर्ष 2002-03 तक का अंकेक्षण पूर्ण हो चुका है।

(5) जी हां। वर्षवार कारोबार विवरण निम्नानुसार सदन की मेज पर प्रस्तुत हैं :-

वर्ष 1999-2000 में 23.19 लाख रूपये

वर्ष 2000-2001 में 27.89 लाख रूपये

वर्ष 2001-2002 में 25.35 लाख रूपये

वर्ष 2002-2003 में 54.15 लाख रूपये

वर्ष 2003-2004 में 8.66 लाख रूपये (अनुमानित)

वर्ष 2004-2005 में जून 2004 तक शून्य

परिशिष्ट 1

विधानसभा प्रश्न संख्या 2466 बुनकर सहकारी [illegible] समितियों द्वारा वर्ष 1999–2000 से 2002–03 वर्ष में किये गये कुल व्यापार का विवरण :—

(राशि लाखों में)

क्र०सं०	नाम समिति	राशि
1.	रेगिस्तान हाथकर्घा वस्त्र उत्पा. सह. स. लि. जयपुर	
2.	श्री रामदेव बुनकर सह. स. लि., उदयपुर	
3.	अम्बेडकर बुनकर वस्त्र उत्पा. सह. स. लि. बाड़मेर	100.22
4.	जगदम्बा हाथकर्घा वस्त्र उत्पा. सह. स. लि., बीकानेर	32.79
5.	साकेत हाथकर्घा वस्त्र उत्पा. सह. समिति लि0, जयपुर	33.06
6.	आजाद हाथकर्घा वस्त्र उत्पा. सह. समिति लि0, जयपुर	3.01
7.	जसोता महावर वीवर्स सह. समिति लि0, दौसा	46.60
8.	श्रीनाथ हैण्डलूम वस्त्र उत्पा. सह. समिति लि0,भीलवाड़ा	4.20
9.	सराय हाथकर्घा वस्त्र उत्पा. स[illegible]मिति लि0, दौसा	1.30
10.	जयपुर जयहिन्द हाथकर्घा वस[illegible] सह. स[illegible]मिति लि0, जयपुर	[illegible]
11.	आर्यन टैक्सटाईल्स सह0 समिति लि0,जयपुर	
12.	सरस हाथकर्घा वस्त्र उत्पा. सह. समिति लि0,जयपुर	
13.	लक्ष्मी हाथकर्घा वस्त्र उत्पा. सह समिति लि0, भीलवाड़ा	
14.	खेड़ी रसूलपुर हाथकर्घा [illegible] उत्पा. सह. समिति लि0, [illegible]	[illegible]
15	जय हाथक[illegible] वस्त्र [illegible] समिति लि0 [illegible]यपुर	10.06
16.	श्याम हाथकर्घा वस्त्र उ[illegible]मिति लि0,किशनगढ़ रेनवाल	9.24
17.	सैन्चुरी हैण्डलूम प्रोड[illegible]लि0,जयपुर	234.51
18.	होदायली हाथकर्घा व[illegible] समिति लि0, लालसोट	[illegible]
19.	शिवाजी हैण्डलूम को[illegible]पुर	111.39
20.	जम्मू कश्मीर हैण्डलूम [illegible] लि0,जम्मू	4.05
21.	सप[illegible]नकर हाथकर्घा [illegible]लि0,जयपुर	215.39
22.	[illegible]र्घा वस्त्र [illegible]मिति लि0,जयपुर	36.04
23.	[illegible]लूम [illegible]	5.02
24.	नर[illegible] ह[illegible] वस्त्र [illegible]मिति लि0, जयपुर	111.75
25.	मलिकपुर बुनकर वस्त्र उत्पा. सह समिति लि0 चौमू	4.28
26.	शीतलामाता हाथकर्घा वस्त्र उत्पा सह. समि[illegible] लि0, जयपुर	1.53
27.	सीकर हाथकर्घा [illegible]नकर सह. समिति लि0, [illegible]	3.59
28.	श्री कल्याण हाथकर्घा वस्त्र उत्पा सह. समिति लि0, सीकर	7.51
29.	महावर हाथकर्घा वस्त्र वस्त्र उत्पा. सह. समिति लि0, गंगापुर	[illegible]
30	देवता हाथकर्घा वस्त्र उत्पा. सह. समिति लि0, जयपुर	36.44
31.	नीलकण्ठ हाथकर्घा वस्त्र उत्पा. सह. समिति लि0, दौसा	[illegible]
32.	मार्डन हैण्डलूम प्रोड्यूसर को. सो. लि0, जयपुर	25.57
33.	मातेश्वरी हैण्डलूम वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि0, अलवर	[illegible]

Ak02

34.	सरगम बुनकर वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि० जयपुर	99.07
35	स्वप्न साकार बुनकर हाथकरघा वस्त्र उत्पादक सह. स[illegible] लि० जयपुर	23.63
36.	इन्दिरा गां[illegible] हाथकर्घा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति [illegible]० सीकर	34.62
37	अम्बेडकर [illegible] करघा वस्त्र उत्पादक सह. समिति लि० फतेहपुर , सीकर	1.30
38.	डांगरवाड़ा हाथकरघा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि०	2.78
39.	मसूरिया कोटा साड़ी [illegible] थकर्घा वस्त्र उत्पा. सह. समिति लि०, कोटा	4.10
40.	राजस्थान [illegible] करघा वस्त्र उत्पादक सहकारी स[illegible]ति लि० लुणियावास	23.64
41.	राष्ट्रीय हाथकर[illegible] वस्त्र उत्पादक सहकारी समि[illegible] लि० जयपुर	114.20
42.	श्री माधोपुर हाथकर[illegible] [illegible] उ[illegible] सहकारी [illegible] लि० [illegible]	10.70
43.	म[illegible] [illegible] करघा वस्त्र उत्पा. स[illegible]. समिति लि० बयाना, भरतपुर	1.30
44.	श्वेता हाथकर्घा वस्त्र उत्पादक सहकारी स. [illegible] लि० , जयपुर	72.84
45.	जय श्री अम्[illegible] हाथकर्घा व[illegible] उत्पा. सह. स[illegible] लि[illegible] [illegible]नेर	1.94
46.	बदनपुरा हाथकरघा वस्त्र उत्पा[illegible] [illegible]हकारी [illegible] , जयपुर	4.77
47.	चौकाणी हाथकर्घा वस्त्र उत्पा[illegible] [illegible]हकारी स[illegible] लि[illegible] [illegible]	6.28
48.	गोविन्दगढ़ हाथकर्घा वस्त्र उत्पादक स[illegible]कारी [illegible] लि० चौमू	6.88
49.	दौलतपुर हाथकर[illegible] [illegible] उत्पादक सहकारी [illegible] , दौसा	10.14
50.	बीकानेर [illegible] उत्पा. सह. स. लि०, [illegible]नेर	73.18
51.	वस्त्रांगन ह[illegible] [illegible]दक सहकारी स[illegible]ति लि० , जयपुर	37.41
52.	अजमेर [illegible] [illegible]न्टिंग को.सो. लि० अजमेर	0.90
53.	[illegible] लि०	1.56
54.	[illegible] उत्पा.सह.स[illegible] [illegible]	6.25
55.	[illegible] हथकरघा [illegible] [illegible]कारी स[illegible] लि० बीकानेर	10.85
56.	[illegible] की [illegible] लि०, [illegible]पुर	6.16
57.	अमित हाथक[illegible] [illegible]कारी समिति लि० [illegible]	25.31
58.	उत्तरासर [illegible] समिति लि०, [illegible]	9.95
59.	मरीम [illegible] समिति लि० टोंक	43.17
60.	[illegible] लि० [illegible]	0.56
61.	मुन्डवाड़ा हाथ[illegible] उत्पा[illegible] [illegible] समिति लि० सीकर	3.24
62.	[illegible] हाथक[illegible] लि० [illegible]	3.24
63.	[illegible] हाथक[illegible] [illegible] [illegible]कर	36.92
64.	सर्वोदय हाथ[illegible] [illegible]	41.38
65.	मोकाम बुनकर [illegible]	42.01
66	नागौर हाथकरघा [illegible] [illegible]	1.62
67.	नवभारत बुनकर वस्त्र उत्पादक सहक[illegible] [illegible] टोंक	0.02
68	[illegible] हाथकरघा वस्त्र उत्पादक सहकारी स[illegible] [illegible] , टोंक	0.02
69.	बनास ह[illegible] वस्त्र उत्पादक सहकारी समि[illegible] लि , टोंक	21.53
70.	[illegible] ह[illegible] वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि० [illegible]	17.70
71.	मुमताज [illegible] थकर्घा वस्त्र उत[illegible] [illegible]क सहकारी समिति लि० , टोंक	0.02
72.	सिकन्दर हाथकरघा वस्त्र उत्पादक सहकारी स[illegible] [illegible] , [illegible]	23.55
73.	ग्रामीण हाथकर्घा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि०, जयपुर	28.64
74.	धन्ना तलाई हाथक[illegible] वस्त्र उत्पादक स[illegible] स[illegible] [illegible]	18.21
75.	विशाल हाथकर्घा वस्त्र उत्पादक सहका. [illegible] लि०, टोंक	0.02

Ak02

76	खारिया हाथकर्घा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि. [illegible]	51.88
77	वसीम हाथकर्घा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि. नागौर	49.35
78	राजस्थान बुनकर हाथकर्घा [illegible] उत्पा. सह. समिति लि. [illegible]	1.71
79	[illegible] हाथकर्घा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि. [illegible]	174.22
80	स्वागत वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि. जयपुर	55.01
81.	नापासर हाथकर्घा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि., बीकानेर	11.23
82.	गांधी हाथकर्घा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि. टोंक	2.59
83	गंगापोल हाथकर्घा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि., जय.	2.58
84.	राजीव हैण्डलूम कॉप. सो. लि.,जयपुर	0.37
85	हेमराज वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि., बयाना	1.34
86.	कन्हैया गुजरी साड़ी हा.क. वस्त्र उत्पा. सह. समिति लि., कोटा	2.37
87.	कालवाड़ हाथकर्घा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि. जयपुर	6.06
88	जोधाणा हाथकर्घा वस्त्र उत्पा. सह. समिति लि., जोधपुर	3.36
89.	कामेश्वर हाथकर्घा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि.,जयपुर	3.78
90.	कानेश्वर हाथकर्घा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति.लि., भरतपुर	19.10
91.	नाकोड़ा हाथकर्घा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि.,कैथून	48.40
92.	श्री नाकोड़ा बुनकर सहकारी समिति लि., उदयपुर	67.11

पचार ग्राम (सीकर) द्वारा कराये गये कार्यों में अनियमितताएं

533. श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला सीकर की पंचायत समिति दांतारामगढ़ के ग्राम पचार को पिछले 5 वर्षों में कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में प्राप्त हुई तथा उसमें से कितनी-कितनी राशि ग्राम पंचायत द्वारा किस-किस मद में व्यय की गई तथा प्राप्त राशि से क्या-क्या कार्य कराये गये ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त वर्षों में उक्त ग्राम में कराये गये कार्यों में भ्रष्टाचार/अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति के विरूद्ध तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि भूतपूर्व ग्राम सचिव के साथ कोई मारपीट का प्रकरण हुआ था ? यदि हां, तो किस व्यक्ति द्वारा मारपीट की गई ? इस प्रकरण की जांच किसके द्वारा की गई और जांच के क्या निष्कर्ष रहे तथा दोषी व्यक्ति के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला सीकर की पंचायत समिति, दांतारामगढ़ के ग्राम पचार को पिछले पांच वर्षों में प्राप्त राशि, व्यय राशि, विभिन्न मदों का एवं कराये गये कार्यों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि जनता द्वारा अकाल राहत के निम्नलिखित कार्यों में अनियमितता की शिकायत की गई है:-

1. रास्ता दुरस्तीकरण पचार से लाम्बा की ढाणी तक, स्वीकृत राशि रूपये 1.50 लाख।

2. 3.पूर्ण लेवल सड़क निर्माण पचार से लाम्बा की ढाणी तक, स्वीकृत राशि रूपये 1.50 लाख

शिकायत की जांच उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ द्वारा की जा रही है। जांच रिपोर्ट की प्राप्ति के उपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(3) जी हां। श्रीमती कृष्णा सांखला, सरपंच एवं श्री बजरंगलाल सांखला के द्वारा ग्राम सेवक के साथ मारपीट का प्रकरण हुआ था। इस प्रकरण की जांच थानाधिकारी, दांतारामगढ़ द्वारा की गई। जांच में मामला अदम बकु 332/353 का अपराध घटित होना नहीं पाया गया। प्रकरण झूंठा पाया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट 133/02 एवं अन्तिम परिणाम रिपोर्ट 45/02 परिशिष्ट "2" व "3" पर संलग्न है। अन्तिम फार्म रिपोर्ट 45/02 माननीय न्यायालय ए.सी.जे.एम. दांतारामगढ़ में विचाराधीन है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

कठूमर की ग्राम पंचायतों द्वारा निजी आय का दुरुपयोग

634. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पंचायत समिति कठूमर में किस-किस ग्राम पंचायत में कितनी-कितनी निजी आय किस-किस मद से होती है ? ग्राम पंचायत वार सूची प्रस्तुत करें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत कठूमर व पंचायत समिति कठूमर में पशु मेला व हटवाड़ा से निजी आय प्रतिवर्ष होती है ? यदि हां, तो दोनों की निजी आय का अलग-अलग विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या निजी आय से प्रत्येक ग्राम पंचायत पांच हजार रूपये खर्च करने का अधिकार रखती है ? यदि हां, तो किस-किस ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2000 से अब तक प्रतिवर्ष किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) ग्राम पंचायत कठूमर, तसई, खेड़ाभेदा, नाटौज, सौखरी, मथुराहेडा,

(श्री रमेश खींची)

समूची, खौकर टिटपुरी, बडौदाकान ग्राम पंचायतों में वर्ष 2000 से अब तक निजी आय प्रतिवर्ष कितनी-कितनी प्राप्त हुई व प्रतिवर्ष कितना-कितना व्यय किया गया ? क्या सरकार अधिकार से अधिक धनराशि खर्च करने पर सरपंच से वसूल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(5) उक्त ग्राम पंचायतों में सरपंचों द्वारा कब-कब योजनाओं की राशि बैंकों से आहरित की गई और कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों हेतु व्यय की गई और वह कार्य कब पूर्ण हुआ व कब-कब क्या-क्या सामान खरीदा गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि उपरोक्त ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में राशि शून्य है जिसका उपयोग किए बिना ही राशि सरपंचों द्वारा हड़प ली गई ? क्या सरकार सरपंचों के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति कठूमर में कुल 41 ग्राम पंचायते हैं जिनकी आय का मदवार विवरण संलग्नक 1, 1ए से 41, 41ए तक संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि पंचायत समिति कठूमर में प्रतिवर्ष एक बार पशु मेला खेडली में लगाया जाता है। तथा ग्राम पंचायत कठूमर द्वारा हटवाड़ा लगाया जाता है जिनसे सम्बन्धित को निजी आय होती है। पशु मेला से आय का विवरण 42 व 42ए पर संलग्न है तथा हटवाड़ा से ग्राम पंचायत की आय का विवरण संलग्नक 43 पर संलग्न है।

(3) निजी आय से प्रत्येक ग्राम पंचायत को 5 हजार रूपये व्यय करने का अधिकार राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के तहत था किन्तु वर्तमान में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अनुरूप पंचायती राज विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक 1370 दिनांक 26-6-2003 द्वारा ग्राम पंचायत को 2 लाख रू. तक प्रत्येक मामले में खर्च करने का अधिकार दिया गया है। ग्राम पंचायतों द्वारा वर्ष 2000 से अब तक किये गये व्यय का विवरण संलग्न है (संलग्नक 1, 1ए से 41. 41ए तक)

(ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री)

(4) प्रश्न से सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में हुई निजी आय तथा किये गये व्यय का वर्षवार विवरण संलग्नक 18, 18ए 37, 37ए, 19, 19ए, 28, 28ए. 36, 36ए, 26, 26ए, 33, 33ए, 23, 23ए, 40, 40ए व 5, 5ए पर संलग्न है। जी हां, ग्राम पंचायतों के अधिकार से अधिक राशि व्यय करने की जांच करवायी जा रही हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(5) उक्त बिन्दु संख्या 4 में वर्णित ग्राम पंचायतों द्वारा योजनाओं की राशि बैंकों से आहरित करने तथा जिन कार्यों पर खर्च की गई उनका पूर्ण विवरण संलग्नक 44 से 53 तक संलग्न है।

(6) जी नहीं। यह सही नहीं है कि बिन्दु संख्या 4 में वर्णित 10 ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में राशि शून्य है बल्कि ग्राम पंचायतों के विभिन्न बैंक खातों में अलग-अलग राशि अवशेष है। विभिन्न योजनाओं व कार्य हेतु प्राप्त राशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं तथा सरपंचों की तरफ कोई राशि बकाया नहीं है और ना ही उनके द्वारा कोई राशि हड़पी गई है। अतः सरपंचों के खिलाफ कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

जालौर एवं आहोर की पंचायत समितियों में हुई अनियमितताओं की जांच

635. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) श्री शंकरसिंह राजपुरोहित : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पिछले दस वर्षों में विधान सभा क्षेत्र जालौर एवं आहोर की ग्राम पंचायतों में गबन के मामले प्रकाश में आये ? यदि हां, तो किस-किस ग्राम पंचायत में कितनी-कितनी राशि के व किनके द्वारा ? ग्राम पंचायत वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ग्राम पंचायतों में से कितने ग्राम पंचायतों के प्रकरणों में जांच करवाई गई व कितने मामलों में दोषी करार दिये गये और कितनों में दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

(3) क्या ग्राम पंचायतों की आडिट में उजागर प्रकरणों में अमल किया जाकर कार्यवाही की जाती है ? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जालौर विधान सभा क्षेत्र में पंचायत समिति जालौर पूर्ण रूप से एवं पंचायत समिति सायला आंशिक रूप से सम्मिलित है। पिछले दस वर्षों में पंचायत समिति जालौर की ग्राम पंचायतों में गबन प्रकरणों की संख्या शून्य है एवं पंचायत समिति सायला की विधान सभा क्षेत्र जालौर से सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में गबन के कुल 9 आक्षेप उजागर हुये। सभी 9 आक्षेप निरस्त हो चुके हैं।

आहोर विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में पिछले दस वर्षों में गबन के कुल 36 आक्षेप राशि 192049.11 के उजागर हुये, इनमें से 12 आक्षेप निरस्त हो चुके हैं। ग्राम पंचायत वार/प्रकरणवार गबन के लिये दोषी, मय राशि के सूची परिशिष्ट-1(क), (ख) एवं 2 पर संलग्न है।

(2) उक्त ग्राम पंचायतों में संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग जोधपुर द्वारा अंकेक्षण के दौरान राजकीय राशि के 45 गबन प्रकरण जानकारी में लाये गये है, अलग से गबन की जांच नहीं कराई गई है। उक्त गबन प्रकरणों में दोष निर्धारण कर लिया गया है। 21 गबन प्रकरणों में सम्पूर्ण गबन राशि की वसूली कर ली गई है एवं प्रकरण निरस्त हो चुके है। शेष 24 प्रकरणों में कुल गबन राशि रूपये 186369.00 के विरूद्ध 59,477.00 रूपये की वसूली कर ली गई है। शेष रही गबन राशि की वसूली एवं दोषियों के विरूद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं।

(3) जी हां। पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध गबन सिद्ध होने पर राशि वसूली की कार्यवाही, पुलिस कार्यवाही, न्यायिक कार्यवाही पी.डी.आर. एक्ट/एल.आर. एक्ट के तहत वसूली के सम्बन्ध में कार्यवाही एवं अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रकरणों में सी.सी.ए. नियमों के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही तथा जनप्रतिनिधियों के प्रकरणों में उनके विरूद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

परिशिष्ट-1

पंचायत समिति सायला-गबन प्रकरणों की सूची

(जालौर विधान सभा क्षेत्र)

क्रम संख्या	ग्राम पंचायत का नाम	अंकेक्षण वर्ष	आक्षेप संख्या	राशि	वि. विवरण
1.	बावतरा	93-94	5	294.00	निरस्त
2.	अलासन	93-94	7	113.00	निरस्त
3.	लालियाना	94-95	7	889.23	निरस्त
4.	दादाल	94-95	9	1320.00	निरस्त
5.	तीखी	98-99	6	572.00	निरस्त
6.	उम्मेदाबाद	98-99	8	100.00	निरस्त
7.	सुराणा	98-99	6	391.00	निरस्त
8.	कोमता	98-99	7	495.00	निरस्त
9.	भेंगलता	98-99	6	251.00	निरस्त
	योग	–	9	4385.23	

फागी में पंचायती राज के जन प्रतिनिधि के विरुद्ध विचाराधीन प्रकरण

636. **श्री लक्ष्मी नारायण बैरवा** (फागी) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फागी की तहसील फागी एवं चाकसू के पूर्व एवं वर्तमान कई पंचों, सरपंचों, प्रधानों एवं उप प्रधानों के विरूद्ध सरकारी धन का दुरूपयोग करने जमीनों के घोटाले एवं फर्जी पट्टे जारी करने के प्रकरण विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो दोषी सरपंचों, पंचों, प्रधानों, उप प्रधानों के विचाराधीन प्रकरण सहित नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिन पंचों, सरपंचों, प्रधानों एवं उप प्रधानों के विरूद्ध प्रकरण विचाराधीन हैं, उन्हें आगामी चुनावों में चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस-किस को व नहीं तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति फागी क्षेत्र में सरकारी धन के दुरूपयोग, कब्जे, जमीनों के घोटाले से सम्बन्धित प्रकरणों की सूची परिशिष्ट-I पंचायत समिति फागी क्षेत्र के फर्जी पट्टे जारी करने के प्रकरणों की सूची परिशिष्ट-II तथा पंचायत समिति चाकसू में धन के दुरूपयोग के प्रकरणों की सूची परिशिष्ट-III पर संलग्न है।

पंचायत समिति चाकसू में फर्जी पट्टों व जमीन घोटाले के प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(2) जांच में दोषी पाये जाने पर नियमानुसार अयोग्य घोषित करने की कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

कनिष्ठ अभियन्ता सिविल का पंचायती राज संस्थाओं में विलय

637. **श्री अरूण सिंह एवं श्री महीपाल सिंह यादव** (डीग) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अरूण सिंह)

(1) क्या यह सही है कि पंचायती राज विभाग, जयपुर द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2004 को जारी विज्ञप्ति में 170 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पदों पर भर्ती हेतु कार्मिक विभाग के दिशा-निर्देश 25 अगस्त, 1998 के भाग 2(ग) का पालन नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि भू-संरक्षण विभाग का पंचायती राज विभाग में विलय कर दिया गया है एवं उसमें कार्यरत विभिन्न ट्रेडों के अभियन्ताओं को कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पदों पर समायोजित किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या पंचायतीराज विभाग द्वारा 21 फरवरी, 2004 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पदों पर कृषि अभियन्ता को लगाने पर भी विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार विभाग द्वारा की जा रही उक्त विसंगति को रोकने हेतु कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1998 के भाग IV के अन्तर्गत विभाग द्वारा दिनांक 21-02-2004 को 170 कनिष्ठ अभियन्ताओं के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है। कार्मिक विभाग के दिशा निर्देश 25-8-1998 के भाग 2(ग) विधि विभाग की राय के अनुसार विभागीय नियुक्तियों पर लागू नहीं होता।

(2) जी नहीं। भूसंरक्षण विभाग का अभी पंचायती राज विभाग में विलय नहीं किया गया हैं। उक्त अभियन्ताओं को कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पदों पर समायोजित नहीं किया गया है।

(3) जी नहीं।

(4) विभाग द्वारा विभागीय नियमानुसार भर्ती की कार्यवाही की जा रही हैं।

फूटोलाव (जयपुर) ग्राम पंचायत की सिवायचक तालाब भूमि पर अतिक्रमण

638. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या ग्रामीण विकास एवं

(श्री रामकिशोर मीणा)

पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत फूटोलाव पंचायत समिति जमवारामगढ़ जिला जयपुर में गैर मुमकिन सिवाय चक तालाब भूमि है ? यदि हां, तो उक्त तालाब भूमि का खसरा नम्बर मय रकबा व बीघा विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त तालाब भूमि में काफी संख्या में बबूल इत्यादि के पेड थे ? यदि हां, तो कितनी संख्या में ? क्या यह भी सही है कि उक्त तालाब भूमि से उक्त पेड़ों की अवैध रूप से कटाई की जा रही है ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों द्वारा ?

(3) क्या सरकार उक्त भूमि से उक्त पेड़ों की अवैध कटाई एवं छागन करने वाले दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त तालाब भूमि से अवैध अतिक्रमण को हटाकर अतिक्रमियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या और कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार उक्त तालाब भूमि पर भविष्य में अतिक्रमण को रोकने हेतु तारबन्दी या मेड बन्दी करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि ग्राम पंचायत फुटोलाव के ग्राम फुटोलाव में गैर मुमकिन सिवाय चक तालाब भूमि हैं। उक्त भूमि का खसरा नम्बर 100 है जिसका रकबा 29 बीघा 02 बिस्वा है।

(2) जी हां। यह सही है कि उक्त खसरा नम्बर में बबूल के वृक्ष खडे हैं जिनकी संख्या करीबन 325 है। 19 वृक्ष तेज आंधी से गिर गये थे। गिरे गये वृक्षों को ग्राम वासियों द्वारा नीलाम कर दिया गया। यह सही नहीं है कि खडे हुये बबूल के वृक्षों को अवैध रूप से काटा गया है। गिरे हुये वृक्षों को 1.

रामगोपाल पुत्र मूलचन्द 2. रामबाबू पुत्र श्री नारायण 3. छीतर पुत्र अमरा 4. सीताराम पुत्र रामेश्वर मीणा, 5. प्रभुनारायण पुत्र भारती, 6. सियाराम पुत्र किशोर मीणा, 7. बनवारी पुत्र कल्याण, 8. नन्द किशोर, 9. रामबाबू पुत्र लादू, 10. राधेश्याम पुत्र रामानन्द, 11. सत्यनारायण पुत्र घासी व 12. किशोर पुत्र नैनू सभी हरियाणा ब्राह्मण द्वारा राशि रूपये 19000/- में खरीदे। एवं खड़े वृक्षों की लूम पातड़ी नीलामी 5000/- में की गई। जो अवैध एवं नियम विरूद्ध है।

(3) जी हां। अवैध रूप से नीलामी कर्त्ता एवं प्राप्त कर्त्ताओं के विरूद्ध, राजकीय भूमि में से सरकारी वृक्षों को ले जाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करवाने की कार्यवाही की जा रही है। पटवारी द्वारा समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने के कारण दोषी पटवारी के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय जांच करवाई जा रही है।

(4) जी हां। अतिक्रमियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(5) ग्राम पंचायत फुटोलाव, पंचायत समिति जमवारामगढ़ द्वारा उक्त कार्यवाही बेदखली तहसीलदार जमवारामगढ़ द्वारा होने के पश्चात् उक्त भूमि तालाब की तारबन्दी कराये जाने का प्रस्ताव लिया जा चुका है।

जीवद (सवाईमाधोपुर) ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच द्वारा कराये गये कार्यों के बकाया भुगतान पर देय ब्याज

639. श्री कान्ती प्रसाद मीणा (थानागाजी) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि फरवरी, 1995 से फरवरी, 2000 तक कार्यरत रहे पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत जीवद तहसील बामनवास के बकाया राशि 1,62,000/- रू. का भुगतान विभाग द्वारा वर्ष 2004 में किया गया है ? यदि हां, तो क्या अमानत राशि लेकर पूर्व सरपंच द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की बकाया राशि का अब भुगतान किए जाने के कारण उसका ब्याज सरकार द्वारा दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि पूर्व सरपंच के बकाया राशि के भुगतान के लिये सरपंच एवं अन्य अधिकारी जिम्मेदार थे ? यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों

के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पूर्व सरपंच की बकाया राशि में विलम्ब करने वाले सरपंच एवं अधिकारियों से भुगतान की गई राशि का ब्याज वसूल कर पूर्व सरपंच को दिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जी नहीं, अमानत राशि से कार्य करवाये जाने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं होने के कारण ब्याज देय नहीं है।

(2) जी हां। विकास अधिकारी, पंचायत समिति बामनवास के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

(3) जी नहीं।

ग्राम बूंटीवास (पाली) के मजदूरों का बकाया भुगतान

640. श्री सी.डी. देवल (रायपुर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2003 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत बंटीवास पंचायत समिति, रायपुर जिला पाली में पंवारों की ढाणी पर स्कूल का कार्य चलाया था ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य पर लगे सभी मजदूरों का भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उन मजदूरों को भुगतान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्य पर लगे मजदूरों को ग्राम पंचायत बूंटीवास ने कूपन संख्या 368781, 368782, 368783, 368780, 313053, 313054 जारी किए ? यदि हां, तो क्या उक्त कूपनों का भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो अब कब तक भुगतान कर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त कार्य पर लगे सभी मजदूरों का भुगतान कर दिया गया है।

(2) जी हा। उक्त सभी कूपनों का भुगतान कर दिया गया है।

परबतसर के बन्द/निरस्त अकाल राहत कार्य

641. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में अकाल के दौरान क्षेत्रीय विधायक एवं अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा वर्ष 2003-04 में कुल कितने अकाल राहत कार्यों के प्रस्ताव सरकार को भिजवाए गए ? सड़कों/तालाबों व अन्य कार्यों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्राप्त उक्त प्रस्तावों में से नाममात्र के ही कार्य स्वीकृत किए गए ? यदि हां, तो प्रस्तावित कार्यों की संख्या सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कुछ जनहित के कार्यों को जान बूझकर निरस्त किया गया ? यदि हां, तो कौन-कौन से कार्य किन-किन कारणों से निरस्त किए गए ?

(4) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के बन्द/निरस्त कार्यों को पुनः स्वीकृत एवं शेष रहे उक्त पूर्व प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति जारी कर अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वर्ष 2003-04 में विधान सभा क्षेत्र परबतसर में अकाल राहत के दौरान क्षेत्रीय विधायक एवं अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा जिला कलक्टर नागौर के नाम अकाल राहत के 194 प्रस्ताव भेजे गये थे जिनकी सूची परिशिष्ट-I पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। ऐसा नहीं है कि प्राप्त प्रस्तावों में से नाम मात्र के कार्य ही स्वीकृत किये हो। वर्ष 2003-04 में 141 कार्य मात्र 3 माह में स्वीकृत किये गये थे, जिनका विवरण परिशिष्ट-II पर उपलब्ध है।

(3) यह कहना सही नहीं है कि कुछ जनहित के कार्यों को जानबूझकर निरस्त किया गया हो। समस्त स्वीकृत कार्य चलाये गये थे। स्वीकृति दिनांक से कार्य बन्द होने तक कम अवधि के कारण सड़क कार्य अपूर्ण अवश्य रहे हैं।

(सहायता मंत्री)

(4) राहत कार्य लोगों को तुरन्त राहत देने हेतु चलाये जाते है। राहत कार्यों की अवधि समाप्त होने पर अपूर्ण रहे कार्यों को सम्बन्धित विभाग अपनी योजनाओं के अन्तर्गत पूरा कराते हैं, किन्तु कभी-कभी सम्बन्धित विभाग में भी बजट के अभाव में ऐसे कार्य पूरे नहीं कराये जाते हैं तो आगामी अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत प्राथमिकता से पूरा कराया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

बल्लभनगर के अग्नि पीडित किसानों को सहायता

642. श्री रणधीर सिंह भीण्डर (बल्लभनगर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बल्लभनगर के कितने किसानों को गत पांच वर्षों में बाड़े में संग्रहित चारा व अनाज व पशुधन जल जाने पर मुआवजा दिया गया ?

(2) जिन लोगों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया उनकी संख्या कितनी है व उन्हें क्यों वंचित रखा गया ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बल्लभनगर में गत 5 वर्षों में बाडे में आग लगने पर किसी भी किसान को सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है। क्योंकि बाड़े में आग लगने पर सहायता दिये जाने का नियमों में प्रावधान नहीं है। उक्त प्रकरणों में एक किसान को पशुधन हानि होने पर 4200 रूपये की मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है।

(2) गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बल्लभनगर में कुल 74 प्रकरणों में 84 व्यक्तियों के बाड़े में आग लगने के प्रकरण प्राप्त हुए थे। नियमो में प्रावधान नहीं होने के कारण किसी को भी सहायता नहीं दी गई है।

तिजारा की प्रदूषित औद्योगिक इकाइयां

643. **श्री एमादुद्दीन अहमद खान** (तिजारा) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल का गठन का उद्देश्य राज्य की औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण रोकने हेतु था ? यदि हां, तो अलवर जिले की तहसील तिजारा में स्थित औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी, खुशकेड़ा आदि में अब तक कब-कब क्या-क्या जांच की गई ? जांच रिपोर्ट व रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि स्थानीय जनता एवं जनप्रतिनिधि द्वारा कुछ क्षेत्र में प्रदूषण की शिकायत करने पर कुछ इकाइयों की जांच करने पर छः इकाइयों को अपने पत्र क्रमांक 732 दिनांक 17 जून, 2004 द्वारा दोषी पाया गया ? यदि हां, तो किस प्रकार व किस स्तर का डिफाल्ट पाया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) डिफाल्ट पर क्या कार्यवाही की गई ? डिफाल्ट के स्तर के अनुपात में की गई कार्यवाही को क्या सरकार प्रभावी मानती है ?

(4) शिकायत क्षेत्र के अतिरिक्त उक्त औद्योगिक क्षेत्र की सभी इकाइयों द्वारा प्रदूषण रहित होने बाबत क्या बोर्ड आश्वस्त है ? यदि नहीं, तो उन इकाईयों पर अब तक कार्यवाही न होने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल का गठन राज्य की औद्योगिक इकाइयों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए किया गया है। अलवर जिले की तहसील तिजारा में स्थित औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी, खुशखेड़ा आदि में स्थित उद्योगों की पिछले पांच वर्ष की अवधि में समय-समय पर जल प्रदूषण (निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत की गई नियमानुसार जांच, जांच के परिणाम एवं इनके आधार पर राज्य मण्डल द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण संलग्नक 'एक' पर है।

(वन एवं पर्यावरण मंत्री)

(2) जी हां। यह सही है कि स्थानीय जनता एवं जन-प्रतिनिधि द्वारा प्रदूषण की शिकायत करने पर राज्य मण्डल द्वारा कुछ औद्योगिक इकाइयों की जांच की गई थी। जांच के उपरान्त यह पाया गया कि उक्त क्षेत्र की 6 औद्योगिक इकाइयां जल प्रदूषण (निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अनुसार कार्यरत नहीं थी। प्रदूषण के प्रकार एवं स्तर के सम्बन्ध में विवरण संलग्नक 'दो' पर है।

(3) राज्य मण्डल द्वारा उक्त उद्योगों के विरूद्ध जल प्रदूषण (निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही की जाकर कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं।

(4) औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी, खुशखेड़ा, चौपानकी एवं तहसील तिजारा में राज्य मण्डल द्वारा चिन्हित लगभग समस्त उद्योगों के द्वारा प्रदूषण नियन्त्रण हेतु व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी से उत्पन्न उच्छिष्ठ के उपचार हेतु रीको द्वारा एक संयुक्त उपचार संयन्त्र स्थापित किया गया है, जो कि इसी वर्ष जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में चालू किया जा चुका है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

फुलेरा के साम्भर कस्बे में निगम आगार की स्थापना

644. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के नये आगार कार्यालय स्थापित किये जाने के क्या मानदण्ड हैं ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सांभर कस्बे में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का नया आगार कार्यालय स्थापित करने का विचार कार्यालय रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान परिवहन निगम के किसी स्थान पर नये आगार खोले जाने के लिए स्थान विशेष की आवश्यकता, उपलब्ध यात्रीभार, उपलब्ध वित्तीय संसाधन व बसों की उपलब्धता आदि ही मापदण्ड है जिनके आंकलन के लिए निगम द्वारा गठित समिति की अभिशंसा पर निर्णय लिया जाता है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सांभर कस्बे में राजस्थान परिवहन निगम के नये आगार खोले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं है।

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बस सेवाओं हेतु अनुमति

645. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत मार्गों पर जहां राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें चल रही हैं, पर निजी बसें चलाने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिसूचना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के साथ-साथ निजी बसों को परमिट जारी करने को उचित मानती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है कि सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत मार्गों पर जहां राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें चल रही हैं पर निजी बसें चलाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा सभी सम्भागीय मुख्यालयों, अलवर तथा भीलवाड़ा जिला मुख्यालयों के आस-पास विकसित उप -नगरीय कस्बों को यातायात के बेहतर साधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से ऐसे मार्गों पर निजी बसें भी चलाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 15-5-2004 को एक अधिसूचना जारी की गई है जिसकी प्रनि परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। उक्त अधिसूचना के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य पथ परिवहन

(यातायात मंत्री)

निगम एवं ऐसे अन्य व्यक्तियो जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है से आक्षेप/सुझाव अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिवस की अवधि मे मांगे गये थे। प्राप्त आक्षेप/सुझावों पर सुनवाई के पश्चात् अन्तिम निर्णय लिया जाना प्रक्रियाधीन है।

(2) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत् राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के साथ-साथ निजी बसों को परमिट जारी करने पर रोक नहीं है केवल उन योजना मार्गों पर जहां निजी बसों को योजना में अनुज्ञापत्र जारी नहीं करने का प्रावधान है पर निजी वाहनों को निगम के वाहनों के साथ अनुज्ञापत्र जारी नहीं किये जाते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 102 के तहत योजना मार्गों को संशोधित कर इन मार्गों पर निजी बसों को अनुज्ञापत्र जारी किये जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रश्न के खण्ड (1) में विवरण दिया गया है।

परिशिष्ट-"क"

सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJ BIL/2000/1717 J.P.C./3588/02/03-05 **RAJASTHAN GAZETTE** Extraordinary
	साधारण प्रकाशित	*Published by Authority*

वैशाख 25, शनिवार, शाके 1926-मई 15, 2004

Vaisakha 25, Saturday, Saka 1926-May 15, 2004

भाग 3 (ख)

सरकार द्वारा या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अपनी सहज शक्तियों के प्रयोग में, बनाये जाने को प्रस्तावित प्रारूप नियम, अनियम, उप-नियम और आज्ञायें।

परिवहन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 15, 2004

संख्या एफ.6(261)परि/टैक्स/एच.क्यू./2004:-राज्य सरकार ने मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 4) की धारा 68-घ की उप धारा (3) एवं मोटर यान अधिनियम,, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 100 की उप धारा (3) के अधीन समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये गये मार्गों पर सड़क परिवहन की सेवा की व्यवस्था करने हेतु स्कीमों का प्रकाशन किया था।

और यतः राज्य सरकार यातायात के साधनों की मांग की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए, लोक हित में यह आवश्यक समझती है कि निजी वाहन स्वामियों को उक्त स्कीमों के मार्गों पर उनके वाहन किराये या पारिश्रमिक के लिए चलाने हेतु अनुज्ञात किया जाये।

अतएव, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा उक्त सभी स्कीमों को नीचे दी गई अनुसूची में दर्शाई गई रीति से उपांतरित करना

चाहती है तथा उक्त धारा की अपेक्षानुसार प्रस्तावित प्रारूप को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं ऐसे अन्य व्यक्तियों, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित उपान्तरण के प्रारूप पर इसके राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जावेगा। प्रस्तावित स्कीम के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप अथवा सुझाव जो प्रस्तावित प्रारूप के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन के 30 दिवस की अवधि के अन्दर प्राप्त होंगे उन पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। ऐसे सुझाव एवं आपत्तियां परिवहन आयुक्त एवं पदेन शासन सचिव परिवहन विभाग, परिवहन भवन सहकार मार्ग जयपुर को प्रेषित की जा सकेगी। जिन व्यक्तियों के सुझाव एवं आपत्तियां ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर प्राप्त होंगी उनकी सुनवाई परिवहन आयुक्त एवं पदेन शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर द्वारा परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर स्थित कक्ष में दिनांक 17-6-2004 को 11.00 बजे की जावेगी।

अतः मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 102 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा उक्त सभी स्कीमों में निम्नलिखित उपान्तरण प्रस्तावित करती है, अर्थात्:-

प्रस्तावित उपान्तरण

उक्त सभी स्कीमों के अन्त में अधिसूचना संख्या प.11 (1) परि/2003 दिनांक 11-8-2003 द्वारा जोड़े गये खण्ड को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

"इन स्कीमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी निजी वाहन स्वामियों के वाहन किराये या पारिश्रमिक के लिए चलाने की अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए की जा सकेगी, अर्थात्:-

(1) राज्य के जिन शहरों में नगर विकास न्यास गठित है उनमें नगर पालिका सीमा के अतिरिक्त नगर विकास न्यास के क्षेत्रों में निजी वाहन स्वामियों को संविदा वाहनों के अनुज्ञापत्र दिये जा सकेंगे।

(2) राज्य के जिन शहरों में नगर विकास न्यास गठित है उनमें

नगर पालिका सीमा के अतिरिक्त नगर विकास न्यास के क्षेत्रों एवं सभी सम्भागीय मुख्यालयों, अलवर तथा भीलवाड़ा जिले के उप-नगरीय मार्गों (Sub-Urban Routes) पर मंजिली वाहनों को अनुज्ञापत्र दिये जा सकेंगे परन्तु उक्त उप-नगरीय मार्गों (Sub-Urban Routes) पर जारी अनुज्ञापत्र को अन्य मार्ग के अनुज्ञापत्र के साथ सम्मिलित कर लिंक परमिट जारी नहीं किया जा सकेगा।

(3) स्कीम के मार्गों पर मैक्सी कैब वाहनों को संविदा वाहन के अनुज्ञापत्र दिये जा सकेंगे।

(4) स्टेज कैरिज वाहनों के सम्बन्ध में अन्य राज्यों से किये गये वर्तमान करारों अथवा भविष्य में किये जाने वाले करारों के अधीन राज्य परिवहन उपकर्मो के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति को स्कीम में वर्णित मार्गों पर यात्री परिवहन सेवाऐं (उप नगरीय मार्गों पर संचालित स्टेज कैरिज वाहनों को छोड़कर शेष समस्त स्टेज कैरिज वाहन एवं मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 74 के तहत् मोटर कैब एवं मैक्सी कैब को छोड़कर शेष समस्त संविदा वाहन) उपलब्ध कराने की आज्ञा नहीं दी जावेगी किन्तु सम्बन्धित मार्गों में यदि नगरपालिका/नगर विकास न्यास/नगर निगम का क्षेत्र है तो इस क्षेत्र में पड़ने वाले मार्ग के भाग के अतिरिक्त उक्त योजना मार्गों अथवा उसके किसी भाग पर होकर ओवर लैपिंग की स्वीकृति दे सकेंगे बशर्ते उनके लिए कोई दीगर मार्ग उपलब्ध न हो और कुल ओवर लैपिंग 25 कि.मी. अथवा राष्ट्रीयकृत मार्ग के तीसरे भाग जो भी कम हो तक दी जा सकेगी इसके अतिरिक्त कोई परमिट धारी ऐसे ओवर लैपिंग मार्ग पर न तो कोई सवारियां उठायेगा और न छोड़ेगा।"

राज्यपाल के आदेश से,

जी.एल. गुप्ता,
उप शासन सचिव।

नैनवां के अपूर्ण सूर्या (सूरसागर) तालाब हेतु आबंटित राशि

646. **श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)** : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नैनवां शहर जिला बून्दी एवं इसके समीप के क्षेत्र में भूमिगत जल की सतह में तेजी से आ रही गिरावट के कारण उत्पन्न पेयजल समस्या तथा भूमिगत जल सतह की बढ़ोतरी के लिए अपूर्ण सूर्या (सूरसागर) तालाब के शीघ्र निर्माण हेतु जिला कलक्टर बून्दी द्वारा पत्र क्रमांक ग्रा.वि.वि./2004/1648 दिनांक 17/20 मई, 2004 को बून्दी जिले के लिए प्रभारी सचिव को पत्र लिखा गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(2) विभिन्न योजनाओं के तहत उक्त एनीकट निर्माण में अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त एनीकट का निर्माण कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा प्रभारी सचिव को अपूर्ण सूर्या एनीकट कार्य जो कि एसजीएसवाई योजना की प्रस्तावित विशेष परियोजना में सम्मिलित था, को अपने स्तर से प्रयास कर स्वीकृत कराने का अनुरोध किया गया था। एनीकट की विशेष परियोजना जिला परिषद, बून्दी के पत्र दिनांक 10-2-2004 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग को प्रेषित की गयी थी, परन्तु परियोजना में भारत सरकार के निर्देशानुसार एनीकट के अतिरिक्त अन्य अभिनव गतिविधियां सम्मिलित करने हेतु परियोजना का पुनः सृजन करने का निर्देश ग्रामीण विकास विभाग के पत्र दिनांक 27-2-2004 द्वारा दिया गया है। जिला परिषद, बून्दी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, बून्दी को संशोधित परियोजना निर्देशानुसार प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 15-3-2004, 31-5-2004 एवं 9-7-2004 को लिखा गया, परन्तु संशोधित परियोजना अभी तक प्राप्त नहीं हुई, जिसमें सूर्या एनीकट सम्मिलित हो।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

(2) उक्त एनीकट निर्माण में अब तक विभिन्न योजनाओं में वर्ष 1988 में अकाल राहत के तहत 23,992 रूपये, वर्ष 1990-91 में जवाहर रोजगार योजना (अकाल राहत) मं 1,20,682 रूपये तथा वर्ष 1991-92 में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत 1,79,306 रूपये इस प्रकार कुल 3,23,980 रूपये व्यय किये गये।

(3) जिला परिषद्, बून्दी से संशोधित परियोजना स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना विशेष परियोजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप प्राप्त होने तथा परियोजना की स्वीकृति की दशा में ही एनीकट का निर्माण कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मद्रासी बाबा की बगीची (जयपुर) का ध्वस्त भवन

647. **श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय मद्रासी बाबा की बगीची वार्ड नं. 54 जयपुर शहर में भवन निर्माण के लिये विधायक कोटे से राशि स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्य हेतु ग्रामीण विकास अभिकरण जिला जयपुर द्वारा आवश्यक वित्तीय स्वीकृति जारी कर सार्वजनिक निर्माण विभाग को कार्यकारी संस्था बनाया गया था एवं उसका कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया था ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में पूर्व से ही कमरे बने हुये थे तथा वहां कई वर्षों से विद्यालय कार्यरत था ?

(4) क्या यह भी सही है कि काफी ऊंचाई तक निर्माण होने के बाद सम्बन्धित विभाग को बिना सूचना दिये वन विभाग ने निर्माण को तोड़ दिया ? यदि हां, तो इससे सरकार को कितना नुकसान हुआ ? सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 10-6-2003 को स्वीकृति जारी की गई।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां। राशि रूपये 0.42 लाख का राज्य सरकार को नुकसान हुआ है। इस सम्बन्ध में कार्यकारी संस्था- सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-III, जयपुर को तथा भवन तोड़ने वाले विभाग- उपवन संरक्षक, जयपुर सैन्ट्रल, जयपुर को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु टिप्पणी प्राप्त होने पर तदनानुसार इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

बामनवास में विधायक कोष से वर्ष 1996-97 में विद्यालय निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

648. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1996-97 में विधायक बामनवास द्वारा विधायक कोष में विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ग्राम भवरकी व मीणा ठीकरी में सामुदायिक भवन एवं ग्राम सांमोली (चांदा की झोपड़ी) में विद्यालय में कमरा निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) ग्राम भंवरकी व ग्राम मीणा ठीकरी में वर्ष 1996-97 में विधायक कोष से आबंटित राशि में कितनी राशि खर्च की गयी तथा कितनी शेष रही एवं क्या सामुदायिक भवन अपूर्ण है ? यदि हां, तो कितना एवं क्या अधूरे कार्य को पूर्ण कराने हेतु दुबारा तकमीना बनवाया गया था ? यदि हां, तो कब व कितना तथा अब कब तक सामुदायिक भवन को सरकार पूर्ण कराने का विचार रखती है ?

(3) उक्त क्षेत्र के ग्राम सांमोली (चांदा की झोपड़ी) के प्राथमिक विद्यालय में 1996-97 में विधायक कोष से नवीन कमरे के निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत हुई एवं कितना काय हुआ ? कार्य अपूर्ण है तो क्यों तथा अब तक तक उक्त कार्य पूर्ण करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) विधायक बामनबास द्वारा निर्बन्ध राशि योजना के तहत ग्राम भंवरकी में सामुदायिक भवन हेतु 1.198 लाख रूपये व मीणा टीकरी में 1.26 लाख रूपये एवं ग्राम पंचायत सांचौली के चक उदयरामपुरा (चांदा की झोपड़ी) में विद्यालय कमरा निर्माण हेतु 0.74 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गयी थी।

(2) ग्राम भंवरकी व ग्राम मीणा ठीकरी में वर्ष 1996-97 में निर्बन्ध राशि योजना के तहत स्वीकृत उक्त कार्यों हेतु आबंटित राशि में से 1.704 लाख रूपये की राशि खर्च की गयी है तथा 0.754 लाख रूपये की राशि शेष रही। दोनों काम अपूर्ण हैं। सामुदायिक भवन भंवरकी एवं मीणा ठीकरी को पूर्ण कराने हेतु पुनः तकमीना क्रमशः 0.53 लाख रूपये एवं 1.37 लाख रूपये के दिनांक 12-7-2004 को बनाये गये हैं। इन कार्यों को इस वर्ष पूर्ण करा लिया जावेगा।

(3) उक्त क्षेत्र में ग्राम पंचायत सांचौली के चक उदयरामपुरा (चांदा की झोपड़ी) हेतु निर्बन्ध राशि योजना के तहत नवीन कमरे के निर्माण हेतु 0.74 लाख रूपये की राशि स्वीकृत हुई। पंचायत द्वारा कार्य छत लेवल तक करवा लिया था एवं ग्राम पंचायत भंग हो जाने के कारण तत्कालीन सरपंच द्वारा कार्य अपूर्ण छोड दिया गया था। इस कार्य को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करा लिया जावेगा।

"मिड-डे मील" कार्यक्रम में सुधार हेतु योजना

649. श्री जीतराम (मालपुरा) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा "मिड-डे मील" योजना के कार्यक्रम की समीक्षा की गई है ? यदि हां, तो क्या इसके कार्यान्वयन में कोई त्रुटि पाई गई ? यदि हां, तो इसमें सुधार हेतु क्या योजना बनाई जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां।

नावां में विधायक कोष में स्वीकृत अनुपयोगी राशि की वसूली

650. **श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां)** · क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 1998 से 2003 तक विधान सभा क्षेत्र नावां के लिये कुल कितनी राशि विधायक विकास कोष से उपलब्ध हुई तथा इस राशि पर कितना ब्याज प्राप्त हुआ ? इस प्रकार कुल कितनी राशि विधायक कोटे की बनी ? उसका खर्च किस-किस वर्ष में किन-किन कार्यों पर कितना-कितना किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्णित विधायक विकास कोष की राशि जिन-जिन विभागों को खर्च करने के लिये आबंटित की गई उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्पूर्ण विभागों से प्राप्त हो गया ? यदि नहीं, तो कितनी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ऐसी स्थिति में राशि वापस वसूलने के लिये जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नागौर ने क्या-क्या प्रयत्न किये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा नगर पालिका व ग्राम पंचायत में कौन-कौन से स्वीकृत कार्य अभी तक चालू नहीं किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1999 से 2003 तक विधान सभा क्षेत्र नावां के लिए 245.00 लाख रूपये की राशि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में उपलब्ध हुई। उक्त राशि जिला कोषागार में ब्याज रहित निजी निक्षेप खाते में रहने से राशि पर ब्याज प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार विधायक कोटे की कुल राशि 245.00 लाख रूपये ही रही। विधायक कोटे की राशि का वर्ष 1999 से 2003 तक वर्षवार एवं कार्यवार व्यय का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। जिला परिषद-नागौर से प्राप्त सूचना के अनुसार स्वीकृत कार्यों के विरूद्ध 8.26 लाख रूपये के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं

हुये हैं। ग्रामीण कार्य-निर्देशिका के अनुसार स्वीकृत कार्य हेतु प्रथम किश्त में दी गयी राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर द्वितीय किश्त एवं कार्य पूर्ण होने पर अन्तिम किश्त जारी की जाती है। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने का यह एक प्रक्रिया है। स्वीकृत राशि की सीमा से अधिक राशि नहीं देने के कारण जिला परिषद से राशि वसूल करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा नगर पालिका व ग्राम पंचायतों के वर्ष 1999-2000 से 2002-03 में स्वीकृत कोई भी कार्य चालू होने से शेष नहीं है। सभी कार्य पूर्ण/चालू हैं। वर्ष 2003-04 में स्वीकृत 17 कार्य चालू नहीं हो पाये हैं। जिनमें से 2 ग्राम पंचायतों के व 15 कार्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से स्वीकृत हैं। परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 14 जुलाई, 2004)

पंचायत समितियों में अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पद

124. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य की विभिन्न पंचायत समितियों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पद के विरूद्ध कितने पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य की विभिन्न पंचायत समितियों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कुल स्वीकृत पद 15671, कार्यरत पद 14062 एवं रिक्त पद 1609 हैं। अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त रिक्त पदों को नियमानुसार भरने की कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट-क

क्र. सं.	पद नाम अधिकारी/कर्मचारी	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1.	विकास अधिकारी	237	180	57
2.	कृषि प्रसार अधिकारी	25	02	23
3.	सहकारिता प्रसार अधिकारी	236	04	232
4.	पंचायत प्रसार अधिकारी	235	97	138
5.	प्रगति प्रसार अधिकारी	236	124	112
6.	कनिष्ठ लेखाकार	469	372	97
7.	कनिष्ठ अभियन्ता	474	432	42
8.	वरिष्ठ लिपिक	428	249	179
9.	कनिष्ठ लिपिक	434	344	90
10.	ग्राम सेवक	9189	8856	333
11.	वाहन चालक	202	166	36
12.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	688	672	16
13.	फीटर	170	65	105
14.	हैण्डपम्प मिस्त्री	2648	2499	149
	योग	**15671**	**14062**	**1609**

(दिनांक 16 जुलाई, 2004)

अजमेर जिले के सरपंचों में बकाया

208. डा. **श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत पांच वर्षों में अजमेर जिले में अकाल राहत कार्यों का विशेष अंकेक्षण किन-किन ग्राम पंचायतों का किया गया ?

(2) अजमेर जिले में विशेष अंकेक्षण के द्वारा किन-किन सरपंचों के विरूद्ध वसूली तय की गई ? वसूली की राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त सरपंचों ने यह राशि पंचायत/पंचायत समिति कोष में जमा करा दी है ? यदि नहीं, तो विकास अधिकारी द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या सरकार इन दोषी सरपंचों को पंचायती राज एक्ट के संशोधनों के अनुरूप पंचायती राज सदस्यता के अपात्र घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) प्रदेश में ग्राम पंचायतों के गठन के बाद से ही अजमेर जिले की किन-किन ग्राम पंचायतों में आडिट आक्षेप की राशि बकाया है ? सरपंचों के नाम व राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) सरपंचों से यह राशि अब तक नहीं वसूलने के क्या कारण रहे ? क्या सरकार द्वारा इनके विरूद्ध पी.डी. एक्ट में कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में अजमेर जिले में अकाल राहत कार्यों का विशेष अंकेक्षण किसी भी ग्राम पंचायत का नहीं किया गया है।

(2) सूचना शून्य है।

(3) सूचना शून्य समझी जावे।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

(4) कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(5) सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-1

(6) चूंकि यह राशि काफी समय से बकाया है इनमें कई सरपंचों की तो मृत्यु हो चुकी है तथा कईयों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज है एवं वसूली कार्यवाही की जा रही है (सूची संलग्न परिशिष्ट-1)। प्रकरणों में पी.डी.आर. एक्ट में कार्यवाही करने हेतु निर्देश जिला परिषद द्वारा दे दिये गये हैं।

परिशिष्ट-"1"

क्र. स.	नाम पंचायत समिति	नाम ग्राम पंचायत	सरपंच का नाम	बकाया राशि	वि.वि.
1.	मसूदा	जालिया II	श्री रमेश चन्द मालवीय	25866.00	एफ आई आर न.75/2000
		नन्दवाडा,	स्व. श्री गंभीरा भील	50700.00	मृत्यु
		बरल II	श्री मदनलाल जोशी	7210.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		मसूदा	पूर्व सरपंच	1106.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		झाक	स्व. श्री ताजू काठात	16642.00	मृत्यु
		कानाखेडा	श्री मोहनसिंह	8166.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		दौलतपुरा II	श्रीमती सरस्वती देवी	20250.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		बेगलियावास	श्रीमती मेथी देवी	21660.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		खरवा	श्री रतनलाल दायमा	57063.00	एफ आई आर न. 403/02
2.	केकडी	सरसडी	श्री चांद मल लोढा	1096.00	मृत्यु हो चुकी है
		कादेडा	पूर्व सरपंच	160.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		घून्धरी	श्री जगदीश टेलर	140.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		भराई	श्री रामेश्वरप्रसाद	610.00	वसुली हेतु प्रयास जारी

1	2	3	4	5	6
2.	केकडी	मेहरूकला	श्री सत्यनारायण	2000.00	मृत्यु हो चुकी है
		कालेडा	श्री अंबालाल मीणा	1070.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		सावर	श्री सुवालाल	15.90	वसुली हेतु प्रयास जारी
		सावर	श्री लादूराम	516.00	मृत्यु हो चुकी है
		गिरवरपुरा	श्री शिवजीराम	3499.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		मोलकिया	श्री नरेन्द्र राठोड	14597.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		मोलकिया	श्री नटवरलाल	5715.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		पीपलाज	श्री गुमानसिंह	1300.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		सलारी	श्री मोतीलाल	1763.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
3.	भिनाय	टाटोटी	श्री ओमप्रकाश डूगरवास	171364.00	एफ आई आर न.37/95, 54/98
		चांपानेरी	श्रीमती बादाम देवी	115251.14	वसुली हेतु प्रयास जारी
		लामगरा	श्री महादेव जाट	259701.00	एफ आई आर न. 60/98
		सराना	श्रीमती भील	287150.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		रामालिया	श्री गणेश चौधरी	146330.00	एफ आई आर न. 54/98
		नागोला	श्री धनराज कोठारी	294131.00	लापता एफ आई आर दर्ज

1	2	3	4	5	6
3.	भिनाय	बडगांव	श्री रामरतन	7880.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		बडली	स्व. श्री सोहनलाल	544.22	मृत्यु हो चुकी है।
		बडली	स्व. श्री नन्दराम	525.00	मृत्यु हो चुकी है।
		बादनवाडा	श्री सुरेन्द्रसिंह	4014.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		बरोल	स्व. श्री भंवरलाल	2492.00	मृत्यु हो चुकी है।
		भिनाय	श्रीमती प्रेम देवी	120.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		डबरेला	स्व. श्री लालाराम	618.00	मृत्यु हो चुकी है।
		गोयला	श्री रामाभाबी	7017.00	एफ आई आर न. 37/95
		केरोट	श्री कन्हैयालाल पारीक	780.00	मृत्यु हो चुकी है।
		लामगरा	स्व. श्री पन्नालाल	1463.00	मृत्यु हो चुकी है।
		लामगरा	श्री विजयसिंह	3582.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		नादसी	श्री रतनलाल जैन	28.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		नादसी	श्री राजाराम	162.00	लापता
		पाडलिया	श्रीमती रामकंवर	2911.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		शेरगढ	श्रीमती केसर देवी	211.00	एफ आई आर दर्ज

1	2	3	4	5	6
4.	जवाजा	ब्यावरखास	श्री कल्याणसिंह	7948.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		ब्यावरखास	श्रीमती सायरी देवी	18397.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		सरमालिया	स्व. श्री पांचू गुर्जर	82.00	मृत्यु
		सरमालिया	स्व. श्री शंकरसिंह	1913.00	मृत्यु
		सरमालिया	स्व. श्री मोती चीता	7636.00	मृत्यु
		सरमालिया	श्री मदनसिंद	38798.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		सरमालिया	श्रीमती भंवरी देवी	88524.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		सरमालिया	श्री किशन बावरी	15282.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		जालिया प्रथम	श्री निजाम काठात	74732.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		जालिया प्रथम	श्री अर्जुनराम	3907.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		दुर्गावास	श्री विजयसिंह	324057.00	एफ आई आर दर्ज
		दुर्गावास	श्री पानी देवी	335.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		राजियावास	स्व. श्री सोभागसिंह	7075.00	मृत्यु
		राजियावास	श्री प्रेमसिंह	580.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		सरवीना	स्व. श्री बिरदासिंह	4026.00	मृत्यु
		सरवीना	श्री नरोत्तमसिंह	161.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		नाईकला	श्री लक्ष्मणसिंह	2307.00	वसुली हेतु प्रयास जारी

1	2	3	4	5	6
4.	जवाजा	नाईकला	श्रीमती भगवती देवी	17500.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		लोटियाना	श्री अर्जुनसिंह	302.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		लोटियाना	श्रीमती ककू कंवर	103369.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		जवाजा	श्री भंवरसिंह	18403.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		बडकोचरा	श्री कंकू देवी	2432.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		रावतमाल	श्री छगनसिंह	286602.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		तारागढ़	श्री कूपसिंह	4865.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		तारागढ़	श्री नेनूसिंह	4527.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		बडाखेडा	श्री केसरसिंह	595.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		बडाखेडा	श्री मोठसिंह	68545.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		बराखन	श्री जालमसिंह	1.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		बराखन	श्री भीकमचन्द	1332.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		बराखन	श्रीमती डाली देवी	8037.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		आसन	श्री नरबदा देवी	1120954.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		आसन	श्री रूपसिंह	13205.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		आसन	श्री घीसासिंह	29965.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		देवाता	श्री शेरसिंह	10280.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		देवात	श्री लाडूसिंह	1320.00	वसुली हेतु प्रयास जारी

1	2	3	4	5	6
4.	जवाजा	देवाता	श्रीमती यशोदा देवी	17013.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		देवाता	श्री अनोपसिंह	90570.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		बंजारी	श्री केसरसिंह	16000.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		बंजारी	श्रीमती जमनी देवी	9608.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		नून्द्रीमेंद्रातान	श्रीमती रेशमी देवी	1283.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		काबरा	स्व. श्री भीमसिंह	121.00	मृत्यु
		काबरा	श्रीमती मीनाक्षी देवी	31620.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		काबरा	श्री भंवरसिंह	11.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		किशनपुरा	श्री हेमसिंह	764622.00	एफ आई आर दर्ज
		किशनपुरा	श्री बदामी देवी	198.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		बामनहेडा	श्री जमना देवी	89324.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		बामनहेडा	श्री जोतसिंह	3231.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		गोहाना	श्री जेठूसिंह	8634.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		गोहाना	श्री किशनसिंह	1852.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		नरबदखेडा	श्रीमती चंद्रा देवी	2824.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		नरबदखेडा	श्री रामपालसिंह	570.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		देलवाडा	श्री महबूब	46390.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		देलवाडा	श्रीमती सविता देवी	66746.00	वसुली हेतु प्रयास जारी

1	2	3	4	5	6
4.	जवाजा	देलवाडा	श्री हरी	64703.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		देलवाडा	श्रीमती शांति देवी	34974.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		टाटगढ	श्री हमीरसिंह	50.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		टाटगढ	श्री प्रतापसिंह	4498.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		टाटगढ	श्री नेमीचंद जैन	2433.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		टाटगढ	श्री तेजसिंह	5699.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		अतीतमण्ड	श्रीमती बदामी देवी	3400.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		अतीतमण्ड	श्री प्रतापसिंह	3126.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		मालपुरा	श्री इंदू कठात	118.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		मालपुरा	श्री कंवरलाल	13526.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		सूरजपुरा	श्री लक्ष्मणसिंह	3286.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		मालातो की बेर	श्री सरदारसिंह	2301.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		मालातो की बेर	श्रीमती कंकू देवी	6007.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		बलाड	श्री पूनमसिंह	29224.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		बलाड	श्री बृजलाल लोधा	1-330.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		बलाड	श्री झमकू देवी	75939.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		कोटडा	श्री सुगनसिंह	4896.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		[illegible]	श्री बन्नी देवी	10824.00	वसुली हेतु प्रयास जारी

1	2	3	4	5	6
4.	जवाजा	नून्द्रीमालदेवी	श्री भगवानसिंह	4783.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		सुहावा	श्री धन्ना	37460.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		सुहावा	श्री खीमसिंह	2128.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		सुहावा	श्रीमती आमना देवी	1829.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		रूपनगर	श्री कालू खां	825.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		रूपनगर	श्री सम्मा	111161.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		रूपनगर	श्री सायरी देवी	3397.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
5.	अराई	बोराडा	स्व. श्री गोपीदास वैष्णव	3150.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		बोराडा	श्रीमती कमला देवी	172.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		बोराडा	श्रीमती कमला देवी	180264.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		बोराडा	श्रीधर	4852.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		हिंगोनिया	श्री रामरतन	273.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		भगवानपुरा	स्व. श्री मेवाराम	748.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		फतहगढ	श्री श्यामलाल धाबाई	8892.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		फतहगढ	श्रीमती सीता देवी	216053.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		फ़तहगढ	श्री श्यामलाल	749.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		कटसुरा	श्री हरकरण चौधरी	5160.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		ढसूक	श्री श्रवणलाल खटीक	169338.00	पीडीआर में प्रेषित है।

1	2	3	4	5	6
5.	अराई	सापला	श्री मूलसिंह	4731.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		दादिया	श्री मूलचंद झांजरी	1007.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		छोटा लांबा	श्री छोटूलाल	1327.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		भोगादीत	श्री ग्यारसी देवी	64731.00	पीडीआर में प्रेषित है।
		गोठियाना	स्व. श्री नाथूराम पापडिया	11377.00	मृत्यु हो चुकी है।
			श्री कल्याण मल	40358.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री सुखी देवी	214167.00	पीडीआर में प्रेषित है।
		झीरोता	श्री अशोक जैन	2998.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		अजगरा	श्री रामप्रसाद	93741.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
6.	किशनगढ	हरमाडा	श्री उगमचंद जाट	6871.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री प्यारेलाल टाक	131618.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		त्योद	श्रीमती भंवरी देवी	5965.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री अमरसिंह	754.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		सुरसुरा	श्री सीताराम प्रजापति	4350.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री कुशीदा बेगम	400.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		करकडी	श्रीमती मेना देवी	2234.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		अमरपुरा	श्री हनुमतसिंह	540.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		पाटन	श्री पुष्पाराम बेरवा	2562.00	वसुली हेतु प्रयास जारी

1	2	3	4	5	6
6.	किशनगढ	कुचील	श्रीमती पानी देवी	560.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		काढा	श्री तेजाराम	25000.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री रतनलाल	3980.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		जाजोता	श्री कन्हैयालाल शर्मा	3610.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		सिनोदिया	श्री घीसूसिंह	267.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		पनेर	श्री प्रतापराम	587.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		भदूण	श्रीमती ममता शर्मा	607.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		नोसल	श्रीमती गीता देवी गूर्जर	2520.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		रूपनगढ	श्री मोहनलाल कुमावत	4519.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		बूहारू	श्री सुभाष मोर्य	8662.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		थल	श्री रूपाराम बावरी	646.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		खातोली	श्री मोतीराम	12336.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		नंवा	श्री रामनाथ चौधरी	343.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		डीडवाडा	श्री बिशनसिंह नरूका	8303.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		सरगांव	श्री छीतरमल शर्मा	565.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
7.	श्रीनगर	रामनेर ढाणी	श्री बलवीरसिंह	300.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री मनाफूल दायमा	287.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री जोरावरसिंह	1117.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री भागीरथ	2203.00	वसुली हेतु प्रयास जारी

1	2	3	4	5	6
7.	श्रीनगर		श्री उगमाराम चौधरी	1483.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		कानाखेडी	श्री रूपा देवी	12155.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री रज्जाक बेडा	700.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		रसुलपुरा	श्री छग्गी देवी	1041.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		लवेरा	श्री महावीरसिंह	5532.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री मूलाराम चौधरी	7338.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		तिलाना	श्री चांदी देवी	139.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री तेजमल खारोल-	43.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		रामसर	श्री किशनगोपाल टेलर	1310.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		अरडका	श्री श्र रघुवीरसिंह	1218.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		दाता	श्रीमती पुरी देवी	2524.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री सूरजकरण	2400.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		तिहारी	श्री रामदेई	4577.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री सुखपाल	26716.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		कानपुरा	श्री भगवान	1345.00	वसुली हेतु प्रयास जारी

1	2	3	4	5	6
7.	श्रीनगर	कानपुरा	श्रीमती कविता	49365.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्रीमती सोनी देवी	497.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री रामपाल	485.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		अजयसर	श्री बिस्मील्ला	4163.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		उटडा	श्री मो. अयूब	4882.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री मेहराज	15963.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		ढाल	श्री रामपाल	5944.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		बडल्या	श्री पाबूसिंह	1716.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			हीरी	129.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		बीर	श्री लक्ष्मीनारायण	42355.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री बिसरामी	38005.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		लोहरवाडा	श्रीमती लाली देवी	9484.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री सुवालाल	116.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		चाचियावास	श्रीमती मनभर देवी	2614.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री विमल सोमानी	12387.00	वसुली हेतु प्रयास जारी

1	2	3	4	5	6
7.	[illegible]नगर	गेगल	श्री श्योजीराम चौधरी	8378.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री अब्दुल नारी	45000.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		मावशिया	श्री हरचंद्र गूर्जर	90128.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		[illegible]नगर	श्री रामदेव यादव	52091.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री मदनलाल	103050.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		[illegible]डियावास	श्रीमती छोटी देवी रावत	315.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री [illegible]रमसिंह	2063.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		नारेली	श्रीमती चूकी देवी	31.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री अनिल कुमार	128.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		नरवर	श्री रामेश्वरलाल	882.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री आनंदीलाल	31211.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		दिलवाडा	श्री जगदीश प्रसाद	15333.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		घूघरा	श्री लालराम गूर्जर	31.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		साम्प्रोदा	श्री चेदूलाल भाबी	571.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		बू[illegible]नी	श्री राजेन्द्र कुमावत	20999.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री रतनसिंह	14.00	वसुली हेतु प्रयास जारी

1	2	3	4	5	6
7.	श्रीनगर	सेंदरिया	श्री घनश्याम जांगिड	5029.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्रीमती गीतादेवी	616.65	वसुली हेतु प्रयास जारी
		सनोद	श्री श्योकरण चौधरी	38424.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		कायमपुरा	श्रीमती कमला	12318.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री मजीद खां	2121.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		बबाईचा	श्री मोगी देवी	5876.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		पालरा	जूलियास क्लेमेट	11672.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			दल्ली देवी	1032.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		माकडवाली	श्रीमती सुशीला गर्ग	28278.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री गोपाल गूर्जर	302.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		गगवाना	श्री अहसानुल्लाह खां	96415.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			सीमा खान	1405.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		हाथीखेडा	श्री शेतानसिंह	27.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		फारकिया	श्री मंगलसिंह रावत	31491.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री सत्यानारायण जांगिड	45.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		भूडोल	श्री खेताराम भाबी	22388.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री रामचंद्र गूर्जर	8098.00	वसुली हेतु प्रयास जारी

1	2	3	4	5	6
8.	पीसागन	पीसागन		3293.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री सुरेश आबड	21697.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्रीमती परमा देवी	72366.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		गोविंदगढ	श्री सुरेश कुमार तातेड	92264.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्रीमती ओकारकंवर	30790.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		नाद	श्री हनुमानसिंह	816.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्रीमती रामेश्वरी देवी	559.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री नाहरसिंह	7554.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		भगवानपुरा	श्री नाथूलाल मेघवंशी	10781.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री बोदेसिंह रावत	1359.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री बोदूसिंह रावत	48004.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		गनाहेडा	पूर्व सरपंच	10122.00	मृत्यु
			श्रीमती मेथी देवी रावत	7555.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री प्रेमसिंह चोहान	40260.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		कडैल	श्रीमती रामप्यारी	15151.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री घनश्यामसिंह	88663.00	वसुली हेतु प्रयास जारी

1	2	3	4	5	6
8.	पीसागन	तिलोरा	श्री रामसिंह रावत	7670.00	मृत्यु
			श्री समन्द्रसिंह रावत	72731.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री गोपीसिंह रावत	42955.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		देवनगर	श्री मिठूसिंह रावत	30740.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		खोरी	श्री भंवरसिंह रावत	50661.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		पगारा	श्री शिवलाल गूर्जर	35014.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री रामदेव गूर्जर	17326.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		पिचोलिया	पूर्व सरपंच	2250.00	मृत्यु
			श्री जगदीश प्रसाद	9473.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री बालूराम	16930.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री जगदीश प्रसाद	28378.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री बालूराम भाबी	13674.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		रामपुराडाबला	श्री नूरा लोहार	427.00	मृत्यु
			श्रीमती सीता देवी	6491.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री पन्नालाल पडोदा	118593.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		कालेसरा	श्रीमती विमला सेल	56457.00	वसुली हेतु प्रयास जारी

1	2	3	4	5	6
8.	पीसागन		श्री सुवालाल	37597.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		बुधवाडा	श्रीमती मंजू कंवर	40024.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		दांतडा	श्री मानसिंह रावत	9538.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्रीमती शकुंतला ठाडा	55498.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		भांवता	श्रीमती भंवर कंवर	2990.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री मेवाराम गूर्जर	46086.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		डोडियाना	श्री श्रवण पटेल	13550.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री किशन गूर्जर	18577.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		सराधना	श्री पन्नालाल	44931.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री प्रहलाद प्रजापत	91190.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		केसरपुरा	श्री छीतरसिंह	4191.00	मृत्यु
			श्रीमती झूमी देवी	33983.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री मदनसिंह रावत	12859.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		मायापुर	श्री लक्ष्मणसिंह रावत	28034.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्रीमती भंवरी देवी	3704.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		राजगढ़	श्रीमती कंचन कंवर	1927.00	वसुली हेतु प्रयास जारी

1	2	3	4	5	6
8.	पीसागन		श्री सत्यनारायण सोमानी	55347.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		बिठुर	पूर्व सरपंच	1205.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्रीमती गुमानी देवी	64843.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री सुभान खां	22635.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		भडसूरी	श्री गिरधारीलाल गूर्जर	988.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्रीमती अणदी देवी	16631.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		डूमाडा	श्री सुमेरसिंह राठोड	1851.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री सुखदेव गूर्जर	3793.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री गोविन्द गूर्जर	66642.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		सोमलपुर	श्रीमती कूकी देवी	11885.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री कालू खां	6000.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		मकरेडा	पूर्व सरपंच	1387.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री भवरलाल भांबी	45364.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		मांगलियावा	श्री मदनलाल शर्मा	20.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री सुरेश कासलीवाल	6594.00	वसुली हेतु प्रयास जारी

1	2	3	4	5	6
8.	पीसागन		श्रीमती तीजी देवी	21077.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		बिडिक्च्यावास	श्री भैरूलाल गूर्जर	25341.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री फतहकंवर चोपडा	94445.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		लीडी	श्री रामदेव डीया	462.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री छोटूलाल चौधरी	2500.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		लामाना	श्री मदनलाल शर्मा	2485.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री भोलासिंह रावत	75.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री गोमी देवी रावत	11064.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		बाघसुरी	श्री गौरीशंकर शर्मा	2985.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री देवीलाल रेवास	129191.00	एफ आई आर दर्ज
		न्यारा	श्री राधाकिशन खाती	4052.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री छोटूलाल बेरवा	61759.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		भवानीखेडा	श्री मिठुसिंह रावत	289.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री रामसिंह रावत	24942.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		राजोसी	श्री अनवर खां	13156.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्रीमती अमीना खां	13455.00	वसुली हेतु प्रयास जारी

1	2	3	4	5	6
8.	पीसागन	झडवासा	पूर्व सरपंच	1114.00	मृत्यु
			श्री गुमानसिंह	26870.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्रीमती रूकमा देवी	70233.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री भंवरलाल जैन	12934.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		भटियानी	श्रीमती पुष्पा देवी	22552.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री अनिल गूर्जर	66111.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		नांदला	पूर्व सरपंच	1828.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री छोटूलाल	34969.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री त्रिलोकचंद रेगर	6298.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		देराठू	श्री लक्ष्मणराम जाट	11957.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्रीमती प्रेम देवी रावत	16390.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		जेठाना	श्री रूपचंद चोधरी	219514.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री नारायण गेणा	58912.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		नागेलाव	श्री नारायण गूर्जर	40555.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री बोग खां	22760.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		गोल.	श्री लादूराम गूर्जर	98902.00	वसुली हेतु प्रयास जारी

1	2	3	4	5	6
8.	पीसागन		श्री मदनसिंह राठोड	12631.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		करनोस	श्री नेमीचंद जैन	3000.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्रीमती छोटी देवी गूर्जर	71529.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		तबीजी	श्रीमती सुमित्रा जैन	51454.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		हटूण्डी	श्रीमती तारा देवी	6495.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री अब्दुल रजाक	58975.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		दौराई	श्रीमती रामेश्वरी देवी	27.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
			श्री भंवरलाल चौधरी	5811.00	वसुली हेतु प्रयास जारी
		योग		10589721.00	

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिला परिषद, अजमेर

परिशिष्ट-1

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 26-5-2003 के अनुरूप सर्वाधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित होटलों की सूची

क्र.सं.	होटल/रिसोर्ट का नाम	सर्वाधिकार समिति जिसके द्वारा अनुमोदन किया गया
1.	मैसर्स एक्सप्लोर इण्डिया होटल एण्ड रिसोर्ट प्रा.लि.	जिला स्तरीय सर्वाधिकार प्राप्त समिति के द्वारा दिनांक 28-6-2003 को अनुमोदित
2.	मैसर्स टाईगर कोन्टीनेन्टल वाईल्ड लाईफ रिसोर्ट	जिला स्तरीय सर्वाधिकार प्राप्त समिति के द्वारा दिनांक 28-6-2003 को अनुमोदित
3.	मैसर्स सनी विलास रिसोर्ट रणथम्भौर रोड, सवाई माधोपुर	जिला स्तरीय सर्वाधिकार प्राप्त समिति के द्वारा दिनांक 28-6-2003 को अनुमोदित
4.	मैसर्स देव विलास सच्चाई होटल्स प्रा.लि.	जिला स्तरीय सर्वाधिकार प्राप्त समिति के द्वारा दिनांक 28-6-2003 को अनुमोदित
5.	अमन रिसोर्ट	राज्य स्तरीय सर्वाधिकार प्राप्त समिति द्वारा दिनांक 28-6-2003 को अनुमोदित
6.	नाहरगढ़ होटल	राज्य स्तरीय सर्वाधिकार प्राप्त समिति द्वारा दिनांक 28-6-2003 को अनुमोदित

नोट :- 1. जिला स्तरीय सर्वाधिकार प्राप्त समिति को 3 करोड़ रूपये तक की होटल/रिसोर्ट परियोजनाओं के अनुमोदन का अधिकार है।

2. राज्य स्तरीय सर्वाधिकार प्राप्त समिति को 3 करोड़ रूपये से ऊपर एवं 25 करोड़ रूपये तक की होटल/रिसोर्ट परियोजनाओं के अनुमोदन का अधिकार है।

परिशिष्ट-"2"

पैराफैरी क्षेत्र में आने वाले ग्राम पंचायतों का विवरण जिला अजमेर

क्र.सं	नाम तहसील	पैरा फैरी ग्राम पंचायत	आबादी ग्राम पंचायत			आबादी भूमि बढ़ाई गई				अन्तिम बार आबादी भूमि बढ़ाई गई			
			वर्ष 1991	वर्ष 2001	बढ़ी जन संख्या	वर्ष	बीघा	बिस्या	बिस्वांसी	वर्ष	बीघा	बिस्या	बिस्यांसी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अजमेर	सैंदरिया	1654	2078	424	--	--	--	--	2000	24	08	00
2.	--"--	पालरा	6500	7132	632	--	--	--	--	1993	106	05	00
3.	--"--	हाथीखेड़ा	4904	7582	2678	--	--	--	--	--	--	--	--
4.	--"--	चाचियावास	1477	2273	796	--	--	--	--	--	--	--	--
5.	--"--	रसूलपुरा	4817	8937	4120	--	--	--	--	--	--	--	--
6.	--"--	घूघरा	4435	6752	2317	--	--	--	--	--	--	--	--
7.	--"--	नारेली	1461	2970	1509	--	--	--	--				
8.	--"--	बड़लिया	3137	4106	969	--	--	--	--	2001	13	12	01
9.	--"--	बीर	3580	4649	1069	--	--	--	--	--	--	--	--
10.	--"--	दांता	5197	6166	969	--	--	--	--	--	--	--	--
11.	--"--	अजयसर	3459	4403	944	--	--	--	--	--	--	--	--
12.	--"--	माकड़वाली	2327	3003	676	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	अजमेर	गगवाना	3595	4437	842	--	--	--	--	1992	31	13	00
14.	--"--	गोडियावास	1110	1271	161	--	--	--	--	--	--	--	--
15.	--"--	गेगल	2855	3714	859	--	--	--	--	--	--	--	--
16.	--"--	दौराई	शहरी	4739	--	--	--	--	--	1993	18	16	00
17.	--"--	सोमलपुर	3957	6203	2246	--	--	--	--	--	--	--	--
18.	--"--	सराधना	6002	7590	1588	--	--	--	--	--	--	--	--
19.	--"--	भांवता	3435	3813	378	--	--	--	--	1993	30	09	00
20.	--"--	डूमाडा	4126	4899	773	--	--	--	--	1993	00	16	00
21.	--"--	मियांपुर	4262	5628	1366	--	--	--	--	2003	05	10	10
22.	--"--	तबीजी	शहरी	3830	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23.	--"--	हटूण्डी	शहरी	3378	--	--	--	--	--	--	--	--	--
24.	--"--	कड़ेल	3768	4821	1053	--	--	--	--	1993	142	09	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25.	अजमेर	देवनगर	5463	7904	2441	--	--	--	--	1996	28	17	00
26.	--"--	खोरी	2558	3046	488	--	--	--	--	1993	102	10	00
27.	--"--	गनाहेड़ा	2808	3798	990	--	--	--	--	1995	44	16	00
28.	--"--	तिलोरा	4804	6772	1968	--	--	--	--	--	--	--	--
1.	ब्यावर	ब्यावरखास	2536	3049	513	--	--	--	--	--	--	--	--
2.	--"--	सरमालिया	1525	1919	394	--	--	--	--	--	--	--	--
3.	--"--	नून्द्रीमे न्द्रातान	5196	8159	2963	--	--	--	--	1986	01	12	10
4.	--"--	बलाड़	3047	4122	1075	--	--	--	--	1982	08	00	00
5.	--"--	देलवाड़ा	2749	3537	788	--	--	--	--	1986	23	07	00
6.	--"--	नून्द्रीमालदेव	2291	5721	3430	--	--	--	--	1986	239	17	00
7.	--"--	जालिया I	2764	3576	812	1985	14	05	00	2002	05	00	00
8.	--"--	नरबदखेड़ा	1872	2577	705	--	--	--	--	--	--	--	--
9.	--"--	सुहावा	655	985	330	--	--	--	--	1983	11	00	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	किशनगढ़	मालियों की बाड़ी	3532	5076	1544	--	--	--	--	--	--	--	--
1.	केकड़ी	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.	सरवाड़	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.	भिनाय	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.	पीसांगन	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.	नसीराबाद (केन्टोमेन्ट क्षेत्र)	राजोशी	3690	4983	1293	--	--	--	--	1998	16	00	00
2.	--"--	नान्दला	2515	3335	820	--	--	--	--	--	--	--	--
3.	--"--	देराठू	3086	4251	1165	--	--	--	--	1998	10	14	00
4.	--"--	दिलवाड़ा	1364	1688	324	--	--	--	--	1998	10	00	00
5.	--"--	भटियानी	1714	2275	561	--	--	--	--	--	--	--	--
1.	मसूदा	बाड़ी	2722	3161	439	--	--	--	--	1986	33	00	02
2.	--"--	बरल	3131	4852	1721	--	--	--	--	1989	73	15	04
3.	--"--	शिखरानी	4896	5825	929	--	--	--	--	1989	35	00	00
4.	--"--	सथाना	2586	3259	673	1993	11	10	00	1997	47	05	00

कलक्टर, अजमेर

परिशिष्ट-3

Statement showing RURAL- BPL Families, 1997

S. NO.	NAME OF DISTRICT	NO. OF FAMILIES BELOW POVERTY LINE
1.	AJMER	62932
2.	ALWAR	78911
3.	BANSWARA	169792
4.	BARAN	45684
5.	BARMER	78603
6.	BHARATPUR	45869
7.	BHILWARA	104663
8.	BIKANER	55811
9.	BUNDI	43918
10.	CHITTOR	133253
11.	CHURU	64191
12.	DAUSA	40345
13.	DHOLPUR	31047
14.	DUNGARPUR	130459
15.	GANGANAGAR	40281
16.	HANUMANGARH	37878
17.	JAIPUR	61631
18.	JAISALMER	18857
19.	JALORE	67150

S. NO.	NAME OF DISTRICT	NO. OF FAMILIES BE-LOW POVERTY LINE
20.	JHALAWAR	55190
21.	JHUNJHUNU	25202
22.	JODHPUR	34744
23.	KAROLI	60599
24.	KOTA	37867
25.	NAGAUR	56157
26.	PALI	64414
27.	RAJSAMAND	57961
28.	S. MADHOPUR	51840
29.	SIKAR	28460
30.	SIROHI	36060
31.	TONK	54876
32.	UDAIPUR	222915
	TOTAL	**2097560**

सदस्य सूची

शुक्रवार, 30 जुलाई, 2004

नाम	पृष्ठ संख्या

नाम	पृष्ठ संख्या

नाम	पृष्ठ संख्या